



सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2014-15

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
उच्चतर शिक्षा विभाग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
भारत सरकार



विषय वस्तु



अध्याय-1
सिंहावलोकन

1



अध्याय-2
नई पहल

5



अध्याय-3
प्रारंभिक शिक्षा

17



अध्याय-4
माध्यमिक शिक्षा

57



अध्याय-5
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

83



अध्याय-6
प्रौढ़ शिक्षा

111



अध्याय-7
प्रौद्योगिकी संचालित अधिगम

121



अध्याय-8
भाषा एवं संबद्ध क्षेत्र

131



अध्याय-9
कॉपीराइट एवं पुस्तक संवर्धन

157



अध्याय-10
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और यूनेस्को

171



अध्याय-11
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों की शिक्षा

181



अध्याय-12
विशेष श्रेणी राज्यों में शैक्षिक विकास

193



अध्याय-13
महिलाओं का शैक्षिक विकास

201



अध्याय-14
निःशक्त व्यक्तियों का शैक्षिक विकास

209



अध्याय-15
प्रशासन और नीति

213



अध्याय-16
परिणाम अवसंरचना (आरएफडी) के तहत उपलब्धियां 2013-14

219





अध्याय 01

सिंहावलोकन

सिंहावलोकन

“शिक्षा को राष्ट्र के चरित्र निर्माण का सम्बल बनना चाहिए”

श्री नरेन्द्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री

मानव संसाधन विकास का सार—तत्त्व शिक्षा है जो देश के सामाजिक—आर्थिक ताने—बाने को संतुलित बनाने में एक महत्वपूर्ण और सुधारात्मक भूमिका निभाती है। चूंकि भारत के नागरिक सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन हैं, हमारे राष्ट्र को जीवन की एक अरब आबादी को बेहतर जीवन जीने के लिए मूल शिक्षा के रूप में पोषण और देखभाल की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे नागरिकों के समग्र विकास की आवश्यकता है जिसे शिक्षा की मजबूत नींव के निर्माण से प्राप्त किया जा सकता है।

अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा, नए अन्वेषण, नए ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की आधारशिला है जो व्यक्ति तथा राष्ट्र के विकास तथा समृद्धि को गति प्रदान करती है। इसके लिए, हमें अपनी पाठ्यर्चा और शिक्षा को हमारे समाज और अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक बनाने और किशोरावस्था से ही समस्या समाधान की खूबियों तथा सृजनात्मक सोच, कार्य करके सीखें, जीते—जागते प्रसंगों की बेहतर समझ और आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्ति को पोषित करने की आवश्यकता है।

समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों के शैक्षिक विकास पर जोर देने के लिए मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं

जैसे कि (i) अल्पसंख्यकों के संबंध में राष्ट्रीय निगरानी समिति की स्थापना (ii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मॉनिटरिंग समिति की स्थापना (iii) राष्ट्रीय साधन—सह—योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस), माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई), जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना, शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना जैसी छात्र सहायता पहल (iv) भेदभाव निवारण विनियम तथा लोकपाल की नियुक्ति और (v) रैगिंग रोधी वेबपोर्टल तैयार करना। भारत सरकार की वरीयता को ध्यान में रखते हुए, इस मंत्रालय की योजनाओं में एससीएसपी/टीएसपी के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और क्रियान्वयन के लिए उन्हें इस मंत्रालय के तहत सभी संगठनों/संस्थाओं को प्रेषित किया गया है मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) तथा जम्मू और कश्मीर सहित देश के सभी क्षेत्रों के समग्र और संतुलित शैक्षणिक विकास पर विशेष ध्यान दिया है।

वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय दो विभागों अर्थात् स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के जरिए काम करता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का उद्देश्य

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करना और यह सुनिश्चित करना कि इसे इसकी भावना के अनुरूप क्रियान्वित किया जाए।
- देश भर में शैक्षिक संस्थाओं तक पहुंच का विस्तार और उनकी गुणवत्ता में सुधार।
- जेंडर समानता का संवर्धन तथा लाभवंचित समूहों जैसे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सामाजिक समावेशन।
- समाज के वंचित वर्गों के योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति, ऋण इमदाद इत्यादि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना जिसमें यूनेस्को तथा विदेशी सरकारों और विश्वविद्यालयों के घनिष्ठ सहयोग से कार्य करना शामिल है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का लक्ष्य “शिक्षा का सर्वसुलभीकरण” और हमारे युवाओं को बेहतर नागरिक बनाना है। उच्चतर शिक्षा विभाग अग्रणी प्रोफेसरों के साथ

विश्व स्तर के शिक्षण संस्थानों की स्थापना, शोध एवं कौशल विकास के लिए पर्याप्त अवसर सृजित करने के लिए प्रयासरत है। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

चुनौतियां, समाधान और नया दृष्टिकोण

स्कूल शिक्षा

पहुंच

- सर्व शिक्षा अभियान
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
- स्वयं

समानता

- बालिकाओं के लिए स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति
- साक्षर भारत
- उड़ान: परामर्श और छात्रवृत्ति पहल

उत्कृष्टता

- पढ़े भारत बढ़े भारत
- अध्यापक शिक्षा सुधार
- सारांश

उच्च शिक्षा

पहुंच

- भारत के विभिन्न भागों में 19 नए संस्थानों की घोषणा की गयी है
- स्वयं— एक मुक्त एमओओसीएस मंच
- आरयूएसए का कार्यान्वयन
- ईषान उदय

समानता

- ईषान विकास — पूर्वोत्तर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
- प्रगति — तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति
- सम्वय — विकल्प आधारित क्रेडिट फ्रेमवर्क
- सक्षम — अन्यथा सशक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

उत्कृष्टता

- विनियामक जैसा कि यूजीसी, एआईसीटीई की समीक्षा हेतु समितियां
- जीआईएन अंतर्राष्ट्रीय संकाय सहयोग
- पोर्टल जैसे कि अपना कॉलेज जाने
- मदन मोहन मालवीय अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम

हम विश्व स्तर के सबसे बड़े कुशल कार्यबल का निर्माण करें। इसके लिए कई नई योजनाएं और पहल नियमित रूप से शुरू की जा रही हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया है। यही दृष्टिकोण महत्वपूर्ण क्षेत्रों को परिभाषित करेगा और यह

सुनिश्चित करेगा कि हम अपना लक्ष्य सही मूल्य प्रणाली, संवेदनशीलता तथा जिम्मेदारी के साथ प्राप्त करें मंत्रालय की अपनी विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से देश के बच्चों तथा लोगों के लिए गुणतापूर्ण, समावेशी, मितव्ययी तथा सार्थक शिक्षा तक पहुंच को सहज बनाने में सफल रहा है।



अध्याय 02

नई पहल

नई पहल

शिक्षा मानव में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है।


— स्वामी विवेकानंद

भविष्य भारत का है— जो कि संभावनाओं से परिपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा गतिशील लोकतंत्र है। आंखों में उम्मीद और सीखने की इच्छा के साथ इस महान राष्ट्र के युवा, शिक्षा के ऐसे नए आयाम की इंतजार में है जो विश्लेषणात्मक कौशल के साथ ज्ञान, तर्क सम्मत विचारों तथा प्रवृत्त मार्ग से आगे कल्पना करने का संवर्धन करें जिसका लक्ष्य 21वीं सदी के कौशल की स्थापना द्वारा जीवन में परिवर्तन करना तथा आजीवन सीखने की प्रेरणा देना है। अब तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भविष्य की प्रतिबद्धता और उठाए गए कदम इस दिशा में हैं।

किसी भी व्यक्ति के लिए शिक्षा न केवल वर्तमान तथा उसके चारों ओर उसके ज्ञान एवं समझ में वृद्धि करने का एक

साधन है अपितु उसके व्यक्तित्व में सभी तरीके से समग्र विकास सुनिश्चित करने का अवसर भी है। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार से अभिमुखी बनाया जाना और कार्यान्वित किया जाना चाहिए कि शिक्षा का लाभ सभी को विशेषकर हमारे समाज के संवाधिक वंचित वर्गों तक पहुंचे।

भारत में शिक्षा की चुनौतियों को पूरा करने के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण क्षेत्रों को परिभाषित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि हम अपना लक्ष्य सही मूल्य शिक्षा, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ प्राप्त करें। मंत्रालय द्वारा 2014-15 के दौरान नए दृष्टिकोण के साथ अपने नए कदम क्षेत्रवार नीचे दर्शाए गए हैं:



पढ़े भारत बढ़े भारत

शिक्षा के परिणामों में वृद्धि करने के लिए यह कार्यक्रम 26 अगस्त, 2014 को आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम में इस तरीके से व्याकरण एवं गणित के शिक्षण में पठन और लेखन में रुचि पैदा करने हेतु भाषा के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिससे स्कूली शिक्षा के शुरुआती वर्षों विशेषकर कक्षा-I और II के दौरान रुचि और समझ का विकास हो।

सारांश

सीबीएसई बोर्ड ने संबद्ध तथा सीबीएसई के स्कूलों के लिए 2 नवंबर, 2014 को 'सारांश' शीर्षक से एक ऑन-लाईन सुविधा आरंभ की है। यह स्कूलों की समेकित स्तर पर तथा प्रत्येक छात्र के स्तर पर उनका प्रदर्शन देखने में सहायता प्रदान करता है। सरलता से समझने के लिए सभी प्रदर्शन मैट्रिक्स संख्या और चार्ट/ग्राफ्स के जरिए प्रस्तुत किए जाते हैं। सारांश स्कूलों की विभिन्न स्तरों पर सभी सीबीएसई स्कूलों की तुलना में उनके प्रदर्शन की तुलना करने में सहायक होगा।

तिथि भोजन- मध्याह्न भोजन योजना

मध्याह्न भोजन योजना का न केवल बच्चों के अधिक नामांकन बल्कि नियमित छात्र उपस्थिति के रूप में काफी बड़ा प्रभाव है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने सभी संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में मध्याह्न भोजन की निगरानी समिति के साथ स्वयं को संबद्ध करने का अनुरोध किया है। विभिन्न राज्यों से सर्वोत्तम पद्धतियों की पहचान की गयी और मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में सभी राज्यों के लिए मार्गदर्शक के रूप में इसे साझा किया गया। स्कूल जाने वाले बच्चों की नियमित निगरानी और अनुपूरकों के अपेक्षित कदमों का सुझाव दिया गया है। केन्द्र सरकार ने राज्यों को इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए समुचित रूप से मध्याह्न भोजन के लिए तिथि भोजन के दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए लिखा है।

पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण मिशन

अध्यापकों एवं शिक्षण के संबंध में जारी विभिन्न कदमों में ताल-मेल पैदा करने के लिए एक अम्ब्रेला योजना आरंभ की गयी। यह योजना अध्यापकों, शिक्षण, अध्यापक तैयारी, व्यावसायिक विकास, पाठ्यचर्या डिजाइन से संबद्ध सभी मुद्दों को हल करेगी। निष्पादन मानक निर्धारित करके तथा नवाचार शिक्षण के लिए सर्वोच्च श्रेणी की संस्थागत सुविधाओं का सृजन। यह योजना योग्य अध्यापकों को शामिल करने, शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभा को आकर्षित करने और स्कूलों तथा कॉलेजों में शिक्षण की गुणता में वृद्धि करने की आवश्यकता को भी हल करेगी।



गुणता मानक में सुधार करने के लिए समुचित विनियामक परिवर्तनों के माध्यम से अध्यापक शिक्षा क्षेत्र में सुधार आरंभ किया गया है। 12 अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में संशोधन किया गया है और पाठ्यचर्या को अद्यतन बनाया गया है तथा तीन नए कार्यक्रम अनुमोदित और अधिसूचित किए गए हैं (4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी., बी.एड., 3 वर्षीय, बी.एड-एम.एड तथा छुट्टियों में अंशकालीन बी.एड.)। अब अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्यायन एजेंसियों (एनएएसी सहित) से पांच वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्यायन प्राप्त करना आवश्यक है।

शोध नवाचार तथा प्रौद्योगिकी पर प्रभाव-इंफ्रिट इंडिया

देश की शोध तथा प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के रूप में पहचान करने और एक सशक्त, शोध अवसंरचना तथा संसाधनों के लिए समुचित योजना को समर्थ बनाने के लिए दस लक्ष्यों की पहचान की गयी है और प्रत्येक के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने हेतु प्रबुद्ध विशेषज्ञों के शोध समूहों का गठन किया जा रहा है। आईआईटी तथा आईएससी जैसी अग्रणी शैक्षिक संस्थाओं की प्रक्रिया को गति देने हेतु पहचान की गयी है।

विनियामक समीक्षा

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती हुई वाणिज्यिकरण की प्रवृत्ति के साथ कई निजी संस्थाएं आरंभ हो गयी हैं। कई बार वे निर्धारित मानकों का पालन नहीं करती हैं। यूजीसी का समूचे कार्यकलाप विनियम तथा न्यूनतम मानकों को लागू करने के स्थान पर अनुदान देने के प्रति रहा है। इसलिए केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पुनर्गठन की आवश्यकता को देखते हुए 30 जुलाई, 2014 को एक यूजीसी समीक्षा समिति का गठन किया है।

(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में उच्च/तकनीकी शिक्षा तथा शोध संभावना का पूरा लाभ उठाने के लिए तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में अनिवार्य और चुनौतियों का सामना करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के पुनर्गठन तथा सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता की पहचान करते हुए एआईसीटीई समीक्षा समिति का गठन किया है। समिति को एआईसीटीई की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करनी है तथा अपेक्षित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बेहतर निष्पादन प्राप्त करने हेतु एआईसीटीई के पुनर्गठन और पुनःसंरचना का सुझाव देना है।

राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क

विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के लिए एक रैंकिंग फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए सचिव (उच्चतर शिक्षा) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क समिति का गठन किया गया है। विभिन्न रैंक मापदंडों को पूरा करने के लिए टीएचईआर तथा क्यूएस रैंकिंग एजेंसियों के समन्वय से कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय नियोजना वीजा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सहयोग कर रहे हैं जिसका उद्देश्य विदेशी संकाय की संख्या में वृद्धि करना है। इससे विभिन्न रैंकिंग प्रणालियों में अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

अनिवार्य प्रत्यायन

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उसे 17 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता पुनरुद्धार पहल (एनक्यूआरआई) की मुख्य विशेषताएं हैं (i) उच्च शिक्षा संस्थाओं की परामर्शी गुणवत्ता सुनिश्चितता का जागरूकता निर्माण, लोकप्रियता तथा संवर्धन, (ii) मूल्यांकनों का समूह तैयार करना और (iii) गुणवत्ता सततता एवं वृद्धि पहल।

19 नई उच्च शिक्षा संस्थाएं

पांच आईआईटी— आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, छ: आईआईएम—हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, चार नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय— आंध्र प्रदेश (1 केंद्रीय विश्वविद्यालय और 1 जनजातीय विश्वविद्यालय), बिहार (महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय), बिहार (महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय), एक आईआईएसईआर— आंध्र प्रदेश, एक एनआईटी— आंध्र प्रदेश, एक आईआईआईटी—आंध्र प्रदेश, एक जनजातीय विश्वविद्यालय— तेलंगाना।

व्यावसायिक अध्ययन स्नातक

यूजीसी ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत डिप्लोमा/प्रोन्नत डिप्लोमा पर बहु-एगजिट के साथ बी.वोक डिग्री की योजना आरंभ की है। इसका उद्देश्य— (i) युवाओं की नियोजनीयता में वृद्धि करना (ii) बहु प्रवेश तथा बहुएगजिट अधिगम अवसर तथा उर्ध्वाधर गतिशीलता के प्रावधानों के माध्यम से उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना। (iii) शिक्षित एवं रोजगार योग्य व्यक्तियों के बीच अंतर को पाटना, और (iv) माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर में कमी लाना है। वर्तमान में 25 राज्यों में 2035 स्कूल इस योजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

युवाओं की व्यावसायिक उन्नति के लिए कौशल मूल्यांकन मैट्रिक्स (समव्य)

एक क्रेडिट फ्रेमवर्क— समव्य—अब मौजूद है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली के भीतर तथा वर्तमान शिक्षा प्रणालियों के बीच उर्ध्वाधर एवं समानांतर गतिशीलता की अनुमति प्रदान करता है। इस फ्रेमवर्क की मजबूती शैक्षिक ज्ञान तथा प्रयोगात्मक व्यावसायिक कौशल का समेकन है। इस प्रकार के प्रयास हमारे शिक्षित युवाओं की नियोजनीयता में वृद्धि करेंगे।

शिक्षा क्षेत्र कौशल परिषद्

शैक्षिक संकाय और अध्यापक योग्यताओं से इतर नौकरी भूमिकाओं पर विचार करने के लिए सितंबर, 2014 को शिक्षा क्षेत्र कौशल परिषद् का गठन किया गया था। एसएससी के कार्यकलापों में कौशल विकास आवश्यकताओं के प्रशिक्षण पहचान की आयोजना तथा डिलीवरी में सहायता करने तथा क्षेत्र कौशल विकास योजना के कौशल प्रकार विकास तैयार करने और कौशल क्षमता मानक और योग्यताओं का विकास करते हुए कौशल को बनाए रखने हेतु श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एमएमआईएस) की स्थापना करना है। एआईसीटीई प्रमुख संगठन के रूप में इस पहल की एंकरिंग कर रहा है।

कौशल केन्द्र

100 'दीन दयाल उपाध्याय ज्ञान अर्जन एवं कुल मानव योग्यता एवं आजीविका उन्नयन केन्द्र' (कौशल) की स्थापना की जाएगी। ये केन्द्र (i) विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योग-जगत; (ii) कौशल विकास के क्षेत्र में संस्थागत डिजाइन, पाठ्यचर्या डिजाइन और घटक; (iii) कौशल विकास शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए शिक्षा-शास्त्र, मूल्यांकन (iv) कौशल विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षित संकाय; और (v) उद्यमशीलता को ध्यान में रखते हुए स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। कौशल केन्द्र विशिष्ट क्षेत्रों में कौशल विकास के उत्कृष्ट केन्द्र बनने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली तथा उद्योगजगत के बीच समन्वय हेतु कार्य करेगा।




उन्नत भारत अभियान

आईआईटी, आईआईएसईआर, एनआईटी गांवों को अपनाएंगे और लोगों की भागीदारी के माध्यम से सतत विकास के लिए समुचित ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकसित करेंगे। यह अभियान उस प्रक्रिया को समर्थ बनाएगा जो उच्च शिक्षा संस्थानों को स्थानीय समुदाय से जोड़ेगी। जल प्रबंधन, ऑर्गेनिक फॉर्मिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, मितव्यय प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और आजीविका पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।



युक्ती— योग्या कलाकृति की तकनीक

युक्ती का उद्देश्य कौशल विकास करना तथा पारंपरिक शिल्प तथा हस्तशिल्प में रत व्यक्तियों की आजीविका के साधन के रूप में आर्थिक परिदृश्य में वृद्धि करके डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना है। इसको देखते हुए इसका लक्ष्य नवाचार और उत्पादन के लिए समुचित डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी आरंभ करना है। उन्नयन के लिए कौशल आरंभ करने हेतु शिक्षा शास्त्रीय पद्धति का डिजाइन।



सक्षम— निःशक्त बच्चों के लिए छात्रवृत्ति

एआईसीटीई की सक्षम योजना का उद्देश्य निःशक्त बच्चों के लिए तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करना है। जरूरतमंद और प्रतिभाशाली छात्रों को एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने, अधिगम मुद्दों, पर्यावरणीय चुनौतियों अथवा चिकित्सा बिलों के बावजूद उनके कॉलेज उद्देश्य में सहायता प्रदान करने के लिए ट्यूशन फीस तथा आकस्मिकताओं के रूप में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रु. की छात्रवृत्तियां प्रदान की जानी हैं। ऐसे निःशक्त छात्रों, जिनके परिवार की आय 6 लाख रु. प्रतिवर्ष से कम है, को प्रतिवर्ष 1000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक वर्ष

ट्यूशन फीस के रूप में 30,000 /— रु. अथवा वास्तविक, जो भी कम हो और आकस्मिकता के रूप में 10 माह के लिए 2000 /— रु. प्रतिमाह दिए जाएंगे।

इशान उदय— पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए योजना

यूजीसी ने शैक्षिक वर्ष 2014-15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना, इशान उदय आरंभ की है। इस योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन छात्रों को 10,000 छात्रवृत्तियां प्रदान करने की परिकल्पना की गयी है जिनके अभिभावकों की आय 4.5 लाख रु. प्रतिवर्ष से कम है और उन्हें देश के कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में अवर स्नातक स्तर पर पढ़ने के लिए प्रतिमाह 3,500 रु. से 5,000 रु. के बीच छात्रवृत्ति दी जाएगी।

इशान विकास – पूर्वोत्तर छात्रों के लिए शैक्षिक प्रदर्शन

यह कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्यों के चुनिंदा कॉलेज और स्कूली छात्रों को शैक्षिक प्रदर्शन के लिए उनकी छुट्टियों की अवधि के दौरान आईआईटी, एनआईटी तथा आईआईएसआईआर के घनिष्ठ संपर्क में लाने की योजना के साथ आरंभ किया गया है। पूर्वोत्तर से 2112 स्कूली छात्र, 528 स्कूल अध्यापक प्रत्येक वर्ष अग्रणी संस्थानों की यात्रा करेंगे। 25 संस्थाओं के लगभग 250 कॉलेज छात्र प्रत्येक वर्ष 16 आईआईटी, 6 एनआईटी की यात्रा करेंगे (आरंभ में छः एनआईटी पर विचार किया जा रहा है)। पहली यात्रा दिसंबर, 2014 में आरंभ की गयी है।

महिला नेता

महिलाओं की सर्वोच्च तकनीकी शिक्षा संस्था और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के शासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गयी। आईआईटी के इतिहास में पहली बार आईआईटी परिषद् में दो महिला वैज्ञानिकों को नामित किया गया है।

उड़ान

यह योजना छात्राओं के प्रवेश का संवर्धन करने के लिए बालिका शिक्षा के विकास के प्रति समर्पित है। सीबीएसई द्वारा 951 छात्रों का चयन किया गया है। इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के बीच शिक्षण अंतर को पाटना है। इसमें प्रोत्साहन तथा शैक्षिक सहायता के माध्यम से छात्राओं के सम्मानित तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में दाखिले में वृद्धि करने की अपेक्षा की गयी है। यह विशेषकर विडियो, टेक्स के रूप में तैयार तथा टेबलेट पर प्रैक्टिस टेस्ट में भौतिकी, रसायन और गणित में निःशुल्क ऑनलाइन अनुपूरक पाठ प्रदान करता है।

साक्षर भारत: प्रौढ़ साक्षरता और प्रधानमंत्री जन-धन योजना


प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास की केन्द्र प्रायोजित योजना में लाभवंचित समूह पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गा है। इस कार्यक्रम के तहत 410 जिले शामिल हैं। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत प्रमाणित प्रौढ़ साक्षरता को शामिल तथा बैंक खाते खोलने के लिए उन्हें प्रेरित करने हेतु वित्तीय साक्षरता के तहत कदम उठाए गए हैं। 82.25 लाख प्रमाणित प्रौढ़ साक्षरों ने पीएमजेडीवाई के तहत खाते खोलने की सूचना दी है।

प्रगति— तकनीकी शिक्षा के लिए बालिका छात्रवृत्ति

प्रगति का उद्देश्य बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं सहायता करना है। इस योजना में 30,000 रु. की छात्रवृत्ति तथा पाठ्यक्रम की अवधि तक 10 माह के लिए 2000 रु. प्रतिमाह की ट्यूशन फीस की परिकल्पना की गयी है। प्रत्येक वर्ष 4000 बालिकाएं लाभांवित होगी जिसमें एकमात्र प्रतिबंध यह होगा कि 6 लाख प्रतिवर्ष से कम आय वाले परिवार की केवल एक बालिका पर ही विचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चुनाव राज्य की अर्हता परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

एकल बालिका के लिए स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बालिकाओं की शिक्षा बीच में छोड़ने की दर बालकों से कहीं अधिक है। स्वामी विवेकानंद के महिलाओं की शिक्षा के विचारों को ध्यान में रखते हुए तथा बालिका शिक्षा के संवर्धन के लिए यूजीसी ने विशेषकर अपने परिवार की अकेली बालिका के लिए उच्च शिक्षा को प्रत्यक्ष लागत की प्रतिपूर्ति करने के लक्ष्य के साथ सामाजिक विज्ञान में शोध के लिए एकल बालिका हेतु स्वामी विवेकानंद छात्रवृत्ति आरंभ की है।



शाला दर्पण— आईसीटी के प्रयोग में सभी राज्यों को सही दिशा देने के लिए केन्द्रित दृष्टिकोण

सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के अभिभावकों तक पहुंच प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शाला दर्पण— आईसीटी कार्यक्रम आरंभ किया गया था। शाला दर्पण का उपयोग करके अभिभावक अपने बच्चे की प्रगति के संबंध में अद्यतन जानकारी देख सकते हैं। वे अपने बच्चे की उपस्थिति, असाइनमेंट तथा उपलब्धियों के रिकॉर्ड देख सकते हैं। मंत्रालय का लक्ष्य 2015 शैक्षिक सत्र से यह सेवा आरंभ करना है।

स्कूल रिपोर्ट कार्ड

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) के आधार पर देश में स्कूलों के रिपोर्ट कार्ड को राज्यों द्वारा अपने स्कूलों का माध्यम से वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाता है जिसमें स्कूल के सभी पहलू और उसके कार्यकलाप शामिल होते हैं। प्रतिभागियों में जागरूकता पैदा करने और स्कूलों, विशेषकर निजी स्कूलों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सितंबर, 2014 में पहली बार यूडीआईएसई मीडिया अभियान आरंभ किया गया था। मुख्य आंकड़ों की उपलब्धता तथा एसएसए और आरएमएसए के तहत उसकी योजना और मॉनिटरिंग में इसके प्रयोग ने आवश्यकता आधारित प्रोविजनिंग तथा संसाधनों के उपयोग में वृद्धि की है।

जीआईएस मैपिंग

राज्यों द्वारा संचालित जीआईएस मैपिंग की कार्यवाही के आधार पर विभाग ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर एनआईसीजीआईएस के साथ अभिसारित करने के लिए सितंबर, 2014 में कदम उठाए। राज्य के आंकड़ों की सटीकता की जांच करने और तब मंच पर स्कूल सूचना प्रणाली (जीआईएस) की सतह तैयार करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। 22 राज्यों के आंकड़े उपलब्ध करवाए गए हैं और इन्हें यूडीआईएसई के स्कूल स्तरीय आंकड़ों के साथ जोड़ा गया है।

स्वच्छ विद्यालय पोर्टल

अक्तूबर, 2014 में आरंभ किया गया एक उपभोक्ता — सुलभ वेब पोर्टल ने अब तक ऑनलाइन पंजीकरण के जरिए 200 से अधिक इकाइयों को सहायता प्रदान की है और स्कूलों के चयन (शौचालय रहित), उनके अनुरोध की पुष्टि तथा स्थान के वास्तविक फोटोग्राफ को 'जीओलोकेशन एनेबल्ड' अपलोड के साथ निर्माण की प्रगति को आगे और अद्यतन बनाने सहित सभी प्रक्रियाओं को सुलभ बनाया है।

अपना कॉलेज जाने

'अपना कॉलेज जाने' संभावित छात्र को कॉलेज के बारे में आवश्यकता सूचना प्रदान करते हुए कॉलेज के चयन के

लिए मूल्यांकन निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने हेतु विकसित एक पोर्टल है। सहयोग, मोबाईल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, समुदाय कॉलेज, आईसीटी के उपयोग, आदर्श पाठ्यचर्या, जैसे विवरण तथा शोध पोर्टल उपलब्ध है। विशेष रूप से सशक्तों के लिए सुविधाओं, बालिकाओं के लिए सुविधाओं, प्लेसमेंट सुविधाओं तथा उद्यमशीलता के ब्यौरे उपलब्ध हैं। छात्र पोर्टल पर निवारण हेतु शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आवेदन छात्र को भारत में या उससे बाहर शिकायत ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करता है।

कैम्पस कनेक्ट


सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमईआईसीटी) योजना का लक्ष्य शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया के लिए आईसीटी की संभावना का पता लगाना है। इस मिशन में दो प्रमुख घटक हैं (क) घटक तैयार करना (ख) संस्थाओं और छात्रों के लिए पहुंच उपकरण के प्रावधान के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करना। एनएमईआईसीटी मिशन के तहत देश में 419 विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं और 25000+ कॉलेजों तथा पॉलीटेक्नीक प्रदान करने की कल्पना की गयी है।

राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय

भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की एक राष्ट्रीय ज्ञान संपत्ति के रूप में कल्पना की गयी है जो अंतहीन डिजिटल ज्ञान संसाधन प्रदान करेगा। यह देश में सभी प्रकार के शिक्षु समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए शिक्षा, शोध तथा नवाचार में सहायता और वृद्धि करेगा। विभिन्न पृष्ठभूमि, आशाओं और भाषाओं के साथ विभिन्न शिक्षुओं के लिए गुणवत्ता ई-घटक हेतु सक्षम पहुंच का विकास करना और उसे प्रदान करना।

स्वयं — युवा मष्तिष्कों के लिए सक्रिय— शिक्षण का अध्ययन वेब

स्वयं एक व्यापक शैक्षिक ढांचे के साथ एक राष्ट्रीय मंच पर एक वृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओओसी) पहल है। यह समेकित मंच शिक्षुओं द्वारा बड़े स्तर पर उपयोग के लिए इंजीनियरिंग, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान को शामिल करते हुए पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों के गठन समुचित प्रमाणन तथा प्रमाण-पत्र प्रदान करने के पश्चात् तुरंत ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे।



जीआईएएन विश्व शैक्षिक नेटवर्क पहल

जीआईएएन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रूप से वैज्ञानिकों और उद्यमियों की प्रतिभा को लेना है ताकि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ उनकी नियुक्ति को प्रोत्साहित किया जा सके जिसे देश के मौजूदा शैक्षिक संसाधनों का प्रसार, गुणवत्ता सुधार की गति में तेजी और भारत की वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय क्षमता को वैश्विक उत्कृष्टता के स्तर पर लाया जा सके। विभिन्न देशों के सहयोग से इस कार्यक्रम को आरंभ करने का प्रस्ताव है।

स्वच्छ विद्यालय

सरकार ने एसएसए और आरएमएसए के अंतर्गत 1.70 लाख शौचालय अनुमोदित किए हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्रों के निगमों ने 91,422 शौचालयों को ब्लॉक किया है। निजी क्षेत्र के निगमों ने 2734 शौचालयों के निर्माण की प्रतिबद्धता दी है। इसके अतिरिक्त पीएसयू ने 67592 खराब शौचालयों के नवीकरण/पुनःनिर्माण भी किए हैं।

सीआईएचईसी-उद्योग उच्च शिक्षा सहयोग परिषद्

प्रधानमंत्री के निजी सचिव द्वारा दिनांक 26 सितंबर, 2014 को ली गई बैठक में उभरने वाले निर्णयों में से एक उद्योग एवं शैक्षिक जगत के बीच संपर्क स्थापित करने से संबंधित था। उद्योग एवं उच्च शिक्षा सहयोग परिषद् (सीआईएचईसी) नामक एक नोडल एजेंसी की उद्योग-उच्च शिक्षा सहयोग का संवर्द्धन करने और उसे सुलभ बनाने के लिए स्थापना की जाएगी। सीआईएचईसी की मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक

सलाहकारी समूह के रूप में गठन किया गया है। जिसमें शैक्षिक, उद्योग जगत और प्रतिभागी मंत्रालयों के सदस्य शामिल हैं। सीआईएचईसी को अब एक सोसाइटी के रूप में बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

शोध पार्क

शोध पार्क का उद्देश्य विश्व मानकों से आगे जाकर प्रतिस्पर्द्धी प्रौद्योगिकी और नवाचार को समत बनाने, प्रोत्साहित करने एवं विकसित करने के लिए उद्योग एवं शैक्षिक जगत के बीच सहयोग के माध्यम से ज्ञान और नवाचार इको प्रणाली का सृजन करना है। आईआईटीएमआरपी का चरण-I पूर्णतः कार्यरत है। आईआईआईटी, मद्रास से 2 और शोध पार्कों को अनुमोदित किया गया है, आईआईटी, बंबई और आईआईटी, खड़गपुर प्रत्येक को सौ करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

सार्क-नई दिल्ली घोषणा



यह सार्क की शिक्षा के संबंध में पहली घोषणा थी और यह मंत्रालयी स्तर पर एक दुर्लभ घोषणा थी जिसमें शिक्षा के प्रति आम समझ और प्रतिबद्धता दर्शायी गई। इस बैठक में 7 सार्क सदस्य राष्ट्रों और 8 सदस्य राष्ट्रों के अधिकारियों ने भाग लिया। नई दिल्ली की घोषणा में उत्तर-2015 शिक्षा एजेंडा और कार्यवाही के क्षेत्रीय वरीयता क्षेत्रों के संबंध में सार्क दृष्टिकोण की पहचान की।

यूनेस्को



यूनेस्को की महानिदेशक ईरीना बोकोवा ने मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

शिक्षा के क्षेत्र में भारत की मस्कट, ओमान में 12-14 मई, 2014 को आयोजित 2014 विश्व की ईएफए बैठक (जीईएम) में अग्रणी भूमिका की सभी पक्षों, विशेषकर विकासशील देशों और सिविल सोसाइटी द्वारा काफी प्रशंसा की गई। नई दिल्ली में ई-9 स्कूल की स्थापना करने के भारत के प्रस्ताव जो छात्रों एवं संकाय के आदान-प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कार्य करेगा, उन तरीकों में से एक है जिसमें भारत ने ई-9 के पुनरोद्धार का प्रबंध किया।

भारत-यूके शिक्षा मंच

मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार और विश्वविद्यालय, विज्ञान एवं शहर मंत्री, यूनाइटेड किंगडम ने भारत तथा यूनाइटेड के बीच शिक्षा के सहयोग तथा सहयोग के भविष्य के क्षेत्रों को व्यक्त करते हुए एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने यह माना कि प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्चतर, और व्यावसायिक शिक्षा के सभी स्तरों पर सहायता प्रदान करने वाले संस्थागत संपर्कों में वृद्धि हुई है और इनका विस्तार जारी

रहेगा। दोनों पक्षों ने यह माना कि यूकेआईईआरआई ने काफी योगदान दिया है और दूसरे चरण में यूकेआईईआरआई के अंतर्गत कार्यों के नए क्षेत्रों का स्वागत किया जिनमें समुदाय कॉलेज, शिक्षा नेतृत्व को आगे बढ़ाने तथा नए भागीदारों की सहायता को मान्यता देना शामिल था।

भारत — इजराईल संयुक्त शोध समूह

भारत तथा इजराईल की संस्थाओं के बीच पहले वर्ष के लिए 21 संयुक्त शोध परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है। भारतीय संस्थाओं की 21 परियोजनाओं की लागत लगभग 18.00 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं के लिए नवंबर, 2014 के दौरान यूजीसी द्वारा निधियां जारी की गई हैं। यह पहल परस्पर हित के क्षेत्रों में दोनों देशों में शोध गतिविधियों में वृद्धि करेगी। संयुक्त रूप से वित्त-पोषित ऐसा कार्यक्रम भारत तथा इजराईल के बीच पहली बार कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारत — जर्मनी कार्य समूह

भारत दृ जर्मन नीति भागीदारी कार्यक्रम (आईजीएसपी) के अंतर्गत पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा वर्ष 2015 से 2019 तक कार्यान्वयन की अवधि में विस्तार करने पर सहमति हुई। भारत ने मानविकी और सामाजिक विज्ञान में प्रोन्नत अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु जर्मनी की पहल का स्वागत किया। आईआईटी और आईआईएसईआर के साथ सहयोग को और मजबूत बनाने पर सहमति हुई। डीएएडी-आरआईएसई कार्यक्रम के अंतर्गत आईआईआईटी, मंडी में आने वाले जर्मन छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। दोनों पक्ष नए आईआईटी की स्थापना के लिए भागीदारी का स्वागत करेंगे। उच्च शिक्षा में कौशल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई।

भारत- नार्वे संयुक्त शोध

भारत और नार्वे के बीच पहली बार संयुक्त रूप से वित्त-पोषित एक पहल आरंभ की गई। 13 परियोजनाओं की पहले बैच की घोषणा भारत के माननीय राष्ट्रपति की अक्टूबर, 2014 में नार्वे की यात्रा के दौरान की गई थी। परियोजनाओं के पहले बैच के लिए यूजीसी द्वारा नवंबर, 2014 के दौरान निधियां जारी की गई हैं। इस पहल से दोनों देशों में परस्पर हित के क्षेत्रों में शोध गतिविधियों में वृद्धि होगी।

भारत- अमरीका उच्च शिक्षा वार्ता

इस अवसर पर मौजूदा सहयोग और नए क्षेत्रों को उजागर करते हुए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। भारत में समुदाय कॉलेजों के विकास के लिए संस्थागत स्तर पर संपर्कों में वृद्धि करने के लिए समुदाय कॉलेजों के संबंध में कार्यबल की बैठक आयोजित की गई। यूएसआईबीसी

कौशल क्षेत्र में उद्योग संपर्क सुलभ बनाएगा, एमओओसी में और वृद्धि करेगा तथा अधिक एमओओसी मंचों की भागीदारी, भारत के जीआईएएन पहल में सहायता देगा। यूएसएआईडी भारत में नए आईआईटी के विकास के लिए तकनीकी सहयोग सुलभ कराएगा।

भारत-नेपाल शिक्षा मंत्री कार्यक्रम

भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अगुआई में, 2014 की यात्रा के दौरान भारत-नेपाल शिक्षा मंत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। नेपाली छात्रों के पहले बैच में 3-24 नवंबर, 2014 के दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले कार्यक्रम में भाग लिया। समकालीन भारत की समझ विकसित करने के लिए शैक्षिक घटक तैयार किया गया। सांस्कृतिक घटक प्रतिभागियों को भारतीय अनुभव से सरोबार होने में सहायक होगा। विभिन्न संस्थाओं, महत्वपूर्ण उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा भारत तक प्रथम प्रदर्शन अवसर प्रदान करेगी।

भारत – भूटान ई-पुस्तकालय

यह घोषणा भारत के माननीय प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के दौरान की गई थी। भारत भूटान के राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा कुल मिलाकर भूटान के 20 जिलों में डिजिटल खंड/ई-पुस्तकालय की स्थापना में भूटान की सहायता करेगा।

बांग्लादेश भवन

विश्व भारतीय विश्वविद्यालय, शांति निकेतन में बांग्लादेश भवन की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। जिसके लिए बांग्लादेश की सरकार लगभग 25 करोड़ रुपये की निधियां प्रदान करेगी। इस प्रस्ताव का अनुमोदन और औपचारिक घोषणा माननीय विदेश मंत्री की जून, 2014 में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान की गई थी।

भारत- जापान सामाजिक विज्ञान और मानविकी




माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री और माननीय श्री हकुबन शिमोमुरा, शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, जापान के बीच 5 अगस्त, 2014 को नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद् (आईसीएसएसआर) और

भारतीय इतिहास शोध परिषद् (आईसीएचआर) के साथ भारत एवं जापानी शोधकर्ताओं के बीच मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में शैक्षिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए जापान विज्ञान संवर्द्धन सोसाइटी (जेएसपीएस) के बीच शैक्षिक सहयोग की स्थापना के लिए दो इच्छा पत्रों पर बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए गए।

भारत-ऑस्ट्रेलिया नेतृत्व

ऑस्ट्रेलिया- भारत शिक्षा परिषद् (एआईईसी) के अंतर्गत कौशल के संबंध में एक पृथक कार्यसमूह का गठन किया गया है। यूजीसी द्वारा एक व्यावसायिक शिक्षा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के तत्वाधान में 40 नए भारतीय समुदाय कॉलेजों के नेतृत्व निर्माण और संगठनात्मक क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारतीय नेताओं के साथ ऑस्ट्रेलिया की संस्थाओं में संस्थागत तंत्र को सांझा करने और ऑस्ट्रेलिया में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ भारतीय समुदाय कॉलेजों के बीच संपर्क स्थापित करना नेतृत्व विकास कार्यशाला का लक्ष्य था।



राष्ट्रीय शिक्षा नीति परामर्श

वर्ष 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की नीतियों के लिए एक मार्गदर्शी दस्तावेज रही हैं। शिक्षा के परिदृश्य में काफी उतार-चढ़ाव देखे गए हैं। अतः सरकार का प्रस्ताव वर्तमान नीति की समीक्षा करने और नई शिक्षा नीति तैयार करने का है। नई शिक्षा नीति ऑफ लाईन और ऑन लाईन पद्धति का प्रयोग करते हुए एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाएगी। इसकी पृष्ठभूमि संबंधी कार्य पहले ही आरंभ कर दिया गया है और डललवअ.पद पर परामर्श आरंभ किए गए हैं।

आईआईआईटी विधेयक

आईआईआईटी विधेयक, 2014 संसद में पारित किया गया और दिनांक 8 दिसंबर, 2014 को इसे भारत के राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ। चार मौजूदा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईआईटी) को सांविधिक दर्जा प्रदान करना और उन्हें एक संस्था के तत्वाधान में लाना। उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करना और इस प्रकार उन्हें अपने छात्रों को शैक्षिक पाठ्यक्रमों में डिग्रियां प्रदान करने में समर्थ बनाना। समान हित के नीतिगत मुद्दों पर विचार—विमर्श के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में आईआईआईटी परिषद संस्थागत ढांचे।

आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय विधेयक


एसपीए विधेयक को 2014 के शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। अन्य प्रावधानों के साथ एसपीए अधिनियम 3 आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालयों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषित करता है, आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालय की परिषद की स्थापना करता है, इन संस्थानों को छात्रों को डिग्रियां प्रदान करने में सशक्त बनाता है। उपरोक्त विधेयक को लागू करके एसपीए भोपाल और विजयवाड़ा उन 456 छात्रों को डिग्री प्रदान कर पाएंगे जो 2012—14 की अवधि के बीच पहले ही स्नातक हो गए हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक

केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 में बिहार राज्य में “महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय” के नाम पर एक दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने और मौजूदा “केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार” का “केंद्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार” के रूप में पुनः नामकरण करने की संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया है इस विधेयक पर दिनांक 17 दिसंबर, 2014 को राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

उच्च शिक्षा एवं शोध विधेयक को वापिस लेना

उच्च शिक्षा एवं शोध विधेयक (एचईएंडआर विधेयक) में अन्य बातों के साथ—साथ उच्च शिक्षा एवं शोध हेतु राष्ट्रीय आयोग (एनसीएचईआर) नामक एक सर्वोच्च प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान है। मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थानीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ—साथ यह सुझाव दिया था कि यूजीसी और एआईसीटीई जैसी मौजूदा संस्थाओं की कार्यकरण की समीक्षा की जानी चाहिए और उन्हें मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तदनुसार, इस विधेयक को वापिस लेने का प्रस्ताव करते हुए एक मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत की गई और विधेयक को 25 नवंबर, 2014 को राज्य सभा से वापिस ले लिया गया।



बाल संसद

संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने छात्रों को संसद की प्रक्रिया एवं संसद के कार्यकरण को समझने, सार्वजनिक मुद्दों के प्रति विचार बनाने, उन्हें सामूहिक वाद—विवाद की तकनीक में प्रशिक्षित करने, निर्णय लेने की योग्यता विकसित करने, दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान और सहनशीलता विकसित करने, नेतृत्व तथा अन्य अपेक्षित गुण विकसित करने के लिए युवा संसद योजना आरंभ की है। प्रशिक्षित केवीएस अधिकारी और अध्यापक “युवा संसद” सत्र के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करेंगे। 27वीं केवीएस राष्ट्रीय युवा संसद प्रतिस्पर्धा इस वर्ष आयोजित की गई है।

शिक्षक दिवस

श्री नरेन्द्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री ने 5 सितंबर, 2014 को मानेकशाह केंद्र, दिल्ली कैंट में छात्रों के साथ मुलाकात की। विभिन्न राज्यों और संगठनों के 765 छात्रों ने आमने—सामने परस्पर संपर्क में भाग लिया।



गुरुउत्सव

सीबीएसई ने 1 सितंबर, 2014 को एक प्रस्ताव लेखन प्रतिस्पर्धा “गुरुउत्सव, 2014” का आयोजन किया। प्रविष्टियां अंग्रेजी और सभी 22 अनुसूचित भाषाओं (असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, कश्मीरी, कोंकड़ी,

मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृति, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी) में आमंत्रित की गई थी। कुल 1,31,972 अभ्यर्थियों ने प्रतिस्पर्धा के लिए पंजीकरण करवाया और 35 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से 39,010 प्रविष्टियां प्राप्त की गई थी। परिणाम 5 सितंबर, 2014 शिक्षक दिवस के अवसर पर घोषित किए गए थे। सीबीएसई सहित 11 बोर्डों के 146 छात्र विजेताओं में शामिल थे।

संस्कृत सप्ताह

संस्कृत सप्ताह में छात्रों के संस्कृत भाषा में रुचि में वृद्धि करने और छात्रों, अध्यापकों तथा स्कूलों की संभावना के सृजन के लिए ध्यान देते हुए 7 अगस्त, 2014 को संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया।

स्वच्छता अभियान— बाल स्वच्छता मिशन



सीबीएसई ने 25 सितंबर, 2014 को अपने स्कूलों में सफाई कार्यक्रम चलाने का अनुरोध करते हुए स्वच्छ विद्यालय अभियान की शुरुआत की। स्कूल प्रबंधन समितियों के साथ छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 2060 स्कूलों में से 18 स्कूलों का पुरस्कार हेतु चयन किया गया। कुल 3454 स्कूलों ने अपनी स्व: रेटिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 247 ग्रीन-रेटिड स्कूलों में वास्तविक जांच की आवश्यकता है। छात्रों में जागरूकता में वृद्धि करने और "स्वच्छ भारत" प्राप्त करने में भागीदारी के अपने प्रयासों में



सीबीएसई ने 14 से 19 नवंबर, 2014 तक "बाल स्वच्छता मिशन" के संबंध में 5 दिवसीय अभिव्यक्ति श्रृंखला भी आरंभ की है।

मातृभाषा दिवस

मातृभाषा के प्रसार का संवर्द्धन करने और भाषायी एवं सांस्कृतिक परंपरा की पूर्ण जागरूकता के लिए सीबीएसई ने "अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस" अथवा "मातृभाषा दिवस" आयोजित करने का निर्णय लिया है।

जीएनआईटी (सांख्यिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण में बढ़ती हुई अभिरुचि) शपथ (16–22 दिसंबर, 2014)

सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में श्री श्रीनिवासरामानुजन की जन्म जयंती आयोजित करने और गणित में छात्रों की रुचि का सक्रिय रूप से संवर्द्धन करने के लिए जीएनआईटी सप्ताह का आयोजन किया गया। प्रबुद्ध वैज्ञानिकों द्वारा गणित पर लेक्चर, प्रस्ताव लेखन, प्रतिस्पर्धा, क्विज प्रतिस्पर्धा, अध्यापकों और छात्रों द्वारा नवाचार के संबंध में अनुभव सांझा करना, विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित फिल्मों की स्क्रीनिंग, ओरिगामी और पोस्टर प्रतिस्पर्धा जिसके पश्चात् औपचारिक समापन समारोह का आयोजन किया गया।

शाला उत्सव

देश में ऐसे कई उत्सव हैं जिनकी स्थापना 100 से अधिक वर्षों पहले की गई थी। शाला उत्सव स्कूलों के स्थापना दिवस का आयोजन करने का एक प्रयास है। समुदाय स्थापना दिवस समारोह में भाग लेता है। यह समुदाय को स्थानीय क्षेत्र में स्कूल में स्वामित्व और गर्व की भावना प्रदान करता है। स्थानीय स्कूल के प्रबुद्ध सेवानिवृत्त अध्यापकों को आमंत्रित करना और उन्हें इन अवसरों पर सम्मानित किया गया था। ये उत्सव समुदाय को स्कूल के कार्यकरण में सुधार करने और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के विभिन्न मुद्दों पर एक शैक्षिक वार्ता (शिक्षा संवाद) आरंभ करने में शामिल करेंगे।



अध्याय 03

प्रारंभिक शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009/एसएसए (सर्व शिक्षा अभियान)

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21-क और इसका परिणामी विधान, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल, 2009 से लागू हुआ। आरटीई अधिनियम में विनिर्दिष्ट कतिपय अनिवार्य मानदंड और मानक वाले किसी औपचारिक विद्यालय में संतोषजनक और उचित गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। इस महत्वपूर्ण सोपान के अनुपालन में वर्ष 2010-11 में शुरू की गई सुधार की प्रक्रिया वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में जारी रखी गई। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिसूचित कर दिए हैं।

कार्यक्रम हस्तक्षेप

सर्वसुलभ पहुंच

(क) **नए स्कूल:** कई वर्षों से सर्व शिक्षा अभियान के तहत सर्वसुलभ पहुंच के लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर प्रगति हुई है। वर्ष 2011-2002 में प्राथमिक स्कूलों द्वारा 1,73,757 बस्तियां असेवित थीं— जबकि सर्वशिक्षा अभियान आरंभ हुआ था। इन वर्षों में 2,04,686 प्राथमिक स्कूलों को मंजूरी प्रदान की गई जिसमें से 347 स्कूल वर्ष 2014-15 में अनुमोदित किए गए थे। उच्च प्राथमिक स्तर पर, वर्ष 2002 में उच्च प्राथमिक स्कूलों द्वारा 2,30,941 बस्तियां असेवित थीं। इन वर्षों में 1,59,427 उच्च प्राथमिक स्कूलों को 3 किलोमीटर के दायरे में मंजूरी प्रदान की गई है जिनमें वर्ष 2014-15 में अनुमोदित 248 स्कूल शामिल हैं।

(ख) **स्कूल से वंचित बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण:** शिक्षा का अधिकार अधिनियम में स्कूल वंचित बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उचित प्रवेश प्रदान करने के लिए विशेष प्रशिक्षण का विशिष्ट प्रावधान बनाया है। स्कूल न जाने वाले अधिकांश बच्चे वंचित समुदायों से हैं — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम, विस्थापित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, शहरी वंचित बच्चे, कार्यरत बच्चे, अन्य कठिन परिस्थितियों में बच्चे उदाहरणार्थ वे जो दुर्गम स्थानों में रहते हैं, विस्थापित परिवारों के बच्चे और वे जो नागरिक संघर्ष के प्रभावित हैं।

सर्व शिक्षा अभियान क्रियान्वयन अवसंरचना में प्रावधान किया गया है कि विशेष प्रशिक्षण की समयावधि लचीली हो सकती है जो बच्चे की आवश्यकतानुसार 3 माह से 2 वर्ष तक हो सकती है। विशेष प्रशिक्षण वरीयता रूप से स्कूल के परिसर में आवासीय अथवा गैर आवासीय पाठ्यक्रमों के रूप में आयोजित किया जा सकता है, परंतु यदि ऐसी सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध नहीं हैं तो सुरक्षित, संरक्षित व पहुंच वाली वैकल्पिक, सुविधाओं की पहचान कर उनका प्रयोग किया जा सकता है। विशेष प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर किसी बच्चे के संबंध में बच्चे को कक्षा में रखे जाने संबंधी समीक्षा की जा सकती है।

वर्ष 2014-15 की वार्षिक कार्य योजना और बजट में 14.77 लाख स्कूल बाह्य बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 569.22 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

(ग) **आवासीय सुविधाएं:** छितरी आबादी वाले क्षेत्र या पहाड़ी एवं घने जंगली क्षेत्र जहां भौगोलिक भूभाग दुर्गम हैं और घनी आबादी वाले ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जहां स्कूल स्थापित करने के लिए जमीन प्राप्त करना कठिन है वहां आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। शहरी क्षेत्रों में अनेक शहरी वंचित बच्चे हैं। कठिन परिस्थितियों में घर विहीन एवं सड़क पर रह रहे बच्चे जिनको किसी व्यस्क का संरक्षण प्राप्त नहीं है जिन्हें न केवल दैनिक विद्यालय सुविधाओं की आवश्यकता है। अब तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगभग 88400 बच्चों की क्षमता वाले 797 आवासीय संस्थान उपलब्ध कराए गए हैं।

(घ) **परिवहन अथवा एस्कॉर्ट सुविधाएं:** छितरी आबादी वाली दूरस्थ बस्तियों अथवा ऐसे शहरों में जहां भूमि की उपलब्धता एक समस्या है अथवा बच्चे तो अत्यंत वंचित समूह से हों अथवा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए परिवहन अथवा एस्कॉर्ट सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे बच्चों को परिवहन अथवा एस्कॉर्ट सुविधा सहायता प्रदान की जा सकती हैं। इस सुविधा हेतु निधि के लिए राष्ट्रीय घटक में प्रावधान किया जाएगा, जिसका उपयोग राज्यों से मिले विशिष्ट प्रस्तावों की प्राप्ति/मूल्यांकन पर छितरी आबादी वाले, पहाड़ी/घने जंगली/मरुथलीय भूभाग के छात्रों के लिए

परिवहन सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता और शहरी क्षेत्रों में जहां भूमि की अनुपलब्धता के कारण राज्यों के 'पड़ोस' मानक के अनुसार स्कूल स्थापित करना अव्यवहार्य है, के औचित्य को देखते हुए किया जाएगा। वर्ष 2014-15 के लिए, एसएसए ने 82000 छात्रों को परिवहन और एस्कोर्ट सुविधा प्रदान करने के लिए 23.92 करोड़ रुपए का प्रावधान किया।

(ड) **वर्दी:** शिक्षा का अधिकार अधिनियम में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। सर्व शिक्षा अभियान सभी लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के बच्चों को वर्दी के दो सेट उपलब्ध कराएगा जहां (प) राज्य सरकारों ने अपने राज्य की शिक्षा का अधिकार नियमावली में बच्चों की पात्रता के रूप में स्कूल वर्दी के प्रावधान को शामिल किया है और (पप) राज्य सरकारें राज्य के बजट से वर्दी प्रदान नहीं कर रही हैं। यदि किसी राज्य सरकार द्वारा स्कूल के बच्चों के लिए आपूर्ति की जा रही वर्दी की लागत पर आंशिक सब्सिडी प्रदान की जा रही है तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत राशि बाकी बच्चों तक सीमित कर दी जाती है।



(च) **आठ वर्ष के प्रारंभिक शिक्षा चक्र को सुनिश्चित करना:** राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में एक सामान्य शिक्षण संरचना पर विचार किया गया है। प्रारंभिक स्तर पर, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में पांच वर्ष की प्राथमिक तथा तीन वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा शामिल है। देशभर में एक आठ वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा चक्र लागू करने के प्रयास किए गए हैं; तथापि कई राज्यों में सात वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा चक्र का अनुसरण किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के मानक, उच्च प्राथमिक शिक्षा

स्तर पर कक्षा 8 के लिए अतिरिक्त शिक्षक एवं शिक्षण कक्ष तथा कक्षा 5 से 8 के लिए शिक्षण अध्ययन उपकरण उपलब्ध कराते हुए राज्यों को आठ वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा चक्र की ओर ले जाने में सहायता प्रदान करते हैं। अब सभी राज्यों को वर्ष 2013-14 तक आठ वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा चक्र के लिए सहायता प्रदान की गई है।

प्रारंभिक शिक्षा में बालक-बालिका और सामाजिक अंतराल को पाटना

(क) **बालिका शिक्षा:** प्रारंभिक शिक्षा में बालक-बालिका और सामाजिक अंतराल को पाटना सर्व शिक्षा अभियान के चार लक्ष्यों में से एक है। परिणामस्वरूप, सर्व शिक्षा अभियान बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित बच्चों से संपर्क बनाने के प्रयास करता है। सर्व शिक्षा अभियान ने शहरी वंचित बच्चों, आवधिक पलायन और दूरवर्ती एवं छितरी बस्तियों में रहने वाले बच्चों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। सर्व शिक्षा अभियान में बालिकाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के नामांकन के सूचक के विपरीत निष्पादन के आधार पर विशेष फोकस किए गए जिलों को अभिज्ञात किया गया।

शिक्षा का अधिकार-सर्व शिक्षा अभियान ने बालिकाओं और वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों पर स्पष्ट जोर और विशेष फोकस का प्रावधान किया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सामान्य सुविधा सभी बालिकाओं और वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए लागू की गयी है; इसमें आरटीई नियमों के तहत उल्लिखित बस्तियों के भीतर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों को वर्दी, पाठ्यपुस्तकें, आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। बालिकाओं और वंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण सुविधा पर भी अधिक ध्यान दिया गया है क्योंकि इस वर्ग के बच्चे अपनी शिक्षा की प्राप्ति के अवसरों से सबसे अधिक वंचित होते हैं।

(ख) **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी):** केजीबीवी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदायों तथा गरीबी रेखा से नीचे की बालिकाओं के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। केजीबीवी छितरी बस्ती वाले

क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां स्कूल काफी दूरी पर होते हैं तथा लड़कियों की सुरक्षा चुनौती भरी होती है। इसी कारण से बालिकाएं अक्सर अपनी शिक्षा बंद करने के लिए बाध्य हो जाती हैं।

केजीबीवी उन किशोरियों, जो नियमित स्कूल जाने में समर्थ नहीं हैं, से 10+ आयु समूह की स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं तक, जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में सक्षम नहीं है, और छितरी बस्तियों के जटिल क्षेत्रों की विस्थापित

जनसमुदायों की युवा बालिकाओं, जो प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए सफल नहीं हो पाईं, तक पहुंचता है। केजीबीवी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए 75 प्रतिशत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। 30 सितंबर, 2014-15 में 3609 केजीबीवी में 352389 बालिकाएं नामांकित हैं।

केजीबीवी की स्थिति

	केजीबीवी की स्थिति	प्रतिशतता-वार स्थिति
कुल केजीबीवी संस्वीकृत	3609	-
कुल केजीबीवी प्रचालनरत	3593	99.56%
केजीबीवी अभी प्रचालित किए जाने हैं	16	0.44% कार्यान्वयन में अंतराल
श्रेणी-वार नामांकन		
अनुसूचित जाति की बालिकाओं का नामांकन	105378	29.9%
अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं का नामांकन	87459	24.82%
अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं का नामांकन	110004	31.22%
अल्पसंख्यक बालिकाओं का नामांकन	21525	6.11%
गरीबी रेखा से नीचे से संबंधित बालिकाओं का नामांकन	28023	7.95%
बालिकाओं का कुल नामांकन	352389	95.1%

इस योजना को 28 राज्यों और नगर शासित प्रदेशों नामतः असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश,

मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल में लागू किया जा रहा है।

विशेष फोकस वाले (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम) जिलों में केजीबीवी की स्थिति

	संस्वीकृत	प्रचालनरत	लड़कियों का कुल नामांकन	श्रेणी-वार नामांकन	लड़कियों का प्रतिशत (श्रेणी के अनुसार)
अनुसूचित जनजाति जिलों (एसएफडी) में	508	508	52564	37361	71.08%
अनुसूचित जाति (एसएफडी) जिलों में	330	329	31650	14106	47.37%
मुसलमानों के संकेंद्रण वाले (एसएफडी) जिलों में	544	544	45233	9859	21.80%

जुमोई बोरो की सफलता की कहानी

जुमोई बोरो, सुपुत्री श्री बिनामन बोरो और श्रीमती शेमोई बोरो, देवरी गांव, रोउता, जिला उदलगुड़ी, असम को कक्षा V में अपने माता-पिता के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। उनके अनुसार जुमोई को घर पर रहकर अपने छोटे भाई-बहनों का ख्याल रखना चाहिए। उनका मानना था कि जितना भी उसने पढ़ लिया है वह उसके भविष्य के लिए काफी है।



वर्ष 2008 में एसएसए ने जिला दारांग के दलगांव सियालमारी सीडी ब्लॉक में केजीबीवी स्थापित किया और उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं को दाखिला दिया गया ताकि ऐसे बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जा सके। अपने माता-पिता की इच्छा न होने के बावजूद भी जुमोई ने केजीबीवी में दाखिला लिया। उसने कुछ ही समय में अच्छा व्यवहार, अच्छे तौर-तरीका, अनुशासन सीख लिया। जिससे उसके सहपाठी और अध्यापक प्रभावित हुए। धीरे-धीरे उसके अधिगम स्तर में भी सुधार हुआ।

जुमोई ने कढ़ाई, बुनाई, सिलाई आदि में केजीबीवी के विशेषज्ञों के दिशा-निर्देश में दिलचस्पी दिखाई। केजीबीवी में रहने के दौरान उसने जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त किए। वर्ष 2009 में उसने कराटे प्रतियोगिता में तीसरा ईनाम प्राप्त किया।

वर्ष 2012 में उसने कक्षा VIII पूरी की और रावता उच्चतर माध्यमिक स्कूल में कक्षा IX में दाखिला लिया। उसका अध्ययन जारी रहा। तथापि, उसने कराटे की तैयारी नहीं छोड़ी। रावता उच्चतर माध्यमिक स्कूल में पढ़ते हुए उसने वर्ष 2012 में गुवाहाटी में हुए अखिल असम कला प्रतियोगिता में भाग लिया और स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वर्ष 2012 में ही उसने गुवाहाटी में बालिका कुमिटे प्रतियोगिता में भाग लिया और रजत पदक प्राप्त किया।

(ख) स्कूल पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों से जेंडर भेद समाप्त करना

स्कूल/शिक्षण कक्ष वातावरण: स्कूल, शिक्षा और समाजीकरण की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। यह न केवल समाज का आइना है बल्कि छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों की मानसिकता में बदलाव लाने की भी क्षमता रखता है। इस क्षेत्र में अनुसंधान की समीक्षा सकारात्मक और समावेशी रही है, इससे कई तौर-तरीके सामने आए हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है जाति, वर्ग, बालक-बालिका अथवा विकलांगता आदि सभी प्रकार के समावेश के प्रोत्साहन हेतु मुख्याध्यापक की रुचि और प्रतिबद्धता तथा शिक्षकों द्वारा स्वेच्छिक पहल। स्कूल और शिक्षण कक्षों में समावेशन और एक्सकलूजन (2012) पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के हाल ही के अध्ययन ने इस संबंध में तथ्य प्रस्तुत किए हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम और राजस्थान, पांच राज्यों में शामिल किए गए अधिकतर स्कूलों में सुबह की असेम्बली के दौरान बालिकाएं अधिक भाग लेती हैं।

2. जेंडर सुग्राह्य पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें: एनसीएफ 2005 के दिशा-निर्देशों के अनुपालन द्वारा बालिकाओं और महिलाओं की बढ़ती हुई वास्तविक और भूमिका के उलटफेर के माध्यम से स्थानांतरण को महत्वपूर्ण सूचकांक बनाते हुए राज्यों ने जेंडर की स्थापना का निर्णय लिया है।

3. स्कूल प्रबंध समितियां: आरटीई अधिनियम स्कूल स्तर पर स्कूल प्रबंधसमितियों के गठन में महिलाओं की 50% भागीदारी को स्पष्ट करता है। एसएसए कार्यक्रम के अंतर्गत, एसएमसी द्वारा दाखिला, अवसंरचना विकास, संसाधन उपलब्धता को सुनिश्चित करना जैसे स्कूल स्तर के कार्य किए जाते हैं और यह स्कूलों में जेंडर सुग्राह्यता के लिए भी उत्तरदायी है। यह पाया गया है कि स्कूल स्तर पर इन मामलों की देख-रेख में महिला सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दाखिला, बालिकाओं का प्रतिधारण और शिक्षा को पूरा करना; स्कूलों में छात्राओं हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार करना; जेंडर जागरूकता पर विचार-विमर्श हेतु महिला शिक्षकों से संबंध आदि मामलों से निपटने के लिए अधिकतर राज्यों ने अपने नियमित एसएमसी प्रशिक्षण मॉड्यूल में जेंडर सुग्राह्यता को स्थान दिया है। कई राज्यों में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) ने अनिवार्य कर दिया है कि 50: सदस्य महिलाएं होंगी। तथापि, चूंकि एसएमसी स्कूल और स्थानीय प्राधिकरण (पीआरआई) के मध्य सेतु है अतः इसे जेंडर सुग्राह्यीकरण और जागरूकता के कार्यान्वयन हेतु स्कूल को इनपुट देने होंगे।

4. असम में जेंडर सुग्राह्यता पर शिक्षक प्रशिक्षण: विशेष रूप से युवा बालिकाओं द्वारा जेंडर मामलों पर पुनश्चर्या हेतु असम में जेंडर संबंधित मामलों पर शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। राज्य के 26 जिलों में

प्रति जिला 200 की दर से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 5200 शिक्षकों को कवर किया गया।

(घ) भारत सरकार की हाल की कुछ महत्वपूर्ण पहल

(i) “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ”: निम्नलिखित पैरामीटरों पर प्रति वर्ष प्रति जिले में 5 स्कूलों को जिला स्तरीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए प्रति जिला 5 लाख रुपए की दर से चाइल्ड लिंग अनुपात के आधार पर 100 विशिष्ट जिलों में बालिका शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत सरकार की नई घोषित योजना “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” में 5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं:—

क) आस-पड़ोस के प्राथमिक स्कूल में बालिकाओं के शत-प्रतिशत नामांकन और उन्हें पहले वर्ष स्कूल में बनाए रखने के लिए स्कूल प्रबंध समिति (एसएमसी) को 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है।

ख) एक लाख रुपए का एक और पुरस्कार ऐसे प्राथमिक कक्षा-V में पढ़ रही सभी बालिकाओं को स्कूल की एसएमसी को प्रदान किया जा सकता है जो उसी/पड़ोस के उच्च प्राथमिक स्कूलों की कक्षा VI में दाखिला दिलवाते हैं।

ग) एक लाख रुपए के दो पुरस्कार ऐसे उच्च प्राथमिक स्कूल की एसएमसी को प्रदान किए जा सकते हैं जो कक्षा VIII में पढ़ रही सभी बालिकाओं को उसी/पड़ोस के माध्यमिक स्कूलों की कक्षा IX में दाखिला दिलवाते हैं।

घ) एक लाख रुपए का पुरस्कार ऐसे स्कूल की एसएमसी को प्रदान किया जा सकता है जो कक्षा X में पढ़ रही सभी बालिकाओं को उसी/पड़ोस के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की कक्षा XI में दाखिला दिलवाते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उच्च प्राथमिक कक्षाओं की बालिकाओं के नवाचार हेतु कार्यपद्धतियां निम्नलिखित प्रकार से प्रदान की गई हैं:

क्र. सं.	राज्य	वित्तीय परिव्यय 2014-15		
		वास्तविक	वित्तीय (रुपए लाख में)	टिप्पणियां
1	अरुणाचल प्रदेश	16	240.000	बालिकाओं को जीवन कौशल सुरक्षा प्रशिक्षण, ड्रग्स, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर बालक-बालिका सुग्राह्यता जागरूकता
2	बिहार	534 ब्लॉक	587.400	मार्शल आर्ट प्रशिक्षण
3	चंडीगढ़	4200 लड़कियां	4.360	स्लम एरिया में रहने वाली बालिकाओं के लिए स्व सुरक्षा प्रशिक्षण
4	हरियाणा	1487 कलस्टर	154.673	रोल मॉडल व्यक्तित्वों के साथ बैठकें और स्व सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना
5	हिमाचल प्रदेश	500 लड़किया	9.000	स्व सुरक्षा प्रशिक्षण
6	जम्मू और कश्मीर	201 ब्लॉक	80.400	स्व सुरक्षा प्रशिक्षण
7	झारखंड	24 जिले	360.000	जेंडर संसाधन कक्ष, स्व सुरक्षा प्रशिक्षण और स्मार्ट क्लास
8	कर्नाटक	1 जिला	9.000	300/- रुपए प्रति छात्र की इकाई लागत से 3 दिनों के लिए 1000 छात्रों हेतु कक्षा VIII के लिए रोबोटिक एक्टिविटी
9	केरल	330	49.500	ड्रामा और लिविंग कैंपके माध्यम से जीवन कौशल शिक्षा
10	ओडिशा	30 जिले	380.300	स्व सुरक्षा प्रशिक्षण
11	पुद्दुचेरी	4 जिले	21.500	स्व सुरक्षा प्रशिक्षण
12	राजस्थान	10	30.000	उच्च जेंडर अंतराल के 10 जिलों में मीना मंच
13	उत्तर प्रदेश	632 केन्द्र	442.000	63200 बालिकाओं को कवर करने के लिए स्व सुरक्षा प्रशिक्षण
	कुल		2368.133	

स्रोत: एडब्ल्यूपी एंड बी 2014-15

(ii) **अलग बालिका शौचालयों सहित शौचालयों का निर्माण:** एसएसए के अंतर्गत स्कूल अवसंरचना की सुविधाओं, शौचालयों और पेयजल सहित, पर राज्यों ने स्कूल/गांव/ब्लॉक और जिला स्तर की आवश्यकतानुसार कार्य किया है और इसे अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट में दर्शाया है। एसएसए के अंतर्गत स्वीकृत सभी नए स्कूलों में छात्राओं और छात्रों हेतु अलग-अलग शौचालय हैं। वर्तमान ग्रामीण स्कूलों में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की योजनाओं के साथ शौचालयों और पेयजल की सुविधाओं को जोड़ा गया है।



आरटीई अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रावधानों में स्कूलों में शौचालयों का प्रावधान महत्वपूर्ण है। अब तक एसएसए के अंतर्गत कुल 9.18 लाख शौचालय संस्वीकृत किए गए हैं। जिसमें से 4.49 लाख बालिकाओं के लिए हैं। एसएसए वार्षिक अनुरक्षण अनुदान के अंतर्गत शौचालयों सहित वर्तमान स्कूल अवसंरचना के अनुरक्षण और मरम्मत हेतु वार्षिक तौर पर तीन शिक्षण कक्षों वाले स्कूलों के लिए 5000 रुपये प्रति स्कूल और तीन से अधिक शिक्षण कक्षों वाले स्कूलों के लिए 10000 रुपये प्रति स्कूल का अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवर्ष प्रति प्राथमिक स्कूल 5000 रुपये की दर से और प्रति उच्च प्राथमिक स्कूल 7000 रुपये की दर से स्कूल अनुदान प्रदान किया जाता है। कई राज्य शौचालयों के अनुरक्षण और साफ-सफाई के लिए इन निधियों का उपयोग कर रहे हैं।

यूडीआईएसई 2013-14 के अनुसार कुल 2.44 लाख स्कूलों में अभी भी शौचालयों की सुविधा नहीं है। प्रधानमंत्री ने दिनांक 15 अगस्त, 2014 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में बालिकाओं की शिक्षा हेतु ऐलान किया और एक वर्ष के भीतर विद्यालयों में बालिकाओं हेतु अलग शौचालयों के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है ताकि बालिकाओं को शौचालयों हेतु स्कूल से बाहर न जाना पड़े। प्रधानमंत्री ने सांसदों से भी अनुरोध किया कि वे शौचालयों के निर्माण हेतु अपने एमपीएलएडी फंड का उपयोग करें। उन्होंने इस राष्ट्रीय प्रयास के लिए कॉरपोरेट सेक्टर से अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड का उपयोग करने के लिए भी कहा।

अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अल्पसंख्यकों की शिक्षा

एसएसए के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। मंत्रालय द्वारा करवाए गए स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार अनुसूचित जाति के स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या में भी महत्वपूर्ण कमी हुई है। यह वर्ष 2005 के 8.2% से घटकर 5.9% हो गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के स्कूल बाह्य बच्चों का प्रतिशत भी वर्ष 2005 के 9.5% से घटकर वर्ष 2009 में 5.2% हो गया है। मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बच्चों के मामले में इसी अवधि में स्कूल बाह्य बच्चों का प्रतिशत 10% से घटकर 7.7% रह गया है। इससे पता चलता है कि आर्थिक और सामाजिक बंदिशों के बावजूद अभिभावक शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। साथ ही राज्य भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों के लिए स्कूल उपलब्ध कराने के प्रयास कर रहे हैं। पीएबी बैठक 2014-15 के अनुसार राज्यों के अनुमान के अनुसार वर्ष 2014-15 में 17.24 लाख स्कूल बाह्य बच्चे थे। स्कूल बाह्य बच्चों का अनुमान लगाने के लिए मंत्रालय द्वारा तीसरा स्वतंत्र अध्ययन आरंभ किया गया है।

लाभवंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों में प्रारंभिक शिक्षा के प्रोत्साहन के वर्तमान प्रयास सामान्य और विशिष्ट/लक्षित हैं। सामान्य प्रयासों में शामिल हैं: यनिफार्म/पुस्तकों/साइकिलों जैसे प्रोत्साहन, सामाजिक समूहों और जेन्डर को दर्शाने वाले असंकलित डाटा को ट्रैक करना, मध्याह्न भोजन का प्रावधान आदि। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए वदी, पुस्तकों जैसे कई विशिष्ट/लक्षित कार्यक्रमों का सभी बच्चों तक विस्तार कर दिया गया है। सामाजिक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत छात्रावास और छात्रवृत्तियां अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए विशिष्ट/लक्षित कार्यक्रमों के उदाहरण हैं।

(i) **समेकित शिक्षा:** एसएसए के अंतर्गत समानता के मामलों को सबसे महत्वपूर्ण भाग विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) हैं। आरटीई-एसएसए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि विकलांगता के प्रकार, वर्ग और डिग्री पर ध्यान दिए बगैर विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को अर्थपूर्ण और गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु एसएसए की पहल के प्रमुख घटकों में शामिल हैं:

- पहचान, कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांकन, उपयुक्त शैक्षिक प्लेसमेंट, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना की तैयारी, सहायकों और उपस्करों का प्रावधान, शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन सहायता, वास्तुगत अवरोधक हटाना, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन और विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं पर विशेष ध्यान।

- स्कूल के लिए ऐसे बच्चों को तैयार करना विशेष प्रशिक्षण का उद्देश्य है ताकि उनके लिए गुणवत्तापरक समावेशन को सुनिश्चित किया जा सके। बेहद जटिल निःशक्तता वाले बच्चों के लिए गृह-आधारित शिक्षा ताकि वे स्कूल और जीवन के लिए तैयार हो सकें, उन्हें बुनियादी जीवन कौशल प्रदान करना।
- विशिष्ट प्रस्तावों के अनुरूप निःशक्त बच्चों के समावेशन हेतु प्रति बच्चा 3000/- रुपए की दर से वित्तीय सहयोग।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान हेतु सभी राज्यों द्वारा गृह सर्वेक्षण और विशेष सर्वेक्षण करवाए गए हैं। विशेष आवश्यकता वाले 27.79 लाख बच्चों की पहचान की गई है, इनमें से 25.03 लाख बच्चों (चिन्हित बच्चों का 90.07%) स्कूलों में दाखिल हैं। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले 12946 बच्चों को कवर किया गया है और 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष आवश्यकता वाले 1.85 लाख बच्चों को गृह-आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विभिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से विशेष आवश्यकताओं वाले चिन्हित बच्चों में से 97.19% बच्चों को कवर किया गया है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूलों को अवरोध-मुक्त बनाना एसएसए संरचना में शामिल है। अब तक 82.33% स्कूलों को अवरोध-मुक्त बनाया गया है। प्रदान की जाने वाले सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, उनकी मॉनीटरिंग और उन्हें स्कूल में बनाए रखने पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। 212197 स्कूलों में निःशक्तजनों हेतु शौचालय हैं।


नियमित अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 33.06 लाख शिक्षकों को कवर किया गया है जिसमें समावेशी शिक्षा पर 2-3 दिन का कैप्सूल शामिल है। समावेशी शिक्षा की बेहतर पुनश्चर्या हेतु 25.41 लाख शिक्षकों (42.45%) को 3-5 दिवसों का अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। नियमित शिक्षकों को समावेशी शिक्षा पर सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 19778 संसाधन व्यक्ति नियुक्त किए हैं।

(ii) पाठ्यचर्या को अपनाना: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उदाहरणात्मक सामग्री के विकास के लिए एनसीईआरटी को निदेश दिए हैं। एनसीईआरटी द्वारा विकसित हैंडबुक में नियमित शिक्षण-कक्षाओं में मुख्यधारा के शिक्षकों द्वारा अपनाए जाने वाली पाठ्यचर्या, शिक्षण कार्य पद्धति और मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। इससे विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं के लिए नियमित शिक्षकों द्वारा अपनाए जाने वाले टिप्स प्रदान किए गए हैं।

हैंडबुक:

- कक्षा में सभी बच्चों को अर्थपूर्ण अधिगम, अनुभव प्रदान करने की एप्रोच पर आधारित है।
- में टिप्स, सुझाव, उदाहरण और केस अध्ययन शामिल है।
- में ईवीएस, गणित और भाषा जैसे विषयों में पाठ्यपुस्तक अध्यायों के रूप में उदाहरण शामिल हैं।
- में सभी बच्चों के अनुरूप आसान भाषा दी गई है।
- में नियमित शिक्षकों को निःशक्तता के बारे में समझने और अध्ययन-अधिगम प्रक्रिया पर इसके प्रभाव के बारे में बताया गया है।
- सेन्सरी, कोगनिटिव और बौद्धिक निःशक्तता के प्रकाश में समावेशी शिक्षण-कक्षा के सृजन हेतु कार्य पद्धतियां शामिल हैं।
- समावेशी कक्षाओं में सतत और विस्तृत मूल्यांकन हेतु सुझाव पर भी अध्याय हैं।

एनसीईआरटी द्वारा क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से संसाधन व्यक्तियों और शिक्षकों को हैंडबुक द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस उदाहरण के आधार पर मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी आरंभ हो गया है। इस सामग्री पर प्राथमिक स्तर के सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना इसका लक्ष्य है। एनसीईआरटी द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए भी इसी प्रकार की सामग्री विकसित की जा रही है।



(iii) आवश्यक सहायकों और उपस्करों की कमी के कारण विशेष आवश्यकता वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से इन बच्चों को आवश्यक सहायक और उपस्कर प्रदान किए जा रहे हैं। अब तक ऐसे 80.59% बच्चों को सहायक उपस्कर प्रदान किए जा चुके हैं। एसएसए में सीडब्ल्यूएसएन को संसाधन सहायता को सुदृढ़ करने के लिए 1.76 लाख सीडब्ल्यूएसएन को परिवहन/एस्कोर्ट

सहायता, 2.96 लाख सीडब्ल्यूएसएन को थैपयूटिक सहायता प्रदान की गई है और 52869 सीडब्ल्यूएसएन की सर्जरी की गई है। 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 764 एनजीओ समावेशी शिक्षा को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में आरुशी, कोलकाता में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, राजस्थान में साइटसेवरस और महाराष्ट्र में नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाईंड-एसएसए की सहायता करने वाले कुछ लोकप्रिय एनजीओ हैं।

भाग्यश्री की कहानी

भाग्यश्री बरुआ असम के जोरहाट जिले के उलुटोलिया गांव में सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित 9 वर्ष की बालिका है। उसके शरीर का ऊपरी और निचला हिस्सा बुरी तरह से प्रभावित है जिसके कारण उसके विकास में विलंब हो रहा है। वह निम्न मिडिल क्लास परिवार की एकलौती बच्ची और उसकी दशा से उसके माता-पिता बेहद परेशान हैं क्योंकि कई डॉक्टरों के इलाज के बाद भी उसकी दशा में सुधार नहीं हो रहा है। उसे दो वर्ष की आयु तक पुनर्वास सेवाएं प्रदान नहीं की गईं। उसके माता-पिता भी उसकी निःशक्तता के प्रति जागरूक नहीं थे।



वर्ष 2007 में उसे एसएसए द्वारा आयोजित ब्लॉक स्तरीय मूल्यांकन कैंप में ले जाया गया जहां उसे नियमित फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और अन्य आवश्यक सहायता सेवाओं की सलाह दी गई। तदनुसार, उसे एसएसए से व्हील चेयर प्रदान की गई। उसकी शिक्षिका मजुली उसे थैरीप्यूटिक सेवा हेतु ब्लॉक संसाधन केंद्र ले कर गई। अध्यापिका, वालेंटियर और अभिभावकों के माध्यम से नियमित गृह-आधारित और संसाधन केंद्र सहायता से उसकी दशा में सुधार हुआ है। इन प्रयासों से उसे आस-पड़ोस के नियमित स्कूल में दाखिला मिल गया। वह अब स्वयं स्कूल जाती है। भाग्यश्री ने अब आने-जाने, प्रेषण और दैनंदिन कौशल में बेहद सुधार किया है। जो एक वक्त उसके लिए बेहत चुनौती के कार्य थे। भाग्यश्री ड्राइंग में भी माहिर है। आज वह कम-से-कम सहायता से खड़ी हो सकती है और नियमित रूप से स्कूल जा रही है।

गुणवत्ता सुधार

आरटीई-एसएसए का एक प्रमुख लक्ष्य प्रत्येक बालक को समान प्रकार की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। जैसे, इस कार्यक्रम के लक्ष्य शिक्षण कक्षाओं सहित स्कूलों की गतिविधियों में सुधार के लिए व्यापक बदलाव लाना और ऐसी व्यवस्था करना जो बालक के अनुकूल एवं समावेशी, प्रत्येक बालक की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील तथा उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम हो। देश भर में, समग्र गुणवत्तायुक्त सुधार कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए, उनके शिक्षण प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या, शिक्षण सामग्री, शिक्षण प्रक्रियाओं, शिक्षा परिणामों, मूल्यांकन तथा निगरानी प्रणाली में समग्र परिवर्तन लाने के लिए, शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने में राज्यों की सहायता की जा रही है।

- i) “पढ़े भारत बड़े भारत”, ‘पढ़े भारत, बड़े भारत’: सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार की

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल है, जिसे ट्विन ट्रैक एप्रोच पर योजनाबद्ध किया गया है; (i) पठन, लेखन और बुद्धि द्वारा; और (ii) वास्तविक और सामाजिक विश्व से संबंधित गणित में स्वाभाविक और सकारात्मक रुचि उत्पन्न करना। पढ़े भारत, बड़े भारत के ट्विन ट्रैक हैं— बुद्धि के साथ जल्द पढ़ना और लिखना (ईआरउब्ल्यूसी) और जल्द गणित (ईएम)।

बच्चों को स्वतंत्र पाठक और लेखक बनाना; पर्याप्त और दीर्घकालिक पठन और लेखन कौशल और अध्ययन की कक्षा के उपयुक्त अधिगम स्तर प्राप्त करना; संख्या, माप और शेष के क्षेत्र में रीजनिंग को समझना; अंक ज्ञान और स्पेटियल कौशल के द्वारा प्रोब्लम हल करने में स्वतंत्र होना और पठन, लेखन और गणित में खुशी पाना; इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं।

वर्ष 2014-15 में पढ़े भारत, बड़े भारत के लिए 397 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

ii) प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता पर बल छात्रों के अधिगम स्तर में सुधार के कार्यक्रमों पर बल देने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। स्कूल में बुनियादी कक्षाओं (कक्षा-१ और ५) में अधिगम में सुधार की पहल और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में गणित और विज्ञान के अधिगम में सुधार की विशेष पहल हेतु राज्यों को सहायता दी जा रही है। इसमें तमिलनाडु और गुजरात में कार्य आधारित अधिगम, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों द्वारा बनाए गए विशेष कार्यक्रम, ओडिशा में गृह भाषा से स्कूल भाषा का सेतु कार्यक्रम जैसे कई कार्यक्रम शामिल हैं।

iii) पाठ्यचर्या सुधार: राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अवसंरचना (एनसीएफ) 2005 को एनसीईआरटी द्वारा अधिक बाल अनुकूल और समावेशी तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं जो अधिक रचनात्मक स्वरूप की हों, स्कूलों की ओर शिक्षा प्रणाली में उल्लेखनीय स्थानांतरण की आवश्यकता के लिए तैयार किया गया। प्रत्येक राज्य से अनुरोध किया गया है कि उनकी पाठ्यचर्या, शिक्षण अधिगम सामग्री, अध्यापन-कला तथा मूल्यांकन प्रणाली में सहयोगी बदलाव लाते हुए वे अपनी राज्य पाठ्यचर्या को एनसीएफ 2005 में की गई सिफारिशों के अनुसार नवीकृत करें। उन्हें अधिक क्रियाकलाप-आधारित, बालक-अनुकूल तथा लिंग और वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए, अब तक 23 राज्यों ने अपने पाठ्यचर्या को एनसीएफ 2005 में की गई सिफारिशों के अनुसार नवीकृत किया है, 10 राज्यों ने एनसीईआरटी की पाठ्यचर्या का अनुसरण किया है, 3 राज्यों ने पड़ोसी राज्यों की पाठ्यचर्या का अनुपालन किया है, ताकि उन्हें कार्यकलाप आधारित, बाल अनुकूल और जेंडर तथा लाभवंचित वर्गों के सुग्राहीकरण हेतु तैयार किया जा सके।

iv) बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें: सभी बच्चों को कक्षा 8 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध की जा रही हैं। वर्ष 2014-15 में 8.72 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। क्रियाकलाप-आधारित शिक्षण कक्ष प्रक्रियाओं तथा अनुपूरक शिक्षण प्रक्रियाओं के लिए, सहवर्ती वस्तु के तौर पर विभिन्न राज्यों द्वारा कार्य पुस्तकें तथा वर्कशीट उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

iv) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों के अधिगम उपलब्धि स्तरों में वृद्धि: एसएस ने स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के सतत प्रयास किए हैं जिनमें उसके वार्षिक परिव्यय का आधा भाग गुणवत्तापरक पहल में जाता है। एसएसए के अंतर्गत 15.06 लाख अतिरिक्त शिक्षक नियुक्त किए गए हैं जिससे वर्ष 2013-14 में छात्र-शिक्षक अनुपात बढ़कर 26:1 हो गया है। सरकारी स्कूलों के लिए प्रति स्कूल शिक्षकों की औसत संख्या बढ़ कर वर्ष 2013-14 में 4.2 शिक्षक हो गई है।

V. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन: विभिन्न राज्यों ने मूल्यांकन के अधिक निरंतर और व्यापक माध्यमों की ओर बदलाव करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रयास किए हैं, जिनमें प्रत्येक बच्चे की शिक्षा प्रगति को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अविभाजित भाग मानते हुए निरंतर जांचा जाए, ताकि मूल्यांकन बच्चों के लिए तनावपूर्ण अथवा धमकी भरा न बन जाए। 34 राज्य, सीसीई के कार्यान्वयन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण के मापदंड के साथ सीसीई कार्यान्वयन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण के मापदंड विकसित कर रहे हैं। उक्त 34 राज्यों के अतिरिक्त, 2 राज्य प्रायोगिक तौर पर सीसीई आरंभ कर रहे हैं और निकट भविष्य में सीसीई को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। राज्यों को उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए, एनसीईआरटी ने एक उदाहरण सीसीई मापदण्ड तैयार किया है और इसे राज्यों के साथ साझा किया है।


VI. अध्यापक प्रशिक्षण

i) उपलब्धता अतिरिक्त अध्यापक उपलब्ध करवाए गए: प्रारंभिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2014-15 तक 19.85 लाख अतिरिक्त अध्यापक पद संस्वीकृत किए गए हैं। इसमें से 15.06 लाख पद भर दिए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के पश्चात् यह अनिवार्य है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण कर सकें। सीबीएसई ने अध्यापक पात्रता (टीईटी) के 6 दौर आयोजित किए हैं और 30 राज्यों ने भी टीईटी संचालित की है। इनके अतिरिक्त सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत 2.43 लाख अंशकालीन अनुदेशक भी संस्वीकृत किए गए हैं।

ii) सेवाकालीन प्रशिक्षण: अध्यापकों के कौशल के उन्नयन हेतु सर्व शिक्षा अभियान में सभी अध्यापकों के लिए 20 दिवस तक की अवधि का वार्षिक सेवाकालीन प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। एनसीटीई के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहले से नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को दो वर्ष की सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, नए प्रशिक्षित भर्ती के लिए 30 दिन के इंडक्शन प्रशिक्षण दिया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2014-15 में 30.14 लाख (बीआरसी स्तर पर) और 26.94 लाख (सीआरसी स्तर पर) सेवाकालीन प्रशिक्षण, और 0.89 लाख अध्यापकों के इंडक्शन प्रशिक्षण के लिए अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 2.53 लाख अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्कूलों में शिक्षण कक्ष तथा अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम कार्यों में सुधार करने के उद्देश्य से विषय-वस्तु और पद्धति

सहित शिक्षा से संबंधित मामले शामिल हैं। कुछ प्रमुख फोकस क्षेत्रों में एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, सीसीई, बच्चे कैसे सीखें, विषय-विशिष्ट विषय-वस्तु अथवा शिक्षण की समस्याएं, गतिविधि उन्मुखी प्रक्रिया, टीएलएम अथवा शिक्षण किट का उपयोग इत्यादि शामिल हैं। राज्यों को चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार करने के प्रति उन्मुख बनाया जाता है।

- iii) **मुख्य अध्यापकों का प्रशिक्षण:** अध्यापकों को प्रबंधकीय कौशल में उन्मुख बनाने के लिए स्कूलों के प्रमुखों को शैक्षिक प्रबंधन तथा मानव संसाधन प्रबंधन में दस दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। 2014-15 के दौरान 15900 आरपी और 3200 मुख्याध्यापकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जो न्यूपा स्कूल लीडरशिप फ्रेमवर्क पर आधारित होगा।



- iv) **अध्यापकों के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम:** राष्ट्र, राज्य, जिला और उप-जिला स्तर पर संस्थाओं और व्यक्तियों के क्षमता निर्माण को इग्नू तथा विभिन्न राज्यों में अन्य अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की सहायता से सुकर बनाया जा रहा है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम अप्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को तैयार करना, विकसित करने और उन्हें प्रदान करने तथा सामग्रियां तैयार करने में तकनीकी और शैक्षिक सहायता प्रदान करता है, अतः राज्यों में व्यावसायिक रूप से अप्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण को सुकर बनाता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य सरकारों के साथ मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के माध्यम से व्यावसायिक योग्यता (प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डी.ई.एल.ईडी) प्राप्त करने तथा एनसीटीई के अनुमोदन हेतु अनुरोध करने के लिए अध्यापकों को योग्य बनाने हेतु एक नीति तैयार करने के लिए परामर्शों के कई दौर आयोजित किए हैं। एनसीटीई ने एससीईआरटी, लखनऊ और इग्नू के माध्यम से अप्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा राज्यों को अनुमति प्रदान की है।

शैक्षिक सहायता प्रणाली:

- (i) **शैक्षिक सहायता ढांचे:** अध्यापकों और स्कूलों को विकेंद्रीकृत शैक्षिक सहायता, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक और क्लस्टर में संसाधन केंद्रों के रूप में देश में सितंबर, 2014 तक 6,716 ब्लॉक संसाधन केंद्रों (बीआरसी) और 75,954 क्लस्टर संसाधन केंद्रों (सीआरसी) की स्थापना की गई है। प्रत्येक बीआरसी और सीआरसी में विषय विशिष्ट संसाधन व्यक्ति रखे गए हैं जो अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं और शिक्षा तथा विषय-वस्तु से संबंधित मुद्दों पर अध्यापकों को स्थल पर ही सहायता प्रदान करने के लिए स्कूलों का दौरा भी करते हैं। बीआरसी/सीआरसी स्कूलों की शैक्षिक मॉनीटरिंग, शिक्षण-कक्षपर्यवेक्षण तथा अध्यापकों तथा छात्रों के लिए संसाधन सामग्रियों के विकास में भी शामिल हैं। नियमित शीर्ष शेरिंग तथा चिंतनशील विचार-विमर्शों के लिए सीआरसी में मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त 35 से अधिक राज्यों ने एससीईआरटी, डाइट एवं बीआरसी के सहयोग से कार्य करने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर संसाधन समूह गठित किए हैं ताकि सरकारी प्रणाली के बाहर तकनीकी संसाधन तंत्रों को सामने लाते हुए गुणवत्तापरक सुधार उपायों का एक व्यापक पहुंच का

मार्ग दर्शन किया जा सके, जिसमें अध्यापक समुदाय में प्रतिभा भी शामिल है। साथ ही साथ इसमें उन्नत अध्यापक और स्कूल निष्पादन के लिए विकेंद्रीकृत स्तरों पर एक व्यवस्थित सुधार और परिवर्तन से परिपूर्ण करना भी शामिल है।

ii) स्कूल एवं शिक्षक अनुदान: सर्व शिक्षा अभियान में परिपेक्ष्य आधारित शिक्षण सहायता विकसित करने के लिए सभी शिक्षकों को 500/- रु. के वार्षिक शिक्षक अनुदान भी प्रदान किए गए हैं। अल्प लागत शिक्षण सहायताओं से संबंधित विषय एवं शीर्षक विकसित करने के लिए डीआईईटी और बीआरसी द्वारा नियमित कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यों ने इस प्रकार की निधियों के अनुकूल उपयोग के लिए स्कूलों और शिक्षकों को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। 2014-15 के दौरान, लगभग 2.10 लाख अध्यापक, स्कूल-अनुदान प्राप्ति के लिए अभिलक्षित किए गए थे। इसके अतिरिक्त, स्कूल उपभोग की वस्तुओं के लिए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को 5000 रुपये और प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय को 7000 रुपये वार्षिक विद्यालय अनुदान और रखरखाव के लिए प्रत्येक विद्यालय को 7500 रुपये दिए जाते हैं। वर्ष 2014-15 में स्कूल अनुदान की प्राप्ति के लिए लगभग 13.54 लाख स्कूल अभिलक्षित किए गए। नए विद्यालयों के लिए 20000 रुपये प्रति नए प्राथमिक और 50000 रुपये नए उच्च प्राथमिक विद्यालय की दर से एकमुश्त “शिक्षा सहायता उपकरण अनुदान” दिया जाता है। 2014-15 में टीएलई अनुदान प्राप्त करने के लिए 2112 विद्यालयों का लक्ष्य रखा गया था।

iii) कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण: सर्व शिक्षा अभियान के तहत, बच्चों के शिक्षण में सहायता में वृद्धि के लिए स्कूलों में कंप्यूटर सहायता शिक्षण के सुदृढीकरण हेतु प्रत्येक जिले के लिए 50 लाख रुपये का अनुदान उपलब्ध है। गतिविधियों में स्कूलों को कंप्यूटर उपकरण अथवा प्रयोगशालाएं उपलब्ध कराना, स्थानीय भाषाओं में ई-शिक्षण आधारित पाठ्यचर्या का विकास, और कंप्यूटर प्रयोग में शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से, लगभग 87753 स्कूलों को इस सुविधा से लाभ हुआ है।

iv) वृद्धित अध्ययन प्रक्रियाएं और अध्ययन परिणाम: वार्षिक सेवारत शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण और मासिक चिंतन बैठकों के साथ परिप्रेक्ष्यात्मक शिक्षण शिक्षा

सामग्रियों के विकास एवं उपयोग के लिए प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपये का वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है; शिक्षकों की शिक्षण शिक्षा पद्धतियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के अध्ययन आदि के लिए शिक्षकों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से कार्रवाई अनुसंधान को संवर्धित किया गया है।

v) अध्ययन संवर्धन कार्यक्रम: प्रत्येक जिले के लिए एसएसए के कुल परिव्यय का 2 प्रतिशत अध्ययन संवर्धन कार्यक्रम के लिए उपलब्ध है जिसका उद्देश्य विशिष्ट रूप से अध्ययन प्रक्रियाओं एवं परिणामों में सुधार करना है। 2014-15 में प्राथमिक स्तर पर संकेंद्रित अध्ययन संवर्धन कार्यक्रम संचालित करने के लिए (विशेष रूप से शीघ्र पाठन एवं गणितीय कौशल सुदृढ करने के लिए) 29 राज्यों को सहायता दी गई है तथा इन सभी राज्यों को उच्च प्रारंभिक स्तर पर विज्ञान एवं गणित शिक्षा को सुदृढ करने पर बल देने पर संकेंद्रण सहित अध्ययन संवर्धन कार्यक्रम के लिए सहायता दी गई है।

राज्यों का यह विषय-विशिष्ट कार्यक्रम डिजाइन करने में सहायता देने के लिए एनसीईआरटी ने बच्चों के पठन कौशल को मजबूत करने के लिए राज्यों द्वारा अपने कार्यक्रम विकसित करने हेतु एक उदाहरण के रूप में प्रारंभिक प्राथमिक ग्रेडों के लिए एक पठन कार्यक्रम चलाया है। इसमें 40 प्रारंभिक पाठों की एक आदर्श क्रमिक श्रृंखला, एक शिक्षक प्रशिक्षण मैनुअल और पठन अध्यापन सामग्री का एक डोजियर शामिल है। इसी प्रकार, एनसीईआरटी ने प्रारंभिक कक्षाओं में गणित के अध्यापन को मजबूती प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसमें कक्षा-८ और ८ के लिए आदर्श गणित अध्ययन किट और उचित अध्यापन रणनीतियों के साथ एक शिक्षक प्रशिक्षण मैनुअल शामिल है।

vi) छात्रअधिगम परिणामों में सुधार: एसएसए की विभिन्न उच्चकोटि सुविधाओं का प्रभाव बच्चों के अध्ययन स्तर की वृद्धि में दिख रहा है जो एसएसए में एक प्रमुख मुद्दा है। कक्षा 3, 5 और 8 में पढ़ रहे छात्रों की उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन हेतु एनसीईआरटी ने एमएचआरडी के परामर्श से कार्यक्रम आरंभ किया है। बेसलाइन उपलब्धि सर्वेक्षण (बीएसएस), मिडटर्म उपलब्धि सर्वेक्षण(एमएसएस) और टर्मिनल उपलब्धि सर्वेक्षण के रूप में उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन किया गया। आरंभ किया गया वर्ष और कक्षा नीचे तालिका में दी गई है:

सर्वेक्षण चक्र	कक्षा V	कक्षा VIII	कक्षा III
चक्र I	2001 - 05	2003 -08	2003-07
चक्र II	2005-08	2007 -10	2007-09
चक्र III	2009 -12	2011 -13	2012 -13
जांच किए गए विषय	गणित, भाषा, पर्यावरण अध्ययन	गणित, भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान	गणित, भाषा

सभी तीन चक्र पूरे हो गए हैं और नीचे तालिका में इसके परिणाम दिए गए हैं। चौथा चक्र आरंभ हो गया है और कक्षा ट के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं, जल्द ही परिणाम उपलब्ध करवाए जाएंगे।

	चक्र-I			चक्र-II			चक्र-III		
	बालिका	बालक	कुल	बालिका	बालक	कुल	बालिका	बालक	कुल
कक्षा-III									
गणित	57.95	58.54	58.25	62.62	62.16	61.89	253	252	252
भाषा	63.31	62.94	63.12	67.96	67.71	67.84	258	256	257
कक्षा-V									
गणित	46.09	46.9	46.51	48.37	48.54	48.46	252	251	247
भाषा	58.79	58.94	58.57	60.35	60.27	60.31	248	247	251
ईवीएस	49.99	50.59	50.30	52.23	52.15	52.19	250	249	249
कक्षा-VIII									
गणित	39.80	38.97	39.17	42.50	42.93	42.58	245	246	245
भाषा	56.30	53.07	53.86	56.72	56.41	56.50	249	246	247
विज्ञान	41.68	41.17	41.30	42.52	42.94	42.72	251	252	251
सामाजिक विज्ञान	46.33	46.15	46.19	47.81	48.24	47.90	248	247	247

तीसरा चक्र आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी पर आधारित था जो उपलब्धि स्तर के मूल्यांकन का बेहद अच्छा तरीका है, चक्र पूरा हो गया है। कक्षा-ट के परिणाम दर्शाते हैं कि अधिगम स्तरों में सुधार हुआ है, पर अभी भी कमी है। कक्षा-ट के तीसरे चक्र के परिणाम दर्शाते हैं कि भाषा में 24 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सुधार हुआ है। गणित में 14 राज्यों और पर्यावरण विज्ञान में 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अधिगम स्तरों में सुधार हुआ है। कक्षा-टप्प के परिणामों में पाया गया कि 33 राज्यों/संघ शासित

प्रदेशों में गणित में औसत स्कोर 245 था जिसमें एसई 0.6 था। गणित में उत्तर प्रदेश के छात्रों ने उच्चतम औसत स्कोर (278) और मेघालय व पुद्दुचेरी ने न्यूनतम औसत स्कोर (227) प्राप्त किया। पाठ पढ़ने में केरल के छात्रों ने उच्चतम औसत स्कोर (277) और जम्मू और कश्मीर ने न्यूनतम औसत स्कोर (217) प्राप्त किया। विज्ञान में ग्रामीण छात्रों का कार्य निष्पादन शहरी छात्रों से अधिक रहा। तथापि, सामाजिक विज्ञान में उत्तर प्रदेश (267) उच्चतम और मेघालय (226) न्यूनतम रहा।

vii) गुणवत्ता निगरानी: देश में एक कंप्यूटरीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) कार्यात्मक है जो छात्र-शिक्षण कक्ष अनुपात, शिक्षक छात्र-अनुपात, शिक्षक प्रोफाइल तथा परीक्षा परिणाम जैसे गुणवत्ता से संबंधित अनेक मापदंडों पर नजर रखती है। इसके अतिरिक्त, एनसीईआरटी की सहायता से भारत सरकार ने छात्र उपस्थिति, स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षण कक्ष व्यवहार, छात्र अध्ययन उपलब्धियां, बीआरसी/सीआरसी द्वारा प्रदान किया गया शैक्षिक पर्यवेक्षण, सामुदायिक सहायता आदि जैसे गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं की निगरानी के लिए गुणवत्ता निगरानी उपकरण (क्यूएमटी) के रूप में एक तिमाही निगरानी प्रणाली चालू की है।

viii) एसएसए के अंतर्गत कार्यशालाएं और क्षमता निर्माण कार्यक्रम: मंत्रालय राज्य कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण और कार्यक्रम कार्यान्वयन की समीक्षा प्रगति के लिए कार्यशालाएं/समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। ये राज्यों/यूटी से उत्तम प्रैक्टिस शेयर करने और एक दूसरे के अनुभव से सीखने के फोरम हैं। वर्ष 2014-15 में राज्यों/यूटी के साथ जेंडर पर कार्यशालाएं हुईं, जहां केजीबीवी के राष्ट्रीय मूल्यांकन की सिफारिशों की समीक्षा हुई। जीवन कौशल पाठ्यचर्या के विकास और लाभवंचित पृष्ठभूमि से दाखिल छात्राओं को शिक्षा शास्त्रीय सहायता के सुदृढ़ीकरण पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। शहरी क्षेत्रों में सबसे मुश्किल पहुंच वाले बच्चों तक पहुंचने और उन्हें स्कूल में दाखिल करने की कार्यनीतियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। भाग लेने वालों में राज्यों/यूटी और एनजीओ के प्रतिनिधि शामिल थे। यूडीआईएसई के अंतर्गत स्कूल से एकत्र किए जाने वाले डाटा की गुणवत्ता में सुधार के लिए और तथ्य आधारित आयोजन हेतु रिपोर्ट के उपयोग के लिए राज्य और जिला स्तरीय एमआईएस कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। निःशक्त छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान देते हुए दो राष्ट्र स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। पहली कार्यशाला "सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा सशक्त बनाना" और दूसरी कार्यशाला 'समावेशी शिक्षा के माध्यम से सीडब्ल्यूएसएन के सफल अधिगम को प्रोत्साहित करना' पर आधारित थी। चूंकि अधिगम की गुणवत्ता में सुधार एसएसए का

लक्ष्य है। अधिगम की गुणवत्ता में सुधार एसएसए का लक्ष्य है। अतः एमएचआरजी के परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित वृहद गुणवत्ता योजनाओं पर राज्यों/यूटी द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा पर दो राष्ट्र स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं; कक्षा-1 और 2 में पठन और गणित, लेखन पर बल देते हुए फाउंडेशन कार्यक्रमों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए गए; वृहद स्तर पर अधिगम उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित किए गए। शिक्षक कार्य निष्पादन मूल्यांकन और स्कूल मूल्यांकन पर अपनी पहल को राज्यों ने शेयर किया। राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता सुधार के वृहद कार्यक्रम के कार्यान्वयन को देखने के लिए राज्यों/यूटी का दौरा किया गया। सभी राज्यों/यूटी के वित्तीय नियंत्रकों के साथ वित्तीय प्रगति पर तिमाही आधार पर राष्ट्र स्तरीय समीक्षा की जाती है। तिमाही समीक्षा के दौरान प्रापण और अकाउंटिंग पर क्षमता निर्माण सत्र आयोजित किए जाते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर सिविल कार्यकलापों की प्रगति की भी तिमाही समीक्षा की जाती है। आरटीई अधिनियम, 2009 के संपूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों/पंचायतों और स्कूल प्रबंध समितियों के कार्यों/उत्तरदायित्वों की मैपिंग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

VIII. एसएसए के अंतर्गत अनुसंधान अध्ययन

एसएसए के गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं पर स्वतंत्र फीड बैक प्रदान करने के लिए एसएसए के तहत विभिन्न स्वतंत्र मूल्यांकन आरंभ किए गए। वर्ष 2013-14 में 'स्कूल बाह्य बच्चों पर अध्ययन' आरंभ किया गया और वर्ष 2006 और 2009 में किए गए अध्ययन के परिणामों से इस वर्ष के परिणामों की तुलना की गई। यह पाया गया कि एसएसए के अंतर्गत किए गए प्रयासों से स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या वर्ष 2006 के 134 लाख से घटकर वर्ष 2009 में 81 लाख और वर्ष 2013 में 61 लाख हो गई है। 6-13 आयु वर्ग के स्कूल बाह्य बच्चों का प्रतिशत वर्ष 2006 के 6.94: से घटकर वर्ष 2009 में 4.28: और वर्ष 2013 में 2.97: रह गया है। तदनुसार, अद्यतन आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं। (भारत में 6-13 आयु वर्ग में स्कूल बाह्य बच्चों के अनुमान के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, आईएमआर की अध्ययन, 2014 के परिणाम, एमएचआरजी की वेबसाइट पर उपलब्ध)

वर्षों में देश में स्कूल बाह्य बच्चों की तुलनात्मक संख्या

	2006		2009		2014	
	सकूल बाह्य बच्चे	%	सकूल बाह्य बच्चे	%	सकूल बाह्य बच्चे	%
समग्र	134.5 लाख (13459734)	6.94	81.5 लाख (8150617)	4.28	60.6 लाख (6064229)	2.97
बालक	67.7 लाख (6,772,506)	6.18	41.0 लाख (41,05,097)	3.92	31.6 लाख (31,66,409)	2.77
बालिका	66.8 लाख (6,687,228)	7.92	40.4 लाख (40,45,521)	4.71	28.9 लाख (28,97,820)	3.23
अ.जा. बच्चे	3,104,866	8.17	23,08,850	5.96	19,66,027	3.24
अ.ज.जा. बच्चे	1,656,978	9.54	10,69,298	5.6	10,07,562	4.20
ओबीसी बच्चे	4,602,260	6.90	2,896,726	2.67	22,06,001	3.07
हिन्दू बच्चे	-	-	-	-	44,02,414	2.73
मुस्लिम बच्चे	2,253,252	9.97	1,875,744	7.67	15,57,100	4.43
ईसाई बच्चे			-	-	62,699	1.52
अन्य बच्चे (धर्म)	1,842,378	3.73	-	-	42,017	1.26

समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानने के लिए “मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं का आकलन” नामक अध्ययन आरंभ किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया ने इस अध्ययन का समन्वय किया। मुस्लिम बहुल जिलों वाले 13 चयनित राज्यों में अध्ययन किया गया। यह पाया गया कि अधिसंख्य मुस्लिम और गैर-मुस्लिम अभिभावक लड़कों को निजी और लड़कियों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। सुविधाओं के संबंध में अध्ययन से पता चलता है कि केजीबीवी स्कूलों में मुस्लिम समुदायों से 60: बच्चों का दाखिला हुआ है जिनमें से 50: बालिकाएं हैं। शिक्षण कक्षों में बच्चों के लिए स्थान के संबंध में अध्ययन से पता चला कि नमूना स्कूलों में प्रति स्कूल औसतन 4 शिक्षण कक्ष हैं। सरकारी स्कूलों में छात्र-शिक्षण कक्ष (एससीआर) की औसत दर 39 थी। पाठ्य पुस्तकों के वितरण के संबंध में अध्ययन से पता चलता है कि 95.5: स्कूलों ने सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की हैं। अध्यापकों की

शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हता के संबंध में अध्ययन से पता चला है कि न्यूनतम स्नातक डिग्री वाले मुस्लिम शिक्षक 37: थे। आईडीएमआई और एसपीक्यूईएम मान्यता प्राप्त मदरसों को गुणवत्तापरक और अवसरचर्चा सहायता प्रदान करने की योजनाएं हैं। अध्ययन के परिणामों के अनुसार एसपीक्यूईएम योजना के तहत सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है (अनुमानित 65:) जबकि नमूना जिलों के केवल 2.4: मदरसों को ही आईडीएमआई योजना का लाभ हो रहा है।

इसी प्रकार एसएसए के अंतर्गत अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं का आकलन पर भी एक अध्ययन किया गया है। अध्ययन का समन्वय न्यूपा द्वारा किया जा रहा है। प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है और समीक्षाधीन है।

छात्रों के अधिगम परिणामों में सुधार करना एसएसए का मुख्य घटक रहा है। एमईआरटी के अधिगम परिणामों पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एमएसएस) के पश्चात् जिला और

ब्लॉक स्तर पर अधिगम उपलब्धियों के माइक्रो स्तरी आंकड़ों के लिए राज्यों/यूटी को अपने राज्य अधिगम उपलब्धि सर्वेक्षण (एसएसएसएम) करने को कहा गया है। इस उद्देश्यार्थ सर्वेक्षण कैसे किए जाएं ये बताने के लिए राज्यों को कार्यशालाओं, स्टैण्डर्ड ऑपरेशन प्रोसिजर/एसओपी) की सॉफ्ट और हार्ड कापियां दिशा-निर्देशों के रूप में प्रदान की गई है। 29 राज्यों ने एसएसएसएम पूरा किया है और 9 राज्यों (बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश) ने अपने एसएसएसएम परिणाम शेयर किए हैं

और वेब पर डाले हैं। राज्यों के परिणामों की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि उन्होंने भिन्न-भिन्न कार्यपद्धतियां और प्रक्रियाएं अपनाई हैं। नीचे तालिका में विभिन्न राज्यों द्वारा विभिन्न विषयों में किए गए सैंपलिंग प्रोसिजर और परिणाम दिए गए हैं। छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि के लिए राज्यों एसएसएसएम के अंतर्गत की गई विभिन्न गुणवत्तापरक पहल के प्रभाव के मूल्यांकन का पता चलता है। इससे राज्यों को अपनी पाठ्यचर्या, अध्ययन-अधिगम प्रक्रिया के साथ-साथ सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार में भी सहायता मिलेगी।

राज्य	नमूना	कक्षा	भाषा (% में औसत स्कोर)	गणित (% में औसत स्कोर)	मुख्य विशेषताएं
बिहार	38 जिले 2% स्कूल (1598) 100,000 छात्र	III	56.1	60.1	भाषा और गणित में बहु-विकल्प और फ्री रिस्पान्स आइटम थी। परीक्षा के दौरान शिक्षक के द्वारा परीक्षा आइटम को पढ़ा गया। ओएमआर शीट का उपयोग किया गया।
		V	51.4	44.1	
		VII	56.6	45.7	

राज्य	नमूना	कक्षा	भाषा (% में औसत स्कोर)	अंग्रेजी (% में औसत स्कोर)	गणित (% में औसत स्कोर)	ईवीएस (% में औसत स्कोर)	साईंस (% में औसत स्कोर)	मुख्य विशेषताएं
हिमाचल प्रदेश	सभी (12) जिले सभी स्कूल सभी 508944 छात्र	II	48.66	46.46	46.38	36.19		सरकारी स्कूलों में दाखिल प्रत्येक बच्चे का बेसलाइन मूल्यांकन
		III	58.69	48.10	48.31	49.48		
		IV	48.45	53.71	37.24	48.85		
		V	49.86	40.71	46.64	44.93		
		VI	50.02	63.75	34.19		45.26	
		VII	40.23	44.39	33.76		43.48	
		VIII	32.50	35.01	28.67		42.49	

राज्य	नमूना	कक्षा	भाषा (% में औसत स्कोर)	अंग्रेजी (% में औसत स्कोर)	गणित (% में औसत स्कोर)	ईवीएस (% में औसत स्कोर)	साईंस (% में औसत स्कोर)	मुख्य विशेषताएं	सामाजिक विज्ञान (% में औसत स्कोर)
कर्नाटक	सभी (12) जिले सभी स्कूल सभी 508944 छात्र	II	74.53		74.97	79.77	-	-	सरकारी स्कूलों में दाखिल प्रत्येक बच्चे का बेसलाइन मूल्यांकन
		IV	68.04		63.41	59.67	-	-	
		VI	58.81	64.37	59.53	-	67.49	60.85	

राज्य	नमूना	कक्षा	भाषा (% में औसत स्कोर)	गणित (% में औसत स्कोर)	मुख्य विशेषताएं
ओडिशा	30 districts 890 schools	IV	49.0	62.0	अधिगम सूचकांकों पर आधारित परीक्षा

राज्य	नमूना	कक्षा	भाषा (% में औसत स्कोर)	गणित (% में औसत स्कोर)	अंग्रेजी (% में औसत स्कोर)	मुख्य विशेषताएं
पंजाब	22 जिले 217 ब्लॉक 2164 स्कूल 31793 छात्र	III	71	68	59	राज्य के सभी जिले कवर किए गए

राज्य	नमूना	कक्षा	अंग्रेजी (% में औसत स्कोर)	गणित (% में औसत स्कोर)	ईवीएस (% में औसत स्कोर)	मुख्य विशेषताएं
राजस्थान	33 जिले 130 ब्लॉक 1650 स्कूल 26238 छात्र	V	42.61	48.47	50.69	<ul style="list-style-type: none"> राज्य के सभी जिले कवर किए गए परिणामों को प्रतियोगिता आधार पर नहीं निकाला गया

राज्य	नमूना	कक्षा	तमिल (% में औसत स्कोर)	अंग्रेजी (% में औसत स्कोर)	गणित (% में औसत स्कोर)	मुख्य विशेषताएं
तमिलनाडु	30 जिले 413 ब्लॉक 10 स्कूल प्रति ब्लॉक 30 छात्र प्रति ब्लॉक $30 \times 3 \times 10 \times 413 = 371700$ छात्र	III	75	63	69	प्रति कक्षा प्रति विषय 10 छात्रों पर पायलट टेस्ट किया गया
		V	58	61	48	
		VIII	62	48	49	

राज्य	नमूना	कक्षा	भाषा (% में औसत स्कोर)	गणित (% में औसत स्कोर)	मुख्य विशेषताएं
उत्तराखण्ड	13 जिले 1700 छात्र प्रति जिला 19176 छात्र	III	61.18	61.69	उपस्करों की दो बार जांच की गई अधिगम सूचकांकों से संबंधित कौशल आधारित टेस्ट आइटम परीक्षा के दौरान शिक्षकों द्वारा परीक्षा पत्र पढ़ा गया

राज्य	नमूना	कक्षा	हिन्दी (% में औसत स्कोर)	गणित (% में औसत स्कोर)	साईंस (% में औसत स्कोर)	अंग्रेजी (% में औसत स्कोर)	ईवीएस (% में औसत स्कोर)	सोशल साईंस (% में औसत स्कोर)	मुख्य विशेषताएं
उत्तर प्रदेश	4 क्षेत्र 10 जिले 17000 छात्र	IV	47	40	-	50	42	-	अध्ययन में सरकारी सहायता—प्राप्त और केजीबीवी स्कूल शामिल हैं
		VII	51	35	41	42		36	

वर्ष 2014-15 के लिए राज्यों ने विभिन्न कक्षाओं के लिए एसएलएस की योजना बनाई है। केरल और पंजाब ने परीक्षा ले ली है और 7 राज्यों (असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) ने नमूने पर विचार कर टेस्ट तैयार कर लिया है।

अन्य राज्य एसएलएस आयोजित करने के विभिन्न चरणों में है।

IX. अवसंरचना:

सितंबर, 2014 तक स्कूली भवनों के निर्माण में प्रगति निम्नानुसार है:

	कार्य पूर्ण	कार्य प्रगति पर	कुल
स्कूल भवन	280060	16440	296500
अतिरिक्त कक्षा कक्ष	1629990	156506	1786496
पेयजल सुविधाएं	225440	2066	227506
शौचालय (सभी)	717036	73917	790953

तथापि, स्कूल अवसंरचना का प्रावधान करना ही एकमात्र गतिविधि नहीं है। स्कूल की संरचना की रूपरेखा और गुणवत्ता का स्कूल में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति और बने रहने पर उल्लेखनीय प्रभाव होता है। अतः आरटीई अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सभी मौसम के अनुकूल स्कूल उपलब्ध करने के लिए एसएसए के तहत 'सिविल कार्य' किए जा रहे हैं।

एसएसए राज्यों को सिविल कार्यों के कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान करता है। केन्द्रीय रूप से न तो डिजाइन और न ही इकाई लागत निर्धारित की गई है। राज्य सरकारों को अधिसूचित राज्य दर अनुसूची के आधार पर भवन डिजाइन और लागत आकलन तैयार करने की छूट है। एसएसए ने राज्यों द्वारा योजना और निर्माण कक्षाओं का उपयुक्त स्थान पेयजल और सफाई सुविधाओं और स्कूल परिसर में ही खेल के मैदान सुनिश्चित करने, बढ़े हुए नामांकन से उत्पन्न होने वाले भावी विस्तार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण स्कूल उपागम अपनाएं जाने को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यशालाओं की एक श्रृंखला संचालित की है अर्थात् बच्चों के दृष्टिकोण से इनडोर और आउटडोर स्थान डिजाइन। इसमें डिस्प्ले या चाक बोर्ड, भंडारण शेल्फ जो सभी बच्चों की पहुंच में है, विभिन्न सुविधाओं को डिजाइन करना, जैसे विभिन्न आयु समूह/ऊंचाई के बच्चों के लिए विभिन्न ऊंचाइयों पर पेयजल और प्रसाधनों इत्यादि के लिए डिजाइन करना, आंतरिक और बाह्य स्थानों जैसे फर्श, दीवारें, सीढ़ियां, खिड़कियां, दरवाजे, छत इत्यादि को शिक्षा संसाधनों के रूप में डिजाइन करना आदि जैसे सीखने के पर्याप्त साधनों का प्रावधान शामिल है, ताकि कई विभिन्न विधियों के द्वारा शिक्षण को सुकर बनाया जा सके। उदाहरणार्थ कोणों की संकल्पना को स्पष्ट करने के

लिए फर्श पर द्वार शटर के नीचे कई कोणों को चिह्नित किया जा सकता है, अथवा समय के मापन के लिए विभिन्न तरीकों को समझने के लिए एक फ्लैग पोल की चलाएमान परछाइयां एक सनडायल के रूप में कार्य करती है, अथवा छत के पंखों को कलर व्हील्स के साथ पेंट किया जा सकता है ताकि बच्चें परिवर्तनशील विन्यासों का आनंद उठा सकें, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के आधार पर स्कूल डिजाइनों में समुचित 'सुरक्षा विशेषताएं' को शामिल करना ताकि एक सुरक्षित और रक्षित पर्यावरण में बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें, स्कूल में सभी अनिवार्य सुविधाएं जिनमें पेयजल, स्वच्छता, रसोई और मध्याह्न भोजन योजना, खेल का मैदान, चारदीवारी/ग्रीन फेंसिंग शामिल करना है और समुचित रूप से स्थापित किए गए दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदानों और स्काइलाइट, और हीट गैन को कम करने या बढ़ाने के लिए छाया कार्यनीतियों के उपयोग के जरिए स्कूल भवनों को ऊर्जा दक्ष बनाना है।



सर्व शिक्षा अभियान सभी सिविल कार्य गतिविधियों में स्थानीय समुदाय के माध्यम से प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करता है ताकि उनके अंदर एक स्वामित्व की भावना को जगाया जा सके। समुदाय अभिमुख स्कूलों के निर्माण, ठेकेदारों के जरिए किए गए निर्माण की तुलना में एक बेहतर गुणवत्तायुक्त सिद्ध हुए हैं। समुदाय से यह भी अपेक्षा है कि वह स्थल के चयन में, स्कूल सुविधा के डिजाइन और अनुरक्षण के विकल्प, के संबंध में एक पूर्व सक्रिय भूमिका निभाएगा। देश भर में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें समुदाय ने अपने ग्राम स्कूल में सुधार के लिए मुद्रा/श्रम के संदर्भ में उल्लेखनीय योगदान दिया है। एसएसए अब पुराने स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए, कम जीर्ण-शीर्ण और पुराने स्कूल भवनों में उपकरणों को स्थापित करने के संबंध में स्कूलों को खतरा प्रतिरोधी बनाने के लिए सहायता प्रदान करता है।



‘स्वच्छ भारत’ : ‘स्वच्छ विद्यालय’

हाल ही में, जिन स्कूलों में शौचालय सुविधाएं नहीं हैं उनमें मार्च, 2015 तक लड़के और लड़कियों दोनों के लिए नए शौचालय स्थापित करने और कार्य नहीं कर रहे शौचालयों को कार्यात्मक बनाने की बड़ी पहल की गई है। राज्यों ने 2 अक्टूबर, 2014 से शौचालयों का निर्माण शुरू कर दिया है। ‘स्वच्छ भारत’: ‘स्वच्छ विद्यालय’ नाम से एक वेबसाइट बनाई गई है और उस पर शौचालय रहित स्कूलों, कार्य नहीं कर रहे शौचालयों का ब्योरा अपलोड किया गया है। नए शौचालय स्थापित करने और गैर-कार्यात्मक को कार्यात्मक बनाने के लिए एसएसए के अंतर्गत किए जा रहे

प्रयासों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहायता के लिए कई सरकारें/कम्पनियां, उपक्रम, निजी कम्पनियां आगे आई हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शौचालयों के निर्माण हेतु अतिरिक्त निधि संस्वीकृत कराने हेतु परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की विशेष बैठकें आयोजित की गई हैं। अक्टूबर/नवम्बर 2014 के दौरान ‘स्वच्छ भारत’ ‘स्वच्छ विद्यालय’ के संबंध में एक पुस्तिका और विवरणिका प्रकाशित की गई थी। ‘स्वच्छ भारत’ ‘स्वच्छ विद्यालय’ कार्यक्रम के अंतर्गत 2 अक्टूबर, 2014 को जागरूकता कैम्प, चित्रकला प्रतियोगिताएं, कार्यालय परिसरों, स्कूलों आदि की सफाई की गई और इस दिन लगभग 40,000 स्कूल शौचालयों के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की गई थी।



भारत सरकार की समीक्षाएं: मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राज्य शिक्षा सचिवों और एसएसए के राज्य परियोजना निदेशकों के साथ 27 और 28 जनवरी, 2014 और 26 अगस्त, 2014 को राष्ट्र स्तरीय बैठकें कराई गईं।



IX. आरटीई अधिनियम के अंतर्गत धारा 32 के अनुसार विकेन्द्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र

दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से प्रभाव में आए आरटीई अधिनियम, 2009 के साथ भारत अधिकार आधारित फ्रेमवर्क की ओर बढ़ रहा है जो आरटीई अधिनियम के

प्रावधानों के अनुरूप संविधान के अनुच्छेद 21 ए में दिए गए मौलिक बाल अधिकार के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय और राज्य सरकारों को कानूनी रूप से प्रतिबद्ध करता है। आरटीई अधिनियम अधिदेशित करता है कि इस अधिनियम में दिए गए अधिकारों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) द्वारा की जाएगी। शिकायत निवारण के सुस्पष्ट संस्थागत तंत्र में निर्दिष्ट समय-सीमा में शिकायत को पंजीकृत करना, इसकी जांच करना और उसका उत्तर देना शामिल है। आरटीई अधिनियम ने स्थानीय निकायों को शिकायत निवारण एजेंसी बनाया है और राज्य स्तर पर एससीपीसीआर को अपीलीय निकाय बनाया है। आरटीई अधिनियम की धारा 31 और 32 के अंतर्गत दिनांक 14 फरवरी, 2012 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श जिसमें राज्यों के विकेंद्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र बनाने का अनुरोध किया गया है, के अनुसरण में 27 राज्यों ने ग्राम पंचायत/स्कूल स्तर सहित राज्य, जिला स्तर और उप-जिला स्तर पर आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की पहचान की है।

X. संयुक्त समीक्षा मिशन

एसएसए को अधिकांशतः राष्ट्रीय संसाधनों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, बाह्य वित्तपोषण विकास पार्टनर (डीपी)-विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) और यूरोपियन आयोग (ईसी) तक सीमित है। कार्यक्रम में द्विवार्षिक समीक्षा मिशनों के प्रावधान सहित गहन मॉनिटरिंग तंत्र का प्रावधान है। वर्ष 2014-15 में दो संयुक्त समीक्षा मिशन आरंभ किए गए, 20वां संयुक्त समीक्षा मिशन जो अक्तूबर, 2014 में पूरा हुआ और 21वां संयुक्त समीक्षा मिशन जो फरवरी, 2015 में पूरा हुआ।

जेआरएम का मुख्य उद्देश्य एसएसए के चार लक्ष्यों में राज्यों द्वारा की जा रही प्रगति की समीक्षा करना है। प्रत्येक जेआरएम की विशेष थीम होती है चूंकि एसएसए गुणवत्तापरक सुधार पहल पर ध्यान दे रहा है अतः 20वें और 21वें जेआरएम के लिए जेआरएम का ध्यान एसएसए द्वारा किए जा रहे गुणवत्ता सुधार पहल पर था जिनमें सेवा-कालीन शिक्षक प्रशिक्षण और सीसीई के माध्यम से अधिगम परिणामों को मापने की प्रणाली; एसएलएस और

एनएसएस, शामिल हैं। जेआरएम के दौरान मिशन सदस्यों को मान्य सूचकांकों और प्रक्रियाओं की प्रगति का पता चलता है और साथ ही कार्यान्वयन क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रणाली के मजबूत और कमजोर पहल के अनुभव शेयर करने का भी मौका मिलता है। स्कूलिंग तक पहुंच के प्रावधान, बालिकाओं और लाभवंचित समूहों के बच्चों के नामांकन में वृद्धि और पढ़ाई बीच में छोड़ने में कमी के साथ-साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और कवरेज के संबंध में जेआरएम ने कार्यक्रम के प्रयासों और उपलब्धियों को सराहा है। मिशन द्वारा राज्यों के दौरों के आधार पर भी सिफारिशें की जाती हैं। इन दौरों में वे स्कूलों में जाते हैं, सभी स्तरों के अधिकारियों के साथ-साथ समुदाय सदस्यों से भी मिलते हैं।

XI. आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत दाखिले

धारा 12(1)(ग) में सभी निजी गैर-सहायता-प्राप्त स्कूलों और विशेष वर्ग वाले स्कूलों के लिए कुल सीटों के न्यूनतम 25% को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य किया गया है। एसएसए के अंतर्गत 25% दाखिलों के लिए भारत सरकार निजी गैर सहायता-प्राप्त स्कूलों को राज्यों के माध्यम से प्रतिपूर्ति करेगी जो एसएसए वार्षिक कार्य योजना और बजट की अधिकतम उच्च सीमा 20% तक सीमित होगी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रति छात्र लागत मानकों पर आधारित होगी। वर्ष 2014-15 में स्कूलों में दाखिल बच्चों के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से राज्यों को प्रतिपूर्ति की राशि उपलब्ध होगी।

धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत निजी स्कूलों में लाभवंचित और कमजोर वर्गों के बच्चों को दाखिल करने के संबंध में 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने राज्य आरटीई नियमों में प्रावधान किए हैं अथवा अधिसूचना जारी की है। दाखिले अधिसूचित करने वाले इन 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्ष 2014-15 के दौरान धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत निजी स्कूलों में बच्चों के वास्तविक दाखिले की रिपोर्ट की है। वर्ष 2014-15 के दौरान धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत निजी स्कूलों में कुल 18.49 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। सात राज्यों ने निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति आरंभ कर दी है।

कुल उत्तम पहल

प्रतिभा पर्व (मध्य प्रदेश)

प्रतिभा पर्व समुदाय को शामिल करते हुए प्रारंभिक स्तर पर छात्रों के मूल्यांकन हेतु वर्ष 2011-12 में आरंभ किया गया विज्ञानी कार्यक्रम है। इसके मूल्यांकित परिणामों को स्कूल अवसरचरणा के क्षेत्रों; शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं; विभिन्न विषयों और स्तरों में छात्र उपलब्धि स्तर; कम प्रतिभा वाले छात्रों की पहचान, उप-प्रणाली के रूप में शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं और अन्य कमियों से संबंधित महत्वपूर्ण फीडबैक के रूप में काम में लाया जाता है। कार्यक्रम द्वारा तीसरी पार्टी के सत्यापन के प्रावधान के साथ स्कूल अवसरचरणा सहित छात्र अधिगम और स्कूल तथा संबंधित कार्यों के स्व: मूल्यांकन मोड को कवर किया जाता है।

यह पूरा डाटा www.educationportal.mp.gov.in पर उपलब्ध है। इन परिणामों को स्कूल सुधार योजना विकसित करने में उपयोग में लाया जाता है। कार्यक्रम स्कूल अवसरचरणा के क्षेत्रों, शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया, विभिन्न विषयों और स्तरों पर छात्र के उपलब्धि स्तर, कमजोर छात्रों, मुश्किलों की पहचान, शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यकताओं और स्कूल उप-प्रणाली में अन्य कमियों के संबंध में महत्वपूर्ण फीडबैक प्रदान करता है। निर्णय लेने वालों के लिए कमजोर स्कूलों, ब्लॉकों, जिलों, उनकी राज्य-वार रैंकिंग और स्कूल सुधार के चिन्हित क्षेत्रों से संबंधित सूचना सहायता प्रणाली के रूप में उपलब्ध है।

सूरवि (ओडिशा)

(मेगा आरटीई जागरूकता और राज्य स्तरीय बाल कार्यक्रम)

ओडिशा सरकार का स्कूल और जन शिक्षा विभाग प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन करता है। प्रत्येक वर्ष यह मेला 12 नवंबर से आरंभ होता है, उसका तीसरा और अंतिम दिन बाल दिवस को ही होता है। एक माह की अवधि में ब्लॉक और जिला स्तरों पर हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं से लगभग 2500 छात्रों का चयन किया गया। छात्रों ने कई प्रतियोगिताओं जैसे निबंध और स्लोगन लिखना, आर्ट, क्राफ्ट, डिबेट, नृत्य, गान और ड्रामा में भाग लिया।

ओडिशा की राजधानी में हुए सूरवि, 2014 मेले के अंतिम दिन बेहद रौनक दिखी। बाल दिवस की संध्या को समारोह समाप्त हुआ। इसमें राज्य में शिक्षा, मनोरंजन, जागरूकता बढ़ाने की इच्छा जताई गई। मिट्टी के मॉडल, आरटीई जागरूकता सामग्री, पेंटिंग, छोटे बच्चों द्वारा शिक्षा पर बनाई गई परियोजनाओं वाले 35 स्टॉल लगाए गए। शिक्षकों ने भी टीएलएम डिस्प्ले में भाग लिया।

मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम)

पृष्ठभूमि

बच्चों के नामांकन, अवधारण और उपस्थिति में वृद्धि के साथ-साथ उनकी पौषणिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 15 अगस्त, 1995 में एक केंद्र प्रायोजित योजना "प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण संबंधी सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनएसपीई)" शुरू की गई थी। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को शामिल करने के लिए 2008-2009 के दौरान योजना का विस्तार किया गया था और योजना का नाम बदल कर "राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन

कार्यक्रम" के रूप में किया गया था। सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों और मकतबों में कक्षा-I से III में अध्ययनरत सभी स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत शामिल किया गया है। योजना की विषय-वस्तु और कवरेज में योजना को समय-समय पर संशोधित किया जा रहा है।

उद्देश्य:

मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य भारत में अधिकांश बच्चों की अत्यावश्यक समस्याओं अर्थात् भूख और शिक्षा

को निम्नानुसार दूर करना है:

- i) सरकारी और सरकारी सहायता—प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों और मकतबों में कक्षा—८ से १० में अध्ययनरत बच्चों की पौषणिक स्थिति में सुधार लाना।
- ii) लाभवंचित वर्ग के निर्धन बच्चों को और अधिक नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित करना और शिक्षण—कक्ष के क्रियाकलापों पर ध्यान केंद्रित करने के संबंध में उनकी सहायता करना।
- iii) ग्रीष्म अवकाश के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पौषणिक सहायता मुहैया कराना।

औचित्य:

- i) **शिक्षण—कक्ष से भूख का निवारण करना:** समाज के लाभवंचित वर्गों के कई बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। यहां तक कि जो बच्चे स्कूल जाने से पहले भोजन करते हैं, वे भी दोपहर तक भूख का अनुभव करने लगते हैं और अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। 'शिक्षण—कक्ष की भूख' को दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना उन परिवारों के बच्चों की सहायता करती है जो भोजन का डिब्बा नहीं जुटा पाते हैं अथवा स्कूल से अधिक दूरी पर रहते हैं।
- ii) **स्कूल प्रतिभागिता का संवर्धन करना:** मध्याह्न भोजन योजना न केवल रजिस्टर में और अधिक बच्चों को नामांकित करने के संदर्भ में बल्कि दैनिक आधार पर छात्रों की नियमित उपस्थिति के संदर्भ में स्कूल प्रतिभागिता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।
- iii) **बच्चों के स्वास्थ्य विकास को सुगम बनाना:** मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के "अनुपूरक पोषण" के एक नियमित स्रोत का कार्य भी कर सकती है और उनके स्वास्थ्य के विकास को सुगम बनाती है।
- iv) **आंतरिक शैक्षिक मूल्य:** एक सुव्यवस्थित मध्याह्न भोजन का उपयोग बच्चों को विभिन्न अच्छी आदतें सिखाने (जैसे भोजन से पूर्व और उसके पश्चात् अपने हाथ धोना) और उन्हें स्वच्छ जल, अच्छे स्वास्थ्य और अन्य सम्बद्ध मामलों के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए किया जा सकता है।

v) सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करना:

मध्याह्न भोजन समतावादी मूल्यों का प्रसार करने में सहायता प्रदान करता है क्योंकि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे इकट्ठे बैठना सीखते हैं और साझा भोजन करते हैं। मध्याह्न भोजन योजना विशेष रूप से स्कूल के बच्चों के बीच जाति और वर्ग की बाधाओं को तोड़ने में भी सहायता कर सकती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से रसोइयों को नियुक्त करना बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का एक अन्य ढंग है ताकि जाति विद्वेष भावों को दूर किया जा सके।

vi) महिला—पुरुष समता में वृद्धि करना:

स्कूल प्रतिभागिता में महिला—पुरुष अंतराल कम हो रहा है क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना उन बाधाओं को समाप्त करने में सहायता प्रदान करती है जो लड़कियों को स्कूल जाने से रोकती है। मध्याह्न भोजन योजना महिलाओं को रोजगार प्रदान करने का एक उपयोगी स्रोत भी उपलब्ध कराती है और कामकाजी महिलाओं को दिन के दौरान घर पर भोजन पकाने के भार से मुक्त कराती है। इन तरीकों से और अन्य ढंग से मध्याह्न भोजन योजना में महिलाओं और छात्राओं की एक विशेष हिस्सेदारी है।

vii) मनोवैज्ञानिक लाभ:

मनोवैज्ञानिक अभाव के कारण आत्मसम्मान में कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप असुरक्षा, चिंता और तनाव होता है। मध्याह्न भोजन योजना इनका समाधान करने में सहायता कर सकती है और संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को सुगम बना सकती है।

कवरेज

सरकारी और सरकारी सहायता—प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों और सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों और मकतबों में कक्षा—८ से १० में अध्ययनरत सभी स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत शामिल किया गया है। वर्ष 2013-14 के दौरान देश के 11.58 लाख स्कूलों में प्रारंभिक कक्षा के 10.80 करोड़ बच्चों को कवर किया गया है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र—वार ब्यौरा अनुबंध—८ और ९ में दिया गया है।

मध्याह्न भोजन योजना के मानदंड—

i) मध्याह्न भोजन का कैलोरी मूल्य:

प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए पके हुए मध्याह्न भोजन में 100 ग्राम अनाज (चावल/गेहूं/पोषक अनाज), 20 ग्राम दालें, 50 ग्राम सब्जी तथा 450 कैलोरी ऊर्जा तथा 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने के लिए, 5 ग्राम तेल/वसा की मात्रा शामिल होते हैं। उच्च प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए पके हुए मध्याह्न भोजन में 150 ग्राम अनाज (चावल/गेहूं/पोषक अनाज), 30 ग्राम दालें, 75 ग्राम सब्जी तथा 700 कैलोरी ऊर्जा तथा 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करने के लिए, 7.5 ग्राम तेल/वसा की मात्रा शामिल होते हैं।

ii) मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन पकाने की लागत:

भोजन पकाने की लागत में दालों, सब्जियों, खाद्य तेल, मसाला सामग्री और ईंधन आदि पर किया गया व्यय शामिल है। भोजन पकाने की लागत को विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष 7.5 प्रतिशत बढ़ाया गया है। भोजन पकाने की लागत में केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच की भागीदारी 90:10 पर और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 75:25 पर आधारित है। तदनुसार 01.07.2014 से भोजन पकाने की लागत और केंद्र और राज्य के बीच भागीदारी पैटर्न निम्नानुसार है:—

भोजन पकाने की लागत

स्तर	प्रति भोजन कुल लागत	केन्द्र-राज्य शेयरिंग			
		गैर-पूर्वोत्तर राज्य (72:25)		पूर्वोत्तर राज्य (90:10)	
		केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य
प्राथमिक	* ₹ 3.59	₹ 2.69	₹ 0.90	₹ 3.23	₹ 0.36
उच्च प्राथमिक	* ₹ 5.38	₹ 4.04	₹ 1.34	₹ 4.84	₹ 0.54

*01.07.2014 से लागू।

iii) रसोइया-सह-सहायक की नियुक्ति और उन्हें दिया जानेवाला मानदेय:

25 छात्रों के स्कूल के लिए एक रसोइया-सह-सहायक, 26 से 100 छात्रों वाले स्कूल के लिए दो रसोइया-सह-सहायक और 100 छात्रों की प्रत्येक वृद्धि के लिए अतिरिक्त रसोइया-सह-सहायक रखा जा सकता है। प्रत्येक रसोइया-सह-सहायक को प्रति माह 1000/- रुपए मानदेय के रूप में पाने का हकदार है। रसोइया-सह-सहायकों के मानदेय का व्यय केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य 90:10 के आधार पर और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 75:25 के आधार पर शेयर किया जाता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड ने सचिव,



स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अध्यक्षता में योजना के अंतर्गत 28.29 लाख रसोइया-सह-सहायकों की नियुक्ति का अनुमोदन प्रदान किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 28.29 लाख के अनुमोदन की तुलना में 25.71 लाख रसोइया-सह-सहायकों को नियुक्त किया है।

iv) रसोई-सह-भण्डारगृहों का निर्माण:

रसोइया-सह-भण्डारगृह की निर्माण लागत, प्लिन्थ एरिया मानकों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रचलित दरों की राज्य अनुसूची के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस विभाग ने 100 बच्चों तक वाले स्कूलों में रसोई-सह-भण्डारगृह के निर्माण के लिए 20 वर्ग मी. प्लिन्थ एरिया निर्धारित किया है। हर 100 अतिरिक्त बच्चों तक अतिरिक्त 4 वर्ग मी. प्लिन्थ एरिया जोड़ा जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 बच्चों के स्लैब में स्थानीय स्थितियों को देखते हुए संशोधन करने की छूट है। रसोई-सह-भण्डारगृहों के निर्माण की लागत केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच 90:10 के आधार पर तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 75:25 के आधार पर शेयर की जाती है।

वर्ष 2006-07 तक 10,06,263 रसोई-सह-भण्डारगृहों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8025.56 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता

दी गई है। इनमें से 6,81,760 (68%) रसोई-सह-भंडारगृह निर्मित किए जा चुके हैं और 1,48,062 (15%) निर्माणाधीन हैं। राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

v) विशेष श्रेणी के राज्यों में परिवहन सहायता:

विशेष श्रेणी के 11 राज्यों (अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड और त्रिपुरा) में इन राज्यों में प्रचलित पीडीएस दरों के बराबर परिवहन सहायता प्रदान की जा रही है। अन्य सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में खाद्यान्न परिवहन सहायता की प्रतिपूर्ति, 75 रुपए प्रति क्विंटल अथवा वास्तविक लागत, जो भी कम हो, पर की जा रही है।

vi) जिला स्तर के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खाद्यान्न की लागत के भुगतान का विकेंद्रीकरण:

खाद्यान्नों की लागत का भुगतान, जो राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत था, एफसीआई को समय पर भुगतान तथा खाद्यान्नों को शीघ्र उठाने को सुनिश्चित करने में जिला प्राधिकरणों की भूमिका और अधिक से अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर 01.04.2010 से विकेंद्रीकृत कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप एफसीआई को भुगतान करने का समय-अंतराल कम हो गया है। विकेंद्रीकृत खरीद योजना नौ (9) राज्यों और एक (1) संघ शासित प्रदेश में आरंभ हो गई है। इस योजना के अंतर्गत, राज्यों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत उपयोग हेतु स्थानीय स्तर पर उत्पादित खाद्यान्नों की खरीद की अनुमति दी गई है।

1. केंद्रीय सहायता की पद्धति:

मध्याह्न भोजन योजना के अधीन, केंद्र सरकार खाद्यान्नों परिवहन, निगरानी प्रबंधन तथा मूल्यांकन (एमएमई) और रसोई उपकरणों की खरीद की पूरी लागत वहन करती है। योजना बनाने की लागत, रसोई-सह-भंडारगृह की लागत तथा रसोईया-सह-सहायक के मानदेय की लागत केंद्र तथा पूर्वोत्तर राज्यों के बीच 90:10 के आधार पर तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 75:25 के आधार पर बांटी जाती है।

2. मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन

i) पात्र बच्चों को पका हुआ पोषक भोजन प्रदान करने का समग्र उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों पर है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सहायक और

प्रशासनिक प्रबंध किए जाएं ताकि प्रत्येक पात्र स्कूल में नियमित रूप से स्वास्थ्यवर्धक, पोषक तथा पका हुआ भोजन परोसना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अंतर्गत पर्याप्त अवसररचना जैसे इस योजना के अधीन किए गए वित्त-पोषण के माध्यम से रसोई-सह-भंडारगृह का निर्माण, रसोई उपकरणों की खरीद और दूसरे विभागों अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की बजट सहायता के अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों के साथ अनुरूपता के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाना शामिल है। पेयजल एवं शौचालय सुविधाओं का सृजन एसएसए, पेयजल मिशन तथा समग्र स्वच्छता कार्यक्रम के अनुरूप किया जाएगा।

ii) इस योजना के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि जिन राज्यों ने कानून तथा/अथवा कार्यकारी आदेश के माध्यम से पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को 'प्राथमिक शिक्षा' के कार्य सौंप दिए हैं, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन एवं दैनिक पर्यवेक्षण का उनका उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत/नगर पालिका को सौंप दिया जाएगा। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा स्थायी समितियां गठित की जाएंगी। विकल्प के रूप में पहले ही विद्यमान जिन स्थायी समितियों को शिक्षा से संबंधित मुद्दों का पर्यवेक्षण कार्य सौंपा गया है उन्हें इस योजना के निर्बाध कार्यान्वयन हेतु निगरानी, समीक्षा तथा दूसरे आवश्यक उपाय करने का कार्य सौंपा जाएगा। इस बदले ग्राम पंचायत/नगरपालिका स्कूल प्रबंध समिति/ग्राम शिक्षा समिति/स्कूल प्रबंध तथा विकास समिति अथवा अभिभावक शिक्षक संघ, जैसा भी मामला हो, स्कूल स्तर पर इस कार्यक्रम के दैनिक प्रबंधन का उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं।

iii) स्कूल प्रबंधन को भी समुदाय विशेष रूप से मातृ समूहों से सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत स्कूल प्रबंध समिति (एसएमसी) दक्षतापूर्वक भोजन बनाने, परोसने तथा स्वच्छता कार्य सुनिश्चित करने में बारी-बारी के आधार पर स्कूल प्रबंधन की नियमित सहायता हेतु समुदाय के लिए आग्रह कर सकती है। यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों को भोजन बनाने अथवा उसका पर्यवेक्षण करने में किसी प्रकार शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तथापि, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए शासित किया जाए कि बच्चे सारथ्य भावना के साथ मिलकर भोजन करते हैं तथा उन्हें उदाहरण प्रस्तुत करके विविध क्षमताओं के साथ अपने अध्यापकों के साथ संवेदनशीलता विकसित

करते हैं और समानता तथा सहयोग के मूल्यों की स्थापना इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत कारगर हो सकें।

- iv) समुदाय के सदस्यों की सहायता यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हो सकेगी कि बच्चे भोजन करने से पूर्व अपने हाथ अच्छी तरह धोएं, साफ प्लेटें और गिलास प्रयोग करें, कूड़ा न फैलाएं तथा भोजन बर्बाद न करें और अपनी प्लेटें साफ करें, भोजन से पूर्व अपने हाथ—मुंह सुखाएं। मध्याह्न भोजन योजना उन गरीब महिलाओं को स्व-रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करती है जो स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन कर सकती हैं। ऐसे समूह स्थानीय स्तर की कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों की समग्र सहायता से मध्याह्न भोजन बनाने तथा परोसने की जिम्मेदारी ले सकते हैं।
- v) योजना के अबाधित क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रिम रूप से निधियां और खाद्यान्न प्रदान करती है। सामान्यतः भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दो किस्तों में निधियां जारी करती है। दोनों किस्तें अग्रिम रूप से जारी की जाती हैं, बशर्ते कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपेक्षित सूचना समय से प्रदान कर दें। यह सुनिश्चित करने के लिए की कार्यक्रम वर्ष के शुरू में बाधित न हो, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई सूचना मांगे बगैर आवंटित निधि का 25% अग्रिम रूप से जारी करती है।
- vi) खाद्यान्नों का आवंटन भी अग्रिम रूप से जारी किया जाता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास त्रैमासिक आवंटन एक बार में ही लेने की लोचशीलता होती है। भारतीय खाद्यान्न निगम अपने डिपो और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में प्रधान वितरण केंद्रों में खाद्यान्नों की सतत पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक माह अग्रिम रूप से खाद्यान्नों को लेने की अनुमति दी जाती है। प्रत्येक स्कूल/भोजन पकाने वाली एजेंसी को एक माह की आवश्यकता के लिए खाद्यान्नों का बफर स्टॉक रखना अपेक्षित होता है।

3. भोजन पकाने का कार्य

- i) दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि जहां तक सम्भव हो भोजन पकाने/पके हुए मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जिम्मेदारी महिलाओं/मातृ स्व-सहायता समूहों अथवा अथवा नेहरू युवा केंद्र से सम्बद्ध स्थानीय युवा क्लब अथवा किसी स्वैच्छिक संगठन अथवा एसएमसी/वीईईसी/एसएमडीसी/पीटीए/ग्राम पंचायत/नगर निगम द्वारा सीधे नियुक्त व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

- ii) शहरी क्षेत्रों जहां रसोई शेड के निर्माण के लिए स्थान की कमी होती है, में स्कूलों के समूह के लिए केंद्रीकृत रसोई की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए। भोजन केंद्रीकृत रसोई में पकाया जा सकता है और पका हुआ गर्म भोजन इसके पश्चात् विभिन्न स्कूलों को भरोसेमंद परिवहन प्रणाली के माध्यम से स्वच्छता परिस्थितियों में भेजा जा सकता है। किसी शहरी क्षेत्र में बच्चों की संख्या तथा सेवा प्रदाताओं की क्षमता के आधार पर एक अथवा उससे अधिक नोडल रसोइयां हो सकती हैं।

4. मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता

- i) मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता मुख्यतः खाद्यान्नों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम सर्वोच्च उपलब्ध गुणवत्ता के खाद्यान्न को जारी करने के लिए जिम्मेदार है जो कम-से-कम उचित औषध गुणवत्ता (एफएक्यू) वाले होंगे। एफसीआई प्रत्येक राज्य में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत खाद्यान्नों की आपूर्ति में विभिन्न समस्याओं की देखरेख के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करता है। जिला कलेक्टर/जिला पंचायत का सीईओ यह सुनिश्चित करता है कि कम-से-कम एफएक्यू गुणवत्ता वाले खाद्यान्न ही एफसीआई तथा कलेक्टर के नामिती और/अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत के नामिती को शामिल करते हुए एक दल द्वारा संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् उठाए जाएं और वे कम-से-कम एफएक्यू मानदंडों के अनुरूप हों।
- ii) केंद्र सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उनसे, विभिन्न स्तरों पर एमडीएम के लिए एक प्रभावी प्रबंध ढांचा स्थापित करने हेतु तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है; बच्चों को भोजन परोसे जाने से पहले कम-से-कम एक अध्यापक द्वारा भोजन को अनिवार्य रूप से चखा जाना; भोजन सामग्री का स्कूलों में सुरक्षित भण्डारण और आपूर्ति; महाराष्ट्र की तर्ज पर ब्रांडेड और एगमार्क गुणवत्ता वाली दालों तथा सामग्री की खरीद और आपूर्ति;
- iii) जिले के वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन;
- iv) मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा भोजन के नमूनों का परीक्षण;
- v) एमडीएमएस के अंतर्गत पहुंच, गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता की निगरानी के लिए माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक अधिकार-प्राप्त समिति गठित की गई है;

- vi) योजना में सुधार करने के उपाय सुझाने और उनकी निगरानी के लिए संयुक्त समीक्षा मिशन स्थापित किए गए हैं;
- vii) योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा शुरू हो गई है;
- viii) योजना की प्रभावी निगरानी के लिए वेब समर्थित एमडीएम-एमआईएस आरंभ की गई है। वर्ष 2013-14 के वार्षिक आंकड़ों की प्रविष्टि पूरी की जा चुकी है और मासिक आंकड़ों की प्रविष्टि दिसम्बर 2013 तक पूरी की जा चुकी है। इसमें समुदाय भागीदारी के जरिए वास्तविक समय के आधार पर योजना की निगरानी के लिए एमडीएम-एमआईएस को आईवीआरएस से जोड़ने की गुंजाइश है;
- ix) स्कूल में अप्रिय घटनाओं, यदि कोई हो, से निपटने के लिए आपातकालीन चिकित्सा योजना;
- x) हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण तंत्र।

5. निगरानी तंत्र

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक व्यापक और विस्तृत तंत्र निर्धारित किया है। निगरानी तंत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:

- i) **स्थानीय स्तर पर निगरानी की व्यवस्था:** ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं के प्रतिनिधि, वीईसी, पीटीए, एमडीएमसी एवं मातृ समितियों के सदस्यों से निम्नलिखित की दैनिक आधार पर निगरानी करने की अपेक्षा की जाती है (i) बच्चों को दिए गए मध्याह्न भोजन की नियमितता और पौष्टिकता, (ii) मध्याह्न भोजन पकाने और परोसने में सफाई (iii) अच्छी कोटि के संघटकों, ईंधन इत्यादि की समय पर अधिप्राप्ति, (iv) नानाविध व्यंजन सूची (v) सामाजिक और महिला-पुरुष साम्यता।
- ii) **सूचना का प्रदर्शन:** पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूल और केंद्र जहां कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, को निम्नलिखित सूचना परिसर में दृष्टिगोचर स्थान पर आम जनता के ध्यान के लिए प्रदर्शित करनी अपेक्षित है:
 - क) प्राप्त किए खाद्यान्नों की मात्रा, प्राप्ति की तारीख
 - ख) खाद्यान्नों की उपयोग में लाई गई मात्रा
 - ग) खरीदे गए, प्रयुक्त किए गए अन्य संघटक

- घ) उन बच्चों की संख्या जिन्हें मध्याह्न भोजन दिया गया हो
- ङ) दैनिक व्यंजन सूची
- च) पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए समुदाय के सदस्यों का रोल

iii) **ब्लॉक स्तर पर समिति:** विस्तृत आधार वाली विषय निर्वाचन-सह-निगरानी समिति भी मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की ब्लॉक स्तरों पर निगरानी करती है।

iv) **राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण:** राजस्व, ग्रामीण विकास, शिक्षा विभागों और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों जैसे कि महिला और बाल विकास, खाद्य, स्वास्थ्य इत्यादि के राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अधिकारियों से भी स्कूलों और केंद्रों, जहां कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, निरीक्षण करने की अपेक्षा है। यह सिफारिश की गई है कि 25 प्रतिशत स्कूल विशेष प्रशिक्षण केंद्रों का हर तीन महीने में दौरा किया जाए।

v) **जिला स्तर की समितियां:** जिला स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी के लिए विषय-निर्वाचन-सह-निगरानी समिति के अलावा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना की तिमाही आधार पर निगरानी करने के लिए जिले के वरिष्ठतम संसद सदस्य (एमपी) की अध्यक्षता में जिला स्तर की समिति गठित करने का निर्देश दिया है।

यह समिति जिले में एसएसए, आरएमएसए और साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी भी करती है।

vi) **आवधिक विवरणियां:** राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार को निम्नलिखित के बारे में सूचना देने के लिए आवधिक विवरणियां भेजनी अपेक्षित हैं (प) बच्चों और संस्थाओं का कवरेज (पप) स्कूल दिवसों की संख्या (पपप) केंद्रीय सहायता की उपयोगिता में प्रगति (पअ) स्कूलों में आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता (अ) कोई अप्रत्याशित घटना इत्यादि।

vii) **सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थाओं द्वारा निगरानी:** 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2015 तक दो वर्षों की अवधि के लिए मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी हेतु एमएचआरडी के साथ अड़तीस सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थाओं ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

क्र.सं.	अवधि	कवर किए गए जिलों की संख्या	दौरा किए गए स्कूलों की कुल संख्या
1	01.04.2013 - 30.09.2013	48	1878
2	01.10.2013 - 31.03.2014	113	4155
3	01.04.2014 - 30.09.2014	19	748

निगरानी संस्थानों की रिपोर्ट की स्थिति निम्नलिखित है:

viii) **शिकायत निवारण:** राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लोक शिकायत निवारण के लिए समर्पित तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जिसका कि व्यापक प्रचार होना चाहिए और आसानी से सुलभ बनाया जाना चाहिए।

ix) **राज्य स्तर:** राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए विषय-निर्वाचन-सह-निगरानी समिति का गठन करने की आवश्यकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र संस्थाएं तैनात की हैं।

x) **राष्ट्रीय स्तर:**

क) माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में मध्याह्न भोजन संबंधी अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है ताकि मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन में सुलभता (पहुंच), सुरक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्तापरक पहलुओं की मॉनीटरिंग, योजना की प्रभावी मॉनीटरिंग और मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए तंत्रों की समीक्षा, योजना में सामुदायिक सहभागिता और इसकी प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए तंत्र की स्थापना की जा सके।

ख) माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) की कार्यकारी परिषद् भी मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा करती है।

ग) सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता) की अध्यक्षता में राष्ट्र स्तरीय विषय-निर्वाचन-सह-मॉनीटरिंग समिति (एनएसएमसी) कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी)।

घ) मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शिक्षा सचिवों के साथ राष्ट्रीय बैठकें और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गई थीं।

xi) **संयुक्त समीक्षा मिशन:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों, राज्य सरकार के प्रतिनिधियों, यूनिसेफ, सर्वोच्च न्यायालय आयुक्त कार्यालय तथा निगरानी संस्थाओं के नोडल अधिकारियों सहित पोषक विशेषज्ञों/गृह विज्ञान विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के प्रोफेसर्स की अध्यक्षता में संयुक्त समीक्षा मिशन ने 20 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का दौरा किया है। निर्धारित विचारार्थ विषयों (टीओआर) के सुधार, निचले स्तर पर इस योजना के पोषक संकेतकों तथा वास्तविक कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए प्रत्येक राज्य में 2 जिले शामिल किए थे। इस मिशन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट इस योजना के कार्यान्वयन में उल्लिखित कमियों पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए और इस रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई नोट भेजने के लिए इन राज्यों के साथ शेयर की गई है। बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई), कुपोषण स्तर, विकास में बाधा, बर्बादी आदि पहली बार एकत्र की गई है। यह मध्याह्न भोजन योजना के अधीन बच्चों को पोषण संबंधी सहायता के प्रभाव मापने का डेटाबेस बन जाएगा। अभी तक संयुक्त समीक्षा मिशनों के 41 दौरे किए जा चुके हैं। विभिन्न राज्यों में जेआरएम के दौरे का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वर्ष	दौरा किए गए राज्यों की संख्या
1	2009-10	3
2	2010-11	2
3	2011-12	8
4	2012-13	8
5	2013-14	20

i) सामाजिक लेखापरीक्षा:

सामाजिक लेखापरीक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें विकास की पहलों के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे वित्तीय और गैर-वित्तीय संसाधनों का ब्यौरा प्रायः सार्वजनिक प्लैटफॉर्म के जरिए लोगों से शेयर किया जाता है। यह लोगों को पारदर्शिता और जवाबदेही लागू करने की अनुमति देता है, इस प्रकार अंतिम उपयोगकर्ताओं को विकास की पहल की जांच करने के लिए एक अवसर प्रदान करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के दो जिलों अर्थात् खम्माम और चित्तूर में पायलट आधार पर मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) की सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु आंध्र प्रदेश सरकार की मदद की, जिसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार तथा सामाजिक लेखापरीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता सोसायटी (एसएसएटी) हैदराबाद के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सामाजिक लेखापरीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया और बहुत दिलचस्प परिणाम सूचित किए गए। आंध्र प्रदेश सरकार अब सभी जिलों में सामाजिक लेखापरीक्षा कर रही है। इस प्रक्रिया को अन्य राज्यों में भी लागू करने के लिए 25 जुलाई, 2013 को नई दिल्ली में सामाजिक लेखापरीक्षा पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। अब नौ राज्यों अर्थात् बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में पायलट आधार पर प्रत्येक दो जिलों में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है।

ii) योजना का प्रभाव

अनेक अध्ययनों से प्रकट हुआ है कि एमडीएमएस ने क्लासरूम हंगर रोकने, स्कूल में भागीदारी बढ़ाने और सामाजिक समानता का पोषण करने एवं महिला-पुरुष समानता को बढ़ावा देकर बच्चों के समग्र स्वास्थ्य विकास को सुकर बनाने में सहायता की है। सर्वोच्च न्यायालय आयुक्त का कार्यालय क्षेत्रीय दौरो के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा करता है। उन्होंने पाया कि भारत सरकार की अधिक सफल हकदारी योजनाओं में से एक एमडीएम की व्यापक सराहना की गई है और उसके फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के नामांकन तथा बने रहने में वृद्धि हुई है।

12. 11वीं योजना के दौरान उपलब्धियां—

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम का अनुमोदित परिव्यय 48,000 करोड़ रुपए था जिसमें से 38,490.91 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। नीति आयोग (योजना आयोग) ने 12वीं योजना के दौरान स्कीम के लिए 90,155.00 करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं। वर्ष 2013-14 में बजट अनुमान 13215.00 करोड़ रुपए था जिसमें से वित्त वर्ष 2013-14 में 10927.21 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमान 13215 करोड़ रुपए है।


विगत पांच वर्षों के दौरान योजना के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की वर्ष-वार उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :-

तालिका 2 : कवरेज तथा व्यय की प्रवृत्ति:


घटक	2009 -10	2010 -11	2011 -12	2012 -13	2013 -14
शामिल बच्चे (करोड़ में)	11.36	10.46	10.54	10.68	10.80
आर्बटित खाद्यान्न (लाख मीमी.टन में)	27.71	29.40	29.09	29.55	29.77
बजट आबंटन (करोड़ में)	7359.15	9440	10380	11937	13215
कुल व्यय (करोड़ में)	6937.79	9128.44	9901.91	10868	10927.21

13. वर्ष 2014-15 के दौरान 13,215 करोड़ रु. का घटक-वार बजट आबंटन नीचे दिया गया है :-

₹ करोड़ में



14. वर्ष 2013-14 के दौरान योजना का घटक-वार निष्पादन



15. स्वच्छ और समग्र भोजन मध्याह्न भोजन योजना के तहत तैयार करना स्कूलों में भोजन प्रदान करने में शामिल स्टाफ तथा रसोइया-सह-सहायक के ज्ञान और कौशल पर निर्भर करता है। स्व-सहायता समूह और रसोइया-सह-सहायक (सीसीएच) जो मध्याह्न भोजन योजना की नींव है, समाज के वंचित वर्गों से आते हैं जहां उनकी पोषण, भोजन पकाने की प्रक्रिया, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कच्चे भोजन तथा सब्जियां, पाक-कला, परोसने की कुशलता तैयार करने तक सूचना के संबंध में सीमित पहुंच है। अतः यह आवश्यक है कि इस कार्यबल की क्षेत्रीय स्तर की क्षमता को सतत आधार पर तैयार किया जाए। तदनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने होटल प्रबंध संस्थान, खाद्य शिल्प संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में खाद्य एवं पोषण संस्थानों के सहयोग से रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षित करने का कार्य सौंपा है।

16. योजना में सुधार- विगत कुछ वर्षों में मध्याह्न भोजन योजना में कई सुधार देखे गए हैं। जिन्हें नीचे दर्शाया गया है :-

i) योजना में संशोधन

- क) भोजन पकाने की लागत में 01.07.2014 से 7.5 प्रतिशत वृद्धि की गई है।
- ख) 01.12.2009 से रसोइया-सह-सहायकों के लिए 1000 रुपये प्रति माह की दर से मानदेय के भुगतान का प्रावधान किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके संसाधनों से अतिरिक्त योगदान देकर इस मानदेय को बढ़ाने की सलाह दी गई है। 13 राज्य रसोइया-सह-सहायकों को मानदेय देने के लिए अपने संसाधनों से उच्च योगदान दे रहे हैं।

ग) ग्यारह विशेष श्रेणी के राज्यों में इन राज्यों में प्रचलित निःशक्त व्यक्तियों की दरों के समान परिवहन सहायता दी जा रही है।

घ) 01.04.2010 से खाद्यान्नों की लागत के भुगतान का भारतीय खाद्यान्न निगम से जिला स्तर पर विकेंद्रीकरण किया गया है।

ड.) कार्यक्रम की नियमित निगरानी के लिए 38 स्वतंत्र शैक्षिक और शोध संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मध्याह्न भोजन योजना संबंधी समीक्षा मिशन ने भी 20 राज्यों में इस योजना की मॉनीटरिंग की है और समुचित कार्यवाही के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

च) जिन सिलेंडरों पर रियायत नहीं है उनकी खरीद पर किए गए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति।

17. संयुक्त समीक्षा मिशन रिपोर्ट (5वें जेआरएम) के सामान्य निष्कर्ष

i) निधियों का प्रवाह

क) निधियों के प्रवाह के कई स्तरों को कम किया जाना चाहिए ताकि कार्यान्वयन एजेन्सियों को निधियां समय से पहुंचें। योजना के बिना अवरोध के सुकर कार्यान्वयन; रसोइया-सह-सहायकों को समय से भुगतान के लिए जिलों, स्कूलों और भारतीय खाद्य निगम को निधियां समय से जारी किए जाने के लिए निधियों की आवाजाही को सुप्रवाही बनाया जाना चाहिए। इसके लिए आंध्र प्रदेश ग्रीन चैनल योजना को अपनाया जा सकता है।

ii) जनशक्ति-

क) एमडीएमएस के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला और ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को उनकी भूमिका और उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक करना।

- ख) राज्य सरकारों को मानकों के अनुसार पर्याप्त संख्या में रसोइया-सह-सहायकों को नियुक्त करना चाहिए।
- ग) स्थानीय स्थितियों और छात्रों के चयन के अनुसार सुरक्षा, स्वच्छता और विभिन्न प्रकार के भोजन पकाने में प्रशिक्षण के माध्यम से सीसीएच का क्षमता निर्माण।
- घ) कच्ची सामग्री को ठीक से तोलने के लिए रसोइयों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

iii) स्वास्थ्य और पोषण—

शिक्षकों द्वारा भोजन को चखे जाने को एमडीएमएस दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनाया जाना चाहिए।

- क) प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के माध्यम से भोजन के नमूनों का परीक्षण।
- ख) स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ बेहतर समन्वय आवश्यक है। नियमित स्वास्थ्य मानीटरिंग, विटामिन ए, आयरन और फॉलिक एसिड अनुपूरकों और पेट के कीड़े मारने की टेबलेट को स्कूलों में नियमित आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षकों को इनकी मात्रा के बारे में उपयुक्त दिशा-निर्देश दिए जाने चाहिए। प्रत्येक छात्र के रिकार्ड सहित हैल्थ कार्ड सभी स्कूलों द्वारा नियमित रूप से अनुरक्षित और अद्यतन किया जाना आवश्यक है।
- ग) नियमित स्वास्थ्य जांच द्वारा कुपोषित बच्चों, विशेष रूप से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को चिन्हित किया जाना चाहिए और एमडीएम के दौरान उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- घ) तेल और अन्य सामग्रियों की विनिर्दिष्ट शेल्फ लाइफ अथवा 'बेस्ट बिफोर यूज' अवधि से पहले 'पहले आए-पहले उपयोग हो' प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। 'पहले आए-पहले उपयोग हो' सिद्धांत पर रसोइयों और सहायकों को जागरूक करना चाहिए।
- ङ) बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों, रसोइयों और केयर टेकर के लिए स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा (एचएनई) के गहन प्रयास आवश्यक हैं। एचएनई के साथ-साथ फीडिंग प्रोग्राम बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने में अधिक प्रभावी साबित हो सकता है।
- च) भोजन और अधिक पुष्टिकर और पोषण की दृष्टि से संतुलित होना चाहिए। गैर कंद सब्जियों को अधिक मात्रा में शामिल करने की सलाह दी जाती है।
- छ) किसी भी प्रकार के जैविक संदूषण से बचने के लिए पीने वाले पानी की जांच की जानी चाहिए और तदनुसार उपचारात्मक शुद्धिकरण किया जाना चाहिए।

iv) जागरूकता—

- क) बच्चों के अधिकार और हकदारी, भोजनसूची, एमडीएम लोगो और आपातकालीन संपर्क नंबर को मुख्य रूप से स्कूलों की दीवार के बाहर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- ख) कार्यक्रम के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने और अंतरालों को पहचानने के लिए सरकार द्वारा पीआरआई और एसएमसी सदस्यों की भागीदारी के साथ सामाजिक और समुदाय लेखापरीक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- ग) प्राधिकरणों को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अनाज की चोरी से बचने के लिए एमडीएम मुद्रांकित गनी/पॉली बैग्स में अनाज की आपूर्ति की संभावना पर काम किया जा सकता है।
- घ) स्कूलों में खाद्यान्नों भण्डारण हेतु बड़े कंटेनरों की खरीद के लिए एमएमई निधियों से निश्चित राशि चिन्हित की जा सकती है ताकि चूहे और अन्य कीड़े चावलों को खराब न करें।
- v) बुनियादी सुविधाएं—
- क) ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पकाने के साधन के रूप में फायर कुड चूल्हों की उच्च व्याप्ति को ध्यान में रखते हुए राज्य के सम्बद्ध विभाग के अभिसरण में पर्यावरण के अनुकूल धूम्ररहित चूल्हों की व्यवस्था करने हेतु कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- ख) रसोई-सह-भंडारगृहों के निर्माण हेतु समय-सीमा के साथ कार्य योजना बनाई जा सकती है, जिसके लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है।
- ग) एमपीएलएडी योजना के अभिसरण में डाइनिंग हॉल निर्मित किए जा सकते हैं।
- vi) निगरानी—
- क) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य, जिला, ब्लॉक स्तरों पर प्रबंध संरचना का गठन।
- ख) राज्य स्तर की स्टीयरिंग-सह-निगरानी समिति (एसएलएसएमसी), जिला स्तर समिति की नियमित बैठकें आयोजित की गईं।
- ग) विशेष फोकस वाले जिलों (एसएफडी) अथवा खराब प्रदर्शन वाले जिलों की नियमित जांच की जानी चाहिए।
- घ) योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए संयुक्त समीक्षा मिशन की तर्ज पर राज्य समीक्षा मिशन गठित किया जा सकता है। मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी करने वाले राज्य सरकार के अधिकारी विनिमय योजना के अन्तर्गत अन्य राज्यों के समीक्षा मिशन में शामिल हो सकते हैं। योजना के क्रियान्वयन की जांच हेतु अन्य राज्यों में ओरिएंटेशन दौरों से अधिकारियों की ज्ञान आदि की सीमा भी बढ़ेगी।

18. मध्याह्न भोजन योजनाके अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र

जून, 2010 में टोल-फ्री नंबर/समर्पित दूरभाष संख्या के माध्यम से अथवा पत्रों के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) की स्थापना हेतु दिशा-निर्देशी सिद्धांतसभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने जीआरएम की स्थापना की है और वे इन दिशा-निर्देशी

सिद्धांतों के आधार पर शिकायतों का निवारण कर रहे हैं। जीआरएम के माध्यम से प्राप्त की गई शिकायतों और हल की गई शिकायतों से संबंधित आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त, जब भी मध्याह्न भोजन के किसी पहलू के विरुद्ध भारत सरकार को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से रिपोर्ट मांगी जाती है।

19. मध्याह्न भोजन योजना में सर्वोत्तम प्रक्रिया

राज्य का नाम	विवरण
आंध्र प्रदेश	ग्रीन चैनल योजना आरंभ की गई जिसके अंतर्गत वित्त विभाग प्रशासनिक विभाग को बजट जारी आदेश (बीआरओ) जारी करता है जो कि क्रियान्वयन एजेंसियों को समूचे वर्ष के लिए आवधिक वितरण विवरण प्रदान करता है ताकि योजना का क्रियान्वयन वर्ष भर बिना किसी बाधा के चलता रहे। रसोई बागानों में सब्जियां उगाना तथा उन्हें मध्याह्न भोजन के तहत परोसना।
बिहार	बाल-संसद (बाल मंत्रिमंडल) मध्याह्न भोजन के समुचित वितरण में सक्रिय रूप से शामिल है।
गुजरात	'तिथि भोजन' के माध्यम से जन भागीदारी का दृष्टिकोण आरंभ किया गया। ग्रामवासी विभिन्न अवसरों पर बच्चों के लिए मिठाइयां और भोजन प्रायोजित करते हैं तथा मध्याह्न भोजन योजना के लिए बर्तन प्रदान करते हैं।
झारखण्ड	बाल-संसद (बाल मंत्रिमंडल) मध्याह्न भोजन के समुचित वितरण में सक्रिय रूप से शामिल है। सरस्वती वहनी नामक स्कूली बच्चे मात्र संघ। इन संघों की दो माताओं को संयोजिका के रूप में नामित किया जाता है जो सक्रिय रूप से भोजन पकाने तथा बच्चों को भोजन की प्रभावी डिलीवरी में शामिल होते हैं। स्कूलों में भोजन कक्षों का निर्माण किया गया।
कर्नाटक	सभी स्कूलों में गैस आधारित भोजन पकाने की व्यवस्था है। रसोइया-सह-सहायकों और प्रमुख रसोइया को क्रमशः 1600 रुपए तथा 1700 रुपए का मानदेय प्रति माह दिया जाता है। रसोई बागानों में सब्जियां उगाना तथा उन्हें मध्याह्न भोजन के तहत परोसना।
केरल	मध्याह्न भोजन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी। रसोइया-सह-सहायकों को 4500 रुपए प्रतिमाह की दर से (100 छात्रों के नामांकन तक प्रतिदिन 200 रुपए तथा उसके पश्चात् 100 अतिरिक्त छात्रों के लिए 25 रुपए अतिरिक्त) मानदेय दिया जाता है।
ओडिशा	ओडिशा सरकार ने जागरूकता पैदा करने के लिए जागरूकता सर्जन मेले का आयोजन किया।
पंजाब	रसोइया-सह-सहायकों को 1200 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाता है। रसोई बागानों में सब्जियां उगाना तथा उन्हें मध्याह्न भोजन के तहत परोसना।
सिक्किम	रसोइया-सह-सहायकों को 1500 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जाता है। रसोई बागानों में सब्जियां उगाना तथा उन्हें मध्याह्न भोजन के तहत परोसना।

राज्य का नाम	विवरण
तमिलनाडु	प्रत्येक जिले के दो ब्लॉकों में विभिन्न भोजन आरंभ किए गए। सप्ताह में पांच दिन अण्डे परोसे जाते हैं। स्कूल परिसर में कढ़ी पत्ते और बांस के वृक्ष उगाए जाते हैं तथा उन्हें मध्याह्न भोजन में शामिल किया जाता है। रसोइया-सह-सहायक राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी होता है और वह पदोन्नति का पात्र होता है।
त्रिपुरा	स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने के लिए भोजन कक्षों का निर्माण।
उत्तराखण्ड	माताओं को प्राथमिक स्कूलों में भोजन माता तथा सहायिका के रूप में नियुक्त किया जाता है। रसोइया-सह-सहायकों को 1500 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है।
पश्चिम बंगाल	स्कूल परिसरों में मछली तालाब। रसोइया-सह-सहायकों को प्रति माह 1500 रुपए मानदेय का भुगतान। रसोइ बागानों में सब्जियां उगाना तथा उन्हें मध्याह्न भोजन के तहत परोसना।
चंडीगढ़	रसोइया-सह-सहायकों को 1872 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है।
दादर और नगर हवेली	रसोइया-सह-सहायकों को 2400 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है।
लक्षद्वीप	रसोइया-सह-सहायकों को 6000 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है।
पुदुचेरी	मध्याह्न भोजन के अतिरिक्त राजीव गांधी नाश्ता योजना में एक गिलास गर्म दूध और बिस्कुट का प्रावधान है। संघ राज्य क्षेत्र में रसोइया-सह-सहायकों के मानदेय के भुगतान के तीन स्लैब हैं 5000, 6000 और 9000 रुपए प्रतिमाह।

अध्यापक शिक्षा (टीई)

i) अध्यापक शिक्षा का सशक्तिकरण—

31.03.2011 तक स्थापित किए गए सभी जिलों में डाइट की स्थापना और एससीईआरटी को सशक्त करने के लिए अध्यापक शिक्षा के लिए केन्द्र-प्रायोजित योजना को 6308.45 करोड़ रुपए के परिव्यय के अनुमोदन के साथ 12वीं योजना के लिए संशोधित कर दिया गया है जिसे 75:25 (पूर्वोत्तर के लिए 90:10) के अनुपात में केन्द्र और राज्यों के बीच साझा किया गया है, जिससे उनकी संख्या वर्तमान में 571 से 648 हो जाएगी; वर्तमान 106 से 122 अध्यापक शिक्षण कॉलेजों को सशक्त किया जाएगा और वर्तमान सरकारी माध्यमिक अध्यापक शिक्षण संस्थानों को सीटीई में स्तरोन्नत किया जाएगा; वर्तमान 32 से 39 उच्च शैक्षिक अध्ययन संस्थानों को सशक्त किया जाएगा और आईएएसई के रूप में विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभागों को स्तरोन्नत किया जाएगा और पहचान किए गए 196 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक बहुल जिलों में ब्लॉक अध्यापक शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। योजना में संशोधन के परिणामस्वरूप 2013-14 के लिए 525 करोड़ रु. के आबंटन में से कुल 507.60 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे और दिनांक 30.01.

2015 तक वर्ष 2014-15 के लिए 550.00 करोड़ रु. के आबंटन में से कुल 463.45 करोड़ रु. खर्च किए गए थे।

ii) अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता

अध्यापक शिक्षा ब्यूरो अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित मुख्य घटकों पर फोकस कर रहा है :

• राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एनसीएफटीई 2009)

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एनसीएफटीई 2009) तैयार किया है। यह फ्रेमवर्क एनसीएफ, 2005 के बैकग्राउण्ड में तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया गया है। अध्यापक शिक्षा की दूरदर्शिता को स्पष्ट करते हुए फ्रेमवर्क में अध्यापकशिक्षा के प्रति नए दृष्टिकोण के कुछ महत्वपूर्ण आयाम निम्नलिखित हैं:

प्रभावकारी कार्य अध्यापक शिक्षा का केन्द्रीय लक्ष्य होना—

- छात्र-अध्यापकों को स्वयं सीखने, नए विचारों को प्रतिबिम्बित, आत्मसात और व्यक्त करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए;

- आत्म-निर्देशन में सीखने तथा सोचने की क्षमता, समालोचनात्मक होने और समूह में कार्य करने की क्षमता का विकास करना;
- छात्र-अध्यापकों को बच्चों की निगरानी और उनके साथ घुलने-मिलने, उनसे सम्पर्क करने तथा उनसे जुड़ने के अवसर प्रदान करना;
- फ्रेमवर्क सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक शिक्षा के रूप में अध्ययन के फोकस, उसके विशिष्ट उद्देश्यों, व्यापक क्षेत्रों और विभिन्न शुरुआती अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों हेतु पाठ्यक्रम ट्रांजक्शन तथा मूल्यांकन कार्यनीतियों पर प्रकाश डालता है।

भारतसरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या ढांचा 2009 प्रारंभ किया है जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित पांच मामलों पर जोर दिया गया है :-

- i) प्रभावकारी शिक्षण
- ii) समावेशी शिक्षा
- iii) सकारात्मक वातावरण
- iv) प्रौद्योगिकी का समावेशन
- v) लोकतंत्र के लिए शिक्षण

28 देश के 28 राज्यों ने एनसीएफटीई 2009 के आधार पर डीएलएड

पाठ्यक्रम को स्तरोन्नत किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीएफटीई 2009 के अनुसार बीएड पाठ्यक्रम के संशोधन हेतु क्षेत्रीय बैठकों के दौरान भारतीय विश्वविद्यालय संघ के साथ साझेदारी की है और कुलपतियों के साथ विचार-विमर्श किया।

- **अध्यापक प्रशिक्षक:** सरकार ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू किया है। अब तक, एनसीटीई ने देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर के 16 राज्यों में 6,82,804 अप्रशिक्षित सेवा-कालीन शिक्षकों के लिए ऐसे कार्यक्रमों हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त सरकार ने यूएसएआईडी इन-स्टेप प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में तीन महीने की अध्येतावृत्ति हेतु 110 शिक्षकों का चयन किया है। इनमें से 53 शिक्षकों ने पहले ही अमरीका में अपना प्रशिक्षण पूराकर लिया है और 57 अध्यापक प्रशिक्षकों के दूसरे बैच को यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना (यूएसए) में तीन महीने के लिए सितम्बर, 2014 में व्यावसायिक विकास, अध्यापक प्रशिक्षु संसाधन और शैक्षणिक सहायता सेवाओं के लिए भेजा जा चुका है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के

बीच सहयोग से यूके की ओपन यूनिवर्सिटी के साथ कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए दूसरा कार्यक्रम टेस-इंडिया है। परियोजना के प्रथम चरण की अवधि जून, 2012 से मई, 2015 थी और परियोजना का उद्देश्य गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान तथा लीडरशीप में सात राज्यों (यूपी, बिहार, एमपी, ओडीशा, असम, पं बंगाल, कर्नाटक) शिक्षक विकास यूनिट (टीडीयू) का विकास करना है। टेस-इंडिया परियोजना की अवधि मार्च, 2016 तक बढ़ा दी गई है।

- **अध्यापक शिक्षा संस्थान:** भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 से 2014-15 में पूरे देश में 77 जिलाशिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों, 16 अध्यापक शिक्षा कॉलेजों और 7 शैक्षिक उच्च अध्ययन संस्थानों की स्थापना की मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त केन्द्र-प्रायोजित योजना में अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यक बहुल 196 जिलों में सेवा पूर्व प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा प्रदान करने के लिए ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थान (बीआईटीई) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, इनमें से 122 ब्लॉक अध्यापक शिक्षा संस्थान 2014-15 तक स्वीकृत किए जा चुके हैं ताकि देश के अलग-अलग भागों में अ.जा./अ.ज.जा. और अल्पसंख्यक समुदायों के अध्यापक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सके। राज्यों को भी अध्यापक प्रशिक्षकों के कैंडिड को उनके संबंधित राज्यों में सशक्त करने और अध्यापक शिक्षा संस्थानों में रिक्त पदों को भरने को कहा गया है।

सरकार ने सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए प्रक्रिया को सशक्त करने हेतु अध्यापक शिक्षा संस्थानों के अनुमोदन के मानकों और मानदंडों के संशोधन हेतु कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। जस्टिस वर्मा कमिशन की सिफारिशों के अनुसार सेवा पूर्व और सेवा-कालीन अध्यापक शिक्षा को सशक्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।

सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षास्कूलों को अनुमोदित किया जा रहा है। इसके साथ-साथ राज्यों में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अध्यापक शिक्षा को विकसित करने के साथ-साथ अध्यापक शिक्षा के विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एनसीटीई को सशक्त किया गया है।

- **देश भर में संस्थानों की स्थिति:** 13,25,341 छात्रों की अनुमोदित प्रवेश क्षमता के साथ अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चलाने के लिए 31.03.2014 तक एनसीटीई द्वारा 17,254 संस्थानों को मान्यता दी गई

है। तथापि, वास्तविक प्रवेश अनुमोदित प्रवेश क्षमता से अलग हो सकता है।

• अध्यापक शिक्षा में आईसीटी—

मानव संसाधन विकास मंत्रालय आईएनटीईएल के सहयोग से अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए आवधिक आईसीटी प्रशिक्षण आयोजित करता है। अब तक 9 अध्यापक अकादमियां पूरी हो चुकी हैं, जिसमें असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से 216 अध्यापक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। 2014-15 के लिए 6 और आईसीटी प्रशिक्षण निर्धारित किए गए हैं। ब्यूरो ने अध्यापक शिक्षा में महत्वपूर्ण मामलों पर दृश्य-श्रव्य सामग्री को अपनी वेबसाइट www.teindia.nic.in उपलब्ध कराया है। अध्यापक शिक्षा के लिए संयुक्त समीक्षा मिशन: अध्यापक शिक्षा पर केंद्रीय प्रयोजित योजना, संस्थान के प्रत्येक स्तर के संबंध में प्रक्रिया की निगरानी और परिणाम मानदंडों पर बल देती है और इस प्रयोजन के लिए वृहत निगरानी तंत्र का विकास किया गया है। ये संयुक्त समीक्षा मिशन इस निगरानी तंत्र का एक भाग है। संयुक्त समीक्षा मिशन जिसमें अध्यापक शिक्षा के विशेषज्ञ शामिल हैं, वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक इस अध्यापक शिक्षा के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 19 राज्यों में भेजे गए हैं। चार राज्यों अर्थात् असम, छत्तीसगढ़, मेघालय और पश्चिम बंगाल में 2013-14 के दौरान इन संयुक्त समीक्षा मिशनों के अनुवर्ती दौरे भी पूरे किए गए थे। ये संयुक्त समीक्षा मिशन 2014-15 के दौरान अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान का दौरा करेंगे।

इस संयुक्त समीक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रगति की स्थिति की समीक्षा करना और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कार्यक्रम हस्तक्षेप के संबंध में संस्थान के प्रत्येक स्तर पर कार्यक्रम आयोजन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन से संबंधित मामलों पर विचार करना है। एक लर्निंग मिशन का मार्गदर्शी सिद्धांत: (क) सहमत हुए संकेतकों और प्रक्रियाओं की प्रगति के साथ सीखना (ख) ऐसे अनुभागों को आपस में बांटना जो कार्यान्वयन क्षमताओं को सुदृढ़ करते हुए उसकी शक्तियों और कमजोरियों का उल्लेख करती हों, इन मिशनों की विस्तृत रिपोर्टें, ब्यूरो की वेबसाइट www.teindia.nic.in उपलब्ध हैं। ईएफएके लिए अध्यापकों के

अंतर्राष्ट्रीय कार्य दल ने भारत को उसके सह-अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है। एमएचआरडी के प्रतिनिधि ने इस क्षमता में किनशासा में ईएफए के छठे अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक सम्मेलन में भाग लिया। ईएफए (सर्व शिक्षा) की 2014-15 की अद्यतन रिपोर्ट ब्यूरो की वेबसाइट: www.teindia.nic.in उपलब्ध है।

मदरसों में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम)

एसपीक्यूईएम द्वारा मुस्लिम बच्चों को औपचारिक शिक्षा विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए मदरसों में गुणात्मक सुधार करने की अपेक्षा की गई है। वर्ष 2013-14 में 18,273 लाख रु. की राशि खर्च की गई थी और 2014-15 में 5554.31 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। एसपीक्यूईएम योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- अध्यापकों को मानदेय के भुगतान में वृद्धि करके विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक अध्ययन आदि जैसे औपचारिक पाठ्यचर्या विषयों के शिक्षण हेतु मदरसों की क्षमता का सुदृढ़ीकरण।
- नई शिक्षा पद्धतियों में प्रत्येक दो वर्ष में इन शिक्षकों को प्रशिक्षण।
- माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के मदरसों में वार्षिक रखरखाव लागतों के साथ विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपलब्ध कराना।
- प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों में विज्ञान/गणित किटों का प्रावधान।
- सभी स्तर के मदरसों में पुस्तकालय/पुस्तक बैंकों का सुदृढ़ीकरण और शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना।
- इस संशोधित योजना का एक विशिष्ट लक्षण यह है कि यह मदरसों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्यायन केंद्रों के रूप में राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्थान (एनआईओएस) के साथ लिंकेज को प्रोत्साहित करेगी, जो ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को 5, 8, 10 और 12 के प्रमाण पत्र प्राप्त करने का पात्र बनाएगी। ये उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के गुणवत्ता मानक भी सुनिश्चित करेगी। एनआईओएस की पंजीकरण और परीक्षा फीस के तथा उपयोग की जाने वाली शिक्षण शिक्षा सामग्रियों को इस योजना में कवर किया जाएगा।

- vii) इस योजना के तहत मदरसों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए एनआईओएस के साथ सम्पर्कों को बढ़ाया जाएगा।
- viii) योजना की निगरानी और प्रसिद्धिकरण हेतु इसमें राज्य मदरसा बोर्डों को निधियां प्रदान की जाएंगी। भारत सरकार स्वयं आवधिक मूल्यांकन करेगी, जिनमें से प्रथम दो वर्ष के भीतर होगा।

इन जिलों में मुस्लिमों के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति, विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभाव का पता लगाने के लिए भारत सरकार ने सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करने हेतु जामिया मिलिया इस्लामिया को एक शोध अध्ययन करने का जिम्मा सौंपा है।

- i) विभिन्न हितधारकों के बीच इस संबंध में एकमतता है कि यह प्रोजेक्ट मुस्लिमों की शैक्षिक उन्नति में लाभकारी है तथा किताबों और शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) के लिए निधियों के प्रत्यक्ष उपयोग और इसके बारे में माता-पिता और छात्रों की राय में भी एकमतता देखी जा सकती है।
- ii) मदरसों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों के माता-पिता सोसायटी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित थे।
- iii) मुस्लिम माता-पिताओं द्वारा अपनी बेटियों को सह-शिक्षण संस्थाओं में भेजने में संकोच करने संबंधी आम धारणा के बावजूद-मूल्यांकन टीम को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि सभी नमूना राज्यों में माता-पिता ने बेटियों को सह-शिक्षण मदरसों में भेजने के बारे में कोई संदेह व्यक्त नहीं किया।
- iv) योजना के अंतर्गत एक बार शामिल किए जाने के पश्चात् मदरसों को अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद उसके अनुदान प्राप्त करने शुरू कर देने चाहिए। योजना के अंतर्गत कवरेज न्यूनतम पांच वर्षों की अवधि के लिए होनी चाहिए जिसके बाद मदरसों को योजना के अंतर्गत कवरेज के लिए पुनः आवेदन करने की आवश्यकता होगी।
- v) एसपीक्यूईएम शिक्षकों के लिए 'अर्जित' वार्षिक वेतन-वृद्धि की प्रणाली शुरू करने के साथ मौजूदा वेतन को लगभग दोगुना करने हेतु शिक्षकों का वेतन उचित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए और योजना के अंतर्गत अन्य अनुदानों को भी बढ़ाया जाना चाहिए;
- vi) वेतन और अन्य अनुदानों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना;

- vii) वार्षिक नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना;
- viii) योजना के प्रचार के लिए प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा करना;
- ix) एसपीक्यूईएम योजना के लिए एक विशेष वेबसाइट तैयार करना जिसे मदरसा एक्सेस कर सकें और जिससे वे अपनी अद्यतन स्थिति के बारे में अधिकारियों और मिडिलमैन से जानने के बजाय स्वयं जानकारी प्राप्त कर सकें।
- x) मदरसों द्वारा की जा रही प्रगति के बारे में वार्षिक मॉनिटरिंग/मूल्यांकन का एक प्रभावी तंत्र विकसित करना और इसके लिए अतिरिक्त बजट आवंटित करना;
- xi) अध्ययन संरचना के मामले में प्रत्येक मदरसा अपने स्वयं के पैटर्न का अनुसरण करता है। न तो उनमें पढ़ाए जा रहे विषयों में कोई एकरूपता होती है न ही अनुशंसित पुस्तकों अथवा महत्व में ही।
- xii) शिक्षकों के प्रशिक्षण को माता-पिताओं ने वेलकम स्टैप के रूप में माना है। अनेक शिक्षकों ने अनुरोध किया है कि कम्प्यूटरों का प्रयोग करने संबंधी विशेष कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसरचरणात्मक विकास योजना (आईडीएमआई)

अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए निजी सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों/संस्थानों में संरचना के विकास के लिए अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसरचरणात्मक विकास योजना (आईडीएमआई) को प्रचालित किया गया है। वर्ष 2013-14 में 229 संस्थाओं को कवर करते हुए 2498.99 लाख रुपए जारी किए गए थे। वर्ष 2014-15 से अब तक 68 संस्थाओं को कवर करते हुए 895.19 लाख रुपए जारी किए गए हैं। आईडीएमआई योजना की मुख्य विशेषताएं हैं:-

- i) अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से यह योजना अल्पसंख्यक संस्थानों में स्कूल संरचना के विकास और सुदृढ़िकरण द्वारा अल्पसंख्यकों की शिक्षा को सुकर बनाएगी।
- ii) इस योजना में संपूर्ण देश को कवर किया जाएगा परंतु 20 प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले जिलों, ब्लॉकों तथा कस्बों में स्थित अल्पसंख्यक संस्थानों (निजी/गैर सहायता प्राप्त) को प्राथमिकता दी जाएगी।
- iii) यह योजना अन्य बातों के साथ-साथ अल्पसंख्यकवर्गों की बालिकाओं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा शिक्षा से वंचितों को शिक्षा सुविधाओं से प्रोत्साहित करेगी।

- iv) इस योजना में शिक्षा संरचना तथा वास्तविक सुविधाओं के लिए मौजूदा स्कूलों जिनमें: 1. अतिरिक्त शिक्षण कक्ष, 2. विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोग कक्ष, 3. पुस्तकालय, 4. प्रसाधन 5. पेयजल सुविधाएं, और 6. बच्चों के लिए विशेष तौर पर बालिकाओं के लिए छात्रावास भवन शामिल हैं, के सुदृढ़ीकरण के लिए निजी सहायता/गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं को संरचना विकास हेतु 75 प्रतिशत की सीमा तक और अधिकतम 50 लाख प्रति संस्थान की शर्त पर निधि प्रदान की जाएगी।

आईडीएमआई योजना का मूल्यांकन वर्ष 2013-14 में के. आर. नारायणन सेन्टर फॉर दलित एंड माइनोरिटीज़ स्टडीज़ ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली द्वारा किया गया। मूल्यांकन में देखा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों पर योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि योजना के अंतर्गत उनकी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। मुख्य जांच-परिणाम निम्नलिखित हैं—

- केंद्र-प्रायोजित योजना-आईडीएमआई का अल्पसंख्यकों की शिक्षा के सामाजिक विकास के रूप में बेहद स्वागत किया गया है। इस योजना से लाभान्वित हो रहे लगभग 90: छात्र अल्पसंख्यक समुदायों के हैं। इस योजना के परिणामस्वरूप कई अल्पसंख्यक संस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं का स्तरोन्नयन हुआ है।
- यह योजना बच्चों, विशेष तौर पर अपेक्षाकृत साधारण सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालने का भरोसा दिलाती है और उन्हें उन्नत अवसररचना के साथ कहीं अधिक सुविधापूर्ण माहौल में पढ़ाई करने में मदद करती है।
- समुदाय के सदस्य और अभिभावक भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, इस तथ्य से हतोत्साहित होने के बजाय कि उचित सुविधाओं से युक्त स्कूल केवल अभिजात वर्ग के लिए है, अपने बच्चों को समुचित भवन वाले स्कूल में भेजने के इच्छुक हैं।
- बुनियादी सुविधाओं जैसे लड़कियों के लिए शौचालय सुविधाएं, के विकास से सुनिश्चित किया गया है कि बालिकाएं नियमित रूप से स्कूल जा रही हैं। छात्रावासों का निर्माण भी दूरस्थ क्षेत्र के अल्पसंख्यकों में शिक्षा के लिए प्रोत्साहन के रूप में सिद्ध हुआ है। एक स्थान पर समुचित भवन और बुनियादी सुविधाएं समुदाय को भरोसा दिलाती हैं कि स्कूल चालू रहेगा, इस प्रकार विशेष तौर पर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा होती है।

- v) योजना को उन वंचित समुदायों के लिए अनिवार्य रूप से हैंड-होलिंग उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए मांग कर रहे हैं। अतः निधियां प्रदान करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए।
- vi) आवेदन की तिथि से स्कूलों को निधियां जारी करने तक की आवेदन प्रक्रिया संस्थागत और समयबद्ध होनी चाहिए ताकि पूरी प्रक्रिया को निर्विघ्न, पारदर्शी बनाया जा सके और निधियों के संवितरण में देरी से बचा जा सके।

महिला समाख्या (एमएस) कार्यक्रम

- संक्षिप्त उद्देश्य:** महिला समाख्या (एमएस) महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक सतत कार्यक्रम है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वंचित समूहों की महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को एक ठोस कार्यक्रम के रूप में बदलने के लिए 1989 में शुरू किया गया था। एमएस का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें शिक्षा महिलाओं की समानता के उद्देश्य को पूरा कर सके और जहां महिलाएं ज्ञान और सूचना प्राप्त कर सकें तथा इस प्रकार उन्हें अपने विकास और समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए सशक्त करना है।
 - कवरेज:** वर्तमान में यह कार्यक्रम 11 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना के 130 जिलों में चलाया जा रहा है।
 - लक्ष्य/उपलब्धियां:** नए क्षेत्रों में एमएस कार्यक्रम का विस्तार करना और पुराने जिलों से समेकन; आरटीई के कार्यान्वयन में संघों और महासंघों की सक्रिय भूमिका के लिए उनका सुदृढ़ीकरण; मुख्यधारा में आने वाले शैक्षिक संसाधनों और अन्य हकों तक बच्चियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उनके मोबिलाइजेशन पर और अधिक फोकस करना; और वैकल्पिक न्याय तंत्र तक महिलाओं को और अधिक पहुंच उपलब्ध कराने हेतु नारी अदालतें स्थापित करना एमएस कार्यक्रम के वर्ष 2014-15 के लक्ष्य हैं।
- इन लक्ष्यों में से, महिला समाख्या कार्यक्रम वर्ष 2014-15 में 17 ईबीबी में 2048 गांवों, 4 नए जिलों में प्रसारित होने में सफल हुआ है। इसमें 49050 महिला सदस्यों वाले 2904 नए महिला संघों का गठन शामिल है। अवधि के दौरान ब्लॉक स्तर पर 35 नए महासंघों को रजिस्टर किया गया और पुराने 277 महासंघों में से 59 ने स्वायत्ता हासिल कर ली।

एमएस कार्यक्रम स्कूल अवसंरचना, अध्यापक-छात्र उपस्थिति और स्कूल के काम-काज की निगरानी के लिए एसएमसी सदस्यों को प्रशिक्षण देकर आरटीई के समग्र क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संघों से कुल 2990 नए सदस्यों को इस अवधि के दौरान एसएमसी में नामित किया गया, तत्पश्चात् यह संख्या बढ़कर 30377 हो गई। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के तहत खोले गए महिला शिक्षण केंद्रों से पास होने के बाद 1215 लड़कियां औपचारिक स्कूलों में नामांकित हुईं।

iv) कार्यक्रम के समग्र परिणाम: वर्तमान में एमएस कार्यक्रम 11 राज्यों में 130 जिलों के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े 679 ब्लॉकों में 44446 गांवों में क्रियान्वित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम महिला संघ नामक 55402 समूहों में संगठित करीब 14.5 मिलियन महिलाओं तक सेवा पहुंचाता है। इन महिला संघों को महिलाओं को बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु 325 ब्लॉक स्तरीय महासंघों में सम्मिलित किया गया है और ये संघ आम चिंता के विषयों संबंधी मामलों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों और हकों तथा जेन्डर जस्टिस पर सामूहिक कार्रवाई करते हैं। चुनावी प्रक्रियाओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा अभिशासन में जवाबदेही की मांग करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी मोबिलाइजेशन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण परिणाम रहा है। वर्तमान में, संघों की लगभग 15000 महिलाओं को पंचायतों में निर्वाचित किया गया है और संघों की 30,000 से अधिक महिलाओं को स्कूल प्रबंध समितियों में नियुक्त किया गया है जो लड़कियों की शिक्षा और ग्राम स्तरीय विकास में सक्रिय भूमिका अदा कर रही है। राष्ट्रीय परियोजना कार्यालय (एनपीओ) ने चालू वित्त वर्ष में एसपीडी का एक सम्मेलन और राष्ट्रीय संसाधन समूह (एनआरजी) की एक बैठक आयोजित की है।

महिला समारख्या कार्यक्रम का एक राष्ट्रीय स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए रवि जे. मथई सेन्टर फॉर एजुकेशनल इनोवेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद को नियुक्त किया गया था। यह अध्ययन सितम्बर और अक्टूबर, 2014 में आयोजित किया गया था। मुख्य जांच-परिणाम निम्नलिखित हैं:—

- एमएस ने अपवंचित वर्गों की महिलाओं को सफलतापूर्वक मोबिलाइज़ कर दिया है। अ.जा. और अ.ज.जा. जैसे अपवंचित वर्गों से संघ की लगभग 90% सदस्यता वापस ले ली गई है।
- 96% संघों में ऐसे सदस्य हैं जो जीएस की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं।

- 81% पुराने संघों तथा 58% नए संघों ने सरकारी सेवाओं तक पहुंच एवं प्राधिकरणों/पंचायतों से लाभ प्राप्त करने हेतु ठोस कार्रवाई की है।
- 55% से अधिक संघ सदस्यों ने चुनावों में भाग लिया तथा 27% पीआरआई की विभिन्न समितियों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनमें 12905 संघ सदस्य भी शामिल हैं जिन्होंने सरपंच तथा वार्ड सदस्य के पद हासिल किए हैं।
- कुल फेडरेशन (325) का 48% स्वायत्त रूप से कार्य कर रहा है तथा मार्च 2015 तक लगभग 60% स्वायत्त बन जाएंगे। इससे यह इंगित होता है कि एमएस ने संघ फेडरेशन के स्वायत्त बनने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।
- सभी फेडरेशन बालिकाओं की शिक्षा के कार्य में संलग्न हैं, तथा वे संघ के प्रतिनिधियों को बालिकाओं की शिक्षा तथा उसके प्रति जागरूकता का विस्तार करने का प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। फेडरेशन सामाजिक तथा विकासात्मक मामलों से निपटने के लिए सक्षम हैं।
- सूचना, ज्ञान तथा प्रशिक्षण तक पहुंच के परिणामस्वरूप महिलाओं के आत्म-विश्वास तथा सक्रियात्मकता में वृद्धि स्पष्ट परिलक्षित होती है।
- बालिकाओं की शिक्षा का मुद्दा संघ के कार्यों में प्रमुख स्थान रखता है। संघ की महिलाओं के परिवारों की अधिकांश लड़कियां, भले ही वे किसी भी जाति अथवा समाज की क्यों न हों अब ग्रामीण स्कूलों में अपना नाम दर्ज करवा रही हैं अथवा उन्हें अपनी बुनियादी शिक्षा पूरी करने हेतु बाहर भेजा गया है।
- एमएस कार्यक्रम का शैक्षणिक प्रभाव बहुत अधिक है तथा वह लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में वर्तमान पीढ़ी में आए बदलाव का स्पष्ट प्रमाण है। 77% ऐसे सदस्यों ने जिन्होंने किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है अपने परिवारों की 6—16 वर्ष के आयुवर्ग की सभी लड़कियों को स्कूलों में भर्ती करवा दिया है। 30,377 संघ सदस्य स्कूल की प्रबंध समिति में शामिल हैं।
- वे प्रमुख क्षेत्र जिनमें संघों ने सरकार की शिक्षा पद्धति से सम्पर्क स्थापित करने के प्रयास किए हैं उनमें— छात्रवृत्तियां, पौष्टिक-खाद्यान्न, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, वर्दी तथा स्कूल संबंधी अन्य सामग्री, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन, शौचालय तथा पानी की टंकियों का निर्माण, स्कूल में कक्षाओं की वृद्धि करना तथा शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना आदि शामिल है।
- 60% ऐसे गांव जहां एमएस मौजूद हैं उनमें स्कूल की प्रबंध समिति में संघ का कम से कम एक सदस्य

शामिल है, जो स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति तथा बच्चों की शिक्षा के प्रति स्कूल के दायित्व एवं समग्र कार्यकरण के लिए उत्तरदायी है।

- नारी अदालतें (एनए) पर्याप्त रूप से सार्थक हैं और सीमान्त महिलाओं को सामाजिक न्याय का वैकल्पिक मंच उपलब्ध कराने, महिलाओं के प्रति संचेतना जागृत करने, उन्हें लागत प्रभावी तथा समय-प्रभावी न्याय दिलाने में सकारात्मक भूमिका निभाती हैं।
- राज्य के सभी जिलों में स्थित नारी अदालतों का उत्थान करने संबंधी सरकार का निर्णय निर्धन महिलाओं के लिए वैकल्पिक न्याय तंत्र के रूप में नारी अदालतों की सफलता का समर्थन करता है।

मूल्यांकन की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:—

- सामाजिक अन्याय से निपटने की क्षमता मुख्यतया काफी मजबूत है और इसको आधार बनाकर भावी कार्यनीतियां तैयार की जा सकती हैं, लेकिन साथ ही आर्थिक सशक्तिकरण के लिए औपचारिक संस्थागत ढांचे और नेटवर्क का प्रबंध करने की अक्षमता से संबंधित कमजोरियां भी हैं।
- तीन क्षेत्रों पर केंद्रित संसाधन ग्रुपों की स्थापना करना:— संस्था निर्माण (विशेष रूप से फेडरेशनों पर केंद्रित) ठेकेदारी तथा महिलाओं के प्रति जागरूकता, शिक्षा और स्वास्थ्य।
- फेडरेशनों के समर्थन में प्रौद्योगिकी के उपयोग में बहुत सुधार किया जाना चाहिए। एमएस के लिए एक मंच संबंधी सुझाव देने के लिए एक आईटी डिजाइनर की सेवाएं उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है जो बहु-भाषी हो तथा उसे सम्पूर्ण देश में साझा किया जा सके।
- राष्ट्रीय संसाधन ग्रुप में 20 तक नामित सदस्य हो सकते हैं, तथा एनआरजीके प्रत्येक सदस्य को एक वर्ष में 4-5 दिन अथवा 2 वर्ष की कार्यकाल अवधि के दौरान लगभग 8-10 दिन तक 11 राज्यों में एमएस कार्यक्रमों में भाग लेना अपेक्षित है।

नारी अदालत

नारी अदालत महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय दिलाने वाली एक वैकल्पिक व्यवस्था/पद्धति है। जो संघ-महासंघ अवसंरचना के माध्यम से अनौपचारिक, मैत्रीपूर्ण और गैर-विरोधात्मक सामाजिक नेटवर्क के रूप में कार्य कर रहा है ताकि निर्धन महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार विशेष रूप से हिंसा के प्रति सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। सामाजिक न्याय

के क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव अथवा उनकी उपेक्षा। वर्ष 2007 में गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने एक नारी अदालत देखी तथा वे उसके कार्य से प्रभावित हुए। उन्होंने इस डै पहल को अन्य जिलों में भी प्रसारित करने का प्रयास किया। इसके अनुसरण में महिला आयोग (गुजरात महिला आयोग) से भी सहायता प्राप्त हुई। वर्तमान (2014) में राज्य में दो प्रकार की नारी अदालतें हैं— डै नारी अदालतें तथा “नई नारी अदालतें” जिनकी अपनी अवसंरचना है।

गुजरात में कुछ वर्ष पूर्व किए गए एक अदिनांकित विश्लेषण में कतिपय जिलों से यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि नारी अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों में घरेलू हिंसा, पत्नी के साथ मार-पीट, यौन-हिंसा तथा परेशान करने के अन्य तरीकों से संबंधित मामलों की संख्या लगभग 54% तलाक संबंधी मामले 16%, देहज संबंधी, 12% पारिवारिक सम्पत्ति विवाद के 18% तथा बाल अभिरक्षा हेतु मामलों की संख्या 1% से भी कम थी। स्वीकृत सभी मामले महिला केन्द्रित थे तथा उनकी शिकायतकर्ता भी महिला ही होनी चाहिए। अब रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि इन अदालतों ने अब बहुत से ऐसे मामले भी हाथ में लेने शुरू कर दिए हैं जो संघ के गैर-सदस्यों से प्राप्त होते हैं।

राष्ट्रीय बाल भवन

राष्ट्रीय बाल भवन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। एक आंदोलन के रूप में बाल भवन का प्रचार सम्पूर्ण देशभर में किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल भवन से सम्बद्ध देश भर में 175 बाल भवन और बाल केन्द्र हैं। इनके अतिरिक्त दिल्ली में स्कूलों के एक भाग के रूप में 50 बाल भवन केन्द्र तथा मंडी जिले के ग्रामीण क्षेत्र एक बाल भवन कार्यरत है। ये संस्थान बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं ताकि उन्हें ऐसे कार्यक्रमों एवं अनुभव उपलब्ध कराए जा सकें जो उन्हें अन्यथा प्राप्त नहीं होते। विदेश मंत्रालय के अंतर्गत मॉरीशस में राष्ट्रीय बाल भवन की तर्ज पर एक बाल सृजनात्मकता केन्द्र— प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र भी कार्यरत है।

प्रत्येक वर्ष बच्चे राष्ट्रीय बाल भवन, जवाहर बाल भवन, मंडी और दिल्ली के 50 बाल भवनों में वार्षिक सदस्यता लेते हैं। इस वर्ष 5319 बच्चों (जिनमें 440 निःशुल्क सदस्यता भी शामिल हैं, 3250 लड़कों तथा 2069 लड़कियों) ने राष्ट्रीय बाल भवन में सदस्यता प्राप्त की। 383 (296 लड़कों तथा 87 लड़कियों) ने जेबीबी, मंडी और 13076 (6537 लड़कों तथा 6539 लड़कियों) ने दिल्ली स्थित 50 बाल केन्द्रों में सदस्यता ली। व्यक्तिगत सदस्यों

के अलावा सभी सरकारी स्कूलों को निःशुल्क संस्थागत सदस्यता दी जाती है। 21 पब्लिक स्कूलों तथा दिल्ली में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के संस्थानों ने राष्ट्रीय बाल भवन में संस्थागत सदस्यता प्राप्त की है।

कार्यक्रम

राष्ट्रीय बाल भवन, स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन कार्यक्रमों में हजारों बच्चे भाग लेते हैं। पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न प्रसंगों और विषयों पर कई विशेष कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा वर्ष 2014 के दौरान आयोजित कुछ विशेष कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

ग्रीष्म उत्सव

इस वर्ष ग्रीष्म उत्सव का आयोजन दिनांक 15 मई से 20 जून, 2014 तक किया गया जिसमें 5216 नामांकित सदस्यों ने विज्ञान संबंधी कार्यकलाप, सृजनात्मक कला, छायांकन/ फोटोग्राफी समेकित कार्यकलाप, निष्पादन कलाएं, शारीरिक कार्यकलाप, गृह प्रबन्धन, संग्रहालय तकनीक, कम्प्यूटर कार्यशाला इत्यादि में भाग लिया। 50 बाल केन्द्रों में 9124 नामांकित बच्चों ने बाल भवन केन्द्रों के कार्यकलापों में भाग लिया और 308 सदस्यों ने जवाहर बाल भवन मंडी के कार्यकलापों में भाग लिया। राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा 16 वर्ष तक की आयु की लड़कियों तथा 13 वर्ष तक की आयु के लड़कों को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। सभी बच्चों को प्रतिदिन राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा निःशुल्क जलपान भी कराया गया। इस ग्रीष्म काल के दौरान सदस्य बच्चों के लिए आयोजित कठपुलती, स्केटिंग, जादू कार्यशाला तथा वीडियोग्राफी संबंधी कार्यशाला आकर्षण के विशेष केन्द्र थे। विज्ञान कार्यकलाप के सदस्यों के लिए एयरोप्लान्ट का दौरा आयोजित किया गया तथा अन्य सदस्य बच्चों के लिए दिल्ली के आस-पास ऐतिहासिक स्थल एवं दिल्ली दर्शन का दौरा आयोजित किया गया।



श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री 29 जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान समारोह में।

बाल श्री पुरस्कार

राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा वर्ष 1995 में बाल श्री पुरस्कार स्कीम शुरू की गई थी ताकि सृजनात्मक कला, निष्पादन, लेखन तथा वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्रों में देश के असाधारण प्रतिभावान बच्चों की पहचान की जा सके। स्थानीय एवं क्षेत्रीय चयन शिविरों के पश्चात् राष्ट्रीय बाल श्री शिविर 2013 का 26 से 30 अगस्त, 2014 के दौरान आयोजन किया गया जिसमें 171 बच्चों ने भाग लिया। दिल्ली राज्य स्थानीय स्तर के बाल श्री शिविर का आयोजन 7 तथा 8 अक्तूबर, 2014 को किया गया था।

राष्ट्रीय बाल सभा तथा समेकन शिविर 2014



श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री 14 नवम्बर, 2014 को नई दिल्ली में बाल स्वच्छता मिशन, राष्ट्रीय बाल सभा के उद्घाटन और पंडित नेहरू के 125वें जन्मोत्सव के शुभारंभ पर।

राष्ट्रीय बाल भवन में बाल दिवस का आयोजन किया गया, इस अवसर पर श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, मानव संसाधन विकास केन्द्रीय मंत्री जी ने देश के विभिन्न भागों के साथ-साथ दिल्ली से आए हजारों बच्चों तथा अनुदेशकों की उपस्थिति में बाल स्वच्छता मिशन की शुरुआत की। राष्ट्रीय बाल भवन ने 14 से 20 नवम्बर, 2014 को राष्ट्रीय बाल सभा तथा समेकन शिविर 2014, का आयोजन किया जिसमें देश भर के विभिन्न भागों में स्थित मान्यता प्राप्त बाल भवनों तथा बाल भवन केन्द्रों के 299 बच्चों एवं 112 अनुरक्षकों एवं दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन और बाल भवन केन्द्रों के सदस्य बच्चों ने भाग लिया। शिविर दल में 7 विकलांग बच्चे भी शामिल थे। जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :-

1(एक) जम्मू बाल भवन (दृष्टिहीन), 1 (एक) शान्ति निकेतन बाल भवन जम्मू (दृष्टिहीन), 4(चार) आशा लता बाल भवन (बधिर) तथा 1(एक) सिलवासा बाल भवन(दृष्टिहीन)। इस वर्ष की सभा की एक अन्य विशेषता

पंडित जवाहर लाल नेहरू की 125वीं जयंती मनाना था। इस वर्ष का एक अन्य आकर्षण बाल संसद था। प्रारम्भ एवं समापन समारोह के लिए बच्चों ने स्वच्छता के मुख्य विषय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। शिविर के दौरान

बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया तथा उन्होंने SPIC MACAY तथा ICCR पैनल में शामिल नामचीन कलाकारों की गरिमा से परिचित कराया गया।



केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी दिनांक 4 सितंबर, 2014 को नई दिल्ली में अध्यापकों को सीबीएसई पुरस्कार, 2013 तथा परामर्शदाताओं को सीबीएसई पुरस्कार, 2013 प्रस्तुत करने के दौरान दीप प्रज्वलन करते हुए। सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्री आर भट्टाचार्य भी उपस्थित हैं।

* * * * *



अध्याय 04

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)

इस योजना को मार्च, 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि करने तथा गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से आरंभ किया गया था। अन्य बातों के साथ-साथ किसी बस्ती से तर्कसंगत दूरी के अंदर माध्यमिक स्कूल का प्रावधान करके माध्यमिक अवस्था तक नामांकन बढ़ाने, 2017 तक 100 प्रतिशत जीईआर सुनिश्चित करने तथा 2020 तक सार्वभौमिक पढ़ाई जारी रखने के उद्देश्य से इस योजना की परिकल्पना की गई है। अन्य उद्देश्यों में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि करने में सभी माध्यमिक स्कूलों को समर्थ बनाते हुए माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, लैंगिक, सामाजिक—आर्थिक एवं विकलांगता संबंधी बाधाओं को दूर करना शामिल है।

- स्कूलों में प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण भौतिक सुविधाओं में शामिल हैं : 1. अतिरिक्त शिक्षण कक्षा, 2. प्रयोगशालाएं, 3. पुस्तकालय, 4. कला एवं दस्तकारी कक्षा, 5. शौचालय ब्लॉक, 6. पेयजल का प्रावधान, 7. बिजली/टेलीफोन/इंटरनेट की संयोजकता, और 8. विकलांग सहयोगी वातावरण।
- गुणवत्ता में सुधार निम्नलिखित के माध्यम से होगा : 1. पीटीआर में सुधार करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, 2. शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण 3. आईसीटी समर्थित शिक्षा 4. पाठ्यचर्या सुधार, और 5. अध्ययन—अध्यापन सुधार।
- समता के मुद्दों पर निम्नलिखित के माध्यम से ध्यान दिया जाएगा : 1. सूक्ष्म आयोजना पर विशेष बल, 2. स्कूल खोलने के लिए अजा/अजजा/अल्पसंख्यक की बहुलता वाले क्षेत्रों को वरीयता, 3. कमजोर वर्ग के लिए विशेष नामांकन अभियान, 4. स्कूलों में अधिक महिला शिक्षक और 5. लड़कियों के लिए अलग शौचालय ब्लॉक।

निधियों का पैटर्न तथा निधियां जारी करना: सामान्य राज्यों के संबंध में आरएमएसए के अंतर्गत निधियन की पद्धति 75:25 है और पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में यह 90:10 है। इस योजना का कार्यान्वयन योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा गठित एक सोसायटी द्वारा किया जा रहा है।

आरएमएसए को बाह्य निधियन एजेंसियों से कार्यक्रम सहायता :

- विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) और यूरोपीय संघ ने आरएमएसए कार्यक्रम के लिए अपनी सहायता देने की पेशकश की है। इन विकास भागीदारों के सहयोग से 2012—16 के दौरान

आरएमएसए के कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस क्रियान्वयन अवधि के दौरान डीएफआईडी ने 80 मिलियन पाउंड की वित्तीय सहायता प्रदान की है। 80 मिलियन पाउंड में से 20 मिलियन पाउंड आरएमएसए के क्षमता निर्माण हेतु तकनीकी सहयोग के लिए निर्धारित किए गए हैं।

- बाह्य निधियन, एजेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्रदान करने के अलावा इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करेगा।

योजनाओं का विलयन: निधियों के पर्याप्त उपयोग और अधिक सहयोग को सुनिश्चित करने हेतु माध्यमिक शिक्षा की अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात् आईसीटी/स्कूल, माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों हेतु समेकित शिक्षा (आईईडीएसएस), व्यावसायिक शिक्षा (वीई) और बालिका छात्रावास (जीएच) को वर्तमान आरएमएसए योजना में मिला दिया गया है।

कार्यान्वयन की प्रगति (2014—15): समेकित आरएमएसए स्कीम के लिए कुल 5000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। 5000 करोड़ रुपए की इस राशि में से 24.10.2014 तक 1702.61 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

आरएमएसए के तहत गुणवत्ता संवर्धन: आरएमएसए ने माध्यमिक स्तर पर अध्यापन की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए एनसीईआरटी, न्यूपा, यूकेईआरआई आदि के सहयोग से अनेक कदम उठाए हैं। इनमें स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, कक्षा—X स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, स्कूल मानकों तथा निष्पादन मूल्यांकन के लिए फ्रेमवर्क का विकास, मुक्त शिक्षा संसाधनों का राष्ट्रीय संग्रह आदि शामिल हैं।



माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

सरकार द्वारा “उच्चतर माध्यमिक शिक्षा” के व्यावसायीकरण की स्कीम सितम्बर, 2011 में अनुमोदित की गई थी तथा अप्रैल, 2013 से इसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया था जिसे हाल ही में फरवरी, 2014 में संशोधित किया गया। संशोधन के मुख्य कारण थे— स्कीम का 12वीं योजनावधि के दौरान जारी रहना, एनवीईक्यूएफ, पर हरियाणा प्रायोगिक योजना से निकले निष्कर्षों को शामिल करना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के कार्यक्षेत्र में स्कीम को शामिल करना तथा स्कीम को राष्ट्रीय कौशल अर्हता अवसंरचना के अनुरूप बनाना। इस संशोधित स्कीम को अब “माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण” के नाम से जाना जाता है।

योजना का उद्देश्य: सक्षमता आधारित मॉड्यूलर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की नियोजनीयता में वृद्धि; बहु-प्रवेश बहु-निकास अधिगम अवसरों और गतिशीलता/अर्हताओं में परस्पर परिवर्तनशीलता के प्रावधानों के माध्यम से उनकी सक्षमता बनाए रखना; शिक्षित और रोजगार योग्य व्यक्तियों के बीच अंतर को भरना; और माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करना तथा शैक्षणिक उच्च शिक्षा पर दबाव को घटाना है।

यह संशोधित स्कीम न केवल पहली बार राष्ट्रीय पैमाने पर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा आरंभ करेगी अपितु व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शैक्षिक शिक्षण से भी जोड़ देगी। यह कौशल के आकलन, सुपुर्दगी तथा डिजाइन के लिए उद्योगों को शामिल करने के साथ-साथ सरकारी सहायता—प्राप्त तथा निजी स्कूलों को भी प्रोत्साहित करने में सक्षम होगी।

इस स्कीम के अन्तर्गत माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के सरकारी सहायता—प्राप्त तथा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा मांग आधारित राष्ट्रीय रोजगार मानकों के अनुरूप मॉड्यूलर व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे।

अद्यतन स्थिति के अनुसार इस स्कीम ने अब तक 24 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 2035 सरकारी स्कूलों को कवर कर लिया है जिनमें 9 क्षेत्रों अर्थात्— ओटोमोटिव, खुदरा, सुरक्षा, आईटी/आईटीएस स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, ट्रेवल और टूरिज्म, शारीरिक शिक्षा तथा स्पोर्ट्स और ब्यूटी तथा वेलनेस भी शामिल हैं।

इस योजना में किए गए कतिपय विशिष्ट सुधार जिन्हें हाल ही में किए गए संशोधन में अनुमोदित किया गया है निम्नलिखित हैं :-

- व्यावसायिक शिक्षा को कक्षा IX अर्थात् माध्यमिक स्तर से ही आरम्भ करना।

- स्कीम के सभी घटकों के अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्यों के बीच निधियां जारी करने का अनुपात 75:25 होगा। पूर्वोत्तर राज्यों जिनमें सिक्किम भी शामिल है में वित्त पोषण की पद्धति 90:10 होगी।
- अध्यापकों/कौशल ज्ञान देने वाले प्रशिक्षकों आदि की नियुक्ति सहित संसाधन व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए प्रति स्कूल प्रतिवर्ष की दर से 14.50 लाख रुपए के सहज कोष (फ्लैक्सिबल पूल) का प्रावधान किया गया है।
- आकलन, प्रमाणन तथा प्रशिक्षण के लिए उद्योगों/कौशल क्षेत्र परिषदों के साथ विनियोजन हेतु वित्तीय लागत का प्रावधान।
- पुस्तकों तथा ई-लर्निंग सामग्री की खरीद हेतु फंड की वृद्धि करना।
- व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत नवाचार कार्यक्रमों के लिए वित्तीय प्रावधान (कुल बजटीय परिव्यय का 1%)
- प्रति कौशल स्तर पर प्रत्येक व्यवसाय के लिए पाठ्यचर्या और अधिगम सामग्री के विकास की लागत को अधिकतम 2.00 लाख रुपए करना।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अवसंरचना को राष्ट्रीय कौशल शिक्षा अवसंरचना के साथ सम्मिलित करना

राष्ट्रीय कौशल शिक्षा अवसंरचना के दिनांक 2 सितम्बर, 2014 के कार्यकारी आदेश के अनुसार उक्त अवसंरचना के एक बार देश में अधिसूचित कर दिए जाने के पश्चात् राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता अवसंरचना को उपर्युक्त अवसंरचना में सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए। इसलिए राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता अवसंरचना को राष्ट्रीय कौशल अर्हता अवसंरचना में सम्मिलित कर दिया गया और देश में तत्संबंधी अधिसूचना 27 दिसम्बर, 2013 को जारी कर दी गई थी। राष्ट्रीय कौशल अर्हता अवसंरचना में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता अवसंरचना की मूल भावना एवं घटक विद्यमान हैं।

व्यावसायिक शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यशाला

स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देशों संबंधी कार्यशाला जुलाई, 2014 को भोपाल में आयोजित की गई थी।

क्रेडिट अवसंरचना पर दस्तावेज

भारतीय शिक्षा तथा व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पद्धति में प्रगति के अवसर तलाशने तथा व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रचार-प्रसार करने तथा देश भर के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के प्रशिक्षुओं को संगठित/एकत्रित करने के उद्देश्य से, भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 11 नवम्बर, 2014 को राष्ट्रीय कौशल अर्हता अवसंरचना के

अन्तर्गत क्षमता आधारित कौशल तथा व्यावसायिक शिक्षा के लिए युवाओं के व्यावसायिक हित के लिए कौशल आकलन मैट्रिक्स क्रेडिट अवसंरचना पर दस्तावेजों। डट। ल नामक अवसंरचना शुरू की गई। क्रेडिट अवसंरचना, एनएसक्यूएफ तथा एनओएस का उपयोग करते हुए कौशल तथा शिक्षा के स्तर का पता लगाने हेतु समेकित अधिगम प्रणाली के एक भाग के रूप में कार्य करती है। इसे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा उपयुक्त रूप से अपनाया जा सकता है।

क्षेत्रीय कौशल परिषद् (शिक्षा)

शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम क्षेत्रीय कौशल परिषद् (एसएससी) की स्थापना मंत्रालय द्वारा की गई थी। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में 17 दिसम्बर, 2014 को कौशल विकास के विषय पर आयोजित बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय कौशल परिषदों की स्थापना के संबंध में लिए गए निर्णय के अनुसरण में क्षेत्रीय शिक्षा परिषद् (शिक्षा) को मंत्रालय द्वारा 13 अक्टूबर, 2014 को अधिसूचित किया गया। एसएससी (शिक्षा) के कार्यक्षेत्र में विश्व-विद्यालयों तथा कालेजों और स्कूल शिक्षा में अध्यापक अर्हता संबंधी शैक्षणिक अर्हता के अलावा रोजगार के अवसर शामिल हैं। क्षेत्रीय कौशल परिषद् (शिक्षा) के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं।

- प्रशिक्षण की आयोजना तथा अदायगी में सहायता प्रदान करने हेतु श्रमिक बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) स्थापित करना।
- कौशल विकास की आवश्यकताओं का पता लगाना तथा कौशल प्रकारों की सूची तैयार करना।
- एक क्षेत्रीय कौशल विकास योजना विकसित करना तथा कौशल तालिका का रख-रखाव।
- कौशल क्षमता मानक तथा अर्हताएं विकसित करना।

मॉडल स्कूल

ब्लॉक स्तर पर मॉडल स्कूल की स्थापना

- संक्षिप्त उद्देश्य:** योजना का उद्देश्य देश के 6000 ब्लॉकों में से प्रत्येक में कम-से-कम एक गुणवत्तापरक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की स्थापना है।
- कवरेज:** योजना में प्रत्येक ब्लॉक में एक स्कूल की दर से ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्टता के बंचमार्क के रूप में 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। योजना के कार्यान्वयन के दो प्रकार हैं यथा (1) 3500 मॉडल स्कूलों को राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के तहत शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में स्थापित किया जाना; और (2) शेष 2500 स्कूलों को ऐसे ब्लॉकों में जो शैक्षिक

रूप से पिछड़े नहीं हैं में सार्वजनिक— निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में स्थापित किया जाना।

iii) लक्ष्य/उपलब्धियां: मॉडल स्कूल स्कीम के राज्य क्षेत्रीय घटक के तहत अब तक कुल 1286 मॉडल स्कूल कार्यशील हो गए हैं। जहां तक मॉडल स्कूल स्कीम की पीपीपी घटक का संबंध है, मंत्रालय ने इस घटक की समीक्षा करने का निर्णय लिया है तथा इस विषय में की जाने वाली आगामी कार्रवाई समीक्षा के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

iv) स्कीम के कुल-निष्कर्ष (अक्टूबर, 2014 की स्थिति के अनुसार): आरम्भ किए जाने से अब तक योजना के राज्य सेक्टर घटक के अंतर्गत 23 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 2490 मॉडल स्कूल अनुमोदित किए गए हैं और 2329 मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु अब 3725 करोड़ रु. की राशि संस्वीकृत की गई है। दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार 13 राज्यों में 1286 मॉडल स्कूल कार्यशील हैं और इन कार्यात्मक स्कूलों के लिए आवर्ती अनुदान के रूप में 260.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। दिनांक 31.03. 2014 की स्थिति के अनुसार इन 1286 कार्यात्मक स्कूलों में लगभग 3.10 लाख बच्चे दाखिल हैं। यह संभावित है कि 2490 मॉडल स्कूलों के कार्यशील होने के पश्चात् जिन्हें अब तक राज्य सेक्टर घटक के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है, प्रति स्कूल 560 छात्रों की दर से 13.944 लाख छात्र लाभान्वित होंगे।



मॉडल स्कूल माथुरे झरोड जिला



माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों की समावेशी शिक्षा (आईडीएसएस)

पूर्व के निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना (आईडीसी) को प्रतिस्थापित करते हुए 2009-10 में माध्यमिक स्तर पर निःशक्त के लिए समावेशी शिक्षा की योजना (आईडीएसएस) आरंभ की गई थी। यह योजना कक्षा 9-12 में निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य सभी निःशक्त बच्चों को प्रारंभिक स्कूलिंग के 8 वर्ष पूरे करने के पश्चात एक समावेशी और समर्थनकारी वातावरण में 4 वर्ष की और माध्यमिक स्कूलिंग (9-12) करने के योग्य बनाना है।

इस योजना में प्रारंभिक स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाले सभी बच्चे तथा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जिनकी विकलांग व्यक्ति अधिनियम (1995) तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999) के अंतर्गत परिभाषित एक या उससे अधिक विकलांगता हो अर्थात् (1) दृष्टिहीनता, (2) अल्पविजन, (3) कुष्ठ रोगी, (4) बधिर, (5) लोकोमोटर विकलांग, (6) मंदबुद्धि, (7) मानसिक रोगी, (8) ऑटिज्म और (9) सेरेब्रल पालसी तथा मूक, अधिगम विकलांगता इत्यादि शामिल हैं।

इस स्कीम के घटकों में शामिल हैं (क) छात्रोन्मुखी घटक: (i) चिकित्सा/शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन, (ii) छात्र विशिष्ट सुविधाओं का प्रावधान, (iii) अधिगम सामग्री का विकास, (iv) स्क्रीनिंग, रीडिंग साफ्टवेयर की खरीद। (ख) अन्य घटक : (i) विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, (ii) विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित सामान्य शिक्षकों के लिए 400/- रु. प्रति माह का विशेष वेतन, (iii) संसाधन कक्षों का निर्माण और सुसज्जकीकरण, (iv) सामान्य स्कूल के अध्यापकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता का निर्माण करने हेतु प्रशिक्षण, (v) स्कूलों को अवरोध मुक्त बनाना। विकलांग बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है और योजना के अंतर्गत उन्हें माध्यमिक स्कूलों तक पहुंच प्रदान करने में सहायता प्रदान करने के लिए 200 रुपए प्रति माह के मासिक स्टैंडपेंड का प्रावधान है। केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रति वर्ष प्रति छात्र 3000/- रु. और राज्यों द्वारा प्रतिवर्ष प्रति निःशक्त छात्र हेतु 600/- रु. की छात्रवृत्ति का प्रावधान है।

योजना में शामिल प्रत्येक मद के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का स्कूल शिक्षा विभाग कार्यान्वयन एजेंसी है। वे योजना के कार्यान्वयन में निःशक्तों की शिक्षा

के क्षेत्र में अनुभव वाले एनजीओ को शामिल करते हैं। दो प्रमुख घटकों के लिए सहायता अनुमत हैं यथा :

- छात्र उन्मुखी घटक जैसे मेडिकल और शैक्षिक मूल्यांकन, पुस्तकें और स्टेशनरी, वर्दी, परिवहन भत्ता, रीडर भत्ता, बालिकाओं हेतु स्टैंडपेंड, सहायता सेवाएं, सहायक उपस्कर, रहने-खाने की सुविधा, थेरेपी सेवाएं अध्ययन अधिगम सामग्री आदि। केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रति वर्ष प्रति छात्र 3000/- रु. और राज्यों द्वारा प्रति वर्ष प्रति निःशक्त छात्र के लिए 600/- रु. की छात्रवृत्ति का प्रावधान है।
- अन्य घटकों में शामिल हैं— विशेष शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए सामान्य शिक्षकों के लिए भत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल प्रशासकों का अभिविन्यास, संसाधन कक्षों की स्थापना, बाधा-मुक्त वातावरण प्रदान करना आदि।

इस स्कीम को वर्ष 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर दिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें भी इस स्कीम को राष्ट्रीय माध्यमिक स्कीम में सम्मिलित करने की कार्रवाई कर रही हैं। केन्द्रीय स्तर पर राज्य सरकारों के प्रस्तावों का मूल्यांकन और मानीटरण परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। समेकित शिक्षा के क्षेत्र में कई विशेषज्ञ भी इसके सदस्य हैं। योजना के दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mhrd.gov.in पर उपलब्ध हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान विशेष आवश्यकताओं वाले (सीडब्ल्यूएसएन) कुल 211616 बच्चों को शामिल किया जाना है। समेकित आरएमएसए स्कीम का वर्ष 2014-15 के लिए बजटीय प्राक्कलन 5000 करोड़ रुपए का है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को (10-11-2014 तक) आईडीएसएस के अन्तर्गत आरएमएसए स्कीम के समेकित घटक प्रावधान के अन्तर्गत 143.34 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

शिक्षा विभाग के विशेष आवश्यकता दल (डीईजीएसएन), एनसीईआरटी ने वर्ष 2012 में स्कीम के कार्यान्वयन का एक मूल्यांकन अध्ययन किया ताकि माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों के नामांकन, विद्यालयों तक पहुंच पढ़ाई जारी रखने एवं उपलब्धियों पर स्कीम के प्रभाव का आकलन किया जा सके तथा इसका भी पता लगाया जा सके कि इस स्कीम के अन्तर्गत कवर होने वाले विद्यार्थियों को अपेक्षित संसाधन सहायता यथा—प्रशिक्षित (सामान्य एवं विशेष) अध्यापक, सहायक उपकरण, उपयुक्त शिक्षण सामग्री तथा अधिगम वातावरण आदि प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं। एनसीईआरटी ने मार्च, 2013 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। चयनित राज्यों तथा विशेषज्ञों जिनमें एनसीईआरटी भी शामिल है। विकलांगता विभाग,

भारतीय पुनर्वास परिषद् तथा स्कीम को कार्यान्वित करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के साथ कार्यशाला 4 जुलाई, 2014 को एनसीईआरटी में आयोजित कार्यशाला में परामर्श किया गया। राज्यों से उनकी जानकारी प्राप्त करने हेतु एनसीईआरटी की मूल्यांकन रिपोर्ट उनके साथ सांझा की गई। इन सूचनाओं के आधार पर आईडीडीएसएस स्कीम के अन्य घटकों की वित्तपोषण पद्धति में परिवर्तन के प्रस्ताव पर राज्यों के साथ चर्चा की गई। इस विषय पर अन्तिम चर्चा 26 अगस्त, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित शिक्षा सचिवों की बैठक में हुई। आरएमएसए की राष्ट्रीय परिषद् ने भी अपनी 18.9.2014 को आयोजित बैठक में प्रस्ताव भेजा है। तदनुसार आरएमएसए स्कीम के आईडीडीएसएस घटकों को ईएफसी के द्वारा संशोधित करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना

“राष्ट्रीय साधन-सह-योजना छात्रवृत्ति योजना” की केन्द्र प्रायोजित योजना मई, 2008 में आरंभ की गई थी, इसका उद्देश्य कक्षा 8 में पढ़ाई बीच में छोड़ देने की दर को रोकने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें कक्षा 12 तक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करना है। कक्षा 9 के स्तर पर चुने गए छात्रों को सरकारी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ने के लिए कक्षा 12 तक पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रति छात्र 6000 रुपए प्रति वर्ष (500 रुपए प्रतिमाह) की एक लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्ति का कोटा है। वे छात्र जिनके अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय 1,50,000 रुपए से अधिक नहीं हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं। राज्य सरकार के मानकों के अनुसार आरक्षण है। राज्य सरकारों द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से छात्रवृत्ति हेतु छात्रों का चयन किया जाता है। छात्रवृत्तियों को तिमाही आधार पर छात्रों के खाते में इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण द्वारा सीधे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान (31 अक्टूबर, 2014 तक) 46563 छात्रवृत्तियां संस्वीकृत की गई हैं।

माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना

माध्यमिक स्कूलों में प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करने तथा नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से ‘माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना’ नामक केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना को मई 2008 में शुरू किया गया। योजना के अनुसार सावधि जमा के रूप

में गैर शादीशुदा पात्र लड़कियों के नाम 3000 रुपए की राशि सावधि जमा की जाती है जिसे वे कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के पश्चात और 18 वर्ष की आयु होने पर ब्याज सहित आह्वित कर सकती हैं। इस योजना में (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की ऐसी सभी लड़कियां जिन्होंने कक्षा 8 उत्तीर्ण कर ली हो और (2) ऐसी सभी लड़कियां जो कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से कक्षा 8 की परीक्षा पास करती हैं (वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित हों या न हों) और सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकाय के स्कूलों में कक्षा 9 में नामांकित हों शामिल हैं। योजना की कार्यान्वयन एजेंसी केनरा बैंक है। वर्ष 2014-15 की अवधि के दौरान 31 अक्टूबर, 2014 तक 220684 बालिकाओं का कवर करते हुए 66.21 करोड़ रु. की राशि संस्वीकृत की गई है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली का कार्यान्वयन

भारत सरकार ने दिनांक 1 जनवरी, 2013 से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना/प्रणाली आरंभ की है जिसके अंतर्गत 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 पायलट जिलों में डीबीटी प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु 8 मंत्रालयों/विभागों की 25 योजनाओं का चयन किया गया है। इसमें आधार भुगतान सेतु (एपीबी) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे निधियों के अंतरण की परिकल्पना की गई है। दिनांक 1 जुलाई, 2013 से पहले चरण के 43 जिलों के अतिरिक्त 78 और जिलों में डीबीटी के दूसरे चरण का आरंभ किया गया। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की योजनाओं यथा राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता योजना (एनएमएसएसएस) और माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई) को डीबीटी में शामिल किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधित पायट जिलों और संबंधित प्राधिकारियों को लाभार्थियों की डिजिटाइज्ड सूचियां उपलब्ध करा दी गई थीं। विभाग ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे लाभार्थी छात्रों का आधार नम्बर एकत्र कर उसे डिजिटाइज्ड डाटावेस में डालें। राज्यों को यह परामर्श भी दिया गया है कि वे लाभार्थियों के बैंक खाते को दोनों योजनाओं के अंतर्गत आधार नम्बर से जोड़ें ताकि आधार भुगतान सेतु के माध्यम से भुगतान में सुविधा हो। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों और बैंकों के साथ नियमित आधार पर आवश्यक रोल आउट कार्यों और भुगतानों की मानीटरिंग कर रहा है।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कीर्ति

साक्षरता-प्रदर्शनी-2014 को आईएलडी-समारोह के एक हिस्से के रूप में दिल्ली-हाट में आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय मानव संसाधन

विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी द्वारा किया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य केन्द्र जेएसएस के लाभार्थियों द्वारा निर्मित उत्पादों का तथा जेएसएस द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों के उनके द्वारा सीखे गए कौशल का शो केस में सीधा प्रदर्शन था। इस सीधे/प्रत्यक्ष प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें जनता के सम्मुख राष्ट्रीय मंच पर अपने व्यावसायिक कौशल के प्रदर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ। संध्या काल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।



बालिका छात्रावास

“माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण एवं कार्यान्वयन” नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 2008-09 में शुरू की गई थी तथा पूर्व में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई गई स्कीम को प्रतिस्थापित करते हुए 2009-10 से चलाई जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े देश के लगभग 3500 ब्लॉकों में प्रत्येक में 100 छात्राओं की क्षमता वाले एक-एक छात्रावास की परिकल्पना की गई है।

इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं (IX-XII) में बालिकाओं के दाखिले और पढ़ाई जारी रखने की दर में सुधार करना है ताकि बालिकाओं को स्कूलों से दूरी, अभिभावकों की वित्तीय स्थिति तथा अन्य सामाजिक कारणों की वजह से अपनी पढ़ाई जारी रखने के अवसर से वंचित न होना पड़े।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाली 14-18 वर्ष की आयु समूह की छात्राएं योजना का लक्षित समूह है। छात्रावासों में दाखिले के लिए केजीबीवी से उत्तीर्ण छात्राओं को वरीयता दी जाएगी। कम-से-कम 50 प्रतिशत छात्राएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से होनी चाहिए।

इस स्कीम को, स्कीम के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थापित समितियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम का वित्तपोषण केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच क्रमशः 90:10 के अनुपात में किया जाता है। केन्द्र सरकार का भाग 50% की दो किस्तों में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र (केवल दादर और नगर हवेली जो कि एक मात्र शैक्षिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है) को जारी किया जाता है, ये सरकारें अपने भाग के साथ उक्त धनराशि को कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्मुक्त करती हैं।

स्कीम के घटकों में (i) अनावर्ती (ii) आवर्ती शामिल हैं :-

अनावर्ती- अनावर्ती घटक में केन्द्रीय अनुदान 90% की दर से (दो किस्तों में जारी किया जाने वाला) (i) राज्य के एसओआर के आधार पर भवन का निर्माण जिसमें वार्डन के लिए दो कमरों का आवास भी शामिल है (ii) 3.24 लाख रुपए चाहर दीवारी के निर्माण हेतु (iii) राज्य सरकार पेयजल विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर पर खुदाई तथा हैण्डपम्प लगाने के लिए 1.00 लाख रुपए (iv) फर्नीचर उपकरणों तथा बिस्तरों के लिए 6.71 लाख रुपए (v) होस्टल को चालू करने के लिए गैस कनेक्शन के लिए 0.20 लाख रुपए शामिल हैं।

आवर्ती- आवर्ती घटक में- 15.71 लाख प्रति वर्ष (i) 10.20 लाख प्रति वर्ष आवास तथा भोजन व्यय 850/- रु. प्रति माह (ii) 0.60 वार्डन को मानदेय 5000/- रु. प्रति माह (अध्यापिका के रूप में उनके वेतन के अतिरिक्त) (iii) 0.36 लाख चौकीदार को 3000/- रु. प्रति माह की दर से (iv) 0.36 लाख रुपए एक प्रधान रसोइया 3000/- रु. प्रति माह (v) 0.60 लाख रुपए प्रति वर्ष दो सहायक-रसोइए 2500/- रु. प्रति माह प्रत्येक (vi) 0.60 प्रति वर्ष बिजली/पानी के बिल (vii) 0.40 लाख प्रति वर्ष रख-रखाव हेतु (viii) 0.75 लाख प्रतिवर्ष चिकित्सा देखभाल 750/- रु. प्रति वर्ष प्रति छात्रा (ix) 1.20 लाख रुपए प्रति वर्ष शौचालय तथा साफ-सफाई 100/- रु. प्रति माह प्रति छात्रा (x) 0.24 लाख रुपए पुस्तकों/समाचार पत्र/पत्रिकाएं तथा खेलकूद 2000/- रु. प्रति माह तथा (xi) 0.40 लाख प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय हेतु। बालिका छात्रावास स्कीम को वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर दिया गया है।

केन्द्रीय स्तर पर, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का अनुमोदन समुचित छानबीन के पश्चात् परियोजना

अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है। एक नियमित तथा सुव्यवस्थित क्षेत्रीय दौरा पद्धति के माफत राज्य सरकार एजेन्सियों द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन के सतत मूल्यांकन द्वारा उसका प्रबोधन किया जाता है। राज्य सरकारें भी वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट दर्शाते हुए छमाही रिपोर्टें प्रस्तुत करती हैं।

पंचायती राज संस्थानों को भी स्कीम के प्रबोधन में शामिल किया जाएगा। छात्रावास सुविधाओं के लिए पात्र लाभार्थियों की सूचियों की जांच ग्राम पंचायतों के हाउस-होल्ड रजिस्ट्रों तथा उपलब्ध अन्य आंकड़ों के साथ की जानी चाहिए ताकि सूचियों में पाए जाने वाले अन्तर अथवा अनुपस्थित नामों का पता लगाया जा सके। इस संबंध में किसी भी प्रकार के आंकड़ों का संकलन पंचायतों के माफत किया जाएगा।

स्कीम के दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट www.mhrd.gov.in उपलब्ध है।

लक्ष्य तथा उपलब्धियां

वर्ष 2014-15 के दौरान लड़कियों के लिए 75 छात्रावासों के (i) अनुमोदन (ii) स्वीकृति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। निर्धारित लक्ष्य की तुलना में परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने वर्ष 2014-15 में 22 बालिका छात्रावास/होस्टल (एक दादर नगर हवेली, 18 हरियाणा

और 3 त्रिपुरा में) अनुमोदित किए। वर्ष 2014-2015 के दौरान 180 होस्टल स्वीकृत किए गए जिनका ब्यौरा इस प्रकार है- (एक दादर और नगर हवेली + 49 जम्मू और कश्मीर (वर्ष 2012-13 में पीएबी के पूर्व अनुमोदन की तुलना में) + 130 उड़ीसा में (वर्ष 2009-10 में (15) + वर्ष 2010-11 में (115) की तुलना में) अनुमोदित किए।

निष्कर्ष (31.10.2014 तक की स्थिति के अनुसार): वर्ष 2009-10 से स्कीम के कार्यान्वयन से 26 राज्यों + 1 संघ राज्य क्षेत्र में 2160 होस्टल स्वीकृत किए जा चुके हैं, परन्तु इनमें केरल राज्य शामिल नहीं है (केरल ने स्कीम के मानदण्डों के अनुसार अपना प्रस्ताव अभी तक प्रस्तुत नहीं किया है) तथा 31.10.2014 तक 26 राज्यों+1 संघ राज्य क्षेत्र में 1827 होस्टल स्वीकृत किए जा चुके हैं। 9 राज्यों में 5.24 होस्टल कार्यरत हैं (74 छत्तीसगढ़, 2 हरियाणा, 61 कर्नाटक, 201 मध्य प्रदेश, 21 पंजाब, 100 राजस्थान, 41 तमिलनाडु, 5 त्रिपुरा तथा 19 उत्तराखण्ड में) उनमें 46 नए होस्टल भी शामिल हैं जो 2014-15 में चालू हुए हैं (4 छत्तीसगढ़, 3 मध्य प्रदेश, 34 राजस्थान तथा 5 त्रिपुरा में) 258.90 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ताकि जम्मू तथा कश्मीर में 49, दादर तथा नगर हवेली में एक, ओडिशा में 130 नए होस्टलों का निर्माण किया जा सके। इस धनराशि में छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल को होस्टलों के निर्माणार्थ जारी की गई द्वितीय किस्त की राशि भी शामिल है।

छात्रावास स्कीम में 19.11.2014 तक स्वीकृत छात्रावासों का ब्यौरा जारी किए गए अनुदान में केन्द्रीय सरकार का अंशदान (रु. करोड़ में)																	
क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत छात्रावासों की सं.	2014-15 में अनुमोदित छात्रावासों की सं.	2014-15 में स्वीकृत छात्रावासों की सं.	2009-10 में जारी किया गया अनावर्ती अनुदान	वर्ष 2010-11 में जारी किया गया अनावर्ती अनुदान	वर्ष 2011-12 में जारी किया गया अनुदान		वर्ष 2012-13 में जारी किया गया अनुदान		वर्ष 2013-14 में जारी किया गया अनुदान		वर्ष 2014-15 में जारी किया गया अनुदान		जारी किया गया कुल अनावर्ती अनुदान	जारी किया गया कुल आवर्ती अनुदान	जारी किया गया कुल (अनावर्ती +आवर्ती) टनुदान
							अना.	आ.	अना.	आ.	अना.	आ.	अना.	आ.	अना.	आ.	कुल
1	आंध्र प्र.	355	0	0	-	-	96.99	0	113.93	0	0	0	0	0	210.92	-	210.92
2	असम	80	0	0	-	-	17.12	0	18.44	0	23.24	0.49	0	0	58.80	0.49	59.29
3	अरुणाचल प्र.	5	0	0	0.96	0	1	0	0	0	0	0	0	0.37	1.96	0.37	2.33
4	बिहार	115	0	0	11.56	6.03	41.76	0	15.65	0	0	0	0	0	75	-	75
5	छत्तीसगढ़	74	0	0	14.14	0	22.67	3.89	0	0.73	0	8.06	25.00	0.99	61.81	13.67	75.48
6	दादर और नगर हवेली	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.03	1.16	0	1.16	0.03	1.19
7	गुजरात	85	0	0	0	0	0	0	0	0	75.42	0	0	0	75.42	-	75.42
8	हरियाणा	18	18	0	0	0	0	0	0	0	14.03	0.12	0	0	14.03	0.12	14.15
9	हिमाचल प्र.	5	0	0	0.96	0	0	0	0	0	0	0	1.19	0.09	2.15	0.09	2.24
10	जम्मू और कश्मीर	68	0	49	3.44	0.19	0	0	0	0	0	0	65.66	0	69.29	-	69.29
11	झारखण्ड	81	0	0	-	-	0	0	20.01	0	32.28	0	0	0	52.29	-	52.29
12	कर्नाटक	62	0	0	10.56	0	0	0	36.57	0.58	11.44	8.02	0	0.12	58.57	8.72	67.29
13	मध्य प्र.	201	0	0	5.74	0	0	8.79	0.38	13.34	78.55	20.21	0	3.60	84.67	45.94	130.61
14	महाराष्ट्र	43	0	0	-	-	0	0	25.6	0	0	0	0	0	25.6	-	25.6
15	मणिपुर	5	0	0	-	-	0	0	0	0	2.86	0	0	0.51	2.86	0.51	3.37
16	मेघालय	9	0	0	-	-	0	0	6.95	0	0	0	0	0	6.95	-	6.95
17	मिजोरम	1	0	0	0.19	0	0.2	0	0	0	0.67	0.04	0	0	1.06	0.04	1.10

18	नगालैण्ड	11	0	0	-	-	0	0	10.61	0	0	0	0	0	10.61	-	10.61
19	ओडिशा	130	0	130	-	-	-	-	-	-	-	-	87.94	0	87.94	-	87.94
20	पंजाब	21	0	0	4.02	4.01	0	0	0	0	0.61	1.66	0	0	8.64	1.66	10.30
21	राजस्थान	186	0	0	5.16	45.81	0	1.99	0	0	0	6.99	0	5.09	50.97	14.07	65.04
22	तमिलनाडु	44	0	0	8.42	0	0	0	19.76	0	0	4.50	28.18	1.51	56.36	6.01	62.37
23	त्रिपुरा	5	3	0	-	-	-	-	-	-	4.92	-	0	1.00	4.92	1.00	5.92
24	उत्तराखण्ड	19	0	0	-	-	0	0.28	16.99	0	0	1.14	14.29	0.50	31.28	1.92	33.20
25	उत्तर प्र.	141	0	0	-	-	0	0	19.04	0	67.35	0	0	0	86.39	-	86.39
26	प.बंगाल	62	0	0	-	-	-	-	-	-	9.69	-	21.70	0	31.39	-	31.39
कुल		1827	22	180	65.15	56.04	179.74	14.95	303.93	14.65	321.06	51.26	245.12	13.78	1171.04	94.64	1265.68

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)

केन्द्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को निर्वाध शिक्षा प्रदान करने के लिए नम्बर, 1962 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) की योजना अनुमोदित की गई। शुरु में, शैक्षिक सत्र 1963-64 के दौरान 20 रेजीमेंटल स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय के रूप में अधिग्रहित किया गया। दिनांक 31.10.

2014 की स्थिति के अनुसार अब यह संख्या बढ़कर 1102 हो गई है, जिनमें विदेशों में स्थित 3 स्कूल (काठमाण्डु, मास्को एवं तेहरान) शामिल हैं। इसमें से 103 केन्द्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यकर रहे हैं। 64 केन्द्रीय विद्यालयों में दो पालियां चलती हैं। सेक्टरवार 1102 क्रियाशील (31.03.2014 की स्थिति अनुसार) केंद्रीय विद्यालयों का विरतण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	सेक्टर	केन्द्रीय विद्यालयों की सं.
1.	रक्षा	351
2.	सिविल	618
3.	उच्च अध्ययन संस्थान	026
4.	परियोजनाएं	107
	कुल	1102

नए केवीएस खोलन के मानदंड : नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाता है यदि वह इनमें से किसी एक द्वारा प्रायोजित हों (क) भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग (ख) राज्य सरकार (ग) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन (घ) पात्र वर्गों के कर्मचारियों का संघ। प्रायोजक प्राधिकरण को मानकों के अनुसार निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवानी होगी। उस क्षेत्र में रक्षा सेवाओं अथवा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों तथा भारत सरकार के उपक्रमों के कम-से-कम 500 परिवार व्यक्तिगत अथवा संयुक्त रूप से (विशेष फोकस वाले जिलों में 250) हों। विशिष्ट वर्गों के बच्चों के न्यूनतम भावी दाखिले की संख्या कक्षा 1 से 4 में 200 अथवा प्रति कक्षा औसतन 30, जो भी अधिक हो, होनी चाहिए। केन्द्रीय विद्यालय पूर्णतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित होते हैं।



मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री प्रौ. (डॉ) राम शंकर कठेरिया और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, श्री उपेन्द्र कुशवाह नई दिल्ली में 15 दिसंबर, 2014 को के वी एस अध्यापकों को नवाचार और प्रयोग 2014 के लिए केवीएस प्रोत्साहन पुरस्कार प्रस्तुत करते हुए, डाक टिकट जारी करते हुए।

केंद्रीय विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएं

- केवी मुख्यतया केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
- सभी केवी को— एजुकेशनल हैं।
- समान पाठ्य पुस्तकें, समान पाठ्यचर्या और निर्देश का माध्यम द्विभाषी अंग्रेजी, हिंदी होता है।
- सभी केवी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं।
- बालिकाओं के मामले में ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। एकल बालिका को सभी प्रभारों के भुगतान में छूट है।
- कक्षा 8 तक बालकों से ट्यूशन फीस नहीं ली जाती।
- कक्षा 12 तक ट्यूशन फीस न लिए जाने वाले अन्य वर्ग नीचे दिए गए हैं:—
 - अ.जा./अ.ज.जा. छात्र
 - चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध वर्ष 1962, 1971, 1999 और कारगिल युद्ध में शहीद/विकलांग हुए सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के बच्चे
 - केवी के स्टाफ के बच्चे
- केवी मुख्यतया विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी में शिक्षा प्रदान करते हैं।

दाखिले: केवी में कक्षा 1 में दाखिले का बुनियादी मानदंड पिछले 7 वर्षों में अभिभावकों का स्थानांतरण तत्पश्चात् दाखिला दिए जाने वाले बच्चों के अन्य वर्ग हैं— केंद्रीय सरकार के अस्थानांतरणीय कर्मचारी, पब्लिक सेक्टर उपक्रम के स्थानांतरणीय और अस्थानांतरणीय कर्मचारी, राज्य सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारी और यदि सीटें उपलब्ध हों तो फ्लोटिंग जनसंख्या के बच्चे। वर्ष 2013-14 के दौरान 1142858 छात्र विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ रहे थे। इनमें 642772 लड़के और 500136 लड़कियां थीं। केंद्रीय विद्यालयों को आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 2(त) के अंतर्गत विशेष वर्ग में रखा गया है। तदनुसार, केवी पड़ोस के कमजोर और लाभवंचित वर्गों के बच्चों को कक्षा के कुल छात्रों के 25 प्रतिशत तक दाखिले में आरक्षण और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12(प)(ग)द्व।

आरटीई अधिनियम के अंतर्गत दाखिले: (i) केवीएस अ.ज./अ.ज.जा. के लिए 22.5 प्रतिशत आरक्षण (अ.ज. 15 प्रतिशत और अ.ज.जा. 7.5 प्रतिशत) का प्रावधान है (ii) आरटीई प्रावधान के अनुसार कक्षा-1 के प्रत्येक सैक्शन में 10 सीटें भरी जाएंगी (कुल 40 सीटों में से) (सीटों का 25 प्रतिशत) और इन 10 सीटों को अ.जा./अ.ज.जा./बीपीएल/ओबीसी(नॉन क्रीमी लेयर)/निःशक्त तबके आवेदनों को एक साथ लेकर निकाले गए ड्रा से भरा जाएगा; (iii) शेष सीटों को वर्तमान प्राथमिकता वर्ग प्रणाली के अनुसार भरा जाएगा। अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षित सीटों के खाली रह जाने पर उन्हें दाखिले हेतु प्राथमिकता वर्गों के अनुसार भरा जाएगा।

लक्ष्य/उपलब्धियां: 12वीं योजना में सिविल/रक्षा सेक्टर के अंतर्गत 500 नए केवी खोलने की परिकल्पना की गई है। इनमें से वर्ष 2013-14 के दौरान मार्च, 2014 में 54 केवी सरकार द्वारा संस्वीकृत किए गए हैं जो 2014-15 तक तथा उसके तत्काल पश्चात् अपेक्षित मात्रा में भूमि तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अंतरण के पश्चात् कार्यशील हो जाएंगे।

कार्य निष्पादन: केंद्रीय विद्यालय कई वर्षों से उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं जैसा कि पिछले तीन वर्षों के लिए अन्य स्कूलों की तुलना में केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के परिणामों से देखा जा सकता है, जो नीचे दिए गए हैं।

2012		2013		2014	
X	XII	X	XII	X	XII
99.36	94.15	99.90	94.82	99.59	97.39

कम्प्यूटर और आईटी संबंधी पहलें: केंद्रीय विद्यालय पेस सेटिंग संस्थाएं हैं और देश में स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु इन्होंने कई पहलें की हैं जिनमें शामिल हैं— विभिन्न श्रव्य-दृश्य उपस्कर और अनुप्रयोग के साथ— साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार केवी में आईसीटी अवसंरचना:

i)	केवी में उपलब्ध कम्प्यूटरों की कुल संख्या	53156
ii)	छात्र-कम्प्यूटर अनुपात:	21:1
iii)	कम्प्यूटर प्रयोगशाला वाले केवी	1080
iv)	इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले केवी:	1084
v)	ब्राड बैंड कनेक्टिविटी वाले केवी:	1065
vi)	अपनी वेबसाइट वाले केवी:	1085

केंद्रीय विद्यालयों में ई-शिक्षण-कक्षाओं की स्थापना:

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 25 विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 125 केंद्रीय विद्यालयों में ई-शिक्षण कक्षाओं की स्थापना की योजना कार्यान्वित की है। आरंभ में प्रत्येक केवी में कक्षा 3-12 तक प्रत्येक कक्षा के एक सेक्शनमें इंटरएक्टिव बोर्ड मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर आदि लगाया गया है। 1250 शिक्षण कक्षाओं में पायलट परियोजना पूरी करने के पश्चात् योजना को चरणबद्ध तरीके से शेष केवी में लाया जा सकता है।

- **ई-कंटेंट:** केवीएस ने अपने शिक्षकों की विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए ई-कंटेंट सृजित करने की नई पहल की है। इस प्रकार से ऑफलाइन/ ऑनलाइन मोड में संदर्भ के बड़े भंडार सृजित किए गए हैं। केवीएस ने शिक्षक-ई-कंटेंट सृजित साफ्टवेयर उपलब्ध कराए हैं, जिनका उपयोग करके, शिक्षक अपनी पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं।
- सुरक्षित मेल का इस्तेमाल करने के लिए, केवीएस ने kvsedu-org के डोमेन नाम से एमएस एक्सचेंज मेलिंग सोल्यूशन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

खेलकूद/सह-पाठ्यचारी कार्यों में उपलब्धि: (i) केंद्रीय विद्यालयों के छात्र क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलकूदों में भाग लेते हैं। छात्रों ने भारत खेलकूद संघ, 2013-14 में भी भाग लिया और केवी के 66 छात्रों ने विभिन्न खेलकूदों में पदक जीते; और (ii) केवी के छात्रों ने एनसीईआरटी द्वारा आयोजित जवाहर लाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी में भी भाग लिया और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किए।

नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में समानता और सामाजिक न्याय के साथ-साथ उत्कृष्टता प्रदान करने के लक्ष्य के साथ पेस सेटिंग आवासीय नवोदय विद्यालयों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। इसके फलस्वरूप नवोदय विद्यालय समिति को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 का XXI के अंतर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया। इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का ख्याल किए बगैर गुणवत्तापरक आधुनिक शिक्षा-मूल्यों का निर्वाह, वातावरण के प्रति जागरूकता, एडवेंचर क्रियाकलाप और शारीरिक शिक्षा प्रदान करना था।

जवाहर नवोदय विद्यालय

जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया/मानदंड:

जवाहर नवोदय विद्यालय को खोलना संबंधित राज्य/

संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निःशुल्क, उपयुक्त लगभग 30 एकड़ भूमि प्रदान करने के प्रस्ताव पर आधारित होता है। राज्य सरकार को 240 छात्रों और स्टाफ के रहने के लिए किराया मुक्त पर्याप्त अस्थायी भवन और अन्य संरचनाएं, तीन से चार वर्ष के लिए अथवा जब तक समिति स्थायी स्थान पर अपनी इमारत का निर्माण न कर ले, का भी प्रावधान करना होगा।

संस्वीकृत और कार्यरत जेएनवी की स्थिति: आरंभ में वर्ष 1985-86 के दौरान झज्जर (हरियाणा) और अमरावती (महाराष्ट्र) में दो जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे। आज की तारीख में 628 जिलों में से (तमिलनाडु राज्य के अतिरिक्त) समिति ने 576 जिलों के लिए 598 जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए हैं जिनमें से 589 जेएनवी कार्यशील हैं।

जेएनवी में छात्रों का दाखिला: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाई गई और आयोजित की गई चयन परीक्षा के आधार पर जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला होता है। यचन परीक्षा नॉन-वर्बल और कक्षा न्यूट्रल होती है और इस प्रकार तैयार की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चे बिना किसी प्रतिकूलता के प्रतियोगिता में भाग ले सकें। जिस जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोला गया है केवल वहीं के अभ्यर्थी दाखिले के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। तथापि जिस जिले में जेएनवी खोला गया है वह जिला बाद में दो भागों में बंट जाता है तो नए बने जिले में, जब तक नया जेएनवी नहीं खुल जाता तब तक जेएनवीएसटी में दाखिले के लिए पात्रता के उद्देश्य से जिले की पुरानी सीमाएं मानी जाएंगी। जेएनवी में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक पढ़ाई होती है। कक्षा 6 और 9 में जेएनवीएसटी के माध्यम से दाखिला किया जाता है। जेएनवी की लोकप्रियता प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। जेएनवीएसटी के लिए बैठने वालों और चयनित छात्रों के वर्ष 2014-15 के आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

कक्षा	अभ्यर्थी छात्र	चयनित छात्र
VI	1669254	41164
IX	73008	4035

जेएनवी में छात्रों के दाखिले हेतु आरक्षण नीति:

- (क) जिले में कम-से-कम 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों द्वारा और शेष सीटें जिले के शहरी क्षेत्रों से भरी जाती हैं।

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रदान किया जाता है, बशर्ते यह आरक्षण राष्ट्रीय औसत से कम हो (अ.जा. के लिए 15 प्रतिशत और अ.ज.जा. के लिए 7.5 प्रतिशत) परंतु दोनों वर्गों (अ.जा. और अ.ज.जा.) के लिए एक साथ 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

यह आरक्षण अंतः परिवर्तनीय है और आपेन मेरिट के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों से इतर है।

(ग) कुल सीटों का एक-तिहाई बालिकाएं हैं।

(घ) निःशक्त बच्चों के लिए 3 प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान है (अर्थात् अस्थि विकलांग, श्रव्य और दृश्य विकलांग)

31.08.2014 की स्थिति के अनुसार छात्रों की कुल संख्या (कक्षा—VI में दाखिला प्रतीक्षा सूची के अनुसार किया जा रहा है।)

छात्रों की संख्या	बालक	बालिका	ग्रामीण	शहरी	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
	144243	90696	183783	51156	131740	59094	44105	234939
%उम्र	61.40	38.60	78.23	21.77	56.07	25.15	18.77	

जेएनवी का कार्य निष्पादन: जेएनवी का कार्यनिष्पादन बेहद अच्छा रहा है जैसा कि पिछले तीन वर्षों में सीबीएसई द्वारा घोषित परिणामों से पता चलता है:—

वर्ष कक्षा	2011-12		2012-13		2013-14	
	X	XII	X	XII	X	XII
उत्तीर्ण प्रतिशत	99.58	95.96	99.73	96.14	99.80	97.67

जेएनवी छात्रों के लिए समिति द्वारा अपनाई गई अंतरण नीति:

नवोदय विद्यालय योजना की एक प्रमुख विशेषता है एक विशेष भाषायी क्षेत्र के नवोदय विद्यालय से अन्य भाषायी क्षेत्र के नवोदय विद्यालय में अंतरण की योजना। इसका लक्ष्य छात्रों में भारत की संस्कृति और लोगों की विभिन्नता को समझने हेतु प्रोत्साहन देना है। योजना के अनुसार, एक जेएनवी से 30 प्रतिशत छात्र कक्षा 9 स्तर पर दूसरे जेएनवी में जा सकते हैं। यह अंतरण सामान्य तौर पर हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी जिले में होता है।

कम्प्यूटर शिक्षा:

- जे.एन.वी.विद्यालयों में कम्प्यूटर छात्र अनुपात 1:12 है।
- 33 विद्यालयों को आईसीटी कार्यक्रम में पेस सेटर के रूप में स्मार्ट स्कूलों में विकसित किया गया।
- वीडियो मल्टीकास्टिंग को आवधिक रूप से आयोजित किया जाता है।

- लगभग 10000 शिक्षकों ने कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया। जेएनवी/आरओ/एनवीएस मुख्यालयों में प्रधानाचार्यों/अन्य कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण हुए।
- कार्मिकों हेतु ई-कंटेंट, पुस्तकालय प्रबंध साफ्टवेयर, डाटाबेस।

जेएनवी में छात्रों के लिए सुविधाएं : जवाहर नवोदय विद्यालयों में रहने खाने के साथ-साथ वर्दी, पाठ्य-पुस्तकें, स्टेशनरी, रेल/बस किराया (स्कूल से घर) आदि सहित शिक्षा सभी बच्चों के लिए निःशुल्क है। वर्ष 2013-14 के लिए प्रति वर्ष प्रति छात्र औसत कार्यशील व्यय 71,166 रु. था।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए शैक्षिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। स्कूल शिक्षा में गुणवत्तापरक बदलाव लाने के लिए 1 सितम्बर, 1961 को राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) की

स्थापना एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय निकाय के रूप में की गई थी। एनसीईआरटी नितियों, अधिनियमों और सरकारी कार्यक्रमों को बनाने में केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए दिशा-निर्देशक, परामर्शक की भूमिका निभा रही है। एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों (1968 और 1986) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिषद द्वारा किए गए अनुसंधानों से स्कूलिंग के नए पैमाने बनाने और नीतियों और कार्यक्रमों की रूप-रेखा तैयार करने में इनपुट प्रदान करने में भी सहायता मिली है। एनसीईआरटी शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों और काउंसलरों के लिए नवाचारी और आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रम डिजाइन और प्रदान कर रहा है। परिषद द्वारा विकसित पाठ्यचर्या और अन्य अध्ययन सामग्री से गुणवत्तापरक स्कूलिंग में सहायता मिली है। पिछले 50 वर्षों में किए गए कार्यों के कारण एनसीईआरटी को स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। यह भारत में एक अलग प्रकार की संस्था है जो अनुसंधान करती है, कुशल शैक्षिक प्रोफेशनल तैयार करती है और पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या सामग्री विकसित करती है। एनसीईआरटी के मुख्य घटक हैं:

- (क) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (एनआईई), नई दिल्ली
- (ख) केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), नई दिल्ली
- (ग) पंडित सुंदर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक अध्ययन संस्थान (पीएसएससीआईवीई), भोपाल
- (घ) अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में पांच क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आरआईई)

एनसीईआरटी को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन हेतु अकादमिक प्राधिकरण नियुक्त किया गया है। यह अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को शैक्षणिक सहायता प्रदान कर रहा है। यह परिषद् सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अन्तर्गत प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित मामलों पर कार्य कर रही है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षकों/कार्यरत शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं दृ जैसे विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी तथा सामाजिक विज्ञान में पैकेज विकसित कर लिए गए हैं तथा वे एनसीईआरटी की वेबसाइट (www.ncert.nic.in) पर उपलब्ध हैं। क्लास रूप प्रक्रिया तथा विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्रों में छात्रों के अधिगम में सुधार करने तथा केपीआर (KRP) कार्यक्रमों के लिए क्षमता विकास हेतु पंजाब, असम, मेघालय, बिहार, मिजोरम, गोवा, झारखण्ड

तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों को शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए आईटीपीडी (आईटीपीडी) पैकेजों का आयोजन किया गया।

केन्द्रीय शैक्षणिक तकनीकी संस्थान (CIET) एनसीईआरटी ने मुक्त शिक्षा संसाधनों का एक राष्ट्रीय आधान (NROER) विकसित किया है जिसके दृश्य, श्रव्य, दस्तावेज, इन्टर एक्टिव ऑब्जेक्ट जैसे संसाधन तथा हिंदी, इंग्लिश, मलायम, तेलगु, मणिपुरी, मराठी और संस्कृत भाषा में रूपक (इमेज) हैं। इस संस्थान ने 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न संगठनों के माध्यम से छत्त्व के विकास तथा प्रबन्धन संबंधी विषयों पर राज्य के केन्द्रीय (कोर) दल के सदस्यों के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया। क्लास रूम में मुक्त शिक्षा संसाधनों के उपयोग पर पहला मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स संस्थान द्वारा 05 सितम्बर से 05 अक्टूबर, 2014 के दौरान आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पणधारियों के लिए लगभग 353 शैक्षणिक दूरदर्शन तथा 79 शैक्षणिक श्रव्य कार्यक्रम जिनमें 17 श्रव्य पुस्तकें भी शामिल हैं, की खरीद की गई थी। शिक्षा की सम्मिलित/समेकित पद्धति के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, परिषद् ने दृश्य-श्रव्य सामग्री का विकास किया है ताकि नियमित स्कूल शिक्षकों के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पणधारियों के बीच बच्चों के प्रति जागरूकता का प्रसार किया जा सके।

एनसीईआरटी विज्ञान तथा गणित के क्षेत्र में शैक्षणिक किट नामतः उच्च प्राथमिक विज्ञान किट, माध्यमिक विज्ञान किट, उच्चतर माध्यमिक माइक्रोस्केल रसायन प्रयोगशाला किट, सालिड स्टेट मॉडल किटमॉलेक्यूलर (आण्विक) मॉडल किट, उच्च प्राथमिक गणित किट, माध्यमिक गणित प्रयोगशाला किट, माध्यमिक विज्ञान प्रयोगशाला किट (बायोलाजी) माध्यमिक विज्ञान प्रयोगशाला किट (भौतकी) तथा माध्यमिक विज्ञान प्रयोगशाला किट रसायन के उत्पादन में संलग्न रहा।

परिषद ने 41वीं जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान, गणित तथा पर्यावरण प्रदर्शनी (JNNSMEE) का चण्डीगढ़ में 11 से 17 नवम्बर, 2014 को आयोजन किया।

एनसीईआरटी का एक प्रमुख सरोकार नवीन सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास एवं कार्यान्वयन है जैसे- सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा में चार वर्षीय समावेशी बी.ए., बी.एड; पाठ्यक्रम विज्ञान शिक्षा में बीएससी द्वारा बीएड/बीएससी एड पाठ्यक्रम, विज्ञान तथा मानविकी पाठ्यक्रम में दो वर्षीय बीएड (माध्यमिक), प्रारम्भिक शिक्षा में एक वर्षीय एम एड पाठ्यक्रम तथा दिशा-निर्देश एवं काउंसलिंग में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में चलाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में पी.एच.डी कार्यक्रम के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान ने बी.ए.एड तथा बीईएलएड, में दो वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू किया है तथा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल ने बीएबीएड पाठ्यक्रम शुरू किए हैं तथा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर ने शैक्षणिक पाठ्यक्रम में एमफिल पाठ्यक्रम शुरू किया है।

परिषद द्वारा अप्रैल, 1980 में राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना शुरू की गई थी। इसे एक शैक्षणिक पहल के रूप में शुरू किया गया था ताकि देश अपने जनसांख्यिकीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और यूएनएफपीए द्वारा वित्त पोषित मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 से चलाए जा रहे किशोरी शिक्षा कार्यक्रम का भी क्रियान्वयन कर सके जिसके माध्यम से किशोरावस्था में प्रजनन तथा यौन स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जानकारी प्रदान की जा सके। एनसीईआरटी, यूएनएफपीए तथा केवीएस। एनवीएस के संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक ऑनलाइन किशोरावस्था संसाधन केन्द्र (एआरसी) की स्थापना की गई है ताकि किशोरावस्था स्वास्थ्य एवं उसकी बेहतरी संबंधी विषयों की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। यह किशोरावस्था से संबंधित विषयों पर मुद्रित तथा दृश्य-श्रव्य दोनों प्रकार की सामग्री हेतु ज्ञान बैंक के रूप में कार्य करेगा। किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ संबंध, किशोरावस्था के आकर्षण तथा चुनौतियाँ, एचआईवी/एडस : नशे के दुष्प्रभाव तथा कारण जैसे 4 प्रमुख विषय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों के कक्षा IX के विद्यार्थियों हेतु एनआईई नई दिल्ली में 11 से 13 दिसम्बर, 2013 के दौरान एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा तथा तीन परिपोषण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह आयोजन बैंगलुरु में 15-19 अक्टूबर, 2014, मुम्बई में 3-11 नवम्बर, 2014 तथा मोहाली में 7-11 अक्टूबर, 2014 के दौरान किए गए।

व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में, पंडित सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई) भोपाल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सहायता प्रदान करने के अलावा विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक कार्यक्रमों में शैक्षिक तथा तकनीकी सहायता और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के संबंध में परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है।

इस संस्थान को 'स्कूलों में योग शिक्षा' प्रदान करने का दायित्व को सौंपा गया है, जिसके अन्तर्गत, सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अवसंरचना-2005 तथा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम के तहत यथा-निर्धारित पद्धति से योग शिक्षा का समेकित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। योग प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता, प्रत्येक

आवेदनकर्ता स्कूल की प्रक्रिया का संस्थान द्वारा सत्यापन कर लिए जाने के पश्चात् प्रदान की जाती है।

एनसीईआरटी स्कूल की पाठ्य-पुस्तकें, वर्क बुक, सहायक पाठ्य सामग्री, शिक्षक गाइडें, प्रयोगशाला मैनुअल आकलन पर स्रोत पुस्तकें, विज्ञान एवं गणित समस्याओं के उद्घरण संकलन, अनुसंधान रिपोर्टें/विनिबन्ध (मोनोग्राफ) तथा शैक्षणिक जर्नल आदि का इंग्लिश, हिंदी तथा उर्दू भाषा में प्रकाशन करता है। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्य-पुस्तकें, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों, केन्द्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों तथा तिब्बती स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी की सभी पाठ्यपुस्तकें उसकी वेबसाइट www.ncert.nic.in उपलब्ध हैं जिन्हें तत्काल डाउनलोड किया जा सकता है और देश भर में इनका उपयोग किया जा सकता है।

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई)

- विगत एक वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने देश में शिक्षक शिक्षा की बेहतरी तथा उसकी गुणवत्ता के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यान्वयन तथा उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (पंजीकरण मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2014 को विभिन्न पणधारियों के साथ विस्तृत क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय परिचर्चा के बाद भारत के राजपत्र में (2009 के विनियम के संशोधन के रूप में) 1 दिसम्बर 2014 को अधिसूचित किया गया।
- 15 शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए संशोधित प्रतिमान तथा मानक अधिसूचित कर दिए गए हैं। इनमें से 4 नए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम नामतः बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड, समेकित बी.एड. (अंशकालिक) बी.एड.एम.एड.(समेकित) बी.ई.आइ.बी.एड. जिसे सारे देश में लागू किया जाएगा, शुरू किए गए हैं। यूजीसी तथा एनसीटीई, ने विश्व विद्यालय के वाइस चांसलर (उप कुलपति) को लिखा है कि वर्ष 2016-17 के सत्र से इन समेकित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को शुरू कर दें।
- बीएड, एमएड तथा बीपीएड के शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दिया गया है ताकि विशेष रूप से शिक्षक शिक्षा और सामान्यतया शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। इन कार्यक्रमों को वर्ष 2015-16 से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- सभी 15 शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की पाठ्यचर्या के संशोधित कर दिया गया है तथा शिक्षक शिक्षा संस्थानों/विश्व-विद्यालयों (TEIS) तथा शिक्षक प्रशिक्षकों को सुग्राही बनाने के लिए पूरे देश में दर्जन

भर से अधिक स्थानों पर अभिविन्यास कार्यशालाएं चलाई जा रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजीकृत निकायों (विश्व विद्यालयों तथा एससीईआरटी/राज्य शिक्षा विभागों) द्वारा संशोधित पाठ्यचर्या लागू की जा रही है। 4 कार्यान्वयन क्षेत्र, अर्थात् आईसीटी, योग शिक्षा, लिंग एवं विकलांगता / जिसमें शिक्षा भी शामिल है को सभी 15 शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है।

- विनियम 2014 के तहत शिक्षक शिक्षा संस्थानों का प्रत्येक 5 (पांच) वर्ष में प्रमाणन अनिवार्य है, जिसके लिए एनएएससी/यूजीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है तथा एनसीटीई भी अन्य एजेन्सियों की सहायता लेने पर विचार कर रहा है जो एनसीटीई के प्रावधानों के आधार पर टीईआई का प्रमाणन करेंगी।



मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग की सचिव, सुश्री वृंदा सरूप ने 12 जनवरी, 2015 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा आयोजित एक समारोह में स्वामी विवेकानन्द और शिक्षा पर एक माड्यूल जारी किया।

- एनसीटीई के कार्यनिष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, इसकी क्षेत्रीय समीतियों तथा देशभर के सभी शिक्षक शिक्षा संस्थान, ई-गवर्नेन्स तथा ऑफिस आटोमेशन ने 2015-16 के सत्र से कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। इसमें ऑन लाइन निरीक्षण तथा प्रमाणन, डिजीटल फोटोग्राफ के साथ संस्थागत तथा संकाय डाटाबेस तथा संस्थानों का जीआईएस शामिल है।
- परामर्श के साथ-साथ शैक्षणिक इकाई तथा उसके कार्यकलापों का विस्तार किया गया है। शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा शिक्षा के विश्व-विद्यालय विभागों से अनुसंधान सहायता तथा शैक्षणिक सहायता प्राप्त हुई। एनसीएफटीई, टीईटी का 2009 का सर्वेक्षण तथा शिक्षकों की मांग और आपूर्ति शुरू कर दी गई है। शिक्षक शिक्षा के लिए भारत के महान विचारकों के विचारों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय व्याख्यानों की एक श्रृंखला भी शुरू की गई है। इनमें से सर्वप्रथम स्वामी विवेकानन्द का विकास मॉड्यूल के साथ आयोजन किया गया ताकि देश के शिक्षक शिक्षा संस्थानों द्वारा इसका उपयोग किया जा सके।

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए)

संत दलाई लामा पने अनुयायियों के साथ 1956 में भारत आए थे। उन्होंने भारत में तिब्बती बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी गहरी अभिरुचि व्यक्त की। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू तथा संत सलाई लामा जी ने तिब्बती बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की आवश्यकता को महसूस किया तथा उनके प्रयासों के परिणाम-स्वरूप 1961 में केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन की स्थापना की गई।

भारत में रहने वाले तिब्बती बच्चों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय (जिसे अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है) के एक संकल्प द्वारा केन्द्रीय तिब्बती स्कूलों की स्थापना की और उन्हें सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा XXXI के तहत पंजीकृत किया। प्रशासन का मूल उद्देश्य भारत में तिब्बती निवासियों संस्कृति तथा विरासत को सुरक्षित रखते हुए तिब्बती बच्चों के शिक्षा संस्थानों को चलाना, उनका रख-रखाव करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करता था।

अद्यतन स्थिति के अनुसार इस समय भारत में 9 उच्चतर सैकन्डरी स्कूल (06 आवासीय तथा 3 दैनिक स्कूल) 05 माध्यमिक दैनिक स्कूल तथा 07 मिडिल स्कूल, 02 प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें जुलाई, 2014 की स्थिति के अनुसार 5692 विद्यार्थी नामांकित थे। ये स्कूल मुख्यतः तिब्बती बच्चों, की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कक्षा VI से स्थानीय भारतीय बच्चे भी 10% तक दाखिल किए जा सकते हैं। कक्षा I से V तक शिक्षा का माध्यम तिब्बती भाषा ही है।

सीटीएसए का मुख्य उद्देश्य तिब्बती संस्कृति की विरासत, पहचान तथा भारतीय भूमि में उसके मूल के संरक्षण और पोषण के साथ-साथ तिब्बती बच्चों को अत्याधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं उपलब्ध कराना ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके और वे इस परिवर्तनशील विश्व की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बन सकें।

सभी स्कूलों में कम्प्यूटर लैब, विज्ञान लैब, गणित लैब, गतिविधि लैब, आधुनिक इलैक्ट्रॉनिक गजट के साथ न्यूनतम स्तर के अधिगम लैब हैं। ऐसे तिब्बती विद्यार्थी जो सीटीएसए द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों से पास हो जाते हैं उन्हें अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए मेधा-छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 17-22 वर्ष की आयुवर्ग के 15 मेधावी तिब्बती विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री स्तर पर विज्ञान, इंजीनियरिंग, औषध तथा शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपना अध्ययन जारी रखने हेतु मेधा-छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। तिब्बती विद्यार्थियों को डिप्लोमा स्तर/व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए 5 (पांच) छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं।

शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं तथा संसाधनों के साथ पर्याप्त रूप से सुसज्जित एवं लैस किया गया है। उनके आधुनिक कम्प्यूटर, स्की वीडियो, कान्फ्रेंसिंग गजट, इन्टर एक्टिव क्लासों के आयोजन हेतु संसाधन केन्द्र हैं। भावी विकास के लिए, भारत सरकार वर्ष 2000 से प्लान बजट से धनराशि जारी कर रही है ताकि इन स्कूलों को पूर्णतया एक नया रूप तथा आयाम प्रदान किया जा सके जिससे तिब्बती बच्चों का उत्थान सुनिश्चित हो सके। प्रत्येक स्कूल में खेल का मैदान, उपकरण, स्टाफ क्वार्टर तथा बहुप्रयोजनीय हाल (बड़े कमरे) उपलब्ध हैं।

कक्षा X तथा कक्षा XII के विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से शीतकालीन अवकाश के दौरान एक माह की तैयारी कोचिंग भी प्रदान की जाती है। शिक्षकों का प्रशिक्षण एक नियमित कार्यक्रम है, अध्यापकों तथा संस्थानों के प्रमुखों के अध्यापन कौशल को अद्यतन बनाए रखने हेतु उन्हें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। प्रति वर्ष लगभग 10 से 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि विद्यार्थियों विशेष रूप से बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के ज्ञान को अद्यतन बनाया जा सके जिससे 100% गुणात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

वर्ष 2000 से सीटीएसए प्लान बजट से प्रति वर्ष 6 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त कर रहा है जिसका उपयोग अवसंरचना निर्माण तथा मरम्मत अर्थात् कक्षा कमरे, भवन, होस्टल, खेल का मैदान, चारदीवारी, स्टाफ क्वार्टर, बहुप्रयोजनीय हाल (बड़े कमरे) इत्यादि के लिए किया जाना अपेक्षित है। इस अनुदान से सीटीएसए स्कूलों में पर्याप्त अवसंरचना विकास हुआ है। अद्यतन स्थिति के अनुसार सीटीएसए स्कूल परिसरों में 345 स्टाफ क्वार्टर, 45 स्कूल भवन, 29 खेल के मैदान और 07 होस्टल ब्लॉक है। यह एक सतत प्रक्रिया है ताकि सीटीएसए के अन्तर्गत सभी स्कूलों में यथा संभव बेहतर अवसंरचना का निर्माण किया जा सके।

सीटीएसए के विद्यार्थी प्रति वर्ष सीबीएसई की क्षेत्रीय अधिवेशनों/राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तथा विभिन्न कार्यक्रमों में विजयी भी होते हैं। एक छात्र जिसका नाम फुर्बु डोलमा है ने वर्ष 2014 में सीबीएसई द्वारा आयोजित की गई हाई जम्प (ऊंची छलांग) प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता (फोटो संलग्न है)। तिब्बती विद्यार्थी नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रमों यथा— नृत्य तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में स्कूल स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राज्य स्तर पर भाग लेते रहते हैं। (फोटो संलग्न है) सीटीएस (हेबरपुर) में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति दिवस मनाने के अवसर भी सीटीएसए के विद्यार्थियों ने भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स के कार्यक्रमों में राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया।

वर्ष 2014 में सीबीएसई द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रशासन ने कक्षा XII में 79.09% तथा कक्षा X में 99.50% परिणाम प्राप्त किए।

राष्ट्रीय पुरस्कार— परिश्रमी और समर्पित शिक्षकों की सेवाओं को सम्मान देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2004 से सीटीएसए को दो राष्ट्रीय पुरस्कार आबंटित किए हैं।

प्रोत्साहन पुरस्कार— शिक्षकों के मनोबल/आत्म विश्वास तथा को बनाए रखने तथा अध्यापन से इतर स्टाफ की परिश्रमी समर्पित और अनुकरणीय सेवाओं को सम्मान प्रदान करने हेतु सीटीएसए प्रतिवर्ष शिक्षकों के लिए चार (4) तथा शिक्षकों से इतर स्टाफ के लिए तीन (3) प्रोत्साहन पुरस्कारों की पेशकश करता है। पुरस्कार के अन्तर्गत 5000/- रुपए की राशि नकद, एक मोमेंटो तथा एक शाल प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार सीटीएसए के अध्यक्ष द्वारा एक भव्य समारोह में प्रदान किए जाते हैं।

विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से सतर्क बनाने के लिए उन्हें नैतिक शिक्षा दी जाती है, योग एवं एरोबिक भी नियमित कार्यक्रम है। कुछ स्कूलों में बेहतरीन बैंड पार्टियां और नर्तक दल हैं। वे स्थानीय, जिला तथा राज्य उत्सवों में भाग लेते हैं।

दो उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा शिविर स्मार्ट क्लास सुविधाएं स्थापित की गई हैं तथा 03 (तीन) स्कूलों नामतः तिब्बती केन्द्रीय विद्यालय, मुंडगॉड, मंसूरी तथा बाइलक्कुपी में विज्ञान केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिन्हें सीटीए धर्मशाला द्वारा कार्यकारी मॉड्यूल, अवधारणा आदि के साथ सज्जित किया जाएगा ताकि विज्ञान में रुचि जागृत की जा सके।

कक्षा X तथा कक्षा XII के विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार करने हेतु स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की अवधि के दौरान एक माह की तैयारी कोचिंग भी दी जा रही है। प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे — शैक्षणिक, साक्षरता, खेलकूद तथा संगीत एवं नृत्य में विशेष कोचिंग दिए जाने का भी प्रावधान है ताकि उनके कौशल को विश्व की चुनौतियों का सामना करने के सक्षम बनाया जा सके। होस्टल में रहने वालों को रसोई के उपकरण, बिस्तर तथा गद्दे, कपड़े तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध करना उनका विशेष देखभाल की जाती है।

यह भी सूचित किया जाता है कि सीटीएसए से शिक्षा विभाग, केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन, (सीटीए) धर्मशाला में अंतरण का मुद्दा पत्र संख्या एफ-4-3/2002-यूटी-2/स्कूल-3 दिनांक 18.01.2013 अभी प्रक्रियाधीन है तथा 33 — पूर्व-प्राथमिक तथा 4 प्राथमिक विद्यालयों को दिसम्बर, 2013 में सीटीए धर्मशाला को अंतरित किया जा चुका है। इस हस्तांतरण की प्रक्रिया में तीन वर्ष से अधिक का समय लगेगा। यह सीटीएसए के भारतीय अध्यापन तथा अध्यापन से इतर स्टाफ को केवीएस/एनवीएस/एनसीआईआरटी/सीबीएसई में सेवा करने का विकल्प प्रदान करेगा।



केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी 25 सितम्बर, 2014 को केन्द्रीय विद्यालय, आर.के. पुरम, नई दिल्ली में स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय अभियान आरम्भ करते हुए।

25 सितम्बर, से 31 अक्टूबर, 2014 तक की सीटीएसए मुख्यालय और समस्त तिब्बती स्कूलों में स्वच्छ भारत अभियान आयोजित किया गया।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली


केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) राष्ट्रीय स्कूल परीक्षा बोर्ड है। यह नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में सचिव,

(स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ स्ववित्तपोषित स्वायत्त संगठन है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पिछले वर्षों में स्कूल-शिक्षा के क्षेत्र में पथ-प्रदर्शक रूप में उभरा है। बोर्ड ने शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन में बड़ी पहलें व सुधार किए हैं।

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास के लिए संबद्ध शैक्षिक संस्थाओं की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना है। यह देश के शैक्षिक एजेंडा के अधिकाधिक केन्द्रीय भाग के लिए ठोस शैक्षिक परिपाटी व उन्नत अधिगम निष्कर्ष तैयार करने के निरन्तर प्रयास कर रहा है।

कार्यक्षेत्र

बोर्ड का कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं से परे विस्तृत और फैला हुआ है। 1962 में 309 स्कूलों से बोर्ड के पास 01-01-2015 की स्थिति के अनुसार आज 16008 स्कूल हैं। इनमें से 15811 भारत और 197 विश्व के विभिन्न देशों में अवस्थित है। 1090 केन्द्रीय विद्यालय, 2489 सरकारी स्कूलों, 11829 स्वतंत्र स्कूलें, 586 जवाहर नवोदय विद्यालय और 14 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय हैं।



विकेन्द्रीकरण

अपने प्रभावी कार्य-निष्पादन के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा संबद्ध स्कूलों को अधिक उत्तरदायी बनाए जाने के लिए देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं।

इस समय बोर्ड के इलाहाबाद, अजमेर, चेन्नई, गुवाहाटी, पंचकूला, पटना, भुवनेश्वर, तिरुअनंतपुरम, देहरादून और

दिल्ली में 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। भारत से बाहर स्थित स्कूलों की देखभाल क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली करता है। मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय की निरन्तर निगरानी करता है। हालांकि, क्षेत्रीय कार्यालयों को मुख्यालय को भेजे जाते हैं। दैनंदिन प्रशासन, स्कूलों से सम्पर्क, परीक्षा-पूर्व व पश्चात की व्यवस्थाएं आदि सभी मामले संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निपटाए जाते हैं।

प्रमुख उद्देश्य एवं कार्यकलाप

- माध्यमिक शिक्षा का स्तर बढ़ाना।
- विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं को बोर्ड की सेवाएं उपलब्ध कराना।
- जिन छात्रों को एक से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है उनकी शैक्षिक आवश्यकताएं पूरी करना।
- परीक्षाओं तथा ऐसी अन्य परीक्षाओं, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, नियंत्रण प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्याधीन या भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कहे जाने पर, का संचालन करना।
- परीक्षाओं की शर्तों का निर्धारण और कक्षा X और XII की समाप्ति पर सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन करना।
- संबद्ध स्कूलों के सफल छात्रों को योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान करना।

- परीक्षा—पाठ्यक्रम निर्धारित करना और उन्हें अद्यतन बनाना।
- परीक्षा के प्रयोजन से संस्थाओं को संबद्ध करना और देश के शैक्षिक मानक बढ़ाना।

बोर्ड का जिन पर मुख्य ध्यान केन्द्रित है, वे हैं:

- शिक्षण—अधिगम पद्धतियों में छात्र अनुकूल और छात्र—केन्द्रित प्रतिमानों की युक्ति निकालते हुए नवाचार।
- परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार।
- रोजगारोन्मुखता व रोजगार—संयोजन इनपुट जोड़ते हुए कौशल—अधिगम।
- सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं आदि आयोजित करते हुए शिक्षकों और प्रशासकों के शिक्षाशास्त्रीय कौशलों का नियमित रूप से अद्यतन।

बोर्ड द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2014-15 में परीक्षाएं तथा मूल्यांकन आयोजित किए गए।

परीक्षाएं / मूल्यांकन	
स्कूल परीक्षा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा (कक्षा XI) माध्यमिक स्कूल परीक्षा (कक्षा X)— सम्मेटिव / एसेसमेंट ➤ जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (जेएनवीएसटी) —कक्षा IV व IX के लिए
व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश—परीक्षा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ मेडिकल / दंत अधिस्नातक कार्यक्रमों की अखिल भारतीय प्री—मेडिकल टेस्ट (एआईपीएमटी) ➤ अधिस्नातक इंजीनियरी कार्यक्रम की संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई—मुख्य) तथा गेट वे फॉर जेईई (एडवांस्ड) ➤ राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) ➤ एआईआईएलआईटी परीक्षा ➤ सहायक पुनरीक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा तथा नेमी लिपिक वर्ग (आरजीसी)—2014—माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीन
मूल्यांकन	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कक्षा X के छात्रों की प्रवीणता परीक्षा ➤ कार्य—विश्लेषण परीक्षा (सीबीएसई—i) ➤ समस्या—समाधान परीक्षा (पीएसए) ➤ छात्र वैश्विक अभिरुचि सूचकांक (एसजीएआई) ➤ वाक्—श्रवण कौशल मूल्यांकन (एएसए)
अन्य	<ul style="list-style-type: none"> ➤ केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी)

परीक्षा 2015

कक्षा X और XI की परीक्षाएं 2 मार्च, 2015 से शुरू होंगी तथा इनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है।

तृतीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2015 (जेईई)

जेईई शीर्ष बोर्ड द्वारा एनआईटी, आईआईटी, केन्द्र वित्तपोषित अन्य तकनीकी संस्थाओं और सहभागी राज्य सरकार की संस्थाओं के अधिस्नातक इंजीनियरी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। आईआईआईटी और अन्य सहभागी संस्थाओं आदि जैसी केन्द्र वित्तपोषित संस्थाओं में प्रवेश के लिए 12वीं या समकक्ष कक्षा में स्कूल बोर्डों को 40 प्रतिशत और जेईई (मुख्य) को 60 प्रतिशत महत्व देते हुए मेरिट/रैंक लिस्ट तैयार की जाती है। स्कूल बोर्ड/समकक्ष परीक्षा के अंकों को केवल सामान्यीकरण के बाद ही महत्व दिया जाता है।

जेईई (मुख्य) भी आईआईटी/आईएसएम धनबाद द्वारा संचालित अधिस्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश की जेईई (एडवांस्ड) की पात्रता परीक्षा है। जेईई (मुख्य) की ऑफलाइन परीक्षा 04 अप्रैल, 2015 तथा ऑनलाइन परीक्षा 10 व 11 अप्रैल, 2015 को नियत है।

28वीं अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल परीक्षा, 2015

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली प्रवेश-सत्र 2015-16 के लिए 03 मई, 2015 को अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। यह प्रवेश-परीक्षा उच्चतम न्यायालय के निदेशों में यथाविनिर्दिष्ट भारत के मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में मेरिट के 15 प्रतिशत स्थानों के लिए आयोजित की जा रही है और यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसके लिए समय-समय पर विनिर्दिष्ट नियमों और विनियमों से अभिशासित होगा।

राज्य सरकारें/विश्वविद्यालय/संस्थाएं भी अपने नियंत्रणाधीन सीटों पर मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अपनी योग्यता-सूची का उपयोग करते हुए अखिल भारतीय प्री-मेडिकल/प्री-डेंटल प्रवेश-परीक्षा-2015 में स्वेच्छा से भागीदारी कर रही हैं।

केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी)

भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक-गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानक और बेंचमार्क सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड-2011 से सीटीईटी आयोजित करता रहा है।

सीटीईटी 21 सितम्बर, 2014 को देशभर के 995 परीक्षा केन्द्रों और विदेश के 100 शहरों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल 610889 उम्मीदवार शामिल हुए जिनमें से 36418 ने प्रश्नपत्र I/II या दोनों ही अखिल भारतीय स्तर पर उत्तीर्ण हुए। अगली केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 22 फरवरी, 2015 को नियत है।

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा

जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा बोर्ड द्वारा वर्ष में 3 बार आयोजित की जाती है। इस वर्ष (2015) ग्रीष्मकालीन स्कूल चयन परीक्षा 8 फरवरी, शीतकालीन स्कूलों के लिए 11 अप्रैल तथा अतिशीतकालीन स्कूलों तथा नवस्थापित जवाहर नवोदय विद्यालयों की 6 जून को आयोजित की जाएगी।

समस्या समाधान मूल्यांकन (पीएसए)

पीएसए छात्रों के समस्या समाधान कौशलों, विचार-कौशल तथा जीवन के अन्य कौशलों के संवर्धन के उद्देश्यों से आयोजित की जाती है। यह सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों के कक्षा IX और XI के छात्रों के शैक्षिक सत्र 2014-15 की समस्या समाधान मूल्यांकन परीक्षा 20.11.2014 आयोजित की गई थी।

समग्र विकास सुधार

स्कूल आधारित मूल्यांकन

स्कूल आधारित मूल्यांकन (एसबीए) बोर्ड का प्लैगशिप कार्यक्रम है जिसे सीबीएसई के सभी संबद्ध स्कूलों के माध्यमिक स्तर तक के छात्रों के लिए लागू किया गया है। एसबीए समग्र विकास के लिए कक्षाकक्ष में अनुभवजन्य अधिगम के माध्यम से अवधारणात्मक स्पष्टीकरण पर विचार करता है क्योंकि विकासशील जीवन-कौशलों, मूल्यों व कौशलों के साथ-साथ शैक्षिक और गैर-शैक्षिक दोनों क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

एसबीए के अन्तर्गत दो योजनाएं प्रचलन में हैं। योजना I व योजना II. योजना I में बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा X के छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर कोई बोर्ड परीक्षा नहीं है। यह उन छात्रों के लिए है जो कक्षा X के बाद सीबीएसई प्रणाली छोड़ना नहीं चाहते। योजना II में बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के उन छात्रों के लिए है जो कक्षा X (पूर्व-विश्वविद्यालय, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, बोर्ड-परिवर्तन आदि) के बाद सीबीएसई प्रणाली छोड़ना चाहते हैं, से माध्यमिक स्तर (कक्षा X) पर बोर्ड की बाहरी परीक्षा देनी अपेक्षित है।

मूल्य शिक्षा कार्यक्रम

मूल्य समावेशन प्रक्रिया वैसी ही नहीं हो सकती जैसी कि अन्य विषयों से संबद्ध विकास की योग्यताओं की है। मूल्यों से जीवन की वास्तविक स्थितियों के व्यवहार में आभ्यान्तरित होना अपेक्षित है न सिर्फ उन्हें याद रखना। बोर्ड के मूल्य शिक्षा कार्यक्रम में कक्षा I से कक्षा XII तक स्कूल शिक्षा का समग्र स्पेक्ट्रम कवर होता है। इस कार्यक्रम में एकजुटता, एकता, शान्ति और पर्यावरण संरक्षण जैसी विषय-वस्तुओं की एक व्यापक श्रृंखला आती है। यह आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के साथ-साथ सार्वभौम मानव-मूल्यों के विषय में महत्वपूर्ण तरीके से सोचना भी जोड़ता है। मूल्य-समर्पण के लिए प्रेरित करना प्रवचन या उपदेश देना नहीं है अपितु, सीखने वाले को सम्मिलित करना है। सामाजिक व्यवहार और इससे संबद्ध संगति और अंततः व्यवहार के निष्कर्ष का अनुगमन करते हुए इसके विश्लेषण और सार से समर्पण में विचारित मूल्य मन में बैठायें जाते हैं।

स्वास्थ्य और तन्दुरुस्ती:

बोर्ड ने किशोर शिक्षा कार्यक्रम (ईपी), व्यापक स्कूल स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा कार्ड (पीईसी) तथा छात्रों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए बहुपद्धतियों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग जैसे अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। ये कार्यक्रम जीवन-कौशल शिक्षा का विस्तार हैं जो छात्रों को आरम्भ से ही अन्तर्निहित कौशल अर्जन, निर्णय करने की योग्यता तथा तनाव से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार करने के खुले दृष्टिकोण पर आधारित हैं।

उड़ान (यूडीएएन)-छात्राओं को पंख

तकनीकी शिक्षा में कुल नामांकन की तुलना के समय बालिकाओं की आईआईटी में जाने की संख्या वास्तव में कम दिखाई देती है। मात्र 10-12 प्रतिशत बालिकाएं ही इन प्रमुख तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की प्रवेश-परीक्षा उत्तीर्ण कर पाती हैं। अनेक कारणों में से सबसे बड़े कारण अभिभावकों की प्रवेश-परीक्षा की तैयारी के लिए अपनी बेटियों को सुदूर स्थानों तक भेजने की अनिच्छा के साथ-साथ निकटवर्ती क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त अध्ययन-अवसरों की कमी होना है।

छात्राओं के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीबीएसई ने उन छात्र छात्राओं जो कक्षा XI और XII का अध्ययन करते हुए आईआईटीजी की तैयारी करने में सहायता करने तथा इंजीनियरी की उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आकांक्षी हैं, छात्र छात्राओं को एक व्यापक मंच उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया उड़ान (यूडीएएन) कार्यक्रम शुरू किया है।



छात्राओं की पंख देने हेतु एक कार्यक्रम

इस परियोजना का उद्देश्य इंजीनियरी कॉलेजों में बालिकाओं के कम नामांकन की समस्या का समाधान करना है। इसलिए यह शिक्षा के तीन आयामों-पाठ्यचर्या, कार्य-विवरण और मूल्यांकन को रेखांकित करते हुए स्कूल-शिक्षा और इंजीनियरी कॉलेजों के बीच गुणवत्ता अंतराल के समाधान के इस बड़े लक्ष्य को पाने की दिशा में पहले कदम के रूप में विचार करती है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विज्ञान व गणित के शिक्षण-शिक्षा को समृद्ध और इसमें वृद्धि का भी उद्देश्य है। इस परियोजना का उद्देश्य ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जो छात्राओं को समर्थ बनाए तथा उन्हें शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए। फलस्वरूप, वे तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की प्रवेश परीक्षाओं में विश्वासपूर्वक भाग लेने योग्य होंगी और अंततः राष्ट्र की तकनीकी सवृद्धि में महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर बनेंगी। इस कार्यक्रम का अंग बनने के लिए देश भर से 946 बालिकाएं चयनित की गई हैं। 56 छात्राएं 6 संघ राज्य क्षेत्रों तथा 117 पूर्वोत्तर राज्यों की हैं। इनमें से अधिकांश बालिकाएं वंचित सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आती हैं और उन्होंने स्कूल में उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन किया है। इनमें से 305 के माता-पिता की आमदनी 01 लाख रुपए से भी कम है।

इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं हैं:-

- कोई वित्तीय भार नहीं क्योंकि समूचा कार्यक्रम लागत-मुक्त है।
- टेब्लेट्स पर उच्च गुणवत्तायुक्त सामग्रियां उपलब्ध और 24x7 अधिगम में समर्थ बनाने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं।
- आईआईटीडी, बीआईटीएस, पिलानी और सीबीएसई से संबद्ध वरिष्ठ अध्यापकों द्वारा सामग्री तैयार।
- विमर्श-फोरम के उपायों से पारस्परिक क्रियात्मकता।
- सप्ताहांत में अधिगम-सुगमता के लिए उच्च योग्यता प्राप्त मेंटर।
- सप्ताहांत में छात्रों को प्रश्न हल करने में सहायता के लिए छात्र-मार्गदर्शक।
- देश भर में शनिवार व रविवार को 52 केंद्रों पर ऑनलाइन सप्ताहांत कक्षाएं।

- सामान्य, शैक्षिक व तकनीकी सवालों के समाधान के लिए 24x7 टोलफ्री हेल्पलाइन।
- सप्ताह के दिनों में पूछे गए सवालों को सप्ताहांत ट्यूटोरियल्स का आधार बनाना।

उड़ान बालिकाओं को केवल जेईई में भाग लेने का ही परामर्श नहीं देता बल्कि, यह इंजीनियरी पाठ्यक्रमों के लिए उनके शुल्क के उपाय भी सुनिश्चित करता है। बालिकाएं साप्ताहिक मूल्यांकनों में अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। जब उनकी छात्राएं आईआईटी/एनआईआईटी/सीएफटीआई में प्रवेश लेंगी तब सीबीएसई द्वारा उनके प्राप्त बिंदुओं पर संतुलित वित्तीय सहायता देगा।

स्कूल-गुणवत्ता मूल्यांकन तथा प्रत्यायन (एसक्यूएए)

सीबीएसई ने मान्य गुणवत्तात्मक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए आन्तरिक (स्व-मूल्यांकन) तथा बाद मूल्यांकन (समकक्ष समीक्षा) के मानवीकृत साधनों व प्रक्रिया के जरिए स्कूलों का मूल्यांकन शुरू किया है। एसक्यूएए वह प्रक्रिया है जो बोर्ड से संबद्ध स्कूलों की गुणवत्ता में प्रतिमान-परिवर्तन लाएगा। यह मूल्यांकन बदलते सामाजार्थिक व सांस्कृतिक संदर्भों की स्वीकृति में एक संस्था के दायरे में प्रभावकारी व्यवस्था चलाने की अवधारण और स्थापना में गुणवत्ता बेंचमार्क मुहैया कराने के लिए स्कूलों को प्रत्यायित करने में उपयुक्त होगा।

व्यापक रूप से मूल्यांकन के 7 क्षेत्रों की शिनाख्त की गई है और भिन्न महत्व दिया गया है— शैक्षिक प्रक्रिया व परिणाम (25 प्रतिशत), सह-शैक्षिक प्रक्रिया व परिणाम (15 प्रतिशत), अवसंरचना-मानव संसाधन (10 प्रतिशत), नेतृत्व (15 प्रतिशत) तथा लाभदायी संतुष्टि (10 प्रतिशत)।

प्रत्यायित किए जाने वाले स्कूलों में एक स्पष्ट साझा दृष्टि और प्रयोजन, प्रभावी व उत्तरदायी नेतृत्व अवश्य होना चाहिए: ध्वनि, शोध-आधारित पद्धतियों के माध्यम से प्रभावी पाठ्यचर्या पढ़ाई जाए, रिपोर्टों को एकत्र और उनका कार्य-प्रदर्शन परिणामों इसके शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त सहायता व संसाधन उपलब्ध हों; अपने स्टेकहोल्डरों का मूल्य और उनके साथ सम्प्रेषण; स्कूल वार प्रोफाइल प्रमाण योजनाओं का रख-रखाव; छात्र-अधिगम और स्कूल की प्रभावकारिता में सुधार के प्रयासों के परिणामों के हस्तक्षेपों व प्रलेखन का मूल्यांकन।

सारांश: स्कूलों की व्यापक स्व-पुनरीक्षा का साधन।

सारांश स्कूलों को छात्रों/शिक्षकों/विषयों/स्कूलों में सुधार करने और इन्हें सुधारने के लिए आवश्यक निर्णय हेतु सज्जित करने के लिए निर्मित किया गया है। सारांश, जैसा कि नाम ही सुझाता है, स्कूलों को सम्पूर्ण स्नेपशॉट

और कार्रवाई योग्य निर्णय लेने के लिए व्यापक ड्रिल डाउन मुहैया कराता है। यह एक सशक्त उपाय है जो निम्नलिखित कवर करता है:

1. सारांश एसबीए (कक्षा IX व XI) तथा कक्षा XII के लिए उपलब्ध है। यह 2007 से कक्षा X तथा 2009 से नवीनतम शिक्षा सत्र तक कक्षा XII की सम्पूर्ण व्यापक तस्वीर दर्शाता है।
2. यह सम्पूर्ण स्तर पर शैक्षिक व सह-शैक्षिक क्षेत्रों और स्कूल में प्रत्येक छात्र के स्तर पर स्कूल का कार्य-प्रदर्शन देखने में सहायता करता है।
3. सभी कार्य-प्रदर्शन मापक संख्याओं के साथ-साथ चार्टों/ग्राफों के रूप में आसान समझ के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।
4. स्कूल अखिल भारतीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक स्तर तथा अपने स्कूल-वर्ग (सरकारी, निजी, जेएनवी, केन्द्रीय विद्यालय व सीटीएसए) में सीबीएसई की सभी स्कूलों से कार्य-प्रदर्शन की तुलना कर सकता है।

मूल्यांकन

मुक्त पाठ-आधारित मूल्यांकन

बोर्ड सिफारिश करता है कि छात्रों की अपनी-अपनी सीखने की अलग-अलग समर्थताओं के पोषण के लिए मूल्यांकन की बहुपद्धतियों को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। मुक्त पाठ आधारित मूल्यांकन वर्ष 2014 में विश्लेषणात्मक व सैद्धांतिक कौशलों को समाविष्ट करने के लिए कक्षा IX व XI में शुरू किया गया था जिससे रटने की प्रवृत्ति से छात्रों को दूर रखा जा सके।

वाक् एवं श्रवण कौशल मूल्यांकन (एसएसएल)

शैक्षिक-सत्र 2013-14 से कक्षा IX और XI की अंग्रेजी में सीबीएसई की वाक् श्रवण कौशल मूल्यांकन परियोजना का कार्यान्वयन अंग्रेजी भाषा में छात्रों की सक्षमता का निर्धारण शिक्षण-शिक्षा के सुधारात्मक दृष्टिकोण के अग्र-भाग तक लाया गया है। स्कूल-प्रधान व शिक्षक स्वीकार करते हैं कि छात्र एक सुगठित, संतुलित पाठ्यचर्या के प्रयोग के जरिए अपने मौखिक-श्रवण संबंधी कौशलों के अभ्यास के लिए अधिक अवसर पाते हैं।

सीबीएसई इन्टरनेशनल (सीबीएसई-i)

इन्टरनेशनल क्लाइन्टील के प्रति अपने दायित्व पूरे करने के लिए सीबीएसई सीबीएसई इन्टरनेशनल (सीबीएसई-i) पाठ्यचर्या मध्यपूर्व और दक्षिण-एशिया के 28 सीबीएसई स्कूलों में शुरू की गई है। सीबीएसई-i एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बेंचमार्क पाठ्यचर्या है जो कार्य व कार्रवाई के

माध्यम से संदर्भों, शोधोन्मुखता व सामाजिक अधिकारिता के माध्यम से विस्तृत अधिगम के अवसर मुहैया कराती है। इसका उद्देश्य अधिगम और सीखने वालों का अनुकूल पाठ्यचर्या से रचनात्मक क्षेत्र, जिसमें सीखने वाला ज्ञान की निरंतर खोज, प्रतिपादन, उसका अनुप्रयोग और समकालिकता रहती है, में अंतरण करना है। सीबीएसई-1 भारत के 29 स्कूलों में भी प्रचलित है।

सीबीएसई-i के अन्तर्गत कार्य-प्रदर्शन विश्लेषण परीक्षा

सीबीएसई-i कार्य-प्रदर्शन विश्लेषण परीक्षा का आशय विषय में छात्र की क्षमता व कौशल आंकना है। इसका महत्व छात्र के ज्ञान की प्रवीणता, समझ और उसे प्रदत्त सीखने के विषय/क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए है। कक्षा IX/X/XI/XII के लिए पीएटी फरवरी, 2015 में आयोजित किया जाएगा।

प्रवीणता-परीक्षा

प्रवीणता-परीक्षा सीबीएसई से संबद्ध माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्ययन कर रहे उन छात्रों के लिए है जो अपने समकक्षों की तुलना में अपना स्व-मूल्यांकन करना चाहते हैं। यह कक्षा IX और X की सम्पूर्ण पाठ्यचर्या पर आधारित है। एक छात्र एक या अधिक विषयों में सम्मिलित हो सकता है। शैक्षिक सत्र 2014-15 की कक्षा X के लिए प्रवीणता परीक्षा प्रयोगात्मक रूप से अप्रैल, 2015 में आयोजित की जाएगी।

सीबीएसई छात्रों के वैश्विक अभिरुचि सूचकांक का पाँचवा संस्करण

गत चार वर्षों से एसजीआई संचालित करते हुए बोर्ड ने अधिक वैज्ञानिक व स्व-व्याख्यात्मक तरीके से कक्षा XI के विषय में छात्रों की मदद का अपना लक्ष्य सुनिश्चित करने में मूल्यांकन व डिलिवरी फॉर्मेट में सुधार के निरन्तर प्रयास किए हैं।



एसजीआई विशेष रूप से बोर्ड व स्कूलों के छात्रों की आवश्यकता की गहरी समझ के आधार पर विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई है और अन्य अभिरुचि परीक्षाओं से भिन्न एसजीआई छात्रों को कक्षा XI में अपने विषयों के चयन में सुझावात्मक निर्देश उपलब्ध कराता है। छात्रों की रुचि व अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए एसजीआई विशुद्ध रूप से अंकों व विषयेतर घटकों की बजाय छात्रों को संबंधित विषय-चयन में सहायता करने में बहुआयामी विश्लेषण की अनुमति देता है। स्कूलें अपनी नीतियों व आख्यों के अतिरिक्त छात्रों की सहायता करने और उन्हें बेहतर समझने में भी सहायता करने के अन्य इनपुट तंत्र के रूप में एसजीआई का उपयोग कर सकते हैं।



बोर्ड ने अपने पाँचवे संस्करण के लिए एसजीआई का संशोधित वृत्तान्त डिजाइन किया है जो पहली बार भारत और विदेश के संबद्ध स्कूलों में ऑनलाइन (कम्प्यूटर आधारित) आयोजित किया गया है। प्रौद्योगिकी के बराबर रहते तथा छात्रों को हड़बड़ी मुक्त मार्गदर्शन मुहैया कराते हुए यह ऑनलाइन संस्करण छात्रों को मूल्यांकन पूरा होने के बाद अपनी एसजीआई रिपोर्टें तत्काल पहुँचाने की अनुमति देता है। हालांकि, उन स्कूलों के लिए जिनके पास स्थिर इन्टरनेट कनेक्शन नहीं हैं, बोर्ड ने ऑफलाइन एसजीआई मूल्यांकन की व्यवस्था की है।

बोर्ड ने एसजीआई के वैकल्पिक कार्यक्रम होने की युक्ति निकाली है और इस कार्यक्रम की सफलता हर वर्ष इसे चुनने की छात्रों की बढ़ी हुई संख्या इसका प्रमाण है।

विश्व भर के अनुमानतः 13,000 स्कूलों के लगभग 8 लाख छात्रों ने अब तक सीबीएसईएसजीआई चुना है।

सीबीएसई काउन्सलिंग

सीबीएसई ने 18 वर्ष पहले 1998 में पहली बार टेलि-काउन्सलिंग से यह अग्रणी सामुदायिक कार्य शुरू किया। देश में सीबीएसई ही मात्र ऐसा बोर्ड है जो कक्षा X और XII की परीक्षाओं के लिए टेलि-काउन्सलिंग, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रश्नोत्तर स्तम्भों व ऑनलाइन काउन्सलिंग आदि जैसी बहुविधियों के जरिए मनोवैज्ञानिक काउन्सलिंग मुहैया कराता है।



- टेलि-काउन्सलिंग भारत में और भारत से बाहर सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्राचार्यों और प्रशिक्षित काउन्सलरों द्वारा की जाती है।
- यह स्वैच्छिक और निःशुल्क सेवा प्रतिभागियों द्वारा दो चरणों (परीक्षा-पूर्व और परिणाम के बाद) में मुहैया कराई जाती है।
- वार्षिक काउन्सलिंग से पहले फीडबैक और प्रशिक्षण सत्र नियमित रूप से चलाए जाते हैं।
- छात्रों व अभिभावकों के लिए एफएक्यू के रूप में तैयारी और अद्यतन सहायता सामग्री तथा काउन्सलरों की प्रशिक्षण मेनुअल्स इस परियोजना के अन्तर्गत एक नियमित प्रस्तुति है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा गुणवत्ता कार्य ढाँचा

सीबीएसई का उद्देश्य शिक्षा देने की दिशा में ऐसा कार्य करना है जो शैक्षिक, अर्थपूर्ण और कौशलान्मुख हो। बोर्ड द्वारा 6 क्षेत्रों के व्यावसायिक शिक्षा में 40 पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनके नाम हैं:-

- कृषि उत्पादन एवं विपणन
- इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी
- वित्त, व्यापार और प्रबंधन
- आतिथ्य एवं पर्यटन
- स्वास्थ्य एवं निरोगता
- मीडिया, मनोरंजन एवं प्रस्तुति।

सीबीएसई इन पाठ्यक्रमों को भारत के 636 संबद्ध स्कूलों तथा 5 देशों के 11 स्कूलों में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 100 विषयों में संचालित कर रहा है और भारत में 873 से अधिक तथा विदेश के 15 स्कूलों में एनवीईक्यूएफ के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर पर 4 व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी संचालित कर रहा है।

शिक्षकों के लिए उत्कृष्टता केन्द्र

सीखने वालों के रूप में शिक्षकों को सतत, संशोधन, अपनी ज्ञान-वृद्धि, कौशल व शिक्षण-अधिगम दृष्टिकोणों में अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए। इसे अर्जित करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास कार्यों की एक उपयुक्त संतुलित रेंज में उन्हें प्रगति व अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं के संबंधित तरीकों से सीखने तथा वैसे ही अपने छात्रों को अपने कैरियर में करने के लिए आबद्ध करना चाहिए।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देशभर के अनेक स्थानों पर उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया है।

सीबीएसई की यह नई पहल गुणवत्ता शिक्षक प्रशिक्षण

कार्यों के माध्यम से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तात्मक सुधार लाएगी। सीबीएसई पिछले एक दशक के अपने अधिदेश के एक अंग के रूप में शिक्षकों और प्राचार्यों के सेवाकालीन प्रशिक्षण में लगा रहा है। ये शिक्षकों व स्कूल-प्रधानों के सतत व्यावसायिक विकास में सहायता के लिए देश भर में आयोजित किए जाते हैं।

इन केन्द्रों के लिए पहचान किए गए स्थान हैं:



सीबीएसई अभिव्यक्ति श्रृंखलाएं

बोर्ड छात्रों के शैक्षिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और यह स्कूलों में रचनात्मक और समर्थनकारी वातावरण की ठोस रूप में पैरवी करता है। इस प्रयास के क्रम में बोर्ड ने अनेक सीबीएसई अभिव्यक्ति श्रृंखलाएं घोषित की हैं। विषय की अभिव्यक्ति के लिए निबंध, कविता, एकांकी, चित्रकला, पेंटिंग, रेखाचित्र जैसे बहुमाध्यमों या विभिन्न माध्यमों के मिश्रण (जो पाठ का संदेश बताता है) प्रयुक्त किए जाते हैं। निःशक्त/दृष्टिबाधित छात्र ऑडियो/वीडियो मोड का उपयोग करते हुए समान रूप से सहभागिता करते हैं। बोर्ड—

- श्री पिंगली वेंकय्या के प्रेरक जीवन पर श्रृंखला,
- राष्ट्रीय शिक्षा दिवस— 'गुरुत्सव';
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर श्रृंखला,
- महात्मा गाँधी की जयन्ती पर स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छता अभियान;
- राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयन्ती
- 'बाल स्वच्छता मिशन' का आयोजन करता है।

महिला-पुरुष सुग्राह्यता

बोर्ड ने स्कूल स्तर पर मुख्यधारा के महिला-पुरुष मुद्दों पर स्कूल प्रबंधन की सहायता के लिए महिला-पुरुष सुग्राह्यता पर कौशल एवं अभिवृत्ति के विकास की शिक्षा पद्धतियों के संवर्धन के लिए एजूकेटर मैनुअल तैयार की है। इस मैनुअल का प्रयोजन मुख्यधारा और शिक्षा-क्षेत्र में संदर्भ सहित महिला-पुरुष के प्रति उत्तरदायी होते हुए दिशा-निर्देश देना है। यह शैक्षिक ढाँचे में महिला-पुरुष के मुद्दों का सिंहावलोकन मुहैया कराती है और शिक्षकों को महिला-पुरुष समानता के साथ-साथ साम्यता के संवर्धन के लिए अपेक्षित सूचना व साधनों से लैस करती है। यह साक्षरता, नामांकन, शिक्षा तक पहुँच व अर्जन, निर्णय-लेने के पदों पर महिलाएं, संसाधन आवंटन, पाठ्यचर्या विकास तथा स्कूलों व कक्षाकक्ष के संगठनों जैसे पारम्परिक संकेतकों की जाँच करती है। यह शिक्षा प्रणाली में तरीकों की भी जाँच करती है जिनमें महिला-पुरुष असमानताएं अब भी जारी हैं। यह महिला-पुरुष संवेदनशीलता और जिम्मेदार समाज की दिशा में ले जाने के लिए अपेक्षित विमर्श, विवेकशीलता और निर्णयों के लिए खुला आधार भी रखती है। यह मैनुअल कार्यकलाप कार्डों के तीन सेटों से समर्थित है जो छात्रों के साथ पारस्परिक क्रियात्मक कार्यक्रम चलाने के लिए दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं उपलब्ध कराती है। जेंडर सेंसिटिविटी कार्ड कक्षा-कक्ष और स्कूल प्रणालियों में जेंडर सेंसिटिविटी लाने के साधन के रूप में काम करने के लिए डिजाइन की गई है। महिला-पुरुष संवेदनशीलता का यह ज्ञान छात्र समझ, सम्मान और असहमति की सहनशीलता के साथ संयुक्त रूप से अर्जित करेंगे; जो उन्हें पूर्वग्रह सुधार संबंधों का सामना करे में समर्थ बनाएगा।

सीबीएसई छात्रवृत्तियां

- सीबीएसई के संबद्ध सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों के लिए सीबीएसई रिवार्ड स्कीम 2013 से सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों के कक्षा IX से XII तक के अजा/अजजा तथा सामान्य वर्ग सहित 400 सर्वोत्तम छात्रों को 01 लाख का पुरस्कार।
- **एकल कन्या मेरिट छात्रवृत्ति स्कीम**
योजना के अनुसार उम्मीदवार की पात्रता के आधार पर कक्षा XI व XII की एकल कन्या को आगे के अध्ययन के लिए प्रति माह 500/- रुपये की एकल कन्या छात्रवृत्ति।
- **अजा/अजजा छात्रों के लिए बोर्ड मेरिट छात्रवृत्ति स्कीम**
कक्षा X के अनुसूचित जाति/अजजा के 23 में से प्रत्येक छात्र को प्रति माह 250/- रुपये तथा कक्षा

XII के 25 छात्रों में से प्रत्येक को प्रति माह 500/- रुपये की दर से मेरिट छात्रवृत्ति।

➤ एमएचआरडी द्वारा प्रायोजित कॉलेज व विश्वविद्यालय छात्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना

स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर व्यावसायिक और अकादमिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए कक्षा XII के लगभग 6854 मेधावी छात्रों को स्नातक स्तर के लिए 1000/- रुपये तथा स्नातकोत्तर स्तर के लिए 20,000/- रुपये प्रति वर्ष की दर से केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना (सीएसएसएस)। यह योजना एमएचआरडी द्वारा पूर्ण वित्तपोषित है।

शिक्षकों व परामर्शदाताओं को सीबीएसई पुरस्कार, 2013

सीबीएसई उन शिक्षकों, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया है, को एकमात्र उपलब्धि, प्रवीणता और सत्यनिष्ठा को सम्मानित करने की परम्परा को सुदृढ़ करता है और इसने वर्ष 2000 से पुरस्कार आरम्भ किए हैं। वर्ष 2013 के लिए देश और विदेश के 33 शिक्षकों को उनके कक्षा-कक्ष अध्यापन में नवाचार के लिए पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन का आधार अकादमिक दक्षता और सुधार की आकांक्षा, वाजिब रुचि और समाज में प्रतिष्ठा, बच्चों के प्रति प्यार तथा शिक्षा-क्षेत्र में अध्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता है।



परामर्शदाता पुरस्कार-2013 उन 15 शिक्षकों को भी दिए गए जिन्होंने उन्हें आवंटित स्कूलों में परामर्श का कार्य सफलतापूर्वक किया है।

सार्वजनिक प्रतिसंवेदिता और सरलीकरण

भारत भर में केन्द्रीकृत पहुंच। सीबीएसई ने माता-पिता, छात्रों, स्कूलों व जनसाधारण जैसे अनेक हितधारकों तक सूचना उपलब्ध कराने के लिए टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल सेंटर शुरू किया है। कॉल सेंटर प्रशासनिक मामलों, संबंधन, छात्रवृत्ति, एकेडेमिक्स, परीक्षाओं, विधिक और

सीबीएसई की अन्य जनोन्मुखी कार्यकलापों से संबद्ध सुविधाजनक बेहतर पहुँच के लिए है।

सूचना का अधिकार अधिनियम


जनसूचना काउन्टर प्रीतविहार, सीबीएसई के जनसम्पर्क एकक में सभी कार्यदिवसों के नियमित कार्य-घंटों में क्रियाशील है। इसी तरह के काउन्टर सीबीएसई मुख्यालय व सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित किए गए हैं। रिपोर्टाधीन अवधि में प्राप्त आवेदनों और अपीलों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

प्राप्त / प्रत्युत्तरित आवेदनों की संख्या— 1465

प्राप्त / प्रत्युत्तरित अपीलों की संख्या— 236

जन शिकायतें

जनता द्वारा बोर्ड के प्रत्युत्तर सीपीजीआरएमएस के



जरिए देखे जा सकते हैं। शिकायतों के समाधान के लिए अधिक कार्यकुशलता, प्रभावी और यथार्थवादी तरीके से सावधानीपूर्वक ली जा रही है। लम्बित मामलों को शून्य स्तर पर लाने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों सहित सीबीएसई में एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।

* * * * *



अध्याय 05

उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा

उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा

विश्व में यूनाइटेड स्टेट्स और चीन के बाद भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली जिसमें तकनीकी शिक्षा शामिल है सबसे बड़ी है। उच्चतर शिक्षा ज्ञान आधारित समाज निर्मित करने का अत्यंत शक्तिशाली माध्यम है। उच्चतर शिक्षा लोगों को मानवता के समक्ष विवेचनात्मक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक मामलों पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है। यह विशेषीकृत ज्ञान और कौशल के प्रचार-प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान करती है। शैक्षिक पिरामिड के शीर्ष पर होने के नाते यह देश में गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 (एनपीई) जिसे 1992 में संशोधित किया गया था, में उल्लेख किया गया है कि अपेक्षित प्रतिभा वाले प्रत्येक भारतीय को उसके स्रोत पर विचार किए बिना, उच्चतर शिक्षा में सामान्यतया और तकनीकी शिक्षा में विशेष सुलभता प्रदान करके अंतर-क्षेत्रीय गतिशीलता सुसाध्य बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षण की अन्य संस्थाओं का सामान्य स्वरूप रेखांकित करना होगा। अनुसंधान और विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में देश की विभिन्न संस्थाओं के बीच अपने संसाधनों को साझा करने की नेटवर्क व्यवस्था स्थापित करने के लिए ऐसे विशेष उपाय करने होंगे जो राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में भागीदारी को संभव/पहुंच योग्य बनाई जा सके।


उच्चतर शैक्षिक प्रणाली – सांख्यिकीय परिदृश्य

संस्थाओं का नाम/नामांकन	2010-11	2011-12	2012-13 (अंतिम)
विश्वविद्यालय	621	642	665
अनूठे कॉलेज	32974	34852	35829
कॉलेज संस्थाएं	11095	11126	11443
नामांकन (लाख में)	275.00	291.84	296.29
दूरस्थ पद्धति में नामांकन (लाख में)	33.14	34.15	35.25


स्रोत: अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और एकल संस्थाओं की प्रगति अच्छी है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 अंतिम के बीच नामांकन दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली सही दिशा में है। 2011-12 और 2012-13 (अंतिम) की अवधि के दौरान 977 कॉलेजों की बढ़ोतरी चमत्कारी है। साथ ही नामांकन आंकड़े भी उच्चतर शिक्षा की सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

उच्चतर शिक्षा में वर्ष 2011-12 और 2012-13 (अंतिम) के दौरान नामांकन



आंकड़े :- 1 2012-13 में विभिन्न स्तरों पर छात्र-नामांकन की प्रतिशतता (अनंतिम)



स्रोत : अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण, एमएचआरडी, पी-अनंतिम

आलेखन प्रस्तुति (आकृति 1 और 2) में दर्शाया गया है कि छात्रों का अधिकतम नामांकन अवर स्नातक स्तर पर हुआ है उसके बाद स्नातकोत्तर और डिप्लोमा इत्यादि में हुआ है। आंकड़ों में दर्शाया गया है कि 2012-13 (अनंतिम) में अवर स्नातक डिग्री में नामांकन थोड़ा कम हुआ है और डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, पीजी डिप्लोमा, एम.फिल और एकीकृत जैसे पाठ्यक्रमों में बढ़ा है जो कि उच्चतर शिक्षा के छात्रों के लिए अच्छा संकेत है।

उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर): निम्नलिखित तालिका वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए उच्चतर शिक्षा का संकेत देती है।

श्रेणी	2010-11	2012-13 (अनंतिम)
पुरुष	20.8	22.3
महिला	17.9	19.8
कुल	19.4	21.1

वर्ष 2012-13 (अनंतिम) में सकल नामांकन अनुपात में 2010-11 में 19.4 से बढ़कर 2012-13 (अनंतिम) में 21.1 हो गया जिसमें उस अवधि में 8.76 प्रतिशतांश प्वाइंट की वृद्धि दिखाई दी। यह देखा जा सकता है कि पुरुष जनसंख्या का जीईआर थोड़ा अधिक है जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि महिलाएं भी उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और पुरुष प्रधान समाज को चुनौती रही हैं जोकि भारतीय समाज के लिए एक स्वस्थ संकेत है।

नया दृष्टिकोण और पहलें

मंत्रालय द्वारा पहली बार शिक्षा क्षेत्र में **क्षेत्र कौशल परिषद (एसएससी)** का गठन किया गया है।

सम्बन्ध (युवा वर्ग की व्यावसायिक उन्नति का कौशल निर्धारण मैट्रिक्स)— अब एक क्रेडिट ढांचा बनाया गया है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली के भीतर उर्ध्वस्थ और पार्श्व तथा मौजूदा शिक्षा प्रणाली के बीच गतिशीलता की अनुमति देता है। इसमें करते-करते सीखना, देखते हुए सीखना और प्रायोगिक अधिगम द्वारा मानसिक और शारीरिक विकास के एकीकरण पर जोर दिया गया है।

पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन— एक समावेशी योजना है जो शिक्षकों और शिक्षण के लिए शुरू की गई विभिन्न पहलों में सहक्रियाशीलता सृजित करेगी। इसमें शिक्षकों, शिक्षण, शिक्षक तैयारी, व्यावसायिक विकास, पाठ्यचर्या डिजाइन के सभी मुद्दों का समाधान होगा।



केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी 25 दिसंबर, 2014 को वाराणसी में पंडित मदनमोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन के शुभारंभ के अवसर पर सम्बोधित करते हुए।

अकादमिक नेटवर्क की वैश्विक पहल (जीआईएएन) का उद्देश्य भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ वैज्ञानिक और उद्यमियों के प्रतिभा पूल को, अंतर्राष्ट्रीय रूप से जोड़ा जाए ताकि देश के विद्यमान अकादमिक संसाधनों में वृद्धि करके गुणवत्ता सुधार की गति तेज की जा सके और भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षमता को वैश्विक उत्कृष्टता तक बढ़ाया जा सके।

विधायी और नीति सुधार: वर्तमान चुनौती का मुकाबला करने और उच्चतर शिक्षा प्रणाली की पुनर्संरचना के लिए विभिन्न विधायी और नीति संबंधी सुधार किए जा रहे हैं जिनमें (i) आईआईआईटी, विधेयक 2014— इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर, और कांचीपुरम स्थित चार वर्तमान भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को सांविधिक दर्जा प्रदान करना और उन्हें अभिशासन ढांचे में एकरूपता, प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन के लिए एक स्थान पर लाना जैसा आईआईटी, एनआईटी और आईआईएसईआर के मामले में (सभी संसद के अधिनियम द्वारा अभिशासित हैं) है (ii) योजना और वास्तुकला विधेयक—अधिनियम में योजना और वास्तुकला के नई दिल्ली, भोपाल और विजयवाड़ा के सभी तीनों स्कूलों को राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा प्रदान देना जिससे वे 'उत्कृष्टता के केन्द्र' के रूप में योजनाकारों और वास्तुविदों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के शहरीकरण और औद्योगिकरण के बढ़ते हुए उद्देश्य को पूरा कर सकें, (iii) उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान विधेयक जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ उच्चतर शिक्षा में स्तरों के निर्धारण, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अनुरक्षण और समन्वयन आयोग नामक शीर्ष निकाय (एनसीएचईआर) की स्थापना का प्रावधान है।

विनियामक समीक्षा: यूजीसी का सम्पूर्ण कार्यसंचालन विनियमों और न्यूनतम स्तरों को लागू करने के बजाय निरंतर अनुदान की ओर उन्मुख रहा है, इसलिए केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुनर्संरचना की जरूरत को मान्यता प्रदान करते हुए 30 जुलाई, 2014 को **यूजीसी समीक्षा समिति** का गठन किया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में उच्चतर/ तकनीकी शिक्षा अधिगम और अनुसंधान लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति के लिए तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में अनिवार्यताओं और चुनौतियों के समाधान के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की पुनर्संरचना और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए एआईसीटीई समीक्षा समिति का गठन किया है।

स्वयमु (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव—लर्निंग फॉर यंग एस्पाइरिंग माइंड्स): इस कार्यक्रम के अंतर्गत आईआईटी, आईआईएम, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों जैसी

केन्द्र वित्तपोषित संस्थाओं के प्रोफेसर हमारे देश के नागरिकों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित करेंगे। अधिगम के लिए सभी पाठ्यक्रम मुफ्त होंगे। यदि शिक्षार्थी को सत्यापित प्रमाणपत्र की आवश्यकता हो तो उनसे मामूली शुल्क वसूल किया जाएगा।

नो युअर कॉलेज एक पोर्टल है जिसका विकास कॉलेज के बारे में आवश्यक सूचना देते हुए कॉलेज के चयन का महत्वपूर्ण निर्णय लेने में छात्र की सहायता करता है।

इम्प्रिंट इंडिया: दस गोल पोस्टों की पहचान की गई है और विख्यात विशेषज्ञों के लिए समयबद्ध कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए अनुसंधान ग्रुप गठित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि देश की अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं के अनुसार जरूरतों की पहचान की जाए ताकि पावर, अनुसंधान, अवसंरचना और संसाधनों की उचित योजना तैयार की जा सके।

सक्षम: एआईसीटीई की सक्षम योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के निःशक्त बच्चों को तकनीकी शिक्षा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। जरूरतमंद और प्रतिभाशाली छात्रों को एआईसीटीई अनुमोदित संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा पढ़ने के लिए अधिगम मामलों, पर्यावरणीय चुनौतियों अथवा चिकित्सा कारणों के बावजूद उन्हें अपने कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता हेतु शिक्षण शुल्क और प्रासंगिक प्रभारों के रूप में छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

ईशान उदय: यूजीसी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की है। योजना में ऐसे छात्रों को 10,000 छात्रवृत्तियां मंजूर करने की बात कही गई है जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से कम हो और उन्हें 3500/- से 5000/- रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति देश के कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में अवर स्नातक स्तर पर अध्ययन करने के लिए दी जाएगी।

ईशान विकास: पूर्वोत्तर राज्यों से चुने हुए स्कूली बच्चों और इंजीनियरी कॉलेज के छात्रों को उनकी छुट्टियों के दौरान आईआईटी, एनआईटी और आईआईएसईआर के निकट सम्पर्क में लाने की एक व्यापक योजना है।

शिरोमणी स्तर के निकाय

उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत ऐसे आठ शिरोमणी स्तर के निकाय (विनियामक निकाय/ अनुसंधान परिषदें) हैं जो भारत में उच्चतर शिक्षा के प्रति उत्तरदायी हैं। ये निकाय मोटे तौर पर दो वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं (1) विनियामक निकाय और (2) अनुसंधान परिषदें।

(क) विनियामक निकाय

ऐसे तीन विनियामक निकाय हैं— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और वास्तुविद परिषद जो भारत में उच्चतर शिक्षा को विनियमित करते हैं।

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

यूजीसी एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना सन् 1956 में संसद के अधिनियम से विश्वविद्यालयी शिक्षा के संवर्द्धन और समन्वयन तथा शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान और विश्वविद्यालयों में विस्तार और मानकों के रखरखाव निर्धारण करने हेतु की गई थी। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान देने के अलावा आयोग केन्द्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक उपायों पर भी सलाह देता है और यूजीसी दिल्ली एवं अपने छः क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जो हैदराबाद, बंगलौर, गुवाहाटी, कोलकाता, भोपाल और पुणे में स्थित हैं, से कार्य करता है। यूजीसी की क्षेत्रवार योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा परिशिष्ट-I पर है।

यूजीसी की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का निष्पादन: चिकित्सा कॉलेजों और उनसे संबद्ध अस्पतालों समेत 39 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को विकास की योजना के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है। विकासात्मक सहायता का उद्देश्य न केवल विश्वविद्यालय में मौजूदा अवसंरचना में सुधार और समेकन करना है बल्कि चिन्हित क्षेत्रों में उत्कृष्टता विकसित करना भी है। 12वीं योजना के दौरान विश्वविद्यालयों को सामान्य विकास सहायता योजना ब्लॉक अनुदान के रूप में प्रदान की जा रही है। विश्वविद्यालयों के लिए— भवनों का निर्माण/नवाचार (प्राचीन भवनों के नवाचार समेत), परिसर विकास, स्टाफ, पुस्तकें और पत्रिकाएं, प्रयोगशाला, उपस्कर और अवसंरचना, वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध, नवाचारी अनुसंधान कार्यकलाप, विश्वविद्यालय उद्योग संयोजन, विस्तार कार्यकलाप, सांस्कृतिक कार्यकलाप, आईसीटी का विकास, स्वास्थ्य देखभाल, छात्रावासों सहित छात्र सुविधाएं, छात्रों को गैर नेट अध्ययेतावृत्तियां, यात्रा अनुदान, सम्मेलन/सेमिनार/सिम्पोजिया/कार्यशालाएं, प्रकाशन अनुदान, विजिटिंग प्रोफेसर की नियुक्ति/विजिटिंग फ़ैलो और कॅरियर और काउंसिलिंग प्रकोष्ठ की स्थापना, डे-केयर केन्द्र, महिलाओं और संकाय विकास कार्यक्रम इत्यादि के लिए बुनियादी सुविधाएं आदि इसमें शामिल होंगी।

मेटा विश्वविद्यालय अवधारणा: 12वीं योजना के दौरान यूजीसी ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा की शुरुआत की। मेटा विश्वविद्यालय का मुख्य प्रयोजन विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध अद्यतन उपलब्ध प्रौद्योगिकी

का प्रयोग करते हुए अधिगम संसाधन साझा करना है ताकि छात्र विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध अधिगम संसाधनों का लाभ उठा सकें। मेटा विश्वविद्यालय द्वितीय पीढ़ी के विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भौतिक सीमा शर्तों से मुक्त और सही समय में कार्य करने योग्य, ऐसे क्षेत्रों में संभव नवाचार और संभव लचीलेपन का लाभ लेते हुए कार्य करते हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान शैक्षणिक सुधार: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और शैक्षणिक सुधार करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जैसे— सेमेस्टर प्रणाली का प्रारंभ, पाठ्यचर्या को नियमित रूप से अद्यतन बनाते रहना और चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) इत्यादि की शुरुआत करना। यूजीसी ने “शिक्षकों और अन्य स्टाफ की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा स्तरों के अनुरक्षण के लिए उपाय 2010” विनियम भी जारी किए थे। यूजीसी ने उच्चतर शैक्षिक संस्थान विनियम 2012 के अनिवार्य मूल्यांकन और प्रत्यायन विनियम भी जारी किए हैं जिनके द्वारा सभी पात्र उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं से स्वयं को प्रत्यायित कराना अपेक्षित है। शिक्षकों और शिक्षण गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) और राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (स्टेट) अनिवार्य आवश्यकताएं बनायी गयी हैं, इनमें अपवाद वे हैं जिन्होंने यूजीसी (एम.फिल/पी.एचडी डिग्री देने के लिए (न्यूनतम स्तर और पद्धति) विनियम 2009 के अनुसार पी.एचडी पूरी की हो। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) यूजीसी द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को विभिन्न पैरामीटरों की गुणवत्ता पर प्रत्यायित करता है।

यूजीसी उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं का भी कार्यान्वयन करता है जैसे उत्कृष्टता के सामर्थ्य वाले विश्वविद्यालय (यूपीई), कॉलेज (सीपीई), केन्द्र और विशेष क्षेत्र (सीपीईपीए), विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) बुनियादी वैज्ञानिक सहायता (बीएसआर) इत्यादि।

(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)

एआईसीटीई का गठन सलाहकारी निकाय के रूप में सन 1945 में किया गया था और सन 1947 में बाद संसद के अधिनियम द्वारा इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। एआईसीटीई नई तकनीकी संस्थाओं को शुरू करने, नए पाठ्यक्रम चलाने और तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश क्षमता में भिन्नता के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। एआईसीटीई ने संबंधित राज्य सरकारों को नई संस्थाओं

के लिए प्रक्रिया संबंधी कार्रवाई करने और अनुमोदन देने, नए पाठ्यक्रम आरंभ करने तथा डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थाओं की प्रवेश-क्षमता में विविधता लाने की शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। यह ऐसी संस्थाओं के लिए मानदंडों और स्तरों को भी निर्धारित करती है। यह तकनीकी संस्थाओं के प्रत्यायन अथवा कार्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्ता विकास का तकनीकी मूल्यांकन भी सुनिश्चित करती है। विनियामक के अतिरिक्त एआईसीटीई की प्रोत्साहक की भूमिका भी रहती है जिसे यह महिलाओं, निःशक्तों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए तकनीकी शिक्षा के संवर्धन, नवाचारों के प्रोत्साहन, संकाय, अनुसंधान और विकास योजनाओं और तकनीकी संस्थाओं को अनुदान के माध्यम से कार्यान्वित करती है।

एआईसीटीई के अंतर्गत तकनीकी संस्थाओं में तकनीकी शिक्षा के संपूर्ण स्पेक्ट्रम, जिसमें इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, फार्मसी, वास्तुकला, होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगिकी, प्रबंधन अध्ययन, कम्प्यूटर अनुप्रयोग और प्रायोगिक कला और शिल्प कवर होते हैं, में स्नातकोत्तर, अवर स्नातक और डिप्लोमा शामिल हैं।

(iii) वास्तुकला परिषद (सीओए)

सीओए का गठन भारत सरकार द्वारा वास्तुकला अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत संसद के अधिनियम द्वारा किया गया जो 1 सितंबर, 1972 को लागू हुआ। अधिनियम में वास्तुविदों और तत्संबंधी मामलों के पंजीकरण की व्यवस्था है। वास्तुविदों का रजिस्टर रखने के अलावा सीओए मानकों के रख-रखाव, विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से निरीक्षण आयोजित करते हुए अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अर्हताओं का आवधिक मुआयना करती है। निरीक्षणों के आधार पर सीओए संस्थाओं के निर्धारित स्तरों की अपर्याप्तता के संबंध में संबंधित सरकारों को अभ्यावेदन कर सकती है। आगे पूछताछ के पश्चात जैसा वह ठीक समझे केन्द्र सरकार से, संबंधित सरकारों और वास्तुकला संस्थाओं की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए वास्तुशिल्पीय अर्हताओं की मान्यता की समाप्ति अधिसूचित करने से संबंधित निर्णय लेना अपेक्षित होता है। अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा किसी वास्तुशिल्पीय अर्हता की मान्यता की अधिसूचना जारी करने से पूर्व सीओए से सिफारिशें मांगी जाती हैं।

(ख) अनुसंधान परिषदें

(i) भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली

भारत सरकार ने भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) की एक स्वायत्त संगठन के रूप में

स्थापना की। आईसीएसएसआर का देश भर में स्थित 25 अनुसंधान संस्थानों और छह क्षेत्रीय केन्द्रों का नेटवर्क है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 31.12.2015 तक 12.25 लाख रुपए योजनागत और 2014-15 के लिए 7235.32 लाख रुपए वर्ष योजनेत्तर के अंतर्गत बजटीय आवंटनों को जारी करने का अनुमोदन किया है। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसके निम्नलिखित कार्यक्रम/योजनाएं हैं:

अपने 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम' के अंतर्गत आईसीएसएसआर ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों (सीईपी)/शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों (सीईसी)/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कार्यक्रमों के ढांचे के अंतर्गत अनेक देशों के साथ सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और अनुसंधान नेटवर्किंग स्थापित किया है। इसके अलावा यह कई अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों-अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संघों (आईएफएसओ), एसोसिएशन ऑफ एशियन सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल (एएसएसआरआईसी), अंतर्राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद (आईएसएससी), एशिया विज्ञान परिषद (एससीए), यूनेस्को इत्यादि के साथ जुड़ी हैं। समाज विज्ञानों और मानविकी पर ईयू इंडिया मंच प्रारंभ किया गया है जिसमें भारत की ओर से आईसीएसएसआर नोडल एजेंसी है। समाज विज्ञान अनुसंधान को संगोष्ठियां/सम्मेलन आयोजित करने के लिए आईसीएसएसआर वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि समाज विज्ञान अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जा सके।

आईसीएसएसआर विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों से संबंधित समाज विज्ञान विभागों के संकाय सदस्यों को उनके पीएचडी छात्रों के लिए 'अनुसंधान प्रणाली विज्ञान' पाठ्यक्रम आयोजित करने और युवा समाज विज्ञान संकाय को अपनी अनुसंधान क्षमताओं का विकास करने के लिए अनुदान प्रदान करती है। आईसीएसएसआर हर साल उन प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिकों को अनेक डॉक्टरल, पोस्ट-डॉक्टरल, वरिष्ठ और राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां प्रदान करती है जिन्होंने अपने-अपने अनुसंधान क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान किया है। परिषद वैयक्तिक विद्वानों को समाज विज्ञान में अपनी रुचि के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए अनुदान प्रदान करती है। आईसीएसएसआर अनुसंधान सर्वेक्षण और प्रकाशन कार्यक्रम के अंतर्गत समाज विज्ञान के विभिन्न विषयों में सन 1970 से सर्वेक्षण आयोजित करती रही है।

आईसीएसएसआर 25 अनुसंधान संस्थानों को अनुरक्षण और विकास अनुदान प्रदान करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार के बाहर से अनुसंधान संस्थानों को स्पॉन्सर करना परिषद का प्रमुख कार्यक्रम रहा है।

(ii) भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर), नई दिल्ली

भारतीय दर्शनशास्त्र अनुसंधान परिषद पंजीकृत सोसायटी के रूप में भारत सरकार द्वारा मार्च 1977 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत गठित की गई थी। तथापि इसने जुलाई, 1981 में कार्य प्रारंभ किया।

परिषद निम्नलिखित प्रमुख लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ गठित की गयी थी जैसे कि (i) दर्शनशास्त्र में समय-समय पर प्रगति की समीक्षा करना, (ii) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों का प्रायोजन अथवा सहायता करना, (iii) दर्शनशास्त्र में अनुसंधान में संलग्न संस्थाओं और संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, (iv) व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा दर्शनशास्त्र में शोध परियोजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए तकनीकी सहायता या मार्गदर्शन प्रदान करना और/या अनुसंधान प्रणाली विज्ञान में प्रशिक्षण के लिए संस्थागत या अन्य प्रबंधनों का आयोजन और सहायता करना (v) दर्शनशास्त्र के अनुसंधान के क्षेत्रों और विषयों जिनमें समय-समय पर अनुसंधान प्रोत्साहित करना चाहिए, संकेत देना और दर्शनशास्त्र में उपेक्षित किए गए या अविकसित क्षेत्रों में अनुसंधान विकास के लिए विशेष उपाय करना। 31.12.2015 तक जारी बजट अनुमान और वर्ष 2014-15 के प्रमुख उद्देश्य।

(iii) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर)

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना सन 1972 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI) के अंतर्गत की गई थी। परिषद के मुख्य उद्देश्य इतिहास अनुसंधान को उचित निर्देश देना और इतिहास के यथार्थ लक्ष्य और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना है। परिषद के संस्थापक लक्ष्य इतिहासकारों को एकत्र करना, उनके बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए मंच प्रदान करना, इतिहास की यथार्थ और युक्तियुक्त प्रस्तुतीकरण व्याख्या के लिए राष्ट्रीय निदेश देना, इतिहास अनुसंधान कार्यक्रमों और परियोजनाओं को प्रायोजित करना तथा इतिहास अनुसंधान में संलग्न संस्थाओं और संगठनों की सहायता करना है। इसमें इतिहास की व्यापक तस्वीर है ताकि इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, कला और साहित्य, दर्शनशास्त्र, पुरालेखशास्त्र मुद्राशास्त्रीय, पुरातत्व विज्ञान, सामाजिक-आर्थिक रचना प्रक्रियाएं और संबद्ध विषय जिनकी सशक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति और विषयवस्तु होती है को शामिल किया जा सके।

वर्ष 2014-15 (नवम्बर, 2014 तक) के लक्ष्य और उपलब्धियां दर्शाने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त ब्यौरे:-

क्र. सं.	कार्यक्रम	उपलब्धियां	उपलब्धियां
1	शोध परियोजनाएं	लागू नहीं	14
2	वरिष्ठ अकादमिक अध्येतावृत्ति	10	03 (अनु.जा./ अनु.ज.जा.)
3	विदेशी यात्रा अनुदान	लागू नहीं	38
4	प्रकाशन अनुदान	लागू नहीं	21
5	कनिष्ठ शोध अध्येतावृत्ति	80	76
6	पोस्ट-डॉक्टरेल अध्येतावृत्ति	10	09
7	अध्ययन-सह-यात्रा अनुदान	लागू नहीं	71
8	इतिहासकारों के व्यावसायिक संगठनों द्वारा सेमिनार/सिम्पोजिया/सम्मेलन इत्यादि	लागू नहीं	59
9	राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	3	3

परिषद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न विशेष परियोजनाओं का निष्पादन भी कर रही है जैसे (i) स्वतंत्रता परियोजना, (ii) भारत में 1858-1947 के अंग्रेजी शासन के आर्थिक इतिहास संबंधी दस्तावेज (iii) भारत/दक्षिण एशियाई शिलालेख में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक शब्दावली; (iv) 1857 परियोजना और (v) शहीदों का राष्ट्रीय रजिस्टर (1857-1947)।

योजनागत 700.00 लाख रुपए में से 539.58 लाख रुपए और योजनेतर 1057.59 लाख रुपए में से 800.07 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

(iv) राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (एनसीआरआई), हैदराबाद

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (एनसीआरआई) की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 1986 से संबंधित कार्य योजना (पीओए) के अनुसार की गई। यह 1995 में ग्रामीण उच्च शिक्षा संवर्द्धन की अधिदेशिता के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) के स्वायत्तशासी संगठन के रूप में अस्तित्व में आई। इसको अधिदेश है कि :

- शिक्षा संबंधी महात्मा गांधी के क्रांतिकारी विचारों के तर्क पर ग्रामीण उच्च शिक्षा का संवर्धन करना ताकि एनटीई, 1986 (1992 में यथा संशोधित) में परिकल्पित ग्रामीण क्षेत्रों के परिवर्तन की सूक्ष्म आयोजना की चुनौतियों का सामना किया जा सके क्योंकि यह राधाकृष्णन आयोग द्वारा (1948) सुझाया गया था।
- नेटवर्क समेकित करना तथा ग्रामीण संस्थाओं का विकास करना और मान्यता के लिए उन्हें तैयार करना।
- ग्रामीण संस्थानों का क्षेत्रीय विकास संस्थानों तथा ग्रामीण विश्वविद्यालयों में विलय करना जो ज्ञान संपर्क के लिए संपर्क केंद्र के रूप में कार्य करेंगे तथा स्वैच्छिक उपक्रमों के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण परिवर्तन के प्रभावी एजेंटों के रूप में उभरेंगे।
- भारत के सभी विश्वविद्यालयों में ग्रामीण उच्च शिक्षा के क्षेत्रों, ग्रामीण संस्थानों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों की शिक्षा की गुणवत्ता विनियमित करना।
- उभरते ग्रामीण व्यवसायों में तृतीयक स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार करना।
- मूल गांधीवादी शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करना।
- इन सभी संस्थानों की विषय-वस्तु को एक ओर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन पर तथा दूसरी ओर पारंपरिक बुद्धिमत्ता पर जोर देते हुए सुदृढ़ करना।
- आत्मनिर्भरता के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पहलों को प्रोत्साहन देना।
- ग्रामीण संस्थानों के क्षेत्रोन्मुखी पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।
- सामाजिक और ग्रामीण विकास के लिए कार्य अनुसंधान को साधन के रूप प्रोत्साहन देना।
- ऐसे ग्रामीण संस्थानों से संबंधित सभी मामलों पर, जो इसे भेजे जाएं, समय-समय पर भारत सरकार को सलाह देना।

वर्ष 2014-15 के लक्ष्य और उपलब्धियां दर्शाने वाले कार्यक्रम का संक्षिप्त ब्यौरा

केवीके के माध्यम से किसानों के लिए उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में देशभर में एकदिवसीय छः कार्यशालाएं और सेमिनारें आयोजित की गईं जिन पर

2014-15 (नवंबर 2014 तक) के दौरान योजना अनुदान से 0.89 लाख रुपए खर्च हुए।

देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों की एनएसएस इकाइयों के माध्यम से युवा निर्माण क्षमता के लिए एक दिवसीय दो अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए और योजना वर्ष 2014-15 (नवंबर 2014 तक) के लिए योजना अनुदान से 0.60 लाख रुपए व्यय किए गए।

एनसीआरआई ने 2 अक्टूबर, 2014 को गांधी जयंती समारोह के अवसर पर स्वच्छ भारत का जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया जिसमें 0.16 लाख रुपए व्यय हुए।

योजनेतर के अंतर्गत 113.01 लाख रु. में से 53.50 लाख रु. खर्च किया जा चुका है।

(v) सभ्यता अध्ययन केन्द्र

भारतीय विज्ञान, दर्शनशास्त्र और संस्कृति इतिहास परियोजना (पीआईएसएचपीसी)

प्रो. डी.पी. चट्टोपाध्याय, संस्थापक अध्यक्ष, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर) के विचार पर भारतीय विज्ञान, दर्शनशास्त्र और संस्कृति के अंतर-विषयी अध्ययन की व्यापक अनुसंधान परियोजना 80 के दशक के प्रारंभ में की गयी थी। लेकिन इसे व्यवहार में 1990 में ही लाया गया। इतिहास, विज्ञान, दर्शनशास्त्र और संस्कृति के प्रख्यात विद्वानों की चर्चाओं, वाद-विवादों और परामर्शों की श्रृंखला के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया कि एक अंतर-विषयी अध्ययन किया जाए ताकि विज्ञान, दर्शनशास्त्र और संस्कृति के आपसी संबंधों को भारतीय सभ्यता के लंबे इतिहास में विकसित करते हुए इनका विस्तार किया जाए।

वर्ष 2014-15 के दौरान (10 नवंबर 2014 तक) इसके अब तक निम्नलिखित चार खंड प्रकाशित किए गए हैं। 2 अवधारणा खंडों और 15 मोनोग्राफों सहित कुल संख्या 104 प्रमुख खंड हो गई है। आशा है कि मार्च 2015 तक 2 या 3 और खंड प्रकाशित हो जाएंगे:

खंड

1. खंड V, भाग 2 सेक्शन I, **भारत में कृषि का इतिहास (सी, एडी 1200 से 1947)** ललनजी गोपाल और वी.सी. श्रीवास्तव द्वारा सम्पादित।
2. खंड V, भाग 2, सेक्शन II **भारत में कृषि का इतिहास (सी, एडी 1947 से अबतक)** ललनजी गोपाल और वी.सी. श्रीवास्तव द्वारा सम्पादित।

3. खंड XII, भाग 5, फाउंडेशन ऑफ साइंसेस बी.बी. श्रीकंटन द्वारा सम्पादित
4. खंड XIV, भाग 5 : हिस्ट्री ऑफ इंडियास पॉलिटि, गर्वेनंस एंड कन्स्टीट्यूशनल कल्चर सुभाष सी. कश्यप द्वारा सम्पादित।

(ग) अन्य निकाय

(i) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएस), शिमला

मौलिक विषयों एवं जीवन की समस्याओं एवं विचार के संबंध में निःशुल्क एवं सृजनात्मक पूछताछ के लिए भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान एक उच्च आवासीय अनुसंधान केन्द्र है। इसकी स्थापना वर्ष 1964 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत हुई थी तथा ये राष्ट्रपति निवास, शिमला में अवस्थित है। संस्थान के प्रमुख उद्देश्य, उन क्षेत्रों, जिनमें गहरी मानव विशेषताएं हों, में सृजनात्मक विचार को प्रोत्साहित करना, शैक्षिक अनुसंधान के लिए उपयुक्त माहौल प्रदान करना तथा मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के सभी क्षेत्रों में उच्च अनुसंधान आयोजित करना, उसका मार्गदर्शन करना तथा उसे प्रोत्साहित करना है।

अध्येयता आईआईएस का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक समुदाय है। वर्ष 2014-15 के दौरान पांच राष्ट्रीय अध्येता, तीन टैगोर अध्येता, 23 अध्येता और 7 अतिथि अध्येता संस्थान में थे। इसके अलावा संस्थान प्रसिद्ध विद्वानों को संस्थान में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करता है। इस संबंध में 5 विजिटिंग प्रोफेसरों और 10 विजिटिंग विद्वानों ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान संस्थान का दौरा किया। संस्थान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर बड़ी संख्या में सेमिनार, सम्मेलन, अध्ययन सप्ताह, स्कूल, सिम्पोजिया और राउंड टेबल आयोजित किए। योजना के अंतर्गत 1700.00 लाख रुपए में से 1160.57 लाख रुपए खर्च किया जा चुका है।

(ii) भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू), नई दिल्ली

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू), सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी है। एआईयू का उद्देश्य अंतर-विश्वविद्यालय संगठन के रूप में सेवा करना है, यह सूचना विस्तार के ब्यूरो के रूप में काम करता है, विश्वविद्यालयों में सहयोग और आपसी परामर्श को सुसाध्य बनाता है, भारत में विश्वविद्यालयों और भारत में अन्य उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है।

शीर्ष निकाय के रूप में यह अकादमियों और सदस्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों को विचारों का आदान-प्रदान करने और आम महत्व के मामलों पर चर्चा के लिए मंच

प्रदान करता है। संघ उच्चतर शिक्षा में सूचना आदान-प्रदान के ब्यूरो के रूप में भी कार्य करता है और 'विश्वविद्यालय पुस्तिका' समेत कई शोध प्रलेख और 'यूनिवर्सिटी न्यूज' शीर्षक से साप्ताहिक पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। संघ की वर्तमान सदस्यता 536 है (सात संबद्ध सदस्यों अर्थात् काठमांडू विश्वविद्यालय, काठमांडू, मारीशियस विश्वविद्यालय, मारीशियस, रॉयल यूनिवर्सिटी आफ भूटान, थिम्पू, ओपन यूनिवर्सिटी, मलेशिया, मलेशिया, मिडल ईस्ट यूनिवर्सिटी, यूएई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालॉजी, मारीसस और सेमेटेट यूनिवर्सिटी, ईस्ट कजाकिस्तान सहित)।

संघ का अधिकतर वित्तपोषण सदस्य विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और अन्य प्रकाशनों से प्राप्त वार्षिक अंशदान और परामर्श प्रदान करने से किया जाता है। भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा संबंधी मामलों के बारे में अनुसंधान सहित अनुरक्षण और विकास के खर्च के कुछ भाग को पूरा करने के लिए अनुदान देता है।

एआईयू अपने विभिन्न प्रभागों जैसे कि अनुसंधान प्रभाग, मूल्यांकन, छात्र सूचना सेवा, प्रकाशन और बिक्री, खेलकूद, युवा कार्य, लाइब्रेरी और प्रलेखन, वित्त, बैठकें, प्रशासन, कम्प्यूटर और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के माध्यम से कार्य करता है। योजना के अंतर्गत 140.00 लाख रुपए में से 64.72 लाख रुपए खर्च किया गया है और गैर-योजना के 26.56 लाख रुपए के स्थान पर 56.89 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

कलैंडर वर्ष 2014-15 में निम्नलिखित कार्यशाला / सेमिनार आयोजित की गई

- उच्चतर शिक्षा में परीक्षा सुधार के बारे में कार्यशाला (चुनाव आधारित क्रेडिट अंतरण प्रणाली के विशेष संदर्भ में) 27-29 मई, 2014 के दौरान बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में हुई।
- महिला सशक्तीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी: क्षेत्रीय विविधता के विशेष संदर्भ में मामलों और सरोकारों पर 24-25 जून, 2014 के दौरान बस्तर विश्वविद्यालय बस्तर में राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित की गई।

केन्द्र वित्तपोषित उच्चतर और तकनीकी शैक्षिक संस्थाएं

उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाओं और कॉलेजों की संख्या में स्वतंत्रता के बाद भारी वृद्धि देखी गई है। शिक्षा, संविधान की (7वीं अनुसूची) 'समवर्ती सूची' में है जो केन्द्र सरकार को उच्चतर शिक्षा संस्थाओं अथवा अनुसंधान एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी

संस्थाओं में मानकों के समन्वयन और निर्धारण हेतु विधायी शक्तियां प्रदान करती है। केन्द्र सरकार उच्चतर शिक्षा में मानकों के समन्वयन और निर्धारण के लिए प्रमुख नीति तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। तदनुसार, संपूर्ण देश में उच्चतर शिक्षा में एकरूपता रखने और असेवित क्षेत्रों का भी ध्यान रखने के लिए कई केन्द्रीय वित्त पोषित शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की गई है। कुछ ऐसी संस्थाओं की भी स्थापना की गई है जो क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं का ध्यान में रखेंगी।

केन्द्रीय वित्त पोषित संस्थाएं हैं (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (ii) मानद विश्वविद्यालय (iii) तकनीकी संस्थान (iv) प्रबंधन संस्थाएं (v) सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाएं (vi) विज्ञान

एवं अनुसंधान परिषदें (vii) योजना एवं वास्तुकला संस्थाएं (viii) प्रशिक्षण संस्थाएं (ix) योजना एवं परामर्शी संस्थाएं (x) क्षेत्र/सेक्टर विशिष्ट संस्थाएं। यह इन संस्थाओं द्वारा के तहत स्थापित की गई हैं: (i) भारतीय संसद (ii) यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 (iii) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860। इन संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा की विभिन्न शाखाओं अर्थात् सामान्य/तकनीकी/प्रबंधन/भाषा/मानविकी/वास्तुकला/सूचना प्रौद्योगिकी/प्रशिक्षण इत्यादि में अवर स्नातक, स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट तथा अनुसंधान पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। वेबसाइट के साथ उपर्युक्त संस्थाओं/संगठनों के नाम **परिशिष्ट-III** पर हैं।

उच्चतर और तकनीकी संस्थाएं सिंहावलोकन

(i)	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	44*
(ii)	समवत विश्वविद्यालय	130
(iii)	तकनीकी संस्थाएं	16—भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) 30—राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)
(iv)	प्रबंधन संस्थान	13—भारतीय प्रबंधन संस्थान
(v)	सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	4—भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)
(vi)	विज्ञान और अनुसंधान परिषदें	5—भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) 1—राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी)
(vii)	योजना और वास्तुविद संस्थाएं	3—योजना तथा वास्तुकला विद्यालय
(viii)	प्रशिक्षण संस्थाएं	4— राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर)
(ix)	योजना और परामर्शी संस्थाएं	1—न्यूपा एवं 1—एडसिल
(x)	एरिया/क्षेत्र विशिष्ट संस्थाएं	7 [1—भारतीय खनन स्कूल (आईएसएम), धनबाद; 1—संत लोंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान; 1—पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी) ईटानगर; 1—केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), कोकराझार; 1—राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (एनआईटीआईई) मुंबई और नेशनल फाउंडरी और फॉर्ज प्रौद्योगिकी (निफ्ट), 1—गनी खान चौधरी इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (जीकेसीआईईटी) मालदा, पश्चिम बंगाल

*जिनमें से 39 को रख-रखाव और विकास अनुदान यूजीसी द्वारा दिए जा रहे हैं। इग्नू, नई दिल्ली, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल और दि इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी, चेन्नई का वित्तपोषण क्रमशः मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। साउथ एशियन और नालंदा विश्वविद्यालयों का वित्तपोषण एमएचआरडी द्वारा किया जा रहा है।

(i) केन्द्रीय विश्वविद्यालय: केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं जिन्हें शोध तथा अनुदेशात्मक सुविधाएं प्रदान करते हुए, अंतर विषयक अध्ययन प्रदान करने द्वारा और शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में नवाचार प्रदान करते हुए ज्ञान के सृजन और प्रसार की दृष्टि से स्थापित किया गया है। यह परिकल्पना की गई है कि ये विश्वविद्यालय स्वयं को उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में प्रदर्शित करेंगे और सामान्य रूप से तथा अपने आसपास शैक्षिक संस्थाओं में समाज के समग्र विकास में उत्प्रेरक भूमिका निभाएंगे। केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने संगत अधिनियम और संविधियों तथा उसके तहत अध्यादेशों के अंतर्गत अभिशासित होते हैं। वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित 40 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें से 39 का वित्तपोषण यूजीसी के जरिए किया जाता है जबकि इग्नू का वित्तपोषण सीधे मंत्रालय द्वारा किया जाता है।



मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी, हिंदू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के 116वें स्थापना दिवस पर 16 फरवरी, 2015 को दीप प्रज्ज्वलित करते हुए।

(ii) सम विश्वविद्यालय संस्थान: विश्वविद्यालय से इतर उच्च शिक्षा का ऐसा संस्थान जो अध्ययन के क्षेत्र विशेष में बहुत अधिक उच्च मानकों पर कार्य कर रहा हो, उसे केंद्र सरकार (यूजीसी के परामर्श पर) समवत विश्वविद्यालय के संस्थान के रूप में घोषित कर सकती है। सम विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का शैक्षणिक स्तर व विशेषाधिकार मिलता है, इसी प्रकार कुछ सम विश्वविद्यालयों यूजीसी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और कुछ निजी रूप से संचालित होते हैं। इन समवत विश्वविद्यालयी संस्थाओं ने देश में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के आधार का विस्तार किया है और ये विभिन्न विषयों में शिक्षा अनुसंधान सुविधाओं जैसे चिकित्सा, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, मत्स्य पालन शिक्षा, भाषा, समाज विज्ञानों, जनसंख्या विज्ञानों, डेयरी अनुसंधान, वन अनुसंधान, युद्ध सामग्री, प्रौद्योगिकी, समुद्रीय शिक्षा, योग, संगीत और सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि को संचालित कर रही हैं।

(iii) तकनीकी संस्थाएं: तीन प्रकार के तकनीकी संस्थान तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) वैज्ञानिकों व

इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए स्थापित किए गए थे, जिनका उद्देश्य देश में आर्थिक व सामाजिक विकास को सहायता प्रदान करने के लिए कुशल कार्यबल विकसित करना था। द्वितीय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) जिन्हें पहले प्रादेशिक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में जाना जाता था, को भारत में प्रादेशिक विविधता को संवर्द्धित करने व बहु-संस्कृति की समझ बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। तृतीय, पॉलीटेक्निक हैं जिन्हें डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।

(iv) प्रबंधक संस्थाएं: प्रबंधन शिक्षा तथा अनुसंधान व परामर्श सेवाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) की स्थापना की गई है। आईआईएम स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम, फैलोशिप कार्यक्रम व अन्य अल्पकालीन पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

(v) सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाएं: सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उच्च कौशल प्राप्त व्यावसायिकों की मांग को पूरा करने के लिए ग्वालियर (1998), इलाहाबाद (1999), जबलपुर (2005) तथा कांचीपुरम (2007) में केन्द्र द्वारा वित्तपोषित चार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति से विभिन्न स्तरों पर तकनीकी संस्थानों की स्थापना हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में सात राज्यों नामतः असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और राजस्थान में पीपीपी मोड में आईआईआईटी की स्थापना के प्रस्ताव मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। कर्नाटक तथा गुजरात की राज्य सरकारें प्रस्तावित उद्योग भागीदारों के नामों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

(vi) विज्ञान और अनुसंधान परिषदें: प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर (एसएसी-पीएम) भारत सरकार ने पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल और तिरुवंतपुरम में पांच भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान (आईआईएसईआर) संस्थान गठित किए। इन आईआईएसईआर की कल्पना विज्ञान के सीमांत क्षेत्रों में अनुसंधान करने और अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर गुणवत्तायुक्त विज्ञान शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। पांच आईआईएसईआर में से पुणे और कोलकाता में सन 2006 में शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए गए और मोहाली ने 2007 में शुरू कर दिया है। भोपाल और तिरुवंतपुरम में दो और आईआईएसईआर ने अपना सत्र अगस्त 2008 में शुरू किया। ये सभी आईआईएसईआर, एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं।

(vii) योजना और वास्तुकला संस्थाएं: भारत में योजना और वास्तुकला की जरूरतों का ध्यान रखने के लिए योजना और वास्तुकला स्कूलों की स्थापना भी की गई है।

(viii) योजना और परामर्शी संस्थाएं: भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (न्यूपा) एक प्रमुख संगठन है जो शिक्षा आयोजना और प्रबंधन में क्षमता निर्माण और अनुसंधान से संबंधित कार्रवाई न केवल भारत में ही करता है बल्कि दक्षिण-एशिया में भी करता है। सन 1961-62 में शैक्षिक आयोजकों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के युनेस्को क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में प्रारंभ करके अपनी नाम पद्धति और कार्यक्षेत्र में आगे परिवर्तन करने के माध्यम से चलते हुए यह सन 1979 में राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासनिक संस्थान (एनआईपीए) बन गया। शैक्षिक आयोजन और प्रशासन के क्षेत्र में किए गए कार्य को मान्यता प्रदान करते हुए भारत सरकार ने इसे अगस्त 2006 में समवत विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदत्त करने द्वारा अपनी डिग्रियां देने का अधिकार प्रदान किया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तरह एनयूईपीए का पूर्णतया रख-रखाव भारत सरकार द्वारा किया जाता है।



अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के बारे में अनुसंधान और कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अल्पसंख्यक समाज के अत्यधिक वंचित वर्ग हैं जिनमें शिक्षा प्राप्ति अति निचले स्तर पर है। भारत सरकार द्वारा उनको ऊंचा उठाने के लिए कई पहलें की गई हैं। एनयूईपीए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के बारे में सर्वेक्षण करता है। इसने उनके शैक्षिक उत्थान के लिए कई कार्यक्रम विकसित किए हैं। यह जनजातीय क्षेत्रों में संगोष्ठियां और क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

(ix) प्रशिक्षण संस्थाएं: राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआईआर)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन देश में चेन्नई, भोपाल, कोलकाता और चंडीगढ़ में तकनीकी शिक्षा की

गुणात्मक उन्नति के लिए स्वायत्त सोसाइटियों के रूप में चार राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआईआर) स्थापित किए गए थे। इन संस्थानों के अधिदेश तकनीकी शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षित करना, पाठ्यचर्या और सांस्थानिक संसाधन विकसित करना, राष्ट्रीय, राज्य सरकारों और तकनीकी संस्थानों को तत्संबंधी प्रक्रियाओं और उत्पादों इत्यादि में सुधार करने के लिए सहायता करना है।

(x) एरिया/क्षेत्र विशिष्ट संस्थाएं

भारतीय खनन स्कूल (आईएसएम), धनबाद

भारतीय खनन स्कूल (आईएसएम), धनबाद की स्थापना खनन और संबद्ध क्षेत्रों में अनुदेश और अनुसंधान प्रदान करने के लिए 1926 में की गई। सन 1967 में आईएसएम का स्वायत्त संस्था के रूप में समवत विश्वविद्यालय में परिवर्तन किया गया। भारतीय खनन स्कूल खनन, खनिज, तेल, इस्पात, इंजीनियरी, विनिर्माण क्षेत्रों और उभरते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम भी संचालित करता है। इसके अतिरिक्त आईएसएम के संकाय सदस्य और अनुसंधान विद्वान सीमावर्ती क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्ययन में अनुसंधान संचालित करते हैं और यह विभिन्न उद्योगों की वास्तविक जीवन समस्याओं का हल करने के लिए बड़ी संख्या में परामर्शी परियोजनाओं को निष्पादित करता है।

संत लॉंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (एसएलआईटी), लॉंगोवाल (पंजाब)

संत लॉंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), लॉंगोवाल (एसएलआईटी) पंजाब का गठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1989 में राजीव लॉंगोवाल शांति समझौते के अंतर्गत इंजीनियरी के उभरते क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। यह माड्यूलर प्रणाली और शिक्षा की नई अवधारणा अपनाते हुए तकनीकी जनशक्ति की विभिन्न स्तरों पर आवश्यकताओं को पूरा करता है जिसमें उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। इस संस्थान के शैक्षिक कार्यक्रम गैर-पारंपरिक, नवाचारी और व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर जोर देने के साथ-साथ उभरते क्षेत्रों में विधिवत प्रशिक्षण देने वाले होते हैं।

संस्थान के 451 एकड़ के लम्बे-चौड़े परिसर में सुविधाएं विस्तारित की गई हैं। परिसर सुंदर और सुव्यवस्थित रूप से विकसित क्षेत्र में फैला है जो हरा-भरा है जिनमें विभिन्न किस्म के 290 खूबसूरत भवन हैं। परिसर में आकर्षक प्रवासी पक्षियों से युक्त झीलें हैं। परिसर सदभाव और

प्राकृतिक सौंदर्य का भव्य दृश्य है। यह सभी सुविधाओं से सुज्जित और एक स्वतः स्पष्ट आधुनिक टाउनशिप है जहां कक्षा 1 से 12 तक एसएलआईटी समुदाय बच्चों के लिए एक समर्पित केन्द्रीय विद्यालय है। स्कूल यथा संभव बेहतरीन शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें राष्ट्र सेवा के लिए मानवीय संसाधन अर्पित करने के नैतिक मूल्य विद्यमान हैं।

संस्थान ने देश के व्यावसायिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बनाई है। संस्थान विभिन्न विषयों में प्रमाण-पत्र से लेकर डाक्टरेट के कार्यक्रमों के साथ इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों में पुख्ता आधार के साथ इंजीनियरी प्रणाली और दृष्टिकोण को अपने मन में बैठते हुए स्नातकों को कार्य की दुनिया में प्रवेश योग्य बनाते हैं और 'वास्तविक विश्व' की समस्याओं को सृजनात्मकता एवं व्यावहारिक परिणामों के साथ निपटाते हैं, सभी स्तरों पर संस्थान उच्च गुणवत्तायुक्त लचीले इंजीनियरी कौशल सृजित करता है। छात्रों को संचार और बातचीत के कौशल सिखने के साथ टीमवर्क और अंतर-विषयी कार्यचालन, लागत योजना और उद्यमियता के विचार को सैद्धांतिक सूझबूझ, सृजनात्मकता और नवाचार, तकनीकी विस्तार और व्यावसायिक कौशल से संश्लेषित किया जाता है।

एसएलआईटी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निःशक्तजनों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए स्पांसर योजना का कार्यान्वयन किया है जिसके अंतर्गत निःशक्तजन छात्रों को औपचारिक (प्रमाणपत्र और डिप्लोमा) और गैर-औपचारिक कार्यक्रमों में सन 2001 से प्रवेश दिया जाता है। शैक्षणिक वर्ष 2014-15 से बहु-प्रवेश और बहु-निकास का एक अनूठा शैक्षणिक ढांचा आरंभ किया गया है जो विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए प्रवेश में 10वीं के प्रमाण पत्र के बाद, 10+2, डिप्लोमा, अवर स्नातक और विज्ञान और इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्रियों में प्रवेश पाने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। सभी यूजी/एम.टेक/पीजी दाखिले सीएसएवी, डीएसए, सीसीएमटी, पीयूसीईटी, सीयू सीईटी, सीएटी और सीएमएटी से जुड़े हैं।

पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान (एनईआरआईएसटी), ईटानगर

पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान (एनईआरआईएसटी), ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना वर्ष 1986 में स्वायत्त संस्था के रूप में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी एवं प्रायोगिक विज्ञान विषयों में मुख्यतः पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए तकनीकी और कुशल जनशक्ति सृजित करने के लिए की गई थी। संस्था को 31.

5.2005 से समवत विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था और यह पूर्णतया केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

संस्था का उद्देश्य माॅड्यूलर पाठ्यक्रमों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए तकनीकी और कुशल जनशक्ति का सृजन करना है। संस्थान अतिरिक्त बाह्य अध्ययनों, विस्तार कार्यक्रमों और स्थानीय समुदाय के विकास के योगदान के लिए फील्ड आउटरीच कार्यक्रमलाप का भी संचालन करता है।

एनईआरआईएसटी इंजिनियरी, प्रौद्योगिकी और प्रायोगिक विज्ञानों में दो वर्षों की अवधि के माड्यूलर पाठ्यक्रम चलाता है। संस्थान एम.टेक, एमएससी, एमबीए और पी.एचडी कार्यक्रमों के साथ-साथ उन्नीस (छः प्रमाणपत्र, छः डिप्लोमा और सात डिग्री स्तर के) पाठ्यक्रम चलाता है। ये माड्यूलर कार्यक्रम नौकरियों के अवसर प्रदान करते हैं जैसे कि टेक्नीशियन, पर्यवेक्षक और इंजीनियर्स। प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम अगले उच्चतर माड्यूल में प्रवेश दिला सकते हैं बशर्ते निम्न स्तर के माड्यूलर में छात्रों द्वारा संतोषजनक निष्पादन किया गया हो और यदि जरूरत पड़े तो सेतु पाठ्यक्रमों को करने की व्यवस्था हो। इस माड्यूलर और नवाचारी प्रणाली का जोर छात्रों को उच्चतर स्तर के पाठ्यक्रमों असाधारण रूप से अच्छी तरह निष्पादित करने द्वारा या उच्चतर स्तर के पाठ्यक्रमों को अपनाने के अवसर पर निर्भर करते हुए नौकरियां लेकर समानांतर प्रणाली से बाहर निकलने की अनुमति देता है।

पूर्वोत्तर के आठ राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम का इस संस्थान में बराबर का कोटा है। सीटों की कुल संख्या में से 80 प्रतिशत सीटें बराबर-बराबर आठ राज्यों को आवंटित की गई हैं। अन्य 7 प्रतिशत सीटें इन आठ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवास प्रमाण-पत्रों वाले उम्मीदवारों में से अर्थात उन लोगों से जो अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हों लेकिन इन आठ राज्यों में स्थायी रूप से रहते हों, पूर्णतया योग्यता के आधार पर भरी जाती हैं। शेष बची 10 प्रतिशत सीटें संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में योग्यता के आधार पर देश के बाकी हिस्से से भरी जाती हैं। 3 प्रतिशत सीटें कुल मिलाकर सभी वर्गों से संबंधित शारीरिक रूप निःशक्त लोगों के लिए आरक्षित हैं। इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी और प्रायोगिक विज्ञानों में नियमित कार्यक्रमों के संचालन के अलावा संस्थान अपने शिक्षकों के लिए विभिन्न संगोष्ठियां/सम्मेलन/कार्यशालाएं, आयोजित करने जैसे कार्यक्रमलाप करता है और छात्रों के लिए अध्ययन दौरे भी आयोजित करता है तथा राज्य सरकार के विभागों और केन्द्रीय अभिकरणों के विभिन्न अनुसंधान और विकास के कार्य संचालित करता है।

राष्ट्रीय फाउंडरी और फोर्ज प्रौद्योगिकी (एनआईएफएफटी), रांची

राष्ट्रीय फाउंडरी और फोर्ज प्रौद्योगिकी (एनआईएफएफटी), रांची एक विशेषज्ञता प्राप्त संस्थान है जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा यूएनडीपी-यूनेस्को

के सहयोग से फाउंडरी और फॉर्ज उद्योगों को चलाने के लिए अर्हक इंजीनियर और विशेषज्ञ प्रदान करने हेतु 1966 में की गई।

संस्थान का स्वप्न तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करना और संग्रहकर्ता तथा मैटीरियल प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरी और अन्य शाखाओं और राष्ट्र की औद्योगिक उन्नति के साथ प्रौद्योगिकी सहगामी और साथ ही फाउंडरी प्रौद्योगिकी और फोर्ज प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगुआ के रूप में उनकी स्थिति को बनाए रखते हुए और सुदृढ़ करते हुए संगत/उभरती शाखाओं के क्षेत्र में अत्याधुनिक जानकारी और विशेषज्ञता का फैलाव करने वाले नेता के रूप में कार्य करना है। निफ्ट रांची के पांच विभाग हैं— अर्थात् फाउंडरी प्रौद्योगिकी, (2) फोर्ज प्रौद्योगिकी (3) विनिर्माण इंजीनियरी (4) मैटीरियल और धातुकर्मी इंजीनियरी तथा प्रायोगिक विज्ञान और मानविकी। सभी शैक्षणिक कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा प्रत्यायित किया जाता है। प्रवेश के लिए छात्रों का चयन सीबीएसई द्वारा बी.टेक पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है जबकि एम.टेक के छात्रों को जीएटीई में प्राप्त अंकों और साक्षात्कार के माध्यम से तथा उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए निफ्ट द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं के माध्यम से लिया जाता है। डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रमों के लिए छात्रों को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाता है।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (एनआईटीआईई), मुंबई

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (एनआईटीआईई), भारत की प्रमुख संस्थाओं में से एक है जो औद्योगिक इंजीनियरी और प्रबंधन शिक्षा में संलग्न है। संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के माध्यम से सन 1963 में की गई थी। एनआईटीआईई ने अब तक पांच दशकों से उद्योग की सेवा की है और आज इसके स्नातक पाठ्यचर्या और प्रबंधन विकास कार्यक्रम इस सहजीवी संबंध को गर्व से प्रदर्शित करते हैं। एनआईटीआईई परिसर मुंबई के अति सुरक्षित वातावरण से घिरे स्थान पर जिसके बगल में पोवाई और बिहार लेक हैं, एक पहाड़ी पर 63 एकड़ भूमि पर स्थित है। एनआईटीआईई शासी बोर्ड के माध्यम से जिसमें उद्योग, सरकारी श्रम और व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधि होते हैं, द्वारा प्रशासित होता है।

एनआईटीआईई, मुंबई औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईई), औद्योगिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईएम), औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआईटीएम), विनिर्माण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएमएम) और परियोजना प्रबंधन में

स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीपीएम) आयोजित करता है। एनआईटीआईई अध्येतावृत्ति (डॉक्टरल) कार्यक्रम भी आयोजित करता है जिसका उद्देश्य उत्कृष्ट विद्वानों का विकास करना है जो प्रबंधन के अर्थार्थ विज्ञान के प्रबंधन की स्पष्ट संदर्भ से परे खोज करता है। एनआईटीआईई को भारतीय प्रबंधन विकास कार्यक्रमों (एमडीपी) में संलग्न व्यावसायिक औद्योगिक परामर्श और औद्योगिक और संबद्ध क्षेत्रों में प्रायोगिक अनुसंधान में संलग्न ख्याति प्राप्त भारतीय संस्थान के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

एनआईटीआईई ने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष 2013-14 में अपने विगतकाल की समीक्षा करने, अपनी वर्तमान स्थिति और इसकी भविष्य योजना को निर्धारित करने की कवायद चलाई है। यह समीक्षा और कार्यनीति योजना दस्तावेज एनआईटीआईई की कार्यनीति योजना, लक्ष्यों, मूल्यों और औद्योगिक इंजीनियरी और संबद्ध क्षेत्रों के विस्तार में अपने नेतृत्व को बनाए रखने में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों की नींव प्रदान करता है।

गत एक दशक में वैश्विक रूप से और विशेषरूप से भारत में कई परिवर्तन देखने को मिले हैं। इन परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में एनआईटीआईई की कार्यनीति योजना से इसे जो मुख्यता एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में जाना जाता था को एक अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाएगा। इस दिशा में पहला कदम एनआईटीआईई के मौजूदा स्वप्न में उत्तम तालमेल बिठाना है और ऐसा मिशन बनाना है जिसमें औद्योगिक इंजीनियरी संचालित एनआईटीआईई के मौजूदा स्वप्न में उत्पादकता पर जोर हो।

केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), कोकराझार, असम

केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी) कोकराझार एक स्वायत्त संस्थान है जिसका वित्तपोषण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद पर समझौता ज्ञापन का परिणाम है जो असम सरकार संघ सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर के बीच फरवरी 10, 2003 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का परिणाम है। परिणामस्वरूप सीआईटी ने दिसंबर 06, 2006 से कार्य करना शुरू किया है। संस्थान का संचालन एक स्वायत्त निकाय जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है और अधिशासी बोर्ड (बीओजी) के अंतर्गत कार्य करता है, द्वारा चलाया जाता है।

सीआईटी की स्थापना बोडो लोगों की उनकी सांस्कृतिक पहचान, भाषा, शिक्षा और समग्र क्षेत्र के आर्थिक विकास से संबंधित अभिलाषाओं को पूरा करने के मूल उद्देश्य से की गई थी। अकादमिक कार्यक्रमों और पाठ्यचर्या में अपेक्षित कार्यबल सृजित करने, युवाओं को अपेक्षित प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने, इस क्षेत्र की आर्थिक उन्नति को प्रोत्साहित करने और बोडोलैंड को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मुख्यधारा के जोड़ने पर जोर दिया जाता है।

सीआईटी को अधिदेश है कि वह तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, बायो-प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण उद्योग, व्यावसायिक प्रबंधन इत्यादि पर असर डाले और भारत

सरकार और असम सरकार द्वारा बोडोलैंड के लोगों और सम्पूर्ण क्षेत्र की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए किए जा रहे एकजुट प्रयासों का भाग बने। वर्तमान में संस्थान में निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं:-

क्र.सं.	डिप्लोमा	डिग्री
i	कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरी	कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरी
ii	इलैक्ट्रानिक्स और संचार इंजीनियरी	इलैक्ट्रानिक्स और संचार इंजीनियरी
iii	कंट्रोल और इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरी	इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग
iv	खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी	खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
v	निर्माण प्रौद्योगिकी	सिविल इंजीनियरिंग (निर्माण प्रौद्योगिकी)
vi	ऐनीमेशन और मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी	सूचना प्रौद्योगिकी

सीआईटी में अब विभिन्न शैक्षणिक शाखाओं के लिए एक संतुलित सुसज्जित आधुनिक प्रयोगशाला है, एक अत्याधुनिक स्वचालित आरएफआईडी प्रौद्योगिकी से सुसज्जित केन्द्रीय लाइब्रेरी और ग्लोब में कहीं से भी ऑनलाइन सुलभता के लिए प्रतिबद्ध वेब ओपीएसी है।

गनी खान चौधरी इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (जीकेसीआईटी), मालदा, पश्चिम बंगाल

गनी खान चौधरी इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (जीकेसीआईटी), मालदा, पश्चिम बंगाल की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2008 में की गई थी यद्यपि शैक्षणिक कार्यकलाप तीन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के साथ 16 अगस्त, 2010 को शुरू किए गए। संस्थान का उद्देश्य बहु-स्तरीय अंतर-विषयी और अंतर-क्षेत्र, सक्षम व्यावसायिक तकनीकी जनशक्ति का सृजन करना और अकादमिकों में तकनीकी क्षमता के विकास और अंतरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करना है।

संस्थान के प्रमुख उद्देश्य हैं (i) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में लचीले, माड्यूलर, क्रेडिट आधारित बहु-विषय प्रवेश कार्यक्रम संचालित करना (ii) उद्यमीयता के तत्व प्रारंभ करके, मार्गदर्शी और सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना ताकि छात्र की स्व-रोजगार उपक्रम चलाने में सहायता की जाए (iii) प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में गैर-औपचारिक कार्यक्रम संचालित करना (iv) महिलाओं, पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों बच्चों और समाज के अन्य लाभवंचितों के विशेष रूप से तैयार पाठ्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा सुविधाएं प्रदान करना (v) लघु, मध्य और बड़े उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर उद्योगों में कार्यरत कार्मिकों के लिए निरंतर शिक्षा कार्यक्रम संचालित करना और (vi) सभी

कार्यक्रमों के बाद में प्रवेश के लिए एक पाठ्यक्रम के स्तर से दूसरे स्तर में जाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्सेस) संचालित करना।

संस्थान को पावर ग्रिड निगम के प्रशिक्षण संस्थान, मालदा में अस्थायी रूप से जगह दी गई है और स्थायी स्थान लगभग 105 एकड़ में फैली हुई भूमि पर मालदा टाउन रेलवे स्टेशन से 7 कि.मी. की दूरी पर और 0.7 किलोमीटर के अंतर पर राष्ट्रीय राजमार्ग स. 34 पर विकसित किया जा रहा है। यह हरी-भरी और चाय के बागान से घिरी हुई भूमि पर एक सुंदरस्थल है। परिसर निर्माण का कार्य राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी), नई दिल्ली को दिया गया है। एक शैक्षिक ब्लॉक पूरा कर लिया गया है जिसका उद्घाटन औपचारिक रूप से माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा 01.08.2014 को किया गया है ताकि संस्थान शैक्षिक वर्ष 2014-15 के दौरान अपने डिग्री कार्यक्रम शुरू कर सके।

जीकेसीआईटी जो सात (07) प्रमाणपत्र ने कार्यक्रम और तीन (03) डिप्लोमा कार्यक्रम चला रहा है, ने शैक्षिक वर्ष 2014-15 से तीन विषयों में अपने डिग्री कार्यक्रम भी शुरू कर दिए हैं।

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईटी), बैंकाक

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईटी), बैंकाक की स्थापना 1959 में एसईएटीओ सदस्य राज्यों की उच्च तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से एसईएटीओ स्नातक इंजीनियरिंग विद्यालय के रूप में की गई थी। सन् 1967 से यह एसईएटीओ के नियंत्रण में नहीं है और संस्थान का नाम एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान रख दिया गया और यह अंतर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड को सौंपे जा रहे हैं, प्रबंधन के साथ एक स्वायत्त संस्थान हो गया। इस समय बैंकाक में भारत के राजदूत एआईटी बैंकाक न्यासी बोर्ड के

सदस्य हैं। भारत सरकार विशिष्ट चुनिंदा क्षेत्रों में 16 सप्ताह की अवधि के लिए भारतीय संकाय की अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति द्वारा एआईटी को सहायता प्रदान करती है और प्रति वर्ष संकाय की अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति के लिए 33.00 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति करती है। मंत्रालय ने जनवरी 2015 अवधि के लिए 8 उम्मीदवार तैनात किए हैं। इसके अलावा भारत सरकार एआईटी को हर वर्ष भारतीय उपकरण, पुस्तकें तथा पत्रिकाएं खरीदने के लिए 3 लाख रुपये भी प्रदान करती है।

कोलंबो तकनीकी शिक्षा प्लान स्टाफ कॉलेज (सीपीएससी) मनीला को सहायता

टेक्नीशियनों के लिए कोलंबो प्लान स्टाफ कॉलेज (सीपीएससी), मनीला कोलंबो योजना की एक विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसी है। इसकी स्थापना कोलंबो योजना के सदस्य देशों की सहायता करने के लिए वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में आयोजित कोलंबो योजना की परामर्शदात्री समिति की 23वीं बैठक में 5 दिसंबर, 1973 को की गई थी। बारह वर्षों के लिए प्रथम मेजबान सरकार के रूप में कार्य कर रहे सिंगापुर गणराज्य के साथ इसने 1974 में कार्य करना शुरू किया था। 1986 में सीपीएससी मनीला, फिलीपींस चला गया। कोलंबो योजना स्टाफ कॉलेज एशिया प्रशांत क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार से संबंधित मुद्दों का अनूठा संगठन है जो टेक्नीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार से संबंधित मामलों का समाधान करने वाला एशियन पैसिफिक क्षेत्र में केवल अकेला क्षेत्रीय संस्थान है। स्टाफ कॉलेज का उद्देश्य टेक्नीशियन शिक्षक, शिक्षाविद और प्रशिक्षकों और टेक्नीशियन शिक्षा में वरिष्ठ स्टाफ की जरूरतें पूरी करके सेवाकालीन प्रशिक्षण और स्टाफ विकास कार्यक्रमों में अधिक सक्रिय भाग लेने द्वारा कोलंबो योजना क्षेत्र में टेक्नीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए।

मुक्त तथा दूरस्थ अध्ययन

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

इग्नू की स्थापना 1989 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुलभ करना; विभिन्न स्तरों पर जिनको इसकी आवश्यकता है उन्हें आवश्यकता पर आधारित गुणवत्तायुक्त, नवाचारी शिक्षा प्रदान करना और देश के सभी भागों में और विदेश स्थित अपने केन्द्रों के माध्यम से व्यवहार्य लागत पर कार्यक्रम प्रदान करके इसे वंचितों, तक पहुंचाना है। इग्नू आजीवन उच्चतर शिक्षा के लिए सतत अवसरों का विस्तार कर रहा है और उसे समावेशी बना कर शिक्षा को लोकतांत्रिक बना रहा है। इस विश्वविद्यालय ने एक लचीला और नवाचारी दृष्टिकोण अपनाया है जो

विद्यार्थियों को शिक्षा से काम की और काम से शिक्षा की ओर जाने के लिए देश की विविध आवश्यकताओं के लिए बेहतर रूप से तैयार होने तथा साथ ही पूर्ण संभाव्यता में मानव संसाधनों का दोहन करने और भौगोलिक लाभांश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।

इग्नू अपने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय सहित पूरे देश में फैले 67 क्षेत्रीय केन्द्रों और 2726 अध्ययन केन्द्रों वाले एक तीन स्तरीय नेटवर्क के माध्यम से छात्रों को अकादमिक सहायता प्रदान करता है जिसमें से 71 अध्ययन केन्द्र चालू वित्त वर्ष में स्थापित किए गए हैं। इग्नू ने समाज के हाशिए वाले और वंचित वर्ग को उच्चतर शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित किए हैं। इग्नू ने 21 विशेष अध्ययन केन्द्र स्थापित किए हैं (11 जेल में; सात ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों में; दो अल्पसंख्यक—आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईईबीबी) में और एक झोपड़ पट्टी क्षेत्र में)। व्यक्तिगत छात्रों को परामर्शी और अकादमिक सहायता अध्ययन केन्द्रों में रखे 40389 अंशकालिक परामर्शदाताओं के माध्यम से प्रदान की जाती है।

इस विश्वविद्यालय में 549 शिक्षक/अकादमिक, 1448 तकनीशियन/प्रशासनिक कर्मचारी हैं। इस विश्वविद्यालय में उसके विभिन्न अकादमिक कार्यक्रमों में कुल मिलाकर रोल पर लगभग 27.7 लाख छात्र हैं। इग्नू 21 अध्ययन स्कूलों के माध्यम से डॉक्टोरेट, मास्टर, बैचलर, डिप्लोमा तथा प्रमाण—पत्र स्तरों पर 228 अकादमिक कार्यक्रम प्रदान करता है। इग्नू का 27वां दीक्षांत समारोह 16 अप्रैल, 2014 को विश्वविद्यालय के मुख्यालय और साथ ही उसके सभी क्षेत्रीय केन्द्रों में आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि श्री अशोक ठाकुर तत्कालीन सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और माननीय अतिथि श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विजिता नन्यक्का थे। कुल मिलाकर 2,38,276 छात्रों को एम.फिल तथा पी.एचडी सहित डिग्रियां, डिप्लोमा और प्रमाण—पत्र तथा 93 छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए।



श्री अशोक ठाकुर, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए

इस विश्वविद्यालय ने अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा के पांच पूर्वोत्तर राज्यों के साथ मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से दो वर्षीय डी.ई. आई.ई.डी. कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक (प्राथमिक और उच्च प्राथमिक) स्तर पर गैर-प्रशिक्षित शिक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सहयोग ज्ञापन (एमओसी) हस्ताक्षरित किया है। यह शिक्षक प्रशिक्षण चालू वित्तीय वर्ष में आरंभ हो गया है।

इग्नू ने केवीएस के सेवा-कालीन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उसके साथ भी एमओसी हस्ताक्षरित किया है जिसमें इग्नू ने जुलाई, 2014 के प्रवेश चक्र में 3628 प्राथमिक शिक्षकों को पंजीकृत किया है। यह कार्यक्रम अगले चरण में लगभग 13,500 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) को प्रशिक्षित करेगा।

इग्नू समाज के सभी वर्गों के लिए इसे सर्व-सुलभ बनाते हुए उच्चतर शिक्षा का लोकतन्त्रीकरण करने के प्रति प्रतिबद्ध है। वर्ष 2014-15 के दौरान इस विश्वविद्यालय ने जेल बंदियों को अवसर प्रदान करने संबंधी अपने प्रयासों को तीव्र कर दिया है। यह विश्वविद्यालय देश की सभी जेलों में स्थित 94 विशेष अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से जेल बंदियों को अकादमिक कार्यक्रम प्रदान कर रहा है। इग्नू भारतीय कैदियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है और इस पहल से अब तक 2500 कैदियों को लाभ प्राप्त हुआ है।

चालू वर्ष के दौरान इस विश्वविद्यालय द्वारा 5 नये अकादमिक कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं:

- भू-विज्ञान सूचना में स्नातकोत्तर प्रमाण-पत्र कार्यक्रम
- शहरी योजना में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- अनुप्रयोज्य सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- अनुवाद अध्ययन में एम.ए.
- प्राथमिक शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु प्रमाण-पत्र कार्यक्रम

इग्नू ने सभी स्टेकहोल्डरों को सहायता देने के लिए अवधारणा, विकास, कार्यान्वयन, अनुरक्षण, समन्वय तथा शैक्षिक साधनों पर आधारित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के अधिदेश के साथ प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षा समूह (टीईईजी) का गठन किया है।

प्रधानमंत्री के 'कौशल-युक्त भारत' के आह्वान के फलस्वरूप और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कौशल विकास पहल के अनुरूप यह विश्वविद्यालय अपने कुछ कार्यक्रमों को राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के साथ अपने विद्यमान कार्यक्रमों को मिलाने की पहल कर रहा है। दूसरी पहल हीरो मोटर्स लिमिटेड के साथ मोटर साइकिल सर्विस और रिपेयर (सीएमएसआर) में प्रमाण-पत्र एक सहयोगात्मक परियोजना है जिसका उद्देश्य क्षमता पर आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण देना है।

4-5 जुलाई, 2014 को क्षेत्रीय केन्द्र दिल्ली-02 में एक कैम्पस प्लेसमेंट अभियान आयोजित किया गया था और 264 छात्रों को रोजगार प्रस्ताव दिए गए थे।

राष्ट्रमंडल अध्ययन (सीओएल): राष्ट्रमंडल अध्ययन (सीओएल) की स्थापना सन 1988 में राष्ट्रमंडल देशों की सरकारों के बीच एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से की गई थी। इसका मुख्यालय वैंकूवर, कनाडा में है। सीओएल का मुख्य कार्य मुक्त अध्ययन/दूरस्थ शिक्षा ज्ञान, संसाधन और प्रौद्योगिकियों के विकास तथा सहभागिता को प्रोत्साहित करना है। सीओएल गुणवत्ता शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुलभता में सुधार करने के लिए विकासशील देशों की सहायता भी कर रहा है।

भारत ने सीओएल की स्थापना के लिए 1 मिलियन पाउंड (250 लाख रुपए) का आरंभिक वचन दिया है। वर्ष 1995-96 से भारत सीओएल के लिए अपना अंशदान दे रहा है। सीओएल राष्ट्रमंडल देशों द्वारा स्वैच्छिक रूप से वित्त-पोषित है और भारत, ब्रिटेन तथा कनाडा के बाद तीसरा दानदाता है। भारत ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अनुदाता सीओएल में 5.75 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। वर्ष 2014-15 से सीओएल का अंश बढ़ाकर 6.00 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। इस वर्ष भारत सरकार का अंश 6.00 करोड़ रुपए पहले से ही स्वीकृत कर दिया गया है और सीओएल को जारी कर दिया गया है।

भारत का सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग के माध्यम से सीओएल के शासी बोर्ड तथा कार्यकारी समिति में प्रतिनिधित्व है।

सीओएल ने भारत में नई दिल्ली स्थित अपना एशिया शैक्षिक मीडिया केन्द्र (सीईएमसीए) स्थापित किया है और दूरस्थ अध्ययन के प्रभारी सचिव सीईएमसीए सलाहकार परिषद के सदस्य हैं।



प्रो. आशा कुमार, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रमंडल अध्ययन : 2 जुलाई, 2014 को 19वें प्रो. राम रेड्डी स्मारक व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए।

कार्यक्रम / योजनाएं

(i) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा)

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) 2013 में आरंभ एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को कार्यनीति निधि प्रदान करना है। केन्द्रीय वित्तपोषण (सामान्य श्रेणी के लिए 65:35 और विशेष श्रेणी के लिए 90:10 अनुपात में) मानदंड आधारित और परिणाम आधारित होगा। यह वित्त-पोषण केन्द्रीय मंत्रालय से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से चिन्हित संस्थाओं तक पहुंचने से पहले राज्य उच्चतर शिक्षा संस्था परिषद को जाएगा। राज्यों को वित्तपोषण राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के समायोजनात्मक अवलोकन के आधार पर दिया जाएगा जिसमें उच्चतर शिक्षा में समता, सुलभता तथा उत्कृष्टता के मुद्दों का समाधान करने की प्रत्येक कार्यनीति का वर्णन होगा।

रुसा विद्यमान स्वायत्त शासी कॉलेजों और कॉलजों के एक क्लस्टर में बदलकर उन्नयन के माध्यम से नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करेगा। यह नए मॉडल कॉलेजों, नए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना करेगा तथा विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अवसंरचना व्यय सहायता प्रदान करेगा। संकाय भर्ती सहायता, संकाय सुधार कार्यक्रम और शैक्षिक प्रशासकों का नेतृत्व विकास भी इस योजना का महत्वपूर्ण भाग है। कौशल विकास में वृद्धि की दृष्टि से पॉलिटेक्निकों को विद्यमान केन्द्रीय योजना रुसा के साथ मिला दिया गया है। उच्चतर शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को बल प्रदान करने के लिए एक अलग घटक भी रुसा में शामिल किया गया है। इसके अलावा, रुसा सहभागी राज्य में सुधार, पुनर्गठन तथा संस्थाओं की क्षमता विकसित करने में भी सहायता प्रदान करता है।

यह निर्णय लिया गया कि रुसा योजना की ऑनलाइन तथा रीयल टाइम आधार पर कार्यान्वयन और निगरानी की जाए। इस प्रयोजन के लिए एक सुविन्यासित व्यापक और सशक्त आंकड़े के आधार के माध्यम से सरकार से नागरिक (जी टू सी) तथा सरकार से सरकार (सी टू जी) इंटरफेस वाली एक वेब-आधारित ऑनलाइन रीयल टाइम प्रणाली की परिकल्पना की गई है। जी टू सी इंटरफेस देश में तृतीयक शिक्षा से संबंधित सभी सूचना और आंकड़ों के प्रसारण के लिए होंगे तथा रुसा अपनी आसान नेवीगेशन और विषय प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) युक्त एक रीयल टाइम वेबसाइट के माध्यम से कतिपय पूर्व-निर्धारित फार्मेटों, बारचार्टों, पीआई चार्टों तथा ग्राफों में रीयल टाइम आधार पर कार्यान्वयन और निगरानी करेगा। यह प्रणाली पृष्ठताछ आधारित आंकड़ा/सूचना प्रदान करने में समर्थ

होनी चाहिए। जी-जी इंटरफेस में अनिवार्य रूप से व्यापक इ-फार्म आधारित इलैक्ट्रॉनिक आफिस होगा जिसमें डिजिटल फाइल घटक (पत्राचार तथा नोट दोनों), अलर्ट यूजिंग मास्टर्स के लिए फिक्स टाइमर सुविधायुक्त प्रत्येक स्टैकहोल्डर के लिए डैश बोर्ड फीचर होगा। यह पूरी प्रणाली स्मार्ट मोबाइल फोनों तथा अन्य स्मार्ट प्रणालियों सहित सभी प्लेटफार्मों पर चल सकेगी।

इस प्रणाली में निम्नलिखित मास्टर्स युक्त मॉड्यूल होंगे जिनमें प्रत्येक स्टैकहोल्डर के लिए डैश बोर्ड होंगे।

(क) डाटाबेस

इस प्रणाली में शिक्षकों, छात्रों, विभागों, पुस्तकालयों, हॉस्टलों, खेल सुविधाओं, अवसंरचना, वित्त, परीक्षा, प्रशासन आदि के संबंध में 40,000 (चालीस हजार) (+) संस्थाओं से भारी मात्रा में आंकड़ों के स्टोर और प्रोसेस करने के लिए सावधानी से तैयार किया गया डाटाबेस होगा। इसे आंकड़े प्राप्त करने तथा प्रोसेस करने, सुविन्यासित वर्णन पद्धतियों जैसे बार चार्ट, पी-चार्ट, ग्राफों, टेबलों आदि में रीयल टाइम आधार पर बदलने में समर्थ होना चाहिए। इस आंकड़ा आधार को अनुप्रयोगों में विभिन्न सुविन्यासित इ-फार्मों में तत्काल आंकड़े निर्यात करने में समर्थ होना चाहिए।

(ख) योजनाएं और उनके मूल्यांकन के विकास का मॉड्यूल

रुसा योजनाएं तैयार करने और मूल्यांकन करने तथा आंकड़ों के वर्णन और निगरानी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अनेक फार्मेट प्रदान करेगा जिन्हें इ-फार्म में बदलने की आवश्यकता होगी। यह इ-फार्म रुसा ऑनलाइन आपरेशन को सरल बनाने के लिए जहां बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। 2डी बार कोड फीचर के साथ डाउनलोड करने योग्य है। बेसिक यूनिट अर्थात कॉलेज/ संस्थाओं के लिए इ-फार्म डाटाबेस से यथासंभव आंकड़े उठाएगा और उन्हें वैध बनाएगा।

सभी इ-फार्म में सरकार प्रणाली के माध्यम से क्वैरी मेल तथा रिसीव करने के लिए पाठ्यसामग्री और फीचर को शामिल करने हेतु समुचित स्थान होगा। इसमें डाटा मूल्यांकन और उसी फार्म में प्री-पोपुलेशन फीचर का प्रावधान होना चाहिए।

(ग) मीटिंग मॉड्यूल

यह अनुप्रयोग ऊपर उल्लिखित अवलोकन नोटों/रिपोर्टों से टेक्स्ट और डाटा निकालकर निर्धारित फार्मेट में पीएबी की बैठक के वास्ते ड्राफ्ट कार्यवृत्त नोट तैयार करेगा जो पूर्व-तैयार रिपोर्ट अवलोकनकर्ता की टिप्पणियां होंगी और निश्चित समय के अनुसार अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाएगा। ये मॉड्यूल मास्टर्स से सज्जित होंगे।

यह अनुप्रयोग मास्टर्स के माध्यम से निश्चित समय के अनुसार सभी सदस्यों को कार्यवृत्त तथा बैठक का नोटिस स्वतः भेजेगा। इस मॉड्यूल में ऑनलाइन कार्यवृत्त लिखने और अंतिम रूप देने की विशेषता भी होगी। इसमें भौतिक उपस्थिति तथा साथ ही वरीयता दर्शाते हुए बैठक में सदस्यों की भागीदारी का प्रावधान होगा। यदि कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप में बैठक में भाग लेने का निर्णय करता है तो वह स्क्रीन पर कार्यवृत्त नोट और साथ ही कार्यवृत्त देखने में समर्थ होगा। इस मॉड्यूल में प्रत्येक सदस्य के लिए अलग डैश-बोर्ड होगा।

(घ) एमआईएस मॉड्यूल

एमआईएस मॉड्यूल में रीयल टाइम के आधार पर अपेक्षित आंकड़ों को दर्शाने के लिए इ-फार्म में परिवर्तित कतिपय निर्धारित प्री-डिफाईंड एमआईएस फार्मेट होगा। इस माड्यूल में सवालों के आधार पर डाटा/रिपोर्ट सृजित उत्तर दर्शाने की भी एक विशेषता होगी।

(ङ) प्रशिक्षण मॉड्यूल

चूंकि, रूस को अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार आदि आयोजित करनी होती हैं, इसलिए रिकार्डिड वीडियो की स्क्रीनिंग सहित वेबिनार्स तथा वेब-आधारित प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए एक मॉड्यूल विकसित होगा। इस मॉड्यूल में कार्यक्रमों की घोषणा, उपस्थिति, भागीदारों का पंजीकरण, भागीदारों से शुल्क, यदि कोई हो, प्राप्त करने, भागीदारों की उपस्थिति नोट करने तथा वेब तैयार करने, प्रशिक्षण सामग्री का प्रबंधन, प्रशिक्षकों, मुख्य वक्ताओं और भागीदारों को मेल भेजने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि से संबंधित सभी प्रकार से आंकड़ों का प्रबंधन करने की क्षमता होगी। इसमें संबंधित व्यक्तियों के लिए डैश-बोर्ड भी होंगे।

(च) शॉर्ट मैसेज

इस प्रणाली में रूसा समुदाय के बीच कतिपय पत्राचार की पुनः पुष्टि करने अथवा अलर्ट और मैसेज भेजने की एसएमएस विशेषता होनी चाहिए।

(छ) इ-आफिस

इस अनुप्रयोग में निर्णय लेने के लिए अपेक्षित नियमों, विनियमों आदि के साथ हाइपर-लिंक प्रदान करने के लिए साधन, नागरिक चार्टर और साधनों का निरीक्षण करने हेतु मास्टर्स के माध्यम से सेट टाइम-लाइनर्स और अलर्ट के लिए इ-फाइल डिजिटल नोट एवं पत्राचार और साथ ही नोटों पर संदर्भ अंकित करने के प्रयोजन के लिए इ-फाइल के पत्राचार और टिप्पणी भाग में सामग्री होगी। इ-मेल प्राप्त करने तथा भेजने और साथ ही पेपर मेल और उन्हें इ-फाइल में एकीकृत करने की विशेषता भी होगी। यह मेल इ-मेल, फ़ैक्स और साथ ही पेपर मेल के रूप में भेजा जा सकता है।

(ii) शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की केन्द्रीय क्षेत्र योजना (सीएसआईएसएस)

इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यकों, एससी/एसटी, महिलाओं और निःशक्तजनों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) में से कोई भी केवल इस कारण से व्यावसायिक शिक्षा की सुलभता से वंचित न रहे कि वह अथवा वे गरीब हैं। यह योजना अकादमिक वर्ष 2009-10 से आरंभ की गई थी।

इस योजना का आशय 4-5 लाख रुपए प्रति वर्ष की वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस के सभी छात्रों को शामिल करना है। इस योजना में इंडियन बैंक एसोसिएशन की मॉडल शैक्षिक ऋण योजना के अनुसार सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित बैंकों से ईडब्ल्यूएस के सभी छात्रों द्वारा लिए गए शैक्षिक ऋण पर मोराटोरियम की अवधि के दौरान (अर्थात् रोजगार के बाद मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अवधि जमा 1 वर्ष अथवा 6 महीने, जो भी पहले हो) पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए केनरा बैंक नोडल बैंक है।

समीक्षाधीन वर्ष अर्थात् 2014-15 में 2,081 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी जिनमें एससी के लिए 156.08 करोड़ रुपए शामिल हैं जिनमें से 13,28,48,99,011/- करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी जिसमें एससी के लिए 75,65,36,948/- रुपए तथा एसटी के लिए 27,56,62,063/- रुपए शामिल हैं। 2081 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान में शैक्षिक ऋण के लिए क्रेडिट निधि योजना के लिए 500 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

(iii) शिक्षा ऋण हेतु क्रेडिट गारंटी कोष

सरकार ने शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कोष अनुमोदित किया है। यह कोष चूक की राशि की 75 प्रतिशत तक की सीमा अथवा कोष द्वारा निर्धारित किसी राशि तक गारंटी प्रदान करेगा। ऋण की निर्दिष्ट सीमा जिसके लिए गारंटी प्रदान की जाएगी, 7.5 लाख रुपए अथवा कोष द्वारा निर्धारित कोई अन्य राशि होगी। मूल दर से 2 प्रतिशत से अधिक ब्याज के साथ कोई शैक्षिक ऋण कोष के तहत शामिल नहीं होगा। तथापि, कोष 2 प्रतिशत की सीमा में संशोधन कर सकता है। कोष का निपटान मानव संसाधन विकास मंत्रालय की प्रबंध समिति, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा सचिव द्वारा की जाएगी, द्वारा किया जाएगा। कोष के कॉरपस का प्रबंधन वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में तीन योजनाओं में से प्रत्येक के लिए पृथक प्रबंध समितियों के साथ शिक्षा, कौशल विकास और कारकों के लिए निर्मित समान न्यास नामतः राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) के पास होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 30.09.2014 को एनसीजीटीसी के साथ एक रजिस्टर्ड

ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर किए हैं। यह योजना सरकार द्वारा अधिसूचित तारीख से लागू होगी।

ऋण गारंटी निधि के अनेक लाभ हैं; इससे बैंकों का एनपीए भार कम होगा, उचित दरों पर अधिक शैक्षिक ऋण मिलेगा और साथ ही जीईआर बढ़ाने के लिए लिक्विडिटी अंशदान आएगा और प्रतिस्पर्धा आएगी।

(iv) राष्ट्रीय रैगिंग रोकथाम कार्यक्रम

यूजीसी द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग की बुराई की रोकथाम के लिए और भारत को एक रैगिंग मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय रैगिंग रोकथाम कार्यक्रम आरंभ किया गया था।

यह कार्यक्रम पूरे देश को कवर करता है। रोकथाम (1) कॉलेज प्राधिकारियों और माता-पिता एवं छात्रों के बीच उन्नत सम्प्रेषण, (2) कारगर निगरानी तथा कानूनों का पालन और (3) सार्वजनिक जागरूकता में वृद्धि के माध्यम से की जाती है। इस कार्यक्रम में छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावकारी कार्यतंत्र का भी प्रावधान है।

आज की तारीख तक रैगिंग की लगभग 2811 गंभीर शिकायतें काल सेंटर्स द्वारा रिकार्ड की गई हैं। इनमें लगभग 85 प्रतिशत मामले शिकायतकर्ता की सहमति से संतोषजनक समाधान तक पहुंचने पर बंद किए गए थे। लगभग 15 प्रतिशत मामलों में उच्च विनियामक प्राधिकारियों का दखल अपेक्षित था।

रैगिंग रोधी हेल्पलाइन के दायरे और उससे संबद्ध कार्यतंत्र का हाल ही में पूरे राष्ट्र में छात्रों के बीच स्थानिक तथा जातीय भेदभाव के मामले शामिल करने के लिए विस्तार किया गया था। अब यह रैगिंग रोधी तथा जातीय रोधी विभेदकारी हेल्पलाइन है।

इस कार्यक्रम की समग्र निगरानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त राघवन समिति नामक समिति द्वारा की जाती है। इस समिति में अकादमिक एवं शिक्षा क्षेत्र के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ शामिल हैं। इस समिति के अध्यक्ष डॉ. आर.के. राघवन, सीबीआई के पूर्व निदेशक हैं। इस शीर्ष समिति की पिछली बैठक 12.06.2014 को हुई थी।

(v) तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (टीईक्यूआईपी) चरण-II

टीईक्यूआईपी के प्रथम चरण सफलतापूर्वक पूरा होने पर वर्तमान में इसके दूसरे चरण (टीईक्यूआईपी-II) का संस्थागत तथा चरणबद्ध सुधारों के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसमें

अधिक कड़ी और विस्तृत निगरानी प्रक्रिया के साथ क्रियान्वयन में तेजी तथा नीति गत सुधारों पर जोर देते हुए प्रथम चरण के सिद्धांतों का अनुपालन किया गया है। द्वितीय चरण योग्यता प्राप्त संकाय सदस्यों की कमी को कम करने के लिए अधिक स्नातकोत्तर छात्र तैयार करने और उद्योग जगत के सहयोग से अधिक आरएंडडी तैयार करने के प्रयासों में तेजी लाता है।

इस परियोजना के उद्देश्य हैं (1) बेहतर नियोजनीयता के लिए उच्च गुणवत्ता इंजीनियर तैयार करने के लिए संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना; (2) स्नातकोत्तर शिक्षा एवं मांग-प्रेरक अनुसंधान और विकास तथा नवाचार में वृद्धि; (3) फोकस्ड एप्लिकेशन अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना; (4) प्रभावी शिक्षण के लिए संकाय का प्रशिक्षण तथा (5) संस्थागत तथा प्रणाली प्रबंधन का विस्तार करना।

इस परियोजना में भागीदारी के लिए कुल 190 संस्थाओं अर्थात् (26 केन्द्र द्वारा वित्तपोषित 127 राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित और सहायता प्राप्त तथा 37 निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं) का चयन किया जाएगा।

टीईक्यूआईपी की उपलब्धियां

- आईआईटी (बम्बई, गुवाहाटी, गांधीनगर, हैदराबाद, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास तथा रुड़की) में ज्ञान इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना। कुल 1373 संकाय सदस्यों को केआईटी कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।
- इंजीनियरी शिक्षा में गुणवत्ता प्रोन्नति (क्यूईईई) के चरण-II का आरंभ। आईआईटी, मद्रास द्वारा टीईक्यूआईपी की परियोजना संस्थाओं के लिए डारेक्ट टू स्टूडेंट प्रोग्राम। यह कार्यक्रम 82 परियोजना संस्थाओं में आरंभ किया गया है।
- आईआईएम, इंदौर, लखनऊ, बंगलौर, कोझीकोड, त्रिची, उदयपुर, रायपुर के साथ क्षमता विकास कार्यक्रम जिसकी मार्फत 931 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।
- भारत के प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज, (एएससीआई) हैदराबाद को 30 परियोजना संस्थाओं के एक नमूने में परियोजना मूल्यांकन अध्ययन के लिए चुना गया है। यह अध्ययन पूरा हो गया है, तथापि एएससीआई द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।
- प्रथम ऑनलाइन वेब आधारित छात्र, संकाय नॉन-टीचिंग स्टाफ संतुष्टि सर्वेक्षण 01 अक्टूबर, 2014 को आरंभ हुआ। आशा है कि नवंबर 10, 2014

तक पूरा हो जाएगा। इस सर्वेक्षण में सहभागिता के लिए 190 संस्थाओं की प्रतिक्रिया संतोषजनक रही है। द्वितीय ऑनलाइन सर्वेक्षण फरवरी, 2015 में आरंभ होने की आशा है।

- परामर्श, कार्य निष्पादन, निरीक्षण तथा डाटा निरीक्षण टीईक्यूआईपी-II के अधीन सभी चुनी हुई परियोजना संस्थाओं में आयोजित किए जाने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाप हैं। आज की तारीख तक निगरानी और कार्य निष्पादन निरीक्षण की स्थिति नीचे दी गई है:

कार्यकलाप	निगरानी				डाटा निरीक्षण कार्य निष्पादन		
परामर्श/निरीक्षणों की संख्या	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
संस्थाओं की संख्या	185	72	19	6	181	80	10

- फरवरी, 2014 में छात्र गत्यात्मकता आदान-प्रदान कार्यक्रम के लिए मिटाक्स, कनाडा के साथ एक आशय-पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसे लागू करने की कार्यवाई आरंभ की गई है।
- आरंभ से 31.03.2014 तक टीईक्यूआईपी-II परियोजना के अधीन सहभागी चुनी हुई संस्थाओं, एसपीएफयू, आईआईएम और आईआईटी को 779.76 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, 01.04.2014 से 31.10.2014 की अवधि के दौरान भी ऊपर उल्लिखित संस्थाओं को 209.17 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

(vi) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों (एफएएसटी) में प्रशिक्षण और अनुसंधान उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना

कतिपय क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण और अनुसंधान के उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना हेतु तकनीकी शिक्षा संबंधी 11वीं योजना कार्य समूह की सिफारिशों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जिसने इस योजना के संबंध में एक संकल्पना नोट तैयार किया है और इस योजना के विकास एवं केन्द्रों के चयन हेतु एक उप-समिति का गठन किया है।

उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई) से अपेक्षा है कि वे संस्थाओं तथा उच्च गुणवत्ता अनुसंधानकर्ताओं अथवा अनेक कंपनियों और संगठनों में बीच एक दल के रूप में सहयोगात्मक कार्य करेंगे। जहां अनुसंधान का स्वरूप सार्वजनिक कल्याण के सृजन अथवा सुधार से संबंधित हो, वहां सहयोग में समुचित सार्वजनिक एजेंसियों को शामिल किया जा सकता है। इन केन्द्रों का फोकस राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकी, बहु-विषयक एवं परिवर्तनशील अनुसंधान पर होगा। ऊर्जा, जल, शुद्ध पर्यावरण, स्मार्ट सामग्रियों जैसे विषयपरक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्थायी विकास को बढ़ावा देंगे। इस वित्तपोषण का मूल्यवर्धन अथवा अनुसंधान के अगले स्तरों के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु नए और साथ ही विद्यमान उत्कृष्टता केन्द्र

के लिए (इस योजना अथवा टीईक्यूआईपी-II के अधीन पहले से शामिल किए गए केन्द्रों को छोड़कर) विचार किया जा सकता है। इन केन्द्रों से आशा है कि वे अनुसंधान परिणामों, सहयोगात्मक तथा प्रायोजित अनुसंधान, विख्यात राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशनों और सेमिनारों, पेटेंटों, नवाचारों, वाणिज्यिक उत्पादों तथा मास्टर्स एवं पी.एचडी नामांकनों के अनुप्रयोगों में उल्लेखनीय वृद्धि द्वारा यथा परिलक्षित संस्था में आरएंडडी संस्कृति को प्रेरणा प्रदान करेंगे।

विशेषज्ञों की रिपोर्ट/सिफारिशों के आधार पर 30 संस्थाओं/विश्वविद्यालयों चुन लिया गया है। प्रत्येक प्रस्ताव के लिए आईआईटी के विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त अंकों तथा प्रस्तुतीकरण की विस्तृत परिचर्चा के आधार पर 30 संस्थाओं में से संचालन समिति के चयन के दूसरे दौर में 20 संस्थाओं का चयन किया गया है।

आरंभ से 31.03.2014 तक (एफएएसटी) योजना के अधीन चुनी गई सहभागी संस्थाओं को 16.15 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। इसके अतिरिक्त, 01.04.2014 से 31.10.2014 तक की अवधि के दौरान 31.62 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई है।

(vii) समुदाय कॉलेज योजना (सीसीएस)

भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अकादमिक सत्र 2013-14 से विद्यमान कॉलेजों/पॉलिटेक्निकों में 200 पायलट समुदाय कॉलेजों की स्थापना की जाए। इसकी सूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस अनुरोध के साथ दी गई थी कि वे समयबद्ध कार्यवाई के लिए प्रस्ताव भेजे। यह पायलट परियोजना यूजीसी एवं एआईसीटीई द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह निर्णय लिया गया है कि यूजीसी किसी कॉलेज में आयोजित की जाने वाली समुदाय कॉलेज का वित्तपोषण करेगा जबकि एआईसीटीई समुदाय कॉलेज आयोजित करने वाले पॉलिटेक्निकों का वित्तपोषण करेगा। तदनुसार, यूजीसी और एआईसीटीई ने आज की तारीख तक 120 समुदाय कॉलेजों (51 कॉलेजों तथा 69 पॉलिटेक्निकों) का वित्तपोषण किया गया है और अब तक लगभग 45.00 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

(viii) पॉलिटैक्निकों का उप-मिशन

पॉलिटैक्निक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित घटकों के साथ कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के तहत पॉलिटैक्निकों का उप-मिशन आरंभ किया गया था:—

1. नए पॉलिटैक्निकों की स्थापना
2. विद्यमान पॉलिटैक्निकों का सुदृढ़ीकरण
3. पॉलिटैक्निकों में महिला छात्रावासों का निर्माण
4. पॉलिटैक्निकों के माध्यम से सामुदायिक विकास की योजना (सीडीटीपी)

नये पॉलिटैक्निकों की स्थापना

इस घटक के तहत भारत सरकार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 300 अभिज्ञात असेवित जिलों अर्थात्/तथा कम सेवित जिलों में एक पॉलिटैक्निक स्थापित करने की लागत पूरी करने के लिए प्रति पॉलिटैक्निक 12.30 करोड़ रुपये की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। बशर्ते, संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश मुफ्त भूमि उपलब्ध कराए तो 12.30 करोड़ रुपये से अधिक यदि कोई हो, के 100 प्रतिशत आवर्ती व्यय तथा गैर-आवर्ती व्यय को भी पूरा करे।

पॉलिटैक्निकों के माध्यम से सामुदायिक विकास योजना (सीडीटीपी)

सामुदायिक विकास (सीडीटीपी) योजना का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों विशेषतौर पर ग्रामीण, असंगठित व लाभवंचित वर्गों को एआईसीटीई अनुमोदित पॉलिटैक्निकों के माध्यम से गैर-औपचारिक, अल्पकालीन, रोजगार अभिमुख कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराना है जिससे उन्हें लाभकारी स्व-मजदूरी रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा सके। प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतया 3 से 6 माह होती है। ये पाठ्यक्रम पॉलिटैक्निकों द्वारा अपने परिसरों तथा विस्तार केन्द्रों, जिन्हें नजदीक के क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा जहां से स्थानीय समुदाय को ये पाठ्यक्रम पढ़ाए जा सकें। इस योजना के तहत प्रशिक्षुओं से कोई फीस नहीं ली जाती और आयु तथा योग्यता की कोई सीमा नहीं है।

मौजूदा पॉलिटैक्निकों को सुदृढ़ बनाना

इस घटक के तहत भारत सरकार द्वारा 500 मौजूदा डिप्लोमा स्तर के सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित पॉलिटैक्निकों की अवसंरचना सुविधाओं के उन्नयन हेतु 2 करोड़ रुपये प्रति पॉलिटैक्निक की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हुए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पॉलिटैक्निकों में महिला छात्रावासों का निर्माण

पॉलिटैक्निक शिक्षा में महिलाओं का नामांकन बढ़ाने के निमित्त, महिलाओं के छात्रावासों के निर्माण की परिकल्पना करते हुए पॉलिटैक्निकों में महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान 500 विद्यमान एआईसीटीई अनुमोदित सरकारी/सरकारी सहायता-प्राप्त पॉलिटैक्निकों को प्रति पॉलिटैक्निक 1 करोड़ रुपये की अधिकतम राशि की शर्त पर एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जानी है।

11 नवंबर, 2014 तक योजना की समग्र उपलब्धियां:

300 असेवित/अल्प सेवित जिलों, जिन्हें 12.30 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जानी है, इनमें 11.11.2014 तक सरकारी पॉलिटेक्निकों की स्थापना हेतु 291 जिलों को 2161.47 करोड़ रुपए की आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।



पॉलिटेक्निकों के माध्यम से समुदाय विकास योजना के अन्तर्गत एस.ए.टी.आई पॉलिटेक्निक कॉलेज विदिशा, मध्य प्रदेश में टर्नर और फिटर में कौशल विकास प्रशिक्षण।

500 पॉलिटेक्निकों को अवसंरचना सुविधाओं के उन्नयन के लिए 11.11.2014 तक 461.40 करोड़ रुपए की आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। 496 पॉलिटेक्निकों को महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए 11.11.2014 तक 349.98 करोड़ रुपए की आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

पॉलिटेक्निकों के माध्यम से समुदाय विकास की योजना का 518 पॉलिटेक्निक कार्यान्वयन कर रहे हैं और योजना की गतिविधियों के संचालन के लिए 2014-15 के अक्टूबर 2014 तक 212.72 करोड़ रुपए की आवर्ती वित्तीय सहायता जारी की गई है। उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर 31.10.2014 तक सीडीटीपी योजना के तहत अनौपचारिक लघु अवधि, कौशल विकास कार्यक्रमों में 77042 व्यक्तियों ने भाग लिया है।



ओडिशा खनन इंजीनियरी स्कूल, कंयोझार, ओडिशा में "टेलर महिलाओं" का कौशल विकास प्रशिक्षण

(ix) निःशक्तों को तकनीकी और व्यावसायिक मुख्य धारा में एकीकृत करने हेतु मौजूदा पॉलिटेक्निकों के उन्नयन की योजना

योजना का आरंभ 1999-2000 में कुछ चयनित पॉलिटेक्निकों का उन्नयन इस उद्देश्य से किया गया था ताकि निःशक्तों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में एकीकृत किया जा सके।

योजना में परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय नियमित डिप्लोमा कार्यक्रमों में औपचारिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से अधिकतम 25 निःशक्त छात्रों और व्यावसायिक/कौशल विकास कार्यक्रमों के अनौपचारिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से अधिकतम 100 निःशक्त व्यक्तियों को प्रतिवर्ष प्रशिक्षित करेगा। निःशक्त छात्रों को छात्रवृत्ति, पुस्तकों/शैक्षिक सामग्री की आपूर्ति, वर्दियों, निःशुल्क भोजन एवं आवास सुविधाओं इत्यादि जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। इस समय इस योजना में देश भर के 50 पॉलिटेक्निक शामिल हैं। योजना के कार्यान्वयन के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय इन 50 पॉलिटेक्निकों को वार्षिक आवर्ती सहायता अनुदान उपलब्ध कराता है।

(x) राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (बीओएटी/बीओपीटी)

राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना मुम्बई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई स्थित 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षु/व्यवहारिक बोर्डों (बीओएटी/बीओपीटी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा होल्डरों (तकनीशियनों) तथा 10+2 पास व्यावसायिक छात्रों को लगभग 10000 औद्योगिक स्थापनाओं/संगठनों में केन्द्रीय प्रशिक्षु परिषद (सीएसी), जो प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत गठित शीर्ष सांविधिक निकाय है, द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु अवसर उपलब्ध कराती है। 4 क्षेत्रीय बीओएटी/बीओपीटी को, जोकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पूर्णतया वित्तपोषित स्वायत्त संगठन हैं, उन्हें अपने क्षेत्रों में समय-समय पर यथासंशोधित प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

योजना का मूल उद्देश्य नए स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा और 10+2 पास व्यावसायिक छात्रों को अनुभव हेतु व्यावहारिक बनाने के लिए अंतर पाटना/पूरा करना है

और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार रोजगार में स्थापित होने में उनकी उपयुक्तता बनाने हेतु उनके तकनीकी कौशलों को भी बढ़ाना है।

अधिनियम के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है। प्रशिक्षुओं को मासिक वजीफा दिया जाता है जिसे केन्द्र सरकार और नियोक्ता के मध्य 50:50 के आधार पर बांटा जाता है।

प्रशिक्षुओं की श्रेणी	मार्च, 2011 से मौजूदा दरें	दिसम्बर, 2014 से दर में बढ़ोत्तरी (40 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ)
स्नातक प्रशिक्षु	3560	4984
स्नातक प्रशिक्षु (सैंडविच)	2530	3542
तकनीशियन प्रशिक्षु	2530	3542
स्नातक प्रशिक्षु (सैंडविच)	2070	2890
तकनीशियन (व्यावसायिक) प्रशिक्षु	1970	2758

प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के समान कार्यान्वयन के लिए बीओएटी/ओबीपीटी के कार्यकलापों को मानवीकृत करने और साथ ही स्टेकहोल्डरों को बिना किसी कठिनाई के ऑनलाइन बिजनेस ट्रांजेक्शन करने में सहायता करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल आरंभ किया जाए जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में उद्योगों/प्रतिष्ठानों और साथ ही साथ छात्रों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाए।

(xi) अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (आईएसएचई) 2011 में आरंभ किया गया जिसमें वर्ष 2010-11 के आंकड़े एकत्रित किए गए। यह सर्वेक्षण अत्यन्त आवश्यक था क्योंकि उच्चतर शिक्षा पर कोई भी डाटा स्रोत नहीं था जो देश में उच्चतर शिक्षा की पूर्व छवि प्रस्तुत कर सके। तथापि और भी ऐसे कई महत्वपूर्ण पैरामीटर थे जिनसे नीति तैयार करने के लिए डाटा अपेक्षित थे परंतु कोई डाटा उपलब्ध नहीं था अथवा अपूर्ण डाटा उपलब्ध थे। इस योजना में पहली बार उच्चतर शिक्षा में सभी प्रमुख स्टेकहोल्डरों जैसे भारतीय चिकित्सा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और साथ ही राज्य सरकारों ने आंकड़ा संकलन कार्य में भाग लिया है। संपूर्ण सर्वेक्षण इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से किया गया था और इस प्रयोजन के लिए समर्पित एक पोर्टल www.aishe.gov.in विकसित किया गया था। इस प्रकार यह कार्य पूरी तरह पेपरलेस बनाया गया। इस सर्वेक्षण में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने में लगे देश की सभी संस्थाओं को शामिल किया गया है। आंकड़े अनेक मानकों

पर एकत्र किए गए हैं जैसे शिक्षक, छात्र नामांकन कार्यक्रम, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त, अवसंरचना आदि। शैक्षिक विकास के संकेतक जैसे संस्था घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, शिक्षक छात्र अनुपात, पुरुष-महिला समानता सूचकांक आदि की एआईएसएचई के माध्यम से एकत्र आंकड़ों से गणना की जा रही है। ये शिक्षा क्षेत्र के विकास हेतु नीति निर्णयों तथा अनुसंधान के लिए उपयोगी हैं।

इस समय, एआईएसएचई 2012-13 तथा 2013-14 चल रहा है। 2012-13 की अनंतिम रिपोर्ट को भी अंतिम रूप दिया गया है। वर्ष 2014-15 के लिए भी 22 अक्टूबर को 22 सर्वेक्षण आरंभ किया गया है और इस समय अंतराल में उच्चतर शिक्षा का प्रसारण नगण्य हो गया है।

एआईएसएचई 2012-13 के प्रमुख परिणाम (अनंतिम)

- इस सर्वे में देश की समूची उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को शामिल किया गया है। संस्थाओं को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है; विश्वविद्यालय, कॉलेज और सकल संस्थाएं। इस सर्वेक्षण के दौरान **665 विश्वविद्यालयों, 35829 कॉलेजों और 11443 संस्थाओं की सूची तैयार की गई है।**
- 633 विश्वविद्यालयों, 24120 कॉलेजों और 6772 एकल संस्थाओं ने प्रत्युत्तर दिया है।
- संपूर्ण सर्वेक्षण ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से किया गया है जिसके लिए समर्पित पोर्टल (<http://aishe.gov.in>) विकसित किया गया है। संस्थाओं की संरचना/आकार के अनुसार डीसीएफ के तीन रूपांतर विकसित किए गए हैं। आंकड़े एकत्र करने के लिए किसी अन्वेषक को संस्थान में नहीं भेजा जाता।

एक विशिष्ट विशेषता यह है कि भरे हुए डीएफसी हमेशा पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं जिन्हें संस्थाओं और उच्च स्तरीय प्राधिकारियों द्वारा देखा जा सकता है।

- 201 विश्वविद्यालय निजी रूप संचालित किए जाते हैं। यहां 42 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 1 केन्द्रीय तथा 13 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, 61 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, 290 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 5 राज्य विधायिका अधिनियम के अधीन संस्थान, 38 सम विश्वविद्यालय, 11 सरकारी मान्यताप्राप्त सम विश्वविद्यालय तथा 3 अन्य हैं।
- भारत में कॉलेजों की उच्चतर संख्या की दृष्टि से 7 शीर्ष राज्य हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश।
- कॉलेज घनत्व अर्थात् कालेज प्रति लाख पात्र जनसंख्या (18–23 आयु वर्ग में जनसंख्या) 25 की अखिल भारतीय औसत की तुलना में पांडिचेरी में 61, बिहार और दमन एवं दीव में 6 अलग-अलग है।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में विश्वविद्यालय नहीं हैं।
- 73 प्रतिशत कॉलेज निजी रूप से संचालित, 58 प्रतिशत निजी गैर-सहायता प्राप्त और 14 प्रतिशत निजी सहायता प्राप्त हैं। आंध्र प्रदेश में 80 प्रतिशत से अधिक निजी गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज हैं जबकि बिहार में केवल 6.3 प्रतिशत और असम में 9.5 प्रतिशत निजी गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज हैं।
- उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन 29.6 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें 16.3 मिलियन लड़के और 13.3 मिलियन लड़कियां हैं। कुल नामांकन में लड़कियों का भाग 45 प्रतिशत है।
- भारत में उच्चतर शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 21.1 है जिसकी गणना 18–23 वर्ष की आयु वर्ग से की गई है। पुरुष जनसंख्या का जीईआर 22.3 और महिला जनसंख्या का जीईआर 19.8 है। अनुसूचित जाति के लिए यह 15.1 और अनुसूचित जनजाति के लिए यह 11.0 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय जीईआर 21.1 है।
- उच्चतर शिक्षा में दूरस्थ नामांकन कुल नामांकन का 11.9 प्रतिशत बैठता है जिसमें 43.9 प्रतिशत छात्राएं हैं।

- लगभग 80 प्रतिशत छात्रों को अवर स्नातक स्तर कार्यक्रम में नामांकित किया जाता है। 84058 छात्रों को पी.एचडी में नामांकित किया जाता है जो कुल छात्र नामांकन का 0.3 प्रतिशत से कम है।
- उत्तर प्रदेश उच्च छात्र नामांकन के साथ प्रथम स्थान पर हैं उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं।
- कुल नामांकन में अनुसूचित जाति के छात्र 12.2 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के छात्र कुल नामांकन के 4.4 प्रतिशत बैठते हैं। 30.05 प्रतिशत छात्र अन्य पिछड़े वर्गों के हैं। 3.9 प्रतिशत छात्र मुस्लिम अल्पसंख्यक और 1.9 प्रतिशत अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के हैं।
- शिक्षकों की संख्या 1337726 हैं। इनमें से आधे से अधिक लगभग 61 प्रतिशत पुरुष शिक्षक और 39 प्रतिशत महिला शिक्षक हैं।
- अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 100 पुरुष शिक्षकों पर केवल 64 महिला शिक्षक हैं।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षु-शिक्षक का अनुपात (पीटीआर) 23 है।

चूंकि, यह सर्वेक्षण वार्षिक कार्य हो गया है, इसलिए इस प्रणाली को संस्थागत बनाने और इसके चिरस्थायित्व के लिए स्थायी ढांचा तैयार करने की आवश्यक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करने की एक नई योजना का प्रस्ताव है जिसमें एआईएसएचई शामिल है। इसमें प्रस्ताव है कि प्रत्येक राज्य में एक एआईएसएचई इकाई और प्रत्येक संबद्ध विश्वविद्यालयों में एआईएसएचई प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए। इस योजना के लिए स्थायी वित्त समिति का (एसएफसी) नोट अन्य मंत्रालयों की टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है।

छात्रवृत्ति

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

(i) केन्द्रीय कॉलेज व विश्वविद्यालय छात्र छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से अक्षम परिवारों के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के दौरान उनके कुछ दैनिक खर्चों को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। छात्रवृत्तियां उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिणामों के आधार पर प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्तियों की कुल संख्या को देश में विभिन्न बोर्डों से सफल हुए छात्रों की संख्या के आधार पर सीबीएसई व आईसीएसई

के हिस्से को अलग करने के पश्चात 18–25 वर्ष आयु समूहों में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है। वे छात्र जो किसी परीक्षा बोर्ड विशेष में 10+2 पैटर्न अथवा समकक्ष की 12वीं कक्षा में संबंधित विषय में सफल उम्मीदवारों के 80वें प्रतिशतांक से अधिक के हैं, उनके परिवार की प्रतिवर्ष आय 6 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम हैं, वे मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं, वे इस योजना के तहत पात्र होंगे। छात्रवृत्ति की दर कॉलेज और विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के पहले तीन वर्षों के लिए अवर स्नातक स्तर पर 1000/— रुपये तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 2000/— रुपये प्रतिमाह है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्र चौथे और पांचवें वर्ष में 2000/— रुपये प्रतिमाह प्राप्त करेंगे। छात्रवृत्ति को लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे वितरित किया जाता है। किसी राज्य शिक्षा बोर्ड को आवंटित छात्रवृत्तियों की संख्या 3:2:1 अनुपात में राज्य बोर्ड की विज्ञान, वाणिज्य तथा मानविकी विषयों के उत्तीर्ण छात्रों के बीच वितरित की जाती है।

कॉलेजों और केन्द्रीय क्षेत्र योजना 1.1.2013 से सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) के अधीन शामिल योजनाओं में एक है। सीधे लाभ अंतरण (डीबीटी) के अधीन भुगतान/निधि निम्नलिखित पद्धतियों के माध्यम से राज्य शिक्षा बोर्डों/सीबीएसई को जारी की जाती है:

(i) सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस); और

(ii) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) सीधे व्यय अंतरण (डीबीटी) के निर्बाध संचालन और आंकड़ों की रिट्राइबल सुविधा के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) महालेखा नियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा तैयार की गई है। पीएफएमएस एक वेब आधारित अंतरण प्रणाली है और यह रीयल टाइम आधार पर जारी निधि की उपयोगिता संबंधी एमआईएस तैयार करता है।

1 नवंबर, 2013 से सभी राज्य शिक्षा बोर्डों से पीएफएसएस के माध्यम से डिजिटलाइज्ड पात्रता सूचियां अपलोड करने की अपेक्षा की गई थी।

1.4.2014 से 25.11.2014 तक की अवधि के दौरान सीपीएसएनएस पद्धति के माध्यम से 44830 छात्रवृत्तियां वितरित की गई थीं। जिनमें से 7978 छात्रवृत्तियां आधार भुगतान ब्रिज (एपीबी) पद्धति तथा 36852 छात्रवृत्तियां गैर-एपीबी पद्धति के माध्यम से सीधे लाभ-भोगियों के बैंक खातों में वितरित की गई थीं।

छात्रवृत्तियों के वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से और आगे सरल और कारगर बनाने की दृष्टि से उच्चतर शिक्षा विभाग ने महालेखा नियंत्रण का कार्यालय (सीएजी), सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ सहयोग से एक साफ्टवेयर विकसित किया है जिसके माध्यम से छात्र ऑनलाइन पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कॉलेज और विश्वविद्यालय छात्र केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना के अधीन अपनी छात्रवृत्ति के नवीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए उनकी वेबसाइट <http://pfms.nic.in> एक यूजर मैनुअल भी लोड कर दिया गया है।

(ii) हिंदी में मैट्रिक पश्चात अध्ययन के लिए गैर-हिंदी भाषी राज्यों के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा राज्यों की सरकारों को शिक्षण हेतु कर्मचारियों व उन अन्य पदों के लिए जहां हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है, उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध कराना है।

इस योजना को 2004–05 में संशोधित किया गया था। संशोधित योजना के तहत 2500 छात्रवृत्तियां मैट्रिक पश्चात से पीएचडी स्तरों तक के पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त कर रहे उन प्रतिभावान छात्रों को प्रदान की गई हैं जिन्होंने हिंदी विषय के अध्ययन को शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय अथवा किसी स्वैच्छिक हिंदी संगठन द्वारा आयोजित 'अब तक की परीक्षाओं' के परिणामों के आधार पर एक विषय के रूप में चुना है। अध्ययन/पाठ्यक्रम के आधार पर इस छात्रवृत्ति की प्रति माह सीमा 300 से 1000 रुपये तक है। इस योजना को राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों के माध्यम से लागू किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 में 2013–14 बैच के लिए नई छात्रवृत्ति हेतु 239 छात्रों को वार्षिक अनुदान और क्रमशः पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के 38 छात्रों के नवीकरण छात्रवृत्ति तथा 2013–14 बैच के लिए 15 छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति और त्रिपुरा राज्य सरकार के 10 छात्रों को वितरित किया गया था।

(iii) जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर से संबद्ध छात्रों को जम्मू और कश्मीर राज्य से बाहर सरकारी कॉलेजों/संस्थाओं में तथा अन्य चुनिंदा संस्थानों में उच्च शिक्षा का अध्ययन करने के लिए ट्यूशन फीस, छात्रावास फीस, पुस्तकों की लागत तथा अन्य आकस्मिक प्रभार प्रदान करना है।

जम्मू और कश्मीर के वे छात्र जो जम्मू और कश्मीर राज्य बोर्ड अथवा जम्मू और कश्मीर में स्थिति केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों के माध्यम से कक्षा 12 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और जम्मू और कश्मीर राज्य से बाहर सरकारी कॉलेजों/संस्थानों तथा अन्य चुनिंदा संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं, इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के पात्र होते हैं। प्रत्येक वर्ष 5000 नई छात्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं जिनमें से 4500 छात्रवृत्तियां सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों, 250 इंजीनियरिंग के लिए और 250 चिकित्सा अध्ययन के लिए होती हैं।

यह योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के वेब पोर्टल (<http://aicte-india-org/JnKadmissions.html>) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के छात्रों को अखिल भारतीय अवसर प्रदान करने के लिए ये छात्रवृत्तियां प्रति संस्थान दो (2) जमा केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय में सीटों तक सीमित होती है। अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के अनुमोदन से सामान्य डिग्री, चिकित्सा और इंजीनियरिंग विषयों के बीच स्लॉट की अंतर-परिवर्तनीयता की भी अनुमति होती है। जम्मू और कश्मीर राज्य में सरकार के आरक्षण मानदंडों के अनुसार आरक्षण के प्रावधान भी किए गए हैं।

01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि के दौरान तीन जागरूकता कैंप दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर प्रत्येक में एक-एक का हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजन किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक वृद्धि हुई। इस अवधि के दौरान शैक्षिक वर्ष 2012-13 के लिए 3562 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई है और 2013-14 शैक्षिक वर्ष के लिए 3747 छात्रों को तथा वर्ष 2012-13 के लिए 2858 नवीकरण छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अकादमिक सत्र 2014-15 के लिए चयन कार्य विधि और दाखिला प्रक्रिया के भाग के रूप में श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में 30.8.2014 से 5.9.2014 तक परामर्श प्रदान किया गया था और तदनुसार, 2102 पात्र छात्रों को मेरिट तथा छात्रों द्वारा दिए गए कॉलेज पसंद के आधार पर केन्द्रीयकृत परामर्श के माध्यम से कॉलेज आवंटित किए गए थे।

(ख) विदेशी छात्रवृत्तियां

मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत के छात्रों और विद्वानों को विदेशी छात्रवृत्तियां प्रदान करना सरल बनाता है ताकि वे विदेशों में पढ़ाई कर सकें और विदेश में अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। मंत्रालय का विदेशी छात्रवृत्ति प्रभाग स्नातकोत्तर पी.एचडी/पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान के स्तर पर संबंधित देशों में भारतीय छात्रों के लिए सांस्कृतिक/शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अधीन विभिन्न देशों द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों पर कार्रवाई करता है। संक्षेप में, किसी देश से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद यह मंत्रालय छात्रवृत्तियों के प्रस्तावों को विज्ञापित करता है। छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्ति के प्रस्तावों को भारतीय छात्रों के लिए सभी संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थाओं, यूजीसी, इग्नू एवं अग्रणी समाचार-पत्रों आदि में भी परिचालित किया जाता है। वर्ष के दौरान विदेशी छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए ऑन लाइन के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति फैलोशिप प्लान यूके प्रतिष्ठित विश्वव्यापी विदेशी छात्रवृत्ति है जिसमें बड़ी संख्या में विषय शामिल हैं जैसे रिमोट सैसिंग टेक्नोलॉजी, संचार इंजीनियरिंग, बायो-टेक्नोलॉजी/बायो-कैमिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, एग्रोनोमी/फोरेस्ट्री, सामाजिक-विज्ञान, जीव-विज्ञान, प्रबंधन अध्ययन तथा पर्यावरण अध्ययन, कानून आदि। अकादमिक वर्ष 2015-16 के लिए यूके सरकार से राष्ट्रमंडल योजना-2015 के प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं और 2000 के अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें भारतीय छात्रों के 26 विषय (पीजी/पीएचडी) शामिल हैं तथा उन पर कार्रवाई की जा रही है।

अगाथा हैरिसन मेमोरियल फैलोशिप भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है। यह एक शोध-सह-शिक्षण फैलोशिप है और उन विद्वानों के लिए है जिन्होंने इतिहास, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में आधुनिक भारतीय अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त की है। भारत सरकार द्वारा सेंट एंटनी कॉलेज, ऑक्सफोर्ड (यूके) में पढ़ने वाले चुनिंदा विद्वानों को 29347 पौंड प्रतिवर्ष का समेकित स्टाभजीफा फंड दिया जाता है। शैक्षिक वर्ष 2014-15 के दौरान अंतिम फैलो ने अक्टूबर, 2014 में कॉलेज से जुड़े।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान चीन में अध्ययन करने तथा अगाथा हैरिसन फैलोशिप पर पूरा खर्च वहन करने के

लिए छात्रों का हवाई यात्रा भाड़ा तथा अनुपूरक वजीफा देने करने हेतु विभिन्न देशों द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्तियों के लिए छात्रों के चयन के लिए गठित चयन समिति के खर्च को वहन करने के लिए 90 लाख रुपए का बजट प्रावधान में किया गया है।

चालू वर्ष के दौरान निम्नलिखित भारतीयों ने विभिन्न सीईपी/ईईपी एवं राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति योजना के अधीन छात्रवृत्तियों/फैलोशिप प्राप्त की है। विभिन्न देशों के भेजे गए भारतीय छात्रों के विवरण दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है:

24.11.2014. की स्थिति

क्र. सं.	देश	2014-15		
		नामांकित	डोनर देश द्वारा स्वीकृत	प्रयुक्त
1.	इजराइल	13	7	7
2.	कोरिया	9	उत्तर प्रतीक्षित	उत्तर प्रतीक्षित
3.	चीन	23	18	16
4.	जापान	52	30	28
5.	इटली	22	19+1 नवीकरण	प्रक्रियाधीन
6.	मैक्सिको	6	अभी पुष्टि नहीं	
7.	यूके (सीएसएफपी)-2014	65	56	27
8.	न्यूजीलैंड (सीएसएफपी)	2	2	2
9.	श्रीलंका राष्ट्रपति छात्रवृत्ति	3	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन
10.	सुश्री अगाथा हेरिसन मेमोरियल फैलोशिप	1	1	1

(ग) भारत में वापसी की वचनबद्धता नहीं

‘भारत में वापसी की वचनबद्धता नहीं’ (एनओआरआई) एक पत्र है जिसकी उस व्यक्ति को आवश्यकता होती है जो जे-1 वीजा पर अमेरिका में दूतावास/भारत के महावाणिज्यक से वेतन प्राप्त करने के लिए अमेरिका गया है। अमेरिका में भारतीय दूतावास/भारत के

महावाणिज्यिक (सीजीआई) दूतावास से आवेदक के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से ‘भारत में वापसी की वचनबद्धता नहीं’ (एनओआरआई) प्राप्त करने के लिए एक वेबर पत्र जारी करता है। 24.11.2014 तक इस मंत्रालय के बाह्य छात्रवृत्ति प्रभाग ने ‘भारत में वापसी की वचनबद्धता नहीं’ (एनओआरआई) के 450 पत्र जारी किए हैं।

* * * * *



श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री 08 सितम्बर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह में संबोधित करते हुए।

अध्याय 06

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा

विविध शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और प्रौढ़ों को समर्थ बनाने के अलावा सर्वसुलभ प्रौढ़ साक्षरता उपलब्धि प्रौढ़ और सतत शिक्षा का मूल लक्ष्य है। वास्तव में, शिक्षा को बुनियादी साक्षरता कार्यक्रमों के साथ शुरुआत को इस क्षेत्र की गतिविधियों के दृष्टिकोण से आजीवन सीखने के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। देश की साक्षरता दरों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है परंतु साक्षरता का स्तर विभिन्न राज्यों, जिलों, सामाजिक समूहों और अल्पसंख्यकों में अभी भी असमान है। प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता की उच्च गुणवत्ता और मानक के माध्यम से पूर्ण रूप से साक्षर समाज की स्थापना करना है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में बताए गए सभी कार्यकलापों के राष्ट्रीय स्तर पर संचालन और कार्यान्वयन का संगठन है। इसके दो मुख्य अंग हैं अर्थात् परिषद और कार्यकारी समिति। एक कार्यनीति समूह, कार्यनीति सूचना समूह, कार्यनीति सूचना कार्यान्वयन समूह, राष्ट्रीय संसाधन समूह तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय इस अधिदेश के निर्वहन के लिए एनएलएमए की सहायता करता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनएलएमए साक्षरता दर 80 प्रतिशत तक बढ़ाने तथा पुरुष-महिला अंतर 10 प्रतिशत से कम करने का प्रयास करेगा। साक्षर भारत को सुदृढ़ बनाया गया है और इसे आजीवन अध्ययन के नए प्रतिमान से जोड़ा गया है। व्यवस्थित आजीवन अध्ययन के प्रोत्साहन के लिए देश को व्यापक कानून की आवश्यकता होगी।

410 जिलों में से जो साक्षर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत कवरेज के लिए अर्हता रखते हैं 26 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र में 393 जिलों को मिलाकर 1.62 लाख पंचायतें स्वीकृत की गई हैं। 2014-15 के दौरान यह कार्यक्रम इन 393 जिलों में जारी रखा गया है। अधिकांश प्रबंधन जिलों में तैयारी कार्य जैसे समितियों का गठन, बैंक खाते खोलना और सर्वेक्षण करने का कार्य पूरा हो गया है। अब तक लगभग 25.8 लाख स्वैच्छिक शिक्षक, 1.98 लाख मास्टर प्रशिक्षक तथा 11.8 हजार से अधिक रिसोर्स व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। 13 भाषाओं में 26 स्थानीय जिलों में लगभग 42.6 मिलियन बुनियादी साक्षरता पुस्तिकाएं छपवाई गई और वितरित की गई हैं। सतत शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 1.52 से अधिक लाख जीपी में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र (ईसी) स्थापित

किए गए हैं। देश के विभिन्न राज्यों में इस समय लगभग 10.12 लाख साक्षरता अध्ययन केन्द्र चल रहे हैं जिनमें बुनियादी साक्षरता में लगभग 54.21 मिलियन छात्र नामांकित हैं। राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा आयोजित द्विभाषिक मूल्यांकन परीक्षा में अब तक लगभग 43.28 मिलियन छात्र शामिल हुए हैं। अगस्त, 2014 तक लगभग 31.30 मिलियन अध्ययनकर्ताओं ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित मूल्यांकन परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हैं। दिसंबर 2014 तक 2014-15 के दौरान साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एसएलएमए) को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 276.68 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी।

राज्य संसाधन केन्द्रों (एसआरसी) को अधिदेश दिया गया है कि वे शिक्षण अध्ययन सामग्री के विकास, कार्यकर्ताओं के शिक्षण, पर्यावरण निर्माण कार्यकलापों, कार्य अनुसंधान, निगरानी तथा मूल्यांकन आदि के क्षेत्रों में प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा के लिए अकादमिक एवं तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करें। इस समय देश में 32 एसआरसी हैं। जन शिक्षा




संस्थान (जेएसएस) निरक्षरों, नव-साक्षर प्रौढ़ों और साथ ही बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए ऐसे कौशलों का पता लगाकर जिनका उनके प्रतिष्ठान के क्षेत्र में एक बाजार हो सकता है, लगातार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। जेएसएस कार्यकारण में कार्यदक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा सार्वजनिक संवीक्षा अंतर-निविष्ट करने के उद्देश्य से प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) विकसित की गई है।

स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एनएलएम को सहायता प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, 2014 को मनाया गया था। इस अवसर पर साक्षर भारत पुरस्कार वितरित किए गए। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अंतर-वैयक्तिक मीडिया के माध्यम से मीडिया अभियान आरंभ किया गया था। क्षमता निर्माण कार्यक्रमलाप आरंभ किए गए। जेएसएस की निगरानी की गई है और एनआईओएस के माध्यम से अध्ययनकर्ताओं के मूल्यांकन को भी सहायता दी गई थी।

साक्षरता

साक्षरता सभी और समूची मानवता के लिए बुनियादी शिक्षा के केन्द्र में है। बुनियादी साक्षरता गरीबी उन्मूलन, शिशु मृत्यु घटाने, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, पुरुष-महिला समानता हासिल करने तथा चिरस्थायी विकास सुनिश्चित करने, शांति और साक्षरता के लिए अत्यावश्यक है। सर्वसुलभ साक्षरता उनके लिए भी विशिष्ट महत्व रखती है जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा प्राप्ति से वंचित रहे हैं। विविध शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और प्रौढ़ों को अधिकार प्रदान करने के अलावा, प्रौढ़ सर्वसुलभ साक्षरता प्राप्त करना, प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा का मूलतत्व है। वास्तव में, आरंभ में बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम के साथ शिक्षा को इस क्षेत्र में आजीवन अध्ययन के संदर्भ में देखा गया है।



योजनागत दखल और सतत प्रयासों से पर्याप्त प्रगति की गई है। 2001 में साक्षरता दर 64.84 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 72.98 प्रतिशत हो गई है। दिलचस्प बात है कि 53.67 प्रतिशत से 10.96 प्रतिशत प्वाइंट बढ़कर 64.63 प्रतिशत होने से महिलाओं की साक्षरता दर में तेजी से सुधार हुआ है। जबकि पुरुषों के मामले में 5.62 प्रतिशत प्वाइंट की वृद्धि हुई जो 75.26 से 80.88 प्रतिशत हो गई।

साक्षरता दर अलग-अलग राज्यों, जिलों, सामाजिक समूहों तथा अल्पसंख्यकों सभी में असमान रही है। हालांकि कुछ राज्यों ने विशेष साक्षरता अभियान और समुदाय सहायता आरंभ करने के कारण उच्च साक्षरता स्तर प्राप्त किए हैं तथापि कुछ राज्य अभी भी पिछड़े हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साक्षरता स्तरों में सुधार हुआ है किंतु मुस्लिम समुदाय का साक्षरता स्तर अभी भी काफी कम है। सरकार ने पिछड़े इलाकों और फोकस समूहों पर फोकस करके भेदभाव कम करने के सकारात्मक उपाय किए हैं।

लक्ष्य

प्रौढ़ शिक्षा का लक्ष्य 'प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता की उच्च गुणवत्ता और मानकों में सुधार के माध्यम से पूरी तरह से साक्षर समाज की स्थापना करना है।'

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

अधिदेश

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएम) को साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के संवर्धन तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक स्वतंत्र और स्वायत्त स्कंध के रूप में स्थापित किया गया है। यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में परिकल्पित सभी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रचालन एवं कार्यात्मक संगठन है तथा इससे प्रौढ़ शिक्षा के लिए ऐसी उचित मानी गई अन्य गतिविधियों का संचालन करना अपेक्षित है। इस प्राधिकरण की विविधीकृत भूमिका में प्रौढ़ शिक्षा की नीति एवं नियोजन, साक्षरता का कार्यान्वयन और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की निगरानी, अनुसंधान और मूल्यांकन, समर्थन और पर्यावरण निर्माण, प्रौद्योगिकी सम्मिश्रण, क्षमता निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रकाशन भी शामिल है।

संगठनात्मक ढांचा

एनएलएम के दो मुख्य निकाय हैं नामतः परिषद तथा कार्यकारी समिति। एनएलएम परिषद में अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री हैं और उपाध्यक्ष मानव संसाधन राज्य मंत्री हैं। यह परिषद प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में किए गए सभी कार्यकलापों के संचालन और कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। एनएलएम की कार्यकारी समिति (ईसी) के अध्यक्ष सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग हैं। एनएलएम की कार्यकारी समिति परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशा-निर्देशों के अनुसार एनएलएम के सभी कार्यों का निर्वहन करती है। कार्य नीतिगत सूचना से संबंधित मुद्दों की संपूर्ण निगरानी के लिए माननीय मानव संसाधन राज्य मंत्री की अध्यक्षता के अधीन कार्य नीति सूचना समूह गठित किया गया है। संयुक्त सचिव (प्रौढ़

शिक्षा) तथा महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक कार्यनीति सूचना कार्यान्वयन समूह भी गठित किया है जो सूचना कार्यनीति के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

अपने अधिदेश के निर्वहन में एनएलएम को सामान्य प्रबंधन, शिक्षा शास्त्र, मास मोबिलाइजेशन, मूल्यांकन, आईसीटी आदि के क्षेत्र में इस मिशन की तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन समूह (एनआरजी) का गठन किया गया है।

नीति और योजना

11वीं योजना के दौरान साक्षर भारत केन्द्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना को विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के अल्प साक्षर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं अन्य वंचित समूहों पर मुख्य रूप से ध्यान संकेद्रित करने के उद्देश्य से सितंबर, 2009 में आरंभ किया गया था। यह गुणवत्ता पर बल देता है। बड़े पैमाने पर देश भर के पर्यावरण निर्माण एवं जन संघटन अभियान स्वैच्छिक शिक्षकों/प्रेरकों को बड़ी संख्या में प्रेरित और प्रशिक्षित किया गया है और इससे समाज में सक्रियता आई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह साक्षरता दर को 80 प्रतिशत तक बढ़ाने और महिला-पुरुष अंतर को 10 प्रतिशत से कम करने के लिए प्रयास करेगा। साक्षर भारत युवा, प्रौढ़ों और स्कूल छोड़ चुके किशोरों पर विशेष रूप से ध्यान संकेद्रित करेगा। इसी दौरान न केवल साक्षरता फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है बल्कि, आदर्श परिवर्तन की ओर उन्मुख होने की भी आवश्यकता है। प्रौढ़ शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण दो योजनाओं को लागू कर रहा है नामतः साक्षर भारत मिशन और प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता।

साक्षर भारत

साक्षर भारत (एसबी), राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का नया संस्करण है जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा 8 सितंबर, 2009 को किया गया था। प्रारंभ में यह योजना 31.3.2012 तक प्रचालन में थी, अब साक्षर भारत कार्यक्रम को 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के लिए बढ़ा दिया गया है।

उद्देश्य

इस मिशन के चार व्यापक उद्देश्य हैं, नामतः

1. कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना और निरक्षर तथा न गिने गए प्रौढ़ों की गणना करना
2. नव-साक्षर प्रौढ़ों को उनकी बुनियादी साक्षरता से अधिक अध्ययन जारी रखने के लिए सक्षम बनाना और औपचारिक शिक्षा प्रणाली की समकक्षता प्राप्त करना।

3. निरक्षर तथा नव-साक्षरों के लिए संबंधित कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रसार करना ताकि उनके आय अर्जन तथा जीवन यापन की शैली में सुधार हो।
4. नव-साक्षर व्यक्तियों को शिक्षा जारी रखने के लिए अवसर प्रदान करते हुए अध्ययनरत समाज को प्रोत्साहन देना।

घटक

इस कार्यक्रम के घटक हैं: (i) आजीवन- शिक्षा, (ii) औपचारिक शिक्षा प्रणाली के समकक्षता के माध्यम से बुनियादी शिक्षा, (iii) व्यवसायिक कौशल विकास और (iv) कार्यात्मक साक्षरता।

कवरेज

साक्षर भारत के अधीन एक जिला जिसमें पूर्व जिले में से काटकर एक नए जिले को शामिल किया गया हो तथा जिसकी प्रौढ़ महिलाओं की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम थी, उसे शामिल करने के लिए पात्र माना गया है। इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित (एलडब्ल्यूईए) सभी जिले, साक्षरता दर पर ध्यान दिए बगैर इस कार्यक्रम के तहत शामिल किए जाने के पात्र हैं। तदनुसार 410 जिलों को इस प्रकार शामिल किए जाने के योग्य माना गया है जिसमें 35 एलडब्ल्यूईए जिले शामिल हैं। वर्ष 2009-10 के दौरान 167 जिले शामिल किए गए थे। वर्ष 2010-11 के दौरान 115 जिले मंजूर किए गए थे और वर्ष 2011-12 के दौरान 90 अन्य जिलों को मंजूरी प्रदान की गई थी। दिसंबर, 2014 के अंत तक इस कार्यक्रम में 26 राज्यों और 1 संघ शासित प्रदेश में 393 जिले शामिल हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान प्रगति

प्रबंधन समितियां, बैंक खाते और सर्वेक्षण

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के पुनर्गठन का कार्य सभी 26 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में पूरा कर लिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 97 प्रतिशत जिलों, 95 प्रतिशत ब्लॉकों और 96 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में प्रबंधन समितियों का गठन कर लिया गया है। इस कार्यक्रम के अधीन किए गए सर्वेक्षण में बुनियादी साक्षरता के कार्यान्वयन के लिए संभावित स्वैच्छिक शिक्षकों (वीटी) की भी पहचान की गई है।

प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना

अनेक ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय, वाचनालय, जागरूकता जैसी सतत शिक्षा सुविधाएं और इन पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रौढ़ों की जीवन-यापन और खर्च संबंधी परिस्थितियों में सुधार करने के लिए इन ग्राम पंचायतों में 1,52,720 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हैं। कुछ प्रौढ़



शिक्षा केन्द्रों में साक्षरता कक्षाएं भी आयोजित की जा रही हैं।

कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा लगभग 25.8 लाख स्वैच्छिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है तथा संसाधन व्यक्तियों द्वारा 1.98 लाख मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अब तक लगभग 12 हजार छात्र संसाधन व्यक्तियों को भी प्रशिक्षित किया गया है। एईसी में कार्यकलाप आयोजित करने के लिए 2.41 लाख प्रेरकों को भी पुनश्चर्या शिक्षण प्रदान किया गया है।

साक्षरता प्राइमर्स का वितरण

राज्य संसाधन केंद्रों ने विभिन्न भाषाओं में बुनियादी साक्षरता प्राइमर्स तैयार किए हैं। इन प्राइमर्स को भारत सरकार के प्रौढ शिक्षा निदेशालय की गुणवत्ता आश्वासन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम में उपयोग हेतु मुद्रित इन प्राइमर्स को एसएलएमए द्वारा प्राप्त किया गया है। 13 भाषाओं और 26 स्थानीय बोलियों में लगभग 42.6 मिलियन बुनियादी शिक्षा प्राइमर्स छापे गए हैं और अब तक शिक्षणार्थियों को वितरित किए गए हैं।

शिक्षण अध्ययन गतिविधियां तथा बुनियादी साक्षरता का आकलन और प्रमाणीकरण

देश के विभिन्न राज्यों में लगभग 10.11 लाख साक्षरता अध्ययन केन्द्र कार्य कर रहे हैं। नवंबर, 2014 तक बुनियादी साक्षरता के अन्तर्गत 54.21 मिलियन अध्ययनकर्ताओं का नामांकन किया गया है। प्रौढ़ों के सक्षमता स्तरों के शैक्षणिक मूल्यांकन तथा प्रमाणन भारत में साक्षरता अभियान में इतिहास में पहली बार अनन्य नवाचार आरंभ किया गया है। केवल वही प्रौढ़ जिसे पढ़ाई, लिखाई और अंकगणना आती है उसे साक्षर प्रमाणित किया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) द्वारा राष्ट्रीय मुक्त स्कूली शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के साथ परामर्श करके विकसित एक प्रणाली के माध्यम से

मूल्यांकन किए जाते हैं। शिक्षार्थियों की पढ़ाई, लिखाई तथा अंकगणना कौशल में मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकनों को शिक्षार्थियों के सामाजिक पहलुओं और उसके जीवन के कार्य परिवेश सहित सामान्य जागरूकता का आकलन करने के लिए भी तैयार किया जाता है। वे शिक्षार्थी जिन्होंने सभी तीन घटकों में क्रमशः 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, उन्हें सफल घोषित किया जाता है और एनएलएमए तथा एनआईओएस द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। असफल प्रत्याशियों को उन कौशलों में श्रेणियों को सुधारने के और अवसर प्रदान किए जाते हैं जिनमें वे सफल नहीं हो सके हों। इस प्रकार के आकलन नव साक्षरों के आत्म विश्वास में सुधार करते हैं और उनके लिए अन्य मार्ग खोलते हैं तथा इस कार्यक्रम को सुदृढ़ता और विश्वसनीयता भी प्रदान करते हैं। प्रत्येक वर्ष अर्द्धवार्षिक आकलन किए जाते हैं।



एनआईओएस द्वारा आयोजित द्विवार्षिक मूल्यांकन परीक्षाओं में लगभग 43.28 मिलियन शिक्षार्थी शामिल हुए। अब तक अगस्त, 2014 तक लगभग 31.30 मिलियन शिक्षार्थियों ने इस कार्यक्रम के अधीन आयोजित मूल्यांकन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है और उन्हें साक्षर प्रमाणित किया गया है। मार्च, 2014 तक 28.6 मिलियन शिक्षार्थियों (20.5 मिलियन महिलाओं सहित) ने इस कार्यक्रम के अधीन आयोजित मूल्यांकन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। 28.6 मिलियन शिक्षार्थियों में से 6.7 मिलियन प्रमाणित शिक्षार्थी अनुसूचित जाति (23.43 प्रतिशत) के 3.6 मिलियन अनुसूचित जनजाति (12.59 प्रतिशत) के तथा 2.3 मिलियन अल्पसंख्यक वर्ग (लगभग 8.04 प्रतिशत) के थे। इसके अतिरिक्त, अगस्त, 2014 में आयोजित पिछली मूल्यांकन परीक्षा में 41.08 लाख शिक्षार्थी उपस्थित हुए हैं और लगभग 27 लाख शिक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। शेष शिक्षार्थियों के परिणाम तैयार किए जा रहे हैं। अगली मूल्यांकन परीक्षा मार्च, 2015 में आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है।

निधियों का उपयोग

वित्त वर्ष के दौरान साक्षर भारत कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में 450.00 करोड़ रुपए राशि का बजट रखा गया था जिसमें से 276.68 करोड़ रुपए की राशि दिसंबर, 2014 तक साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु एसएलएमए को जारी की गई है। इस योजना के अधीन 2009 से दिसम्बर, 2014 तक कुल 2141.21 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

समर्थन तथा वातावरण तैयार करना

विज्ञापन और प्रचार

वर्ष 2014-15 के दौरान विज्ञापन और प्रचार इकाई के तहत प्रमुख गतिविधियों को साक्षर भारत कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर क्रियाशील बनाने के लिए अंतर-वैयक्तिक मीडिया अभियान पर संकेद्रित किया गया था। यद्यपि, साक्षर भारत कार्यक्रम की कल्पना और रूपरेखा एक सुसंगत, एकजुट और आकर्षक कार्यक्रम के रूप में की गई थी तथापि वातावरण निर्मित करने संबंधी माहौल तैयार करने के सभी प्रयासों के बावजूद कार्यक्रम के कार्यान्वयन का स्वरूप ओर दृष्टिकोण लगातार संक्षिप्त और संकीर्ण बना हुआ है जिससे डिजाइन किए कार्यक्रम और उसके कार्यान्वयन में भारी अन्तर है। अंतर-वैयक्तिक मीडिया अभियान की कल्पना प्रचालनात्मक स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों की सहक्रियात्मक समर्थन तथा सहयोग के रूप में दिए जाने वाले विशेष प्रोत्साहनों के साथ साक्षर भारत मिशन के घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य सभी हितधारकों विशेषतौर पर ग्राम पंचायत स्तर पर दर्शन, आत्मिक और वैचारिक दृष्टिकोण को सुदृढ़ बनाना है। इस अभियान का आशय ब्रांड इक्विटी बढ़ाने का भी है।

विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ने की जरूरत और महत्व को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित विषयों पर जुड़ने से संबंधित विज्ञापन प्रदान करनी प्रस्तावित थीं (1) वित्तीय साक्षरता (2) कानूनी साक्षरता, कर्तव्य, अधिकार और हकदारियां (3) आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा (4) निर्वाचन साक्षरता और (5) साक्षर भारत की पेशकश। इस अभियान के साथ जुड़े कुछ प्रमुख कार्यों में शामिल है (क) आईईसी सामग्रियों का विकास और (ख) साक्षरता कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण।



6 सितम्बर, 2014 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा आयोजित साक्षरता और जीवन-यापन 'कृति' के उद्घाटन के अवसर पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी का उदबोधन।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

ऑडियो और वीडियो कार्यक्रमों को दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर तथा ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से प्राइम टाइम स्लॉट पर प्रसारित किया गया। मुद्रित विज्ञापनों को डीएवीपी के माध्यम से आईएलडी समारोह और कृति प्रदर्शनी के दौरान जारी किया गया था। वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के संवर्धन और शिक्षार्थियों को जुटाने के लिए डिजिटल सिनेमा, थिएटरों, मुद्रित विज्ञापनों, रेल टिकटों के पीछे, राज्य सड़क परिवहन बसों जैसे अन्य माध्यमों के जरिए प्रचार अभियान आरंभ किए गए थे।

मुख्य संसाधन व्यक्तियों और मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

अभिसरण विज्ञप्ति संबंधी आरंभिक प्रशिक्षण का पहला दौर 2013-14 के दौरान पूरा किया गया था। 2014-15 के दौरान विधि साक्षरता के बारे में इन्दौर में मुख्य संसाधन व्यक्तियों (केआरपी) के पुनः प्रशिक्षण के दो कार्यक्रम, वित्तीय साक्षरता का बंगलौर में कार्यक्रम तथा आपदा प्रबंधन पर एटीआई, मैसूर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पूरे देश में राज्य संसाधन केन्द्रों ने प्रशिक्षित केआरपी की सहायता से लगभग 5000 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। स्वैच्छिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण मैनुअल विकसित किया गया था। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) के संबंध में संसाधन सामग्री भी विकसित की गई थी और उसे वित्तीय साक्षरता संबंधी आईईसी सामग्री में समेकित किया गया। राज्य संसाधन केन्द्रों तथा राज्य जन शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधियों के संकाय सदस्यों के लिए कार्यशालाएं तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

मॉडल प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र (आईसी)

साक्षर भारत कार्यक्रम में निम्नतम स्तर पर साक्षरता और आजीवन शिक्षा के लिए संस्थागत प्रबंधकीय तथा संसाधन सहायता प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों (आईसी) की स्थापना करने का प्रावधान है। ये आईसी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत साक्षरता, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और सतत शिक्षा सहित संपूर्ण कार्यक्रमों के निर्वहन हेतु इस कार्यक्रम के प्रचालनात्मक अंग हैं। इस कार्यक्रम के अधीन आईसी को कार्यशील बनाने के लिए अवसंरचना प्रदान करने हेतु बजट आवंटन किए जाते हैं।

शिक्षार्थियों को आकर्षित करने तथा सक्रिय ग्राम पंचायतों को सहायता देने हेतु मॉडल आईसी की अवधारणा ऐसे आईसी में आरंभिक अवसंरचना जैसे कम्प्यूटर, पीए सिस्टम, एलसीडी प्रोजेक्टर आदि के प्रावधान के माध्यम से मॉडल आईसी के रूप में विद्यमान आईसी का उन्नयन करके आरंभ की गई है। चूंकि साक्षर भारत कार्यक्रम में ऐसी अतिरिक्त अवसंरचना का प्रावधान नहीं है इसलिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने कंटेनर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (कंकोर), पावर फाइनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अंतर्गत इन उद्यमों ने मॉडल आईसी के रूप में आईसी के उन्नयन के लिए अपने कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (एसआरसी) मिशन प्राधिकरणों (एसएलएमए) और राज्य संसाधन केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इन आईसी ने अब तक कुल 904 मॉडल आईसी की स्थापना के लिए एसएलएमए/एसआरसी को 2275 लाख रुपए की कुल वित्तीय सहायता प्रदान की है। इनमें से अब तक 458 मॉडल आईसी के स्थापित होने की सूचना है। शीर्ष मॉडल आईसी एसएलएमए/एसआरसी स्थापित होने की प्रक्रिया में है जिन्हें उसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। उन्हें इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है।

डब्ल्यूईपीएमआईएस— एक वेब आधारित नियोजन एवं निगरानी उपकरण

मिशन की इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) ने डब्ल्यूईपीएमआईएस विकसित किया है जो आयोजना, निगरानी तथा प्रभाव विश्लेषण की एक कस्टमाइज्ड वेब आधारित प्रणाली है। यह एक कार्य की गतिशीलता पर प्रयोग है जो योजना के प्रमुख हितधारकों का नेटवर्क तैयार करता है तथा जमीनी स्तर पर मिशन की वास्तविक और वित्तीय नियोजन,

निगरानी, प्रगति की पुनरीक्षा तथा प्रभाव का मूल्यांकन करने की सुविधा प्रदान करता है।

निधियां और लेखा प्रबंधन व्यवस्था (एफएएमएस)

लगभग 1.6 लाख कार्यान्वयन एजेंसियों को अपने खाते रखने और उपयोगिता की स्थिति नामित एजेंसी को भेजनी होती है। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा इस कार्यक्रम के प्रत्येक घटक के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार निधियों का व्यय किया जाता है। इस मिशन के कुशल प्रबंधन तथा निधियों की इष्टतम उपयोगिता के प्रयोजनार्थ मिशन के प्रौन्नत कम्प्यूटिंग विकास केंद्र (सीडैक) की सहायता से एक व्यापक पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली तैयार की गई है जिससे उत्तरदायित्व बढ़ा है। विनियम सरल किए हैं और संसाधनों के प्रवाह और उनकी उपयोगिता पर कड़ी नज़र रखी जाती है।

बैंकिंग प्रणाली को एफएएमएस की निधि प्रवाह प्रणाली के अनुरूप विकसित किया गया है। यह व्यवस्था “कोर बैंकिंग सेल्यूशन” प्लेटफार्म पर है। जिसमें सभी उपभोक्ताओं के आंकड़ों को केंद्रीकृत किया जा रहा है और हर शाखा की पहुंच योग्य बनाया गया है।

नवाचार

मुस्लिमों में साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम होने के कारण (सन् 2011 की जनगणना के अनुसार 64.83% राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 59.1%) और संकेंद्रित नीतियों के लिए सच्चर समिति के ठोस सुझाव तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के अनुसरण में मुस्लिमों में शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने मुस्लिम समुदाय के प्रौढ़ों में साक्षरता और बुनियादी शिक्षा बढ़ाने के लिए मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए एक लक्षित संकेंद्रित दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की है। यह साक्षर भारत योजना के अधीन मौलाना आजाद तालीम-ए-बालीगान के नाम से है।

प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता संबंधी योजना

स्वैच्छिक सेवा क्षेत्र के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के क्रम में एक संशोधित योजना, नामतः प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता संबंधी योजना 1 अप्रैल 2009 से आरंभ की गयी थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक क्षेत्रों की सरकार द्वारा साक्षर भारत की समग्र छत्रछाया में

प्रौढों के लिए कार्यात्मक साक्षरता, कौशल विकास तथा निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों में विस्तृत तथा गहन भागीदारी को बनाए रखना है। इस योजना में राज्य संसाधन केन्द्र, जन शिक्षण संस्थानों और स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता नामक तीन प्रमुख घटक जिन्हें योजना के पैरामीटरों के अनुसार आवर्ती तथा अनावर्ती वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य संसाधन केन्द्र (एसआरसी)

राज्य संसाधन केन्द्र के लिए प्रौढ़ों को शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करना तथा सामग्री एवं प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास एवं उत्पादन के माध्यम से निरंतर शिक्षा प्रदान करना अपेक्षित है। एसआरसी के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं: (1) साक्षरता कार्यक्रमों के लिए शिक्षण अध्ययन तथा प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना (2) प्रौढ़ शिक्षा साहित्य का प्रकाशन और प्रसार (अनुवाद सहित) (3) साक्षरता कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण (4) प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रेरक और परिवेश निर्माण संबंधी गतिविधियों को चलाना (5) मल्टीमीडिया कार्य (6) क्षेत्रीय कार्यक्रमों को चलाना (7) साक्षरता परियोजनाओं की कार्रवाई का अनुसंधान, मूल्यांकन और निगरानी करना (8) साक्षरता कार्यक्रमों की भावी आवश्यकताओं की पहचान कर नवाचार परियोजनाएं शुरू करना। इस समय 32 एसआरसी कार्यात्मक हैं। एसआरसी को 'क' और 'ख' नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है और वे क्रमशः 100 लाख रुपए तथा 70 लाख रुपए तक वार्षिक अनुदान के पात्र हैं।



वित्त वर्ष 2014-15 (30.11.2014 तक) के दौरान आवर्ती अनुदान की पहली किस्त के रूप में एसआरसी को 10.81 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

वर्ष के दौरान देश में कार्यरत 32 एमआरसी ने पूरे देश में साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कार्यकलाप आरंभ किए। कार्यशालाओं, सेमिनारों तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों के माध्यम से मास्टर प्रशिक्षकों (एमटी) और संसाधन व्यक्तियों (आरपी) का प्रशिक्षण तथा एडवोकेसी और जागरूकता अभियान आरंभ किए गए। 32 एसआरसी में प्रत्येक ने अपनी-अपनी साइटों पर प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में अपनी उपलब्धियों और कार्यकलापों को दर्शाने के आधार पर प्रकाशनों, न्यूजलेटर्स अस्तित्व नव-साक्षरों हेतु सतत शिक्षा (सीई) सामग्री को तैयार और प्रकाशित भी किया है। उर्दू और सरगुजा की आदिवासी भाषाओं, हल्बी, छत्तीसगढ़ी और कुडख में 5 प्राइमर (शिक्षण अध्ययन सामग्री) तैयार और अनुमोदित किए गए हैं जबकि 3 ब्रिज प्राइमर भी हिंदी, गुजराती तथा उडिया में तैयार और प्रकाशित किए गए हैं।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस)

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) निरक्षर, नव साक्षर, प्रौढ़ों एवं स्कूल छोड़ कर गए लोगों के लिए ऐसे कौशलों की पहचान करते हुए, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जिन्हें अपनी स्थापना के क्षेत्र में बाजार मिल सके। कुल 271 स्वीकृत जेएसएस में से 252 जेएसएस इस समय चल रहे हैं और बाकी समाप्त हैं/रद्द कर दिए हैं।



लाभार्थियों के चयन में महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 (20.11.2014 तक) के दौरान आवर्ती अनुदानों की पहली किस्त के रूप में जेएसएस को 36.13 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। जेएसएस को जारी किए गए अनुदानों को एससी/एसटी सामान्य घटकों में विशेष रूप से विभाजित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अधीन एससी और एसटी को व्यापक कवरेज प्रदान करने की दृष्टि से एससी घटक के अधीन 25 प्रतिशत आवंटन निर्धारित है और एसटी घटक के अधीन 15 प्रतिशत निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2014-15 (30.11.2014 तक) में जेएसएस द्वारा चलाए गए कौशल विकास कार्यक्रमों के अधीन कुल 2.70 लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

जेएसएस के कामकाज में सुधार की दृष्टि से व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्याओं के मानकीकरण का कार्य निपट और अन्य प्रतिष्ठित एजेंसियों के माध्यम से शुरू किया गया है। जेएसएस द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के डीजीईएंडटी के एमईएस के 414 व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को अपनाया गया है। इन प्रयासों के प्रमुख उद्देश्य दिए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है जो अंततः पाठ्यचर्या, प्रशिक्षकों की गुणवत्ता तथा अवसंरचना की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विभिन्न जेएसएस पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय व्यावसायिक मानदंडों (एनओएस) के साथ परामर्श किए गए हैं। यह निर्णय लिया गया है कि अर्हता क्वालीफाइंग पैक (क्यूपी) एवं एनओएस आधारित संबद्ध पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए पाठ्यचर्या के मानकीकरण तथा रिसोर्स व्यक्तियों के प्रशिक्षण (आरपी) हेतु चुने हुए जेएसएस और चिन्हित कुछ व्यवसायों में प्रायोगिक परियोजना आरंभ की जाए।

योजना के मूल्यांकन का कार्य जेएसएस के लिए आईआईएम लखनऊ एवं एसआरसी के लिए एमडीआई गुड़गांव को सौंपा गया है। अंतिम रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं जिसमें इस योजना को जारी रखने की सिफारिश की है।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को अन्य बातों के साथ शिक्षण अध्ययन



सामग्री विकसित करने, प्रशिक्षण और अभिविन्यास कार्यक्रम के आयोजन तथा मीडिया सामग्री उत्पादन और सभी प्रकार के मीडिया आकलन, शिक्षार्थियों के आकलन आदि हेतु शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान किए गए मुख्य क्रियाकलाप नीचे दिए गए हैं:

आईएलडी 2014 का समारोह

8 सितंबर 2014 को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आयोजन किया गया। भारत के माननीय राष्ट्रपति इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार ने समारोह की अध्यक्षता की। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों के निदेशकों और सदस्य सचिवों, एसआरसी, जेएसएस के निदेशकों और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

साक्षर भारत पुरस्कार

भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य, साक्षरता मिशन प्राधिकरण, जिलों, ग्राम पंचायतों, एस आर सी और जे एस एस और राज्य संसाधन को साक्षर भारत पुरस्कार 2014 में प्रदान किए।

पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची नीचे दी गई है:

उत्कृष्ट राज्य	राजस्थान
उत्कृष्ट जिले	राजनंदगांव (छत्तीसगढ़) सीकर (राजस्थान) प्रकाशम (आंध्र प्रदेश)
उत्कृष्ट ग्राम पंचायतें	देवगढ़, भरतपुर ब्लॉक, (कोरिया जिला छत्तीसगढ़) डोगागत्तीगंदबे, होसाकोटे ब्लॉक (बंगलौर ग्रामीण जिलो, कर्नाटक) बंजारीदंड, खंडवा ब्लॉक (कोरिया जिलो छत्तीसगढ़) लितिया, राजनांदगांव ब्लॉक (राजनांदगाव जिला, छत्तीसगढ़) कोंडामारीपल्ली, मड़नपाल्ले ब्लॉक (चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश)
संसाधन सहायता संगठन	राज्य संसाधन केन्द्र, भोपाल (मध्य प्रदेश)
	जन शिक्षण संस्थान, मल्लापुरम (केरल)

* * * * *



अध्याय 07

प्रौद्योगिकी समर्थ अध्ययन

प्रौद्योगिकी समर्थ अध्ययन

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (आईसीटी)

उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) की परिकल्पना केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के रूप में की गई थी ताकि किसी भी समय कहीं भी पद्धति से उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के सभी विद्यार्थियों के लाभार्थ शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाया जा सके। शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों यथा सर्वसुलभता, समानता और गुणवत्ता को सभी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों को कनेक्टिविटी प्रदान कर, छात्रों व शिक्षकों को कम और देश में सभी शिक्षुओं को उच्च गुणवत्तापरक निःशुल्क ई-विषय-वस्तु प्रदान कर, प्राप्त किया जा सकता है। एनएमईआईसीटी में सभी तीन घटक शामिल हैं।

मिशन के प्रमुख घटक हैं: (क) विषय वस्तु तैयार करना (ख) संस्थाओं और शिक्षुओं को सुलभ उपकरणों के प्रावधान के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करना। इस मिशन का उद्देश्य डिजिटल डिवाइड अर्थात् उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण शिक्षकों/विद्यार्थियों के बीच शिक्षण और सीखने के प्रयोजनार्थ कम्प्यूटिंग यंत्र का प्रयोग करने की दक्षता के अंतर को पाटना है और उन्हें सशक्त बनाना है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अनछुए

रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जुड़ नहीं सके हैं। इसमें ई-शिक्षा के लिए समुचित अध्यापन कला, वर्चुअल प्रयोगशालाओं के जरिए प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करना, ऑनलाइन प्रशिक्षण और प्रमाणन, प्रशिक्षुओं का मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षकों की ऑनलाइन उपलब्धता, उपलब्ध एजुकेशन सैटेलाइट (एडुसेट) का उपयोग और शिक्षण आदि की नई पद्धति का कारगर ढंग से उपयोग करने के लिए शिक्षकों का डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) मंच स्थापित करना, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण आदि पर ध्यान देने की योजना बनाई गई है।

साक्षात वन स्टॉप शिक्षा पोर्टल www.sakshat.ac.in है जिसके द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अन्य लोगों को निःशुल्क अजीवन शिक्षा में सुविधा प्रदान की जाती है। यह पोर्टल (एनएमईआईसीटी) की शिक्षा के अंतर्गत प्रमुख डिलीवरी मंच होगा। आईएनएफएलआईबीएनईटी योजना द्वारा मिशन के अंतर्गत तैयार किए गए सभी विषयों तक आसान सुलभता के लिए समेकित वन स्टॉप ई-घटक पोर्टल तैयार करने के कदम उठाए गए हैं। मिशन से संबंधित सूचना के लिए तथा मिशन द्वारा की गई परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक जांच, फीडबैक और पारदर्शिता को सुकर बनाने के लिए एनएमईआईसीटी हेतु एक नई वेबसाइट बनाई गई है।



Figure: Website of NMEICT (www.nmeict.ac.in/ www.sakshat.ac.in/)

एनएमईआईसीटी योजना के अंतर्गत संस्वीकृत कुल परियोजनाओं की निम्नलिखित उपलब्धियाँ हैं:

(i) **कनेक्टिविटी:** एनएमईआईसीटी के अधीन देश में 419 विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय संस्थाओं को 1 जीबीपीएस फाइबर कनेक्टिविटी तथा प्रत्येक कॉलेजों तथा पॉलिटेक्निकों को 512 केबीपीएस के 20 ब्रॉडबैंड कनेक्शनों का प्रावधान किया गया है। अब तक एनएमईआईसीटी के अधीन पॉलिटेक्निकों सहित 21310 कॉलेजों और 403 विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थाओं प्रत्येक में 400 नोड्स तक का एक एलएएन का प्रावधान भी एनएमईआईसीटी के माध्यम से उपलब्ध है। 50 विश्वविद्यालयों में एलएएन कार्य पूरा हो गया है। कनेक्टिविटी हेतु एनएमईआईसीटी में वित्तपोषण पद्धति 75:25 है अर्थात् 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार से और 25 प्रतिशत संबंधित विश्वविद्यालयों/कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों से है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।

(ii) **ई-कंटेंट:** यह मिशन उच्चरत शिक्षा स्तर पर सभी विषयों को कवर करके लक्ष्य समूहों के लिए उच्च क्वालिटी ई-कंटेंट सृजित करने में लगा हुआ है। ई-कंटेंट सृजन करने के लिए प्लैगशिप राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी युक्त अधिगम संबंधी एनपीटीईएल राष्ट्रीय कार्यक्रम है। एनपीटीईएल एनएमईआईसीटी द्वारा वित्तपोषित आईआईटी और आईआईएस की संयुक्त पहल है जो इंजीनियरी, विज्ञान और मानविकी स्ट्रीमों में ऑनलाइन वेब और वीडियो आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से ई-अधिगम प्रदान करते हैं। 810 से अधिक पाठ्यक्रम तैयार कर लिए गए हैं और एनपीटीईएल वेबसाइट में उपलब्ध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 200 ई-कंटेंट पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

NPTEL National Programme on Technology Enhanced Learning

Funded by Ministry of HRD Government of India

Speech to Text Transcription of NPTEL Video Lectures

GATE Preparation Using NPTEL Material
MOCK Test for GATE 2014 now available

Online Certification Courses - May and July 2015

Get Certified with NPTEL Courses - Click here!

ACCESSING NPTEL

1. DVDs
2. DIRECT DOWNLOAD
3. HARD DISKS (Institutions & Organizations)

FAQ Contact us: Sakshat Institutes using NPTEL

About NPTEL
NPTEL provides E-learning through online Web and Video courses in Engineering, Science and humanities streams. The mission of NPTEL is to enhance the quality of Engineering education in the country by providing free online courseware.

Give Feedback on NPTEL Courses

A Joint Initiative of the IITs and IISc

New Courses

- Aerospace Propulsion - Video (27 Feb 2015)
- Nonlinear Optics - Web (26 Feb 2015)
- English Language and Literature - Video (24 Feb 2015)
- Managerial Accounting - Web (24 Feb 2015)
- Probability Foundation for Electrical Engineers - Video (20 Feb 2015)
- Introduction to Atmospheric Science - Video (11 Feb 2015)
- Linear Algebra - Video (05 Feb 2015)
- Advanced Techniques in Geotechnical and Foundation Engineering - Web (04 Feb 2015)
- Concepts in Geotechnical and Foundation Engineering - Web (04 Feb 2015)
- Communication Skills - Web (28 Jan 2015)
- NOC: Health, Safety and Environmental Management in Offshore and

Aerospace Engineering (49)	Atmospheric Science (7)	Automobile Engineering (2)	Basic courses (Sem 1 and 2) (85)
Biotechnology (35)	Chemical Engineering (95)	Chemistry and Biochemistry (57)	Civil Engineering (132)
Computer Science and Engineering (96)	Electrical Engineering (77)	Electronics & Communication Engineering (104)	Engineering Design (14)
Environmental Science (4)	General (5)	Humanities and Social Sciences (72)	Management (52)
Mathematics (73)	Mechanical Engineering (186)	Metalurgy and Material Science (54)	Mining Engineering (2)
Nanotechnology (11)	Ocean Engineering (31)	Physics (75)	Textile Engineering (26)

NPTEL in the Media
Highlights of NPTEL
Invitation for Subject Matter Experts for Contributing to NPTEL
How to publish NPTEL content
NPTEL SME Felicitation-IIT Madras-Oct 16th 2014

Upcoming NPTEL Workshops
E-Book: Demystifying the Brain
Aeronautical Society of India - AmAeSI Examination
Minutes of the NPTEL PIC Meetings
Semester wise suggested readings

Copyright | Disclaimer | NPTEL Project document (Phases II/III). Pdf Download

Distributed under Creative Commons Attribution-ShareAlike - CC BY-SA. Why Creative Commons? for more details on licence policy please click on the links in this line View Licence Deed | View Legal Code


NPTEL Official Partners YouTube Sakshiguru.com myopencourses Classmate

Figure: Website of NPTEL (<http://nptel.ac.in>)

एनपीटीईएल की मुख्य विशेषताओं को निम्नलिखित चित्रों में किया गया है:

एनपीटीईएल वेबसाइट – <http://nptel.ac.in>

- 810+ पाठ्यक्रम
- 200 मिलियन पेज व्यू




यू-ट्यूब में एनपीटीईएल चैनल – <http://youtube.com/user/nptelhrd>

- 16648 से अधिक वीडियो
- 3 लाख से अधिक उपभोक्ता
- 120 मिलियन से अधिक दर्शक
- एनपीटीईएल-सबसे अधिक देखा जानेवाला शैक्षिक चैनल

एनपीटीईएल के फेज-I तथा II के अधीन तैयार किए गए वेब और वीडियो पाठ्यक्रम जो इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं उसकी विषय-वार सूची निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत है:

फेज –I:



चित्र : एनपीटीईएल के मुख्य अंश

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	वेब	वीडियो
1.	सिविल इंजीनियरिंग	24	19
2.	कम्प्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग	22	19
3.	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	16	25
4.	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	27	23
5.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	20	24
6.	बेसिक कोर्स (सेमेस्टर 1 एवं 2)	16	21
7.	बॉयोटेक्नोलॉजी	-	1
8.	कैमिस्ट्री एवं बॉयोकैमिस्ट्री	-	1
9.	मेटालुर्जी एवं मैटीरियल साइंस इंजीनियरिंग	-	1
10.	ओशन इंजीनियरिंग	-	3
11.	माइनिंग इंजीनियरिंग	-	1
	कुल	125	138

फेज -II:

क्र.संख्या	विषय का नाम	वेब	वीडियो
1.	एयरोस्पेस इंजीनियरिंग	13	18
2.	जैव प्रौद्योगिकी	16	07
3.	कैमिकल इंजीनियरिंग	33	28
4.	कैमिस्ट्री और बायोकैमिस्ट्री	14	13
5.	सिविल इंजीनियरिंग	32	24
6.	कम्प्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग	10	31
7.	इंजीनियरिंग डिजाइन	06	03
8.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	08	13
9.	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	21	22
10.	प्रबंधन	12	20
11.	गणित	24	26
12.	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	32	35
13.	मेटलर्जी एंड मैटेरियल साइंस	12	16
14.	ओसियन इंजीनियरिंग	01	17
15.	भौतिक विज्ञान	14	20
16.	टैक्सटाइल इंजीनियरिंग	13	02
17.	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूनिकेशन इंजीनियरिंग	04	17
18.	नैनो टेक्नालॉजी	03	03
19.	एटमोस्फेरिक साइंस	01	03
20.	पर्यावरण विज्ञान	03	-
21.	आधारभूत पाठ्यक्रम (सेमस्टर-I और II)	01	-
22.	खनन इंजीनियरिंग	01	-
23.	सामान्य	-	02
	कुल	274	320

अवर स्नातक (यूजी) पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक संचार संघ (सीईसी) को अपने 17 मीडिया केन्द्र के सहयोग से 87 अवर स्नातक विषयों में ई-कंटेंट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। आठ अवर स्नातक विषयों नामतः इतिहास, वनस्पति विज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, पर्यावरण विज्ञान, मानव विज्ञान, गणित, हिन्दी भाषा और व्यावसायिक अध्ययन (फोटो ग्राफी) के ई-कंटेंट तैयार कर लिए गए हैं। अन्य 21 विषयों में ई-कंटेंट के शीघ्र ही तैयार होने की संभावना है।

The screenshot shows the website of the Consortium for Educational Communication India. The header includes the organization's name, logo, and navigation links like HOME, CONTACT, and NME-ICT, MHRD. Below the header, there are tabs for OBJECTIVES, SUMMARY, VIDEO / AUDIO, TEXT, ASSIGNMENT, REFERENCE, DOWNLOAD, and BLOG. The main content area features a large image of a historical battle scene with the text "HISTORY History of Modern India (B.A.)". To the right, there is a sidebar with the following details: Subject: History, Paper No.: Paper-IV History of Modern India, Topic No. & Title: Topic - 1 Understanding Modern India, and Lecture No. & Title: Lecture-1 Concepts, Terminologies and Approaches. The footer includes the tagline "Empowering through e - education" and the logo of CEC - UGC.

चित्र: सीईसी वेबसाइट (<http://cec-nic-in>)

सीईसी द्वारा तैयार किए कंटेंट की विषय-वार स्थिति नीचे तालिका में दी गई है।

पूरे कर लिए गए विषय

क्र.सं.	आवंटित विषय	तैयार किए गए ई-कंटेंट
1.	बी.ए. इतिहास	356
2.	बी.ए. वनस्पति विज्ञान	280
3.	बी.ए./बीएससी अंग्रेजी भाषा	131
4.	बी.ए./बीएससी पर्यावरण विज्ञान	76
5.	बी.ए. मानव विज्ञान	193
6.	बी.ए. (आनर्स) गणित	379
7.	बी.ए./बीएससी हिंदी भाषा	147
8.	बी.ए. व्यावसायिक अध्ययन (फोटोग्राफी)	27

विषय जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा:

क्र. सं.	आवंटित विषय	केन्द्र द्वारा विषय मैपिंग के अनुसार प्रस्तावित ई-कंटेंट माड्यूल	जनवरी, 2015 तक तैयार किए गए ई-कंटेंट
9.	बी.ए. अर्थशास्त्र	350	242
10.	बी.ए. कम्प्यूटेशन और पत्रकारिता	312	340
11.	बी.एस.सी. जीव विज्ञान	300	243
12.	बी.कॉम.कामर्स	355	713
13.	बी.एस.सी.कम्प्यूटर साइंस	350	405
14.	बी.ए. भूगोल	340	420
15.	बी.ए. मंचकला	290	328
16.	बी.ए. (आनर्स) अंग्रेजी साहित्य	399	399
17.	बी.ए. हिंदी साहित्य	325	321
18.	बी.ए. बिजनेस मैनेजमेंट	316	150
19.	बी.एससी. रसायन विज्ञान	350	184
20.	बी.एससी. भू-विज्ञान	281	248
21.	बी.एससी. एप्लाइड फिजिकल साइंसेज (इलेक्ट्रानिक्स)	350	119
22.	बी.ए. समाज शास्त्र	390	392
23.	बी.एससी. अनुप्रयुक्त जीव विज्ञान (कीटपालन)	350	104
24.	बी.ए. मनोविज्ञान	305	293
25.	बी.एससी. (आनर्स) सूक्ष्मजीव-विज्ञान	350	313
26.	बी.ए. मानवाधिकार	210	179
27.	बी.एससी.एप्लाइड फिजिकल साइंसेज (कम्प्यूटर साइंस)	230	225
28.	बी.एससी. (आनर्स) सांख्यिकी	300	198
29.	बी.एड.	300	340
	कुल फेज-I		7745

सीईसी ने फेज-II के 58 विषयों के लिए ई-कंटेंट तैयार करना भी शुरू कर दिया है।

स्नातकोत्तर (पीजी) के लिए 77 विषयों के ई-कंटेंट तैयार करने संबंधी कार्य को यूजीसी को सौंप दिया गया है। ई-पीजी पाठशाला के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम <http://epgp-inflibnet.ac.in> पर खुली पहुंच के लिए उपलब्ध है और इन्फ्लिबनेट सर्वर पर होस्ट किया गया है और इसे 'साक्षात' पोर्टल से भी प्राप्त किया जा सकता है। परियोजना में अन्यो के साथ-साथ हुई प्रगति नीचे दी गई है:-

- केन्द्रीय, राज्य, समवत विश्वविद्यालयों, आईआईटी आदि से 72 विषयों में चिन्हित प्रख्यात प्रोफेसर (प्रिसिपल इन्वेस्टिगेटर-पीआई)। प्रत्येक पीआई कंटेंट लेखन या समन्वयन के लिए 40-60 (लगभग) विषय विशेषज्ञों के एक दल को तैनात करेगा;
- ई-कंटेंट को होस्ट करने के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के मुक्त स्रोत का विशेष रूप से निर्माण और स्थापना;
- 'ई-पाठशाला मैनेजमेंट सिस्टम' तैयार करना- एक ऐसा मंच जो प्रत्येक विषय के टीम सदस्यों को परस्पर बातचीत और हितधारकों (कागज- समन्वयकर्ता, कंटेंट लेखक, भाषा सम्पादन, और समीक्षकों) द्वारा कार्य प्रगति का रख-रखाव/जानने की सुविधा प्रदान करता है।
- 1200 से भी अधिक माड्यूल तैयार हो गए हैं और ई-पाठशाला की वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं।
- 5000 से भी अधिक माड्यूल समीक्षाधीन हैं।
- बहुत सी कार्यशालाएं (यूजीसी द्वारा 13+पीआई स्तर की) विभिन्न क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए आयोजित की गईं।

iii) आभासी प्रयोगशालाएं:- भौतिकी दूरियां और संस्थानों की कमी हमें प्रयोग करने से रोकते हैं। अच्छे अध्यापक भी दुर्लभ संसाधन बने हुए हैं। वेब और वीडियो आधारित पाठ्यक्रम कुछ हद तक शिक्षण के मुद्दे को हल करते हैं। दो भागीदारी संस्थाओं द्वारा उनका संयुक्त रूप से प्रयोग करना और कीमती संसाधनों को शेयर करना हमेशा एक चुनौती रहा है। आज की इंटरनेट और कम्प्यूटर तकनीक सहायता से उपर्युक्त कमियां छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने से रोक नहीं सकती। वेब आधारित प्रयोगों के रिमोट प्रचालन और उन्हें देखने की दृष्टि से इस प्रकार बनाया जा सकता है जो छात्रों में जिज्ञासा और नवाचार को प्रेरित कर सकें। यह रिमोट प्रयोग के माध्यम से आधारभूत और उन्नत परिकल्पना के सिखने में मदद करेगा। आजकल अधिकतर उपकरणों में अनके नियंत्रण और डाटा इक्टू करने के लिए कम्प्यूटर इंटरनेट है। कुछ उपकरणों के उपयोग द्वारा अच्छे प्रयोगों को डिजाइन करना संभव है जो छात्रों के शिक्षण में वृद्धि करेगा। इसके अलावा इंटरनेट आधारित प्रयोग उन कौशलतापूर्ण प्रयोग, जिनको


अलग-अलग स्थानों (संभवतः अलग-अलग समय) पर एक साथ कार्यान्वित किया जाता है, को बढ़ावा देने के अतिरिक्त ज्ञान, साफ्टवेयर और वेब पर उपलब्ध आकड़ों जैसे संसाधनों के प्रयोग की अनुमति देता है। एनएमईआईसीटी के तहत आईआईटी-दिल्ली निम्न उद्देश्यों के साथ आभासी प्रयोगशाला संबंधी कार्य कर रहा है:-

- विज्ञान और इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में प्रयोगशाला को दूर से एक्सेस करने की सुविधा उपलब्ध कराना। ये आभासी प्रयोगशालाएं अवर स्नातक, स्नातकोत्तर के साथ-साथ अनुसंधानकर्ता छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।
- छात्रों को अपनी जिज्ञासा के अनुसार प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। यह उन्हें रिमोट प्रयोग के माध्यम से आधार-भूत और नवीनतम अवधारणाओं को सीखने में सहायता करेगा।
- आभासी प्रयोगशालाओं के चारों ओर एक पूर्ण शिक्षण प्रबंधन सिस्टम उपलब्ध कराना जहां छात्र अतिरिक्त वेब-संसाधनों, वीडियो लेक्चर, एनिमेटेड प्रदर्शन और स्व: मूल्यांकन सहित शिक्षण के विभिन्न साधनों का प्रयोग कर सकते हैं।
- उन कीमती उपकरणों और संसाधनों, जो अन्यथा समय की कमी और भूगोलीय दूरी के कारण एक सीमित संख्या के उपभोक्ताओं तक ही उपलब्ध हैं, को साझा करना।

इन आभासी प्रयोगशालाओं को उपभोक्ता परिसर पर प्रयोग करने के लिए किसी अतिरिक्त ढांचे की स्थापना करने की जरूरत नहीं है। दूर से प्रयोग करने के लिए जो जरूरी है वह है एक ब्रॉड-बैंड कनेक्टिविटी के साथ एक कम्प्यूटर। आभासी प्रयोगशालाओं में अलग-अलग विभिन्न विषयों पर गुणवत्तायुक्त प्रयोगशाला को एक्सेस करने, विज्ञान और इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं का विस्तार नापने के लिए छात्र और अध्यापक दोनों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। विषय-वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

क्र.सं.	संख्या	प्रयोगशालाओं की संख्या
1.	इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्युनिकेशन इंजी	21
2.	सिविल इंजीनियरिंग	09
3.	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	12
4.	बायोटेक और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग	28
5.	कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग	23
6.	मैकनिकल इंजीनियरिंग	08
7.	फिजिकल साइंसेज	11
8.	कैमिकल इंजीनियरिंग	04
9.	कैमिकल साइंसेज	10
	कुल	126

आभासी प्रयोगशालाओं का क्षेत्रीय प्रयोग दिल्ली और एनसीआर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों के 170 इंजीनियरिंग कालेज और लगभग 30 विश्वविद्यालयों में किया गया था और प्रयोगशाला-वार 5,36,595 छात्रों ने इसका उपयोग किया। निम्नलिखित पाई-चार्ट में उपभोक्ता फीडबैक आंकड़ों का विश्लेषण दिया गया है:-



चित्र- समग्र छात्र फीडबैक

इन आभासी प्रयोगशालाओं का सप्ताहांत और नियमित प्रयोगशाला समय के बाद व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।

(iv) टॉक-टु-ए-टीचर: एनएमईआईसीटी के तहत आईआईटी-मुम्बई को संस्वीकृत टॉक-टु-ए-टीचर परियोजना का उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई, अध्यापन प्रणाली सहयोग, शिक्षण सामग्री और अध्यापकों और अध्यापन सहयोगियों से अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की पहुंच उपलब्ध कराना है। दूसरे चरण में आईआईटी-खडगपुर के सहयोग से परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसका लक्ष्य देश भर में 1,50,000 अध्यापकों को प्रशिक्षित करना है। यह कार्यक्रम सिन्क्रोनस और एसिन्क्रोनस प्रणालियों को अपनाते हुए आईसीटी समर्थित पद्धति का प्रयोग करता है। यह बड़ी संख्या में अध्यापकों से जुड़ता है और उन्हें पहुंच उपलब्ध कराता है और उनके माध्यम से बहुत भारी संख्या में छात्रों तक पहुंचता है।

इस कार्यक्रम के तहत आईआईटी-मुम्बई ग्रीष्म और सर्दी की छुट्टियों में दो सप्ताह की आईएसटीई कार्यशालाएं आयोजित करता है। आईआईटी-मुम्बई से लेक्चर का सीधे प्रसारण होता है और प्रतिभागी अध्यापक उन लेक्चर में उनके कालेज के पास वाले रिमोट केन्द्र से शामिल होते हैं और उसी केन्द्र में आयोजित ट्यूटोरियल और प्रयोगशाला सत्र में भी उपस्थित होते हैं। लेक्चर का प्रसारण और सीधी बातचीत देश में चयनित रिमोट सेन्टरों

पर दूरस्थ मोड (डिस्टेंस मॉड) के माध्यम से ए-व्यू तकनीक और इंटरनेट द्वारा होती है। तकनीकी अवसंरचना और अन्य प्रचालन उपस्करों के संचालन के लिए प्रत्येक रिमोट सेंटर पर संकाय समन्वयकर्ताओं को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक कार्यशाला के लिए उस विषय हेतु संकाय समन्वयक होता है जो उस केन्द्र पर प्रयोगशाला और ट्यूटोरियल का आयोजन करता है। विभिन्न रिमोट सेंटरों से विशेष संकाय सदस्यों को, प्रमुख कार्यशाला से कम-से कम 2 महिने पहले आईआईटी-मुम्बई में 05 दिवसीय 'समन्वयकर्ता प्रशिक्षण कार्यशाला' में उपस्थित होने हेतु आमंत्रित किया जाता है। ये समन्वयकर्ता प्रमुख कार्यशाला के दौरान कार्यशाला समन्वयकों के रूप में कार्य करते हैं और रिमोट केन्द्रों के प्रतिभागियों और आईआईटी-मुम्बई जहां से कार्यशाला का सीधा प्रसारण होता है के बीच सम्पर्क बनाने का कार्य करते हैं। प्रमुख कार्यशाला के दौरान प्रत्येक केन्द्र के कार्यशाला समन्वयक ट्यूटोरियल और प्रयोगशालाओं के प्रबंधन का पर्यवेक्षण करते हैं। कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से तैयार किए गए कंटेंट्स में रिकार्ड किए गए वीडियो लेक्चर, समनुदेशन और अध्यापक संकाय द्वारा दी गई अध्ययन सामग्री होती है। इन्हें छात्रों, अध्यापकों और पेशेवरों के लाभ के लिए पोर्टल पर एक खुले स्रोत के रूप में जारी किया जाता है।

इस प्रोजेक्ट के तहत पाठ्यक्रम की सिनक्रोनस डिलिवरी को मिलाकर 80 हजार से भी अधिक अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है।

(v) राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालयः- एनएमईआईसीटी के तहत "राष्ट्रीय धरोहर निर्माण की ओर भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय का विकास" (डेवेलपमेंट ऑफ नेशनल डिजिटल लायब्रेरी ऑफ इंडिया, टुवर्ड्स ब्यूल्डिंग ऑफ नेशनल अस्सेट) नामतः परियोजना को आईआईटी-कानपुर को स्वीकृत किया गया है। परियोजना में राष्ट्रीय ज्ञान धरोहर पर विचार किया गया है जो देश में सर्वव्यापक डिजिटल ज्ञान स्रोत उपलब्ध कराएगा और सभी श्रेणियों के प्रशिक्षु समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेगा शिक्षा अनुसंधान और नवाचार में वृद्धि करेगा। परियोजना अलग-अलग क्षमता, अपेक्षाओं और सामाजिक पृष्ठभूमि वाले प्रशिक्षुओं की आवश्यकताओं को कवर करते हुए ई-लर्निंग, आभासी प्रयोगशाला और टेक्नॉलाजी इन्हेंसड लर्निंग डिजाइन पर विशेष बल देते हुए विद्यालयों, कालेजों और उच्चतर श्रेणी छात्रों के लिए बड़ी संख्या में ई-कंटेंट को मिलाने, यदि आवश्यकता हुई तो उन्हें तैयार करने में मदद करेगी।

प्रस्तावित राष्ट्रीय डिजिटल लायब्रेरी विभिन्न श्रेणियों के छात्रों और शिक्षा के प्राथमिक से स्नातकोत्तर स्तर तक,

अध्यापकों, अनुसंधानकर्ताओं, सामान्य क्षेत्रों में कार्यरत पेशेवरों के साथ-साथ विशेष समूहों (जैसे विधिक और मेडिकल प्रोफेशन) के लर्निंग कंटेंट्स की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए तैयार की जाएगी। प्रस्तावित नेशनल लर्निंग ओब्जेक्ट रिपोजिट्री ई-कंटेंट को ई-बुक्स, ई-जर्नल, स्कैन्ड बुक्स, शोध पत्र, प्रबंधन आदि तैयार करने सहित विभिन्न प्रकार के लर्निंग कंटेंट्स की पूर्ति करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। यह रिपोजिट्री सभी स्तरों पर प्रशिक्षुओं और जहां भी संभव हो व्यापक रूप से नागरिकों को गुणवत्तायुक्त ई-कंटेंट्स की पहुंच उपलब्ध कराएगा। यह देश में लायसेंस वाले ई-संसाधनों की ऑन-लाइन दस्तावेज डिलिवरी सेवाएं भी उपलब्ध करवाएगा।

रिपोजिट्री में उपभोक्ता श्रेणी, विषय श्रेणी, विषय संदर्भ, पुस्तकों, जर्नल, मल्टी मीडिया, प्रश्न बैंक, चित्रण (विजुअलाइजेशन) और इन जैसे विषयों पर आधारित उर्ध्व और पार्श्व रूप से परिभाषित विभिन्न खंड होंगे। विभिन्न स्तरों पर विशेषकर उर्ध्वाकार विषयों में स्कूल, विज्ञान, कला, वाणिज्य, विधि, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान और औषध शामिल होंगे।

राष्ट्रीय स्तर पर मेटाडेटा प्राप्त करने के लिए एक ओएआई-पीएमएच सर्वर के डिजाइन और निर्माण का प्रस्ताव है। भारत में विभिन्न डिजिटल रिपोजिट्री से कंटेंट्स को ओएआई-पीएमएच प्रोटोकाल की मदद से प्राप्त किया जा सकता है। इन प्राप्त किए गए कंटेंट्स को ऑन-लाइन एक्सेस करने के लिए एक केन्द्रीय सर्वर पर डाला जाएगा। इस समय प्रचलित डिजिटल लायब्रेरी ओएआई/पीएमएच को और लचीला बनाने की जरूरत है।

विभिन्न संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और विभिन्न डिजिटल लायब्रेरी परियोजना और ओपन एक्सेस लर्निंग संसाधनों के लिए एकल विंडो खोज पद्धति उपलब्ध कराने के लिए एक वेब-स्केल डिस्कवरी सर्वर तैयार किया जाएगा। यूनिकोड-कम्प्लायंट मल्टिलिंगुअल इंवायरमेंट को संचयन, क्षेत्रीय भाषा आधारित इंटरफेस के साथ स्वदेशी डिजिटल कंटेंट्स की प्रक्रिया और पुनः प्राप्ति के लिए निर्मित किया जाएगा।

प्रोजेक्ट (परियोजना) संस्थान के संकाय सदस्यों, स्टाफ और छात्रों द्वारा तैयार किए गए इन-हाउस संसाधनों को राष्ट्रीय डिजिटल लायब्रेरी सर्वर पर अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विश्वविद्यालय और कालेज पुस्तकालयों को 24X7 घंटे पद्धति में डीएल-सर्वर चलाने के लिए यह कलाउड आधारित समाधान और सहायता भी उपलब्ध करवाएगा। यह एनडीएल से शिक्षण सामग्री को एक्सेस करने के लिए स्कूल और कालेज को अवसंरचना सहायता भी उपलब्ध करवाएगा।


सहयोगी शिक्षण प्रबंधन साधन और प्रौद्योगिकी लागू की जाएगी। इसमें स्कूल भूगोल, इतिहास और विज्ञान से लेकर इंजीनियरिंग के उन्नत तकनीकी विषयों, चिकित्सा, वास्तुकला और सामाजिक विज्ञान के अध्ययन का व्यापक शिक्षण मंच (प्लेटफार्म) तैयार करना प्रस्तावित है।

यह परियोजना एक मजबूत सदृश ढांचा उपलब्ध कराएगी ताकि राष्ट्रीय डिजिटल लायब्रेरी के प्रति व्यापक और बिना किसी अवरोध के पहुंच मिल सकें।

(vi) विद्वानः विशेषज्ञ डाटा-बेस और राष्ट्रीय अनुसंधानकर्ता नेटवर्क एनएमईआईसीटी के तहत इन्फलिबनेट केन्द्र, गांधी नगर ने 'विद्वानः विशेषज्ञ डाटाबेस और राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क' नामक पहल को i) भारत और विदेशों में अग्रणी शैक्षिक और आरएंडी संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों, संकाय सदस्यों और अनुसंधान वैज्ञानिकों का प्रोफाइल इकट्ठा करना; ii) देश में शिष्टजनों, भावी सहयोगकर्ताओं, निधियन एजेंसियों, नीति निर्माताओं और अनुसंधान विद्वानों को विशेषज्ञों के बारे में शोध और सुविधाजनकरूप से सूचना उपलब्ध कराना; iii) अनुसंधान विद्वानों द्वारा जरूरी विशेषज्ञता रखने वाले विशेषज्ञों के साथ सीधे बात-चीत स्थापित करना; iv) लेख और अनुसंधान प्रस्तावों की समीक्षा के लिए **शिष्टजन समीक्षकों** की पहचान करना; और v) वैज्ञानिकों के बीच सूचना आदान-प्रदान और नेटवर्किंग सुविधाओं का सृजन करने के लिए शुरू किया गया है। यह डाटाबेस मंत्रालयों/सरकार द्वारा निगरानी और मूल्यांकन उद्देश्य के लिए गठित विभिन्न समितियों, कार्यबलों के लिए विशेषज्ञ पैनल के चयन में मददगार होगा। इसके अलावा एक ही जगह पर विशेषज्ञ डाटाबेस की उपलब्धता नीति कार्यक्रमों और निधियन एजेंसियों की निर्णय लेने और नीति कार्यक्रमों में मदद करेगी। 31 दिसम्बर, 2014 तक डाटाबेस में आईआईटी, सीएसआईआर, डीआरडीओ सहित 1477 अग्रणी शैक्षिक संस्थाओं और आरएंडी संगठनों के 14358 विशेषज्ञों की प्रोफाइल हैं।

(vii) ई-यन्त्रः एनएमईआईसीटी के तहत स्वीकृत ई-यन्त्र प्रोजेक्ट का उद्देश्य गणित, कम्प्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग सिद्धान्तों को रोमांचक व्यावहारिक शिक्षा में अनुप्रयोग के माध्यम से छात्रों को जोड़ने के साथ इंजीनियरिंग शिक्षा में रोबोटिक्स को शामिल करना है, परियोजना के प्रथम चरण के रूप में रोबोटिक्स प्लेटफार्म के सृजन को सफलतापूर्वक दर्शाया गया है। इस समय ई-यन्त्र को 100 कालेजों में कार्यान्वित किया गया है, यह

ई-यन्त्र उन 100 कालेजों में परियोजना आधारित शिक्षण और अध्यापक प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशाला अवसंरचना स्थापना के माध्यम से कौशल का सृजन कर रहा है। नीचे दी गई आकृतियां ई-यन्त्र परियोजनाओं में प्रयुक्त रोबोट्स की तस्वीरें हैं।



चित्र: ई-यन्त्र में प्रयुक्त किए जाने वाले रोबोट्स

ई-यन्त्र में रोबोटिक्स के मूल संदर्भों से छात्रों की पहचान कराने के लिए कम लागत वाले स्पार्क बी-रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। फायरबर्ड वी एक विस्तृत प्लेटफार्म है जिसमें रोबोट के उपर एसेम्बली बनाई जा सकती है उसका उपयोग अधिक चुनौतिपूर्ण और मुश्किल पाठ्यक्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किया जाता है। यह रोबोट छात्रों को एम्बेडेड प्रणाली और रोबोटिक्स के आधुनिक संदर्भ पढ़ाने के लिए पर्याप्त और आवश्यक है। हेक्सापॉड रोबोट फायरबर्ड-वी रोबोट की ही किस्म है जिसका 18 सर्वो मोटरों के साथ 6 टांगे हैं। इस रोबोट का उपयोग विभिन्न परिवहनीय तकनीकों के अध्ययन और डिजाइन के लिए किया जाता है जो रक्षा और ऐसे कृषि अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक हैं जहां दुर्गम क्षेत्र हैं। सभी परियोजनाएं और कोड़ क्रिएटिव मुक्त स्रोत विषय-वस्तु के रूप में ई-यन्त्र वेबसाइट (www.e-yantra.org) पर उपलब्ध हैं।

(viii) ई-कल्प : "ई-कल्प: भारत में डिजिटल शिक्षण वातावरण डिजाइन का सृजन" परियोजना को सफलता पूर्वक प्रदर्शित किया गया है, चरण-। में इसके उद्देश्यों की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

- डिजाइन पर ई-लर्निंग कार्यक्रमों के साथ डिजाइन शिक्षण के लिए डिजिटल ऑन-लाइन कंटेंट
- क्राफ्ट सेक्टर सहित डिजिटल डिजाइन संसाधन डाटाबेस
- डिजाइन के सहयोगात्मक शिक्षण स्थान के साथ उच्चतर शिक्षण के लिए सामाजिक नेटवर्किंग

- आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के परिणामों पर डिजाइन इनपुट्स

‘डी-सोर्स’ नामक ई-कल्पा वेब साइट के कंटेंट में विभिन्न क्षेत्रों में डिजाइन शिक्षण पर 90 पाठ्यक्रम, डिजाइन और क्राफ्ट के उत्कृष्ट नमूनों के रूप में 250 संसाधन, पेशेवरों और डिजाइन छात्रों द्वारा कार्यान्वित डिजाइन प्रोजेक्ट के 110 विषय अध्ययन, विषय विशेषज्ञों द्वारा 50 वीडियो लेक्चर और प्रस्तुतिकरण और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रलक्षित कला और डिजाइन की समृद्ध परम्परा कृतियों का प्रलेखीकरण करने वाली चित्र दीर्घा के 600 उदाहरण शामिल हैं।

(ix) राष्ट्रीय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) पर जागरूकता/प्रसार

दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 को सार्क राष्ट्रों के शिष्टमंडल के समक्ष एनएमईआईसीटी पर प्रस्तुति की गई। इसके अलावा माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 को ‘शिक्षा पर नई दिल्ली की घोषणा’ पर शिष्टमंडल को संबोधित किया और यह घोषणा की कि भारत सार्क राष्ट्रों से ई-संसाधनों को साझा करेगा।



एनएमईआईसीटी उत्पादकों का विभिन्न विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कालेज विशेषकर उत्तर-पूर्व क्षेत्र में प्रसार के लिए 15-17 दिसम्बर, 2015 के दौरान आईआईटी-गुवाहाटी में हुई तीसरी वार्षिक एनकेएन कार्यशाला में एनएमईआईसीटी की प्रमुख परियोजनाओं/उत्पादकों और योजनाओं की प्रस्तुति की गई। इस कार्यशाला में एनएमईआईसीटी द्वारा प्रस्तुत सिंहावलोकन के अलावा विभिन्न परियोजनाओं समन्वयकों ने एमएचआरडी की पहलों पर आधारित टेल की पहुंच और प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया। इस एनएमईआईसीटी के विशिष्ट आधा-दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता/नियंत्रण वैज्ञानिक सचिव, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार द्वारा की गई। इस कार्यक्रम से विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों के 600 प्रतिभागी लाभान्वित हुए।

(x) स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पाइरिंग माइंड्स (स्वयं): मूक (मैसिव ऑपन ऑन-लाइन कोर्स) बड़ी भारी संख्या में प्रशिक्षुओं को

आफ-लाइन गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे कम लागत वाले तंत्र के रूप में उभर कर आया है। इसके दृष्टिकोण में सक्रिय शिक्षण, चर्चा मंच, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों के माध्यम से तत्काल फीड बैक आदि शामिल हैं। यह विश्वास है कि आने वाले वर्षों में इस दृष्टिकोण को विभिन्न सम्मिश्रित शैलियों में बढ़-चढ़ कर अपनाया जाएगा और यह दृष्टिकोण शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक विघटनकारी परिवर्तनों का अग्रणी होगा। विशेषरूप से भारत में प्रशिक्षुओं की अधिकतम सामान्य संख्या तक पहुंचने की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए मूक देश में लाखों प्रशिक्षुओं तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता दिखाई देता है।

एनएमईआईसीटी योजना के माध्यम से प्रौद्योगिकी समर्थित शिक्षण को अपनाने के भारतीय प्रयासों के साथ मूक को हमारी शिक्षा पद्धति में शामिल करने के लिए कतिपय प्रयासों के माध्यम से कार्यशुरू कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय “स्वयं” नामक अपना स्वदेशी मूक मंच तैयार करने पर बल दे रहा है जिसमें एक समय में बहुत बड़ी संख्या में छात्रों द्वारा समान रूप से पहुंच के प्रावधान सहित एक साथ बहुत से पाठ्यक्रम चलाने की क्षमता है। मूक प्रणाली में पाठ्यक्रम के पंजीकरण के लिए कोई अग्रिम शुल्क नहीं है। तथापि यदि कोई छात्र संस्थाओं से सत्यापन चाहता है तो शुल्क वसूला जाएगा। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं उन छात्रों को जो उपयुक्त क्रेडिट्स के साथ विभिन्न मूक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं के लिए समर्थकारी शिक्षा शुरू करने का प्रस्ताव है।

आईआईटी, कानपुर ने ओपन सॉफ्टवेयर जैसे ‘स्काई’ का प्रयोग करते हुए 4-5 सप्ताह के पांच सत्यापन वाले ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं। आईआईटी, कानपुर ने ‘मूकट’ सॉफ्टवेयर भी तैयार किए हैं। संस्थान शीघ्र ही कृषि विज्ञान पर 20 पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है। आईआईटी, मद्रास ने अपने नेटेल भागीदारों के साथ मिलकर प्रबंधित प्रोक्टर्ड परीक्षा और सत्यापन के साथ पाठ्यक्रमों में क्रमशः 50,000, 20,000 और 30,000 छात्रों का पंजीकरण करते हुए मार्च, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक चलाए गए मूक के तीन पाठ्यक्रमों को कोर्सबिल्डर के प्रयोग से पूरा किया है। आईआईटी, मद्रास ने 5 जनवरी से 27 फरवरी, 2015 तक 12 मूक पाठ्यक्रम आयोजित किए और 22 या 29 मार्च, 2015 को सत्यापन हेतु परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। निकट भविष्य में 28 और पाठ्यक्रमों के चलाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार आईआईटी, मुम्बई ने 12 मूक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इन कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा ई-लर्निंग पद्धति में ‘मूक’ के विस्तार के लिए मंच स्थापित करने से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।



અધ્યાય 08

ભાષા એવં સંબદ્ધ ક્ષેત્ર

भाषा एवं संबद्ध क्षेत्र

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिन्दी भाषा के विकास के लिए दिए गए निदेश निम्नानुसार हैं:-

“हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश- संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिसमें यह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।”

उपर्युक्त सांविधानिक आज्ञा के मद्देनजर 01 मार्च, 1960 को तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय (जिसका अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया है) के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई। निदेशालय के चार क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद और कोलकाता में स्थित हैं। यह केन्द्र सरकार का शीर्ष निकाय

अपने अस्तित्व में आने से लेकर आज तक हिन्दी को अखिल भारतीय दर्जा देने, इस भाषा के माध्यम से विभिन्न लोगों को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं को बार-बार चलाने में निरन्तर प्रयासरक्ष है और हिन्दी को वैश्विक स्तर पर एक सम्मानजनक स्थान दिलवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

निदेशालय हिन्दी के विकास, संवर्धन और समृद्धि के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है जो निम्नलिखित हैं:-

- 1) शब्द कोश का निर्माण
- 2) पत्राचार पाठ्यक्रम
- 3) अनुपूरक शैक्षणिक सामग्री
- 4) देवनागरी लिपि और हिन्दी वृत्तनी का मानकीकरण
- 5) हिन्दी के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता योजनाएं
- 6) भाषा/वार्षिकी/साहित्य माला जैसे जर्नलों का प्रकाशन
- 7) विस्तार कार्यक्रम
- 8) हिन्दी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण
- 9) पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री

सीएचडी की वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य और उपलब्धियां।

योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4
1. पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी शिक्षण	इसका उद्देश्य गैर हिन्दी भाषी राज्यों के लोगों, विदेश में बसे भारतीय और विदेशी पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से हिन्दी सीखने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को हिन्दी शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। 1. हिन्दी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और बंगला भाषा माध्यम) 2. हिन्दी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (अंग्रेजी, तमिल, मलयालम और बंगला भाषा माध्यम) 3. हिन्दी में एडवांस डिप्लोमा 4. सिविल सेवा हिन्दी पाठ्यक्रम	पाठ की सामग्री का संशोधन और मुद्रण, विज्ञापन, प्रवेश, परीक्षा तथा पीसीपी का आयोजन आदि स्व अध्ययन तथा संवाद गाइड तैयार करना	सभी पाठ्यक्रमों में कुल 6,547 विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश प्राप्त किया गया। अनुसूची के अनुसार प्रमाणपत्र तथा प्रोन्नत डिप्लोमा से संबंधित पाठ की सामग्री को संशोधित किया गया। सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री तथा अनुपूरक सामग्रियों का मुद्रण नामांकित सभी छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री का प्रेषण।

	<p>5. प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम</p> <p>6. अनुपूरक शिक्षण सामग्री तैयार करना</p> <p>(क) स्व: अध्ययन</p> <p>(ख) संवादी गाइड</p> <p>(ग) व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम</p>		<p>तैयार अनुसूची के अनुसार विज्ञापन कार्य का प्रकाशन अनुसूची के अनुसार देश भर में कुल 3 निजी संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।</p> <p>देश भर के तथा विदेशी केन्द्रों में सभी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं को आयोजित किया गया और उसके परिणाम को निर्धारित तिथियों के अनुसार घोषित किया गया।</p> <p>एक संवाद गाइड के एमएसएस को तैयार करने का कार्य सम्पन्न हो गया है और दो सीआरसी तैयार की जा रही हैं। इनमें से एक स्व अध्ययन का एमएसएस पूरा हो गया है और उसकी सीआरसी प्रक्रियाधीन है।</p>
2. केसेटों के माध्यम से हिन्दी	कैसेटों/डीवीडी और ज्ञान दर्शन चैनल—मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा संबंधी चैनल, पर प्रसारण के माध्यम से हिन्दी शिक्षण एवं संवर्धन	शिक्षा सामग्री पर आधारित 4 विजुअल डीवीडी तैयार करना	अनुसूची के अनुसार चार डीवीडी का निर्माण पूरा कर लिया गया।
3. हिन्दी लेखकों को पुरस्कार	हिन्दी तथा गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी लेखकों को बढ़ावा देने के लिए	24 लेखक	प्रक्रियाधीन हैं।
4. सेवा और कार्यक्रम की योजनाएं	राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी भाषा और साहित्य का संवर्धन तथा प्रचार	<p>08 शिविर</p> <p>02 यात्राएं</p> <p>20 शोध छात्र यात्रा अनुदान</p> <p>08 प्राध्यापक व्याख्यान माला</p> <p>06 संगोष्ठियां</p>	<p>आज की तारीख तक 04 पूरे हो गए हैं और शेष प्रक्रियाधीन हैं।</p> <p>प्रक्रियाधीन</p> <p>प्रक्रियाधीन</p> <p>अब तक 03 पूरे हो गए हैं और शेष प्रक्रियाधीन हैं।</p>
5. (1) हिन्दी के संवर्धन हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	इस योजना के तहत, संगठनों/शिक्षण संस्थानों को अपनी गतिविधियां जारी रखने और/अथवा उनका विस्तार करने के लिए अथवा हिन्दी प्रसार और विकास में नए आधार तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। यह योजना बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है और इसने न केवल सहयोग को सूचीबद्ध किया है बल्कि हिन्दी के प्रसार कार्य में लगे व्यक्तियों को सहायता प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य हिन्दी भाषी तथा गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी भाषा का संवर्धन करना है।	270 वीएचओ	इसका नवम्बर-दिसम्बर 2014 को होने वाली आगामी जीआईएसी की बैठक में निर्णय किया जाना है।

हिंदी में प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना	योजना का लक्ष्य विभिन्न लेखकों तथा पांडुलिपियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।	84 पांडुलिपियों के लिए अनुदान	वही
-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग

भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 01 अक्टूबर, 1961 को हुई थी। सरकार का संकल्प भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) में निहित प्रावधानों के तहत गठित समिति की सिफारिशों के अनुरूप था। वर्ष 1960 के संकल्प के अनुसार आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं:-

- (क) 1960 के राष्ट्रपति आदेश में निर्धारित सिद्धान्तों के आलोक में अब तक वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में किए गए कार्य की समीक्षा।
- (ख) हिन्दी और अन्य भाषाओं की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के मूल्यांकन और समन्वयन संबंधित सिद्धान्तों को तैयार करना।
- (ग) संबंधित राज्य सरकारों की सहमति या उनके कहने पर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली क्षेत्र में राज्यों की विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए कार्य का समन्वयन और शब्दावलियों का हिन्दी और अन्य भाषाओं में प्रयोग के लिए, जैसाकि संबंधित एजेंसियों द्वारा आयोग को प्रस्तुत की जाती है, अनुमोदन।
- (घ) आयोग इसके द्वारा विकसित या अनुमोदित शब्दावली का प्रयोग करते हुए मानक वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने का कार्य शुरू कर सकता है, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली को तैयार करना और विदेशी भाषाओं की वैज्ञानिक पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना।

उपर्युक्त अधिदेश और बाद में जारी राष्ट्रपति आदेशों के अनुसार आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए आयोग के कार्य और कर्तव्य निम्नलिखित हैं:

आयोग के कर्तव्य और कार्य:

- (क) हिन्दी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को विकसित और परिभाषित करना और शब्दावलियों, पारिभाषिक शब्दकोशों, विश्वकोश का प्रकाशन करना।

(ख) यह देखना कि विकसित शब्द और उनकी परिभाषाएं छात्रों, अध्यापकों, विद्वानों, वैज्ञानिकों अधिकारियों आदि तक पहुंचें।

(ग) उपयोगी फीडबैक लेकर किए गए कार्य (कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/अभिविन्यास कार्यक्रमों/सेमिनारों के माध्यम से) पर उचित उपयोग/आवश्यक अद्यतन/संशोधन/सुधार सुनिश्चित करना।

(घ) वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर सेमिनार/संगोष्ठियों के प्रायोजन द्वारा हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी लेखन को प्रोत्साहित करना।

(च) मानक शब्दावली को लोकप्रिय बनाने तथा उपयोग के लिए हिन्दी और भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन करना/प्रकाशन को प्रोत्साहित करना।

वर्ष 2014-15 के दौरान उपलब्धियां:

प्रकाशित:

समाज शास्त्र (अंग्रेजी-हिन्दी) तिमाही जर्नल विज्ञान गरिमा सिंधु (संयुक्त अंक नं. 35-36 और अंक नं. 37 और 38)

प्रकाशनाधीन:

त्रिमासिक जर्नल ज्ञान गरिमा सिंधु (अंक 39 और 40) त्रिमासिक जर्नल विज्ञान गरिमा सिंधु (संयुक्त अंक 82-83 और 84-85) प्रशासनिक शब्दावली (हिन्दी अंग्रेजी)-पुनः मुद्रण, प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी)-पुनः मुद्रण, चिकित्सा विज्ञान की वृहद् शब्दावली (अंग्रेजी- हिन्दी)

मानविकी और सामाजिक विज्ञान की वृहद् शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी) खंड I और II, जैन दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली।

आयोग का मिशन पढ़ाई के माध्यम और संबंधित कार्यों में परिवर्तन को सरल बनाने के लिए हिन्दी और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी

परिभाषाओं को विकसित और विनिश्चित करना है। कमीशन की निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं:—

वर्ष 2014–15 के लिए योजना/कार्यक्रम और लक्ष्य/उपलब्धि का सारांश:

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	लक्ष्य
1.	विभागीय शब्दावलियों सहित तकनीकी शब्दकोश/शब्दावलियां तैयार करना	हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दों का विकास व मानकीकरण, विभिन्न शब्दावलियों तथा कोशों के रूप में रचित तथा परिभाषित शब्दों का प्रकाशन	25000 शब्दों का विकास तथा उन्हें परिभाषित करने के लिए तकनीकी सत्र का आयोजन (लक्ष्य प्राप्त किया गया)
2.	परिभाषा शब्दावलियां	सीएसटीटी द्वारा विकसित तकनीकी शब्दों की परिभाषा	4850 परिभाषाओं का मानकीकरण तथा उन्हें परिभाषित करने के लिए तकनीकी सत्र का आयोजन (लक्ष्य प्राप्त किया गया)
3.	कार्यक्रमों का प्रसार	अभिमुखीकरण कार्यक्रमों, सेमिनारों आदि के माध्यम से विकसित शब्दों का प्रसार करना	लगभग 1850 लाभार्थियों के लक्ष्य के लिए सीएसटीटी के कार्य के बारे में अभिमुखीकरण तथा जागरूकता के प्रयोजनार्थ कार्यक्रमों का आयोजन। (लक्ष्य प्राप्त किया गया)
4.	हिन्दी/क्षेत्रीय भाषाओं/विशेष लेखों/सार संग्रहणों/प्रत्रिकाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को तैयार करना तथा उनका प्रकाशन करना	बुनियादी विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा तथा कृषि के पाठ्यक्रमों को अभिज्ञात करना तथा इन विषयों के लिए पाठ्य पुस्तकें तथा संदर्भ सामग्री तैयार करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर विशेष लेख तैयार करना। नवीनतम सूचनाएं उपलब्ध करवाना तथा प्रत्रिकाओं नामतः ज्ञान गरिमा सिंधु तथा विज्ञान गरिमा सिंधु के माध्यम से हिन्दी में विज्ञान संबंधी तथा तकनीकी साहित्य का संवर्धन करना।	20 प्रकाशन जिनमें क्षेत्रीय भाषा की शब्दावलियां शामिल हैं। (लक्ष्य प्राप्त किया गया)
5.	विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता अनुदान	देश के विभिन्न भागों में हिन्दी ग्रंथ अकादमियों, पाठ्य पुस्तक बोर्डों, विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों को हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए अनुदान प्रदान करना।	उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्राप्ति होने पर जरूरतमंद संगठनों को अनुदान जारी किया गया।
6.	प्रचार और विज्ञापन	आयोग के कार्यों के संवर्धन के लिए प्रचार सामग्री का सृजन और प्रदर्शनियों का आयोजन	प्रचार सामग्रियों की 20000 प्रतियों को तैयार करना तथा लगभग 10 प्रदर्शनियों का आयोजन। (लक्ष्य प्राप्त किया गया तथा 07 प्रदर्शनियां की गईं)
7.	विशिष्ट शब्दावलीयुक्त साहित्य के साथ विभागीय पुस्तकालय को विशेषज्ञता प्रदान करना।	पुस्तकालय के लिए शब्दकोशों सहित पुस्तकों का क्रय	पुस्तकों की संख्या में मात्रात्मक तथा गुणवत्तायुक्त वृद्धि के साथ शब्दावली विकास सुकर बनाना। कार्य प्रगति पर है।
8.	उपकरण	अवसररचना में सुधार के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर की खरीद।	कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर की खरीद। कार्य प्रगति पर है।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा

भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल एक स्वायत्त निकाय है। यह निकाय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नियन्त्रण में है। मंडल अपने संरक्षण में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान चलाता है। संस्थान प्रायोगिक हिन्दी, भाषा विज्ञान एवं कार्यात्मक हिन्दी में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए उन्नत केन्द्र के रूप में जाना जाता है। दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद में 08 क्षेत्रीय केन्द्र हैं। ये केन्द्र अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी, तुलनात्मक और विषम भाषा विज्ञान में अनुसंधान, बोध क्षेत्र के हिन्दी शिक्षकों की आवश्यकतानुसार अध्ययन सामग्री तैयार करते हैं। इसके अलावा संस्थान के पास नागालैंड, मिजोरम, असम और कर्नाटक सरकार के स्वामित्व और अधिदेश में 04 संबद्ध कालेज हैं।

संस्थान हिन्दी अध्यापन और प्रशिक्षण के 17 से ज्यादा पाठ्यक्रम चलाता है। वर्ष 2013-14 तक संस्थान द्वारा 73527 भारतीय और विदेशी छात्र/अध्यापक/छात्र-सह-अध्यापक/सेवाकालीन अध्यापक और अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए हैं। बहुत से देशों के विदेशी छात्रों ने केएचएस से 'विदेश में हिन्दी प्रचार' कार्यक्रम के तहत हिन्दी सीखी है।

वर्ष 2014-15 के दौरान संस्थान का योजना-वार कार्य प्रदर्शन नीचे दिया गया है:-

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम (अध्यापक शिक्षा विभाग)

1. हिन्दी शिक्षण निशानात (एम.एड. के समकक्ष) कुल 16 छात्र

यह कार्यक्रम केवल मुख्यालय में चलाया जाता है।

2. हिन्दी शिक्षण पारंगत (बी.एड. के समकक्ष) कुल 47 छात्र

यह कार्यक्रम केवल मुख्यालय में चलाया जाता है।

3. हिन्दी शिक्षण प्रवीण (बीटीसी के समकक्ष) कुल 63 छात्र

यह कार्यक्रम मुख्यालय में (48 छात्रों के साथ) और दीमापुर में (15 छात्रों के साथ) चलाया जाता है।

4. हिन्दी शिक्षण विशेष गहन (पूर्वोत्तर राज्यों के अनर्ह प्राथमिक स्कूलों के लिए)

दीमापुर केन्द्रों में आयोजित किया जाता है।
(आगरा-25, दीमापुर-08) कुल 33 छात्र।

5. नागालैंड के लिए तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम नागालैंड से कुल 39 छात्र।

6. मिजोरम, नागालैंड, मैसूर और गुवाहाटी के संबद्ध कालेज भी संस्थान के विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं।

मिजोरम, नागालैंड, मैसूर और गुवाहाटी के संबद्ध कालेज भी संस्थान के विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं। जहां छात्र हिन्दी शिक्षा पारंगत, हिन्दी शिक्षण प्रवीण और दो वर्षीय पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं।

(ख) अध्यापन कार्यक्रम

1. व्यावसायिक शिक्षा (सांयकालीन कार्यक्रम)

- | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| (i) अनुप्रयुक्त हिन्दी भाषाविज्ञान में पोस्ट एम.ए. डिप्लोमा | } कुल 83 छात्र |
| (ii) अनुवाद में डिप्लोमा, सिद्धान्त और अभ्यास | |
| (iii) जन संचार और प्रत्रकारिता में डिप्लोमा | |

2. विदेशी छात्रों के लिए हिन्दी शिक्षण कार्यक्रम:-

'विदेश में हिन्दी का प्रचार' योजना के तहत विदेशी छात्रों को हिन्दी शिक्षण के कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं, इस सत्र में 131 छात्र हिन्दी का अध्ययन कर रहे हैं। इनमें से 59 आगरा मुख्यालय और 72 दिल्ली केन्द्र में हैं।

3. अल्प अवधि कार्यक्रम:

इस योजना के तहत (अभिविन्यास, समृद्धि, पुनश्चर्या और भाषा जागरूकता कार्यक्रम) अल्प अवधि कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इस वर्ष इस प्रकार के 25 कार्यक्रम आयोजित किए गए और 1275 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।

(ग) सेमिनार:

इस वर्ष विशाखापट्टनम में राजभाषा पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। आगरा और वाराणसी में 02 क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किए गए।

(घ) दृश्य श्रव्य अध्ययन सामग्री

- (क) 1. महादेवी वर्मा और सूरदास की चयनित कविताओं पर आधारित 'हिन्दी सुरभि' श्रृंखला में दो शैक्षिक श्रव्य कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

- हिन्दी उच्चारण पर आधारित दो सुधारात्मक वीडियो पाठ तैयार किए जा रहे हैं।
- मल्टीमीडिया भाषा शिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) शाब्दिक संसाधनों का निर्माण:

- राजस्थानी और बृज भाषा का अंग्रेजी अनुवाद किया जा रहा है।
- लघु हिन्दी विश्वकोश— 5000 प्रविष्टियां कर ली गई हैं।
- 2304 प्रविष्टियों की प्रूफ रिडिंग और टाइपिंग पूरी हो गई है।

(ग) हिन्दी लोक शब्द कोश योजना

पूरी की गई प्रविष्टियां

रोमन में अवधि— हिन्दी—अंग्रेजी लोक शब्द कोश	— परिशिष्ट में 3200 शब्दों की प्रविष्टियां
वैश्वरी	— प्रक्रियाधीन
बुंदेली— हिन्दी—अंग्रेजी लोक शब्द कोश	— 3300 प्रविष्टियां
गढ़वाली हिन्दी—अंग्रेजी लोक शब्द कोश	— 4000 प्रविष्टियां

योजनाएं:

01 राष्ट्रीय परीक्षा सेवा (एनटीएस)

कार्यक्रम:—

क्र.सं.	2014-15	हिन्दी	तमिल	उर्दू	सामान्य
I	प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया	2	4	3	-
	प्रशिक्षण सह कार्यशाला कार्यक्रम मार्च, 2015 से पहले आयोजित किया जाएगा।	8	10	6	2
II	सामग्री निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की गईं	4	4	1	2
	आयोजित की जाने वाली सामग्री निर्माण कार्यशालाएं	6	6	6	4
III	आयोजित किए गए सेमिनार/सम्मेलन	2	1	1	-
	अयोजित किए जाने वाले सेमिनार/सम्मेलन	4	3	2	2
IV	पूर्वोत्तर के लिए आयोजित कार्यक्रम	-	-	-	-
	पूर्वोत्तर के लिए आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम	3	-	-	-
V	आयोजित किया जाने वाला कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम	-	-	-	-
	आयोजित किया गया कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम	-	-	-	2

हरियाणवी— हिन्दी—अंग्रेजी — 50000
लोक शब्द कोश प्रविष्टियां

हरियाणवी— हिन्दी—अंग्रेजी — पुस्तकों का संग्रहण
बैसवाडी कोश जारी है।

केन्द्रीय हिन्दी भाषा संस्थान, मैसूर

केन्द्रीय हिन्दी भाषा संस्थान, मैसूर ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय भाषाओं पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए और तरह-तरह की सामग्रियां तैयार की।

(i) भाषा और संस्कृति पर श्रव्य-दृश्य कड़ियां

बंगाली—10, कन्नड—3, तमिल—1 और तुलु—1

(ii) शैक्षणिक कार्यक्रम सेमिनार/सम्मेलन आदि:

एनईआर, टीएसपी और सामान्य सहित 31 अक्टूबर, 2014 तक 30 क्षेत्रीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनारों और सम्मेलन आयोजित किए गए। नवम्बर, 2014 से 15 मार्च, 2015 के बीच आयोजित किए जाने के लिए 12 सेमिनार/सम्मेलन निर्धारित किए गए हैं।

एससी योजना के तहत चालू और वर्ष 2014-15 की अंतिम तिमाही में अनुसूचित जनजाति समुदाय की विभिन्न भाषाओं के प्रलेखीकरण पर 22 अल्पावधि परियोजनाएं देश के विभिन्न विद्वानों को सौंपी गई हैं।

तैयार की गई सामग्री

तमिल	हिन्दी	उर्दू
(i) जीएफआर परिभाषा की व्याख्या—भाषा भाग	i) जीएफआर भाषा भाग (मुद्रण के लिए तैयार)	सीआईआईएल, मैसूर में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत शोध पत्रों का संकलन (प्रक्रियाधीन)
(ii) जीएफआर परिभाषा की व्याख्या – सहित भाग	ii) जीएफआर सहित्य भाग (प्रक्रियाधीन)	
(iii) अनुसंधान प्रणाली पर प्रस्तुत शोध पत्र (प्रक्रियाधीन)		
(iv) सेमिनार पत्र—कापियाम कारपितलम मतिपिडलम (प्रक्रियाधीन)		
(v) शब्दावली विकास की अवधारणात्मक व्याख्या (अंतिम जांच)		
(vi) परिभाषाओं के विकास का शब्दकोश (अंतिम जांच)		

02 भारतीय भाषाओं के लिए भाषायी डाटा संघ (एलडीसी—आईएल) :

I) एलडीसी—आईएल के निर्धारित लक्ष्यों अर्थात पाठ संग्रह शुद्धिकरण, भाषा संग्रह खंडविन्यास और भाषा टीकाकरण के भाग को पूरा करने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं हेतु प्रत्येक भाषा के लिए 45 दिन के अल्पावधि लक्ष्य उनमुखी परियोजना का आयोजन।

आयोजित (अप्रैल— अक्टूबर, 2014)

1) मणिपुरी, 2) कश्मीरी 3) कोंकणी

प्रस्तावित (नवम्बर 14—मार्च, 2015)

1) नेपाली 2) बोडो, 3) कन्नड, 4) सांकेतिक भाषा 5) असमी 6) पंजाबी और 7) गुजराती।

II) प्रशिक्षण कार्यक्रम:

1) राजीव गांधी ज्ञान प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के छात्रों के लिए नैसर्गिक भाषा संसाधन पर 05 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का 2 जून से 4 जुलाई, 2014 तक आयोजन किया गया।

(2) एलडीसी—आईएल स्टाफ के लिए चंकिंग पर दो चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। (7—8 अक्टूबर, 2014 और 20—21 अक्टूबर, 2014)

III) वित्तीय सहायता:

(अप्रैल— अक्टूबर, 2014)

1. डाटा विश्लेषण पर राष्ट्रीय कार्यशाला: अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय (ईएफएलयू), शिलांग, मेघालय में 7—8 अगस्त, 2014 को साधन और प्रणाली कार्यक्रम का आयोजन।
2. पुदुचेरी भाषा और संस्कृति संस्थान, पुदुचेरी में 19—21 सितम्बर, 2014 को 13वीं तमिल इंटरनेट कांफ्रेंस का आयोजन।
3. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला में 15—16 अक्टूबर, 2014 को 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी युग में पंजाबी भाषा का स्थान' विषय पर पंजाबी भाषा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
4. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड, केरल में 27—31 अक्टूबर, 2014 को वाक्य के भाग विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला।

IV) प्रस्तावित (नवम्बर 14— मार्च, 2015)

1. पेरियार मणिमई विश्वविद्यालय, तन्जावुर, तमिलनाडु में 19—21 नवम्बर, 2014 को 'शिक्षण और अधिगम में उभरती तकनीक' पर राष्ट्रीय कार्यशाला।

2. तमिल एपिग्राफी पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला: तमिल विश्वविद्यालय, तन्जावुर, तमिलनाडु में कायिक विश्लेषण, डाटाबेस निर्माण और सूचना प्राप्ति पर 15–21 दिसम्बर, 2014 को कार्यशाला।
3. गोवा विश्वविद्यालय, गोवा में 18–21 दिसम्बर, 2014 को 11वीं इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन नेच्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (आईकॉन-2014)।
4. धीरुभाई अंबानी सूचना और प्रौद्योगिकी (डीए-आईआईसीटी) गांधी नगर, गुजरात में 4–7 जनवरी, 2015 को विन्टर स्कूल ऑन स्पीच एंड आडियो प्रोसेसिंग (विस्प-2015)
5. एसआरएम विश्वविद्यालय, जिला कांचीपुरम तमिलनाडु में 12–13 फरवरी, 2015 को नेशनल सेमिनार ऑन तमिल कम्यूटिंग।

IV) प्रस्तावित कार्यशालाएं

1. 17–21 नवम्बर, 2014 को तमिल स्पीच वलीडेशन वर्कशॉप।
2. उच्चारण शैली पर कार्यशाला
i) मणिपुरी ii) पंजाबी और iii) बोडो
3. नेच्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग संबंधी मुद्दों पर क्षेत्रीय सेमिनार
i) उत्तर ii) पूर्व और iii) दक्षिण

03. राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम)

अनुवादकों का प्रशिक्षण

एनटीएम ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 300 अनुवादकों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा है। अक्टूबर तक 208 अनुवादकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

अनुवाद से संबंधित विभिन्न विषयों/मुद्दों पर 32 कार्यक्रम/आयोजन आयोजित किए। इस वर्ष एनटीएम ने सहायता अनुदान योजना शुरू की है।

04. शास्त्रीय भाषा कन्नड में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीईएससीके)

सीईएससीके ने शास्त्रीय भाषा कन्नड में 10 दिन का अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। लगभग 40 उत्साही विद्वानों ने भाग लिया।

05. शास्त्रीय भाषा तेलुगु में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सीईएससीटी)

ने दो राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए। इस वर्ष तेलुगु में शास्त्रीय पाठ पढ़ाने के लिए शिक्षण/

अधिगम माड्यूलस तैयार करने के लिए कार्यशालाएं और एक अल्पावधि अभिविन्यास कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। यह भी विनिश्चित किया गया कि अनुभवी अनुवादकों को कुछ अनुवाद कार्य सुपुर्द किया जाए और कुछ शास्त्रीय पाठों जो व्यापक रूप से लागों के लिए उपलब्ध नहीं हैं उनका प्रकाशन किया जाए।

06. संकटापन्न भाषाओं की संरक्षण योजना (एसपीपीईएल)

इस योजना के तहत उन कुल 520 संकटापन्न भाषाओं/मातृभाषाओं जो 10,000 से कम/अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं, उनके संकटापन्न स्तर और प्रयोग क्षेत्र में आई कमी को ध्यान में रखते हुए, अध्ययन का प्रस्ताव है। प्रशासन और पर्यवेक्षण कार्य की सुविधा के लिए यह योजना 06 क्षेत्रों में कार्य करेगी। प्रत्येक क्षेत्र के तहत योजना के सुचारु कार्यकरण के लिए संस्थान के साथ सहयोग करने हेतु कतिपय संस्थाओं की पहचान की गई है।

1. पूर्वी केन्द्रीय क्षेत्र, 2. पश्चिमी केन्द्रीय क्षेत्र, 3. उत्तरी क्षेत्र, 4. पूर्वोत्तर क्षेत्र, 5. दक्षिणी क्षेत्र और 6. अंडमान एवं निकोबार

चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रधान शोधकर्ताओं को 40 भाषाएं/मातृभाषाएं आवंटित की गई हैं और प्रलेखीकरण कार्य प्रगति पर है।

पूर्वी केन्द्रीय क्षेत्र (7): थारुआ, धीमल, मरु, बिरहोर, भिझिया/बिरजिया/ब्रजिया, गोरुम और टोटो।

उत्तरपूर्वी क्षेत्र (12): खमियांग, सिंगफो, शेरदुक्पेन, रंगलोंग, दारलोंग, कोमकर, सिमोंग, अलोंग, खम्पति, उच्चै, बावम और राल्ते।

उत्तरी क्षेत्र (6): रोंगपो, चिनाली, दरमिया, जाड, जंगली और कनाशी/मलानी

उत्तरी क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर) (8): बदरालियम, खाशा, खाना, गोजापुरी, हस्सादी, सिराम, पद्दारी और मेशबी

दक्षिणी क्षेत्र (7): मुप्पन, मुदुगा, अरान्दन, कुटिया, पल्लिया, एरावल और मलईमालासर

आयोजित कार्यक्रम

1. एसपीपीईएल के संसाधन व्यक्तियों के लिए तीन दिवसीय फोनेटिक ट्रांस्क्रिप्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम (4.8. 2014 से 6.8.2014)
2. एसपीपीईएल के संसाधन व्यक्तियों और तकनीकी स्टाफ के लिए क्षेत्रीय तकनीक के व्यावहारिक

अनुभव के साथ क्षेत्रीय तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (4.8.2014 से 6.8.2014)

3. जेनु कुरुबा भाषा पर क्षेत्रीय दौरा (26.8.2014)
4. प्रधान शोधकर्ताओं के लिए अभिविन्यास बैठक (26–27 सितम्बर, 2014)

निम्नलिखित भाषाओं में प्रारंभिक सर्वेक्षण किया गया:—

भाषा	कवर किया गया क्षेत्र
हक्कीपिककी	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक
भुंजिया	ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना
बागी	अरुणाचल प्रदेश
गाहरी	हिमाचल प्रदेश
भारवाद / भारवादी	गुजरात
जेनु कुरुबा	कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु
मालयान	तमिलनाडु
मांडा	ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना
योबिन	अरुणाचल प्रदेश
खाम्बा	अरुणाचल प्रदेश
गुतोब गदाबा	ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना
मालासर	मैसूर
स्पिति	हिमाचल प्रदेश
धीमल	जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

07. नव साक्षरों और बच्चों के लिए सामग्री भंडार
केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान ने (ईएमईएससीओ) एमस्को बुक्स हैदराबाद के सहयोग से नव साक्षरों और स्कूली बच्चों के लिए निम्नलिखित भारतीय राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली अवो, असमी, बंगाली, भोती, डोगरी, गारो, गुजराती, हिन्दी, मराठी, कन्नड, कश्मीरी, खासी, लेपचा, मंगार, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उडिया, तमिल, तेलुगु और उर्दू में इस चालू वित्त वर्ष के दौरान द्विभाषी पाठ्य-पुस्तकें तैयार की हैं 700 से अधिक पुस्तकें कहानियों या भारतीय

इतिहास, मिथक, और सभ्यता से लिए गए विषयों और पंचतंत्र और हितोपदेश आदि जैसी शैक्षणिक मूल्यों पर प्रकाशित की गई थीं।

केन्द्रीय शास्त्रीय भाषा तमिल संस्थान, चैन्नई (सीआईसीटी)



भारत सरकार ने 12 अक्टूबर, 2004 को तमिल को एक शास्त्रीय भाषा (सीआईआईएल) को तमिल विकास से संबंधित केन्द्रीय प्लान स्कीम के कार्यान्वयन का कार्य सौंप था। शास्त्रीय तमिल के विकास की योजना के घटकों में शास्त्रीय भाषा के प्रतिष्ठित विद्वानों के सम्मान, तमिल भाषा संवर्धन बोर्ड, शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केन्द्र के प्रमाण पत्र और शास्त्रीय भाषा के रूप में तमिल का अध्ययन के लिए फैलोशिप को शामिल किया गया है। योजना के एक प्रमुख घटक के रूप में अस्थाई अनुबंध के आधार पर अपेक्षित शैक्षिक, तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ के साथ मार्च 2006 में शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना की गई थी। केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को 13 अगस्त, 2007 को ईएफसी द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 76.32 करोड़ रुपये के अनुदान साथ अनुमोदित कर दिया गया था।

इस संस्थान को जिसे शास्त्रीय तमिल के कल्याणकारी प्रयोजन को सर्वोर्धित करने को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया था, विशेष तौर पर तमिल भाषा के शास्त्रीय चरण अर्थात् 600 ईसा पूर्व की अवधि से संबंधित अनुसंधानों पर ध्यान संकेद्रित करना है। इस संस्थान की भूमिका अत्यंत व्यापक और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राचीन तमिल समाज पर शोध कार्य कर रहा है और तमिलों की प्राचीनता से संबंधित अथवा दर्शाने वाली वस्तुओं का प्रलेखन व परिरक्षण भी करता है।



दस प्रमुख योजनाएं

शास्त्रीय तमिल के इस कार्य को संवर्धित करने के दृष्टिकोण से सीआईसीटी ने विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं जिनमें 41 तमिल शास्त्रीय ग्रंथों के सुनिश्चित संस्करणों को तैयार करना, इन कार्यों का अंग्रेजी तथा अन्य प्रमुख यूरोपियाई भाषाओं के साथ प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने, शास्त्रीय तमिल भाषा, साहित्य, पुरालेख और वास्तुकला पर दृश्यात्मक प्रकरण बनाने, शास्त्रीय तमिल के ऑनलाइन शिक्षण के लिए सामग्री को विकसित करने, तमिल के एक ऐतिहासिक व्याकरण का लेखन, तमिल बोलियों का ऐतिहासिक व समकालीन अध्ययन करना, शास्त्रीय तमिल ग्रंथों के कोश का सृजन, एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, भारत का एक भाषाई क्षेत्र के रूप में अध्ययन करना और शास्त्रीय तमिल के बहुविषयक अनुसंधान का संवर्धन करना शामिल किया गया है— इनमें से सभी के द्वारा तमिल की प्राचीनता और अनन्यता के महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान कर दिया जाएगा। वर्ष 2014–15 में अप्रैल 2014 से नवम्बर, 2014 तक निम्नलिखित समेकित वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त किया है:—

- सीआईसीटी ने वर्ष 2014–15 के दौरान सेमिनार आयोजित करने के लिए 1, 23, 00,000 /— रूपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।
- सीआईसीटी ने वर्ष 2014–15 के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 1,22,50,000 /— रूपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।
- वर्ष 2014–15 के लिए अल्पावधि परियोजना का चयन प्रक्रियाधीन है:—

प्रकाशन

- सीआईसीटी ने निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की हैं:—
 - तिरुकुरल के अंग्रेजी अनुवाद का संग्रह—पोरुतपाल भाग—I
 - तिरुकुरल के अंग्रेजी अनुवाद का संग्रह—पोरुतपाल—II

iii) तिरुकुरल के अंग्रेजी अनुवाद का संग्रह — कमातुप्पल

iv) तिरुकुरल का कन्नड में अनुवाद

v) तिरुकुरल का तेलुगु में अनुवाद

- 'पंजाबी में तिरुकुरल' नामक पुस्तक का पंजाबी साहित्य अकादमी, लुधियाना (पंजाब) में 12.10.2014 को विमोचन किया गया।
- माननीय राज्यपाल, तमिलनाडु सरकार की अध्यक्षता में राज भवन, चेन्नई में दिनांक 13.11.2014 को पुस्तक विमोचन और बहुत सी भाषाओं में तिरुकुरल गायन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

क्षेत्रीय भाषा केन्द्र (आरएलसी)

क्षेत्रीय भाषा केन्द्र बहु-भाषी शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश में त्रि-भाषी सूत्र कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करता है। आरएलसी ने 20 अनुसूचित भाषाओं में (जुलाई से अप्रैल) 10 महिने के भाषा शिक्षण कार्यक्रम पर कार्य किया है। इस वर्ष अध्यापक प्रशिक्षुओं का प्रवेश बहुत कम रहा कुछ भाषाओं के लिए तो एक भी अध्यापक प्रशिक्षु उपलब्ध नहीं था अतः संस्थान ने समयबद्ध अल्पावधि परियोजनाओं के माध्यम से सभी अनुसूचित भाषाओं में सामान्य शब्द भंडार पर पुस्तकें तैयार करने और उसे उन भाषाओं के आरएलसी, जहां 10 महिने का भाषा शिक्षण कार्यक्रम नहीं चल रहा था, को सौंप दिया।

1) पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केन्द्र (ईआरएलसी), भुवनेश्वर:

केन्द्र बंगाली, मैथिली, ओडिशा और सन्थाली भाषाओं में प्रशिक्षण और अनुसंधान आयोजित करता है। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान प्रशिक्षुओं का भाषा-वार प्रवेश निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	भाषा	प्रशिक्षुओं की संख्या
01	बंगाली	1
02	मैथिली	0
03	ओड़िया	0
04	सन्थाली	1
	कुल	2

सौंपी गई अल्पावधि परियोजनाएं:—

मैथिली और ओड़िया में सामान्य शब्द भंडार की सीरीज तैयार करना

- मैथिली— हिन्दी सामान्य शब्द भंडार
- ओड़िया—बंगाली सामान्य शब्द भंडार

2. उत्तरी क्षेत्रीय भाषा केन्द्र (एनआरसीएल), पटियाला:

यह केन्द्र डोगरी, कश्मीरी, पंजाबी और उर्दू भाषाओं में शिक्षण और अनुसंधान केन्द्र आयोजित करता है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान प्रशिक्षुओं का भाषा-वार प्रवेश निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	भाषा	प्रशिक्षुओं की संख्या
01	डोगरी	0
02	कश्मीरी	0
03	पंजाबी	2
04	उर्दू	5
	कुल	7

सौंपी गई अल्पावधि योजनाएं:

डोगरी और कश्मीरी में सामान्य शब्द भंडार की शृंखला तैयार करना

1. डोगरी-पंजाबी सामान्य शब्द भंडार
2. कश्मीरी-उर्दू सामान्य शब्द भंडार

3. उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केन्द्र (एनईआरएलसी), गुवाहाटी: यह केन्द्र असमी, बोडो, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं में शिक्षण और अनुसंधान आयोजित करता है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान किसी भी प्रशिक्षु ने प्रवेश नहीं लिया

क्र.सं.	भाषा	प्रशिक्षुओं की संख्या
01	असमी	0
02	बोडो	0
03	मणिपुरी	0
04	नेपाली	0
	कुल	0

सुपुर्द की गई अल्पावधि योजनाएं:

1. असमी – बंगाली सामान्य शब्द भंडार
2. बोडो – असमी सामान्य शब्द भंडार
3. मणिपुरी – बंगाली सामान्य शब्द भंडार
4. नेपाली – हिन्दी सामान्य शब्द भंडार

4. दक्षिण क्षेत्रीय भाषा केन्द्र (एसआरएलसी), मैसूर:

यह केन्द्र कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलगु भाषाओं में शिक्षण और अनुसंधान आयोजित करता

है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान प्रशिक्षणार्थियों का भाषा-वार प्रवेश:-

क्र.सं.	भाषा	प्रशिक्षुओं की संख्या
01	कन्नड़	8
02	मलयालम	4
03	तमिल	13
04	तेलगु	6
	कुल	31

5. पश्चिमी क्षेत्रीय भाषा केन्द्र (डब्ल्यूआरएलसी), पुणे :

यह केन्द्र कोंकणी, गुजराती, मराठी और सिंधी भाषाओं में शिक्षण और अनुसंधान आयोजित करता है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान विषय-वार प्रशिक्षणार्थियों की संख्या निम्नानुसार है

क्र.सं.	भाषा	प्रशिक्षुओं की संख्या
01	कोंकणी	3
02	गुजराती	0
03	मराठी	3
04	सिंधी	0
	कुल	6

सुपुर्द की गई अल्पावधि योजनाएं:

गुजराती और सिंधी में सामान्य शब्द-भंडार सीरीज तैयार करना

1. गुजराती-मराठी सामान्य शब्द-भंडार
2. सिंधी-गुजराती सामान्य शब्द-भंडार

6. उर्दू शिक्षण और अनुसंधान केन्द्र (यूटीआरसी), सोलन:

यह केन्द्र उर्दू भाषा में शिक्षण और अनुसंधान आयोजित करता है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान प्रशिक्षणार्थियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	भाषा	प्रशिक्षुओं की संख्या
01	उर्दू	7
	कुल	7

7. उर्दू शिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, (यूटीआरसी) लखनऊ:

केन्द्र उर्दू शिक्षण और अनुसंधान आयोजित करता है। वर्ष 2014-15 में किसी भी प्रशिक्षणार्थी ने प्रवेश नहीं लिया।

क्र.सं.	भाषा	प्रशिक्षुओं की संख्या
01	उर्दू	0
	कुल	0

सुपुर्द की गई अल्पावधि योजनाएं:

उर्दू भाषा में सामान्य शब्द भंडार सीरिज तैयार कर रहा है

1. उर्दू-हिन्दी- भोजपुरी सामान्य शब्द भंडार
2. उर्दू-हिन्दी सामान्य शब्द भंडार

राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीएसएल)

राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (धारा 21) के तहत पंजीकृत मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना 26.05.1994 को पंजीकरण संख्या 1085 के तहत वडोदरा, गुजरात में की गई थी। वर्ष 2006 से परिषद का मुख्यालय दिल्ली है। इस परिषद का उद्देश्य सिंधी भाषा का संवर्धन, विकास तथा प्रचार करना और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय विकास के ज्ञान के साथ-साथ आधुनिक संदर्भ में विचारों को विकसित करने संबंधी ज्ञान को सिंधी भाषा में उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई करना है तथा भारत सरकार को सिंधी भाषा से संबंधित मुद्दों के संबंध में परामर्श देना है। सिंधी भाषा के प्रचार और विकास के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:

परिषद के उद्देश्य:-

- सिंधी भाषा का संवर्धन विकास और प्रचार।
- वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली विकास के ज्ञान के साथ-साथ आधुनिक संदर्भ में उत्पन्न विचारों के ज्ञान को सिंधी भाषा में उपलब्ध कराने संबंधी कार्रवाई।
- सिंधी भाषा संबंधी और इसकी शिक्षा से संबंध रखने वाले मुद्दों, जो सरकार के ध्यान में लाए जा सकते हैं, पर भारत सरकार को परामर्श देना।
- सिंधी भाषा के संवर्धन के लिए अन्य कार्यकलापों, जैसाकि परिषद उचित समझे, पर कार्य करना।

सिंधी भाषा से के प्रचार और विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं:-

- सिंधी भाषा से संबंधित चयनित संवर्धन कार्यकलापों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता।
- शैक्षिक संस्थाओं/स्कूलों/कालेजों/सार्वजनिक पुस्तकालयों में निःशुल्क वितरण के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान प्रकाशित/तैयार की गई

सिंधी भाषा से संबंधित पुस्तकें/पत्रिकाओं/आडियो-वीडियो कैसेटों की बड़ी मात्रा में खरीद।

- सिंधी भाषा में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता
- सिंधी भाषा शिक्षण कक्षाओं का आयोजन और
- साहित्यिक कृतियों के लिए सिंधी लेखकों को सम्मान।

स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता

एनसीपीएसएल सिंधी भाषा से संबंधित कतिपय संवर्धनात्मक कार्यकलापों के संबंध में पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को तदर्थ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। जो स्वैच्छिक संगठन/सोसायटी/चेरिटेबल धर्मार्थ/ट्रस्ट मौजूदा लागू संबंधित केन्द्र या राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं इस योजना के तहत सहायता के पात्र होंगे।

बशर्ते कि यह पंजीकरण इस प्रकार की सहायता के लिए आवेदन किए जाने की तारीख से तीन कैलेंडर वर्ष पूर्व किया गया है और बशर्ते कि आवेदक संगठन इस प्रकार का ना हो जिसका पंजीकरण या समन्वयन या कार्य इस प्रकृति का नहीं होना चाहिए कि संगठन की गतिविधियों से उपार्जित लाभ को इसके सदस्यों या हितधारकों में बोनस सा लाभांश के रूप में वितरित किया जाता हो।

योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों को निम्नलिखित कार्यों के लिए वित्तीय सहायता दी गई है:

1. 'सिंधी देवनागरी को कैसे लिखा जाए' विषय पर वडोदरा में 24.08.2014 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों से 80 अध्यापकों ने भाग लिया।
2. इग्नू में सिंधी पीठ की स्थापना के एक उद्घाटन कार्यक्रम को प्रस्तावित किया गया है जिसके लिए माननीय एचआरएम से सुविधाजनक समय और दिनांक की प्रार्थना की गई है।
3. उद्घाटन समारोह के बाद इग्नू के सहयोग से एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा।
4. वर्ष 2014-15 के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त प्रस्तावों पर प्रक्रिया की गई और एमएचआरडी द्वारा परिषद/कार्यकारी बोर्ड के पुनर्गठन, जो विचाराधीन है, के बाद निर्णय किया जाएगा।

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल)

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्वायत्त संगठन है जो देश में उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं के संवर्धन पर ध्यान देता है और यह भारत सरकार को शिक्षा को प्रभावित करने वाले उर्दू भाषा से संबंधित उन मुद्दों पर सलाह देता है, जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हों और इसे सौंपे जाते हैं।

कम्प्यूटर एप्लीकेशन की स्थापना और बहुभाषी डीटीपी केन्द्र:

वर्ष 2014-15 के दौरान (31.10.2014 तक) पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूरी तरह से वित्तीय सहायता प्राप्त और पंजीकृत 10 नए एनसीपीयूएल गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एनआईईएल आईटी के द्वारा कार्यान्वित अध्ययन केन्द्रों को कम्प्यूटर एप्लीकेशन, व्यापक लेखा और बहुभाषी डीटीपी (सीएबीए-एमडीटीपी) के एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए खोला गया था। मौजूदा 415 केन्द्रों को जोड़ने पर इसकी संख्या कुल 425 हो जाती है जिसमें 11920 छात्रों जिनमें 4768 छात्राएं शामिल हैं, ने प्रवेश प्राप्त किया है ताकि उर्दू भाषी बालकों एवं कन्याओं को प्रौद्योगिकीय कार्य बल के रूप में रोजगार योग्य बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत तब तक 54628 छात्राओं सहित 135371 छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किया गया है। छात्राओं सहित लगभग 60 प्रतिशत छात्रों ने निजी और स्थानीय संस्थाओं में रोजगार प्राप्त किया है।

कैलिग्राफी और ग्राफिक डिजाइन केन्द्र

परम्परागत कैलिग्राफी के संरक्षण और संवर्धन के लिए 53 कैलिग्राफी और ग्राफिक डिजाइन केन्द्र इस पाठ्यक्रम में पंजीकृत 1301 छात्रों को लगातार पढ़ा रहे हैं।

सहायता अनुदान (उर्दू)

187 सेमिनारों के लिए चयनित उर्दू संवर्धन कार्यकलापों, 41 लेक्चर सीरीज, मुद्रण सहायता के 130 लेखकों की पांडुलिपियों, और उर्दू मूल लेखकों की 377 उर्दू पुस्तकों की सहायता हेतु 735 गैर सरकारी संगठनों/एजेंसियों को वित्तीय सहायता अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है।

प्रकाशन गतिविधियां

एनसीपीयूएल भारत सरकार के अधीन प्रधान प्रकाशन हाउस है। वर्ष में किए गए प्रकाशन कार्य में 16 नए शीर्षक, 19 पुनः मुद्रण, 40 पाठ्यक्रम पुस्तकें, 01 पुस्तक के प्रकाशन हेतु सहायता, उर्दू दुनिया के 07 अंक, मासिक पत्रिका बच्चों की दुनिया, और त्रिमासिक जर्नल फिकर-ओ-तहकीक के 3 अंकों का प्रकाशन शामिल है।

पुस्तक संवर्धन

उर्दू पुस्तक मेलों के माध्यम से उर्दू पुस्तकों की बिक्री और प्रदर्शनी द्वारा उनका संवर्धन किया जाता है। एनसीपीयूएल ने अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित 04 पुस्तक मेलों का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों को कवर करने के लिए वाहन प्रदर्शनी के 03 चक्र लगाए गए।

अकादमिक परियोजनाएं/सहयोग

एनसीपीयूएल निर्माण की विभिन्न अकादमिक परियोजनाओं को लगातार कर रहा है, जिनमें 03 शब्दकोश, 02 विश्वकोश, 03 (कार्याधीन) शब्दावलि 2 पैनेल बैठकें, 2 कार्यशालाएं शामिल हैं। इसके अलावा 10 परियोजनाओं/पांडुलिपियों को अंतिम रूप दे दिया है और उत्पादक विभाग को भेज दिया है। यूनानी औषध, जन मीडिया, विधिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान पैनेल, जीव विज्ञान पैनेल जैसी विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है।

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशाला सांस्कृतिक आयोजन

- 'गालिब संस्थान' के सहयोग से नई दिल्ली में 26-28 सितम्बर, 2014 को तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय शोध विद्वान सेमिनार।
- '21 वीं सदी में उर्दू का सामाजिक-सांस्कृतिक विकास' पर नई दिल्ली में 30 अक्टूबर- 01 नवम्बर, 2014 को तीन दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन।

उर्दू में कार्यरत पत्रकारों के क्षमता-विकास के लिए अल्पावधि पाठ्यक्रम

एनसीपीयूएल जनवरी, 2015 में उर्दू में कार्यरत पत्रकारों के क्षमता विकास के लिए बिहार में क्षमता विकास पर अल्पावधि कार्यक्रम को प्रस्तावित कर रहा है।

दूरस्थ शिक्षा (उर्दू)

एनसीपीयूएल प्रत्यायित केन्द्रों और सीधे अध्ययन कर्ताओं के माध्यम से उर्दू पत्राचार पाठ्यक्रम चलाता है। इस समय मौजूद 598 केन्द्रों के अलावा 196 उर्दू केन्द्रों की स्थापना की गई है, इस प्रकार 1181 केन्द्र (756 उर्दू डिप्लोमा (38 केन्द्र बन्द कर दिए गए) और 425 सीएबीए-एमडीटीपी हैं जिनमें कम्प्यूटर केन्द्र सम्मिलित हैं। लगभग 1240 अंश-कालिक उर्दू अध्यापकों को रोजगार दिया गया और 62840 (50920 उर्दू डिप्लोमा + 11920 सीएबीए-एमडीटीपी) छात्रों, जिनमें 30030 (25262 उर्दू डिप्लोमा + 4768 सीएबीए-एमडीटीपी) छात्राएं शामिल हैं, ने प्रवेश लिया। उर्दू ऑन लाइन शिक्षण

कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें 10359 भारतीयों और 647 विदेशी छात्रों को मिलाकर 11006 छात्रों ने ऑन-लाइन पंजीकरण किया।

अरबी और पारसी भाषा का संवर्धन उपर्युक्त के अलावा एनसीपीयूएल को भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु अरबी और पारसी शास्त्रीय भाषाओं के संवर्धन के लिए अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। व्यावहारिक अरबी में डिप्लोमा और एक वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रत्यायित केन्द्रों और सीधे अध्ययनकर्ताओं के माध्यम से चलाए जाते हैं। मौजूदा 505 केन्द्रों के अलावा 105 नए अध्ययन केन्द्र खोलने से इनकी संख्या 586 हो गई है। (24 केन्द्र बन्द हो गए हैं) 1343 अंश कालिक अरबी अध्यापकों को रोजगार मिला है उन्हें दोनों पाठ्यक्रमों में 15,328 लड़कियों सहित 35137 छात्रों को पढ़ाने का कार्य दिया गया है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम

- जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से 03 केन्द्रों पर कागज लुगदी (पेपर मेस) 6 माह प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है 120 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और पाठ्यक्रम का पहला बैच पूरा हो गया है।

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (आरएसवी)

विद्यापीठ एमएचआरडी की वित्तीय सहायता और यूजीसी के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।



1. पारम्परिक शास्त्रों में उत्कृष्टता केन्द्र: यूजीसी ने विद्यापीठ को पारम्परिक शास्त्रों में उत्कृष्टता केन्द्रों के रूप में मान्यता दी है। योजना के अधीन निम्नलिखित कार्यक्रमलाप आयोजित किए जाते हैं:-

1. शास्त्रवृद्धि पाठ्यक्रम
2. प्रकाशन
3. श्रव्य और दृश्य वृत्तचित्र

4. श्रव्य-दृश्य रिकार्डिंग केन्द्र कार्यक्रमलाप
5. लिपि-विकास प्रदर्शनी
6. प्राचीन लिपि के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रानिक साधन
7. संस्कृत स्व: अध्ययन किट्स
8. शिल्प लेखों का प्रलेखीकरण
9. पांडुलिपि का डिजिटलीकरण
10. योग, तनाव प्रबंधन एवं उपचार केन्द्र
11. सेमिनार/कार्यशालाएं
12. कम्प्यूटर विज्ञान और संस्कृत भाषा प्रौद्योगिकी के अन्तराल को मिटाने के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

2. **वाल्मिकी रामायण परियोजना:** इस परियोजना के तहत वाल्मिकी रामायण के सात स्कन्द पर 7 वाचनों को इक्ठा कर लिया गया है उनका अंग्रेजी में अनुवाद कर लिया गया है। अभी तक बाल कांड (खण्ड-I), अयोध्या कांड (खण्ड-I और II) अरण्य कांड (खण्ड-I) किष्किन्धा कांड (खण्ड-I) सुन्दर कांड (खण्ड-I) पूरे हो गए हैं और युद्ध कांड एवं उत्तर कांड को पूरा किया जाना है।

3. **आगमकोस परियोजना:** इस परियोजना के तहत वैखानसा आगम से संबंधित II खंड पहले ही मुद्रित कर दिए गए हैं और अब पंचतन्त्र आगम पर कार्य शुरू किया गया है।

बहु भाषी निरुक्त शब्दकोश: यह निरुक्त का अग्रणी कार्यक्रम है। इस शब्द कोश के लिए विचारित भाषाएं—अंग्रेजी के अलावा हिन्दी, गुजराती, ओडिया, मराठी बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम हैं। माननीय प्रांजना वाचस्पति डा. जानकी वल्लभ पटनायक जी, कुलपति, इस परियोजना के प्रेरणास्रोत, ने 26 अक्टूबर, 2014 को आर.एस.विद्यापीठ, तिरुपति में विद्वानों के साथ एक समीक्षा बैठक की और कार्य के लिए अपनी पूरी जानकारी दी और सुधारों के बारे में अमूल्य सुझाव दिए।

- i) **संस्था की पृष्ठभूमि का सार:** राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना मौलाना अबुल कलाम आजाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री भारत सरकार द्वारा नियुक्त केन्द्रीय संस्कृत आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1961 में स्थापित किया गया था। विद्यापीठ की आधारशिला भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा रखी गई थी। विद्यापीठ को 1987 में एमएचआरडी को दिनांक 16 नवम्बर, 1987 की अधिसूचना सं.एफ. 9-2/85 यू-3 के तहत समवत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया

तबसे यह आंध्रप्रदेश में सात पर्वतों के भगवान के घर तिरुपति में लगातार कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय ने समवत विश्वविद्यालय के रूप में अपने 24 वर्ष और संस्था के रूप में 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। समवत विश्वविद्यालय का तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. आर.

वेंकटारमन द्वारा विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया था।

इस संस्थान को विद्यापीठ से समवत विश्वविद्यालय के दर्जे तक लाने में भूतपूर्व प्रधान मंत्री पी.वी. नारासिम्हा राव और तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।

ii) वर्ष 2014-15 के दौरान छात्रों और संकाय की स्थिति :

छात्र प्रवेश 2014-15																				
*यूजी और पीजी स्तर पर छात्रों की कुल स्वीकृत प्रवेश क्षमता (श्रेणी-वार)						यूजी और पीजी स्तर पर कुल वास्तविक प्रवेश (श्रेणी-वार)														
पाठ्य क्रम/श्रेणी→	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	सामान्य			एसी			एसटी			ओबीसी			कुल		
						टी	डब्ल्यू	पी	टी	डब्ल्यू	पी	टी	डब्ल्यू	पी	टी	डब्ल्यू	पी	टी	डब्ल्यू	पी
यूजी	160	47	26	168	401	220*	81	1	52	21	-	54	23	-	230	69	-	556	194	1
पीजी	175	52	27	186	440	135**	50	-	28	12	-	06	03	-	128	58	-	297	123	1
कुल योग	335	99	53	354	841	355	131	1	80	33	-	60	26	-	358	127	-	853	317	2

*यूजी और पीजी स्तर पर सभी स्वीकृत प्रवेश को गुप में दर्शाया जाए।

** कृपया प्रत्येक श्रेणी जैसे सामान्य/एससी/एसटी/ओबीसी के विरुद्ध निःशक्त/महिला वर्ग के छात्रों को भी दर्शाया जाए।

संकाय स्थिति 2014-15																				
पद/श्रेणीवार	संकाय की कुल स्वीकृत स्ट्रेथ (श्रेणी-वार)						कार्यरत संकाय (श्रेणी-वार)													
	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	कुल	सामान्य		एससी		एसटी		ओबीसी		पीडब्ल्यूडी		कुल		कुल	महि
							कुल	महि	कुल	महि	कुल	महि	कुल	महि	कुल	महि	कुल	महि		
प्रोफेसर	06	01	-	-	-	07	25	04	01	-	-	-	01	-	-	-	27	04		
एसोसिएट प्रोफेसर	15	01	-	-	-	16	10	01	-	-	-	-	-	-	-	-	10	01		
सहायक प्रोफेसर	42	06	03	06	03	60	23	05	04	02	03	-	04	01	02	-	36	08		
कुल:	63	08	03	06	03	83	58	10	05	02	03	-	05	01	02	-	73	13		

(iii) कृपया 2014-15 के दौरान शैक्षिक सुधारों का ब्यौरा दें

विकल्प-आधारित क्रेडिट पद्धति, समेस्टर पद्धति, संकाय विकास कार्यक्रम, सेतू कार्यक्रम, शास्त्र वृद्धि अल्पावधि पाठ्यक्रम; पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, एसी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सुधारात्मक/नेट कोचिंग; नवाचारी पाठ्यक्रम; मुख्य/गौण अनुसंधान परियोजनाएं; साहित्य, शिक्षा और दर्शन में एसएपी।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (समवत विश्वविद्यालय), नई दिल्ली

संस्कृत ने सभी भारतीय भाषाओं यहां तक कि कुछ विदेशी भाषाओं के विकास और विशेष रूप से भारतीय

और सामान्य रूप से पूरे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अधिकांश भारतीय भाषा संस्कृत की सहायता के बिना फल-फूल नहीं सकती। सभी भारतीय भाषाओं का संस्कृत की गरिमा से पालन-पोषण हो रहा है। संस्कृत प्राचीन विज्ञान की सैद्धान्तिक आधारशिला भी है। अतः भारत में संस्कृत के चहुंमुखी विकास के लिए इसका संरक्षण और प्रचार जरूरी है। इस दायित्व के प्रति पूर्णतः सचेत भारत सरकार ने संस्कृत भाषा एवं साहित्य तथा पारम्परिक शास्त्रों और संस्कृत शिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन के रूप में आरएसकेएस की अक्टूबर, 1970 में स्थापना की।

यह संस्थान भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित है और संस्कृत भाषा एवं संस्कृति से संबंधित सभी नीतिगत मामलों में केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के मुख्य उद्देश्य संस्कृत सीखने और शोध का प्रचार करना, विकास और प्रोत्साहित करना है। चूंकि संस्कृत सदा ही पाली और प्राकृत भाषाओं के साथ जुड़ी रही है, इसलिए वर्ष 2009-10 से, संस्थान ने पाली और प्राकृत दोनों की भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने का काम आरंभ किया है। यह संस्थान अपने सभी कैम्पसों के लिए केन्द्रीय, प्रशासनिक तथा समन्वय मशीनरी के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहा है। भारत सरकार ने संस्कृत में शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं तथा कार्यक्रमों को तैयार किया है और इन्हें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और अन्य एजेंसियों के माध्यम से लागू कर रही है तथा संस्थान अपनी इस स्थिति, बहु कैम्पस संस्था के होने के कारण शास्त्रों, संस्कृत भाषा तथा साहित्य से संबंधित सभी प्रयासों का समन्वय करने के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा यूजीसी द्वारा 7 मई 2002 से समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है।

वर्तमान में, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा नई दिल्ली (मुख्यालय), इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), पुरी (उड़ीसा), जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर), गुरुवायुर (केरल), जयपुर (राजस्थान), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), श्रृंगेरी (कर्नाटक), बालाहार (गरली) (हिमाचल प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), मुंबई (महाराष्ट्र) और अगरतला (त्रिपुरा) स्थित अपने 12 परिसरों का प्रबंधन कार्य किया जा रहा है। ये कैम्पस विद्यावारिधि (पी एच.डी) की डिग्री प्रदान करने के लिए शोध कार्य में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और आचार्य तथा शास्त्री स्तर पर विभिन्न संस्कृत विषयों में भी शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। दस कैम्पसों में शिक्षा शास्त्री (बी.एड) भी उपलब्ध है और जयपुर, जम्मू, भोपाल और पुरी स्थित 4 कैम्पसों में शिक्षा आचार्य (एम.एड) उपलब्ध है।

स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा परंपरागत विषयों के रूप में विभिन्न विषयों नामतः नव्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, साहित्य, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, सर्व दर्शन, वेद, न्याय (नव्य), मीमांसा, अद्वैत वेदांत, धर्म शास्त्र, वेदांत, सांख्य योग, पुरोहित्य, जैन दर्शन, बुद्ध दर्शन, पूर्णइतिहास, के साथ-साथ अंग्रेजी, हिन्दी, कम्प्यूटर विज्ञान तथा पर्यावरणीय अध्ययन में शास्त्री (बी.ए.) और आचार्य (एम.ए.) के स्तर पर शिक्षक पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, अवर स्नातक स्तर

पर एक आधुनिक विषय जैसे कि राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र आदि के लिए ट्यूटोरियल सुविधा भी प्रदान की जाती है। शिक्षा शास्त्री (बी.एड) तथा शिक्षा आचार्य (एम.एड) का पाठ्यक्रम भी कैम्पसों में आयोजित किया जाता है। कैम्पसों द्वारा विद्यावारिधि (पीएच.डी) की डिग्री के लिए शोध कार्यक्रम की पेशकश भी की जाती है। लगभग 18,000 छात्रों ने संस्थान की पिछली परीक्षाओं में परीक्षा दी थी।

मुख्य कार्यकलाप

संस्कृत सप्ताहोत्सव— संस्थान ने 8 से 14 अगस्त 2014 तक संस्कृत सप्ताहोत्सव मनाया। इस अवधि के दौरान प्रख्यात संस्कृत विद्वानों के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला और विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। दिनांक 10 अगस्त 2014 को राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली के सहयोग से संस्कृत दिवस मनाया गया। दिनांक 14 अगस्त 2014 को चिन्मय मिशन नई दिल्ली में विदाई समारोह आयोजित किया गया जिसमें प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए।



स्वच्छ भारत अभियान— राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली और देश के विभिन्न भागों में इसके सभी 11 परिसरों में दिनांक 25.09.2014 से 30.10.2014 तक स्वच्छ भारत अभियान आयोजित किया गया। इस अवधि के दौरान स्वच्छता से संबंधित कार्यकलाप भी शुरू किए गए। इसमें सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी उपस्थित जनों द्वारा दिनांक 02.10.2014 को स्वच्छता की शपथ ली गई।

स्थापना दिवस— राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिनांक 15.10.1970 को स्थापित किया गया था और दिनांक 15.10.2014 को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रो. आर.के. शर्मा, पूर्व संयुक्त शिक्षा सलाहकार और दरभंगा और वाराणसी में



स्थित संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपतियों, प्रो. सत्यवत शास्त्री, अध्यक्ष, द्वितीय संस्कृत आयोग जैसे प्रख्यात विद्वान और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। श्री आर. पी. सिसोदिया, आईएएस, संयुक्त सचिव भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

राष्ट्रीय एकता दिवस— भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह देश की एकता, सुरक्षा और संरक्षा का संदेश देता है। तदनुसार संस्थान और सभी परिसरों में 31 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय एकता दिवस आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए सरदार बल्लभ भाई पटेल की भूमिका पर अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रस्तुत किए।



राष्ट्रीय शिक्षा दिवस— राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रख्यात शिक्षाविद और पहले शिक्षा मंत्री थे, की जयंती पर दिनांक 11 नवम्बर 2014 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आयोजित किया। अन्य वक्ताओं में से डॉ. धर्मेन्द्र कुमार, सचिव, दिल्ली संस्कृत अकादमी ने इस अवसर पर विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किए।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करना— इस संस्थान द्वारा संस्कृत के प्रचार, विकास और संवर्धन में लगी संस्कृत पाठशालाओं/स्कूलों/कॉलेजों में संस्कृत शिक्षकों को 6,000/— रूपए

प्रतिमाह वेतन के भुगतान हेतु, संस्कृत छात्रों को प्रतिमाह 300/— रूपए की दर से छात्रवृत्ति, भवन निर्माण व मरम्मत के लिए, फर्नीचर तथा पुस्तकालयों की पुस्तकों आदि की खरीद हेतु वित्तीय सहायताएं प्रदान की जाती हैं। वर्ष के दौरान संस्कृत शिक्षा विकास योजना के तहत 591 संस्कृत संस्थाओं/संगठनों को 348.83 लाख रुपये की सहायता अनुदान राशि की सहायता की गई। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 4 शोध संस्थानों सहित 21 आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसके अनुसार राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा 95 प्रतिशत आवर्ती तथा 75 प्रतिशत गैर-आवर्ती व्यय प्रदान किया जाता है। यह संस्थान देश के विभिन्न भागों में स्थित है। वर्ष 2013-14 के दौरान, इन 25 संस्थाओं के 4667 छात्र लाभान्वित हुए। संस्थान द्वारा 150 सेवानिवृत्त प्रख्यात संस्कृत विद्वानों को कैम्पसों, आदर्श संस्कृत पाठशालाओं तथा अन्य राज्य संस्कृत कॉलेजों में शिक्षण कार्य के लिए शास्त्र चुड़ामणि योजना के तहत प्रतिमाह 6,000/— रूपए प्रतिमाह की दर से मानदेय का भी भुगतान किया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन करने, दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों और दुर्लभ पांडुलिपियों के क्रय एवं प्रकाशन के लिए तथा अखिल भारतीय भाषण प्रतियोगिता, आदि के आयोजन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

संस्कृत शब्दकोश परियोजना, पुणे को वित्तीय सहायता— डेक्कन कॉलेज स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, पुणे ने ऐतिहासिक सिद्धांतों के आधार पर विश्वकोशीय स्तर के संस्कृत शब्दकोश को तैयार करने के लिए परियोजना को आरंभ किया है। इस परियोजना व्यय का मुख्य स्रोत भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, (समविश्वविद्यालय), नई दिल्ली के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा 707.15 लाख रुपये की कुल राशि को जारी किया गया।

अनौपचारिक संस्कृत शिक्षा— कुल 1076 अनौपचारिक संस्कृत शिक्षा केन्द्र विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक केन्द्र द्वारा प्रत्येक वर्ष के दौरान दो बार तीन स्तरीय शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में लगभग 34,488 छात्र संस्कृत सीखने से लाभान्वित हुए हैं।

आधुनिक विषयों के शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता—संस्थान द्वारा पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं/महाविद्यालयों में आधुनिक विषय के शिक्षकों के वेतन के लिए/उन राज्य सरकारों से संबंधित, जहां राज्य सरकारें इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं, के माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के संस्कृत शिक्षकों के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान, संस्थान द्वारा आधुनिक विषय

शिक्षकों के लिए 67 संस्थानों को और संस्कृत शिक्षण के लिए विभिन्न राज्यों में राजकीय विद्यालयों के 19 संस्कृत शिक्षकों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। संस्थान द्वारा संस्कृत शिक्षा की विकास योजना के अंतर्गत कक्षा नौ से पीएचडी स्तर तक के 8,217 छात्रों को 353 लाख रुपये तक की छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।

निर्धनता की स्थिति में संस्कृत पंडितों को सम्मान राशि— संस्थान द्वारा 55 वर्ष की आयु से अधिक के निर्धन स्थिति में रह रहे प्रख्यात संस्कृत पंडितों को भी सम्मान राशि के रूप में प्रतिवर्ष 24,000/— रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 299 पंडितों को इस कार्यक्रम के तहत सम्मान राशि प्राप्त हो रही है।

राष्ट्रपति पुरस्कार योजना— एनआरआई अथवा विदेशी व्यक्ति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सहित 16 विद्वानों को संस्कृत के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर का पुरस्कार, अरबी और फारसी के लिए प्रत्येक के लिए 3 तथा 60 वर्षों से अधिक आयु के प्रख्यात विद्वानों के लिए पाली/प्राकृत हेतु एक और संस्कृत के लिए महर्षि बादरायण व्यास सम्मान के 5 पुरस्कार तथा 30—40 वर्ष की आयु समूह में युवा विद्वानों के लिए पाली/प्राकृत, अरबी और फारसी में प्रत्येक के लिए एक पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक अलंकरण समारोह में प्रदान किया जाता है। वर्ष 2013—14 के लिए, संस्कृत के क्षेत्र में उनके जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विदेशी विद्वान को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सहित संस्कृत के 14 पुरस्कार, फारसी में 2 और अरबी में 3, पाली/प्राकृत में एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ-साथ महर्षि बादरायण व्यास सम्मान के पुरस्कार घोषित किए गए थे। इनमें 5 संस्कृत के लिए, 1 फारसी के लिए, 1 अरबी तथा 1 पाली/प्राकृत के लिए हैं। इस पुरस्कार में संस्कृत विद्वानों के लिए 5 लाख रुपये का एकमुश्त आर्थिक अनुदान और अन्य पुरस्कार विजेताओं के लिए आजीवन 50,000/— रुपये प्रतिवर्ष के आर्थिक अनुदान की व्यवस्था है। महर्षि बादरायण व्यास सम्मान में प्रत्येक के लिए 1 लाख रुपये के एकमुश्त आर्थिक अनुदान की व्यवस्था है।

विश्वविद्यालयों और समविश्वविद्यालयों आदि को वित्तीय सहायता— संस्कृत के संवर्धन एवं विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों हेतु गैर-सरकारी संगठनों और सम संस्कृत विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालयों को वर्ष के दौरान 30 लाख रुपये की सीमा तक वित्तीय सहायता का आवंटन किया गया है।

संस्कृत साहित्य का राष्ट्रीय ई-डाटा बैंक— सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ती प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय

संस्कृत संस्थान ने संस्कृत के विकास के लिए ई-पुस्तकों और पत्रिकाओं को विकसित किया है। ई-पुस्तकों को विकसित किया गया है ताकि छात्रों/विद्वानों द्वारा उपयोग करने हेतु उन तक पहुंचा जा सके। ये पुस्तकें छात्रों/विद्वानों की आवश्यकता के अनुसार संस्कृत सीखने की सुविधा प्रदान करती हैं जिन्हें स्कैन किया गया है और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 86 ई-पुस्तकें तथा एक ई-पत्रिका भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों तक यूआरएलडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू (डॉट) संस्कृत (डॉट) एनआईसी (डॉट) इनके माध्यम से पहुंचा जा सकता है। शुरू की गई नई परियोजनाओं में (1) संस्कृत और भारतीय बोलियों व उप बोलियों के शब्दकोश से संबंधित परियोजना, (2) राष्ट्रीय ई संस्कृत साहित्य का डाटा बैंक (3) संस्कृत वार्ता त्रैमासिक समाचार बुलेटिन और विमर्सा (अर्द्ध वार्षिक पत्रिका) का प्रकाशन (4) सामान्य ज्ञान का प्रकाशन और (5) पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण (47,000 पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है)।

भाषा मंदाकिनी का टी.वी. प्रसारण— संस्थान इग्नू द्वारा प्रसारित किए जा रहे भाषा मंदाकिनी (ज्ञान दर्शन जीडी II के भाषा चैनल) हेतु संस्कृत सॉफ्टवेयर के निर्माण की योजना और मॉनीटरिंग के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान (एनईआर)— यह संस्थान स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों के शिक्षकों को वेतन, विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां, आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों और पूर्वोत्तर में विभिन्न सेमिनारों, राष्ट्रीय संस्कृत नाटक/पर्व आयोजित करने के लिए सहायता अनुदान प्रदान कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 250 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए 58.75 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 640 विद्यार्थियों को 20.50 लाख रुपये की छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं। संस्कृत शिक्षा विकास योजना के तहत 60 संस्कृत और 38 आधुनिक विषय शिक्षकों के लिए भुगतान करने हेतु 43.20 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इन कार्यकलापों के अतिरिक्त, संस्थान ने त्रिपुरा में अपना 12वां परिसर स्थापित किया है और इनका नाम एकलव्य परिसर रखा गया है। इस परिसर ने वर्ष 2013—14 शैक्षिक वर्ष से पश्चिम त्रिपुरा से काम करना आरंभ कर दिया है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने संस्थान को परिसर के लिए सदर उप-मंडल के तहत डीसी नगर में 3.25 एकड़ भूमि आवंटित की है।

मुक्त स्वाध्याय पीठम (दूरस्थ शिक्षा संस्थान)— मुक्त स्वाध्याय पीठम (दूरस्थ शिक्षा संस्थान) जो यूजीसी, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के तहत एक संस्थान है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के

परिसरों में यह अध्ययन केन्द्र स्वाध्याय केन्द्र कहलाते हैं। ये प्राक शास्त्री से आचार्य स्तर तक के परम्परागत कार्यक्रम प्रदान करते हैं। वर्ष के दौरान 966 विद्यार्थियों को नामांकित किया गया। बैठकों, कार्यशालाओं और अभिमुखी कार्यक्रमों द्वारा शिक्षण कार्यक्रम को सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (समविश्वविद्यालय) तिरुपति:

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ वर्ष 1961 में तिरुपति में एक पंजीकृत समिति के रूप में केन्द्रीय संस्कृत आयोग की सिफारिशों पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस विद्यापीठ ने 1991 से समविश्वविद्यालय के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

(i) अधिदेश:

विद्यापीठ को एक ऐसे संस्थान के रूप में विशिष्ट सम्मान प्राप्त है जहां संस्कृत को संस्कृत माध्यम में ही पढ़ाया जा रहा है।

विद्यापीठ के अधिदेश में निम्नलिखित शामिल हैं: (क) शास्त्रीय परम्परा को संरक्षित करना; (ख) शास्त्रों की व्याख्या को प्रारंभ करना; (ग) आधुनिक संदर्भ में समस्याओं के लिए उनके संदर्भ को स्थापित करना; (घ) शिक्षकों के लिए शास्त्रीय शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा में गहन प्रशिक्षण के लिए साधन उपलब्ध कराना; (ङ.) इन विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना जिससे विद्यापीठ अपनी प्रकृति के स्वयं के विशिष्ट चरित्र को बनाए रख सके।

वर्ष 2014-15 के लिए लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाले कार्यक्रम

1. **विद्यार्थी नामांकन— 2014-15:** राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, शास्त्रीय विषयों नामतः साहित्य, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, अद्वैत वेदांता, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, पुरानेथिसा, मीमांसा, सामाख्या योग, धर्मशास्त्र और अगमास में संस्कृत माध्यम में शिक्षा प्रदान करता है। विद्यापीठ राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करके अखिल भारतीय आधार पर विद्यार्थियों को दाखिल करता है। विद्यापीठ में निम्नलिखित पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं अर्थात् प्राक शास्त्रीय (इंटर के समकक्ष); शास्त्री (बी.ए. के समकक्ष); शिक्षा आचार्य (बीएड के समकक्ष); आचार्या (एमए के समकक्ष); शिक्षा आचार्य (एमएड के समकक्ष) 11 शास्त्रों में एमफिल; विद्यावृद्धि (पीएचडी के समकक्ष) और विद्यावाचस्पति

(डीलिट)। विद्यापीठ में 23 विभागों में 76 शिक्षक कार्यरत हैं। 2014-15 वर्ष के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिल किए गए विद्यार्थियों की कुल संख्या 2018 है।

2. **पुस्तकों का प्रकाशन:** विद्यापीठ में अब तक 2012-13 तक वेद, वेदांता, अगमा, ज्योतिष, न्याय, व्याकरण, साहित्य शिक्षा, संस्कृत विज्ञान पर 270 पुस्तकें और प्रारंभिक अध्ययन करने वालों के लिए संस्कृत अध्ययन की सीडी जैसे सीडी रोम प्रकाशित किए गए और 2014-15 के दौरान 5 पुस्तकें प्रकाशित की गईं। विद्यापीठ के प्रारंभ होने से अब तक अनुसंधान पत्रिका महाशिवनी वर्ष में दो बार प्रकाशित की गई।
3. **विशेष सहायता कार्यक्रम: साहित्य, शिक्षा और दर्शन विभाग:** वर्ष 2011 के दौरान, साहित्य, शिक्षा और दर्शन विभाग के लिए यूजीसी द्वारा डीआरएस-II स्तर पर तीन विशेष सहायता कार्यक्रम संस्वीकृत किए गए जो वर्ष 2014-15 में जारी हैं।
4. **संस्कृत सप्ताह का आयोजन:** बीते वर्षों की तरह इस वर्ष भी श्रावण पूर्णिमा के पवित्र दिन बड़े पर्वोत्साह के साथ 5 से 11 अगस्त 2014 के दौरान, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के परिसर में संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया।
5. **अखिल भारतीय संस्कृत विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव:** 2015: सम्पूर्ण भारत के विद्यार्थियों के परम्परागत शास्त्रीय ज्ञान में छुपी हुई प्रतिभा को निकालने के लिए 27 से 30 जनवरी 2015 तक नौवें अखिल भारतीय संस्कृत विद्यार्थी प्रतिभा उत्सव मनाने का निर्णय लिया है।
6. **महामहोपाध्याय पट्टाभिराम शास्त्री व्याख्यानमाला— 2014-15:** प्रत्येक वर्ष, महामहोपाध्याय पट्टाभिराम शास्त्री, विद्यापीठ के प्रथम कुलपति की याद में अनेक प्रसार व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं। विद्यापीठ के संकाय और विद्यार्थियों के लाभ के लिए शैक्षिक वर्ष के दौरान व्याख्यानों को विभिन्न शास्त्रों में संजोया जाता है। परम्परागत शास्त्रों पर देश के विभिन्न भागों से विद्वानों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महामहोपाध्याय पट्टाभिराम शास्त्री व्याख्यानमाला 2014-15, का राघवेन्द्र मठ, मंत्रालय के धर्मगुरु श्रीश्रीश्री सुबुधरेन्द्र तीर्थ स्वामी जी द्वारा दिनांक 21.07.2014 को उद्घाटन किया गया। दीप प्रज्ज्वलित करते समय स्वामी जी ने अपनी मांगलिक उपस्थिति

द्वारा विद्यापीठ के परिवार को आशीर्वाद दिया। वाचस्पति डॉ. वधिराजा पंचमुखी, विद्यापीठ के पूर्व कुलपति ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। प्रो. हरे कृष्णा सतपथी, कुलपति ने उद्घाटन संत्र की अध्यक्षता की। डॉ. एवी नागासम्पी निदेशक, पूर्णप्रांजा समशोधना, मंदिरम, बंगलौर द्वारा साक्षी प्रमन्यम पर दिनांक 22.07.2014 को व्याख्यान दिया गया।

7. राष्ट्रीय सेमिनार/कार्यशालाएं:

- (i) साहित्य विभाग ने 26 और 27 जुलाई 2014 को विद्यापीठ के विद्यार्थियों के लिए **अनुसंधान कार्यविधि पर 2 दिन की एक कार्यशाला** आयोजित की थी। प्रो. ऋषिकेश सतपथी, कुलपति ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। प्रो. सन्नीधनम सुदर्शन शर्मा, श्री वैकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और डीन, और साहित्य ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। प्रोफेसर जी. एस.आर. कृष्णामूर्ति, प्रमुख, साहित्य विभाग ने कार्यशाला के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। डॉ. रानी सदाशिवमूर्ति और भारत भूषण रथ संयोजक थे। प्रो. सीएच.पी सत्यनारायण, प्रोफेसर वी.वी. जदीपाल, प्रो. सी. ललीथारानी, प्रो. सत्यनारायण आचार्य, डॉ. रानी सदाशिवमूर्ति, डॉ. सी. रंगनाथन, डॉ. के. राजागोपालन, डॉ. भारत भूषण रथ इस कार्यशाला के संसाधन व्यक्ति थे।
- (ii) **नए प्रवेश पाने वालों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम:** विद्यापीठ का रोजगार परामर्श प्रकोष्ठ, प्रतियोगी परीक्षाओं की कठिनाता को चुनौती देने के लिए विद्यार्थियों को बोलने वाली संस्कृत, सुलभ कौशल और संचार सामर्थ्य में सहायता देने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है। छात्रों में सामाजिक मूल्यों को शामिल करने के लिए विभिन्न विषयों के साथ प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रो. हरेकृष्णा सतपथी, माननीय कुलपति ने सीसीसी के तहत आयोजित दिनांक 23.06.2014 को नवआगंतुको के लिए प्रेरणात्मक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रो. राधाकान्त ठाकुर, डीन, शैक्षिक मामले; प्रो. जीएसआर कृष्णामूर्ति, प्रमुख साहित्य विभाग और शैक्षिक संयोजक ने कार्यक्रम में भाग लिया और विद्यार्थियों को अपने संदेश दिए। डॉ. विद्याधर हरीचन्द्र ने विद्यार्थियों को संस्कृत सीखने में उनका मार्गदर्शन किया। प्रो. सत्यनारायण आचार्य, संयोजक, रोजगार परामर्श प्रकोष्ठ ने भारत में वर्तमान संस्कृत शिक्षा प्रणाली के बारे में जानकारी

दी। कार्यक्रम के भाग के रूप में विद्यार्थियों ने रानी सदाशिवमूर्ति द्वारा निदेशित संस्कृत टेलीफिल्म हिडिम्बा भीमसेनम का आनंद लिया।

- (iii) **आचार्य पाठ्यक्रम में नए विद्यार्थियों के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम:** यह विद्यापीठ विभिन्न कार्यक्रमों के लिए दाखिल किए गए विद्यार्थियों के लिए ब्रिज पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। शैक्षिक सत्र 2014-15 से यह 03.07.2014 से 10.07.2014 तक आयोजित किया गया। विभिन्न शास्त्रों अर्थात् साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, वेदांत, वीवेदांत, डीवेदांत, मीमांसा, पुराण से 200 से भी अधिक विद्यार्थियों और अन्य विद्यार्थियों ने ब्रिज पाठ्यक्रम में भाग लिया। हमारी विद्यापीठ के बुद्धिजीवी प्रोफेसरों और बाहर से आमंत्रित किए गए विद्वानों ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए। प्रो. सत्यनारायण आचार्य, साहित्य के प्रोफेसर और डॉ. ए.सच्चिदानन्दमूर्ति, शिक्षा के सहायक प्रोफेसर क्रमशः संयोजक और अतिरिक्त संयोजक थे।

- (iv) विद्यापीठ के प्रो. रामानुजम मुखर्जी सभागार में दिनांक 14.09.2014 को **हिन्दी दिवस मनाया गया**। प्रो. राधाकान्त ठाकुर, डीन, शैक्षिक मामले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। डॉ. लता मंगेश हिन्दी विभाग के सहायक प्रोफेसर ने लोगों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि प्रो. ठाकुर ने हिन्दी दिवस के भाग के रूप में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में नामतः हिन्दी वाद-विवाद, वक्तृत्व कला, निबंध लेखन और गाने आदि की विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किया। विद्यार्थियों और संकाय ने प्रतियोगिता में पूरे जोश के साथ भाग लिया और अपने हिन्दी प्रतिभा को साबित किया। डॉ. मोहन नायडू ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया।

- (v) **भास्करआचार्या पर राष्ट्रीय कार्यशाला:** जीवन और कार्य (1114-1200 ई.सा.) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली, द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में 8-12 दिसम्बर 2014 के दौरान एक कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला गणित विभाग, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति द्वारा भास्करचार्या-II की 900वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित की गई।

8. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय:

विद्यापीठ ने वर्ष 2003 में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय की स्थापना की। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, प्राक शास्त्री से आचार्य स्तर तक और डिप्लोमा तथा

सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम भी दूरस्थ पद्धति के माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी) इग्नू, नई दिल्ली, द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

(iv) वर्ष 2014-15 के दौरान शुरू की गई मुख्य नीति / सुधार:

- 1. महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं:** यूजीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विद्यापीठ ने अपने विद्यार्थियों और महिला कर्मचारियों के लिए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना की। डॉ. चिंता मोहन, माननीय सांसद (राज्यसभा) की उपस्थिति में डॉ. किल्ली कृपरानी, माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री भारत सरकार ने 17 नवम्बर 2013 को इस केन्द्र का उद्घाटन किया। मंत्री ने संस्थान के अद्वितीय विकास को देखते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।
- 2. अन्नदानम योजना:** विश्वविद्यालय ने अन्नदानम योजना प्रारंभ की है जिसके तहत विद्यापीठ के छात्रावास में पुराने विद्यार्थियों, शिक्षकों और समाजसेवियों आदि से प्राप्त दान में से चावल, गेहूं, आटा आदि निःशुल्क उपलब्ध कराया है। विद्यापीठ के कुलपति, पुराने विद्यार्थी, शिक्षक संघ, योजना की सफलता के लिए सभी प्रयासों के साथ तहे दिल से सहयोग कर रहे हैं।
- 3. प्राचीन विद्वानों, ऋषियों और वेदांतियों के सहयोग का चित्रण करने वाले हेरीटेज कारीडॉर का निर्माण** वर्तमान समाज को उनके योगदान के बारे में संदेश प्रसारित करने के लिए कैम्पस की रिंग रोड के साथ किया गया है।



4. नवाचारी कार्यक्रम: परम्परागत और आधुनिक प्रबंध प्रणालियों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए प्राचीन भारतीय प्रबंधन तकनीक में स्नातकोत्तर डिग्री प्रारंभ की गई।

5. विद्यापीठ द्वारा उपलब्धियों के दृष्टिगत यूजीसी ने परम्परागत शास्त्रों में उत्कृष्टता केन्द्र के प्रसार के लिए इसे दूसरी बार संस्वीकृत किया है। योजना के तहत, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, 12 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

स्वच्छ भारत :

प्रधानमंत्री के आह्वाहन और मंत्रालय के निर्देशों के प्रतिउत्तर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए और विद्यार्थियों, कर्मचारियों, और विद्वानों ने स्वैच्छिक रूप से भाग लिया और एनएसएस बैनर के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए।

ई-पाठशाला :

यूजीसी ने व्याकरण विषय के लिए ई-पाठशाला संस्वीकृत की है और यूजीसी के अनुमोदन हेतु विभिन्न शास्त्रों के संबंध में यूजीसी को 14 प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यही विद्यापीठ केवल, ऐसी है जिसे ख्याति प्राप्त अकादमिक कार्यक्रम प्रदान किए जाने की अनन्य विशिष्टता दी गई है।

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति में सांख्यिकी विभाग, एसवी विश्वविद्यालय तिरुपति के साथ संयुक्त रूप से 1-13 दिसम्बर, 2014 तक बिग-डाटा-एनेलैटिक्स एंड ऐन इंटरनेशनल कान्फ्रेंस ऑन ऑपरेशनल रिसर्च पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

भूटान और संयुक्त राज्य अमेरिका से 10 विद्यार्थियों के एक दल ने विद्यापीठ के शास्त्री, आचार्य और एम.फिल पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया। विद्यापीठ ने इनका स्वागत किया और संस्कृत सप्ताह समारोह के दौरान इनको विशेष रूप से सम्मानित किया।



संस्कृत सप्ताह उत्सव का उद्घाटन समारोह दिनांक 05.08.2014 को विद्यापीठ के इंडोर स्टेडियम में खचा-खच भरे दर्शकों के बीच आयोजित किया गया। विद्वानों, विद्यार्थियों, कलाकारों, प्रेस के सदस्यों और विद्यापीठ के कर्मचारियों की भागीदारी ने इस समारोह को बहुत सफल बनाया।



प्रो. हरेकृष्णा सतपथी, माननीय कुलपति ने रोजगार परामर्श प्रकोष्ठ के तहत 23.06.2014 को नए विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रो. राधाकान्त ठाकुर, डीन, शैक्षिक मामले, प्रो. जीएसआर कृष्णामूर्ति, प्रमुख, साहित्यिक विभाग और शैक्षिक संयोजक ने कार्यक्रम में भाग लिया और विद्यार्थियों को अपने संदेश दिए।

(i) वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त लक्ष्य और उपलब्धियों को दर्शाते हुए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रम/योजनाएं।

2014-15 के दौरान प्रकाशनों की संख्या: 05

(ii) वर्ष 2014-15 के दौरान किए गए मुख्य सुधार:

- (i) चयन-आधारित क्रेडिट प्रणाली का आरंभ
- (ii) अल्पकालीन कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं

(iii) साहित्य, शिक्षा विभागों के लिए संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं

(iv) आईएस अध्ययन केन्द्र: विद्यापीठ ने अपने विद्यार्थियों के लिए आईएस कोचिंग हेतु एक विशेष केन्द्र प्रारंभ किया। केन्द्र का उद्घाटन करते हुए डॉ. अरविंद राव, पूर्व पुलिस महानिदेशक, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि आईएस अधिकारियों ने केन्द्र सरकार, राज्यों और सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रमों में मुख्य पदों को सम्भाला है और विद्यापीठ को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विद्यार्थियों की बराबरी करने के लिए विद्यार्थियों को परम्परागत शास्त्रों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अध्ययन केन्द्र खोलने के लिए बधाई दी।

(v) अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यकों के लिए यूजीसी एनईटी/एसएलईटी हेतु उपचारात्मक कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ

विद्यापीठ के मिशन: विद्यापीठ के मिशन का कथन "विद्या वंदे अमृतम्" है जिसका अर्थ है "आत्मज्ञान के लिए शिक्षा"। इस प्रकार, विद्यापीठ पारंपरिक ज्ञान का प्रसार करने तथा छात्रों को योग्य नागरिक बनने के लिए मार्गदर्शन करने का प्रयास करता है। यह प्रयास भारत के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक अवधारणाओं, सामाजिक मुद्दों और समस्याओं के साथ जोड़ने के लिए किया जा रहा है।

विद्यापीठ के उद्देश्य हैं:

- (क) शास्त्र संबंधी परंपरा का संरक्षण करना।
- (ख) शास्त्रों की व्याख्या करना।
- (ग) आधुनिक संदर्भ में समस्याओं को शास्त्रों की प्रासंगिकता से जोड़ना।
- (घ) शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण के साथ-साथ शास्त्र विद्या में गहन प्रशिक्षण देने के लिए साधन उपलब्ध कराना।
- (ङ) अपनी स्वयं की विशेष छवि बनाने के लिए अपने विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना।

कार्यक्रम और कार्यकलाप

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यापीठ निम्नलिखित कार्यक्रम और कार्यकलाप आयोजित करता है:-

1. स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान स्तरों पर परम्परागत एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्यों में संस्कृत का अध्ययन कराना।
2. स्नातक (बीएड) और स्नातकोत्तर (एमएड) स्तरों पर अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।
3. विभिन्न विषयों में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा और अंशकालिक पाठ्यक्रम आयोजित करना।
4. स्नातक, स्नातकोत्तर और उच्च अध्ययन के अन्य स्तरों पर परीक्षा आयोजित करना।
5. सामान्य हितों की संयुक्त परियोजनाओं को प्रायोजित करने वाले अन्य संगठनों के साथ सहयोग करना।
6. संस्कृत पुस्तकालय का प्रसार करने के लिए कार्य।
7. पांडुलिपि के संकलन को बढ़ाने के लिए कार्य करना और विशेष महत्व की दुर्लभ पांडुलिपियों को सम्पादित एवं प्रकाशित करना।

8. अनुसंधान पत्रिकाओं का प्रकाशन नामतः शोध प्रभा, वास्तुशास्त्र—विमर्श, सुमंगलि, पंचाग आदि।
9. विभिन्न व्याख्यान श्रृंखलाएं आयोजित करना।
10. अनुसंधान सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करना।
11. यूजीसी द्वारा प्रयोजित संस्कृत अध्ययन की विभिन्न शाखाओं में रिक्रेशर पाठ्यक्रम आयोजित करना।
12. संस्कृत, हिन्दी और कम्प्यूटर एप्लिकेशन में व्यावसायिक पाठ्यक्रम आयोजित करना।
13. विद्यार्थियों के लिए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना।

14. एनसीसी, एनएसएस और खेल जैसे पाठ्येत्तर कार्यक्रमलाप आयोजित करना।
15. विभिन्न शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समारोह आयोजित करना।

उत्तीर्ण विद्यार्थियों का ब्यौरा

यह विद्यापीठ, शास्त्री, आचार्य, एमएड और एमफिल जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए सेमेस्टर—वार शैक्षिक वर्ष में दो बार तथा शिक्षा शास्त्री के लिए वर्ष में एक बार परीक्षा आयोजित करती है शास्त्री, आचार्य, शिक्षा—शास्त्री और शिक्षा—आचार्य में दाखिल विद्यार्थियों का वर्ष 2013—14 का परीक्षा परिणाम निम्नानुसार है:—

परीक्षा	उपस्थित छात्रों की संख्या		पास छात्रों की संख्या								
	कुल (पुरुष+महिलाएं)	केवल महिलाएं	कुल (पुरुष + महिलाएं)					केवल महिलाएं			
				I डिवी	II डिवी	III डिवी	कुल	I डिवी	II डिवी	III डिवी	कुल
शास्त्री	96	11		45	21	02	68	01	04	--	05
आचार्य	100	19		81	10	--	91	15	03	--	18
शिक्षाशास्त्री	252	74	थ्योरी	196	56	--	252	59	15	--	74
			प्रेक्टिकल	239	13	--	252	71	03	--	74
शिक्षा आचार्य	31	12		30	--	--	30	12	--	--	12

महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (एमएसआरवीवीपी)

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वेद में निहित ज्ञान के धन को सामने लाने और इसका समकालीन आवश्यकताओं के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अन्य साधनों और संख्याओं और अनुसंधान सुविधाओं के प्रोन्नयन के साथ—साथ पाठशालाओं के माध्यम से वैदिक अध्ययन की मौखिक परंपरा को संरक्षित और विकसित करने के लिए 1987 में महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की थी। इस उद्देश्य के लिए प्रतिष्ठान वैदिक पाठ की मौखिक परंपरा के संरक्षण की योजना के तहत वेद शिक्षकों को मानदेय और विद्यार्थियों को वजीफा देते हुए वैदिक पाठशाला और गुरु शिष्य परंपरा इकाईयों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त, महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न

कार्यक्रम और कार्यक्रमलाप भी आयोजित कर रहा है, जो इस प्रकार है:—

1. सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैदिक सम्मेलनों का आयोजन।
3. प्रकाशन: प्रतिष्ठान द्वारा वैदिक साहित्य से संबंधित अप्रकाशित और दुर्लभ पाठों को पुनः मुद्रित और पुनः प्रकाशित किया जाता है।
4. अंग्रेजी, हिन्दी और संस्कृत में अनुसंधान पत्रिका “वेद विद्या” का प्रकाशन।
5. वेद ज्ञान सप्ताह समारोह का आयोजन।
6. सभी के लिए वैदिक कक्षाएं।
7. सामान्य लोगों के बीच वैदिक ज्ञान के प्रसार के लिए वैदिक शिक्षा हेतु पत्राचार पाठ्यक्रम।
8. वैदिक शब्दकोश को तैयार करना।
9. वृद्ध वेद—पाठियों के लिए वित्तीय सहायता।
10. नित्याग्नीहोत्रीयों के लिए वित्तीय सहायता।

11. वैदिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए अध्येतावृत्ति।
12. वैदिक मंत्रोच्चारण की ओडिया-विडियो टेप रिकॉर्डिंग तैयार करना।
13. वैदिक और वेदांगा साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए एक लाख रुपए का संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या पुरस्कार।

राज भाषा का कार्यान्वयन

प्रस्तावना

मंत्रालय के दोनों विभागों द्वारा राज भाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन की ओर यथोचित ध्यान दिया जाता है। मंत्रालय के दोनों विभागों नामतः उच्चतर शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग राज भाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित किए गए हैं।

मंत्रालय ने राजभाषा का कार्यान्वयन विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के साथ-साथ राजभाषा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान अधिसूचित किए गए कार्यालय

रिपोर्ट की समीक्षाधीन अवधि के दौरान मंत्रालय के दोनों विभागों के तहत 28 कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों और स्कूलों को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित किया गया है।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की मानिट्रिंग

- (क) वर्ष 2014-15 के दौरान, मंत्रालय द्वारा 39 कार्यालयों/विश्वविद्यालयों का निरीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके दृष्टिगत, मंत्रालय ने आज की तारीख तक 7 कार्यालयों का निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की ओर से समय-समय पर अधीनस्थ कार्यालयों की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में भी प्रतिनिधित्व किया जाता है।
- (ख) मंत्रालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन संयुक्त सचिव (केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा भाषा) की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति की बैठकों का आयोजन नियमित रूप से

किया जा रहा है। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में उचित कार्यवाही की जा रही है।

- (ग) राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसरण में, सचिव (उच्चतर शिक्षा) की अध्यक्षता में 16.07.2014 को राजभाषा कार्यान्वयन पर एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी ब्यूरो प्रमुखों ने भाग लिया।
- (घ) अपने अधीनस्थ कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, आदि में राजभाषा हिन्दी की स्थिति पर निगरानी के लिए उनसे तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा उनकी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को मंत्रालय द्वारा प्राप्त कर उनकी समीक्षा की जाती है तथा मंत्रालय द्वारा उपचारात्मक उपायों के सुझाव दिए जाते हैं।

राजभाषा सम्मेलन

वर्ष के दौरान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 22-23 मई, 2014 को विशाखापट्टनम में एक अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मंत्रालय के तहत कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है।

हिन्दी सलाहकार समिति

मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कार्य प्रगति पर है।

प्रशिक्षण

सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में मंत्रालय के शेष कर्मचारियों, जिन्हें अभी हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि में प्रशिक्षित किया जाना है, उन्हें राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया जाता है। इस प्रकार का कोई भी कर्मचारी मंत्रालय में शेष नहीं है जिसे अभी हिन्दी भाषा और हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना बाकी हो।

विभागीय पत्रिका "शिक्षायन"

इस मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करने के लिए

एक विभागीय पत्रिका “शिक्षायन” का प्रकाशन इस मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग द्वारा किया जाता है। इस वर्ष इस पत्रिका का 6ठा व 7वां संस्करण प्रकाशित किया गया है। पत्रिका के 8वें संस्करण के लिए लेख प्राप्त किए जा रहे हैं, जिन्हें शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा।

तिमाही हिन्दी कार्यशाला

मंत्रालय में राजभाषा के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए, राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार, योजना और वास्तुकला स्कूल में दिनांक 02.07.2014 को एक तिमाही राजभाषा कार्यशाला आयोजित की गई। मंत्रालय के दिल्ली स्थित कार्यालयों से 28 अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

अनुवाद कार्य

सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन करने के लिए, मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग ने सभी प्रकार के पत्रों, दस्तावेजों, रिपोर्टों, आदि के अनुवाद कार्य को भी निष्पादित किया है जिन्हें मंत्रालय द्वारा द्विभाषी रूप (हिन्दी और अंग्रेजी) में जारी किया जाना होता है।

मंत्रालय में हिन्दी पखवाड़ा

वर्ष के दौरान, हिन्दी पखवाड़े का आयोजन सितम्बर माह में किया गया था। इस अवसर पर, निबन्ध लेखन, हिन्दी टिप्पण/मसौदा लेखन, कविता पाठ और हिन्दी लिखावट और हिन्दी वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में 87 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वेबसाइट

मंत्रालय के दोनों विभागों की वेबसाइटों को द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में तैयार किया गया है। इसे समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

मंत्रालय के अधीनस्थ सभी कार्यालयों को अपनी वेबसाइट को द्विभाषी बनाने से संबंधित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

“हिन्दी शब्द”

मंत्रालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर, मार्च 2008 से अब तक दैनिक कार्य में उपयोग हेतु एक शब्द प्रतिदिन हिन्दी और अंग्रेजी में “आज का शब्द” शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किया जा रहा है।



भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2015 को नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला — 2015 के उद्घाटन अवसर पर सम्बोधित करती हुई केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति इरानी।

अध्याय 09

कॉपीराइट और पुस्तक संवर्धन

कॉपीराइट और पुस्तक संवर्धन

कॉपीराइट

कॉपीराइट कार्यालय की स्थापना कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 9(1) के तहत 1958 में की गई थी। यह उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। इसका संचालन कॉपीराइट के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है जिनके अधिकार क्षेत्र में कॉपीराइट से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं। कॉपीराइट कार्यालय का मुख्य कार्य कॉपीराइट के पंजीकरण का कार्य करना है। कॉपीराइट कार्यालय द्वारा कॉपीराइट के रजिस्टर का रख-रखाव किया जाता है जिससे आम जनता को कॉपीराइट के कार्य के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। पंजीकरण के अलावा, रजिस्टर का निरीक्षण करने और उससे सार लेने जैसी सुविधाएं भी कॉपीराइट कार्यालय में उपलब्ध हैं। जैसा कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 13 के तहत प्रावधान किए गए हैं, कॉपीराइट निम्नलिखित वर्ग अथवा कार्यों से निर्वाह करता है:

- (क) मूल साहित्यिक, साफ्टवेयर, संगीत और कलात्मक कार्य;
- (ख) चलचित्रित फिल्मों; और
- (ग) ध्वनि रिकॉर्डिंग।

कॉपीराइट कार्यालय कॉपीराइट नियम, 2013 के नियम 70 के अनुसार कॉपीराइट के रजिस्टर में दर्ज कॉपीराइट के ब्यौरों में परिवर्तनों को भी दर्ज करता है। कॉपीराइट का अधिग्रहण स्वचालित है और इसके लिए किसी भी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही कोई कार्य तैयार होता है कॉपीराइट उसी क्षण से अस्तित्व में आ जाता है और इसके लिए कॉपीराइट प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है। तथापि, इस अधिनियम की धारा 48 के अनुसार, कॉपीराइट के पंजीकरण का प्रमाण पत्र और इसमें की गई प्रविष्टियों, कॉपीराइट के स्वामित्व से संबंधित किसी भी विवाद के संदर्भ में न्यायिक अदालतों में प्रथम दृष्टया प्रमाण होते हैं।

इस अधिनियम की धारा 47 में किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर कॉपीराइट के रजिस्टर का निरीक्षण करने अथवा कॉपीराइट के रजिस्टर से उद्धरणों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के प्रावधान भी किए गए हैं। यह सुविधा प्रदान करने के लिए, कार्यों की एक अनुक्रमणिका, जिसके विवरण रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं, का रख-रखाव भी कॉपीराइट कार्यालय द्वारा किया जाता है। जबकि रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर में दर्ज ब्यौरे में मामूली सुधार और परिवर्तन किया जा सकता है, कॉपीराइट बोर्ड को रजिस्ट्रार अथवा किसी भी पीड़ित

व्यक्ति द्वारा आवेदन के आधार पर रजिस्टर में की गई किन्हीं भी प्रविष्टियों को हटाने का अधिकार प्राप्त है।

कॉपीराइट के पंजीकरण की प्रक्रिया: कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 45 के अनुसार, लेखक अथवा प्रकाशक अथवा कॉपीराइट का स्वामी अथवा किसी कार्य के कॉपीराइट में रूचि रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, कॉपीराइट के रजिस्टर में कार्य के विवरणों को दर्ज करवाने के लिए कॉपीराइट रजिस्ट्रार को निर्धारित फीस के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकता है। कॉपीराइट कार्यालय द्वारा सभी प्रकार के कार्यों के पंजीकरण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और इन कार्यों के पंजीकरण के लिए कॉपीराइट कार्यालय आवेदन को डाक द्वारा भेजा जा सकता है, और ऑनलाइन आवेदन भी दायर किए जा सकते हैं। 7733 कार्यों का पंजीकरण किया गया है इसके अतिरिक्त, दिनांक 01.04.2014 से 31.12.2014 तक की अवधि के दौरान 10948 कार्य प्राप्त किए गए हैं।

कॉपीराइट कार्यालय का आधुनिकीकरण: ई फाइलिंग की सुविधा को 17.02.2014 से आरंभ किया गया है और नए डिजाइन और एक नए प्रतीक चिन्ह से युक्त कॉपीराइट प्रमाणपत्र भी जारी किया गया है। कॉपीराइट रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है।

कॉपीराइट बोर्ड: कॉपीराइट बोर्ड जो एक अर्ध न्यायिक निकाय है, का सितंबर 1958 में गठन किया गया था और जो अंशकालिक आधार पर कार्य करता आ रहा है। कॉपीराइट बोर्ड का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है। इस बोर्ड को कॉपीराइट पंजीकरण तथा कॉपीराइट के कार्य, पंजीकरण के संशोधन करने, पब्लिक से रोके गए कुछ कार्यों के संबंध में अनिवार्य लाइसेंस को प्रदान करने, अप्रकाशित भारतीय कार्य, शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के लाभार्थ, कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुवाद और कार्यों के निर्माण व प्रकाशन से संबंधित विवादों के अधिनिर्णयन का कार्य सौंपा गया है। बोर्ड द्वारा कवर संस्करणों और साहित्यिक और संगीत के कार्यों का प्रसारण करने तथा ध्वनि रिकॉर्डिंग से संबंधित सांविधिक लाइसेंसों की रॉयल्टी की दर का भी निर्धारण एवं उसे लागू किया जाता है। यह बोर्ड, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत, इसके समक्ष प्रस्तुत किए गए अन्य विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई भी करता है। कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012 में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों को सम्मिलित करते हुए, एक तीन स्थायी सदस्यीय कॉपीराइट बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया है। कॉपीराइट बोर्ड को स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

कॉपीराइट सोसायटी: कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 33 में विभिन्न श्रेणियों के कार्यों के लिए पृथक

कॉपीराइट सोसायटियां स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2012 में इस अधिनियम में संशोधन किए जाने तक, चलचित्रण फिल्मों (भारतीय फिल्म और टेजीविज़न निर्माताओं की कॉपीराइट सोसायटी (स्क्रिप्ट), संगीत संबंधी कार्य (इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसायटी लिमिटेड (आईपीआरएस), ध्वनि रिकॉर्डिंग (फोनोग्राफिक परफॉर्मर्स लिमिटेड (पीपीएल) तथा फोटोकॉपी अधिकारों के लिए (दि इंडियन रेप्रोग्राफिक अधिकार संगठन (आईआरआरओ) के लिए प्रत्येक की एक सोसायटी के अनुसार चार कॉपीराइट सोसायटियों को स्थापित किया गया था। कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012 के अनुसरण में, उपर्युक्त वर्णित कॉपीराइट सोसायटियों को एक वर्ष के भीतर पुनः पंजीकृत होना अपेक्षित होता है। इनमें से आईआरआरओ को 15.09.2014 को पुनः पंजीकृत किया गया है। अन्य सोसायटियों से इस पुनः पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदन जांचाधीन है। एक नई कॉपीराइट सोसायटी नामतः इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन (आईएसआरए), मुंबई को 14 जून 2013 को संशोधित कॉपीराइट नियम 2013 अधिनियम के तहत परफॉर्मर्स राइट्स सोसायटी फॉर सिंगर्स के रूप में पंजीकृत किया गया था।

कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012: कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 2012 को 7 जून 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इसे 8 जून, 2012 को अधिसूचित कर दिया गया था। संशोधित अधिनियम 21 जून 2012 से प्रभाव में आया। कॉपीराइट अधिनियम 1957 में संशोधन के मुख्य कारणों में डब्ल्यूसीटी तथा डब्ल्यूपीपीटी के अनुरूप अधिनियम को लाया जाना; संगीत और फिल्म उद्योग की रक्षा करना और उनकी चिंताओं को दूर करना; शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों की चिंताओं को दूर करना और किसी भी कार्य के लेखक के हितों की रक्षा करना, आकस्मिक परिवर्तन करना; परिचालन की सुविधाओं को दूर करना; और अधिकारों का प्रवर्तन करना शामिल है। कॉपीराइट अधिनियम, 2012 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन इस डिजिटल वातावरण में कॉपीराइट की सुरक्षा के विस्तार के रूप में हैं जैसे कि तकनीकी सुरक्षा उपायों और अधिकार प्रबंधन सूचना के जोड़तोड़ के लिए दंड, और इंटरनेट सेवा प्रदाता के दायित्व तथा कवर संस्करणों और प्रसारण संगठनों के लिए सांविधिक लाइसेंस की शुरुआत; लेखकों और संगीतकारों के लिए रॉयल्टी को प्राप्त करना, तथा कलाकारों के लिए अनन्य विशिष्ट आर्थिक और नैतिक अधिकार, लेखकों और अन्य यथार्थ स्वामियों के लिए कॉपीराइट सोसायटियों में समान सदस्यता अधिकार और शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों के लिए किसी भी कार्य का उपयोग करने के लिए अपवाद को सुनिश्चित करना है।

कॉपीराइट नियम, 2013: पुराने कॉपीराइट नियम, 1958 को प्रतिस्थापित करते हुए कॉपीराइट नियम, 2013 को 14 मार्च 2013 को अधिसूचित किया गया था। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ कॉपीराइट के त्याग की प्रक्रिया; जनता की ओर से रोके गए कार्य के मामले में अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने; किसी कृति को प्रकाशित अथवा

पुनः प्रकाशित करने (कुछ परिस्थितियों में); किसी भी भाषा में किसी साहित्यिक अथवा नाटकीय कार्य के अनुवाद का निर्माण और प्रकाशित करने; शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लाभार्थ लाइसेंस; कवर संस्करणों के लिए सांविधिक लाइसेंस प्रदान करने; साहित्यिक एवं संगीत संबंधी कार्यों तथा ध्वनि रिकॉर्डिंग के प्रसारण हेतु सांविधिक लाइसेंस प्रदान करने; कॉपीराइट सोसायटियों और कॉपीराइट पंजीकरण के पंजीकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं।

भारत में कॉपीराइट को लागू करना: वर्ष 2012 में यथा संशोधित कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अध्याय XII में अधिनियम की धारा 54-62 में सिविल उपचारों अर्थात् सूचना, हानि की व्यवस्था है। इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी कार्य या किसी अन्य अधिकार में कॉपीराइट के उल्लंघन के संबंध में इस अध्याय के तहत उत्पन्न होने वाले प्रत्येक मुकदमे या कोई अन्य सिविल कार्यवाइयां अपने क्षेत्राधिकार के तहत जिला न्यायालय में संस्थापित होंगी। इसके अतिरिक्त, कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अध्याय XIII में इस अधिनियम की धारा 63, 63ए, 63बी, 64, 65, 65ए, 65बी, 66, 67, 68, 68ए और 69 के तहत किए गए अपराधों के लिए दंडों की व्यवस्था है। राज्य सरकार अपने संबंधित पुलिस बलों के माध्यम से कॉपीराइट कानून को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं।

कॉपीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद (सीईएसी): इस, कॉपीराइट अधिनियम को लागू करने और अधिनियम को लागू करने में सुधार करने की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नवंबर 6, 1991 को स्थापित किया गया था। सीईएसी की अवधि तीन वर्षों की होती है और इसे तीन वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद पुनर्गठित किया जाता है। वर्तमान सीईएसी की अवधि 15/09/2012 को समाप्त हो गई थी और इसे 18.03.2013 को पुनर्गठित किया गया। नई पुनर्गठित कॉपीराइट प्रवर्तन परामर्श परिषद की दूसरी बैठक सचिव (उच्चतर शिक्षा) की अध्यक्षता में, दिनांक 19.11.2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

सचिव (उच्चतर शिक्षा) की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.2014 को विज्ञान भवन में आयोजित कॉपीराइट प्रवर्तन परामर्श परिषद की बैठक।



सीईएसी की बैठक में विचार-विमर्श



नोडल अधिकारी: इस मंत्रालय के अनुरोध पर, सभी राज्यों/संघ शासित राज्यों ने अपने संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कॉपीराइट प्रवर्तन तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ)

भारत, वर्ष 1976 से, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) का एक सदस्य है, जो डब्ल्यूआईपीओ के मामलों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। भारत बर्न कन्वेंशन और टीआरआई पीएस समझौते का भी एक सदस्य है। वर्ष के दौरान, इस मंत्रालय ने डब्ल्यूआईपीओ और इसकी समितियों द्वारा आयोजित बौद्धिक संपदा अधिकार और कॉपीराइट कार्यक्रमों विषयक निम्नलिखित बैठकों और सेमिनारों में प्रतिनिधित्व किया है:-

(i) डब्ल्यूआईपीओ एससीसीआर सत्र:

नेत्रहीन, या अन्य प्रकार से निःशक्त व्यक्तियों के कार्यों को प्रकाशित करने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 28 अप्रैल से 2 मई, 2014 तक जिनेवा में आयोजित कॉपीराइट पर स्थायी समिति के 27वें विशेष सत्र और मरक्केश संधि में भाग लिया। जिस पर 30 अप्रैल, 2014 को हस्ताक्षर किए गए और जिसे 30 जून, 2014 को अनुमोदित किया गया। भारत, मरक्केश संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था।

भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 30.06.2014 से 04.07.2014 तक जिनेवा में आयोजित एससीसीआर के 28वें सत्र में भाग लिया, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई (i) प्रसारण संगठनों का संरक्षण (ii) सीमाएं और अपवाद; पुस्तकालय और अभिलेखागार और अनुसंधान संस्थानों की सीमाएं और अपवाद।

तत्पश्चात, भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने 08.12.2014 से 12.12.2014 तक जिनेवा में आयोजित एससीसीआर के 29वें सत्र में भाग लिया, जिसमें इन पर चर्चा की गई (i) प्रसारण संगठनों का संरक्षण (ii) पुस्तकालयों और अभिलेखागारों की सीमाएं और अपवाद।

(ii) डब्ल्यूआईपीओ कार्यशाला

भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने सिंगापुर में 11.02.2014 को बीजिंग और मरक्केश संधि के कार्यान्वयन में आने वाले अवसरों और चुनौतियों पर डब्ल्यूआईपीओ की क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

तत्पश्चात, भारतीय प्रतिनिधि मंडल 2-13 फरवरी, 2015 तक टोकियो, जापान में कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों के संरक्षण पर डब्ल्यूआईपीओ की विशेष कार्यशाला में भाग लेगा।

कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रोत्साहन हेतु योजना

बौद्धिक संपदा शिक्षा, अनुसंधान और सार्वजनिक पहुंच नामक योजना (जिसका अब कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रोत्साहन हेतु योजना के रूप में पुनः नामकरण किया गया है) को तीन संबंधित योजनाओं नामतः (i) कॉपीराइट मामलों पर सेमिनार और कार्यशाला को आयोजित करने की योजना; (ii) बौद्धिक संपदा अधिकार अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता की योजना और (iii) डब्ल्यूटीओ अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता का विलय करके दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रारंभ की गई थी। कॉपीराइट/आईपीआरएस और डब्ल्यूटीओ मामलों पर जागरूकता/अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के काम के प्रभावशाली कार्यान्वयन हेतु यह विलय उपयोगी सिद्ध हुआ है।

लक्ष्य और उद्देश्य

- (i) विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा के अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना।
- (ii) कॉपीराइट जनता और आईपीआर मामलों के बारे में जनसाधारण एवं शैक्षिक समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करना।
- (iii) उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आईपीआर में विशिष्ट पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने को विकास और प्रोत्साहित करना।
- (iv) कॉपीराइट और संबंधित मुद्दों के बारे में प्रवर्तन कमियों, अर्थात् राज्य पुलिस/कस्टम अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- (v) कॉपीराइट मामलों/आईपीआर मामलों के संबंध में कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, और अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- (vi) विश्व व्यापार संगठन के मामले में ज्ञान संसाधनों का सृजन करना।
- (vii) विश्व व्यापार संगठन के मामले में नीति निर्धारण के लिए इनपुट्स का विकास करना।
- (viii) विश्व व्यापार संगठन के मामले में वार्ता संबंधी कार्यनीतियों का विकास करना।
- (ix) विश्व व्यापार संगठन के मामले में पाठ्यक्रम जागरूकता का विकास करना।

- (x) क्षेत्रीय सहयोग और क्षेत्रीय प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं की कार्यनीतियां तैयार करना।

स्कीम का कार्यक्षेत्र

इस योजना के तहत, यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों, अन्य मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, पंजीकृत कॉपीराइट सोसायटियों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

- उच्चतर शिक्षा और उसके साथ-साथ विश्व व्यापार संगठन के अध्ययन के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के अध्ययनों के लिए पीठों की स्थापना।
- पाठ्यक्रम सहित शिक्षण अध्ययन सामग्री विकसित करने के लिए राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन करना।
- बौद्धिक संपदा अधिकार और गैट्स के अध्ययन के संबंध में सेमिनार, कार्यशालाओं आदि का आयोजन करना।
- एक नोडल संस्था में बौद्धिक संपदा अधिकार और विश्व व्यापार संगठन के साहित्य/सामग्री/मामलों का अध्ययन करने के लिए एक कोष की स्थापना करना।
- प्रत्यक्ष शिक्षा के साथ-साथ दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा सेवाओं में बौद्धिक संपदा अधिकार पाठ्यक्रम/गैट्स के विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करने के साथ-साथ इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त संसाधन व्यक्तियों को नियुक्ति करना।
- बौद्धिक संपदा अधिकार और गैट्स: विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था विषय पर शिक्षा के पाठ्यक्रमों के संभावित संकाय के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।
- देश के हितों से संबंधित नए और विलयित हो रहे बौद्धिक संपदा अधिकार क्षेत्रों/विश्व व्यापार संगठन: गैट्स के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक, कानूनी और प्रौद्योगिकी पहलुओं में अनुसंधान के आयोजन के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप प्रदान करना।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा गठित शैक्षणिक सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित करना और उनके निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- कॉपीराइट और संबद्ध अधिकारों के मुद्दों पर राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करना।
- कॉपीराइट कानून के प्रवर्तन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन करना।
- क्षेत्रीय स्तर बैठकों का आयोजन करना और सार्क तथा एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्र से व्यक्तियों के साथ बैठक का आयोजन करना।
- क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था के विकास के लिए क्षेत्रीय स्तर की बैठकों का आयोजन करना।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय बौद्धिक संपदा अधिकार पीठ (आईपीआर पीठ)

इस योजना के तहत आईपीआर शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के विकास और वृद्धि के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में 19 एमएचआरडी-आईपीआर पीठों को अब तक स्थापित किया गया है। इन 19 मानव संसाधन विकास मंत्रालय-बौद्धिक संपदा अधिकार पीठों में से छह (6) आईपीआर चेयर विश्वविद्यालयों (अर्थात् सीयूएसएटी, कोचीन, दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली, मद्रास विश्वविद्यालय और तेजपुर विश्वविद्यालय) में हैं, छह (6) आईपीआर चेयर आईआईटी (दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मुंबई, रुड़की और मद्रास) में हैं, पांच (5) आईपीआर चेयर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलएसआईयू, बंगलौर, एनएलएसएआर, हैदराबाद; डब्ल्यूबीएनयूजेएस, कोलकाता, एनएलआईयू, भोपाल और एनएलआईयू, जोधपुर में हैं) और दो (2) चेयर आईआईएम (कोलकाता और बंगलौर) में हैं। इन पीठों में से कुछ ने आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को तैयार किया है, संकाय सदस्यों की नियुक्ति की है और पूर्ण रूप से कार्य आरंभ कर दिया है, जबकि कुछ अन्य संचालन के विभिन्न चरणों में हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय- बौद्धिक संपदा अधिकार चेयर के कार्य: योजना के मानदंडों के अनुसार, मंत्रालय को नीति समर्थन प्रदान करने के अतिरिक्त प्रत्येक मानव संसाधन विकास मंत्रालय-बौद्धिक संपदा अधिकार चेयर को उच्चकोटि के शोध कार्य करने होते हैं जिसके परिणामस्वरूप उच्च मूल्य के शैक्षिक प्रलेख तैयार होते हैं, आईपीआर अनुसंधान में रुचि बनाने तथा बनाए रखने के लिए उन्हें प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के एक कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक आईपीआर सम्मेलन तथा आईपीआर मुद्दों पर एक सेमिनार अथवा कार्यशाला का आयोजन करना अपेक्षित होता है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)

1 जनवरी, 1995 से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के उद्भव के साथ, सेवाओं में व्यापार के प्रगतिशील उदारीकरण के उद्देश्य से, सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर एक व्यापक समझौता करने के लिए अग्रणी कई दौर की वार्ता हो चुकी है। शुरुआत में वे गैट्स के तहत संचालित की गईं और इनका ध्यान माल व्यापार पर संकेंद्रित रहा। वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन के उद्भव के साथ इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ और इसमें सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा को शामिल किया गया। शिक्षा को, 12 सेवाओं में से एक के रूप में पहचाना गया है।

गैट्स की आधारभूत संरचना:

- मुख्य पाठ में निहित सामान्य दायित्व और विषय (अर्थात् एमएफएन);
- विशिष्ट क्षेत्रों के लिए नियमों से संबंधित संलग्नक;

- किसी सदस्य द्वारा बाजार तक पहुंच प्रदान करने, किसी अनुप्रयुक्त अनुप्रयोग प्रदान करने से संबंधित व्यक्तिगत विशिष्ट प्रतिबद्धताएं (अर्थात् बाजार तक पहुंच, राष्ट्रीय व्यवहार तथा संदर्भ पत्रों का पालन)।

“सरकारी अधिकार का प्रयोग करते हुए सेवाओं की आपूर्ति” को छोड़कर, गैट्स सभी सेवा क्षेत्रों के लिए सिद्धांत रूप में लागू होता है। ये वे सेवाएं हैं जिनकी आपूर्ति न तो वाणिज्यिक आधार पर ही जाती है और न ही अन्य आपूर्तिकर्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धा में। इन पर वार्ता, ‘प्रस्ताव’ और ‘अनुरोध’ के दृष्टिकोण की रूपरेखा के तहत होती है। देशों द्वारा उनके आंतरिक बाजार के लिए उपयोग हेतु व्यापार पाने के लिए विदेशी सेवा प्रदाता को प्रस्ताव भेजा जाता है। इसी प्रकार से देशों द्वारा अपने बाजारों तक पहुंच प्रदान करने के लिए अपने साथियों से अनुरोध किया जाता है। गैट्स सेवाओं के व्यापार को, आपूर्ति के चार मोड़ के माध्यम से होने वाले के रूप में परिभाषित करता है जो सभी शिक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। गैट्स/डब्ल्यूटीओ व्यापार के निम्नलिखित चार मोड़ का उल्लेख शिक्षा सेवा सहित, सेवाओं के रूप में करता है:

- **सीमा पार आपूर्ति:** इंटरनेट (दूरस्थ शिक्षा, टेली शिक्षा, शिक्षा परीक्षण सेवाओं) के माध्यम से शिक्षा सेवाओं का संवितरण।
- **विदेश में उपभोग:** उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रों का एक से दूसरे देश की ओर आना-जाना।
- **वाणिज्यिक उपस्थिति:** विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा अन्य देशों में स्थानीय शाखा कैंपसों अथवा सहायक संस्थाओं की स्थापना, विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्रियां प्रदान करने के लिए घरेलू निजी कॉलेजों द्वारा पाठ्यक्रमों की पेशकश, ट्विनिंग, फ्रेंचाइसिस।
- **प्राकृतिक व्यक्तियों का आवागमन:** विदेशों में शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए शिक्षकों, व्याख्यान दाताओं और शिक्षा कर्मियों का अस्थायी आवागमन।

इन विधियों में से प्रत्येक में, बाजार तक पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार की शर्त पर अपवाद दिए जा सकते हैं। “शिक्षा सेवा” के तहत उच्च शिक्षा क्षेत्र में खोलने के लिए भारतीय ओर से संशोधित प्रस्ताव इस शर्त के साथ था कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एक उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फीस वसूल करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है बशर्ते यह फीस कैपिटेशन शुल्क या मुनाफाखोरी के लिए न हो। उच्चतर शिक्षा सेवाओं के प्रावधान भी उन नियमों की शर्त पर आधारित हों जो पहले से ही स्थापित हों अथवा उन्हें उचित नियामक प्राधिकरण ने निर्धारित करना हो।

शिक्षा के क्षेत्र में गैट्स के तहत मुख्य उप क्षेत्र हैं: (i) प्राथमिक शिक्षा (सीपीसी 921); (ii) माध्यमिक शिक्षा (सीपीसी 922); (iii) उच्चतर शिक्षा (सीपीसी 923); (iv) माध्यमिक तकनीकी और व्यावसायिकोत्तर, विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा समकक्ष; (v) प्रौढ़ शिक्षा और (सीपीसी 924); (vi) अन्य शिक्षा (सीपीसी 929)।

सभी कार्यक्रमों के दो अनुभाग हैं: (i) क्षेत्रीय प्रतिबद्धता अनुभाग, जो उन सीमाओं को स्थापित करता है जो अनुसूची में सूचीबद्ध सभी क्षेत्रों पर लागू होती हैं; और (ii) सेवाओं का वह विशेष व्यापार, जो किसी क्षेत्र विशेष अथवा उप क्षेत्र पर लागू होता है। किसी देश के क्षेत्र विशेष की विशिष्ट प्रतिबद्धता का निर्धारण करने में, समग्र क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

सेवाओं अनुसूची में दी गई एक “विशिष्ट प्रतिबद्धता” देश की अनुसूची में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार सूचीबद्ध सेवा के लिए बाजार तक पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार प्रदान करने से संबंधित प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये प्रतिबद्धताएं कानूनी रूप से बाध्यकारी होती हैं और एक बार यदि किसी विशिष्ट प्रकार की प्रतिबद्धता कर दी जाती है, तब वह सरकार “बाजार पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार के उस विशिष्ट स्तर तक के लिए बाध्य होती है और बाद में, उसके लिए ऐसे उपाय नहीं किए जाएंगे जो उन बाजारों में उसके प्रवेश को प्रतिबंधित कर देंगे।

बाजार पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार की प्रतिबद्धताएं और सीमाएं प्रत्येक से संबंधित आपूर्ति की विधि के रूप में सेवा अनुसूची में प्रविष्ट होती हैं। इसलिए, उच्चतर शिक्षा सेवाओं के उप क्षेत्र से संबंधित एक प्रतिबद्धता (जो शिक्षा सेवा उप क्षेत्र के भीतर है और परिणामस्वरूप शिक्षा सेवाओं के व्यापक क्षेत्रीय वर्गीकरण के भीतर है) के आठ केन्द्र होंगे: इनमें से 4 बाजार प्रवेश के कॉलम में (आपूर्ति की 4 भिन्न रीतियों में प्रत्येक के लिए एक) और 4 राष्ट्रीय व्यवहार की सीमाओं के कॉलम के अंतर्गत होंगे।

इन प्रविष्टियों में पढ़ा जाए कि “कुछ भी नहीं” का तात्पर्य है कि शिक्षा सेवाओं के राष्ट्रीय व्यवहार में किसी प्रकार की सीमाएं नहीं हैं और ये (i) सीमा पार आपूर्ति (ii) विदेश में खपत और (iii) वाणिज्यिक उपस्थिति से संबद्ध है। शिक्षा सेवाओं की आपूर्ति की “विदेश में खपत” रीति में बाजार प्रवेश की किसी प्रकार की सीमाएं भी नहीं हैं।

तथापि, जहां भी अनुसूची में “निर्बाध” निर्दिष्ट किया जाता है वह अभिज्ञात आपूर्ति की रीति के संदर्भ में और इसमें उल्लिखित शर्तों (जैसे कि एकाधिकार अथवा क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं की समाप्ति) के आधार पर बाजार प्रवेश तथा राष्ट्रीय व्यवहार पर सीमाएं लागू कर सकता है। गैट्स ढांचे के तहत शिक्षा सेवाओं में भारत सरकार के प्रस्ताव नीचे दिए गए हैं:

शिक्षा सेवा		
	बाजार प्रवेश	राष्ट्रीय व्यवहार
प्राथमिक शिक्षा सेवा (सीपीसी 921)	निर्बाध	
माध्यमिक शिक्षा सेवा (सीपीसी 922)		
उच्चतर शिक्षा सेवा (सीपीसी 923)	<ol style="list-style-type: none"> कुछ भी नहीं, इस शर्त के साथ होगा कि सेवा प्रदाता, विनियमों के शर्त पर होगा जो कि मूल उत्पत्ति के देश में घरेलू प्रदाता के लिए लागू हैं और भारत के घरेलू प्रदाता पर लागू हैं। कुछ भी नहीं “कुछ भी नहीं” की शर्त ये होगी कि वसूल की जाने वाली फीस को एक उचित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और यह कि उस फीस के आधार पर कैंपिटेशन फीस अथवा मुनाफाखोरी नहीं की जाएगी, इसके अलावा बशर्ते इन विनियमनों को पहले ही स्थापित किया गया है और इन्हें उचित विनियामक प्राधिकरण में उल्लिखित किया जाना है। क्षैतिज खंड में उल्लिखित अनुसार के अलावा निर्बाध। 	<ol style="list-style-type: none"> कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं इन्हें यूजीसी अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी से किसी प्रकार की सहायता अथवा सहयोग राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा अथवा वे घरेलू सेवा प्रदाता को उपलब्ध होने वाली किसी प्रकार की राज सहायता को प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। क्षैतिज खंड में उल्लिखित अनुसार के अलावा निर्बाध।
प्रौढ़ शिक्षा सेवा (सीपीसी 924)	निर्बाध	
अन्य शिक्षा सेवा (सीपीसी 929)		

पुस्तक संवर्धन

पुस्तकें, मानव मस्तिष्क की सृजनात्मकता और ज्ञान की अभिव्यक्ति और लोगों एवं राष्ट्र के ज्ञान का आइना होती हैं। पुस्तकें सदैव समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुस्तक संवर्धन प्रभाग के पास समाज के सभी वर्गों के लिए पुस्तकों की आसान पहुंच बनाने, पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने, पुस्तक प्रकाशन के विकास हेतु सहायता प्रदान करने और समान्य प्रचलित साहित्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय पुस्तक न्याय के माध्यम से अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया (एनबीटी)

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक शीर्ष निकाय है जिसे 1957 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा इस ट्रस्ट के माध्यम से उत्कृष्ट पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने को और उन्हें जनसाधारण को कम दाम पर उपलब्ध करवाना अधिदेशित है। ट्रस्ट के लिए पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों की व्यवस्था करने और देश में लोगों के मन को पुस्तकों के प्रति रुचिकर बनाने के लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाना अधिदेशित है।

ट्रस्ट के कार्यकलाप

(क) प्रकाशन

यह ट्रस्ट सामान्य पठन सामग्री का प्रकाशन करता है, जिसमें समाज के सभी खंडों तथा सभी आयु समूह वर्गों के लिए काल्पनिक कथाएं, सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रकाशन शामिल होते हैं। यह ट्रस्ट नव साक्षरों, बालकों के लिए पुस्तकें तथा साक्षरता पश्चात उपयोग हेतु एक विस्तृत विविधतायुक्त पठन सामग्री का प्रकाशन भी करता है। एनबीटी प्रकाशन अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में मामूली दाम पर होते हैं। एनबीटी द्वारा 19 श्रृंखलाओं के तहत पुस्तकें प्रकाशित होती हैं जैसे कि (क) भारत-देश और इसके लोग (ख) लोकप्रिय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान (ग) लोकगीत (घ) उन भारतीयों की राष्ट्रीय जीवनी और आत्मकथा जिन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि के विकास की दिशा में उत्कृष्ट योगदान दिया है (ङ) नेहरू बाल पुस्तकालय (च) रचनात्मक अध्ययन (छ) नव साक्षरों के लिए पुस्तकें (ज) विभिन्न क्षेत्रों के रचनात्मक साहित्य के आदान-प्रदान से राष्ट्रीय एकता बनाने के लिए आदान-प्रदान (झ) भारतीय साहित्य (ण) भारतीय के छितरे अध्ययन (ट) सामान्य श्रृंखलाएं और (ठ) ब्रेल पुस्तकें।

भारत के प्रकाशन क्षेत्र में वर्तमान में तकनीकी विकास और विशेष रूप से युवाओं में पढ़ने की पद्धति में परिवर्तन के कारण तेजी से परिवर्तन का समय चल रहा है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, यह ट्रस्ट अपने प्रकाशन और पुस्तकों से संबंधित संवर्धनात्मक गतिविधियों में अभिनव परिवर्तन लाते हुए इस बदलते पर्यावरण के अनुकूल बनने के प्रयास कर रहा है। ट्रस्ट, सभी विषयों पर सभी आयु समूहों के लिए पुस्तकों की एक विस्तृत विविधता प्रदान करने में सक्षम हो गया है। अपनी चल रही गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए, ट्रस्ट ने विभिन्न अल्प भाषाओं जैसे कि धुरबी, डोरली, गोंडी आदि में पुस्तकों के प्रकाशन की ओर भी विशेष प्रयास आरंभ कर दिए हैं। ट्रस्ट प्रकाशन की उन शैलियों की ओर विशेष ध्यान दे रहा है जिन्हें अपने महत्व के बावजूद भारत के अन्य प्रकाशकों द्वारा पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया गया है। इसके साथ-साथ, राजीव गांधी-लॉगोवाल समझौते के अंतर्गत, ट्रस्ट द्वारा पंजाबी भाषा, इसके साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी में चुनिंदा पुस्तकें प्रकाशित करता है। वर्ष 2014 के दौरान, ट्रस्ट द्वारा अंग्रेजी, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में 1519 शीर्षकों का प्रकाशन निम्नानुसार किया गया है:

वर्ष 2014 में एनबीटी द्वारा प्रकाशित शीर्षकों की संख्या

क्र.सं.	भाषा	मूल	अनुवादित	पुनः मुद्रित	संशोधित	कुल
1.	अंग्रेजी	31	-	365	03	399
2.	हिन्दी	65	15	666	07	753
3.	असमिया	-	-	62	-	62
4.	बंगला	06	06	21	01	34
5.	धुरबी	-	04	-	-	04
6.	डोरली	-	04	-	-	04
7.	गोंडी	-	04	-	-	04
8.	गुजराती	-	04	1	-	05
9.	कन्नड़	-	07	15	-	22
10.	कश्मीरी	01	05	-	-	06
11.	मलयालम	-	02	22	-	24
12.	मराठी	-	06	71	01	78
13.	उडिया	04	06	-	-	10
14.	पंजाबी	10	05	-	-	15
15.	तमिल	01	08	-	-	09
16.	तेलुगू	02	04	-	-	06
17.	उर्दू	03	03	77	01	84
	कुल	123	83	1300	13	1519

एनबीटी प्रकाशनों की बिक्री और वितरण

एनबीटी प्रकाशनों को वर्तमान में प्रत्यक्ष बिक्री, एजेंटों, वितरकों और राज्य सरकारों के थोक आपूर्ति के माध्यम से संवर्धित किया जा रहा है। प्रकाशनों का विक्रय नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बंगलौर में स्थित एनबीटी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, एनबीटी पुस्तकें अब कश्मीरी गेट और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर भी उपलब्ध हैं। एनबीटी के पुस्तकें संपूर्ण देश के एनबीटी पुस्तक संवर्धन केन्द्रों पर भी बेची जाती हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान ट्रस्ट ने 25 करोड़ रुपये के प्रकाशन की कुल बिक्री दर्ज की है।

पुस्तक संवर्धन केन्द्र

पुस्तकों के प्रचार से संबंधित गतिविधियों को सुदृढ़ करने को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में एक पुस्तक संवर्धन केन्द्र (बीपीसी) की स्थापना की जा रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, चेन्नई में पहले के वर्तमान केन्द्रों के अतिरिक्त कोची, पटना, हैदराबाद, अगरतला, गुवाहाटी और कटक में पुस्तक संवर्धन केन्द्र खोले गए हैं।

भारत में पुस्तक मेलों का आयोजन

वर्ष के दौरान, ट्रस्ट ने सम्पूर्ण देश में 9 पुस्तक मेले आयोजित किए जिसमें मंगलौर पुस्तक मेला (4-12 जनवरी, 2014); रामानाथापुरम पुस्तक मेला (25 जनवरी से 2 फरवरी, 2014); पैरमबलूर पुस्तक मेला (31 जनवरी से 9 फरवरी, 2014); मालदीव पुस्तक मेला (16 से 22 जून, 2014); शिमला पुस्तक मेला (30 जून से 6 जुलाई, 2014); तिरुनेलवेली पुस्तक मेला (18 से 27 जुलाई, 2014);

तिरुवनंतपुरम पुस्तक मेला (4 से 12 अक्टूबर, 2014); उत्तरी दिल्ली नगर निगम पुस्तक उत्सव (13 से 18 दिसम्बर, 2014) और इन्दौर पुस्तक मेला (6-14 दिसम्बर, 2014) शामिल हैं।



डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, एनबीटी, रामानाथमपुरम पुस्तक मेले (तमिलनाडु) के उद्घाटन समारोह में।

नई दिल्ली पुस्तक मेले 2014 का आयोजन

ट्रस्ट ने 15 से 23 फरवरी 2014 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में वार्षिक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2014 का आयोजन किया। यह मेला भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया। श्री प्रणव मुखर्जी, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। मेले के 1000 से भी अधिक प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं और वितरकों ने भाग लिया जिसमें 26 देशों जैसे फ्रांस, ईरान, जापान, नेपाल, पोलैंड, पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया और सऊदी अरेबिया से विदेशी प्रतिभागियों ने भाग लिया।



मानव संसाधन विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, 14 फरवरी, 2015 को नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट द्वारा आयोजित विश्व पुस्तक मेला-2015 के उद्घाटन समारोह को संबोधन करती हुई।

मेले का विषय *कथासागर: सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रन लिटरेचर* था। थीम पवेलियन में बच्चों के लेखकों और व्याख्याताओं जैसे रस्किन बांड, अबिद मुरती, पेरो आनंद, कश्मा शर्मा, नीना सैबनैटिक के साथ कहानी सुनाने के सत्र और परस्पर बातचीत के सत्र, पैनल विचार-विमर्श, कार्यशालाएं, काउंसलिंग सत्र आयोजित किए गए। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2014 में मुख्य अतिथि देश पोलैंड था। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के अन्य मुख्य विशेषताएं ऑथर कार्नर, किड्स बबल, सीओ स्पीक ओवर चैयरमैनस ब्रेकफास्ट, नई दिल्ली राइट टेबल एंड “देशज” थे।

अगला नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 14 से 22 फरवरी, 2015 तक आयोजित किया जाना है। मेले का विषय पूर्वोत्तर की लोक परम्परा, साहित्य पर फोकस करना होगा। मेले में सिंगापुर मुख्य अतिथि देश होगा और दक्षिण कोरिया देश पर विशेष फोकस किया जाएगा। मेले के दौरान आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में आर्थर्स कार्नर, सीओ स्पीक और न्यू दिल्ली राइट टेबल शामिल है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत और एसएपीपी आरएफटी, चीन गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत और चीन गणराज्य के राज्य प्रेस प्रशासन, प्रकाशन, रेडियो, फिल्म और टेलीविज़न के बीच सहयोग पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री और चीन के माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति में हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली में 18 सितम्बर, 2014 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के अनुसार, चीन, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2016 में मुख्य अतिथि देश होगा और एमएपीपीआरएफटी, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2016 के दौरान अनेक सांस्कृतिक और प्रकाशन आदान-प्रदान संबंधी कार्यक्रमों को आयोजित करेगा।

भारतीय पुस्तकों को विदेश में प्रोत्साहित करने के लिए, न्यास विभिन्न भारतीय प्रकाशकों द्वारा लाए गए भारतीय प्रतिनिधि प्रकाशन के एक वर्ग द्वारा आयोजित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेता है। वर्ष 1970 से, न्यास ने 330 से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लिया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यास ने ऐसे 8 अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लिया, जिसमें विख्यात बोलोग्ना बाल पुस्तक मेला (24 से 27 मार्च 2014); अबु दुबई अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (30 अप्रैल से 5 मई 2014); नेपाल शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (29 मई से 5 जून 2014); एशियाई बाल सामग्री उत्सव (30 मई से 4 जून 2014); सियोल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (11-22 जून 2014); बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (11-22 जून

2014); फ्रैंकफर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (8-12 अक्टूबर 2014); और शारजहा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला (5-16 नवम्बर 2014) शामिल हैं।

भारत- एशियाई बाल सामग्री उत्सव, 2014 में फोकस में रहने वाला देश

भारत 30 मई से 4 जून 2014 को राष्ट्रीय पुस्तकालय भवन, सिंगापुर में आयोजित एशियाई बाल सामग्री उत्सव में फोकस वाला देश था। श्री लॉरेंस वांग, संस्कृति मंत्री, समुदाय और युवा और द्वितीय मंत्री, सूचना और संचार मंत्री ने उत्सव का उद्घाटन किया। श्रीमती विजय ठाकुर सिंह सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त इस अवसर पर मुख्य अतिथि थीं। भारतीय प्रस्तुति में अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती और तमिल में हाल ही में प्रकाशित 200 से भी अधिक बच्चों की पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनी, भारत में बच्चों के साहित्य और उदाहरणात्मक सामग्रियों के दृश्य यात्रा को प्रदर्शित करने वाले पैनल के विशेष समूह, भारतीय मिथ्य और कहानी सुनाने की परम्परा से न्यास, गणेश, तेनालीराम, बीरबल, स्वामी आदि जैसे प्रसिद्ध चरित्रों के कटआउट शामिल हैं। भारतीय पवेलियन में अनेक साहित्यिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।

पुस्तक परिक्रमा- ग्राम स्तरीय सचल प्रदर्शनी का आयोजन

ट्रस्ट, संपूर्ण देश में जहां पर्याप्त पुस्तकों की दुकानें नहीं हैं वहां दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण स्तरीय पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित करता रहा है। अभी तक पूर्वोत्तर राज्यों सहित संपूर्ण देश में 12000 से भी अधिक मोबाइल प्रदर्शनियां आयोजित की जा चुकी हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान ट्रस्ट ने छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में लगभग 900 स्थानों पर मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की हैं।

राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र (एनसीसीएल)

राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र की स्थापना भारत की सभी भाषाओं में बच्चों के साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1993 में की गई थी। एनसीसीएल, देश में बच्चों की पुस्तकों के सृजन और अनुवाद तथा बच्चों के लिए पुस्तकों के प्रकाशन की मॉनीटरिंग, संयोजन, योजना और सहायता प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। एनसीसीएल को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य, बच्चों के साहित्य के तीव्र और संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त

भारतीय और विदेशी सामग्री और विशेषता को उपलब्ध कराना है। एनसीसीएल स्कूल में रीडर क्लब के माध्यम से बच्चों के बीच पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित भी करता है और माता-पिता, शिक्षकों, शिक्षाविदों और योजनाकारों के बीच बच्चों के साहित्य पर सूचना को प्रोत्साहित करता है। स्कूल स्तर पर बच्चों की पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित और विकसित करने की दृष्टि से एनसीसीएल देशभर में स्कूलों में रीडर क्लब स्थापित करने को प्रोत्साहित करता है और बच्चों के साहित्य से संबंधित सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्यक्रम भी आयोजित करता है। अब तक देशभर में 35,000 रीडर क्लब स्थापित किए जा चुके हैं। समीक्षा अवधि के दौरान एनसीसीएल ने देशभर के विभिन्न भागों मीट-दी-आर्थर कार्यक्रम, कहानी सुनाने के सत्र, कार्यशालाएं, सेमिनार, पाठक क्लब अभिमुखी कार्यक्रम और अन्य बच्चों के कार्यकलापों के अतिरिक्त 700 रीडर क्लब स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, रीडर क्लब बुलेटिन के 12 मासिक संस्करणों, बच्चों के बीच पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए द्विभाषी पत्रिका भी निकाली है। इस अवधि के दौरान, देश के विभिन्न स्थानों में 29 कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का आयोजन

प्रत्येक वर्ष 14 से 20 नवम्बर तक राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह के दौरान ट्रस्ट, लोगों को पुस्तकों के बारे में जागरूक करने के लिए देश में अनेक पुस्तक प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित करता है। इस वर्ष राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह बहुत ही गहनता से आयोजित किया गया, कुछ नई पहलें की गईं और आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे देशों के दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय स्थानों पर विशेष ध्यान दिया गया। इस समारोह में देशभर से विभिन्न स्कूलों और गैर-सरकारी संगठनों के बच्चों ने भाग लिया। एनबीटी ने देशभर में पुस्तक प्रदर्शनी भी आयोजित की है। अनेक पुस्तक प्रोत्साहन कार्यक्रमों के अतिरिक्त देशभर में सेमिनार, पुस्तक समीक्षा सत्र, मीट-दी-आर्थर कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, पुस्तक विमोचन कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

एनबीटी स्थापना दिवस का आयोजन

57वें स्थापना दिवस समारोह के भाग के रूप में “बुक्स एंड रीडिंग्स इन टूडेस इंडिया” पर दिनांक 01.08.2014 को एनबीटी मुख्यालय वसन्त कुंज में तीसरा एनबीटी स्थापना दिवस समारोह का तीसरे दिन व्याख्यान आयोजित किया गया। सुश्री शशि देशपांडे प्रख्यात लेखिका इस अवसर पर अतिथि वक्ता थीं। प्रो. के.सच्चिदानंद, प्रख्यात कवि और लेखक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

बुक क्लब

बुक क्लब योजना, पुस्तकों और सर्वसाधारण के बीच पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। इस अवधि के दौरान, ट्रस्ट द्वारा बुक क्लब के 1080 नए सदस्यों को नामांकित किया है। इस योजना में सभी एनबीटी प्रकाशनों पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।

सेमिनार, कार्यशालाओं और पुस्तकों के विमोचन तथा प्रकाशकों और मीट द आर्थर कार्यक्रम जैसी साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ट्रस्ट ने भारत में खाद्य सुरक्षा नामक एनबीटी द्वारा हाल ही में प्रकाशित और श्री अरविंदो संस्कृति संस्थान कोलकाता में (16 से 19 नवम्बर 2014) कोलकाता बाल साहित्य उत्सव सहित 100 से भी अधिक साहित्यिक गतिविधियां जैसे सेमिनार; मीट द आर्थर कार्यक्रम, पुस्तक संवर्धन के लिए कार्यशाला और पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किए।



भारत पेविलियन में फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला 2014

भाषा सलाहकार पैनल की बैठकें

ट्रस्ट ने संबंधित भाषाओं के प्रकाशन कार्यक्रम पर ट्रस्ट को सलाह देने के लिए प्रख्यात लेखकों, अनुवादकों, शिक्षाविदों और प्रकाशकों को शामिल करते हुए प्रत्येक भारतीय भाषा के लिए सलाहकार पैनल का गठन किया है। वर्ष के दौरान, ट्रस्ट द्वारा मैथिली, उर्दू और कश्मीरी भाषा में सलाहकार पैनल की तीन बैठकों का आयोजन किया गया।

वित्तीय सहायता कार्यक्रम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ट्रस्ट की पुस्तक संवर्धन गतिविधियों से संबंधित सेमिनार/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं/वार्षिक सम्मेलन/पुस्तक मेले आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक/निजी संगठनों को वित्तीय सहायता योजना प्रदान की। वर्ष 2014 के दौरान

पुस्तक मेले/प्रदर्शनी/सेमिनार, कार्यशालाएं आदि आयोजित करने के लिए अनुमोदित व्यय के 75% को पूरा करने के लिए ट्रस्ट द्वारा 211 संगठनों को अनुदान जारी किया गया।

इसके अतिरिक्त, ट्रस्ट ने लेखकों और प्रकाशकों को उचित मूल्य पर विश्वविद्यालयी स्तर के पाठ और संदर्भ पुस्तकें और इस सब्सिडी योजना के तहत चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए सहायता भी प्रदान करता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इस योजना के तहत 68,496 रुपये वित्तीय अनुदान के साथ एक शीर्षक प्रकाशित किया गया।

भारतीय पुस्तकों को विदेशों में प्रोत्साहित करने के लिए ट्रस्ट ने अनुवाद के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, ट्रस्ट द्वारा उन विदेशी प्रकाशकों को, जो भारतीय पुस्तकों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करने के इच्छुक हैं, वित्तीय सहायता दी जाएगी। वर्ष के दौरान, समिता अरानी को उनकी इटालियन भाषा में अनुवाद के लिए पुस्तक 'दी मिसिंग क्वीन' के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई जो पहले जुबान द्वारा प्रकाशित की गई थी। इटालियन संस्करण एलआईटी. एडीजीओनी द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके अतिरिक्त, फ्रांस और जर्मनी से दो प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

पुस्तक प्रकाशन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

ट्रस्ट, प्रकाशन उद्योग के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों का टेलेंट पुल बनाने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में पुस्तक प्रकाशन में अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन भी करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान चेन्नई और नई दिल्ली में दो अल्पावधि प्रकाशन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।



भारत के माननीय प्रधानमंत्री और चीन गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति में हैदराबाद हाऊस, नई दिल्ली में एनबीटी और एसएपीपीआरएफटी, चीन जनवादी गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, एनबीटी रामनाथपुरम पुस्तक मेले (तमिलनाडु) के उद्घाटन समारोह में।

राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद्

राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद् (एनबीपीसी) अन्य बातों के साथ-साथ लेखन/पुस्तकों पर लेखक का अधिकार, पुस्तकों का उत्पादन, प्रकाशन और विक्रय, कीमतें और कॉपीराइट, पुस्तक पठन की आदत, भारतीय भाषाओं में विभिन्न आयु वर्गों की जनसंख्या के लिए पुस्तकों की पहुंच और सामान्य रूप से भारतीय पुस्तकों की गुणवत्ता और पाठ को शामिल करते हुए प्रकाशन उद्योग की समस्याओं और पुस्तक संवर्धन के सभी मुख्य पहलुओं पर विचारों के आदान-प्रदान को सुकर बनाने के लिए परामर्शी निकाय के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन परिषद् को 21 अक्टूबर, 2011 को देश में पुस्तकों के क्षेत्र में प्रख्यात व्यक्तियों और अन्य स्टेकहोल्डरों को सदस्य के रूप में आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए शामिल करते हुए पुनर्गठित किया गया और इसे पुनः पुनर्गठित किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी (आईएसबीएन)

अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी (आईएसबीएन), उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारतीय प्रकाशकों, लेखकों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और सरकारी विभागों जो पुस्तकों के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी हैं, के कार्यों को पंजीकृत करने में संलग्न हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशक पहचान संख्या होती है जो कि मोनोग्राफिक प्रकाशनों के लिए बनी है। पूर्व में आईएसबीएन दस-अंकों की संख्या होती थी जिसे 01.01.2007 से 13 अंकों की संख्या में बदला गया है, जिसे लम्बी पुस्तक संबंधी सूची के वर्णनात्मक रिकार्ड के रखरखाव को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया। आईएसबीएन विश्वभर में मशीन द्वारा पढ़ी जाने वाली छोटी और स्पष्ट पहचान संख्या के रूप में जानी जाती है, जो किसी भी पुस्तक को असंदिग्ध रूप से पहचान योग्य बनाता है। यह पुस्तक व्यापार में आधुनिक वितरण और राष्ट्रीय अवसरों में एक आवश्यक साधन है।

प्रारंभ से, राष्ट्रीय एजेंसी ने विभिन्न वर्गों में 33,549 उपाधियां आवंटित की हैं। आईएसबीएन प्राप्त करने के लिए, अन्य आवश्यकताओं से साथ आवेदन भरा जाना चाहिए। आवेदन पत्र मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है या यह व्यक्तिगत रूप से भी लिया जा सकता है या एजेंसी से अनुरोध पर पोस्ट द्वारा मंगाया जा सकता है। आईएसबीएन का पंजीकरण निःशुल्क है। अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांक के लिए राजा राम मोहन राष्ट्रीय एजेंसी, 4 तल, जीवनदीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 में स्थित है।

बर्लिन में आयोजित 30वें अंतर्राष्ट्रीय आईएसबीएन परामर्शी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि 01.01.2007 से 10 अंकों की बजाए 13 अंकों की आईएसबीएन प्रणाली को आरंभ किया जाए। आईएसबीएन के लिए राष्ट्रीय राजा राम मोहन राय एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय आईएसबीएन एजेंसी की सदस्य है और सदस्यता के लिए प्रति वर्ष 2500 रुपये का वार्षिक शुल्क प्रदान करता है। इस एजेंसी ने वर्ष 2014-15 के लिए अंतर्राष्ट्रीय

आईएसबीएन एजेंसी, लंदन को वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान कर दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा आवंटित पांच वर्ग हैं जिनके तहत प्रकाशक पंजीकृत किए जाते हैं और आवंटित संख्या उनकी आवश्यकता/उत्पादन पर निर्भर होती है। राष्ट्रीय एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभिन्न वर्गों के तहत 9549 भारतीय प्रकाशकों को पंजीकृत किया है जो निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	पंजीकरण की संख्या
2	3
3	46
4	2500
5	3000
(एकल आईएसबीएन) (लेखक-ससह-प्रकाशक)	4000
कुल	9549

* * * * *





श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, मानव संसाधन विकास मंत्री महामहिम शमशरु इरिना वोकोवा, महानिदेशक, यूनेस्को के साथ

अध्याय 10

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और यूनेस्को

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और यूनेस्को

भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहयोग आयोग (आईएनसीसीयू)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के साथ सहयोग के लिए नोडल मंत्रालय है। भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहयोग आयोग शिक्षा, संस्कृति, संचार, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्रों में पांच उप-आयोग से मिलकर बना है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री आयोग की अध्यक्ष हैं और सचिव (उच्चतर शिक्षा) इसके पदेन महासचिव हैं।

यूनेस्को से संबंधित मुख्य कार्यकलाप

1. यूनेस्को (पीडीआई) पेरिस के लिए भारत का स्थायी शिष्टमंडल, यूनेस्को में भारतीय हितों और उन्नत भारतीय पदों को प्रोत्साहित करता है। यूनेस्को के लिए स्थायी शिष्टमंडल इन बहुपक्षीय संगठनों और अन्य संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसियों में लगातार संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों और अन्य स्टेकहोल्डरों की भागीदारी और नीति निरूपण को समन्वित करता है।
2. यूनेस्को की आम सभा, प्रमुख शासी निकाय हैं, जोकि 2 वर्ष में एक बार और यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड की वर्ष में दो बार बैठक आयोजित की जाती है। इस वर्ष, **कार्यकारी बोर्ड** की अन्तिम बैठकें क्रमशः 2-15 अप्रैल 2014 और 15-30 अक्टूबर 2014 में आयोजित की गईं। यूनेस्को में डॉ. करन सिंह ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लिया। डॉ. करन सिंह ने इस आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा और संस्कृति 2015 के बाद के विकास कार्यक्रम में अपना स्थान स्थापित करे, कार्यकारी बोर्ड को परामर्श देते हुए समकालीन मुद्दों जैसे यूक्रेन में स्थिति पर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए और क्रम लाभ हेतु आवश्यक दशाएं उपलब्ध कराने या वैश्विक मानवाधिकार और मूलभूत स्वतंत्रताओं का प्रयोग करने में असमर्थ लोगों की प्राथमिकता और आवश्यकताओं को भी सामने लेकर आए।
3. यूनेस्को में भारत ने अपनी आवाज को बुलन्द किया है जिसके कारण यूनेस्को विभिन्न परामर्शीय और सलाहकार निकायों को सेवाएं देते हुए विचार-

विमर्शों के लिए विश्व से संतुलित ज्ञान विषयक अवधारणा को सामने लाया है जिसमें विभिन्न सेक्टरों में अंतर-सरकारी आयोग और कार्यक्रम शामिल हैं। वर्तमान में, भारत 9 निम्नलिखित **यूनेस्को समितियों / निकायों** का सदस्य है, जो अभूतपूर्व है:

- कार्यकारी बोर्ड
- विश्व धरोहर समिति
- अंतर्राष्ट्रीय जैवनैतिकता समिति (आईबीसी)
- अंतर-सरकारी जैवनैतिकता समिति (आईजीबीसी)
- अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (आईओसी)
- यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो परिषद् (आईबीई) (जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड)
- ईएफए संचालन समिति
- अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षा प्रदान करने हेतु अंतर-सरकारी समिति
- यूनेस्को कॉमनवेल्थ समूह की पीठ।

4. उपरोक्त सूची के अतिरिक्त हाल ही में महत्वपूर्ण गतिविधि दिनांक 4 जून, 2014 को पेरिस में यूनेस्को में आयोजित चुनाव में 2014-18 से 4 वर्ष की अवधि के लिए, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा हेतु अंतर-सरकारी समिति के लिए भारत का चयन है। हमने चुनाव लड़ने वाले 10 देशों में से अधिकतम वोट (135/142) रिकॉर्ड किए हैं। इसके अतिरिक्त भारत को 2014-15 के लिए समिति के उपध्यक्ष के रूप में भी नामित किया गया है।
5. जून 2014 में, भारत को यूनेस्को कॉमनवेल्थ के अध्यक्ष के रूप में एकमत से चयन भी किया गया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने यूनेस्को में ऐसे सभी कार्यकलापों पर सूचना और उत्कृष्ट कार्यों और विचारों का आदान-प्रदान करने के साथ यूनेस्को की सूची में महत्वपूर्ण मामलों पर एकमत बनाने के

लिए इस वर्ष समूह की अनेक बैठकों का संचालन किया।

6. **भारत में महानिदेशक का दौरा:** यूनेस्को महानिदेशक, ईरिना बोकावा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ-साथ भारत सरकार के सहयोग से यूनेस्को द्वारा आयोजित “फ्राम एक्सक्लुजन टू एमपावरमेंट रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) फॉर परसंस विथ डिसएबिलिटी” नामक सम्मेलन में भाग लेने के लिए 23-26 नवम्बर, 2014 को भारत का आधिकारिक दौरा किया। महानिदेशक ने इसी दौरान भारत के विदेश मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, संस्कृति राज्यमंत्री, पर्यटन राज्यमंत्री, पर्यटन और नागरिक उडयन मंत्री, शहरी विकास मंत्री और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।
7. यूनेस्को महानिदेशक ने शहर के स्कूलों के बच्चों, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मिशनों के गणमान्य व्यक्तियों के लिए “डायवर्स सोसाइटी, इन्क्लूसिव डेमोक्रेसीज़: न्यू स्किल्स फॉर ए सरस्टेनेबल वर्ल्ड” पर महात्मा गांधी शान्ति एवं धारणीय विकास संस्थान (एनजीआईपी) में भाषण भी दिया।
8. **श्री अरबिन्दो की मूर्ति का पुनर्स्थापन स्मरणोत्सव:** श्री अरबिन्दो की मूर्ति का पुनर्स्थापन स्मरणोत्सव कार्यकारी बोर्ड के 195वें सत्र के साथ संयोगात्मक रूप से 21 अक्तूबर 2014 को यूनेस्को, पेरिस में आयोजित किया गया। इस उच्च स्तरीय स्मरणोत्सव की मेजबानी यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल ने की जिसमें यूनेस्को के महानिदेशक; यूनेस्को के आम सभा के सभापति और यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सभापति ने भाग लिया। कार्यकारी बोर्ड के हमारे प्रतिनिधि, डॉ. करन सिंह जिन्होंने कार्यकारी बोर्ड का उद्घाटन किया उन्होंने इस अवसर पर विशिष्ट श्रोतागणों को संबोधित किया। इसमें पी-5 राजदूत, सचिवालय से वरिष्ठ अधिकारी, सचिवालय और मीडिया में भारतीयों सहित कार्यकारी बोर्ड के 58 सदस्य भी शामिल थे। यह देखा जा सकता है कि जुलाई 2014 में महानिदेशक यूनेस्को के साथ व्यावसायिक

अनुसरण के माध्यम से श्री अरबिन्दो की मूर्ति को फौन्टनी में मुख्य यूनेस्को भवन के विख्यात जापानी गार्डन में सफलतापूर्वक लगाया गया।

9. **2015 के बाद विकास कार्यसूची:** पीडीआई 2015 के बाद की कार्यसूची को आकार देने के लिए यूनेस्को में चल रहे परामर्शों में गहन तौर पर और सकारात्मक रूप से संलग्न रहा जिससे सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में सफलता मिली और यह 2015 के बाद के वैश्विक विकास प्रयासों के लिए कार्यढांचे के रूप में कार्य करेगा। यूनेस्को, भविष्य में इन क्षेत्रों में अपनी भूमिका के संरक्षण के लक्ष्य से 2015 की विकास कार्यसूची में अपने अधिदेश के क्षेत्रों अर्थात् शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार और सूचना को प्रोत्साहित कर रहा है। 2015 के बाद की विकास कार्यसूची पर वर्तमान परामर्शों में महिला-पुरुष समानता, अफ्रीका, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और सूचना के लिए दी गई प्राथमिकता से हम संतुष्ट हैं, जैसाकि धारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर संयुक्त राष्ट्र मुक्त कार्य समूह के आउटकम दस्तावेज में प्रदर्शित किया गया है। आउटकम दस्तावेज, 2015 के बाद की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यसूची के लिए आधार तैयार करेगा।

शिक्षा उप-आयोग

10. शिक्षा के क्षेत्र में दिनांक 12-14 मई 2014 तक मस्कट, ओमान में आयोजित 2014 ग्लोबल ईएफए मीटिंग (जीईएन) में भारत की अग्रणी भूमिका को विशेषकर विकासशील देशों और सिविल सोसायटी द्वारा सराहा गया। बैठक में किए गए विचार-विमर्शों 2015 और 2015 के बाद की शिक्षा कार्यसूची की ओर मार्ग के आखिरी भाग, ईएफए संबंधित रणनीतियों और आने वाले वर्षों में शैक्षिक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त कार्यवाहियों के दौरान अपेक्षित कार्यवाहियों पर फोकस किया गया। जीईएम ने सभी समझौतों के लिए मस्कट शिक्षा सम्मेलन में भाग लिया, जहां 2015 के बाद की शिक्षा के वैश्विक लक्ष्यों को पारित किया गया। इसने उस प्रक्रिया में पहले महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व किया जो मई 2015 में इनकियोन, कोरिया गणराज्य में विश्व शिक्षा फोरम और सितम्बर 2015 में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा में चरम पर पहुंचेगा।

11. **ई-9:** ई-9 के अध्यक्ष का सेवाकाल समाप्त होने पर, भारत ने ई-9 को सहयोग के नए तंत्र से बदलने के विरुद्ध सफलतापूर्वक बहस के लिए ई-9 सदस्य राज्यों के साथ लॉबी की। विद्यार्थियों और संकाय के आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण बिन्दू के रूप में कार्य करने हेतु, नई दिल्ली में ई-9 स्थापित करने का भारत का प्रस्ताव उन रास्तों में से एक है जिसने ई-9 को पुनर्जीवित किया है।
12. **ब्रिक्स:** भारत ने जुलाई, 2014 में फॉरटलेजा, ब्राजील में इस सप्ताह अपनी बैठक में ब्रिक्स नेताओं द्वारा शिक्षा के लिए सशक्त प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए यूनेस्को में अन्य सदस्य राज्यों के साथ निकटता से कार्य किया। फॉरटलेजा घोषणा 15 जुलाई को हुई जिसमें ब्रिक्स नेताओं ने “वहनीय प्रगति और समावेशी विकास के लिए शिक्षा के नीतिगत महत्व” पर बल दिया। उन्होंने सभी लक्ष्यों के साथ शिक्षा में प्रगति की गति को तेज करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया और 2015 के बाद की विकास कार्यसूची में शिक्षा को केन्द्रीय रूप से स्थापित करने के महत्व को स्पष्ट रूप से बताया। इस प्रयास में शिक्षा में अंतर-ब्रिक्स सहयोग को सशक्त करने और संगत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए ब्रिक्स नेताओं ने शपथ ली। उन्होंने ध्यानाकर्षण के लिए विशेष क्षेत्रों के रूप में उच्च शिक्षा डिग्रियों और डिप्लोमा को आपसी रूप से मान्यता प्रदान करने और सांख्यिकी संसूचकों पर सहयोग को अलग-अलग रखा।
13. **ईएफए संचालन समिति** के सदस्य के रूप में, भारत ने 2015 के बाद की शिक्षा कार्यसूची पर बातचीत में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस बहस को यूनेस्को आम सभा 2013 के अधिदेश जिसमें भविष्य की वैश्विक कार्यसूची के रूप में “जीवन पर्यन्त अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में पहुंच, समानता और गुणवत्ता के मुख्य सिद्धांतों पर आधारित” शिक्षा के लिए सर्वसमावेशी लक्ष्य को प्रोत्साहित करने की इसकी प्रतिबद्धता है, को रखते हुए अक्तूबर 2014 में कार्यकारी बोर्ड के 195वें सत्र में आगे बढ़ाया गया।
14. इस वर्ष दिल्ली में, यूनेस्को महात्मा गांधी शान्ति और वहनीय विकास शिक्षा संस्थान के शासी बोर्ड की पहली बैठक हुई जो भारत में यूनेस्को का विशिष्ट शिक्षा संस्थान और एशिया पेसिफिक क्षेत्र में पहला संस्थान है। यह एशिया में स्थापित यूनेस्को

का पहले दर्जे का संस्थान है जिसे भारत सरकार प्रचुरता से वित्तपोषित कर रही है। संस्थान ने वर्ष 2012 से नई दिल्ली में कार्य करना प्रारंभ किया। यह संस्थान भारत को यूनेस्को के वर्ग-I के संस्थान के साथ चयनित देशों के वर्ग में रखता है।

संस्कृति उप-आयोग

15. विश्व धरोहर समिति के सदस्य के रूप में भारत ने दोहा (कतर) में दिनांक 15-25 जून 2014 में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 38वें सत्र में अग्रणी भूमिका निभाई। बैठक के दौरान, भारत के दो स्थलों ‘रानी की वाव’ और ‘ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कन्जर्वेशन एरिया’ को प्रख्यात विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया गया। यह स्थान पाने के साथ ही भारत के 32 स्थान विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं और शामिल स्थानों की संख्या में भारत में समग्र रूप से पांचवा स्थान प्राप्त किया। विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान एक महत्वपूर्ण पढ़ाव भारत का 2014-15 के लिए समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नामांकन था। महत्वपूर्ण पहल में, भारत ने विश्व धरोहर समिति की दोहा बैठक के दौरान अपनी महत्वकांक्षी ‘मौसम: मैरीटाइम रूट एंड कल्चरल लैंडस्केप्स’ से परियोजना भी प्रारंभ की।
16. एक अन्य महत्वपूर्ण विकास में, भारत को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए अन्तर-सरकारी समिति के सदस्य के रूप में रिकॉर्ड संख्या के मतों के साथ चुना गया, ये जनरल एसेम्बली ऑफ द स्टेट्स पार्टीज टू द कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज के 5वें सत्र के दौरान 2-4 जून 2014 में यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में आयोजित हुए। तत्पश्चात् भारतीय शिष्टमंडल ने 24-28 नवम्बर 2014 को पेरिस में आयोजित अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए अन्तर-सरकारी समिति के 9वें सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस बैठक के दौरान, भारत का “ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेनसिल मेकिंग अमंग दी थेथरस ऑफ जन्दियाला गुरु, पंजाब, इंडिया” के लिए नामांकन, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में डाला गया। सूची में भारत के अब 11 घटक दर्ज हैं और इस सूची में दर्ज घटकों की संख्या के अर्थों में समग्र रूप से आठवां स्थान है। महत्वपूर्ण रूप से भारत का चयन अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए अन्तर सरकारी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किया गया।

17. विश्व धरोहर कन्वेंशन के लिए स्टेट्स पार्टीज़ की आम सभा का पहला असाधारण सत्र 13-14 नवम्बर 2014 को पेरिस में आयोजित हुआ था। यह असाधारण सत्र विश्व धरोहर समिति पर सीटों के भौगोलिक वितरण के विवादास्पद मुद्दे पर था और यह निर्णय लिया गया कि सीटों का भौगोलिक वितरण यूनेस्को के क्षेत्रीय समूह पर आधारित हो साथ ही 5 सीटें सीधे चुनाव के लिए रखी जाएं। यूनेस्को में अधिकांश प्रतिनिधिमंडलों की संतुष्टि इस सभा का परिणाम थी।
18. मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रीवेन्टिंग द इलिसिट इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ कल्चरल प्रोपर्टी पर 1970 कन्वेंशन की उपसमिति का दूसरा सत्र यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में 30 जून से 2 जुलाई 2014 तक आयोजित हुआ। बैठक के दौरान कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए समिति ने मसौदा प्रचालन दिशा-निर्देश अपनाए।
19. सांस्कृतिक संपत्तिक की उसके मूल देश को वापस करने या अनुचित विनियोजन के मामले में इसकी बहाली को बढ़ावा देने के लिए अन्तर-सरकारी समिति का 19वां सत्र, 1-2 अक्तूबर 2014 को पेरिस में आयोजित किया गया।

संचार और प्रकृति विज्ञान उप-आयोग

20. भारत सरकार के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टनरों के सहयोग से यूनेस्को द्वारा "फ्राम एक्सक्लूजन टू एमपावरमेंट: रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटीएस) फॉर परसन्स विथ डिसेबिलिटी" पर 24 से 26 नवम्बर 2014 को दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यूनेस्को की महानिदेशक, सुश्री ईरिना बोकोवा, यूनेस्को ने भी सम्मेलन में भाग लिया। महानिदेशक के साथ माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री और माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों, नीति एवं निर्णयकर्ता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों और सिविल सोसायटी सहित विश्वभर से 500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने शिरकत की। इसने निःशक्तजनों के मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देने और आईसीटी के प्रयोग के माध्यम से सभी

स्टेकहोल्डरों को निःशक्तजनों के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित किया।

21. **अंतर्राष्ट्रीय हाईड्रोलॉजिकल कार्यक्रम (आईएचपी):** आईएचपी की अंतर-सरकारी परिषद का 21वां सत्र 18 से 20 जून, 2014 तक यूनेस्को मुख्यालय पेरिस में आयोजित किया गया। आईएचपी अंतर-सरकारी परिषद् के 36 सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधिमंडलों ने सत्र में भाग लिया। भारत ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डॉ. विजय कुमार ने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पीडीआई में कार्यभार ग्रहण किया। वर्ल्ड्स लार्ज रिवर इनिशिएटिव (डब्ल्यूएलआरआई) को प्रारंभ करने के लिए एक संशोधित प्रस्ताव आस्ट्रियन प्रतिनिधिमंडल द्वारा 2012 में आईएचपी की अंतर-सरकारी परिषद के 20वें सत्र में रखा गया था और इस पर भी विचार-विमर्श किया गया। भारत ने प्रस्ताव का समर्थन किया और इसे आईएचपी के 23वें सत्र की प्रतीक्षा है जब आईएचपी अंतर-सरकारी परिषद् के 23वें सत्र के बाद आईएचपी कार्य योजना में इसके एकीकरण पर विचार करेगी और इस पहल के निष्पादन की समीक्षा करेगी।
22. **अंतर-सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (आईओसी):** भारत ने यूनेस्को पेरिस में 1.4.2014 को आईओसी की 47वीं कार्यकारी परिषद् में भी भाग लिया। 47वीं ईसी के लिए भारत के योगदान को सेशनल ओपन-एंडिड समितियों और 3 कार्य समूहों नामतः वित्तीय समिति; संकल्प समिति में इसकी भागीदारी से आंका जा सकता है; ये कार्य समूह हैं – आईओसी के भविष्य पर सेशनल कार्यसमूह; दूसरे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय समुद्र अभियान में आईओसी की भागीदारी पर सेशनल कार्यसमूह जिसमें प्रोफेसर युटाका मिचिडा (जापान) और डॉ. सतीश सी. शेनोई (भारत) सह-अध्यक्ष हैं; "क्षमता विकास के लिए नीतिगत आयोजना का मसौदा तैयार करने" संबंधी सेशनल कार्यसमूह। ईसी के पास व्यापक कार्यसूची थी और भारत ने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय समुद्र अभियान (आईआईओई-2) की 50वीं वर्षगांठ की पहल में आईओसी की भागीदारी और कार्यकारी सचिव की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की सूची को शॉर्टलिस्ट करने हेतु परामर्शीय प्रक्रियाओं सहित वाद-विवाद में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।
23. भारत ने स्टैन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिज़र फॉर सुनामी वार्निंग एंड इमरजेंसी रिसपॉन्स फॉर नॉदर्न एंड

वेस्टर्न इंडियन ओशियन कन्ट्रीज़ पर आईएनसीओआईएस हैदराबाद में 23-27 जून 2014 तक क्षेत्रीय कार्यशाला की मेज़बानी भी की।

24. **अंतर्राष्ट्रीय जैवनैतिकता समिति और अंतर-सरकारी जैवनैतिकता समिति (आईबीसी और आईजीबीसी):** यूनेस्को का 21वां सामान्य सत्र यूनेस्को, पेरिस में 8-12 सितम्बर 2014 को आयोजित किया गया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जैवनैतिकता समिति का संयुक्त सत्र शामिल है। भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर से प्रो. शरतचंद ने स्वतंत्र विशेषज्ञ की हैसियत से इसमें भाग लिया। इन बैठकों का फोकस लाभों को सांझा करने के सिद्धांत का विस्तार करने पर था जैसाकि यूनिवर्सल डिकलरेशन ऑन बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स (2005) एंड एन अपडेट ऑफ द आईबीसी रिफ्लेक्शन ऑन द ह्यूमन जीनोम एंड ह्यूमन राइट्स के अनुच्छेद 15 में दिया गया है और इन मामलों पर पीडीआई ने भारत की स्थिति सामने रखी है। बैठकों में इबोला संकट पर भी विचार-विमर्श किया गया और इस संबंध में पीडीआई ने भारत के प्रयासों को सामने रखा।

25. **क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र (आरसीबी)-** यह यूनेस्को वर्ग-II क्षेत्रीय केन्द्र है। इसे शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र के रूप में जैवप्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। यह केन्द्र शीघ्र ही कुछ क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करेगा और इसने पहले ही विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण पर क्षेत्रीय सहयोग किया है। केन्द्र के लिए समझौता ज्ञापन के नवीकरण को अनुमोदित कर दिया गया है और दिनांक 13 फरवरी 2015 को इस पर यूनेस्को के साथ हस्ताक्षर किए जाएंगे।

ओरोविले फाउंडेशन

‘ओरोविले’ की स्थापना तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में पुदुचेरी के बाहरी क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगर के रूप में 28 फरवरी, 1968 को श्री ओरबिंदो की अध्यात्मिक सहयोगी ‘मां’ द्वारा की गई थी जहां भारत सहित 46 राष्ट्रों से 2166 लोग एक समुदाय के रूप में रहते हैं और स्वयं को सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और मानव एकता के उद्देश्य की अन्य गतिविधियों में शामिल करते हैं। यूनेस्को ने 1966, 1968, 1970, 1983 में चार संकल्पों के माध्यम से ओरोविले की परियोजना का समर्थन किया। यह नगर 1980 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है और इसका अभिशासन भारतीय संसद द्वारा पारित ओरोविले फाउंडेशन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार होता है।

ओरोविले फाउंडेशन अधिनियम प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार फाउंडेशन को योजनागत तथा गैर-योजना के तहत ओरोविले के स्थापन, अनुरक्षण और विकास पर अपने व्यय पूरे करने के लिए अनुदानों के रूप में आंशिक निधि प्रदान करती है। 2014-2015 के दौरान ओरोविले फाउंडेशन को योजनागत के अंतर्गत, 258.32 लाख रुपये की राशि और योजनागत के अंतर्गत 130.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई (आज की तारीख तक)।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत ने 51 देशों अर्थात् मंगोलिया, अमेरिका, तंजानिया, गुयना, इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, हंगरी, सीरिया, उजबेकिस्तान, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, श्रीलंका, मेक्सिको, ब्राजील, अफ़गानिस्तान, क्रोएशिया, इक्वाडोर, रवांडा, सउदी अरब, चीन, पुर्तगाल, फ्रांस, इथोपिया, वियतनाम, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, चिली, कुवैत, बोत्सवाना, मलेशिया, तुर्कमेनिस्तान, कनाडा, इंडोनेशिया, मोजाम्बिक, रूस, त्रिनिदाद और टोबैगो, मॉरीशस, यमन, कतर, तजाकिस्तान, ब्रूंडी, बेलारूस, कोरिया गणराज्य, जर्मनी, इस्टोनिया यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, चेक गणराज्य तथा पेरू के साथ शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रम/समझौता ज्ञापन अथवा संयुक्त वक्तव्यों के माध्यम से करार किया है।

ईईपी/समझौता ज्ञापनों में विभिन्न पहलों के माध्यम से सहयोग की परिकल्पना की गई है, जैसे कि:-

- विद्वानों/छात्रों/शोधकर्ताओं का आदान-प्रदान;
- सूचना/प्रकाशनों की हिस्सेदारी;
- संयुक्त सेमिनार/कार्यशालाओं/सम्मेलनों इत्यादि को आयोजित करना;
- योग्यताओं की परस्पर मान्यता के लिए कार्य करना; और
- संस्थागत सम्पर्कों का विकास।

भारत के यूनेस्को, राष्ट्रमंडल अध्ययन, ई-9, ब्रिक्स, सार्क, इंडिया-ब्राजील-साउथ अफ्रीका (आईबीएसए), पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस), दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (एएसईएएन), क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिन्द महासागर रिम-संघ (आईओआर-एआरसी), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी), यूरोपीय संघ (ईयू) आदि जैसी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और बहु-आयामी निकायों के साथ भी शैक्षिक सहयोग संबंधी कार्यकलाप हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान मुख्य कार्यकलाप

1. सार्क शिक्षा मंत्रियों की बैठक

शिक्षा/उच्चतर शिक्षा के सार्क मंत्रियों की दूसरी बैठक की मेज़बानी भारत ने 30-31 अक्टूबर, 2014 को नई दिल्ली में की। इस बैठक की अध्यक्षता श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने की जिसमें सात सार्क सदस्य देशों से मंत्रियों ने और सभी आठ सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। **शिक्षा पर नई दिल्ली घोषणा** को बैठक के अंत में अंगीकार किया गया। मंत्रियों ने सार्क सदस्य राष्ट्रों में महिला-पुरुष समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा और समावेशी अध्ययन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और उच्चतर शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के वास्ते कौशल विकास हेतु अवसरों का विस्तार प्रदान करने की आवश्यकता पर पुनः बल दिया।



शिक्षा/उच्चतर शिक्षा के सार्क मंत्रियों की नई दिल्ली में दिनांक 31 अक्टूबर 2014 को आयोजित दूसरी बैठक की अध्यक्षता करती हुई श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री।

2. भारत- यूके शिक्षा फोरम

छठे भारत- यूके शिक्षा फोरम नई दिल्ली में 13 नवम्बर 2014 को बैठक आयोजित हुई। श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार और श्री ग्रेग क्लार्क, विश्वविद्यालय, विज्ञान और शहरी मंत्री, यूके ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। माननीय मंत्रियों ने **संयुक्त वक्तव्य** पर हस्ताक्षर किए जिसमें उन्होंने भारत और यूके के बीच शैक्षिक सहयोग और सहयोग के भविष्य के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। संयुक्त वक्तव्य में नेतृत्व विकास के क्षेत्रों; अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी और ज्ञान का अंतरण; कौशल विकास और उद्यमिता; जन-जन तक सम्पर्क और गतिशीलता को बढ़ाना; शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना; शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग; एमओओसी और ई- पुस्तकालय का विकास और यूकेआईईआरआई-III को प्रारंभ करने पर प्रकाश डाला गया है।



श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, मानव संसाधन विकास मंत्री 13 नवम्बर, 2014 को नई दिल्ली में भारत-यूके शिक्षा फोरम के दौरान आरटी, माननीय ग्रेग क्लार्क, विश्वविद्यालय, विज्ञान और शहरी मंत्री के साथ।

3. भारत-अमरीका उच्चतर शिक्षा वार्ता

तीसरी भारत-अमरीका उच्चतर शिक्षा वार्ता नई दिल्ली में 17 नवम्बर 2014 को आयोजित की गई। इसकी सह-अध्यक्षता श्री सत्या एन. मोहंती, सचिव (उच्चतर शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत की ओर से की गई और श्री रिचर्ड सेनेगल, अमरीका के पब्लिक डिप्लोमेसी एंड पब्लिक अफेयर्स राज्य अवर सचिव द्वारा अमरीका की तरफ से की गई। इस वार्ता में सामुदायिक कॉलेज, ज्ञान, नए आईआईटी और आईसीटी और एमओओसी के प्रयोग पर सहयोग पर बातचीत की गई। दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को सामुदायिक कॉलेजों और कौशल विकास पर की संयुक्त कार्यबल की बैठक भी आयोजित की गई।



श्री सत्या एन. मोहंती, सचिव, उच्चतर शिक्षा 17 नवम्बर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित भारत-अमरीका उच्चतर शिक्षा वार्ता के दौरान एच.ई. श्री रिचर्ड सेनेगल, अमरीका पब्लिक डिप्लोमेसी और पब्लिक अफेयर्स राज्य अवर सचिव के साथ।

4. द्विपक्षीय बैठक

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने श्री हकुबन शिमोमुरा शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और तकनीकी मंत्री, जापान सरकार और श्री के. शनमुगम, विदेशी मामले और कानून मंत्री, सिंगापुर गणराज्य जैसे विजिटिंग गणमान्य व्यक्तियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। शिक्षा मंत्री, बांग्लादेश और यूके विश्वविद्यालय, विज्ञान और शहरी मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं। नई दिल्ली में, मिशनो के अनेक प्रमुखों ने मंत्री से शिष्टाचार के नाते मुलाकात की और संबंधित देशों के साथ द्विपक्षीय शैक्षिक संबंधों पर सुधार करने के लिए बातचीत की। महानिदेशक ने मानव संसाधन विकास मंत्री के निमंत्रण पर भारत का दौरा किया और यूनेस्को के साथ सहयोग को सशक्त करने के लिए द्विपक्षीय बैठक भी आयोजित की गई।



श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री हकुबन शिमोमुरा शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और तकनीकी मंत्री, जापान के साथ।

5. भारत और जर्मनी के बीच संयुक्त कार्य समूह की बैठक

उच्चतर शिक्षा के सहयोग पर भारत-जर्मनी संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में 18 नवम्बर, 2014 को आयोजित की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता अपर सचिव (तकनीकी शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उप-महानिदेशक, बीएमबीएफ (जर्मन शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय) ने की। संयुक्त कार्य समूह में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं, आईआईटी हेतु सहयोग (वर्तमान और नए), आईआईएसईआर के साथ सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कला एवं सामाजिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना और सांस्थानिक सहयोग कार्यकलाप जैसे मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।

6. संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं

भारत और अमरीका के बीच खाद्य सुरक्षा, मौसम परिवर्तन, धारणीय स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे प्राथमिकता क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान सहयोग और संकाय के आदान-प्रदान के माध्यम से दोनों देशों की उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के बीच सांस्थानिक भागीदारी के लिए भारत और अमरीका के बीच चल रहे 21वीं सदी की ज्ञान पहल के तहत तीसरे दौर में आठ नए प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है। प्रत्येक पक्ष ने इस पहल के लिए 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की है जो चुनिंदा परियोजनाओं के लिए 250,000 अमरीकी डॉलर तक का अनुदान देगी।

भारत-इज़राइल संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं की पहल भारत की ओर से और इज़राइल की ओर से 2.5 मिलियन अमरीकी डॉलर के समान सहयोग से प्रारंभ की

गई। भारत और इज़राइल की संस्थाओं के बीच 21 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं पहले वर्ष के लिए घोषित की गईं।

भारत और नॉर्वे के बीच अन्य संयुक्त अनुसंधान परियोजना पहल प्रारंभ की जा रही है। भारत और नॉर्वे की संस्थाओं के बीच संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के लिए आमंत्रण आमंत्रित किए गए। 13 परियोजनाओं का पहला बैच अक्टूबर, 2014 में भारत के माननीय राष्ट्रपति के दौरे के दौरान घोषित किया गया।

7. पड़ोसी देशों के साथ सहयोग

नेपाल: दिनांक 26 जुलाई, 2014 को आयोजित भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान भारत ने नेपाल के विद्यार्थियों के लिए “भारत-नेपाल शिक्षा मैत्री कार्यक्रम” नामक कार्यक्रम की घोषणा की। यह कार्यक्रम नेपाल के अवरस्नातक विद्यार्थियों के लिए 4-6 सप्ताह का संयोजन कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य भारत में जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रोत्साहित करने और विभिन्न क्षेत्रों में देश द्वारा की गई प्रगति पर जागरूकता को प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम की सम्पूर्ण लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। नवम्बर 2014 के दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नेपाली विद्यार्थियों के प्रथम बैच ने भाग लिया।

भूटान: भारत के माननीय प्रधानमंत्री के हाल ही के भूटान दौरे के दौरान यह प्रस्ताव किया गया कि भारत सरकार भूटान के राष्ट्रीय पुस्तकालयों और भूटान के सभी 20 जिलों में डिजिटल अनुभाग/ई-पुस्तकालय स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करेगी।

बांग्लादेश: विश्व भारती विश्वविद्यालय, शान्ति निकेतन में बांग्लादेश भवन के निर्माण के लिए अनुमोदन दिया गया और श्रीमती सुषमा स्वराज; माननीय विदेश मंत्री के बांग्लादेश दौरे के दौरान इसकी घोषणा की गई।

8. शिक्षा मेला



श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री 30 नवम्बर, 2014 को नई दिल्ली में यूरोपियन संघ उच्चतर शिक्षा मेले का उद्घाटन करते हुए।

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 30 नवम्बर, 2014 को नई दिल्ली में आयोजित यूरोपियन संघ उच्चतर शिक्षा मेले का उद्घाटन किया। यूरोपियन देशों के कई शीर्ष विश्वविद्यालयों ने इस समारोह में भाग लिया जिसमें उच्चतर शिक्षा के लिए अवसरों को दर्शाया गया।

* * * * *





अध्याय 11

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति
एवं अल्पसंख्यकों की शिक्षा

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों की शिक्षा

शैक्षिक विकास समाज के कमजोर वर्ग जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त व्यक्ति शामिल हैं, के सामाजिक-आर्थिक बेहतरी हेतु मुख्य भूमिका निभाता है। भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के हितों का प्रोन्नयन करने और समानता सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं शैक्षिक संस्थाओं की संख्या में बढ़ोतरी करके बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रयास भी किए गये हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 (1992 में संशोधित) विभिन्न सामाजिक वर्गों में असमानता को दूर करने पर बहुत अधिक बल देती है। यह शैक्षिक अवसरों की समानता पर भी बल देती है जिन्हें अब तक समानता से वंचित रखा गया है। उन क्षेत्रों का उल्लेख करने के साथ-साथ, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, के लिए क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह दिशा-निर्देश भी निर्धारित करती है ताकि असमानता को दूर किया जा सके और समानता को बढ़ाया जा सके। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों हेतु शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने छात्रों के सहयोगी उपाय जैसे छात्रवृत्तियां, उपचारी कक्षाएं, छात्रावास सुविधाएं और तकनीकी शिक्षा के औपचारिक और गैर औपचारिक कार्यक्रमों के अन्य रूपों का भी सुझाव दिया है।

उप योजना और जनजातीय उप योजना (एससीएसपी और टीएसपी)

राष्ट्रीय अनुवीक्षण समिति की सलाह के अनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एससीएसपी/टीएसपी के कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, उच्चतर शिक्षा विभाग हेतु एससीएसपी और टीएसपी के लिए निर्धारित निधियां क्रमशः 15-16.2% और 7.50% हैं तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग हेतु निर्धारित निधियां क्रमशः एससीएसपी और टीएसपी हेतु 16.2% और 10.70% से अधिक हैं।

एससीएसपी और टीएसपी के दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- निधियों का आबंटन: उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग हेतु एससीएसपी और टीएसपी के तहत वर्ष 2014-15 हेतु निर्धारित निधि का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है: (i) लाभार्थी फोकस: एससीएसपी/टीएसपी के तहत

केवल कार्यक्रमों की उन्हीं योजनाओं/घटकों को शामिल करना चाहिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित परिवारों के व्यक्तियों को प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित करती हों।

- बढ़ाना: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के संबंधित अनुपात (प्रतिशत) से अधिक व्यक्तियों के लाभ देने के लिए, लाभार्थियों की अतिरिक्त संख्या शामिल होनी चाहिए।
- नई योजनाएं: परियोजना/योजनाओं के मामले में, जो सामान्य प्रकृति के हैं और व्यय जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अविभाजित है, ऐसे मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नई योजनाओं का उनके और अन्य के मध्य अंतराल को पाटने के लिए बनाया जाना चाहिए।
- माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता के तहत मौजूदा एनएमसी, एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगी और इस समिति को अपनी स्थाई समिति द्वारा सहायता दी जाएगी।


एससीएसपी और टीएसपी के तहत निर्धारित निधियां (बजटीय अनुमान-2014-15)

(रूपये करोड़ में)


विभाग	अ.जा.	अ.ज.जा.
स्कूल शिक्षा और साक्षरता	10183.34 (19.65%)	5666.22 (10.93%)
उच्चतर शिक्षा	2534.40 (15.00%)	1268.10 (7.50%)

स्कूल शिक्षा

राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 64.9% (जनगणना 2001) से 73% (जनगणना 2011) तक बढ़ गई है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर में 10 प्रतिशत बिन्दुओं का सुधार हुआ है; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों हेतु साक्षरता दर 12 प्रतिशत बिन्दुओं तक बढ़ गई है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जाति के बच्चों का नामांकन शेयर (20.44%) है जो उनकी जनसंख्या (16.60%) में उनके शेयर से अधिक है और इन वर्षों में बढ़ रही हुई प्रवृत्ति देखी भी जा सकती है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों का नामांकन शेयर (10.85%) है जो उनकी जनसंख्या (8.60%) में उनके शेयर से अधिक है और इन वर्षों में यह बढ़ रही प्रवृत्ति देखी जा सकती है।




स्रोत : स्कूल शिक्षा सांख्यिकीय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय




स्रोत : स्कूल शिक्षा सांख्यिकीय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रतिपादन के साथ, भारत ने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा (यूईई) के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों को शुरू किया है। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) वर्ष 2000-01 में शुरू किया गया था। एसएसए हस्तक्षेपों में अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूलों को खोलना, स्कूलों का निर्माण और अतिरिक्त कक्षा-कक्षाएं, प्रसाधन तथा पानी पीने की सुविधाओं का निर्माण, शिक्षकों हेतु प्रावधान बनाना, शिक्षकों हेतु

सेवा-कालीन प्रशिक्षण और अकादमिक संसाधन सहयोग, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और यूनिफार्म, अधिक प्राप्ति स्तरों में सुधार करने, अनुसंधान, मूल्यांकन और अनुवीक्षण हेतु सहायता शामिल है। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु संवैधानिक और कानूनी आधार की स्थापना हाल के वर्षों की एक मुख्य उपलब्धि है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 दिनांक 1 अप्रैल 2010 से संचालित हो गया है।



स्रोत: स्कूल शिक्षा सांख्यिकीय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय




स्रोत : स्कूल शिक्षा सांख्यिकीय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

इसके अतिरिक्त, कई पहलें जैसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) शुरू करना, माध्यमिक शिक्षा स्तर में व्यावसायिक शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, पोलिटेक्निक संबंधी उप-मिशन, छात्रावासों का निर्माण, पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम, जिसका समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, भी शुरू की गई थीं।

उच्चतर शिक्षा

जहां तक उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता का संबंध है, अनुसूचित जाति के नामांकन में वर्ष 2010-11 से 2011-12 तक लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है। तथापि, वर्ष 2012-13 के लिए अनंतिम आंकड़े नामांकन में किसी प्रमुख वृद्धि को नहीं दर्शाते हैं। अनुसूचित जनजातियों का नामांकन कई वर्षों से स्थिर रहा है। उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जाति और



स्रोत : अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सीएजीआर— चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 4% और 12% है जबकि दाखिलों के आरक्षण में निर्धारित प्रतिशतता क्रमशः 7.5% और 15% है। यह दर्शाता है कि उनमें से प्रत्येक की उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधित्व में कुछ वृद्धि हो सकती है।

पुनः जीईआर आंकड़े भी समान प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक अनुसूचित जाति के जीईआर में कुछ वृद्धि हुई है लेकिन अनुसूचित जनजाति के जीईआर कई वर्षों से समान है। महत्वपूर्ण रूप से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्गों हेतु, कई उपाय पहले से ही शुरू करने के बावजूद, सामाजिक और लैंगिक अंतराल मौजूद रहता है। अनुसूचित जाति के मामले में, सामाजिक अंतराल और लैंगिक अंतराल में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन कई वर्षों से अपरिवर्तनीय रहा है। तथापि, अनुसूचित जनजाति पूर्णतया भिन्न चित्र दर्शाते हैं। अनुसूचित जनजाति के मामले में सामाजिक अंतराल और लैंगिक अंतराल में कई वर्षों से सीमांत वृद्धि हुई है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक-आर्थिक वृद्धि में इन बाधाओं के होने के कारण, 12 वीं पंचवर्षीय योजना, शैक्षिक अवसरों की असमानता के मुद्दों का निपटान करने के लिए एक नए दृष्टिकोण के साथ शुरू की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य केन्द्र असमानता कम करने के उद्देश्यार्थ उपायों हेतु निधियन को बढ़ावा देना और एक छत्र के तहत उच्चतर शिक्षा की योजनाओं से संबंधित सभी समानताओं को लाना है। उपर्युक्त बाधाओं को दूर करने के लिए विधान एवं संकल्प, पहुंच, कौशल विकास, छात्र सहयोग कार्यक्रम और समानता प्रोन्नयन के क्षेत्रों में

विभिन्न गतिविधियां शुरू की गई थीं।

केन्द्रीय शैक्षिक संस्थान (दाखिला प्रतिधारण) अधिनियम, 2006 के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु दाखिलों में 15% और 7.5% आरक्षण, आरक्षित किया जाता है, जो उच्चतर शिक्षा को जारी रखने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रोत्साहित करता है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के कुछ प्रतिशत का नामांकन करने हेतु संस्थाओं के लिए इसे अनिवार्य बनाया गया है। अधिनियम के निरन्तर कार्यान्वयन हेतु प्रयास किए जाते हैं। यूजीसी ने उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में समानता के प्रोन्नयन के साथ 2012 में शिकायतों का समाधान करने हेतु आवश्यक विनियम तैयार किए हैं। एआईसीटीई ने भी शिकायतों के निवारण हेतु उपाय शुरू किए हैं। ये विनियम, उच्चतर शिक्षा में समानता का प्रोन्नयन करने और इसी के लिए स्थापित समानता मानदण्ड के साथ अनुपालन न करने की शिकायतों का निपटान करने के लिए संगठनों की सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये विनियम और विधान उच्चतर शिक्षा में समाज के कमजोर वर्गों के नामांकन की दर में सुधार लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप में एक भूमिका निभाएंगे।

उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं की पहुंच में सुधार लाने के लिए, केन्द्रीकृत वित्तपोषित उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं असेवित क्षेत्रों में स्थापित की जाती हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और अन्य योजनाएं जैसे सामुदायिक कॉलेज, पोलिटेक्निक संबंधी उप-मिशन, यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को विकास सहायता और शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में इग्नू अध्ययन केन्द्रों को

खोलना, ये सभी समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव डाल रहे हैं। पहुंच में सुधार लाने के लिए लगभग 874 नए उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं का एक प्रावधान बनाया गया है।

इनके अतिरिक्त, कई अन्य कार्यक्रम/योजनाएं भी शुरू की गई हैं जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित छात्रों के शैक्षिक विकास पर समान रूप से बल देती हैं, जिनमें विभिन्न छात्र सहयोगी पहलें, जैसे छात्रवृत्तियां, उपचारी कोचिंग कक्षाएं, विश्वविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ को खोलना, राजीव गांधी अध्येतावृत्तियां, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति, पोस्ट-डॉक्टरल अध्येतावृत्ति, नेट/स्लेट हेतु उपचारी कोचिंग, आईआईटी हेतु प्रारंभिक कक्षाएं, शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी, विशेष तौर पर बालिकाओं हेतु छात्रावास सुविधाएं इत्यादि शामिल हैं। उपचारी कोचिंग हेतु लाभार्थियों की संख्या जिनमें नेट/स्लेट कोचिंग शामिल हैं, करीब 19 लाख है। अब 250 विश्वविद्यालय और 2252 कॉलेजों ने समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं।

पहले से ही विद्यमान छात्र सहयोगी कार्यक्रमों के बावजूद, कई नई योजनाएं इन वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी शुरू की गई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यूजीसी की ईशान उदय छात्रवृत्ति (10000) और ईशान विकास योजना, एआईसीटीई की सक्षम छात्रवृत्ति (1000) इत्यादि शामिल हैं।

कौशल विकास हेतु कई योजनाएं, बेरोजगारी की समस्या का प्रत्यक्ष रूप से समाधान करने के लिए तैयार भी की गई हैं। राष्ट्रीय कौशल अर्हता कार्यद्वारा तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और रोजगार क्षेत्र के बीच छात्र की आसान गतिशीलता को समर्थ बनाने के लिए स्थापित किया जाता है। अन्य योजनाएं, जैसे राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना, सामुदायिक कॉलेज योजना और सामुदायिक विकास योजना, पोलिटेक्निकों के माध्यम से प्रायोगिक प्रशिक्षण पर फोकस करती हैं और समुदाय, कॉलेजों और रोजगार क्षेत्र के बीच सहक्रिया का सृजन कर रही हैं।



अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अनुवीक्षण समिति (एनएमसी)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में जून, 2012 में “अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय अनुवीक्षण समिति” का गठन किया था जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त व्यक्तियों की शिक्षा और उसके अनुपालन से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को परामर्श देना है। समिति के गठन में संसद के सदस्य, शिक्षा मंत्री, बहुल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों के शिक्षा सचिव शामिल हैं। इस समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित शिक्षाविद्, कार्यकर्ता और प्रशासक भी शामिल हैं। एनएमसी की तीसरी बैठक 21 दिसम्बर, 2014 को आयोजित हुई थी।

इन सभी प्रयासों के कारण, राष्ट्रीय स्तर के बजाय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) तालिका में नीचे देखा जा सकता है।

उच्चतर शिक्षा में जीईआर (18-23 वर्ष)

वर्ष	अ.जा./अ.ज.जा. को छोड़कर जीईआर	अ.जा. के छात्रों का जीईआर	अ.ज.जा. के छात्रों का जीईआर
2010-11	21.44	13.5	11.2
2011-12	23.27	14.9	11.0
2012-13(पी)	23.59	15.12	11.04

स्रोत: अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

अल्पसंख्यकों हेतु शिक्षा

क) उच्चतर शिक्षा विभाग

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग (एनसीएमईआई)

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) की स्थापना 11 नवम्बर, 2004 को हुई थी जिसमें अपनी पसंद और अन्य की शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने तथा संबद्ध मामलों पर अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा पर केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार को सलाह देना था। इसके अतिरिक्त, इस आयोग की शक्तियों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान आयोग (संशोधन) अधिनियम 2006 और 2010 के माध्यम से और परिवर्तित किया गया है। यह आयोग एक अर्ध-न्यायिक निकाय है और इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

वर्ष 2014 के दौरान (1.4.2014 से 30.9.2014 तक) आयोग में कुल 1500 याचिकाएं प्राप्त हुई थीं। 1500 मामलों में से, 1273 मामलों का कोर्ट में निपटान किया गया था जिनमें पुराने मामले शामिल थे और 112 मामले आयोग द्वारा संक्षेपतः अस्वीकृत किए गए थे। आयोग ने वर्ष 2014-15 के दौरान सितम्बर, 2014 तक 699 अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र जारी किए हैं। आयोग द्वारा 30.9.2014 तक कुल 10094 अल्पसंख्यक दर्जा प्रमाणपत्र जारी किए हैं।

2. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति (एनएमसीएमई)

माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में 23 दिसम्बर 2011 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति (एनएमसीएमई) का पुनर्गठन किया गया था। इस समिति में विख्यात शिक्षाविद, संसद के सदस्य, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि, शैक्षिक संस्थाओं और अन्य हित-धारकों का है। दिनांक 5.3.2012 को आयोजित एनएमसीएमई की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति की एक स्थायी समिति और (1) अल्पसंख्यकों की व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास, (2) अल्पसंख्यकों के लिए लक्षित योजनाओं का कार्यान्वयन (3) अल्पसंख्यक की क्षेत्र-वार तथा जिला-वार शैक्षिक आवश्यकताओं की मैपिंग (4) बालिकाओं की शिक्षा तथा (5) उर्दू भाषा का संवर्धन तथा अंग्रेजी के ज्ञान के माध्यम से अल्पसंख्यकों के बीच तालमेल को बढ़ाने से संबंधित पांच उप समितियों का गठन भी किया गया है। व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात एनएमसीएमई की स्थायी समिति ने 21 मई, 2013 को अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

एनएमसीएमई की वार्षिक बैठक 6 जनवरी 2014 को दिल्ली में आयोजित की गयी थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भावी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने हेतु स्थायी समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा की गई थी।

3. मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना

मॉडल डिग्री कॉलेज 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले (ईबीडी), जिनमें 64 अल्पसंख्यक बहुल जिले शामिल हैं, स्थापित किए जाने के लिए लक्षित थे। एमसीडी में 27 मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना को अनुमोदित किया गया है। एमसीडी में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत जारी रहेगी।

4. पॉलिटेक्निक

पॉलिटेक्निकों से संबंधित उपमिशन के अंतर्गत, असेवित जिलों में नए पॉलिटेक्निक की स्थापना करने के लिए 12.30 करोड़ रुपये प्रति पॉलिटेक्नीक की सीमा तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 57 पात्र अल्पसंख्यक बहुल जिलों में से 55 में पॉलिटेक्निकों की स्थापना की गई है। शामिल नहीं किए गए 2 अल्पसंख्यक जिले दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। अण्डमान निकोबार द्वीप समूह सरकार ने योजना को शुरू करने की अपनी असमर्थता को पहले से ही व्यक्त कर दिया है। दिल्ली में शेष 1 जिले को 2014-15 में शामिल किया जा सकता है यदि योजना के मानदण्डों के अनुसार राज्य सरकार आवर्ती व्यय को पूरा करने की अपनी सहमति दें और निःशुल्क भूमि प्रदान करें।

5. महिला छात्रावास

महिलाओं की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य को प्राप्त करने और बड़े पैमाने पर समाज के विकास के लिए उपलब्ध संभावना का लाभ उठाने हेतु छात्रावास और अन्य अवसरचर्यात्मक सुविधाओं को प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए एवं महिलाओं में महिला-पुरुष समानता लाने और महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, महिला छात्रावास के निर्माण की योजना कार्यान्वित कर रहा है।

XIIवीं योजना अवधि के दौरान, यूजीसी ने अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में कुल 335 महिला छात्रावासों को अनुमोदित/संस्वीकृत किया है। वर्ष 2014-15 के दौरान, 69 महिला छात्रावासों को संस्वीकृत किया गया है जिनमें से 19 महिला छात्रावासों को सितम्बर, 2014 तक एमसीडी में संस्वीकृत किया गया है।

6. समान अवसर प्रकोष्ठ

चूंकि उच्चतर शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक समानता हेतु एक उपकरण है, यूजीसी भारत सरकार की नीतियों का कार्यान्वयन करके एवं लाभवंचित समूहों हेतु कई योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रोन्नयन करके तथा सामाजिक असमानता को दूर करके पहुंच, साम्यता, समानता की राष्ट्रीय चिंताओं का समाधान कर रहा है। लाभवंचित सामाजिक समूहों की आवश्यकताओं और बाध्यताओं हेतु कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए, यूजीसी ने लाभवंचित समूहों हेतु नीतियों और कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन का निरीक्षण करने और अकादमिक, वित्तीय, सामाजिक और अन्य मामलों में मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समान अवसर प्रकोष्ठ की स्थापना की एक योजना शुरू की है। XIवीं योजना (2007-2012) के दौरान उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर विश्वविद्यालय/कॉलेज समुदाय को जागरूक करने के कार्यक्रम भी यह प्रकोष्ठ चलाता है। यह नियोज्यता और सफलता को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर), महिलाएं/अल्पसंख्यक और निःशक्त व्यक्तियों को कोचिंग देने हेतु विशिष्ट योजनाएं संचालित करेगा।

विश्वविद्यालयों के लिए 2.00 लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान है जो ईओसी के कार्यालय की स्थापना करने हेतु प्रदान किया जाएगा।

कॉलेजों के लिए, यूजीसी बैठकों का आयोजन करने और सलाहकार को मानदेय देने हेतु व्यय, आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जैसाकि नीचे दिया गया है:

- स्नातकोत्तर कॉलेजों और अवर स्नातक कॉलेजों को क्रमशः 50,000/- रुपये और 30,000/- रुपये प्रति वर्ष तक की सहायता दी जाएगी। सलाहकार हेतु मानदेय 1000/- रुपये प्रति माह की दर पर दिया जाएगा।
- नए नामांकित छात्रों हेतु प्रत्येक अकादमिक सत्र की शुरुआत में राष्ट्रीय विकास के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सकारात्मक विभेदीकरण पर लघु अवधि पाठ्यक्रम को आयोजित करने के लिए 25000/- रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में, छात्रों से पूछा जाएगा कि उन्होंने क्या सीखा है उसका सारांश लिख कर दें और एक प्रमाणपत्र उन्हें जारी किया जा सकता है।

7. उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन

XIवीं योजना के दौरान उर्दू माध्यम शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु अकादमियां शुरू की गई थीं। ये अकादमियां तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों अर्थात् अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (एमएमयू), जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई), नई दिल्ली और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू), हैदराबाद में स्थापित की गई हैं।

एमएमयू ने 13 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित किए हैं, 416 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है, अनुवाद और पुस्तकों को तैयार करने पर 4 कार्यशालाएं आयोजित की हैं, शिक्षण समाग्री के रूप में 3 पाठ्यक्रम तैयार किए हैं, 2 विस्तार लेक्चर संचालित किए हैं और 2 प्रकाशन प्रकाशित किए हैं।

जेएमआई की अकादमी ने 1 दीक्षांत समारोह, 31 उन्मुखी कार्यक्रम, 21 कार्यशालाएं और 1 प्रेरक कार्यक्रम का संचालन किया है जिससे 1929 भागीदारों को लाभ प्राप्त हुआ है।

एमएएनयूयू ने अल्पसंख्यकों हेतु यूजीसी-नेट की कोचिंग का संचालन किया है जिसके द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए तैयार किया गया था। अब तक 16 बैचों को कोचिंग प्रदान की गई थी जिससे 772 छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ है। शैक्षिक वर्ष 2012-13 तक, 926 छात्रों ने एमएएनयूयू के उपचारी कोचिंग केन्द्र में कोचिंग प्राप्त की थी। अप्रैल 2013-14 में 175 छात्रों ने आरसीसीएम की कक्षाओं में भाग लिया। एमएएनयूयू ने सेवा में प्रवेश के लिए अल्पसंख्यकों को कोचिंग देने हेतु केन्द्र (सीसीएमईएस) ने वर्ष 2012-13 के दौरान समूह-I परीक्षा के लिए कोचिंग कार्यक्रम संचालित किया था, इस कार्यक्रम से 52 अभ्यर्थियों ने लाभ प्राप्त किया है। उर्दू माध्यम शिक्षकों के व्यावसायिक विकास हेतु केन्द्र (सीपीडीयूएमटी) ने वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 के दौरान 489 शिक्षकों हेतु 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं।

8. राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल)

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल) का उद्देश्य, देश में उर्दू भाषा का संवर्धन करना है और यह उर्दू भाषा से जुड़े मामलों पर भारत सरकार को सलाह देती है जिनका शिक्षा पर प्रभाव होता है और जो उसे भेजे जाते हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान (31.10.2014 तक), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एनआईईएलआईटी के माध्यम से कार्यान्वित कम्प्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस अकाउंटिंग तथा बहु-भाषीय डीटीपी (सीएबीए-एमडीटीपी) में एक वर्षीय डिप्लोमा के संचालन के लिए पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10 नए एनसीपीयूएल पूर्णतया सहायता प्राप्त अध्ययन

केन्द्र खोले गए थे। यह मौजूदा 415 केन्द्रों के अतिरिक्त हैं जिससे कुल संख्या 425 हो गई है जिसमें 4768 बालिकाओं सहित 11920 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया ताकि उर्दू भाषी लड़कों और लड़कियों को रोजगार योग्य प्रौद्योगिकीय कार्यबल बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा सके। अब तक 54628 बालिकाओं सहित 135371 विद्यार्थियों ने इस योजना के तहत डिप्लोमा प्राप्त किया है। इन बालिकाओं सहित लगभग 60% विद्यार्थियों ने निजी और स्थानीय संस्थाओं में नियोजन प्राप्त किया है।

पारंपरिक कैलीग्राफी के संरक्षण और संवर्धन के लिए, 53 कैलीग्राफी तथा ग्राफिक डिजाइन केन्द्र इस पाठ्यक्रम में पंजीकृत करीब 1301 छात्रों को लगातार शिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

187 सेमिनार, 41 व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन करने, मुद्रण सहायता प्रदान करने के लिए 130 लेखकों की पांडुलिपियां और अनुमोदन हेतु प्रस्ताव सहित वास्तविक लेखकों की 377 उर्दू पुस्तकों हेतु चयनित उर्दू संवर्धन कार्यकलापों को सहायता देने के लिए 735 एनजीओ/एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी गई।

एनसीपीयूएल, भारत सरकार के तहत मुख्य उर्दू प्रकाशन गृह है। वर्ष में प्रकाशन कार्य 16 नए शीर्षक, 19 पुनर्मुद्रण, 40 पाठ्यक्रम पुस्तकें, प्रकाशन हेतु समर्थित 01 पुस्तक, उर्दू दुनिया के 07 अंक, मासिक पत्रिका बच्चों की दुनिया के 07 अंक और तिमाही पत्रिका फिक्र-ओ-तहकीक के 03 अंक शामिल हैं, को प्रकाशित किया गया है।

उर्दू पुस्तक मेलों के आयोजन द्वारा बिक्री और प्रदर्शनी के माध्यम से उर्दू पुस्तकों का संवर्धन किया जाता है। एनसीपीयूएल ने अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित 4 पुस्तक मेलों में भाग लिया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों को शामिल करने के लिए प्रदर्शनी वैन के 3 ट्रिप लगाए गए थे।

एनसीपीयूएल ने प्रस्तुति की विभिन्न अकादमिक परियोजनाएं जारी रखीं जिनमें 3 शब्दकोश, 2 विश्वकोष, प्रक्रियाधीन 3 परिभाषिक शब्दावली, 2 पैनल बैठकें, 02 आयोजित कार्यशालाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, 10 परियोजनाओं/पाण्डुलिपियों को अंतिम रूप दिया गया और प्रस्तुति अनुभाग को भेजा गया था। विभिन्न परियोजनाओं के तहत यूनानी दवाएं, जन संचार, कानूनी अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान पैनल प्रगति पर हैं। एनसीपीयूएल ने दिल्ली में 26 से 28 सितम्बर, 2014 से 'गालिब संस्थान' के साथ सहयोग करके तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध विद्वान सेमिनार और नई दिल्ली में 30 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 2014 तक 21 वीं शताब्दी में 'सामाजिक-सांस्कृतिक उर्दू के विकास' पर एक तीन दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन आयोजित किया था।

एनसीपीयूएल का जनवरी, 2015 में बिहार में 'उर्दू पर कार्य कर रहे पत्राचारों के क्षमता निर्माण पर एक लघु अवधि पाठ्यक्रम' का प्रस्ताव है।

पेपर में की में 6 माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम जम्मू और कश्मीर राज्य में कश्मीर विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करके 3 केन्द्रों में शुरू किया गया था। 120 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया और पाठ्यक्रम का प्रथम बैच पूरा किया गया था।

एनसीपीयूएल प्रत्यायित केन्द्रों और सीधे शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के माध्यम से उर्दू पत्राचार पाठ्यक्रम संचालित करता है। कुल 1181 केन्द्रों को तैयार करने के लिए 598 मौजूदा केन्द्रों के अतिरिक्त 196 उर्दू अध्ययन केन्द्र (756 उर्दू डिप्लोमा (38 केन्द्र बंद हो गए) और 425 सीएबीए-एमडीटीपी) स्थापित किए गए थे जिनमें कम्प्यूटर केन्द्र शामिल हैं, उर्दू डिप्लोमा उन अध्येताओं के लिए अनिवार्य है जो कम्प्यूटर पाठ्यक्रम सीख रहे हैं। करीब 1240 अंश-कालिक उर्दू शिक्षकों को रोजगार प्राप्त हुआ और 62840 (50920 उर्दू डिप्लोमा + 11920 सीएबीए-एमडीटीपी) छात्र जिनमें 30030 (25262 उर्दू डिप्लोमा + 4768 सीएबीए - एमडीटीपी) शामिल बालिकाओं ने दाखिला लिया। उर्दू ऑनलाइन अधिगम पाठ्यक्रम शुरू हुआ जिनमें 10359 भारतीय और अपने आप ऑनलाइन पंजीकृत 647 विदेशियों सहित 11006 अध्येता शामिल थे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, एनसीपीयूएल को भारत की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करने के लिए शास्त्रीय भाषा अरबी और फारसी का प्रोन्नयन करने के लिए अतिरिक्त जिम्मेवारी सुपुर्द की गई है। कार्यात्मक अरबी में डिप्लोमा और एक वर्ष प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम प्रत्यायित केन्द्रों और सीधे आने वाले अध्येताओं के लिए माध्यम संचालित है। 586 केन्द्रों को (24 बंद है) जारी रखने के लिए, मौजूदा 505 केन्द्रों के अतिरिक्त 105 नए अध्ययन केन्द्र हैं। 1343 अंश कालिक अरबी शिक्षकों को 35137 अध्येताओं को शिक्षण देने का नियोजन प्राप्त हुआ था जिनमें दोनों पाठ्यक्रमों में दाखिल 15328 बालिकाएं शामिल थीं।

ख) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

1. सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) सुलभता, समानता और गुणवत्ता के मुद्दों का समाधान करता है और हमारे राज्यतंत्र की धर्म निरपेक्ष परिधि में स्कूलों को मुक्त और समावेशी बनाता है। इस योजना की कवरेज का इस प्रकार विस्तार किया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त स्वयंसेवी मदरसों/मकतबों की पहचान करने के साथ-साथ अन्य स्वयंसेवी मदरसों/मकतबों जो पंजीकृत

अथवा मान्यता प्राप्त न हो लेकिन राज्य परियोजना निदेशालयों के साथ समन्वय करके सर्व शिक्षा अभियान हस्तक्षेपों के तहत सहायता प्राप्त करते हैं।

अल्पसंख्यकों के लिए वित्तीय और वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करने से संबंधित योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं ताकि अल्पसंख्यक समुदायों को लाभ सुनिश्चित किया जा सके जैसा सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के मामले में है जहां अल्पसंख्यकों का शेयर 20% तक का है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में, मुस्लिम अल्पसंख्यकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न पहलें शुरू की गई हैं— सर्व शिक्षा अभियान ने देश में 88 मुस्लिम बहुल जिलों की पहचान की है जिसमें वर्ष 2014-15 हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत 1038666.59 लाख का जो कुल आबंटनो का (19%) है, को इन 88 विशेष फोकस जिलों के लिए अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2014-15 तक सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम के 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूलों और 3 किलोमीटर के भीतर उच्च प्राथमिक स्कूलों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 204686 प्राइमरी स्कूलों और 159427 उच्च प्राथमिक स्कूलों को संस्वीकृति प्रदान की गई है।

2. मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (एसपीक्यूईएम)

एसपीक्यूईएम, मदरसों में गुणवत्तायुक्त सुधार लाना चाहता है ताकि औपचारिक शिक्षा विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के मानदण्डों को प्राप्त करने के लिए मुस्लिम बच्चों को समर्थ बना सके। एसपीक्यूईएम योजना की मुख्य विशेषताएं हैं:

- औपचारिक पाठ्यचर्या विषयों जैसे विज्ञान, गणित, भाषा, सामाजिक विज्ञान आदि के शिक्षण हेतु मदरसों में शिक्षक मानदेय भुगतान में बढ़ोतरी के माध्यम से क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण।
- इन शिक्षकों को नई शिक्षा शास्त्र पद्धतियों में प्रत्येक दो वर्ष में प्रशिक्षण।
- माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर के मदरसों में वार्षिक रखरखाव लागतों के साथ विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर प्रयोगशाला उपलब्ध करना।
- प्रारंभिक/उच्च प्रारंभिक स्तर मदरसों में विज्ञान/गणित किटों का प्रावधान।
- मदरसों के सभी स्तरों में पुस्तकालय/पुस्तक बैंक और शिक्षण शिक्षा सामग्री का सुदृढ़ीकरण करना।

vi) इस संशोधित योजना की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि यह औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्यायित केन्द्र के रूप में राष्ट्रीय मुक्त स्कूल संस्थान (एनआईओएस) के साथ मदरसों को संपर्क में रहने को प्रोत्साहित करेगी, जो कक्षा 5,8,10 और 12 हेतु प्रमाणन प्राप्त करने के लिए इन मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को सक्षम बनाएगी। यह योजना उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवृत्त होने के लिए सक्षम बनाएगी और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के सदृश गुणवत्तायुक्त मानक भी सुनिश्चित करेगी। एनआईओएस की पंजीकरण और परीक्षा फीस के साथ-साथ उपयोग की जाने वाली शिक्षण और अधिगम सामग्रियों को भी इस योजना में कवर किया जाएगा।

vii) मदरसों में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा के लिए इस योजना के तहत एनआईओएस के साथ संपर्क को बढ़ाया जाएगा।

viii) योजना की निगरानी करने और लोकप्रिय बनाने हेतु यह राज्य मदरसों बोर्डों को निधियां प्रदान करेगा। भारत सरकार स्वयं आवधिक मूल्यांकन करेगी जिसमें पहला दो वर्षों के भीतर होगा।

इस योजना के तहत, XIIवीं योजना में इस योजना के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2014-15 के दौरान, 375 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान, मदरसों और अल्पसंख्यकों (एसपीईएमएम) को शिक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना के लिए किया गया है। चूंकि एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई विलयित हो गई हैं और 6.21 करोड़ (आईडीएमआई के तहत) रुपये की राशि ही 31 अक्टूबर, 2014 तक 6 राज्यों में लाभ प्राप्त करने वाले 46 संस्थाओं को जारी की गई है। तथापि, एसपीक्यूईएम के तहत, अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई है।

3. अल्प संस्थाओं में अवसंरचना विकास की योजना (आईडीएमआई)

आईडीएमआई का उद्देश्य अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए निजी सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त/अल्पसंख्यक स्कूल/संस्थाओं में अवसंरचना में वृद्धि करना है। आईडीएमआई योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:-

- यह योजना अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की औपचारिक शिक्षा हेतु सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक संस्थाओं में स्कूल अवसंरचना में वृद्धि करने और सुदृढ़ करके अल्पसंख्यकों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करेगी।

- ii) यह योजना सम्पूर्ण देश को शामिल करेगी लेकिन वरीयता अल्पसंख्यक संस्थाओं (निजी सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त स्कूल) जो उन जिला ब्लॉकों और शहरों में स्थित हैं और जहां अल्पसंख्यक जनसंख्या 20% से अधिक है, को दी जाएगी।
- iii) यह योजनाएं अन्य बातों के साथ-साथ बालिकाओं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और वे बच्चे जो अल्पसंख्यकों में शैक्षिक रूप से सर्वाधिक वंचित हैं, को शिक्षा सुविधाओं के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- iv) यह योजना 75% की सीमा तक निजी सहायता प्राप्त/गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं के अवसंरचना विकास और बच्चों के लिए मौजूदा स्कूलों में शैक्षिक अवसंरचना और भौतिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 50 लाख रुपए प्रति संस्थान के अध्याधीन 75% की सीमा तक निधि प्रदान करेगी जिनमें (i) अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (ii) विज्ञान/कम्प्यूटर प्रयोगशाला कक्ष (iii) लाइब्रेरी कक्ष (iv) शौचालय (v) पेयजल सुविधाएं और (vi) छात्रावास भवन विशेषतया लड़कियों के लिए, शामिल हैं।

इस योजना के तहत, 12वीं योजना में इस योजना के लिए 325 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। वर्ष 2014-15 के दौरान 375 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान, मदरसों और अल्पसंख्यकों (एसपीईएमएम) को शिक्षा प्रदान करने की योजना हेतु किया गया है। चूंकि एसपीक्यूईएम और आईडीएमआई योजना विलयित हो गई है और 6.21 करोड़ रुपए (आईडीएमआई के तहत) 31.10.2014 तक 46 संस्थाओं को लाभ प्रदान करने के लिए 6 राज्यों को ही जारी किए गए हैं। तथापि, एसपीक्यूईएम के तहत अभी तक कोई राशि जारी नहीं की गई है।

4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अपर प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए आवासीय स्कूल हैं, जिनमें न्यूनतम 75% सीटें अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए होती हैं।



शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में संस्वीकृत सभी 544 केजीबीवी, जिसमें 20% मुस्लिम जनसंख्या शामिल हैं, (देश में ईबीबी में संस्वीकृत 3609 में से) अब चल रहे हैं।

अल्पसंख्यक ब्लॉकों में स्थित केजीबीवी में उर्दू माध्यम अनुदेश हेतु एक पृथक अनुभाग बनाने का प्रावधान किया गया है।

5. जवाहर नवोदय विद्यालय योजना (जेएनवी)

जवाहर नवोदय विद्यालय योजना का उद्देश्य परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना, ग्रामीण क्षेत्रों से श्रेष्ठ प्रतिभावान बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है। देश के 628 जिलों में से (15.04.2012 की स्थिति के अनुसार) तमिलनाडु राज्य को छोड़कर, जिसने नवोदय विद्यालय योजना को अभी तक स्वीकार नहीं किया है, कुल 576 जिलों को नवोदय विद्यालय योजना के तहत पहले से ही शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने वर्ष 2008-09 के दौरान उन जिलों में 20 अतिरिक्त जेएनवी को संस्वीकृति भी दी है जिनमें अ.जा./अ.ज.जा. की जनसंख्या अधिक है और मणिपुर राज्य में 2 और जेएनवी स्वीकृत किए हैं। 12 जेएनवी में कक्षा 6 से 8 के लिए अध्ययन का माध्यम उर्दू है। इसके अतिरिक्त, उर्दू को 35 स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जा रहा है।

6. बालिका छात्रावास योजना

बालिका छात्रावास योजना में देश के 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में से प्रत्येक में 100 बालिकाओं की क्षमता वाला एक छात्रावास का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, पहुंच में सुधार करना और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षा (IX से XII) में बालिकाओं को बनाए रखना है ताकि बालिकाएं स्कूल की दूरी, माता-पिता की वित्तीय क्षमता और अन्य संबद्ध सामाजिक कारकों के कारण अपने अध्ययन को जारी रखने के अवसर से वंचित न रह सकें। 13192.88 लाख रुपए की राशि 268 अनुमोदित बालिका छात्रावासों के लिए जारी की गई है। अल्पसंख्यक बहुल जिलों में 239 छात्रावासों को संस्वीकृत किया गया है जिनमें से 19 छात्रावास कार्यात्मक हो गए हैं।

7. मॉडल स्कूल योजना

मॉडल स्कूल योजना में प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्कृष्टता के बैचमार्क के रूप में देश के प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल— कुल 6000 मॉडल स्कूलों को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

इस योजना के कार्यान्वयन की दो पद्धतियां हैं अर्थात् (i) 3,500 मॉडल स्कूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में स्थापित किए जाने हैं; और (ii) शेष 2,500 मॉडल स्कूल उन ब्लॉकों में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत स्थापित किए जाने हैं जो शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं हैं।

अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों के रूप में अभिनिर्धारित 1228 ब्लॉकों में से, 672 ब्लॉक ईबीबी की सूची में हैं और शेष 556 एमसीबी, गैर-ईबीबी की सूची में हैं। 271 मॉडल स्कूलों को ईबीबी के अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों में अनुमोदित किया गया है, इसमें से 165 मॉडल स्कूल अल्पसंख्यक जनसंख्या के 25% से अधिक एमसीबी वाले ब्लॉकों में हैं।

योजना के पीपीपी घटक के तहत, 2,500 मॉडल स्कूलों की स्थापना गैर-ईबीबी में की जाएगी जिनमें अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों में स्थित स्थान भी शामिल हैं।

8. भाषा शिक्षकों की नियुक्ति

भाषा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और 1000 रुपए प्रतिमाह की दर से छात्रों को उर्दू सिखाने हेतु अंश-कालिक शिक्षकों को मानदेय प्रदान करना भी अनुमत्य है। उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का मौजूदा मानदंड तभी लागू है जहां 15 या उससे अधिक छात्रों ने उर्दू का विकल्प दिया हो। उर्दू भाषा के स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति ऐसे स्थान/स्कूलों में की जाए जहां उर्दू भाषा की मांग हो, कक्षा में 15 से अधिक बच्चे लगातार रहें ताकि स्थायी उर्दू के शिक्षक खाली न रहें। किसी भी स्थान में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के पिछले मानदंड में जहां 25% से अधिक जनसंख्या उर्दू बोलने वाले समुदाय की हो, परिवर्तन किया गया है। अगली पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक वित्तीय सहायता देय है। इस योजना का उद्देश्य जहां तक आवश्यक हो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्दू का प्रोन्नयन ध्यान में रखते हुए छात्रों को उर्दू पढ़ाने हेतु मौजूदा शिक्षकों को मानदेय देने के लिए/उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना मांग पर आधारित है। यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्ताव पर निर्भर करती है। अतः कोई वास्तविक/वित्तीय लक्ष्य निश्चित नहीं किया जा सकता। वर्ष 2013-14 के दौरान 1.13 करोड़ रुपए की राशि 42 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पंजाब सरकार को जारी की गई थी।

9. शिक्षक शिक्षा

शिक्षक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में 196 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक बहुल जिलों में शिक्षक शिक्षा की ब्लॉक संस्थाओं (बीआईटीईएस) की स्थापना का प्रावधान है। 12वीं योजना अवधि के वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान, अनुमोदित 122 बीआईटीईएस में से, 51 बीआईटीई को अल्पसंख्यक बहुल जिलों में संस्वीकृति दी गई है।

10. अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआईओएस) के तहत पहले

अंतर्राष्ट्रीय पहचान और उपस्थिति के साथ, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, शिक्षा की मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति के माध्यम से अनवरत और शिक्षार्थी केन्द्रित गुणवत्ता स्कूल शिक्षा की पहुंच प्रदान करता है।

मुस्लिम अल्पसंख्यकों को आधुनिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए, एनआईओएस द्वारा कई छूटें प्रदान की गई हैं जैसे ख्यातिप्राप्त मदरसे, जो राज्य मदरसा बोर्ड के साथ संबद्ध नहीं हैं उनको भी कतिपय शर्तों के अधधीन प्रत्यायन प्रदान किया जा सकता है। प्रत्यायित मदरसों और मकतबों को प्रत्यायन शुल्क के रूप में 5000 रुपये का भुगतान करने की छूट दी गई है। प्रत्यायन के लिए अवसरचरणात्मक मानदण्डों में भी छूट दी गई है। मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) को संचालनरत करने के लिए, एनआईओएस पाठ्यक्रमों में मदरसों के माध्यम से नामांकित मुस्लिम छात्रों को शुल्क में पूरी छूट दी जाती है। एसपीक्यूईएम योजना के तहत, मदरसे/मकतबों/दारुल-उलूम, माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एनआईओएस के साथ प्रत्यायित अध्ययन केन्द्र बनने का विकल्प चुन सकते हैं। वे मदरसे जो कम से कम तीन वर्षों से अस्तित्व में हैं और केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम अथवा मदरसा बोर्ड अथवा वक्फ बोर्ड अथवा एनआईओएस के तहत पंजीकृत थे, इस कार्यक्रम के तहत सहायता हेतु आवेदन के पात्र होंगे। एनआईओएस पाठ्यक्रम, उर्दू पृष्ठभूमि वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लाभ के लिए उर्दू माध्यम में उपलब्ध कराए गए हैं। एनआईओएस भाषा श्रेणी में मौजूदा छः विषयों के अतिरिक्त अगले अकादमिक सत्र से वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पाठ्यचर्या हेतु अतिरिक्त विषयों के रूप में अरबी और फारसी को शुरू करने की भी योजना बना रहा है।



अध्याय 12

विशेष श्रेणी वाले राज्यों
में शैक्षिक विकास

विशेष श्रेणी वाले राज्यों में शैक्षिक विकास

प्रस्तावना – विशेष श्रेणी वाले राज्य

वर्तमान में 11 ऐसे राज्य हैं जो विशेष श्रेणी वाले राज्य के अन्तर्गत आते हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। इन राज्यों की कुछ भिन्न विशेषताएं हैं। इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, पर्वतीय भू-भाग हैं और विशिष्ट रूप से भिन्न सामाजिक

आर्थिक विकासात्मक मानदंड हैं। इन राज्यों को अवसंरचनात्मक विकास हेतु अपने प्रयासों में भौगोलिक असुविधाएं भी होती हैं। इन राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक व्यय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्वोत्तर के राज्यों में विकास भी देरी से हुआ है। उपर्युक्त कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार विशेष श्रेणी के राज्यों को योजना सहायता में अनुदान के रूप में 90 प्रतिशत संस्वीकृति प्रदान करती है।

विशेष श्रेणी वाले राज्यों में शिक्षा की एक झलक

क्र. सं.	राज्य	संस्थाओं की संख्या		नामांकन		सकल नामांकन अनुपात		लैंगिक समता सूचकांक		जीएसडीपी के प्रतिशत के तौर पर शिक्षा व्यय (2012-13)
		स्कूल शिक्षा I-XII 2011-12	उच्चतर शिक्षा 2012-13 (पी)	स्कूल शिक्षा I-XII 2011-12	उच्चतर शिक्षा 2012-13 (पी)	कक्षाएं I-XII (6-17 वर्ष) 2011-12	उच्चतर शिक्षा (18-23 वर्ष) 2012-13(पी)	कक्षाएं I-XII (6-17 वर्ष) 2011-12	उच्चतर शिक्षा (18-23 वर्ष) 2012-13(पी)	
1	अरुणाचल प्रदेश	3381	40	392392	31864	95.2	19.3	0.95	0.90	4.08
2	असम	50795	613	5186893	467111	63.7	12.8	1.18	0.99	6.04
3	मणिपुर	4028	103	597700	89923	94.5	30.3	1.03	0.99	5.57
4	मेघालय	13324	93	803423	60546	90.0	17.3	1.08	1.02	4.12
5	मिजोरम	3894	41	265312	28302	95.7	21.3	0.96	0.98	8.34
6	नागालैण्ड	2720	72	381143	35003	66.0	13.9	1.01	0.71	4.72
7	सिक्किम	1217	23	144972	18882	94.8	23.6	1.08	1.21	2.75
8	त्रिपुरा	4455	61	787428	62546	94.2	14.0	1.00	0.71	4.19
9	जम्मू और कश्मीर	27428	386	1497451	183514	75.3	24.1	1.00	1.03	4.58
10	हिमाचल प्रदेश	17509	392	2469573	338656	100.4	23.8	1.00	1.02	4.55
11	उत्तराखंड	23113	517	2228099	411007	83.9	33.1	1.01	1.05	3.55

स्रोत: (1) स्कूल शिक्षा सांख्यिकी 2011-12
(2) उच्चतर शिक्षा अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2012-13 (अंतिम)
(3) शिक्षा पर बजटीय व्यय का विश्लेषण 2012-13

स्कूल शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) समयबद्ध रूप में, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की प्राप्ति हेतु भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जैसाकि 6-14 वर्ष आयु समूह के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना, भारत के संविधान के 86 वें संशोधन द्वारा अधिदेशित है, एक मौलिक अधिकार है। एसएसए जीवन कौशलों सहित गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा करता है। एसएसए का विशेष ध्यान बालिका शिक्षा और विशेष जरूरतों वाले बच्चों पर है। एसएसए डिजिटल डिवाइड में सेतु बनाने के लिए कम्प्यूटर शिक्षा भी प्रदान करने की अपेक्षा करता है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)

आरएमएसए एक मुख्य योजना है जो मार्च, 2009 में शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य 15-16 वर्ष आयु समूह के सभी युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध, सुलभ कराना और उसे वहनीय बनाना है। केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात स्कूल, बालिका छात्रावास, माध्यमिक स्तर और व्यावसायिक शिक्षा में निःशक्तों हेतु समावेशी शिक्षा में आईसीटी, आरएमएसए के तहत वर्ष 2013-14 से शामिल की गई थी। आरएमएसए को पूर्वोत्तर क्षेत्र में 90:10 के भागीदारी पैटर्न के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

विशेष श्रेणी वाले राज्यों हेतु स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा
संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति

राज्य	संस्वीकृत बालिका छात्रावासों की संख्या*	व्यावसायिक शिक्षा के तहत अनुमोदित स्कूलों की संख्या*	संस्वीकृत मॉडल स्कूलों की संख्या#	कार्यात्मक केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या#	कार्यात्मक जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या#	संस्वीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की संख्या#	कार्य कर रहे जनशिक्षण संस्थानों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	5	11	--	14	16	48	1
असम	80	--	67	55	27	57	5
मणिपुर	--	30	--	7	11	11	3
मेघालय	9	--	9	7	8	10	--
मिजोरम	1	--	1	4	7	1	1
नागालैंड	11	--	11	5	11	11	1
सिक्किम	--	8	--	2	4	1	--
त्रिपुरा	5	--	6	9	4	9	1
हिमाचल प्रदेश	5	100	--	23	12	10	1
जम्मू और कश्मीर	68	110	--	37	17	99	2
उत्तराखंड	19	33	--	43	13	28	6

*वर्ष 2014-15 के दौरान

#वर्ष 2014-15 तक

उच्चतर शिक्षा

विशेष श्रेणी वाले राज्यों में उच्चतर शिक्षा के सुधार की संभावना कुछ समय के लिए भारत सरकार की मुख्य चिंताओं में से एक रही है। यह स्पष्ट रूप से विश्वास किया जाता है कि उत्तर पूर्व के समग्र विकास का शैक्षिक नेटवर्क के विस्तार के साथ मजबूत संबंध है। माननीय

मानव संसाधन विकास मंत्री ने 21 दिसम्बर, 2014 को आयोजित अ.जा, अ.ज.जा एवं निःशक्त व्यक्तियों के शैक्षिक विकास हेतु राष्ट्रीय अनुवीक्षण समिति की बैठक में भी इनके लिए रोड़-मैप तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे पूर्वोत्तर के लोगों की राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों की मुख्य धारा में सक्रिय भागीदार बनने की चिर-प्रतीक्षित अभिलाषा को पूरा किया जा सके।

विशेष श्रेणी के राज्यों में केन्द्रीय वित्तपोषित उच्चतर शैक्षिक संस्थाएं

राज्य	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	आई आईएम	आई आईटी	एन आईटी	अनुमोदित मॉडल डिग्री कॉलेज	पोलिटेक्निकों की संख्या
अरुणाचल प्रदेश	01			01*	06	2
असम	02		01	01	12	4
मणिपुर	02			01*		6
मेघालय	01	01		01*	05^	3
मिजोरम	01			01*	07^	14
नागालैंड	01			01*	01^	21
सिक्किम	01			01*	04^	6
त्रिपुरा	01			01	03	8
हिमाचल प्रदेश	01				04^	5
जम्मू और कश्मीर	02			01	08	18
उत्तराखंड	01					1

*नए एनआईटी

^प्रस्तावित

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान: आरयूएसए का उद्देश्य भी उच्चतर शिक्षा में योजनागत निवेश में वृद्धि करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना है। योजना के घटक में कलस्टर विश्वविद्यालयों की स्थापना, शोध तथा नवाचार में सुधार, डिग्री कॉलेजों का उन्नयन इत्यादि शामिल है। केन्द्र-राज्य निधियन पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए 90:10 तथा अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 65:35 के अनुपात

में होगा। सहायता केवल सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए दी जाएगी। 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना की पूर्व योजना को पोलिटेक्निकों को शामिल करने के साथ ही आरयूएसए के तहत सम्मिलित किया गया है।

विभिन्न घटकों के तहत जारी निधियां नीचे तालिका में दर्शाई गई हैं (15 फरवरी, 2015 के अनुसार):

क्र.सं.	राज्य	घटक	राशि (रुपये में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	प्रारंभिक अनुदान	270,00,000
		एमएमईआर अनुदान	2,70,000
		अवसंरचना विकास	45,00,000
2.	असम	प्रारंभिक अनुदान	360,00,000
		एमएमईआर अनुदान	3,60,000
		मॉडल डिग्री कॉलेज	600,00,000
		विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान	234,00,000
		कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान	810,00,000
3.	मणिपुर	प्रारंभिक अनुदान	270,00,000
		एमएमईआर अनुदान	2,70,000
		कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान	450,00,000
		उच्चतर शिक्षा का व्यावसायिकरण	18,00,000
4.	मिजोरम	प्रारंभिक अनुदान	270,00,000
		एमएमईआर अनुदान	2,70,000
		कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान	236,25,000
5.	नागालैंड	प्रारंभिक अनुदान	270,00,000
		एमएमईआर अनुदान	2,70,000
		नया मॉडल डिग्री कॉलेज (सामान्य)	135,00,000
		कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान	337,50,000
6.	सिक्किम	उच्चतर शिक्षा का व्यावसायिकरण	112,50,000
		प्रारंभिक अनुदान	270,00,000
7.	त्रिपुरा	प्रारंभिक अनुदान	270,00,000
		एमएमईआर अनुदान	2,70,000
		मॉडल डिग्री कॉलेज	1502,00,000
		एमएमईआर अनुदान	15,02,000
		कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान	222,50,000
8.	जम्मू और कश्मीर	प्रारंभिक अनुदान	360,00,000
		एमएमईआर अनुदान	3,60,000
		विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान	450,00,000
		मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल डिग्री कॉलेजों में उन्नयन	135,00,000
		कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान	489,81,000
		उच्चतर शिक्षा का व्यावसायिकरण	75,94,000
		कलस्टर विश्वविद्यालयों का सृजन	823,50,000
9.	हिमाचल प्रदेश	प्रारंभिक अनुदान	360,00,000
		एमएमईआर अनुदान	3,60,000
		विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान	225,00,000
		मौजूदा डिग्री कॉलेजों का मॉडल डिग्री कॉलेजों में उन्नयन	45,00,000

क्र.सं.	राज्य	घटक	राशि (रुपये में)
10.	अरुणाचल प्रदेश	प्रारंभिक अनुदान	270,00,000
		कॉलेजों को अवसंरचना अनुदान	562,50,000
		समानता पहल	52,65,000
		व्यावसायिक कॉलेज (नए)	292,50,000
11.	उत्तराखंड	प्रारंभिक अनुदान	360,00,000
		एमएमईआर अनुदान	3,60,000
		विश्वविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान	337,50,000

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 9 क्षेत्रीय केन्द्र अगरतला, ऐजवाल, गंगटोक, गुवाहाटी, इम्फाल, ईटानगर, जोरहाट, कोहिमा और शिलांग में स्थित हैं। इग्नू क्षेत्रीय केन्द्र जम्मू और इग्नू

क्षेत्रीय केन्द्र श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर राज्य के जनसमूह को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए स्थापित किए गए थे। शिमला और देहरादून में इग्नू के क्षेत्रीय केन्द्र क्रमशः हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में उच्चतर शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों हेतु नई पहलें

ईशान उदय: यूजीसी ने अकादमिक सत्र 2014-15 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों हेतु एक विशेष छात्रवृत्ति योजना ईशान उदय शुरू की है। इस योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों को 10,000 छात्रवृत्तियों का अनुदान परिकल्पित है जिनके माता-पिता की आय 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है और देश के कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में अवर स्नातक स्तर पर अध्ययन कर रहे छात्रों के लिए 3500 से 5000 रु. प्रतिमाह तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

ईशान विकास: यूजीसी ने पूर्वोत्तर राज्यों से स्कूल और कॉलेज स्तर से चयनित छात्रों को अपनी अवकाश अवधि के दौरान आईआईटी, एनआईटी और आईआईएसईआर के साथ नजदीकी संपर्क में लाने के लिए एक व्यापक योजना शुरू की है। एक्सपोजर या एक इंटर्नशिप कार्यक्रम के रूप में, इन संस्थाओं में से किसी एक के लिए दस दिन की अवधि हेतु एक विशिष्ट दौरा परिकल्पित किया गया है। प्रत्येक स्कूल कक्षा IXवीं और Xवीं के लगभग 32 छात्रों के समूह के साथ एक अध्यापक भेजेगा। कॉलेज छात्र ग्रीष्मकाल और शीतकाल में दो समूह में संगठित होंगे, जिसमें प्रत्येक समूह में 32 छात्र शामिल होंगे। अकादमिक वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र से लगभग 2016 कॉलेज छात्र और 504 शिक्षक इन संस्थाओं का दौरा करेंगे।

इन सुविधाओं की कमी वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी पाठ्यक्रमों में सीटों के आरक्षण की योजना: मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास उन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए, जिनके पास इंजीनियरिंग कॉलेज/पॉलीटेक्निक नहीं हैं अथवा तकनीकी शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्र में और विदेशी छात्रों सहित कतिपय श्रेणियों में शिक्षा

हेतु सुविधाओं की कमी है, एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित डिग्री और डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में संचालित इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/वास्तुकला/फार्मसी पाठ्यक्रमों में सीटों के आरक्षण की योजना है। इस योजना के तहत 2014-15 के शैक्षिक सत्र के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित सीटों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	डिप्लोमा पाठ्यक्रम	डिग्री पाठ्यक्रम
1	त्रिपुरा	25	50
2	मिजोरम	18	121
3	मणिपुर	35	113
4	नागालैंड	50	150
5	अरुणाचल प्रदेश	162	150
6	असम	30	19
7	मेघालय	27	100
8	सिक्किम	30	40

भाषा विकास: मंत्रालय और विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु अपनी भाषा संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं और हिन्दी दोनों के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत विशेष पहलें शुरू की हैं।

- i) **केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय** अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हिन्दी के प्रोन्नयन, प्रचार और विकास हेतु कार्य कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु हिन्दी बोडो-अंग्रेजी, हिन्दी-बोडो वार्तालाप पुस्तिका, हिन्दी-असमी अंग्रेजी शब्दकोश प्रकाशित हो चुके हैं। भारतीय भाषा कोश और तत्सम शब्द कोश में पूर्वोत्तर राज्यों की भाषाओं और कश्मीरी को भी शामिल किया गया है।
- ii) **केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (केएचएस):** पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के 3 केन्द्र स्थित हैं नामतः गुवाहाटी केन्द्र, शिलांग केन्द्र तथा दीमापुर केन्द्र जो हिन्दी शिक्षकों के लिए अभिमुखीकरण पाठ्यक्रमों का आयोजन करने में लगे हुए हैं और असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, नागालैण्ड और मणिपुर की राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं।
- iii) **केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल),** मैसूर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न जनजातीय भाषाओं के संबंध में कार्य कर रहा है। यह संस्थान जनजातीय समूहों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। यह 'मातृभाषा' में शिक्षा को बढ़ावा देने और स्थानीय भाषाओं तथा संस्कृति के संरक्षण हेतु भी कार्य करता है। यह संस्थान डोगरी भाषा के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित भी करता है।
- iv) **राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् (एनसीपीयूएल)** ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कई कम्प्यूटर अनुप्रयोग तथा बहुभाषीय डीटीपी केन्द्रों की स्थापना की है। देश के गैर-उर्दू क्षेत्रों में उर्दू भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए, दूरस्थ पद्धति के माध्यम से उर्दू अधिगम का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है,

एनसीपीयूएल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई प्रत्यायित उर्दू अध्ययन केन्द्र हैं।

एनसीपीयूएल विभिन्न योजनाओं के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य में उर्दू भाषा के प्रोन्नयन हेतु कार्यरत गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

- v) **वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी):** पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विभिन्न विषयों में शब्दावलियों को असमी, मणिपुरी और बोडो भाषा में तैयार किया जा रहा है। विभिन्न विषयों की 13 शब्दावलियां प्रकाशित की जा चुकी हैं और कुछ का कार्य प्रगति पर है। सीएसटीटी द्वारा विकसित शब्दावली से परिचित होने के लिए, वर्ष 2014 में आइजोल (मिज़ोरम) में शिक्षकों हेतु एक सेमिनार आयोजित किया गया था। इस सेमिनार में पूर्वोत्तर क्षेत्र के कॉलेजों/विश्वविद्यालयों से लगभग 80 शिक्षक आमंत्रित थे।

जम्मू और कश्मीर राज्य में, त्रिभाषा शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी-क्षेत्रीय भाषा) की तैयारी की योजना के अंतर्गत सीएसटीटी ने कुछ परियोजनाएं अर्थात् **डोगरी** में वनस्पति-विज्ञान और कृषि की शब्दावली और **कश्मीरी** में लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान की तैयारी शुरू की हैं। सीएसटीटी की योजना के अनुसार, शब्दावलियों को प्रायः सभी विषयों में तैयार किया जाना है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी): न्यास ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई पुस्तक मेलों, साहित्यिक गतिविधियों और विशेष खरीद अभियान के माध्यम से अपनी पुस्तक संवर्धन गतिविधियों को बढ़ाया। इसके अतिरिक्त, न्यास ने अगरतला और गुवाहाटी में अपने पुस्तक संवर्धन केन्द्र भी खोले। न्यास ने समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान पुस्तक पढ़ने की प्रवृत्ति का सृजन करने और घाटी में लोगों को एनबीटी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए जम्मू और कश्मीर में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। विशेष रूप से जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में, पुस्तकों के संवर्धन और पढ़ने के अपने प्रयासों के भाग के रूप में, न्यास बच्चों के लिए शिक्षा शिविर आयोजित कर रहा है।

समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान, न्यास ने विशेष श्रेणी के राज्यों में निम्नलिखित मेले/साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित किए

राज्य	कार्यक्रम का नाम	दिनांक
असम	विश्वनाथ चरिअली पुस्तक मेला	11 से 19 अक्टूबर 2014
त्रिपुरा	कवि सम्मेलन	13 सितम्बर 2014
जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर पुस्तक मेला	23 से 31 अगस्त 2014
	लेह पुस्तक प्रदर्शनी	2 से 8 अगस्त 2014
	कारगिल पुस्तक प्रदर्शनी	5 से 10 अगस्त 2014
हिमाचल प्रदेश	बच्चों के लिए शिक्षा शिविर-शिमला	3 से 4 जुलाई, 2014
	बच्चों के लिए शिक्षा शिविर-मंडी	19 जून, 2014

कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों के लिए छूट: अकादमिक सत्र 2013-14 के दौरान देश के अन्य भागों में शैक्षिक संस्थाओं में कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों के दाखिले के मामले में निश्चित छूट की अनुमति दी गयी थी। चूंकि कश्मीरी प्रवासी निरंतर कठिनाईयों का सामना करते हैं, उन्हें अकादमिक सत्र 2014-15 के दौरान देश के अन्य भागों की शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के मामले में कश्मीरी प्रवासी छात्रों को निम्नलिखित छूट भी प्रदान की गई है:

- (i) न्यूनतम पात्रता शर्त के अध्याधीन 10 प्रतिशत तक की कट ऑफ प्रतिशत में छूट।
- (ii) पाठ्यक्रम-वार 5 प्रतिशत तक की दाखिला क्षमता में वृद्धि।
- (iii) तकनीकी/व्यावसायिक संस्थाओं में मेरिट कोटा में कम-से-कम एक सीट का आरक्षण।
- (iv) मूल निवास संबंधी शर्तों में छूट प्रदान करना।

जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित छात्रों को जम्मू और कश्मीर राज्य के बाहर अन्य चुनिंदा संस्थाओं में और सरकारी कॉलेजों/संस्थाओं में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ट्यूशन फीस, छात्रावास फीस, पुस्तकों की लागत तथा अन्य आकस्मिक प्रभारों को प्रदान करना है। जम्मू और कश्मीर के छात्र जिन्होंने जम्मू और कश्मीर राज्य बोर्ड तथा जम्मू और कश्मीर में स्थित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों के माध्यम से कक्षा XII अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात जम्मू और कश्मीर राज्य के बाहर सरकारी कॉलेजों/संस्थाओं तथा अन्य चुनिंदा संस्थाओं में दाखिला लिया है, प्रत्येक वर्ष 5000 नई छात्रवृत्तियां दी जाती हैं जिनमें से 4500 छात्रवृत्तियां सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों, 250 इंजीनियरिंग तथा 250 चिकित्सा अध्ययन के लिए हैं।

यह योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के एक वेब पोर्टल (<http://www.aicte-india.org/jnkadmissions.html>) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। जम्मू और कश्मीर के छात्रों को अखिल भारतीय अवसर प्रदान करने के लिए, ये छात्रवृत्तियां केन्द्रीकृत वित्तपोषित तकनीकी संस्थाओं और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रति संस्थान पांच सीटों तक सीमित होती हैं। अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के अनुमोदन से सामान्य डिग्री, चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग विषयों में स्लॉटों का अंतर-परिवर्तन भी अनुमत्य है। आरक्षण के प्रावधान जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के प्रावधानों के अनुसार हैं। आरक्षण मानदंडों का प्रावधान भी है। 1.1.2013 से 31.3.2014 तक की अवधि के दौरान, अकादमिक वर्ष 2012-13 के लिए 3562 छात्रों को तथा अकादमिक वर्ष 2013-14 के लिए 3747 छात्रों को नई छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।

अकादमिक सत्र 2014-15 हेतु चयन प्रक्रिया और दाखिला प्रक्रिया के भाग के रूप में, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में 30.8.2014 से 5.9.2014 तक काउंसलिंग संचालित की गई थी और तदनुसार 2102 पात्र छात्रों को उनके द्वारा और दिए गए विकल्प और मेरिट के आधार पर केन्द्रीकृत काउंसलिंग के माध्यम से कॉलेज आबंटित किए गए थे।





अध्याय 13

महिलाओं का शैक्षिक विकास

महिलाओं का शैक्षिक विकास

वर्ष 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986, एक दिशा परिवर्तक नीति दस्तावेज़ है जिसमें भारत सरकार की प्रतिबद्धता इससे स्पष्ट होती है कि “महिलाओं की स्थिति में मूल बदलाव लाने के लिए शिक्षा का उपयोग एक एजेंट के रूप में किया जाएगा। अतीत की संचित विकृतियों को निष्क्रिय करने के लिए, महिलाओं का एक सुविचारित पक्ष होगा। यह विश्वसनीयता और सामाजिक निर्माण की कार्यवाई होगी... महिलाओं की निरक्षरता तथा उनकी सेवाओं की बाधाओं को दूर करना, समय संबंधी लक्ष्यों के निर्धारण तथा प्रभावी निगरानी करना”।

स्कूली शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए): महिला-पुरुष के अंतर और प्रारंभिक शिक्षा में सामाजिक वर्ग के अंतर को भरना/सर्व शिक्षा अभियान के 4 लक्ष्यों में से एक है। परिणामस्वरूप सर्व शिक्षा अभियान में अ.जा., अ.ज.जा. और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से संबंधित बालिकाओं और बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं के लिए अभिलक्षित प्रावधानों में शामिल हैं:

- कक्षा VIII तक की सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें
- बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
- स्कूल छोड़ चुकी बालिकाओं के लिए स्कूल शिविरों में वापसी
- बड़ी बालिकाओं के लिए सेतु पाठ्यक्रम
- महिला शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती
- आईसीडीएस कार्यक्रम आदि के सहयोग से स्कूलों/अभिसरणों में/उनके निकट प्रारंभिक शिशु देखभाल तथा शिक्षण केन्द्र
- समान शिक्षा अवसरों के संवर्धन हेतु शिक्षक संवेदीकरण कार्यक्रम
- पाठ्यपुस्तकों सहित लैंगिक-संवेदी शिक्षण-अध्ययन सामग्री
- गहन सामुदायिक जुटाव प्रयास
- बालिकाओं की उपस्थिति और प्रतिधारण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता आधारित सुविधा प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले को ‘अभिनव कोष’

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदायों की बालिकाओं के आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं। केजीबीवी छितरी बस्ती वाले उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां स्कूल काफी दूरी

पर स्थित होते हैं तथा लड़कियों की सुरक्षा चुनौती भरी होती है। इसी कारण से कन्याएं अक्सर अपनी शिक्षा बंद करने के लिए बाध्य हो जाती हैं। केजीबीवी इस समस्या को उनके ब्लॉकों में ही आवासीय स्कूलों को स्थापित कर के समाधान करता है।

केजीबीवी के तहत दिसंबर 2014 तक की उपलब्धियां

- 3609 केजीबीवी संस्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 99.75% कार्यरत हैं
- 3.17 लाख बालिकाओं को इन प्रचालनरत केजीबीवीज़ में पंजीकृत किया गया
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अ.जा., अ.ज.जा., अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कन्याओं के लिए न्यूनतम 75% और शेष 25% सीटों के आरक्षण में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों की बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है।



बालिका शिक्षा के लिए भारत सरकार की हाल ही की कुछ मुख्य पहलें इस प्रकार हैं:—

- “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ”: इस योजना के तहत बाल-लिंग अनुपात के आधार पर 100 विशिष्ट जिलों में बालिका शिक्षा को सशक्त करने के लिए 5 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे जो 5 लाख रुपये प्रति जिला होगा, निम्नलिखित पैरामीटरों पर प्रतिवर्ष प्रत्येक जिले में 5 स्कूलों को जिला स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे।
- उस स्कूल प्रबंधन समिति को एक लाख रुपये दिया जा सकता है जो पड़ोस के प्राथमिक स्कूल में 100% बालिकाओं को नामांकित करता है और उन्हें पहले वर्ष तक बनाए रख भी सकता है।

(ख) अन्य एक लाख रुपये प्राथमिक स्कूल के एसएमसी को दिए जा सकते हैं जो उसी/अन्य पड़ोस के स्कूलों की कक्षा V की बालिकाओं को कक्षा VI में 100% तक बालिकाएं ले जाएं।

(ग) उन उच्च प्राथमिक स्कूलों के एसएमसी को एक-एक लाख रुपये के दो पुरस्कार दिए जा सकते हैं जो उसी/अन्य पड़ोस के माध्यमिक स्कूलों की कक्षा VIII में पढ़ रही 100% बालिकाओं को कक्षा IX में ले जा सकते हैं।

(घ) उस स्कूल के एसएमसी को एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जा सकता है जो उसी/अन्य पड़ोस के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की कक्षा X में पढ़ रही 100% बालिकाओं को कक्षा XI में ले जा सकते हैं।



ii) अलग बालिका प्रसाधनों के साथ प्रसाधनों का निर्माण: यूडीआईएसई 2013-14 के अनुसार कुल 2.44 लाख स्कूलों में प्रसाधन सुविधाएं नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में बालिकाओं की शिक्षा के लिए आह्वान किया है और राष्ट्र को एक प्रतिबद्धता व्यक्त की है जिसमें एक साल के अंदर प्रत्येक स्कूल में प्रसाधन के साथ एक पृथक बालिका प्रसाधन होगा जिससे बालिकाओं को स्कूल को बीच में ही छोड़ने के लिए बाध्य न होना पड़े। प्रधानमंत्री ने प्रसाधनों के निर्माण के लिए सांसदों से अपनी एमपीएलएडी निधि को प्रयोग करने के लिए भी कहा। उन्होंने इस राष्ट्रीय प्रयास के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के लिए भी कहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत, राज्यों द्वारा स्कूल/गांवों/ब्लॉक और जिला स्तर पर आवश्यकता के आधार पर प्रसाधनों और पीने के पानी की सुविधाओं सहित स्कूल अवसंरचना सुविधाओं की आवश्यकता की योजना बनाकर इसे अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं और बजटों में दर्शाया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत संस्वीकृत सभी नए स्कूल बालिकाओं और बालकों के प्रसाधन की सुविधाओं के साथ सम्मिलित स्कूल होते हैं। वर्तमान ग्रामीण स्कूलों



में प्रसाधन और पीने के पानी की सुविधाएं, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की योजनाओं के अभिसरण में प्रदान की जाती हैं।

प्रसाधनों का प्रावधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की सूची में निर्धारित महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है जिसे सभी स्कूलों में उपलब्ध कराया जाना है। अभी तक सर्व शिक्षा अभियान के तहत 9.18 लाख प्रसाधन संस्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 4.49 लाख बालिका प्रसाधन हैं।

iii) उड़ान-बालिका विद्यार्थियों को गति प्रदान करना: बालिका विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक अवसरों को प्रोत्साहित करने हेतु सीबीएसई ने उन योग्य बालिकाओं के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करने हेतु डिज़ाइन करके उड़ान कार्यक्रम प्रारंभ किया है जो इंजीनियरिंग में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक हैं और इस योजना में कक्षा XI और XII में पढ़ते हुए आईआईटी, जेईई के लिए उन्हें तैयार करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

देशभर से 946 छात्राओं का इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में चयन किया गया है। 54 छात्राएं 6 संघ राज्यक्षेत्रों से हैं और 117 पूर्वोत्तर राज्यों से हैं। इनमें से अधिकांश बालिकाएं लाभवंचित सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आती हैं और जिन्होंने स्कूलों में उत्कृष्ट शैक्षिक निष्पादन दर्शाया है। इन बालिकाओं में से 305 ऐसी बालिकाएं हैं जिनके माता-पिता की आय 1 लाख रुपये से भी कम है।

उड़ान, बालिका विद्यार्थियों को न केवल जेईई में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मेंटर करता है बल्कि यह इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए अपने शुल्क के भुगतान के लिए साधनों को भी सुनिश्चित करता है। बालिकाएं, साप्ताहिक मूल्यांकन में अच्छा प्रदर्शन करके प्वाइंट अर्जित करेंगी। आईआईटी/एनआईआईटी/सीएफटीआई में इन छात्राओं के प्रवेश पाने पर सीबीएसई द्वारा उनके अर्जित किए गए प्वाइंट के समानुपात में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

महिला-पुरुष सुग्राहिता

स्कूल स्तर पर महिला-पुरुष मामलों को मुख्य धारा में लाने के लिए स्कूल प्रबंधन को सहायता प्रदान करने हेतु

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रशिक्षण नियम पुस्तिका तैयार की है जिससे महिला-पुरुष सुग्राहिता को कौशल और रवैये को विकसित करने के लिए शिक्षण विधियों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस नियम पुस्तिका का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र के संदर्भ में महिला-पुरुष की ओर मुख्य धारा में लाने और अनुकूल बनाने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करना है। इसमें शैक्षिक संस्था में महिला-पुरुष मामलों में सिंहावलोकन प्रदान करके समानता के साथ-साथ, महिला-पुरुष समानता को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सूचना और उपकरणों से शिक्षकों को लैस किया जाता है। यह साक्षरता, नामांकन, शिक्षा और उपलब्धि में पहुंच, महिलाओं को निर्णय लेने के लायक बनाना, संसाधन आवंटन, पाठ्यचर्या विकास और स्कूलों और कक्षाओं के संगठन जैसे परम्परागत सूचकों की जांच करता है। यह उन मार्गों की भी जांच करता है जिसमें महिला-पुरुष असमानताओं को शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम किया जा सके। यह महिला-पुरुष सुग्राहिता, प्रतिक्रियात्मक समाज की ओर ले जाने के लिए आवश्यक विचार-विमर्श के लिए मुफ्त मंच प्रदान करता है। नियम पुस्तिका में कार्यकलाप कार्ड के तीन सेट हैं जो विद्यार्थियों के साथ परस्पर कार्यकलाप आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं उपलब्ध कराते हैं। महिला-पुरुष सुग्राहिता कार्ड, कक्षाओं और स्कूल प्रणालियों में महिला-पुरुष संवेदनशीलता लाने के लिए उपकरण के रूप में प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। महिला-पुरुष सुग्राहिता का यह ज्ञान, जो विद्यार्थी समझ, सम्मान और अंतरों के लिए सहनशीलता से प्राप्त करते हैं यह उन्हें पूर्वाग्रह संबंधों में सुधार करने हेतु सशक्त बनाता है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, स्पष्ट रूप से स्कूल स्तर पर एसएमसी (स्कूल प्रबंधन समिति) के गठन में महिलाओं की 50% भागीदारी को दर्शाता है। अधिकांश राज्य बालिकाओं के शिक्षा नामांकन, धारण, और उन्हें पूरा करने; स्कूलों में छात्राओं के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने; महिला-पुरुष जागरूकता के विचार-विमर्श हेतु महिला शिक्षकों के साथ सहयोग करने जैसे अनेक मामलों से निपटने के लिए अपने नियमित एसएमसी प्रशिक्षण मॉडयूलों में महिला-पुरुष जागरूकता को शामिल किया है। अनेक राज्यों की पंचायत राज संस्थाओं में यह व्यवस्था की गई है कि 50% महिला सदस्य होंगी। तथापि, एसएमसी, स्कूल और स्थानीय प्राधिकरण के बीच सेतु होने के नाते महिला-पुरुष सुग्राहीकरण और जागरूकता के शक्तिशाली तत्व को कार्यान्वित करने के लिए स्कूल में इपनुट प्रदान करेगा।

माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं हेतु राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना

केन्द्रीय प्रायोजित योजना "माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं हेतु राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना"

(एनएसआईजीएसई) मई 2008 में प्रारंभ की गई जिसका उद्देश्य माध्यमिक स्कूलों में अ.जा., अ.ज.जा. समुदायों से संबंधित छात्राओं के नामांकन को बढ़ाने और बीच में ही स्कूल छोड़ देने की दर को कम करने के लिए समर्थ वातावरण बनाना है। वर्ष 2014-15 के दौरान (31 अक्टूबर 2014 तक) 220684 छात्राओं को शामिल करते हुए 66.21 करोड़ रुपये संस्वीकृत किए गए।

केन्द्रीय विद्यालयों में महिला शिक्षा विकास: कक्षा I से XII तक की सभी बालिकाओं को शिक्षा फीस के भुगतान से छूट प्राप्त है। केन्द्रीय विद्यालयों में इकलौती कन्या संतान के लिए प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान किया गया है: (i) कक्षा I में प्रति अनुभाग हेतु 2 सीटों का प्रावधान और (ii) कक्षा VI से 2 सीट प्रति कक्षा। यह सीटें कक्षा की संस्वीकृत संख्या के अतिरिक्त उपलब्ध हैं।

माध्यमिक स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावास का निर्माण एवं परिचालन योजना: यह योजना माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं (IX से XII) में बालिकाओं को बनाए रखने और पहुंच में सुधार करने के लक्ष्य से प्रारंभ की गई थी जिससे छात्राओं को स्कूल की दूरी, माता-पिता की वित्तीय स्थिति और अन्य संबंधित सामाजिक कारकों के कारण उनके अध्ययन को जारी रखने के लिए अवसर से मना न किया जा सके। इस योजना में देश के प्रत्येक 3500 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 100 बालिकाओं की क्षमता वाले एक छात्रावास के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

महिला समाख्या (एमएस): महिला समाख्या (एमएस) महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक सतत कार्यक्रम है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वंचित समूहों की महिलाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को एक ठोस कार्यक्रम के रूप में बदलने के लिए 1989 में शुरू किया गया था। महिला समाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें शिक्षा महिलाओं की समानता के उद्देश्यों को पूरा कर सके और जहां महिलाएं ज्ञान



और सूचना प्राप्त कर सकें तथा तदन्तर उन्हें उनके विकास तथा समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जा सके। वर्तमान में कार्यक्रम का 11 राज्यों में 679 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों को शामिल करते हुए 130 जिलों में, 44446 गांवों में क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम लगभग 14.5 मिलियन महिलाओं तक पहुंचता है, जो 55402 ग्राम स्तर के सहयोगियों, जिन्हें महिला संघ कहा जाता है, को लामबंद करता है।


राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए): यह योजना मार्च, 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच में वृद्धि करने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ, बस्ती से समुचित दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल प्रदान करके माध्यमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है जिसका उद्देश्य 2017 तक 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात तथा 2020 तक सर्व सुलभ प्रतिधारण प्राप्त करना है। अन्य उद्देश्यों में सभी माध्यमिक स्कूलों द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करना महिला-पुरुष, सामाजिक-आर्थिक और विकलांगता अवरोधों को हटाना इत्यादि शामिल करते हुए माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। निधियों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने और अधिक सहयोग की दृष्टि से केन्द्रीय प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा योजना अर्थात् आईसीटी।

स्कूल माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस), व्यावसायिक शिक्षा (वीई) और बालिका छात्रावास (जीएस) को मौजूदा आरएमएसए योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

राज्य में कुल नामांकन के प्रतिशत के रूप में महिला नामांकन केरल में (58.94) अधिकतम और मध्य प्रदेश में (36.39) न्यूनतम है। महिलाएं कुल नामांकन का 44.89: बनती हैं जो एक सकारात्मक चिह्न है और जो सशक्तिकरण को दर्शाता है 2012-13 में उच्चतर शिक्षा में छात्रों का नामांकन और कन्या नामांकन का विवरण संलग्नक 9 में दिया गया है।

उच्चतर शिक्षा

महिलाओं की अधिक भागीदारी और नामांकन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं तैयार करना उच्चतर शिक्षा विभाग का एक निरंतर प्रयास रहा है। इसलिए, उच्चतर शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम करना एक ध्यान क्षेत्र है। देश में उच्चतर शिक्षा में कन्याओं के नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। कन्या नामांकन का अंश, जो स्वतंत्रता की पूर्वसंध्या तक कुल नामांकन का 10 प्रतिशत से कम था, शैक्षिक वर्ष 2012-13 में 44.89 प्रतिशत तक पहुंच गया है। पुरुष और महिला दोनों के लिए जीईआर में वृद्धि की प्रवृत्ति हुई है। 2010-13 की अवधि के दौरान जीईआर में महिला-पुरुष अंतराल कम हुआ है।



स्रोत: उच्चतर शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अखिल भारतीय सर्वेक्षण।

मुक्त और दूरस्थ अध्ययन (ओडीएल) पद्धति के माध्यम से महिलाओं की उच्चतर शिक्षा: मुक्त और दूरस्थ अध्ययन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिक्षकों और अध्ययनकर्ताओं को एक ही स्थान पर अथवा एक ही समय पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें शिक्षकों और अध्ययनकर्ताओं के तौर-तरीकों तथा समय-तालमेल के मामले में लचीलापन होता है और साथ ही इसके प्रवेश संबंधी मापदंडों में आवश्यक गुणवत्ता के महत्व से समझौता नहीं किया जाता। देश की ओडीएल व्यवस्था में राज्य मुक्त विश्वविद्यालय (एसओयू), शिक्षा प्रदान कर रहे संस्थान और विश्वविद्यालय और परंपरागत दोहरे मोड विश्वविद्यालय के रूप में पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थानों (सीसीआई) को सम्मिलित किया गया है। यह संवहनीय शिक्षा, सेवारत कार्मिकों के कौशल उन्नयन और

शैक्षिक रूप से वंचित स्थानों पर स्थित अध्ययनकर्ताओं की प्रासंगिकतायुक्त उच्चकोटि शिक्षा के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण बन रही है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा में प्रवेश और ओडीएल व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं के नामांकन की स्थिति में त्वरित विस्तार हो रहा है।

स्कूल पश्चात् डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक आदि): स्कूल से उत्तीर्ण हुए छात्रों के नामांकन हेतु एक अन्य अतिरिक्त विषय उपलब्ध है, स्कूल पश्चात् डिप्लोमा (पॉलीटेक्निक आदि), जो कौशल विकास नीति का प्रमुख भाग होता है। पॉलीटेक्निक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, मौजूदा पॉलीटेक्निकों में महिला छात्रावास के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना आरंभ की गई है।

उच्चतर शिक्षा विभाग की पहलें जिनका महिलाओं के शैक्षिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव है:-

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 20 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 8 आईआईटी, 7 आईआईएम, 10 एनआईटी, 3 आईआईएसईआर, 20 आईआईआईटी और 2 एसपीए खोले हैं।
- पॉलीटेक्निकों के उपमिशन को आरंभ किया गया है और 287 नए पॉलीटेक्निकों को असेवित क्षेत्रों/जिलों के लिए पहले ही संस्वीकृति प्रदान की गई है।
- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मिशन को सभी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में ब्राडबैंड संपर्क प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया है।
- कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षा संबंधी ब्याज पर राज सहायता प्रदान करने की योजना आरंभ की गई है।
- जबकि इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जेईई (मुख्य) परीक्षा में भाग लेने वाली कन्या अभ्यर्थियों के लिए फीस में 50 प्रतिशत की रियायत है, वहीं आईआईटी के प्रवेश हेतु जेईई (उच्च श्रेणी) परीक्षा के पंजीकरण के लिए सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए किसी प्रकार की फीस नहीं है।
- कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए 82,000 छात्रवृत्तियां मंजूर की गई हैं जिनमें 41,000 महिलाओं के लिए हैं।
- पॉलीटेक्निकों में महिला छात्रावास योजना: यह योजना देशभर के पॉलीटेक्निकों में महिला भागीदारी को बढ़ाने के लिए वर्तमान पॉलीटेक्निकों में महिला छात्रावास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है, जहां महिला छात्रावास के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), जो विश्वविद्यालय शिक्षा के संचालन का एक प्रमुख शीर्ष निकाय है, का महिलाओं की शिक्षा एक प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। इस प्रयोजन हेतु, आयोग ने उच्चतर शिक्षा के लिए बालिकाओं के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं आरंभ की हैं। यूजीसी द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में दिवा देखभाल केन्द्र: इस योजना का उद्देश्य, तीन माह से छह वर्ष की

आयु के उन बच्चों को मांग आधार पर विश्वविद्यालय व्यवस्था के भीतर दिवा देखभाल की सुविधा प्रदान करना है जिनके अभिभावक (विश्वविद्यालय/कॉलेज के कर्मचारी/ छात्र/शोध छात्रों) दिन के दौरान आवास से दूर होते हैं और अपने बच्चों को कार्य घंटों के दौरान एक सुरक्षित स्थान और वातावरण प्रदान करना चाहते हैं।

उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा की इच्छुक इकलौती पुत्री के लिए स्नातकोत्तर इंदिरा गांधी छात्रवृत्ति: इस योजना का प्रयोजन उन बालिकाओं को अपने परिवार की इकलौती संतान है जिन्हें छोटे परिवार के रहन-सहन के तौर-तरीकों को अपनाने संबंधी मूल्यों से परिचित कराना

है। छात्रवृत्ति के माध्यम से उच्चतर शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना है। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय 30 वर्ष तक की आयु की छात्रा ही इसके लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत उपलब्ध छात्रवृत्तियों के लिए स्थानों की संख्या प्रतिवर्ष 1200 है। इस छात्रवृत्ति की राशि 3100/- रुपये प्रतिमाह है।

कॉलेजों में महिला छात्रावासों का निर्माण: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महिलाओं के स्तर को ऊंचा उठाने और समाज के विकास के लिए उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने के साथ-साथ 'कॉलेजों में महिला छात्रावासों का निर्माण' की एक विशेष योजना के माध्यम से महिला-पुरुष समानता लाने और महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छात्रावास और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसका मुख्य उद्देश्य महिला विद्यार्थियों/शोधकर्ताओं/शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ को एक आवासीय स्थान उपलब्ध कराने के लिए महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए सभी पात्र कॉलेजों को सहायता प्रदान करना है।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिला अध्ययन का विकास: इस योजना की परिकल्पना, नए महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के साथ-साथ 10वीं योजना तक स्थापित विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केन्द्रों को विश्वविद्यालय व्यवस्था में सांविधिक विभाग के रूप में स्थापित करते हुए, उनके सुदृढ़ीकरण तथा संवहनीयता प्रदान करने और इसके अतिरिक्त अन्य घटकों से जुड़ने के लिए वे अपनी स्वयं की क्षमता का उपयोग कर सकें जिससे वे परस्पर सहयोग करने के साथ-साथ एक दूसरे के लिए समन्वय स्थापित करने योग्य हो सकें, के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इन केन्द्रों की मुख्य भूमिका कार्रवाई और प्रलेखन तक, शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान की छाप बनाना और ज्ञान का संचार करना है।

उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों के लिए क्षमता निर्माण योजना: इस कार्यक्रम का ध्यान शैक्षिक और प्रशासनिक विषयों में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र की महिलाओं पर केन्द्रित है ताकि उन्हें संवेदनशील और प्रेरित किया जा सके और तदंतर उन्हें उच्चतर शिक्षण प्रणाली में निर्णय लेने की ऐसी स्थिति के लिए सुसज्जित करना है, जहां उनके पास इस समय बहुत कम स्थान हैं। इस योजना का प्रयोजन एक महिला-पुरुष अनुकूल वातावरण बनाने और अवरोध हटाने के लिए महिला-पुरुष संवेदनशील महिला प्रशासकों के एक महत्वपूर्ण समूह का सृजन करना है।

इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यशालाओं को निम्नानुसार सम्मिलित किया गया है:

- संवेदीकरण, जागरूकता, प्रेरणा संबंधी कार्यशालाएं, आवासीय कार्यशालाएं।

- संवेदीकरण, जागरूकता, प्रेरणा संबंधी कार्यशालाएं, गैर-आवासीय कार्यशालाएं।
- यात्रा रहित छह दिवसों की कार्यावधि के लिए प्रशिक्षकों/निपुण प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाएं।
- प्रबंधन कौशलों के प्रशिक्षण संबंधी कार्यशालाएं।
- यात्रा रहित पांच दिवसों की कार्यावधि के लिए पुनश्चर्या कार्यशाला पाठ्यक्रम।

महिलाओं के लिए डॉक्टरेट-पश्चात फैलोशिप: इस योजना को अपने संबंधित विषय क्षेत्रों में पीएच.डी. डिग्री धारक बेरोजगार महिला अभ्यर्थियों के लिए कार्यान्वित किया गया है, इसका लक्ष्य विकसित अध्ययनों और अनुसंधान करने के लिए महिला अभ्यर्थियों की प्रतिभाशाली प्रवृत्ति में तीव्रता लाना है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष उपलब्ध स्थानों की संख्या 100 है। इस पुरस्कार का कार्यकाल पांच वर्ष है जिसमें इस अवधि के समय विस्तार का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदन के वर्ष की 1 जुलाई को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है और अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त/अल्पसंख्यक समुदायों के लिए यह आयु 60 वर्ष है। वर्ष 2014-15 के लिए यूजीसी के अनुसार एसोसिएटशिप राशि इस प्रकार है:

अध्येतावृत्ति	@ 18,000/- रुपये प्रतिमाह 2 वर्ष पश्चात् @ 20,000/- रुपये प्रतिमाह नए विद्यार्थियों के लिए @ 38,800/- रुपये प्रतिमाह अनुसंधान अनुभव धारकों के लिए @ 46,500/- रुपये प्रतिमाह
आकस्मिकता	5 वर्ष के लिए 50,000/- रुपये प्रतिमाह
विभागीय सहायता	मेज़बानी संस्था को पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप का 10 प्रतिशत
सहयोगी/रीडर सहायता	शारीरिक रूप से विकलांग तथा दृष्टिहीन विद्यार्थियों के मामले में 2000/- रुपये प्रतिमाह (नियत)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), कन्या/महिला अध्ययनकर्ताओं तक, विशेष तौर पर दूरदराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सुविचारित प्रयास/कदम उठाता रहा है।

महिलाओं एवं विकास अध्ययन के क्षेत्र में कार्यक्रमों के विकास और आरंभ के माध्यम से महिला-पुरुष न्याय और

समानता प्राप्ति के लक्ष्य से एक नए स्कूल महिला-पुरुष एवं विकास अध्ययन स्कूल की स्थापना। महिला-पुरुष अध्ययन मौजूदा महिला-पुरुष अंतर की जांच करते हैं और महिला-पुरुष असमानता के मुद्दे को सुलझाते हैं। महिलाओं के अध्ययन, समाज में महिलाओं की स्थिति का आकलन करते हैं जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत और संस्थागत प्रयासों को सुदृढ़ बनाना होता है जो महिला सशक्तिकरण को समर्थ बनाते हैं। विकास संबंधी अध्ययन महिला-पुरुष समानता और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से मानव समाज और आर्थिक विकास का आकलन और सहायता करते हैं। स्कूल के लिए प्रस्तावित गतिविधियों में शामिल हैं:

- (क) डॉक्टरेट, स्नातकोत्तर, स्नातक तथा जागरूकता स्तरों पर शैक्षिक कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना तथा विकास करना।
- (ख) अनुसंधान तथा समुचित शोध पद्धति का विकास करना, और
- (ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना और कार्यान्वयन करना।

इग्नू द्वारा तैयार किए जा रहे कार्यक्रमों सहित कन्या/महिला अध्ययनकर्ताओं हेतु अभिलक्षित शैक्षिक कार्यक्रम।

- i) महिला-पुरुष एवं विकास अध्ययन में एम.फिल.;
- ii) महिला अध्ययन में एम.फिल.;
- iii) महिला-पुरुष एवं विकास अध्ययन में एम.ए. / स्नातकोत्तर डिप्लोमा (ओडीएल मोड);
- iv) महिलाओं एवं महिला-पुरुष अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा / एम.ए. (ओडीएल मोड);
- v) महिला-पुरुष एवं विधि में प्रमाणपत्र / डिप्लोमा कार्यक्रम;

- vi) महिला-पुरुष, कृषि और संवहनीय विकास में प्रमाणपत्र / डिप्लोमा कार्यक्रम;
- vii) महिला-पुरुष और विज्ञान में प्रमाणपत्र / डिप्लोमा कार्यक्रम;
- viii) महिला-पुरुष उद्यमीयता तथा विकास में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र;
- ix) महिला-पुरुष संवेदनशीलता परियोजना चक्र प्रबंधन में स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय के 36 महिला विशिष्ट अध्ययन केन्द्र हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की स्थापना नवम्बर 1945 में एक राष्ट्र स्तरीय शीर्ष परामर्शदात्री निकाय के रूप में की गई थी जिसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं संबंधी सर्वेक्षण करना तथा देश में इस विकास को समन्वित और एकीकृत तरीके से संवर्धित करने के अलावा इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में यथा अनुबंधित सुनिश्चित करना है, एआईसीटीई में देश की तकनीकी शिक्षा के प्रत्यायन, प्राथमिक क्षेत्रों के वित्तपोषण, निगरानी और मूल्यांकन, प्रमाणीकरण तथा पुरस्कारों में समानता बनाए रखना तथा तकनीकी शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास एवं प्रबंधन करने के माध्यम से योजना तैयार करने के सांविधिक प्राधिकार, मानदंडों तथा मानकों का निर्माण एवं रख-रखाव, गुणवत्ता संबंधी आश्वासन निहित हैं।

महिलाओं की तकनीकी शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए, एआईसीटीई ने नए महिला तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए विनियमनों में विशेष रियायत दी है। इनमें भूखंड उपलब्धता हेतु मानदंडों में रियायत, प्रक्रिया फीस, जमा राशियों, आदि में रियायत शामिल है। कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षण फीस में छूट योजना का क्रियान्वयन एआईसीटीई अनुमोदित सभी संस्थानों के लिए अनिवार्य किया गया है।

* * * * *



अध्याय 14

निःशक्तजनों का
शैक्षिक विकास

निःशक्तजनों का शैक्षिक विकास

शिक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण का सर्वाधिक प्रभावी साधन है। भारत का संविधान सभी व्यक्तियों की समानता, न्याय और गरिमा को सुनिश्चित करता है और सभी निःशक्तजनों के लिए समावेशी शिक्षा का निःसंदेह अधिदेश देता है। हाल ही के वर्षों में निःशक्त व्यक्तियों की अवधारणा के प्रति समाज में बड़े और सकारात्मक बदलाव आए हैं यह महसूस किया गया है कि अधिकांश निःशक्त व्यक्ति पुनर्वास उपायों के लिए समान अवसर और प्रभावशाली पहुंच होने पर अच्छी गुणवत्ता का जीवन यापन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथासंशोधित) निःशक्तजनों की शिक्षा पर विशेष जोर देती है। यह नीति उल्लेख करती है कि उद्देश्य, शारीरिक और मानसिक रूप से निःशक्तजनों को समान भागीदारों के रूप में सामान्य समुदायों के साथ समेकित करना, सामान्य वृद्धि के साथ उन्हें तैयार करना और उन्हें साहस और विश्वास के साथ जीने का पात्र बनाना होना चाहिए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित 6–14 आयु वर्ग समूह के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। बशर्ते कि कोई बच्चा, विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, संरक्षण और सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (i) में यथा परिभाषित निःशक्तता से पीड़ित है तो उसका उक्त अधिनियम के अध्याय-V के प्रावधानों के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 द्वारा संशोधन किया गया था, और जो 1 अगस्त, 2012 से प्रभावी हो गया है, के संशोधन अधिनियम में निःशक्तजनों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं:—

- (i) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 के खंड (घ) में लाभवंचित समूहों से संबद्ध की परिभाषा में निःशक्त बच्चों का समावेश।
- (ii) सेरेबरल पाल्सी, मंदबुद्धि, ऑटिज़्म और बहु निःशक्तता सहित निःशक्त बच्चों को निःशक्तजन (समान अवसर, संरक्षण और संपूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अध्याय V के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- (iii) “बहु-निःशक्तता” और गंभीर निःशक्तता वाले बच्चों को भी गृह आधारित शिक्षा अपनाने का अधिकार होगा।

निःशक्त व्यक्तियों के शैक्षिक विकास के लिए **सर्व शिक्षा अभियान** में समावेश की अवधारणा को वृहत रूप से समझने के लिए एक व्यापक पद्धति अपनाई गई है, वहीं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के बहु-विकल्प मॉडल को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मॉडल को अपनाने का उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के अंब्रैला के तहत और अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लाना है।



अभी तक 27.91 लाख विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान की गई है। इसी प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन 25.03 लाख (89.69%) तक बढ़ा है। इस वर्ष अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विभिन्न हस्तक्षेपों और रणनीतियों के माध्यम से कवर किए जाएंगे। गृह आधारित शिक्षा के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान 1.28 लाख विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कवर करने के लिए सक्षम है। 36 राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में 21056 संसाधन व्यक्ति नियुक्त किए हैं। 764 गैर सरकारी संगठन (31 राज्य) सर्व शिक्षा अभियान के तहत, आईई कार्यक्रम में शामिल हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को (विशेष आवश्यकता वाले 79.36% बच्चों को सहायता और उपकरण की आवश्यकता है), एसएसए के तहत विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से सहायक उपकरण प्रदान किए गए हैं। 82.33% स्कूल बाधा रहित बनाए गए हैं और चरणबद्ध तरीके में शामिल करने के लिए सभी राज्यों द्वारा फोकस और प्रयास किए जा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान का हाल ही का एक अन्य पहल, निःशक्त अनुकूल प्रसाधन प्रदान करना है। इस प्रकार, अभी तक सर्व शिक्षा अभियान में 14.82% स्कूलों को निःशक्त अनुकूल प्रसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।

एसएसए कार्यक्रम, विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों के लिए समेकित तथा समावेशी शिक्षा का प्रावधान करता है। इसमें स्कूलों, ओपन स्कूलों, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक स्कूलों, दूरस्थ शिक्षा और अधिगम तथा विशेष स्कूलों के माध्यम से शिक्षा शामिल हैं। जहां कहीं आवश्यक हो, गृह आधारित शिक्षा, उपचारी शिक्षा, अंशकालीन कक्षाएं,



समुदाय आधारित पुनर्वास (सीबीआर) तथा व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है।

“माध्यमिक चरण पर निःशक्तों के लिए समावेशी शिक्षा योजना (आईईडीएसएस)” पूर्व के निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की योजना (आईईडीसी) को पुनः स्थापित करते हुए 2009-10 में आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सभी निःशक्त छात्रों को प्रारंभिक स्कूलिंग के आठ वर्ष पूरा करने के पश्चात् एक समावेशी और योग्य वातावरण में माध्यमिक स्कूलिंग (कक्षा IX से XII) के चार वर्षों के लिए शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाना है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने निःशक्त विद्यार्थियों (डिस्लेक्सिया, दृष्टिहीन, अंगव्यवस्थात्मक और दृष्टि बाधित) के लिए विभिन्न सुविधाओं का विस्तार किया है। इन सुविधाओं में दो की तुलना में एक अनिवार्य भाषा के अध्ययन का विकल्प, लिपिकार के उपयोग की अनुमति, बाह्य परीक्षा के लिए प्रत्येक पेपर हेतु अतिरिक्त एक घंटे की अनुमति, दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक स्तर (कक्षा

X) पर विज्ञान और गणित के पृथक प्रश्न पत्र उपलब्ध करना आदि शामिल है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के तहत एक स्वायत्त संगठन है, जो दोनों, शैक्षिक (माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर) और व्यावसायिक विषयों में वार्षिक 10,000 से अधिक निःशक्त शिक्षार्थियों को प्रवेश देता है। एनआईओएस 85 लाभवंचितों की शिक्षा के लिए विशेष प्रत्यायित संस्थानों की मदद से इन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराता है। एनआईओएस ने असमर्थ शिक्षार्थियों की परीक्षा हेतु भी विशेष प्रावधान बनाए हैं। इन प्रावधानों में, लिपिकार (या एक लेखक) की अनुमति, पेपर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त एक घंटा बैठने की पृथक व्यवस्था, इतिहास भूगोल और सामाजिक विज्ञान में मानचित्र के प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्नों को प्रदान करना, उपकरणों के उपयोग की अनुमति, जैसे बोलने वाले केलक्यूलेटर, एबेस्कस, टायलर फ्रेम और रेखागणित चित्रकारी किट, बधिर परीक्षार्थियों को प्रश्नों को समझने के लिए कमरे में दुभाषिये के प्रयोग (साइन भाषा व्यक्ति) की अनुमति आदि शामिल है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की **“विकलांग छात्रों को जोड़ने के लिए विद्यमान पॉलिटेक्निकों का उन्नयन”** की योजना के अंतर्गत, 24 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की विद्यमान 50 पॉलिटेक्निकों का प्रोन्नयन हेतु चयन किया गया है और प्रत्येक पॉलिटेक्निकों को डिप्लोमा कार्यक्रमों में 25 छात्रों को दाखिले की अनुमति है जबकि अनौपचारिक कार्यक्रमों में (छः माह की अवधि तक) 100 छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2013-14 के दौरान, पॉलिटेक्निकों में विभिन्न औपचारिक पाठ्यक्रमों के तहत 1199 और अनौपचारिक पाठ्यक्रमों के तहत 1472 विद्यार्थी नामांकित किए गए थे।

उच्चतर शिक्षा में पीडब्ल्यूडी का नामांकन

2010-11			2011-12			2012-13 (पी)		
पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
26507	27468	53975	37153	28399	65552	37747	29608	67355

(पी) अनंतिम

स्रोत: उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

निःशक्तजनों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मुख्यधारा में समेकित करने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत, निःशक्त विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में निःशक्त विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं वसूला जाएगा। तथापि, यदि आवश्यक हो तो पॉलिटेक्निक, छात्रवृत्ति राशि प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से केवल परीक्षा शुल्क वसूल कर सकते हैं।



मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है जिसमें कहीं भी किसी भी समय पद्धति में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में अध्यापन और शिक्षण आईसीटी की संभावना को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में परिकल्पना की गई है। निःशक्त विद्यार्थियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस मिशन में निम्नलिखित हस्तक्षेप शामिल किए गए हैं:

- (i) विभिन्न भाषाओं में सहायता प्रदान करने और पाठ से बोली हेतु डेजी प्रणाली को समर्थ बनाने के लिए यूनीकोड फोन्ट का अनुसरण किया गया है जो नेत्रहीन विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करेगा।
- (ii) आकाश लॉ कॉस्ट डिवाइज में अभिगम्यता विकल्प को एकीकृत किया जा रहा है जो, जहां तक उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं का प्रश्न है, निःशक्त विद्यार्थियों के लिए अधिक वहनीय सहायक हो सकती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) निःशक्तजनों के लिए तीन योजनाएं— निःशक्तजनों के लिए उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन), विशेष शिक्षा में अध्यापक तैयारी और नेत्रहीन शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता चलाता है। यूजीसी ने निःशक्त विद्यार्थियों के लिए प्रवेश में 3% आरक्षण (क्षैतिज) प्रदान करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को निर्देश जारी किए हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग ने भवनों में अवरोध मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए निःशक्तजन अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन, जिसमें निःशक्तजनों के लिए रैम्प, रेल, लिफ्ट, व्हिलचेयर प्रयोग करने वालों के लिए प्रसाधन, ब्रेल

साइनेज और श्रव्य सिग्नल, टेक्टाइल फ्लोरिंग और संस्थान की वेबसाइट को सुगम बनाना शामिल है, हेतु सभी केन्द्रीय निधिबद्ध उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं के लिए अपने 10.07.2014 के पत्र के माध्यम से सचिव के स्तर पर अनुदेश जारी किए थे।

निःशक्तजनों की नियोजनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निःशक्तजनों के वर्गों के अनुसार उचित पाठ्यक्रमों की पहचान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 14 मई, 2014 को प्रस्तुत की है। सिफारिशों के प्रमुख क्षेत्रों में सभी पाठ्यक्रमों में पहुंच, एचईपीएसएन योजना का निजी संस्थान में प्रसार, शैक्षिक अध्ययन के साथ मैपिंग कार्य, निःशक्त प्रबंधन पर उच्चतर शिक्षा व्यावसायिकों का अभिमुखीकरण, निःशक्तजनों के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ करना, उच्चतर शिक्षा के लिए निधियन बढ़ाना, पॉलिटेक्निक योजना का प्रसार, समावेशी कार्य करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए पुरस्कार, निःशक्तता सेक्टर में कार्यों का प्रलेखन और नियोजनीयता कौशल पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल हैं। उचित कार्यवाही हेतु सभी स्टैकहोल्डरों को यह रिपोर्ट परिचालित कर दी गई है।

श्री भूषण पुनानी, राष्ट्रीय अ.जा., अ.ज.जा. और निःशक्तजन शिक्षा मॉनीटरिंग समिति के सदस्य की निःशक्तजन अधिनियम में दिए गए विभिन्न प्रावधानों के दृष्टिगत निःशक्त विद्यार्थियों के लिए निधियों के उपयोग हेतु एससीएसपी/टीएसपी के कार्यान्वयन हेतु तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के पैटर्न पर दिशा-निर्देशों को सुझाने के लिए एक व्यक्ति समिति गठित की गई है।

* * * * *



अध्याय 15

प्रशासन एवं नीति

प्रशासन एवं नीति

संगठनात्मक ढांचा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्री के समग्र प्रभार में है जिनकी सहायता दो राज्य मंत्री करते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग नामक दो विभाग हैं।

2. प्रत्येक विभाग के मुखिया भारत सरकार के सचिव हैं। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सहायता के लिए 1 अपर सचिव, 4 संयुक्त सचिव तथा 1 आर्थिक सलाहकार हैं। इसी प्रकार, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग की सहायता के लिए 1 अपर सचिव, 5 संयुक्त सचिव, 1 आर्थिक सलाहकार तथा 1 उप महानिदेशक (सांख्यिकी) हैं। इसके अलावा दोनों विभागों के लिए समान रूप से काम करने हेतु 1 संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार हैं। यह विभाग ब्यूरो, प्रभागों, शाखाओं, डेस्कों, अनुभागों एवं एककों के रूप में संगठित हैं। प्रत्येक ब्यूरो एक अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी के अधीन है जिनकी सहायता के लिए निदेशक/उप सचिव/उप शिक्षा सलाहकार के स्तर पर विभागीय प्रमुख हैं।

3. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग का पदानुक्रमिक ढांचा क्रमशः परिशिष्ट-I और परिशिष्ट-II में संलग्न है।

4. सचिवालय में दोनों विभागों से संबंधित नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थापना और सर्विस मामले उच्चतर शिक्षा विभाग प्रशासनिक ब्यूरो द्वारा देखे जाते हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- क) दोनों विभागों के लिए केन्द्रीय कर्मचारी योजना और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी और पूर्व-संवर्ग पद अर्थात् परामर्शीय कौडर, सांख्यिकी कौडर आदि के तहत नियुक्त अधिकारियों के प्रशासनिक मामले।
- ख) कैलेंडर वर्ष 2014 (01.01.2015 के अनुसार) के लिए, वर्ष के दौरान अचल सम्पत्ति रिटर्न, संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को भेजे गए।
- ग) इस मंत्रालय में अगले पांच वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सेवा पंजियों का सत्यापन, वेतन एवं लेखा कार्यालय के साथ परामर्श करके पूरा किया गया है।

घ) राष्ट्रीय ई-अभिशासन योजना तथा मिशन मोड परियोजनाओं के तत्वाधान में इस मंत्रालय ने ई-ऑफिस एफटीएस पर काम करना शुरू कर दिया है तथा ई-पूर्ति (स्टोर/सूची प्रबंधन), विधि/न्यायालय मामलों की मॉनीटरिंग प्रणाली तथा कोम्प डीडीओ के माध्यम से कर्मचारी भुगतान प्रणाली जैसे नए अनुप्रयोग के लिए पहले की गई हैं।

ङ) शाखा में वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) के प्राप्त होने पर आंकड़ों को अद्यतन किया जाता है। सभी मामलों में, शाखा में प्राप्त वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट को प्रतिधारण के लिए संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को प्रेषित करने से पूर्व संबद्ध अधिकारियों को प्रकट की गई थी।

च) आईएसएस अधिकारियों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आरंभ की गई ई-पीएआर प्रणाली का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया है और मंत्रालय में मॉनीटरिंग की जा रही है।

छ) वर्ष 2015 के लिए पद्म पुरस्कारों हेतु नामांकन पर कार्यवाही की गई और गृह मंत्रालय को इस मंत्रालय से पद्म श्री के लिए 4 नामांकन प्रेषित किए गए।

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ

स्थापना प्रभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, दोनों विभागों अर्थात् स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), नई दिल्ली और राष्ट्रीय वित्त प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), फरीदाबाद जैसी संस्थाओं के साथ, प्रबंधन, प्रशासन, सतर्कता, रोकड़ एवं लेखा, कार्मिक आदि के क्षेत्र में, विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समन्वय स्थापित करता है।

2. प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, विदेशी प्रशिक्षण के घरेलू निधियन की योजना, कोलम्बो योजना, द्विपक्षीय तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत विदेश में अल्पावधि एवं दीर्घावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्रों के

प्रत्युत्तर में उपयुक्त एवं पात्र अधिकारियों का नामांकन भी भेजता है।

3. वर्ष 2014-15 के दौरान (आज की तारीख में) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की घरेलू निधियन विदेशी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत, लघु अवधि प्रशिक्षण के लिए 1 समूह “क” अधिकारी ने अमेरिका में भाग लिया है। इसके अतिरिक्त, 15.09.2014 से 30.09.2015 तक यूके में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की घरेलू निधियन विदेश प्रशिक्षण योजना के तहत दीर्घकालीन प्रशिक्षण के लिए एक अधिकारी को भेजा गया है। एक अधिकारी को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में भी प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। संयुक्त सचिव स्तर के 3 समूह “क” अधिकारियों को सीएसओआई अकादमी में मंत्रिमंडल नोट लिखने की अभिमुखी कार्यशाला के लिए नामांकित किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशासन अकादमी द्वारा किए गए नामांकन के अनुसार 2 अधिकारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया इसके अतिरिक्त, सचिवालयीय प्रशिक्षण प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (प्रशिक्षण प्रभाग) द्वारा नामित 36 अधिकारियों में विभिन्न स्तरों (अर्थात् क, ख, ग, घ और ङ) पर अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। राष्ट्रीय बधिर संस्थान द्वारा आयोजित संकेत भाषा दुभाषिए के लिए 2 अधिकारियों को नामांकित किया गया। आसूचना ब्यूरो द्वारा आयोजित विभागीय सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए 3 अधिकारियों को नामांकित किया गया। सीबीआई अकादमी गाजियाबाद में सीवीओ के लिए सतर्कता पाठ्यक्रम हेतु 1 अधिकारी को भी नामांकित किया गया। इसके अतिरिक्त, लोक प्रशासन संस्थान, बंगलौर और लोक सेवा प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा फरीदाबाद में आरटीआई और अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग कार्यक्रम के लिए आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अधिकारियों को नामांकित किया गया। एनआईएफएम, फरीदाबाद में वित्तीय प्रबंधन पर प्रशिक्षण हेतु 2 अधिकारियों को भी नामांकित किया गया था।

सतर्कता संबंधी गतिविधियां

मंत्रालय में सतर्कता ढांचा, सचिव (उच्चतर शिक्षा) के समग्र पर्यवेक्षण में है, जिनकी सहायता संयुक्त सचिव के रैंक के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी, अंशकालिक अवर सचिव तथा अन्य सहायक स्टाफ द्वारा की जाती है।

वर्ष के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ में विभिन्न स्रोतों से कुल एक हजार नौ सौ चालीस (1940) संदर्भ प्राप्त हुए जिनमें केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो से प्राप्त संदर्भ भी शामिल हैं। पच्चीस (25) शिकायतें लोकहित प्रकटन संकल्प के तहत प्राप्त हुई थी, जो जांच के विभिन्न

चरणों पर हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करके 6 शिकायतें बंद की गईं। अनेक शिकायतें अन्वेषण के अंतिम चरण पर हैं।

वर्ष के दौरान दो मामलों में नियमित विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई। पिछले वर्ष से इस वर्ष लाए गए दस विभागीय मामलों में से दो मामलों का निष्कर्ष निकाल कर समाप्त कर दिया गया।

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विभिन्न स्वायत्त संगठनों में रिक्त पदों पर मुख्य सतर्कता अधिकारियों को नियुक्त किया गया।

27 अक्तूबर 2014 से 01 नवम्बर, 2014 तक “भ्रष्टाचार से लड़ना—समर्थक के रूप में प्रौद्योगिकी” के रूप में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। बैनर और पोस्टर भी लगाए गए तथा सभी सार्वजनिक पदों पर कार्य करने में ईमानदारी बनाए रखने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शपथ दिलाई गई।

जन शिकायत निदेशक, जो संयुक्त सचिव के स्तर का होता है, के तहत, उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में विशिष्ट शिकायत निवारण तंत्र भी मौजूद है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय (जन शिकायत निदेशालय), राष्ट्रपति सचिवालय तथा पेंशन एवं पेंशनर कल्याण सहित विभिन्न स्रोतों से 8771 शिकायत याचिकाएं प्राप्त हुई थी और इन शिकायतों के निपटान के लिए उपाय किए गए थे।

हालांकि शिकायत निदेशक का कर्मचारियों और जनता के लिए प्रत्येक बुधवार प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उपलब्ध रहना अपेक्षित होता है, परंतु वास्तव में सभी कार्य दिवसों में कार्य घंटों के दौरान किसी को भी पहुंच से रोका नहीं जाता है। निदेशक, ई-मेल पते पर उन्हें भेजी गई शिकायत का उत्तर देता है जो प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग द्वारा काफी प्रचारित किया गया है। जन शिकायत निवारण के संबंध में सरकार की नीतियों का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, उच्चतर शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत स्वायत्त/अधीनस्थ संगठनों तथा पीएसयू ने भी “शिकायत निदेशक” के रूप में अधिकारी पदनामित किए हैं। डीएआर एंड पीजी की सिफारिशों के अनुसार एक केन्द्रीकृत जन शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) काम कर रही है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण की शिकायतों से संबंधित समिति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार मंत्रालय में कर्मचारियों की शिकायतों को सुनने और उनके निवारण के लिए मौजूद है। दो शिकायतें, जो सतर्कता विंग को प्राप्त हुई थी, उन्हें मंत्रालय की शिकायत समिति को भेज दिया गया था। ये शिकायतें समिति के विचाराधीन हैं।

सूचना एवं सुविधा केन्द्र (आईएफसी)

सूचना और सुविधा केन्द्र के आधार पर राष्ट्रीय सूचना केन्द्र नेटवर्क और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आने वाली सामान्य जन और एनजीओ की सूचना को सुकर बनाने के लिए जून 1997 में स्थापित किया गया था। सूचना और सुविधा केन्द्र के मुख्य उद्देश्य प्रभावशाली, प्रतिक्रियात्मक और सामान्य जन अनुकूल प्रशासन को प्रोत्साहित करना है। यह केन्द्र मंत्रालय की योजनाओं के बारे में उच्च अध्ययन के लिए आने वाले भारतीय विद्यार्थियों और विदेशी विद्यार्थियों, विजिटर्स, एनजीओ को जानकारी प्रदान करता है। योजना से संबंधित मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही जानकारी और सेवाओं अर्थात् विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों और आवेदन फार्म के दिशा-निर्देश का उपयोग करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है। आंकड़े/जानकारी इंटरनेट की सुविधा वाले कम्प्यूटर से ली जा सकती है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट का पता <http://www.education.nic.in> है।

आरटीआई अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट:

सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर, 2005 से लागू किया गया है। जब भी इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होते हैं तो सामान्यतया उसी दिन सूचना एवं सुविधा केन्द्र द्वारा संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को अग्रेषित कर दिए जाते हैं। प्रति आवेदन 10 रुपये का आवेदन शुल्क, विभाग के खजांची के पास जमा कराया जाता है।

आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की बढ़ती संख्या (ऑनलाइन सहित) के मद्देनजर तथा सूचना के आदान-प्रदान में सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों के रूप में अधिकारियों को पदनामित करने के कार्य की समीक्षा की गई है। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 5(2) के अंतर्गत केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में अवर सचिव एवं

अवर सचिव के रैंक के अधिकारी निर्दिष्ट किए गए हैं तथा विभागीय प्रमुखों को धारा 19(1) के तहत अपील प्राधिकारी निर्दिष्ट किया गया है। दोनों विभागों नामतः उच्चतर शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संबंध में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) तथा अपील प्राधिकारियों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के प्रावधानों के अनुसार यह सूचना वार्षिक आधार पर अद्यतन की जाती है। केन्द्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2009-10 के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग के संबंध में सूचना संकलित की गई तथा उनको ऑनलाइन प्रस्तुत किया गया।

यह विभाग, अपने स्वायत्ता संगठनों द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन की देखरेख ब्यूरो प्रमुखों के माध्यम से करता है। 2010-2011 से केन्द्रीय सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के लिए सूचना एकत्र करने की प्रणाली को सीआईसी ने संशोधित किया है। अब यह तिमाही आधार पर तथा ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होती है। इस मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठनों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए सभी संगठनों को पासवर्ड दिए गए हैं तथा सीआईसी की साइट पर सूचना स्वयं अपलोड करने के लिए उन्हें सूचित किया गया है।

निम्नलिखित विवरण, मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदनों/अपीलों की वर्षवार प्राप्ति दर्शाता है:

वर्ष	प्राप्त व निपटाए गए आवेदनों एवं अपीलों की संख्या
2006	359
2007	641
2008	1554
2009	2166
2010	3235
2011	4833
2012	3940
2013	11028
2014	17681 (ऑफलाइन एवं ऑनलाइन सहित 31.12.2014 तक की स्थिति)

नागरिक/ग्राहक चार्टर

मंत्रालय की वचनबद्धता के बारे में नागरिकों तथा सरकारी तंत्रों के बीच जागरूकता बनाने के उद्देश्य से और साथ ही साथ बेहतर सार्वजनिक सम्पर्क के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों (नामत: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग) ने निष्पादन प्रबंधन प्रभाग (पीएम) मंत्रिमंडल सचिवालय दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने नागरिक/ग्राहक चार्टर (सीसीसी) तैयार किए हैं।

राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 12वीं योजना में राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल प्रारंभ की है। इस पहल के तहत, 20 नए डिजाइन नवाचार केन्द्र, एक मुक्त डिजाइन स्कूल और राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क को, इन सभी स्कूलों के साथ जोड़ा जाएगा जिसकी अनुमानित लागत 240 करोड़ रुपये है। इस योजना के तहत संकाय और भूमि सहित वर्तमान संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुकर बनाने के लिए आईआईटी, एनआईटी, केन्द्रीय और राज्य विश्वविद्यालय जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को वर्तमान सार्वजनिक निधियन में सह-संबद्ध करके 20 डीआईसी स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक डीआईसी को 10 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। सम्पूर्ण देश को कवर करने के लिए भौगोलिक विस्तार के आधार पर पूर्व चयनित संस्थाओं के बीच डीआईसी की पहचान की जाएगी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लेकर मुक्त कला तक को कवर किए जाने की आशा है। ओडीएस विभिन्न सहयोगी शिक्षा कार्यक्रमों (शैक्षिक संस्थाओं के बृहत स्पेक्ट्रम को जोड़ने) और इंटरनेट के माध्यम से अपने पाठ्यक्रमों का निःशुल्क आदान-प्रदान करके देश में डिजाइन शिक्षा और कार्य की अधिकतम पहुंच बनाने को सुनिश्चित करेगा। एनडीआईएन उन डिजाइन स्कूलों का नेटवर्क होगा जो उद्योग और अन्य शैक्षिक संस्थाओं के साथ नजदीकी से कार्य करेंगे, डिजाइन शिक्षा तक पहुंच के लिए एनजीओ और सरकार, सभी सेक्टरों में डिजाइन नवाचार को प्रोत्साहित करना और संस्थाओं के बीच बृहत सहयोगी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए कार्य करेंगे।

वर्ष 2013-14 के दौरान, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईएससी बेंगलूर और दिल्ली विश्वविद्यालय में 5 डीआईसी स्थापित किए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, 10 डीआईसी, ओडीएस और एनडीआईएन की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के राज्य सचिवों की बैठक

27 जून, 2014 को नई दिल्ली में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी की अध्यक्षता में

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के प्रधान सचिवों/सचिवों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में 29 राज्यों और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों से अपर मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के सचिवों ने भाग लिया था।

बैठक के दौरान, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने देश के विभिन्न भागों में संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की अत्यधिक वृद्धि पर अपनी चिन्ता व्यक्त की और राज्य सरकारों से ऐसी संस्थाओं की मॉनीटरिंग करने के लिए कहा जिससे मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने अपने "कॉलेज को जानें" नामक अभियान का भी समर्थन किया। उन्होंने बच्चों के लिए विज्ञान को रुचिकर बनाने हेतु राष्ट्रीय अविष्कार अभियान की आवश्यकता, पेरेंटों को खोजने की प्रणाली और माता-पिता एवं समुदायों को नवाचार का भाग बनाने पर जोर दिया। राज्यों से उनके अनुभवों के आलोक में शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वृहत मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को बड़ी मात्रा में प्रारंभ करने और राष्ट्रीय ई-पुस्तकालय को स्थापित करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की रैंकिंग के राष्ट्रीय कार्यवाहों और कॉलेजों में स्कूलों के शालादीप कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को आयोजित करने की इच्छा व्यक्त की गई थी।

पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षण और शिक्षक राष्ट्रीय मिशन

देश में शिक्षा प्रणाली के तीव्र गति से विस्तार के साथ स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों में शैक्षिक विकास में गुणवत्ता सुधार एक केन्द्र बिन्दु पर आ गया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इस दिशा में किसी भी प्रयास की सफलता के लिए शिक्षक महत्वापूर्ण कड़ी है। इसलिए शिक्षकों को तैयार करने और कक्षाओं, स्कूलों और कॉलेजों में उनकी कार्य स्थितियों, सतत व्यावसायिक विकास पर फोकस किए जाने की आवश्यकता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य की पीढ़ी को ढालने के लिए देश में प्रतिभा उपलब्ध कराना है।

2. अतः उपर्युक्त पृष्ठभूमि के साथ सरकार ने 12वीं योजना के दौरान, 900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षक और शिक्षण मिशन प्रारंभ किया है।

3. इस मिशन में, शिक्षकों, शिक्षण, शिक्षकों को तैयार करने, व्यावसायिक विकास, पाठ्यचर्या डिजाइन, डिजाइनिंग और मूल्यांकन एवं निर्धारण प्रणाली की विधि, शिक्षाशास्त्र में अनुसंधान और विकासशील प्रभावशाली शिक्षाशास्त्र से संबंधित सभी मामलों का व्यापक रूप से समाधान करने की परिकल्पना की गई है। यह सरकार की कार्यवाहियों के मुख्य

क्षेत्रों में से एक होगा। इस मिशन में एक तरफ वर्तमान और तत्काल मामलों जैसे अर्हताप्राप्त शिक्षकों की आपूर्ति, शिक्षण व्यवसाय में प्रतिभा को आकर्षित करना और स्कूलों तथा कॉलेजों में शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने का समाधान किया जाएगा दूसरी तरफ, यह भी परिकल्पना की गई है कि नवाचारी शिक्षण और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए शीर्ष सांस्थानिक सुविधा निर्मित करने और व्यावसायिक मानकों को स्थापित करके शिक्षकों के सशक्त कौंडर बनाने के दीर्घकालीन लक्ष्यों के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

4. इस मिशन में स्तरों और सेक्टरों जैसे स्कूल, उच्चतर, तकनीकी आदि के आधार पर कार्यक्रमों को विभाजित किए बिना, शिक्षा के समग्र सेक्टर के साथ, समग्र रूप से कार्य करने के लिए इन लक्ष्यों पर फोकस किया जाएगा। यह एक समावेशी योजना है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अन्य, स्वायत्त संस्थाओं के तहत शिक्षकों और शिक्षण पर विभिन्न चल रही पहलों के बीच सहक्रियाओं का सृजन करेगी।

5. इस मिशन के निम्नलिखित घटक होंगे:—

- i) शिक्षा स्कूल (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में)— 30
- ii) पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र हेतु उत्कृष्टता केन्द्र— 50
- iii) अध्यापक शिक्षा हेतु अंतर विश्वविद्यालय केन्द्र— 2
- iv) राष्ट्रीय शिक्षा संसाधन केन्द्र — 1
- v) शैक्षिक नेतृत्व और शिक्षा प्रबंधन केन्द्र— 5
- vi) नवाचार, पुरस्कार, शिक्षण संसाधन अनुदान, कार्यशाला और सेमिनार
- vii) पाठ्यक्रम नवीकरण और सुधार हेतु विषय नेटवर्क।

परियोजना और मॉनीटरिंग (पीएंडएम)

“पीएंडएम इकाई, वार्षिक योजनाओं और पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने, कार्यक्रमों तथा योजनाओं की समीक्षा, आबंटित योजनागत परिव्यय की तुलना में योजनागत व्यय की निगरानी हेतु योजना आयोग के लिए संपर्क इकाई के रूप में कार्य करना तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार वास्तविक व्यय का विश्लेषण करने में शामिल हैं। पीएंडएम इकाई, ‘शिक्षा संबंधी बजटीय व्यय के विश्लेषण’ के वार्षिक प्रकाशन भी प्रकाशित करता है जिसमें शिक्षा के संबंध में सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण दिया जाता है। इस दस्तावेज के लिए आंकड़े राज्यों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विभिन्न बजट दस्तावेजों से एकत्रित किए जाते हैं और योजनागत, गैर-योजना, राजस्व और पूंजी को अलग करते हुए शिक्षा में विभिन्न क्षेत्रों के लिए शिक्षा विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा किए गए खर्च के व्योरो के साथ विश्लेषण सहित प्रकाशित किए जाते हैं। यह इकाई शिक्षा क्षेत्र के वार्षिक वित्तीय

आंकड़े भी प्रकाशित करती है जो शिक्षा के क्षेत्र में योजना-वार आंकड़े (केन्द्र तथा राज्य) दर्शाते हैं।

XIIवीं योजना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) द्वारा अनुमोदित मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) का परिव्यय 4,53,728 करोड़ रूपए (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 3,43,028 करोड़ रूपये और उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 1,10,700 करोड़ रूपये) है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए वार्षिक योजना 2014-15 में अनुमोदित योजनागत परिव्यय 51,828 करोड़ रूपए तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 16,900 करोड़ रूपए है।”

एडसिल (भारत) लिमिटेड

एडसिल (भारत) लिमिटेड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तहत, आईएसओ 9001-2008 और 14001:2004 प्रमाणित भारत सरकार का एक उपक्रम है।

इसके पास सशक्त संसाधन आधार, व्यावसायिक रूप से सक्षम और समर्पित कार्यबल है और इसमें विशेष क्षेत्रों में संगत विशेषज्ञता की पूलिंग की परियोजना प्रबंधन हेतु विश्व बैंक के दृष्टिकोण पर आधारित विशिष्ट पहुंच और विधि है जो एडसिल को लागत प्रतिस्पर्धा सहित ग्राहक की मांगों और उसकी आशाओं के व्यापक और समग्र समाधान उपलब्ध कराने में समर्थ बनाती हैं।

एडसिल, शिक्षा सेक्टर में एकमात्र परामर्शीय संगठन है जो गुणवत्तायुक्त शिक्षा में नए मानकों को स्थापित करने के लिए मुख्य समर्थक के रूप में टर्नकी आधार पर मॉड्यूल आधार पर शिक्षा और मानव संसाधन विकास कार्यकलापों की वृहत पहुंच को कवर करता है। एडसिल, भारतीय शिक्षा को विदेशों में प्रोत्साहित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहा है और भारत में संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु एकल खिड़की एजेंसी के रूप में काम करता है। मानव संसाधनों के विकास सहित सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलावों का समाधान प्रस्तुत करते हुए सेवाओं के विभिन्न लक्ष्यों के माध्यम से व्यापक समाधान प्रदान करने की व्यवस्था करता है।





अध्याय 16

आरएफडी-2013-14 के तहत उपलब्धियां



सत्यमेव जयते

आरएफडी
(परिणाम अवसंरचना दस्तावेज़)
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
(2013-14)

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रस्तुत उपलब्धियां) (2013.14)

निष्पादन मूल्य रिपोर्ट

उद्देश्य	महत्त्व	कार्यवाई	सफलता संकेतक	इकाई	महत्त्व	लक्ष्य/मापदंड मूल्य				उपलब्धि	निष्पादन	
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	सामान्य 70%	खराब 60%	मूल अंक	भारित अंक
1. अजा./अजजा./अल्पसंख्यकों/निःशक्तजनों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा सुविधाओं का विस्तार।	52	स्कूल केंद्रों का निर्माण	प्रारंभिक स्कूलों का निर्माण	संख्या	3.00	1000	900	800	700	600	100.0	3.0
			उच्च प्राथमिक स्कूलों का निर्माण	संख्या	3.00	1200	1000	800	600	400	100.0	3.0
		अवसरचना सुधार	अतिरिक्त शिक्षण-कक्ष का निर्माण	संख्या	3.00	80000	70000	65000	60000	55000	100.0	0.0
			31.03.2013 तक स्वीकृत केजीबीवी स्कूलों का निर्माण	लक्षित परियोजनाओं का %	3.00	60	50	45	40	35	0.0	0.0
		बालिका शिक्षा	कुल केजीबीवी की तुलना में केजीबीवी में नामांकित बालिकाएं	:	2.00	40	35	30	25	20	100.0	2.0
			प्रारंभिक स्कूलों में नामांकित अ.जा. के बच्चों का शेरार	स्कूल नामांकन का %	3.00	20	19.8	17	16	14	100.0	3.0
		लाभ वंचित लोगों को सहायता	प्रारंभिक स्कूलों में नामांकित अ.जा. के बच्चों का शेरार	स्कूल नामांकन का %	3.00	12	10.8	9	8	7	90.42	2.71
			(पीएसी आंकड़ों के आधार पर) स्कूल नहीं आने वाले बच्चों की संख्या	लाख में	2.00	25	26	27	28	29	100.0	2.0
			प्रारंभिक स्कूलों में नामांकित मुस्लिम बच्चों का शेरार	स्कूल नामांकन का %	3.00	14.00	13.43	12.79	12.00	11.50	91.58	2.75
		प्रारंभिक स्तर पर अतिरिक्त अध्यापक सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षित	एसएसए के तहत अध्यापकों की भर्ती प्रशिक्षित किए जाने वाले प्रारंभिक अध्यापक	संख्या (लाख में)	3.00	40	35	30	27	25	73.63	2.21
		प्रारंभिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की दर में कमी	औसत वार्षिक स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की दर (डीआईएसई) आंकड़ों के आधार	%	3.00	4	5	6	7	8	83.8	2.51

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रस्तुत उपलब्धियाँ) (2013.14)
निष्पादन मूल्य रिपोर्ट

उद्देश्य	महत्त्व	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	महत्त्व	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				उपलब्धि	निष्पादन	
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	सामान्य 70%		मूल अंक	भारति अंक
		पर	बालिकाओं के लिए प्राथमिक से उच्च प्राथमिक उत्तीर्णता की दर।	%	2.00	90	88	86	84	80	80.1	1.6
			विद्यार्थियों का कवरज	संख्या करोड़ में	3.00	10.5	10.4	10.00	9.5	9-00	100-0	3.0
			प्रारंभिक स्कूलों में रसोईया-सह-भण्डारों का निर्माण	संख्या	2.00	65000	60000	51600	45600	39600	76.17	1.52
			प्रारंभिक स्कूलों में रसोई उपकरणों का अधिप्रापण	संख्या	1.00	75000	70000	60200	53200	46200	0.0	0.0
			2007-08 और उसके पश्चात् प्रतिस्थापित / स्वीकृत किए जाने वाले रसोई उपकरणों की संख्या	संख्या	1.00	22500	216000	193500	171000	148500	92.54	0.93
			हाल ही में स्थापित किए गए जिलों में डीआईटी के लिए अनुमोदन		2.00	25	20	15	10	5	100.0	2.0
			विशेष फोकस वाले जिलों में बीआईटीएस की स्थापना के लिए अनुमोदन	जिलों की संख्या	2.00	50	40	35	25	15	73.0	1.46
			माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को अध्यापक शिक्षा कॉलेज (सीटीई) में अपग्रेडेशन करना	संस्थाओं की संख्या	1.00	15	12	9	7	3	0.0	0.0
			विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग का एडवांसड शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईएएसई) में अपग्रेडेशन	संस्थाओं की संख्या	1.00	10	8	7	6	3	0.0	0.0
			अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुमोदन									

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रस्तुत उपलब्धियाँ) (2013.14)
निष्पादन मूल्य रिपोर्ट

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	महत्व	लक्ष्य/मापदंड मूल्य				उपलब्धि	निष्पादन	
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	सामान्य 70%		मूल अंक	भारित अंक
		सेवा पूर्व अध्यापक प्रशिक्षण	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सीएफटीई, 2009 के अनुसार डी.एड पाठ्यचर्या में संशोधन	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या	2.00	20	18	12	10	18	90.0	1.8
		कक्षा III और VIII के अधिगम स्तर का राष्ट्रीय आकलन	रिपोर्ट रिलीज करना	दिनांक	2.00	01/12/2013	15/12/2013	31/12/2013	15/01/2014	31/07/2013	100.0	2.0
17. 00	2. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति निश्चित बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की माध्यमिक स्कूल सुविधा तक पहुँच पर फोकस सहित गुणवत्तापरक माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना और इसका विस्तार करना।	स्कूल केंद्रों का निर्माण	31.03.2013 तक स्वीकृत माध्यमिक स्कूलों का निर्माण।	संख्या	2.00	1000	800	700	600	1555	100.0	2.0
		अवसंरचना का आधार	अतिरिक्त शिक्षण-कक्ष सहित मौजूदा माध्यमिक स्कूलों को सुदृढ़ बनाना	संख्या	1.00	3300	3000	2700	2400	7622	100	1.0
		उत्कृष्टता बैचमार्क के रूप में मॉडल स्कूल खोलना	31.03.2013 तक स्वीकृत अनुमोदित मॉडल स्कूलों का प्रचालन	%	2.00	600	500	400	300	711	100.0	2.00
		माध्यमिक स्कूलों को आईसीटी सक्षम बनाना	स्कूलों के कवरज के लिए अनुमोदन	संख्या	2.00	3000	2500	2000	1500	70	0.0	0.0
		व्यावसायिक शिक्षा	व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किए गए विद्यार्थी	संख्या	1.00	35000	30000	25000	20000	34708	99.42	0.99
		बालिका शिक्षा	माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए छात्रवास का निर्माण	संख्या	1.00	450	400	300	200	111	61.1	.61
		विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा	सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अध्ययन कर रहे विशेष आवश्यकता	संख्या	2.00	110000	100000	70000	40000	123356	100.0	2.00

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रस्तुत उपलब्धियां) (2013.14)

निष्पादन मूल्य रिपोर्ट

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				उपलब्धि	निष्पादन	
						उत्कृष्ट 100%	बहुत 90%	अच्छा 80%	सामान्य 70%	खराब 60%	मूल अंक	भारति अंक
3. नीति तैयार करना और स्कूल शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा सभी में संस्थागत, प्रणालीगत और कार्यात्मक सुधारों को लागू करना	11.00	सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण	वाले बच्चों की कवरेज									
			माध्यमिक अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा	सं. (लाख में)	2.00	5	4.5	4	3.5	3	2.35	0.0
			माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना	संख्या	2.00	50000	45000	40000	35000	30000	11316	0.0
		कक्षा-7 के विद्यार्थियों के अधिगम स्तरों का राष्ट्रीय आकलन	अध्ययन शुरू करना	दिनांक	2.00	01/07/2013	15/07/2013	31/07/2013	16/08/2013	30/08/2013	01/07/2013	2.0
		नीति लागू करना और प्रारंभिक स्कूलों में आंकड़ों की एकीकृत पद्धति	राज्य स्तर पर डीआईएसई और सेमेस्टर पद्धतियों को एकीकृत करना	संख्या	2.00	5	4	3	2	1	35	2.00
		एनएमएसएस और एनएसआईजीएसई के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण राज्यों में	शामिल किए गए जिले	संख्या	1.00	43	38	33	28	25	43	1.0
		स्वास्थ्यकर/पोषण के संबंध में 15 राज्यों में एमडीएम के प्रभाव का आकलन करने के लिए मानव विज्ञानी अध्ययन शुरू करना	कवर किए गए जिले	संख्या	1.00	20	15	10	8	5	40	1.0
		एमडीएम योजना का संशोधन	संशोधित एमडीएम योजना का लागू करना	दिनांक	2.00	01/12/2013	01/01/2014	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014		अनुपलब्ध

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रस्तुत उपलब्धियाँ) (2013.14)
निष्पादन मूल्य रिपोर्ट

उद्देश्य	महत्त्व	कारवाई	सफलता संकेतक	इकाई	महत्त्व	लक्ष्य / मापदंड मूल्य					उपलब्धि	निष्पादन	
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	सामान्य 70%	खराब 60%		मूल अंक	भारित अंक
4. एक पूर्ण रूप से साक्षर समाज की स्थापना करने के लिए साक्षरता और कौशल विकास का संवर्धन	5.00	एमडीएम के लिए समीक्षा मिशन	समीक्षा किए गए राज्य	संख्या	1.00	9	8	7	6	5	20	100.0	1.00
		आईवीआरएस को तैयार करना	देशभर में आईवीआरएस को शुरू करना	दिनांक	2.00	31/12/2013	15/01/2014	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014		अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		वेब आधारित / एमडीएम-एमआईएस के साथ वेब पोर्टल शुरू करना	उपयोग के लिए आईवीआरएस के साथ वेब पोर्टल शुरू करना (भाग-44 में स्पष्ट किया जाएगा)	दिनांक	1.00	31/12/2013	15/01/2014	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014		अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		योजना की सामाजिक लेखा परीक्षा	राज्यों में आंध्र प्रदेश की तर्ज पर एमडीएम योजना की सामाजिक लेखा परीक्षा करना	संख्या	1.00	5	4	3	2	1	0	0.0	0.0
* आरएफडी पद्धति का अनुमोदन के लिए समर्थन	3.00	कौशल विकास	कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षुओं की कवरज	सं. (लाख में)	2.00	3	2-8	2-6	2-4	2	4-5	100.0	2.0
		समकक्ष कार्यक्रम की परिचालनियता	समकक्ष कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षुओं की कवरज	संख्या	1.00	25000	22000	20000	18000	16000	31222	100.0	1.00
		साक्षर भारत के तहत प्रशिक्षुओं का आकलन	जिला स्तर पर अगस्त 31.2013 और 31 मार्च, 2014 को प्रशिक्षुओं के आकलन के दो चक्र	संख्या	2.00	250	240	230	225	220	288	100.0	2.00
		आरएफडी 2014-15 के मसौदे के अनुमोदन के लिए समर्थन	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	2.00	05/03/2014	06/03/2014	07/03/2014	08/03/2014	11/03/2014	05/03/2014	100.0	2.0
* आरएफडी पद्धति का अनुमोदन के लिए समर्थन	3.00	2012-13 के प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.0	01/05/2013	02/05/2013	03/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	01/05/2013	100.0	1.0
		परिणामों का समय पर प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.0	01/05/2013	02/05/2013	03/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	01/05/2013	100.0	1.0

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रस्तुत उपलब्धियां) (2013.14)
निष्पादन मूल्य रिपोर्ट

उद्देश्य	महत्त्व	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	महत्त्व	लक्ष्य/मापदंड मूल्य				उपलब्धि	निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य		मूल अंक	भारित अंक
* पारदर्शिता/सेवा प्रदानगी मंत्रालय/विभाग	3.00	सिटीजन/क्लाइंट चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन की स्वायत्त लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का %	%	2.0	100	90	80	70	34	0.0	0.0
		लोक शिकायत निवारण प्रणाली की सामाजिक लेखा परीक्षा का कार्यान्वयन	कार्यान्वयन का %	%	1.0	100	90	80	70	40.9	0.0	0.0
* प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के सम्भावित खतरे को कम करने के लिए प्रशमनकारी कार्यनीतियों को कार्यान्वित करना	कार्यान्वयन का %	%	1.0	100	95	90	85	100	100.0	1.0
		अनुमोदित कार्रवाई योजना के अनुसार आईएसओ 9001 का कार्यान्वयन करना	कार्यान्वयन का %	%	2.0	100	95	90	85	100	100.0	2.0
* आंतरिक दक्षता/प्रत्याचुर	2.00	डिजाइन अभिज्ञात करना और मुख्य नवाचारों को लागू करना	समर्थकारी नवाचार के लिए कार्यवाही योजना का समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	2.0	15/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	15/05/2014	100.0	2.0
		दूसरी एआरसी सिफारिशों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों के मुख्य और गौण क्रियाकलापों की पहचान करना	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.0	24/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	अनु.	अनु.
* वित्तीय जवाबदेही प्रेमवर्क के अनुपालन को	1.00	12वीं योजना प्राथमिकताओं के अनुरूप विभागीय कार्यनीतियों को अद्यतन करना	कार्यनीति का समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	2.00	10/09/2013	17/09/2013	124/09/2013	01/10/2013	08/10/2013	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		सी एंड ए जी की लेखापरीक्षा पैराओं के संबंध में एटीएन का सामायिक प्रस्तुतीकरण	सीएजी द्वारा वर्ष के दौरान संसद को रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण की तारीख से देय	%	0.25	100	90	80	70	100	100.0	0.25

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रस्तुत उपलब्धियाँ) (2013.14)
निष्पादन मूल्य रिपोर्ट

उद्देश्य	महत्त्व	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	महत्त्व	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				उपलब्धि	निष्पादन	
						उत्कृष्ट 100%	बहुत अच्छा 90%	अच्छा 80%	सामान्य 70%	खराब 60%	मूल अंक	भारित अंक
सुनिश्चित बनाना			तारीख (4 महीने के भीतर प्रस्तुत किए गए एटीएन का प्रतिशत)			100	90	80	70	60	100.0	0.25
		संसद को 31 मार्च, 2013 से पूर्व प्रस्तुत की गई सी एंड ए रिपोर्टों के संबंध में लेखा परीक्षाओं संबंधित लम्बित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान बकाया एटीएन को निपटार्ये जाने का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60	100.0	0.25
		संसद को 31 मार्च, 2013 से पूर्व प्रस्तुत की गई सी एंड ए एजी रिपोर्टों के संबंध में लेखा परीक्षाओं संबंधित लम्बित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान बकाया एटीएन को निपटार्ये जाने का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60	100.0	0.25
* अनिवार्य उद्देश्य		31 मार्च, 2013 से पहले संसद में पेश किए गए पीएसी रिपोर्ट की लम्बित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान बकाया निपटार्ये गए एटीआर का प्रतिशत	%	0-25	100	90	80	70	60	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
											कुल मिश्रित स्कोर: 71.85	

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रस्तुत उपलब्धियाँ) (2013-14)

निष्पादन मूल्य रिपोर्ट

उद्देश्य	महत्त्व	कार्रवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्त्व	लक्ष्य / मापदंड मूल्य					निष्पादन		
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब	उपलब्धि	मूल अंक	भारित अंक
(1) पहुँच, भागीदारी और विस्तार * 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में 10 मिलियन की वृद्धि हेतु डिग्री के सभी तरीकों में उच्च शिक्षा क्षेत्र का विस्तार * वर्तमान संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता के सृजन द्वारा नई संस्थाओं की स्थापना तथा गैर सरकारी संगठनों/सिविल सोसायटी को प्रोत्साहन के माध्यम से उच्चतर शिक्षा के संस्थागत बेस का विस्तार करना (तकनीकी, व्यावसायिक और व्यावसायिक शिक्षा सहित)	20.0	रुसा को आरंभ करना	रुसा दस्तावेज को अंतिम रूप दिये जाने के लिए सरकारों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श	दिनांक	5.00	31/05/2013	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	31/05/2013	100.0	5.0
			मंत्रीमण्डल नोट का प्रस्तुतीकरण	दिनांक	3.00	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	03/10/2013	100.0	3.0
			निधियों को जारी करना	दिनांक	2.00	30/12/2013	30/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	30/03/2014	23/12/2014	100.0	2.0
		नए पॉलिटेक्निकों को स्थापित करना	नए पॉलिटेक्निकों को प्रचालित करना	संख्या	1.00	50	40	30	25	20	61	100.0	1.0
		मौजूदा पॉलिटेक्निकों को अपग्रेड करना	मौजूदा पॉलिटेक्निकों के अपग्रेडेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना	संख्या	1.00	50	40	30	25	20	92	100.0	1.0
2. समानता और समावेशन (i) सामाजिक वंचित	13.0	सामुदायिक कॉलेजों की स्थापना	सामुदायिक कॉलेजों को प्रचालित करना	संख्या	4.00	60	50	45	40	35	60	100.0	4.0
		सामुदायिक पॉलिटेक्निकों के जरिये संलग्न जनसंख्या के कौशल विकास का संवर्धन	प्रशिक्षित व्यक्ति	संख्या	2.00	150000	120000	100000	80000	60000	218075	100.0	2.0
		विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों का प्रावधान	लान्मपूर्ण रोजगार का समवर्ती मूल्यांकन	दिनांक	2.00	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2013	30/11/2013	100.0	2.0
			नए महिला छात्रावासों का संचालन	संख्या	2.00	110	100	90	80	70	335	100.0	2.0

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रस्तुत उपलब्धियां) (2013-14)

निष्पादन मूल्य रिपोर्ट

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्व	लक्ष्य/मापदंड मूल्य					निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब	उपलब्धि	मूल अंक
						100%	90%	80%	70%	60%		भारित अंक
समुदायों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा महिलाओं, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों को शामिल करके उनका संवर्धन करना (ii) असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में संस्थाओं की स्थापना द्वारा उच्च शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असमानता दूर करना		अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) तथा अल्पसंख्यकों के लिए सुधारात्मक कोविंग केंद्र	विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए/अतिरक्त केंद्र	संख्या	1.00	50	40	35	30	25	50	100.0
		अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) तथा अल्पसंख्यकों के लिए एनईटी/एसईटी हेतु कोविंग केंद्र	विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए/अतिरक्त केंद्र	संख्या	1.00	20	18	15	12	10	40	100.0
		अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) तथा अल्पसंख्यकों के लिए एनईटी/एसईटी हेतु कोविंग केंद्र	विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए/अतिरक्त केंद्र	संख्या	1.00	40	35	30	25	20	40	100.0
		व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	छात्रवृत्तियों का डीबीटी	प्रतिशत	1.00	100	90	85	80	75	100	100.0
महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप		महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप	छात्रवृत्तियों का डीबीटी	प्रतिशत	1.00	100	90	85	80	75	100	100.0
		अ.जा./अ.ज.जा अर्थव्ययों के लिए पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप	छात्रवृत्तियों का डीबीटी	प्रतिशत	1.00	100	90	85	80	75	100	100.0
		समान अवसर प्रकोष्ठ	विश्व विद्यालयों और कॉलेजों में नए प्रकोष्ठ खोले गए	संख्या	1.00	50	45	40	35	30	50	100.0
		तकनीक तथा व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में निशक्त	निशक्त व्यक्तियों को शामिल किया	संख्या	2.00	2000	1900	1700	1500	1300	2173	100.0
												2.0

उद्देश्य	महत्व	कार्यवाही	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्व	लक्ष्य/मापदंड मूल्य					निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब	मूल अंक	भारत अंक
						100%	90%	80%	70%	60%		
		व्यक्तियों को समर्पित करने की योजना का क्रियान्वयन	गया									
		शिक्षा ऋणों पर व्याज सब्सिडी के जरिये विद्यार्थियों को सहायता	पात्र विद्यार्थियों का 1100 करोड़ रुपये की निधियों का संचितरण	रु. करोड़ में	2.00	1100	800	600	400	200	1524.67	2.0
3. गुणवत्ता वृद्धि	32.00	राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन	मौजूदा शैक्षिक कॉलेजों (एएससी) को मॉडल शैक्षणिक स्टाफ कॉलेजों में परिवर्तित करना	संख्या	1.00	10	8	7	5	3	7	-8
(i) उच्च शिक्षा संस्थाओं में अवसरवना तथा संकाय विकास के लिए तथा प्रतिभा को शिक्षण और शोध में कैरियर बनाने के प्रति आकर्षित करने के लिए योजनागत सहायता में वृद्धि करना			शिक्षा स्कूल स्थापित करना	संख्या	1.00	5	3	2	1	0	5	1.0
(ii) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उन्नत शोध सुविधाओं के माध्यम से ज्ञान सृजन हेतु वातावरण तैयार करना			ग्रीष्म और शीत स्कूल	संख्या	1.00	35000	30000	25000	20000	17000	38510	1.0
(iii) राज्य संस्थाओं का समेकन और सुदृढ़ीकरण			शिक्षा प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय केंद्र	संख्या	1.00	4	3	2	1	0	4	1.0
(iv) सर्वसुलभ ज्ञान तथा बोद्धिक समृद्धा अधिकारों की उन्नति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विदेशी सरकारों, विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग का संवर्धन करना		टीईव्यूआईपी II के तहत अध्यापकों का क्षमता निर्माण	अध्यापकों का आईसीटी सशक्तीकरण	संख्या	1.00	10000	8000	7000	5000	3000	30000	1.0
			कार्यशालाओं का संचालन करना	संख्या	1.00	20	17	14	11	8	25	1.0
			प्रशिक्षित अध्यापकों के निष्पादन का मूल्यांकन	दिनांक	1.00	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014	29/11/2013	1.0
		विदेश में संकाय विकास	विदेशी संस्थाओं में संकाय नियुक्त करने की योजना का अनुमोदन	दिनांक	1.00	30/09/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014	30/09/2013	1.0
(v) भारतीय भाषाओं के विकास का संवर्धन करना			विदेशी संस्थाओं से संकाय विकास के लिए आमंत्रित करने की	दिनांक	1.00	30/09/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014	30/09/2013	1.0

उद्देश्य	महत्व	कार्यवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्व	लक्ष्य/मापदंड मूल्य					निष्पादन		
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब	उपलब्धि	मूल अंक	भारित अंक
						100%	90%	80%	70%	60%			
			योजना अनुमोदन का										
		राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम) को सशक्त करना	अनुवादकों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण	संख्या	1.00	250	230	210	190	170	247	98.5	.98
		अनिवार्य प्रत्यायन	सभी पात्र केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से प्रत्यायन के लिए आवेदनों को भरना	दिनांक	1.00	30/08/2013	30/09/2013	30/10/2013	30/11/2013	30/12/2013		अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			31.12.2013 तक एनएएसी और एनबीए के क्षेत्रीय कार्यालयों को खोलना	संख्या	1.00	4	3	2	1	0	1	70.0	.7
		आईसीटी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन	केनेडिटी का उपयोग (विश्वविद्यालय द्वारा एमबीपीएस में औसत बैंडविथ उपयोग)	संख्या	4.00	30	27	24	21	18	30	100.0	4.0
		मेटा विश्वविद्यालय संबंधी मार्ग-निर्देश	यूजीसी द्वारा मार्ग-निर्देश जारी करना	दिनांक	1.00	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014	07/05/2013	100.0	1.0
		शोध और नवाचार विश्वविद्यालय	यूजीसी योजना को अंतिम रूप दिए जाना	दिनांक	1.00	31/10/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014	10/05/2013	100.0	1.0
		मांग और निरीक्षण आधारित निधियन से मानक आधारित निधियन की ओर जाना	यूजीसी द्वारा फ्रेमवर्क जारी करना	दिनांक	1.00	30/11/2013	31/12/2013	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014	03/10/2013	100.0	1.0

आरएफडी-2013-14 के तहत उपलब्धियां

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रस्तुत उपलब्धियां) (2013-14)
निष्पादन मूल्य रिपोर्ट

उद्देश्य	महत्व	कार्यवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्व	लक्ष्य/मापदंड मूल्य				उपलब्धि	निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य		मूल अंक	भारित अंक
						100%	90%	80%	70%			
		निजी विश्वविद्यालयों का विनियमन	निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विनियम की अधिसूचना	दिनांक	4.00	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		समवत विश्वविद्यालयों का विनियम	समवत विश्वविद्यालयों से संबंधित विनियमों संबंधी रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण और समीक्षा	दिनांक	1.00	31/07/2013	30/09/2013	31/12/2013	28/02/2014	31/03/2014	100.0	1.0
		कार्यदल द्वारा श्रेणी ख संस्थाओं की समीक्षा	कार्यदल द्वारा समीक्षा प्रक्रिया पूरी करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना	संख्या	1.00	8	6	4	2	1	100.0	1.0
		सामाजिक अध्ययन के लिए समग्र परिषद् की स्थापना	अवधारणा नोट का अंतिम रूप दिए जाने और परियोजन करना	दिनांक	1.00	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	31/10/2013	30/11/2013	100.0	1.0
		एआईयू की समीक्षा	रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.00	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014	96.77	.97
		शोध और नवाचार संवर्धन	नवाचार की क्षमता सहित केंद्रों की पहचान	संख्या	2.00	5	4	3	2	1	100.0	2.0
		शैक्षिक संस्थाओं में शोध की एक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशनों और पारिस्थितिकी पद्धति का निर्माण करना	शीर्ष समीक्षित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशनों और आईपीआर में स्थापना करना	संख्या	1.00	500	400	300	200	100	100.0	1.0
			केंद्रीय संस्थाओं के पास उपलब्ध पेटेंट, आवेदनों	संख्या	1.00	500	400	300	200	100	60.0	-6

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रस्तुत उपलब्धियां) (2013-14)

निष्पादन मूल्य रिपोर्ट

उद्देश्य	महत्व	कार्यवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्व	लक्ष्य/मापदंड मूल्य				उपलब्धि	निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब	मूल अंक	भारत अंक
						100%	90%	80%	70%	60%		
			और पेटेंट फाइल करना									
			आईपीआर केंद्र की स्थापना	दिनांक	1.00	31/12/2013	31/01/2014	15/02/2014	28/02/2014	31/03/2014	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
			केंद्रों की स्थापना	संख्या	3.00	5	4	3	2	1	100.0	3.0
4. शोध और नवाचार	6.00	डिजाइन नवाचार केंद्र की स्थापना	ईफसी मसौदा नोट को अंतिम रूप दिए जाने	दिनांक	1.00	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014	100.0	1.0
			शोध के अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना	दिनांक	2.00	28/02/2014	07/03/2014	15/03/2014	21/03/2014	31/03/2014	100.0	2.0
			पहचाने गए केंद्रों को निधियां जारी करना	दिनांक	3.00	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014	100.0	3.0
5. अभिशासन और नेतृत्व	9.00	शैक्षणिक नेतृत्व के विकास के लिए नए संस्थागत प्रबंधों की स्थापना करना	उद्योग शिक्षा में उच्चतर शिक्षा शोध नीतिगत और नेतृत्व विकास केंद्र की स्थापना करना	दिनांक	1.00	31/01/2014	15/02/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014	100.0	1.0
			उद्योग शिक्षा लैंकेंज	दिनांक	.50	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014	100.0	.5
			शिक्षा सांख्यिकीय	दिनांक								
			एआईएसएचआई के आधार पर 2011-12 के लिए उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों को जारी करना	दिनांक	.50	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014	100.0	.5
			एजुकेशन एट ए गलॉस जारी करना	दिनांक	1.00	100	90	80	70	60	100.0	1.0
			जीआरआईएचए के अनुपालक मास्टर योजनाओं का	प्रतिशत								

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रस्तुत उपलब्धियां) (2013-14)

निष्पादन मूल्य रिपोर्ट

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				उपलब्धि	निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब	मूल अंक	भारित अंक
						100%	90%	80%	70%	60%		
6 उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में वैश्वीकृत सुधार शिक्षा का अंतर्विषयक अध्ययन-शिक्षा में शोध और बेहतर नवाचार अंतर्राष्ट्रीय अनुशासन	5.00	को सुनिश्चित करना	अपनाया जाना									
		सी एंड ए जी संबंधी लेखा परीक्षा पैराओं के एटीएन का समय से प्रस्तुतीकरण	सीएजी द्वारा वर्ष के दौरान संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तारीख के भीतर (4 महीने) प्रस्तुत किए गए एटीएन का प्रतिशत	प्रतिशत	.50	100	90	80	70	60	100.0	.5
		31 मार्च, 2013 से पहले संसद में प्रस्तुत की गई सी एंड ए जी रिपोर्टों की लेखापरीक्षा पैराओं के संबंधित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटीएन की प्रतिशतता	प्रतिशत	1.50	100	90	80	70	60	0.0	0.0
		31 मार्च, 2013 से पहले संसद को पेश किए गए पीएसी रिपोर्टों के संबंध में लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटीएन की प्रतिशतता	प्रतिशत	1.00	100	90	80	70	60	100.0	1.0
6 उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में वैश्वीकृत सुधार शिक्षा का अंतर्विषयक अध्ययन-शिक्षा में शोध और बेहतर नवाचार अंतर्राष्ट्रीय अनुशासन	5.00	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अवसर सृजित करना (यूएसए) यूके और आस्ट्रेलिया चरण-1)	कार्रवाई विन्दुओं पर अनुवर्तन	दिनांक	1.50	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014	100.0	1.5
		यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए कार्यनिर्वाह दस्तावेज	कार्य नीतित दस्तावेज	दिनांक	1.50	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014	100.0	1.5
		बेव आधारित विद्यार्थी शुरू करना	हेल्थलाइन शुरू करना	दिनांक	2.00	30/09/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014	100.0	2.0
		* आरएफडी प्रणाली का	आरएफडी 2014-15	दिनांक	2.00	05/03/	06/03/2014	07/03/2014	08/03/2014	11/03/	100.0	2.00

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रस्तुत उपलब्धियाँ) (2013-14)
निष्पादन मूल्य रिपोर्ट

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्व	लक्ष्य/मापदंड मूल्य					निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब	मूल अंक	भारति अंक
सक्षम रूप से कार्यचालन		को अनुमोदन के लिए समय से प्रस्तुतीकरण	प्रस्तुतीकरण			100% 2014	90%	80%	70%	60%	2014	
		2012-13 के लिए परिणामों का समय पर प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.00	01/05/2013	02/05/2013	03/05/2013	06/05/2013	07/05/2013	100.0	1.00
* पारदर्शी सेवा प्रदानगी मंत्रालय/विभाग	3.00	सिटीजन/क्लाइंट चार्टर (सीसीसी) के कार्यन्वयन की स्वायत्त लेखापरीक्षा	कार्यन्वयन का %	%	2.00	100	90	80	70	60	40	0.0
		लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यन्वयन की स्वायत्त लेखा परीक्षा	कार्यन्वयन का %	%	1.00	100	90	80	70	60	53-3	0.0
* प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के सम्भावित जोखिम को कम करने के लिए प्रशमनकारी नीतियों का कार्यन्वयन	कार्यन्वयन का %	%	1.00	100	95	90	85	80	100-0	1-0
		अनुमोदित कार्रवाई योजना के अनुसार आईएसओ 9001 का कार्यन्वयन	कार्यन्वयन का %	%	2.00	100	95	90	85	80	100-0	2-0
		डिजाइन अभिज्ञात करना और प्रमुख नवाचारों को कार्यन्वित करना	नवाचार को सक्षम बनाने के लिए कार्रवाई योजना का समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	2.00	15/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	21/05/2014	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
		दूसरी एआरसी सिकांशों के अनुसार मंत्रालयों/विभाग के प्रमुख और गौण क्रियाकलापों पहचान	कार्यनीति का समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.00	24/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	27/03/2014	28/03/2014	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
* अतिरिक्त दक्षता/प्रत्युत्तर में सुधार लाना	2.00	12वें योजना के प्राथमिकताओं अनुरूप विभागीय	कार्यनीति का समय पर अद्यतन	दिनांक	2.00	10/09/2013	17/09/2013	24/09/2013	01/10/2013	08/10/2013	100.0	2.0

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रस्तुत उपलब्धियां) (2013-14)
निष्पादन मूल्य रिपोर्ट

उद्देश्य	महत्व	कार्यवाही	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्व	लक्ष्य/मापदंड मूल्य				उपलब्धि	निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य		मूल अंक	भारित अंक
						100%	90%	80%	70%			
* वित्तीय जवाबदेही फ्रेमवर्क के अनुपालन को सुनिश्चित करना	1.00	कार्यनीति को उद्यतन करना										
		सी एंड ए जी के लेखा परीक्षा पत्राओं के संबंध में एटीएन का समय पर प्रस्तुतीकरण	सीएजी द्वारा वर्ष के दौरान संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (4 महीने) के भीतर प्रस्तुत की गई एटीएन का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	100	100.0	0.25
		पीएसी रिपोर्टों के पीएसी संसद सचिवालय को एटीआर पर समय पर प्रस्तुतीकरण	पीएसी द्वारा वर्ष के दौरान संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (6 महीने) के भीतर प्रस्तुत की गई एटीआर का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	100	100.0	0.25
		31 मार्च, 2013 से पहले संसद को प्रस्तुत की गई सी एंड ए जी रिपोर्टों के लेखा परीक्षा पत्राओं के संबंध में लम्बित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटायी गई बकाया एटीएन का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	100	100.0	0.25
* अनिवार्य उद्देश्य		31 मार्च, 2013 से पहले संसद को प्रस्तुत की गई पीएसी रिपोर्टों के संबंध में लम्बित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटायी गई बकाया एटीआर का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	100	100.0	0.25

कुल मिश्रित स्कोर: 85.55




सत्यमेव जयते

भारत सरकार

आरएफडी

उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए
(परिणाम अवसरंचना दस्तावेज़)

(2013-14)



उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए परिणाम अवसररचना दस्तावेज़ 2013-14

खंड-1

विजन, मिशन, उद्देश्य और कार्यकलाप

विजन

भारत की मानव संसाधन क्षमता का उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में समानता तथा उत्कृष्टता के साथ पूर्णतः उपयोग करना।

मिशन

- (i) सभी पात्र व्यक्तियों और विशेषकर वंचित वर्गों को समानता के साथ उच्च शिक्षा तक पहुंच के बेहतर अवसर प्रदान करना।
- (ii) मौजूदा संस्थाओं को सहायता, नई संस्थाओं की स्थापना, राज्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों/सिविल सोसायटी को मौजूद क्षेत्रीय अथवा अन्य असंतुलनों को हटाने के सार्वजनिक प्रयासों के अनुपूरक द्वारा पहुंच का विस्तार करना।
- (iii) शोध तथा नवाचार के सुदृढीकरण के लिए नीतियां और कार्यक्रम आरंभ करना तथा संस्थाओं और सार्वजनिक अथवा निजी संस्थाओं को ज्ञान के अग्रिणी के रूप में विस्तार योग्य बनाना
- (iv) अवसररचना और संकाय में निवेश, शैक्षिक सुधारों के संवर्धन, अभिशासन में सुधार और वंचित समुदायों के समावेशन के लिए पुनः निर्धारण करके उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में संवर्धन करना।

उद्देश्य

1. पहुंच, भागीदारी और विस्तार— 'ग्वी' योजना के दौरान उच्च शिक्षा का 10 मिलियन तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में वृद्धि करने के लिए उच्च शिक्षा क्षेत्र का डिलीवरी की सभी पद्धतियों में विस्तार करना। 'मौजूदा संस्थाओं में और संस्थाएं जोड़कर, नई संस्थाओं की स्थापना तथा राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों/सिविल सोसायटी को प्रोत्साहन देते हुए उच्च शिक्षा (तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा सहित) के संस्थागत आधार का विस्तार करना।
2. समानता और समावेशन— 'सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा महिलाओं, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों के समावेश का संवर्धन करके कमियों को दूर करना। 'असेवित तथा अल्प सेवित क्षेत्रों में संस्थाओं की स्थापना करते हुए उच्च शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असमानता को दूर करना।
3. गुणवत्ता वृद्धि— 'उच्च शिक्षा संस्थाओं में अवसररचना तथा संकाय विकास के लिए योजनागत सहायता में वृद्धि करना तथा शिक्षण एवं शोध में कैरियर के प्रति प्रतिभावाओं को आकर्षित करना। 'विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में अधिक शोध सुविधाओं के माध्यम से ज्ञान सृजन का वातावरण तैयार करना। 'राज्य

संस्थाओं का समेकन और सुदृढीकरण। ' सर्वसुलभ ज्ञान प्राप्त करने तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विदेशी सरकार, विश्वविद्यालयों/संस्थाओं तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग का संवर्धन करना। ' भारतीय भाषाओं के विकास का संवर्धन करना।

4. अभिशासन सुधार- ' उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्वायत्तता: नवाचार तथा शैक्षिक सुधारों का संवर्धन करना।'
उच्च शिक्षा में सक्षमता सुधार, संगतता तथा सृजनात्मकता के लिए संस्थागत पुनः निर्माण करना।

कार्यकलाप

- 1 सभी तरीकों से पहुंच का विस्तार करके सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करना;
- 2 समाज के उन वर्गों की भागीदारी का संवर्धन करना जिनका सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है;
- 3 गुणवत्ता में सुधार करना और शैक्षिक सुधारों का संवर्धन करना;
- 4 नई शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना और मौजूदा संस्थाओं की क्षमता का विस्तार और सुधार करना;
- 5 उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना;
- 6 व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास में वृद्धि;
- 7 भारतीय भाषाओं का विकास;
- 8 शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए परिणाम अवसंरचना दस्तावेज 2013-14

खण्ड-2

मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतक और लक्ष्यों के प्रयोजनार्थ वरीयताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
(1) पहुंच, भागीदारी और विस्तार * 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में 10 मिलियन की वृद्धि हेतु डिग्रीवरी के सभी तरीकों में उच्च शिक्षा क्षेत्र का विस्तार * वर्तमान संस्थाओं में अतिरिक्त क्षमता के सृजन द्वारा, नई संस्थाओं की स्थापना तथा गैर सरकारी संगठनों/सिविल सोसायटी को प्रोत्साहन द्वारा उच्चतर शिक्षा के संस्थागत बेस का विस्तार करना (तकनीकी, व्यावसायिक और व्यावसायेन्मुख शिक्षा सहित)	20.0	[1.1] रुसा को आरंभ करना	[1.1.1] रुसा दस्तावेज को अंतिम रूप दिये जाने के लिए राज्य सरकारों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श	दिनांक	5.00	31/05/2013	30/06/2013	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013
			[1.1.2] मंत्रीमण्डल नोट का प्रस्तुतीकरण	दिनांक	3.00	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014
			[1.1.3] निधियों को जारी करना	दिनांक	2.00	30/12/2013	30/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	30/03/2014
		[1.2] नए पॉलिटेक्निकों को स्थापित करना	[1.2.1] नए पॉलिटेक्निकों को प्रचालित करना	संख्या	1.00	50	40	30	25	20
		[1.3] मौजूदा पॉलिटेक्निकों को अपग्रेड करना	[1.3.1] मौजूदा पॉलिटेक्निकों के अपग्रेडेशन के लक्ष्य को प्राप्त करना	संख्या	1.00	50	40	30	25	20
		[1.4] सामुदायिक कॉलेजों की स्थापना	[1.4.1] सामुदायिक कॉलेजों को प्रचालित करना	संख्या	4.00	60	50	45	40	35
2. समानता और समावेशन	13.0	[1.5] सामुदायिक पॉलिटेक्निकों के जरिये समीपवर्ती जनसंख्या के कौशल विकास का संवर्धन	[1.5.1] प्रशिक्षित व्यक्ति लाभपूर्ण रोजगार का समवर्ती मूल्यांकन	संख्या	2.00	150000	120000	100000	80000	60000
		[1.6] विश्वविद्यालयों,	[2.1.1] नए महिला	संख्या	2.00	110	100	90	80	70

खण्ड-2

मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतक और लक्ष्यों के प्रयोजनार्थ वरीयताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्यवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्व	लक्ष्य/मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
(i) सामाजिक वंचित समुदायों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा महिलाओं, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों को शामिल करके उनका सर्वधन करना (ii) असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में संस्थाओं की स्थापना द्वारा उच्च शिक्षा तक पहुंचमें क्षेत्रीय असमानता दूर करना		कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों का प्रावधान	छात्रावासों का संचालन							
		[2.2] अ.जा./अ.ज. जा/अ.पि.वर्ग (गैर-किमी लेयर) तथा अल्पसंख्यकों के लिए सुधारात्मक कोचिंग केंद्र	[2.2.1] विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए/अतिरिक्त केंद्र	संख्या	1.00	50	40	35	30	25
		[2.3] अ.जा./अ.ज. जा/अ.पि.वर्ग (गैर-किमी लेयर) तथा अल्पसंख्यकों के लिए एनईटी/एसईटी हेतु कोचिंग केंद्र	[2.3.1] विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए/अतिरिक्त केंद्र	संख्या	1.00	20	18	15	12	10
		[2.4] अ.जा./अ.ज. जा/अ.पि.वर्ग (गैर-किमी लेयर) तथा अल्पसंख्यकों के लिए सेवा में प्रवेश को सुकर बनाने हेतु कोचिंग केंद्र	[2.4.1] विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए/अतिरिक्त केंद्र	संख्या	1.00	40	35	30	25	20
		[2.5] व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	[2.5.1] छात्रवृत्तियों का डीबीटी	प्रतिशत	1.00	100	90	85	80	75
		[2.6] महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरेल फेलोशिप	[2.6.1] छात्रवृत्तियों का डीबीटी	प्रतिशत	1.00	100	90	85	80	75
		[2.7] अ.जा./अ.ज.जा अभ्यर्थियों के लिए	[2.7.1] छात्रवृत्तियों का डीबीटी	प्रतिशत	1.00	100	90	85	80	75

खण्ड-2

मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतक और लक्ष्यों के प्रयोजनार्थ वरीयताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्व	लक्ष्य/मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
संवर्धन करना (v) भारतीय भाषाओं के विकास का संवर्धन करना		के तहत अध्यापकों का क्षमता निर्माण	का संचालन करना							
		[3.2] विदेश में संकाय विकास	[3.2.2] प्रशिक्षित अध्यापकों के निष्पादन का मूल्यांकन	दिनांक	1.00	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014
		[3.3] विदेश में संकाय विकास	[3.3.1] विदेशी संस्थाओं में संकाय नियुक्त करने की योजना का अनुमोदन	दिनांक	1.00	30/09/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014
		[3.4] राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम) को सशक्त करना	[3.4.2] विदेशी संस्थाओं से संकाय आमंत्रित करने की योजना का अनुमोदन	दिनांक	1.00	30/09/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014
		[3.5] अनिवार्य प्रत्यायन मिशन (एनटीएम) को सशक्त करना	[3.5.1] सभी पात्र केंद्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं से प्रत्यायन के लिए आवेदनों को भरना	संख्या	1.00	250	230	210	190	170
		[3.6] आईसीटी के माध्यम से शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मिशन	[3.6.1] केनेक्टिविटी का उपयोग (विश्वविद्यालय द्वारा एमबीपीएस में औसत बैडविथ उपयोग)	दिनांक	1.00	30/08/2013	30/09/2013	30/10/2013	30/11/2013	30/12/2013
		[3.7] मेटा संबंधी विश्वविद्यालय	[3.7.1] यूजीसी द्वारा मार्ग-निर्देश जारी	दिनांक	1.00	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014

उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए परिणाम अवसरचना दस्तावेज 2013-14

खण्ड-2

मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतक और लक्ष्यों के प्रयोजनार्थ वरीयताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्यवाही	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
		मार्ग-निर्देश	करना							
		[3.8] शोध और नवाचार विश्वविद्यालय	[3.8.1] यूजीसी योजना को अंतिम रूप दिए जाना	दिनांक	1.00	31/10/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014
		[3.9] मांग और निरीक्षण आधारित निधियन से मानक आधारित निधियन की ओर जाना	[3.9.1] यूजीसी द्वारा फ्रेमवर्क जारी करना	दिनांक	1.00	30/11/2013	31/12/2013	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014
		[3.10] निजी विश्वविद्यालयों का विनियमन	[3.10.1] निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विनियम की अधिपूवना	दिनांक	4.00	31/10/2013	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014
		[3.11] समत विश्वविद्यालयों का विनियम	[3.11.1] समत विश्वविद्यालयों से संबंधित विनियमों संबंधी रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण और समीक्षा	दिनांक	1.00	31/07/2013	30/09/2013	31/12/2013	28/02/2014	31/03/2014
		[3.12] कार्यदल द्वारा श्रेणी ख संस्थाओं की समीक्षा	[3.12.1] कार्यदल द्वारा समीक्षा प्रक्रिया पूरी करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना	संख्या	1.00	8	6	4	2	1
		[3.13] सामाजिक अध्ययन के लिए समग्र परिषद् की स्थापना	[3.13.1] अवधारणा नोट का अंतिम रूप दिए जाना और परिचालन करना	दिनांक	1.00	31/07/2013	31/08/2013	30/09/2013	31/10/2013	30/11/2013
		[3.14] एआईयू की समीक्षा	[3.14.1] रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.00	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014
		[3.15] शोध और नवाचार संवर्धन	[3.15.1] नवाचार की क्षमता सहित केंद्रों की	संख्या	2.00	5	4	3	2	1

खण्ड-2

मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतक और लक्ष्यों के प्रयोजनार्थ वरीयताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
4. शोध और नवाचार	6.00	[3.16] शैक्षिक संस्थाओं में शोध की एक पारिस्थितिकी पद्धति का निर्माण करना	पहचान							
			[3.16.1] शीर्ष समीक्षित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशनों और आईपीआर में स्थापना करना	संख्या	1.00	500	400	300	200	100
			[3.16.2] केंद्रीय संस्थाओं के पास उपलब्ध पेटेंट, आवेदनों और फाइल करना	संख्या	1.00	500	400	300	200	100
			[3.16.3] आईपीआर केंद्र की स्थापना	दिनांक	1.00	31/12/2013	31/01/2014	15/02/2014	28/02/2014	31/03/2014
			[4.1.1] केंद्रों की स्थापना	संख्या	3.00	5	4	3	2	1
5. अभिशासन सुधार और नेतृत्व		[4.1] डिजाइन नवाचार केंद्र की स्थापना [4.2] शोध के अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना [5.1] शैक्षिक नेतृत्व के विकास के लिए नए संस्थागत प्रबंधों की स्थापना करना [5.2] उद्योग शिक्षा लिकेंज [5.3] शिक्षा सांख्यिकीय	[4.2.1] ईएफसी मसौदा नोट को अंतिम रूप दिए जाना	दिनांक	1.00	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014
			[4.2.2] पहचाने गए केंद्रों को निधियां जारी करना	दिनांक	2.00	28/02/2014	07/03/2014	15/03/2014	21/03/2014	31/03/2014
			[5.1.1] उच्चतर शिक्षा में नीतिगत शोध और नेतृत्व विकास केंद्र की स्थापना करना	दिनांक	3.00	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014
			[5.2.1] उद्योग शिक्षा सहयोग परिसर की स्थापना करना	दिनांक	1.00	31/01/2014	15/02/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014
			[5.3.1] एआईएसएचई के आधार पर	दिनांक	.50	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014

उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए परिणाम अवसररचना दस्तावेज 2013-14

खण्ड-2

मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतक और लक्ष्यों के प्रयोजनार्थ वरीयताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्व	लक्ष्य/मापदंड मूल्य			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य
						100%	90%	80%	70%
			2011-12 के लिए उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों को जारी करना						
			[5.3.2] एजुकेशन एट ए रलांस जारी करना	दिनांक	.50	30/11/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014
		[5.4] जीआरआईएचए मार्ग-निर्देशों के अनुरूप नए परिसरों को सुनिश्चित करना		प्रतिशत	1.00	100	90	80	70
		[5.5] सी एंड एजी संबंधी लेखा परीक्षा पैराओं के एटीएन का समय से प्रस्तुतीकरण		प्रतिशत	.50	100	90	80	70
		[5.6] 31 मार्च, 2013 से पहले संसद में प्रस्तुत की गई सी एंड एजी रिपोर्टों की लेखापरीक्षा पैराओं के संबंधित एटीएन का शीघ्र निपटान		प्रतिशत	1.50	100	90	80	70
		[5.7] 31 मार्च, 2013 से पहले संसदको पेश किए गए पीएसी रिपोर्टों के संबंध में लम्बित एटीन का शीघ्र निपटान		प्रतिशत	1.00	100	90	80	70

खण्ड-2

मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतक और लक्ष्यों के प्रयोजनार्थ वरीयताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्यवाही	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
6 उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में वैश्वीकृत सुधार शिक्षा का अतिविषयक अध्ययन-शिक्षा में शोध और बेहतर नवाचार अंतर्राष्ट्रीय अनुशासन	5.00	[6.1] अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए अवसर सृजित करना (यूएसए, यूके और आस्ट्रेलिया चरण-I)	[6.1.1] कार्यवाही बिन्दुओं पर अनुवर्तन	दिनांक	1.50	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014
		[6.2] यूएसए, कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए कार्यनीतिगत दस्तावेज	[6.2.1] कार्य नीतिगत दस्तावेज	दिनांक	1.50	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	15/03/2014	31/03/2014
		[6.3] बेव आधारित विद्यार्थी शुरू करना	[6.3.1] हेल्पलाइन शुरू करना	दिनांक	2.00	30/09/2013	31/12/2013	31/01/2014	28/02/2014	31/03/2014
		आरएफडी 2014-15 का अनुमोदन के लिए समय से प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	2.00	05/03/2014	06/03/2014	07/03/2014	08/03/2014	11/03/2014
* आरएफडी प्रणाली का सक्षम रूप से कार्यवाहन	3.00	2012-13 के लिए परिणामों का समय पर प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.00	01/05/2013	02/05/2013	03/05/2013	06/05/2013	07/05/2013
		सिटीजन/क्लाइंट चार्टर (सीसीसी) के कार्यन्वयन की स्वायत्त लेखापरीक्षा	कार्यन्वयन का %	%	2.00	100	90	80	70	60
		लोकशिकायत निवारण प्रणाली के कार्यन्वयन की स्वायत्त लेखा परीक्षा	कार्यन्वयन का %	%	1.00	100	90	80	70	60
		भ्रष्टाचार के सम्भावित जोखिम को कम करने के लिए प्रशमनकारी नीतियों का कार्यन्वयन	कार्यन्वयन का %	%	1.00	100	95	90	85	80
* प्रशासनिक सुधार	6.00	अनुमोदित कार्यवाही योजना के अनुसार	कार्यन्वयन का :	:	2-00	100	95	90	85	80

उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए परिणाम अवसरचना दस्तावेज 2013-14

खण्ड-2

मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतक और लक्ष्यों के प्रयोजनार्थ वरीयताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
		आईएसओ 9001 का कार्यान्वयन								
		डिजाइन अभिज्ञात करना और प्रमुख नवाचारों को कार्यान्वित करना	नवाचार को सक्षम बनाने के लिए कार्रवाई योजना का समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	2.00	15/05/2014	16/05/2014	19/05/2014	20/05/2014	21/05/2014
		दूसरी एआरसी सिफारिशों के अनुसार मंत्रालयों/विभाग के प्रमुख और गौण क्रियाकलापों की पहचान	कार्यनीति का समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	1.00	24/03/2014	25/03/2014	26/03/2014	27/03/2014	28/03/2014
* आंतरिक दक्षता/प्रवृत्तर में सुधार लाना	2.00	12वीं योजना प्राथमिकताओं के अनुरूप विभागीय कार्यनीति को उद्यतन करना	कार्यनीति का समय पर अद्यतन	दिनांक	2.00	10/09/2013	17/09/2013	24/09/2013	01/10/2013	08/10/2013
* वित्तीय जवाबदेही प्रेमवर्क के अनुपालन को सुनिश्चित करना	1.00	सी एंड एजी के लेखा परीक्षा पत्राओं के संबंध में एटीएन का समय पर प्रस्तुतीकरण	सीएजी द्वारा वर्ष के दौरान संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (4 महीने) के भीतर प्रस्तुत की गई एटीएन का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60
		पीएसी रिपोर्टों के संबंध पीएसी सचिवालय को एटीआर का समय पर प्रस्तुतीकरण	पीएसी द्वारा वर्ष के दौरान संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तारीख (6 महीने) के भीतर प्रस्तुत की गई एटीआर का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70	60
		31 मार्च, 2013 से	वर्ष के दौरान निपटायी	%	0.25	100	90	80	70	60

खण्ड-2

मुख्य उद्देश्यों, सफलता संकेतक और लक्ष्यों के प्रयोजनार्थ वरीयताएं

उद्देश्य	महत्व	कार्रवाई	सफलता सूचकांक	इकाई	महत्व	लक्ष्य / मापदंड मूल्य			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	सामान्य
						100%	90%	80%	70%
		पहले संसद को प्रस्तुत की गई सी एंड एजी रिपोर्टों के लेखा परीक्षा पैराओं के संबंध में लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	गई बकाया एटीएन का प्रतिशत						
		31 मार्च, 2013 से पहले संसद को प्रस्तुत की गई पीएसी रिपोर्टों के संबंध लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटायी गई बकाया एटीआर का प्रतिशत	%	0.25	100	90	80	70

* अनिवार्य उद्देश्य

	पीएसी की रिपोर्ट पर पीएसी सचिवालय को एपीआर समय से प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से देय तिथि से (6 माह) के भीतर प्रस्तुत एटीआर का प्रस्तुत	प्रतिशत	0-25	100	90	80	70	60
	31.03.2013 से पहले संसद को प्रस्तुत सी एंड एजी रिपोर्टों के लेखा परीक्षा पैरा पर लंबित कृत कार्रवाई टिप्पणी का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाय गए बकाया एटीएन का प्रतिशत	प्रतिशत	0-25	100	90	80	70	60
	31.03.2013 से पहले संसद को प्रस्तुत पीएसी रिपोर्ट पर लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाय गए बकाया एटीआर का प्रतिशत	प्रतिशत	0-25	100	90	80	70	60

* अनिवार्य उद्देश्य

खंड-3
सफलता संकेतकों का प्रवृत्ति मूल्य

उद्देश्य	कारवाई	सफलता संकेतक	ईकाई	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए परिलक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए परिलक्षित मूल्य
<p>(1) पहुंच, भागीदारी और विस्तार</p> <ul style="list-style-type: none"> 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में 10 मिलियन की वृद्धि हेतु डिग्री के सभी तरीकों में उच्च शिक्षा क्षेत्र का विस्तार वर्तमान संस्थाओं में अतिथि क्षमता के सृजन द्वारा, नई संस्थाओं की स्थापना द्वारा और राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों/सिविल सोसायटी को प्रोत्साहन द्वारा उच्चतर शिक्षा के संस्थागत बेस का विस्तार करना (तकनीकी, व्यावसायिक और व्यावसायिक शिक्षा सहित) 	(1.1) आर्यूसए आरंभ करना	(1.1.1) आर्यूसए दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकारों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श	तारीख	-	-	30.06.13	-	-
		(1.1.2) मंत्रिमंडल टिप्पणी प्रस्तुत करना	तारीख	-	-	30.11.13	-	-
		(1.1.3) निधियां जारी करना	तारीख	-	-	40	-	-
	(1.2) नए पॉलिटेक्निकों की स्थापना	(1.2.1) नए पॉलिटेक्निकों का संचालन	संख्या	-	-	40	-	-
	(1.3) मौजूदा पॉलिटेक्निकों का स्टरोन्यन	(1.3.1) मौजूदा पॉलिटेक्निकों का स्टरोन्यन करना	संख्या	-	-	40	-	-
<p>(1.4) समुदाय कॉलेजों की स्थापना</p> <p>(1.5) समुदाय पॉलिटेक्निकों के माध्यम से नजदीकी क्षेत्रों में जनसंख्या का कौशल विकास</p>	(1.4) समुदाय कॉलेजों की स्थापना	(1.4.1) समुदाय कॉलेजों का संचालन	संख्या	-	-	120000	-	-
	(1.5) समुदाय पॉलिटेक्निकों के माध्यम से नजदीकी क्षेत्रों में जनसंख्या का कौशल विकास	(1.5.1) प्रशिक्षित व्यक्ति	तारीख	-	-	31.12.13	-	-
		(1.5.2) उपयोगी रोजगार का संगत मूल्यांकन	तारीख	-	-	100	-	-

खंड-3
सफलता संकेतकों का प्रवृत्ति मूल्य

उद्देश्य	कारवाई	सफलता संकेतक	ईकाई	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए परिलक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए परिलक्षित मूल्य
<p>(2) समानता और समावेशन</p> <p>(i) सामाजिक वंचित समुदायों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा महिलाओं, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों को शामिल करके उनका संवर्धन करना।</p> <p>(ii) असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों में संस्थाओं की स्थापना द्वारा उच्च शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असमानता दूर करना।</p>	(2.1) विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों का प्रावधान	(2.1.1) नए महिला छात्रावासों का संचालन	संख्या	-	-	100	-	-
	(2.2) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग (गैर-किमी लेयर) तथा अल्प संख्यकों के लिए सुधारात्मक कोचिंग केंद्र	(2.2.1) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए/अतिरिक्त केंद्र	संख्या	-	-	40	-	-
	(2.3) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग (गैर-किमी लेयर) तथा अल्पसंख्यकों के लिए एनईटी/एस्आईटी कोचिंग केंद्र	(2.3.1) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए/अतिरिक्त केंद्र	संख्या	-	-	18	-	-
	(2.4) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग (गैर-किमी लेयर) तथा अल्प संख्यकों के लिए सेवा में प्रवेश को सुकर बनाने हेतु कोचिंग केंद्र	(2.4.1) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए/अतिरिक्त केंद्र	संख्या	-	-	35	-	-
	(2.5) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति	(2.5.1) छात्रवृत्तियों का सीधे अंतरण	प्रतिशत	-	-	90	-	-

खंड-3
सफलता संकेतकों का प्रवृत्ति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता संकेतक	ईकाई	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए परिलक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए परिलक्षित मूल्य
	(2.6) महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप	(2.6.1) फैलोशिप का सीधे अंतरण	प्रतिशत	-	-	90	-	-
	(2.7) महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप	(2.7.1) फैलोशिप का सीधे अंतरण	प्रतिशत	-	-	90	-	-
	(2.8) समान अवसर प्रकोष्ठ	(2.8.1) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए प्रकोष्ठ खोले गए	संख्या	-	-	45	-	-
	(2.9) तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में निशक्त व्यक्तियों को समेकित करने की योजना का क्रियान्वयन	(2.9.1) निशक्त व्यक्तियों को शामिल किया गया	संख्या	-	-	1900	-	-
	(2.10) शिक्षा ऋण पर ब्याज इमदाद के माध्यम से छात्रों को सहायता प्रदान करना	(2.10.1) पात्र छात्रों को 1100 करोड़ की नीधियों का वितरण	रु. करोड़ में	-	-	800	-	-
(3) गुणवत्ता वृद्धि	(i) उच्च शिक्षा संस्थाओं में अवसरचयना तथा संकाय विकास के लिए तथा प्रतिभा को शिक्षण और शोध में कैरियर बनाने के लिए योजनागत सहायता में वृद्धि करना	(3.1) राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षण मिशन	संख्या	-	-	8	-	-
		(3.1.1) मौजूदा शैक्षिक स्टाफ कॉलेजों (एएससी) को मॉडल अकादमिक स्टाफ कॉलेजों में परिवर्तित करना	संख्या	-	-	3	-	-
		(3.2.1) शिक्षा स्कूलों की स्थापना	संख्या	-	-	30000	-	-
	(ii) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उन्नत शोध सुविधाओं के माध्यम से ज्ञान सृजन हेतु वातावरण तैयार करना	(3.3.1) ग्रीष्म एवं शरद स्कूल	संख्या	-	-			

खंड-3
सफलता संकेतकों का प्रवृत्ति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता संकेतक	ईकाई	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए परिलक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए परिलक्षित मूल्य
<p>(पपप) राज्य संस्थाओं का समेकन और सुदृढीकरण</p> <p>(iv) सर्वसुलभ ज्ञान तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की उन्नति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विदेशी सरकारों, विश्वविद्यालयों/संस्थाओं तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग का संवर्धन करना</p> <p>(v) भारतीय भाषाओं के विकास का संवर्धन करना।</p>		(3.4.1) शिक्षा प्रबंधन हेतु क्षेत्रीय केंद्र	संख्या	-	-	3	-	-
		(3.5.1) अध्यापकों का आईसीटी सशक्तीकरण	संख्या	-	-	8000	-	-
		(3.2.1) कार्यशालाओं का आयोजन	संख्या	-	-	17	-	-
	(3.2) टीईक्यूआईपी-ए के अंतर्गत अध्यापकों का क्षमता निर्माण							
		(3.2.2) प्रशिक्षित अध्यापकों के निष्पादन का मूल्यांकन	तारीख	-	-	31-12-2013	-	-
	(3.3) विदेशों में संकाय विकास	(3.3.1) विदेशी संस्थाओं में संकाय को नियुक्त करने की योजना का अनुमोदन	तारीख	-	-	31-12-2013	-	-
		विदेशी संस्थाओं से संकाय आमंत्रित करने की योजना का अनुमोदन	तारीख	-	-	31-12-2013	-	-
	(3.4) राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम) का सुदृढीकरण	(3.4.1) अनुवादकों का लघु अवधि प्रशिक्षण	संख्या	-	-	230	-	-
	(3.5) अनिवार्य प्रत्यायन	(3.5.1) सभी पात्र केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रत्यायन के लिए आवेदन दायर करना	तारीख	-	-	30.09.2013	-	-

खंड-3

सफलता संकेतकों का प्रवृत्ति मूल्य

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता संकेतक	ईकाई	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए परिलक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए परिलक्षित मूल्य
		(3.5.2) 31.12.2013 तक एनएएसी और एनबीए के क्षेत्रीय कार्यालय खोलना	संख्या	-	-	3	-	-
	(3.6) आईसीटी के माध्यम से शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन	(3.6.1) कनेक्टिविटी का उपयोग (विश्वविद्यालय द्वारा एमबीपीएस में औसत बैंडविथ उपयोग)	संख्या	-	-	27	-	-

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता संकेतक	ईकाई	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए परिलक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए परिलक्षित मूल्य
	[3.7] शोध और नवाचार विश्वविद्यालय मार्ग-निर्देश	[3.7.1] यूजीसी द्वारा जारी करना	दिनांक	-	-	31/01/2014	-	-
	[3.8] शोध और नवाचार विश्वविद्यालय मार्ग-निर्देश	[3.8.1] यूजीसी योजना को अंतिम रूप दिए जाना	दिनांक	-	-	31/12/2013	-	-
	[3.9] माग और निरीक्षण आधारित निधियन से मानक आधारित निधियन की ओर जाना	[3.9.1] यूजीसी द्वारा फ्रेमवर्क जारी करना	दिनांक	-	-	31/12/2013	-	-
	[3.10] निजी विश्वविद्यालयों का विनियमन	[3.10.1] निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विनियम की अधिसूचना	दिनांक	-	-	30/11/2013	-	-
	[3.11] समवत	[3.11.1] समवत	दिनांक	-	-	30/09/2013	-	-

खंड-3
सफलता संकेतकों का प्रवृत्ति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए परिलक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए परिलक्षित मूल्य
	विश्वविद्यालयों का विनियम	विश्वविद्यालयों से संबंधित विनियमों का रिपोर्ट और प्रस्तुतीकरण और समीक्षा						
	[3.12, कार्यदल द्वारा श्रेणी ख संस्थाओं की समीक्षा	[3.12.1, कार्यदल द्वारा समीक्षा प्रक्रिया पूरी करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना	संख्या	—	—	6	—	—
	[3.13] सामाजिक अध्ययन के लिए समग्र परिषद् की स्थापना	[3.13.1] अवधारणा नोट का अंतिम रूप दिए जाना और परिचालन करना	दिनांक	—	—	31/08/2013	—	—
	[3.14] एआईयू की समीक्षा	[3.14.1] रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण	दिनांक	—	—	31/12/2013	—	—
	[3.15, शोध और नवाचार संवर्धन	[3.15.1] नवाचार की क्षमता सहित केंद्रों की पहचान	संख्या	—	—	4	—	—
	[3.16] शैक्षिक संस्थाओं में शोध एक की पारिस्थितिकी पद्धति का निर्माण करना	[3.16.1] शीर्ष समीक्षित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशनों और आईपीआर में स्थापना करना [3.16.2] केंद्रीय संस्थाओं के पास उपलब्ध पेटेंट, आवेदनों और पेटेंट फाइल करना [3.16.3] आईपीआर केंद्र की स्थापना	संख्या	—	—	400	—	—
			संख्या	—	—	400	—	—
			दिनांक	—	—	31/01/2014	—	—

खंड-3
सफलता संकेतकों का प्रवृत्ति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए परिलक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए परिलक्षित मूल्य
4. शोध और नवाचार	[4.1] डिजाइन नवाचार केंद्र की स्थापना	[4.1.1] केंद्रों की स्थापना	संख्या	—	—	4	—	—
	[4.2] शोध के अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना	[4.2.1] ईएफसी मसौदा नोट को अंतिम रूप दिए जाने [4.2.2] पहचाने गए केंद्रों को निधियां जारी करना	दिनांक	—	—	31/01/2014	—	—
5. अभिशासन सुधार और नेतृत्व (i) उच्च शैक्षिक संस्थाओं में स्वायत्ता, नवाचार और शैक्षिक सुधारों का संवर्धन (ii) उच्च शिक्षा में सक्षमता संगतता और सृजनात्मकता के सुधार के लिए संस्थागत पुनः संरचना करना (iii) वित्तीय जवाबदेही फ्रेमवर्क के अनुपालन को सुनिश्चित करना	[5.1] शैक्षणिक नेतृत्व के विकास के लिए नए संस्थागत प्रबंधों की स्थापना करना	[5.1.1] उच्चतर शिक्षा में नीतिगत शोध और नेतृत्व विकास केंद्र की स्थापना करना	दिनांक	—	—	31/12/2013	—	—
	[5.2] उद्योग शिक्षा लिकेज	[5.2.1] उद्योग शिक्षा सहयोग परिसर की स्थापना करना	दिनांक	—	—	15/02/2014	—	—
	[5.3] शिक्षा सांख्यिकीय	[5.3.1] एआईएसएचई के आधार पर 2011-12 के लिए उच्चतर तकनीकी शिक्षा के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों को जारी करना	दिनांक	—	—	31/01/2014	—	—
	[5.4] जीआरआईएचए मार्ग-निर्देशों के अनुरूप नए परिसरों	[5.4.1] जीआरआईएचए अनुपालक मास्टर योजनाओं का	दिनांक	—	—	31/12/2013	—	—
			प्रतिशत	—	—	90	—	—

खंड-3
सफलता संकेतकों का प्रवृत्ति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए परिलक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए परिलक्षित मूल्य
6 उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में वैश्वीकृत सुधार शिक्षा का अंतर्विषयक अध्ययन-शिक्षा और बेहतर नवाचार अंतर्राष्ट्रीय अनुशासन	को सुनिश्चित करना	अपनाया जाना	प्रतिशत	—	—	90	—	—
	ख.5. सी एंड एजी संबंधी लेखा परीक्षा पैराओं के एटीएन से पैराओं के समय से प्रस्तुतीकरण	[5.5.1] सीएजी द्वारा वर्ष के दौरान संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निर्धारित तारीख के भीतर (4 महीने) प्रस्तुत किए गए एटीएन का प्रतिशत	प्रतिशत	—	—	90	—	—
	[5.6] 31 मार्च, 2013 से पहले संसद में प्रस्तुत की गई सी एंड एजी रिपोर्टों लेखापरीक्षा पैराओं के लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	[5.6.1] वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटीएन की प्रतिशतता	प्रतिशत	—	—	90	—	—
	[5.7] 31 मार्च, 2013 से पहले संसद को पेश किए गए पीएसी रिपोर्टों के संबंध में लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	[5.7.1] वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटीएन की प्रतिशतता	प्रतिशत	—	—	90	—	—
6 उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में वैश्वीकृत सुधार शिक्षा का अंतर्विषयक अध्ययन-शिक्षा और बेहतर नवाचार अंतर्राष्ट्रीय अनुशासन	[6.1] अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए सृजित अवसर करना (यूएसए, यूके और आस्ट्रेलिया चरण-I)	[6.1.1] कार्रवाई पर बिन्दुओं अनुवर्तन	दिनांक	—	—	31/01/2014	—	—
	[6.2] यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और	[6.2.1] कार्य नीतिगत दस्तावेज	दिनांक	—	—	31/01/2014	—	—

खंड-3
सफलता संकेतकों का प्रवृत्ति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए परिलक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए परिलक्षित मूल्य
* आरएफडी प्रणाली का सक्षम रूप से कार्यचालन	न्यूजीलैंड के लिए कार्यनीतिगत दस्तावेज							
	[6.3] बेव आधारित विद्यार्थी शुरू करना	[6.3.1] हेल्पलाइन शुरू करना	दिनांक	—	—	31/12/2013	—	—
	आरएफडी 2014-15 का अनुमोदन के लिए समय से प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	—	—	06/03/2014	—	—
* पारदर्शी सेवा प्रदानगी मंत्रालय/विभाग	2012-13 के लिए परिणामों का समय पर प्रस्तुतीकरण	समय पर प्रस्तुतीकरण	दिनांक	—	—	02/05/2013	—	—
	सिटीजन/क्लाइंट चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन की स्वायत्त लेखापरीक्षा	कार्यान्वयन का :	:	—	—	90	—	—
	लोकशिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वायत्त लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का :	:	—	—	90	—	—

खंड-3
सफलता संकेतकों का प्रवृत्ति मूल्य

उद्देश्य	कार्यवाई	सफलता संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए परिलक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए परिलक्षित मूल्य
* प्रशासनिक सुधार	<p>प्लेटाचार के सम्भावित खतरे को कम करने के लिए प्रसीमनकारी कार्यनीतियों को कार्यान्वित करना</p> <p>अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 का कार्यान्वयन</p> <p>मुख्य नवाचारों को पहचानना, तैयार करना और क्रियान्वित करना</p> <p>दूसरी एआरसी सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग के मुख्य और गौण क्रियाकलापों की पहचान करना</p>	<p>कार्यान्वयन का :</p> <p>कार्यान्वयन का :</p> <p>नवाचार समर्थित कार्य योजना का समय पर प्रस्तुतीकरण</p> <p>समय पर प्रस्तुतीकरण</p>	<p>%</p> <p>:</p> <p>दिनांक</p> <p>दिनांक</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>95</p> <p>95</p> <p>95</p> <p>15/10/2013</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
* आंतरिक सक्षमता/जवाबदेही में सुधार करना	12वीं योजना प्राथमिकताओं के अनुरूप विभागीय कार्यनीतियों को अद्यतन करना	कार्यनीति को समय पर अद्यतन करना	दिनांक	—	—	17/09/2013	—	—
* वित्तीय जवाबदेही फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना	सीएंडएजी के लेखापरीक्षा पैराओं से संबंधित एटीएन का समय पर प्रस्तुतीकरण	सीएजी द्वारा वर्ष के दौरान संसद को रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण की तारीख से देय तारीख (4 माह) के भीतर प्रस्तुत एटीएन का प्रतिशत	प्रतिशत	—	—	90	—	—

खंड-3
सफलता संकेतकों का प्रवृत्ति मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए लक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए परिलक्षित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15/16 के लिए परिलक्षित मूल्य
	पीएससी रिपोर्ट संबंधी पीएससी सचि. को एटीआर समय पर प्रस्तुत करना	सीएजी द्वारा वर्ष के दौरान संसद को रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण की तारीख से देय तारीख (6 माह) के भीतर प्रस्तुत एटीआर का प्रतिशत	प्रतिशत	—	—	90	—	—
	संसद को 31 मार्च, 2013 से पूर्व प्रस्तुत की गई सीएंडएजी रिपोर्ट के लेखा परीक्षा पैरा से संबंधित लम्बित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटीएन का प्रतिशत	प्रतिशत	—	—	90	—	—
	संसद को 31 मार्च, 2013 से पूर्व प्रस्तुत की गई सीएंडएजी रिपोर्ट के लेखा परीक्षा पैरा से संबंधित लम्बित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया एटीआर का प्रतिशत	प्रतिशत	—	—	90	—	—

खंड-4
परिवर्णी

क्र.सं.	परिवर्णी	विवरण
1एआईसीटीई	एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
2एआईयू	एआईयू	भारतीय विश्वविद्यालय संघ
3एएससी	एएससी	शैक्षणिक कॉलेज स्टाफ
4एटीएन	एटीएन	कृत कार्रवाई टिप्पणी
5एटीआर	एटीआर	कृत कार्रवाई रिपोर्ट
6सीएंडएजी	सीएंडएजी	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
7सीआई	सीआई	केंद्रीय शैक्षिक संस्थाएं
8सीआईएल	सीआईएल	केंद्रीय भाषा संस्थान
9डीबीटी	डीबीटी	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
10डीबीटी	डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभान्तरण
11डीसीआई	डीसीआई	भारतीय दूरस्थ शिक्षा परिषद
12डीपीआर	डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
13डीएसटी	डीएसटी	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग
14ईएफसी	ईएफसी	व्यय वित्त समिति
15ईओआई	ईओआई	रुचि की अभिव्यक्ति
16जीआईआर	जीआईआर	सकल नामांकन अनुपात
17जीआरआईएचए	जीआरआईएचए	एकीकृत आदत आकलन हेतु ग्रीन रेटिंग
18आईसीएआर	आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
19आईसीएसएसआर	आईसीएसएसआर	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्
20आईसीटी	आईसीटी	सूचना संचार प्रौद्योगिकी
21आईआईएएस	आईआईएएस	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान
22आईपीआर	आईपीआर	बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार
23आईएसओ	आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
24एमबीपीएस	एमबीपीएस	मेगाबाइट्स प्रति सैकण्ड
25एमईआर	एमईआर	विदेश मंत्रालय
26एम.टेक	एम.टेक	मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी निष्णात

**खंड-4
परिवर्णी**

27एनएएसी	एनएएसी	राष्ट्रीय आकलन तथा प्रमाणन परिषद्
28एनबीए	एनबीए	राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड
29एनईटी	एनईटी	राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा
30एनआईटी	एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
31एनएमटीटी	एनएमटीटी	राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण मिशन
32एनटीएम	एनटीएम	राष्ट्रीय अनुवाद मिशन
33ओबीसी	ओबीसी	अन्य पिछड़े वर्ग
34पीएसी	पीएसी	लोक लेखा समिति
35पीजी	पीजी	स्नातकोत्तर

उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी)– 2013-14

**खंड-4
परिवर्णी शब्द**

क्र.सं.	परिवर्णी शब्द	वर्णन
37पीएचडी	पीएचडी	डॉक्टर ऑफ फिलास्पी
38पीपीपी	पीपीपी	सार्वजनिक निजी साझेदारी
39आरएफडी	आरएफडी	परिणाम रूपरेखा दस्तावेज
40रुसा (आरयूएसए)	रुसा (आरयूएसए)	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
41एससी	एससी	अनुसूचित जाति
42एससीईआरटी	एससीईआरटी	राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
43	एसटी	अनुसूचित जनजाति
44टीईक्यूआईपी	टीईक्यूआईपी	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम
45यूजी	यूजी	अवर स्नातक
46यूजीसी	यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

सफलता संकेतकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मापन पद्धति

क्र.सं.	सफलता संकेतक	वर्णन	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियाँ
1	(1.1.1) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकारों और विशेषज्ञों से परामर्श	राज्य सरकारों द्वारा सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्चतर शिक्षा में बहुत ज्यादा संख्या में नामांकन होता है। राज्य की संस्थाओं की आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए एक अंबेला (व्यापक) योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ की जाएगी जिससे उन संस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सके। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान उच्चतर शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलनों की मुख्य चुनौती का समाधान भी करेगा।	राज्य सरकारों द्वारा सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्चतर शिक्षा में बहुत ज्यादा संख्या में नामांकन होता है। राज्य की संस्थाओं की आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए एक अंबेला (व्यापक) योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ की जाएगी जिससे उन संस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सके। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान उच्चतर शिक्षा में क्षेत्रीय असंतुलनों की मुख्य चुनौती का समाधान भी करेगा।		
2	(1.4.1) सामुदायिक कॉलेजों की संचालन प्रक्रिया	सामुदायिक कॉलेज राष्ट्रीय अर्हता ढांचा के अनुरूप लचीले प्रवेश और निकास सहित माड्यूलर क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उनकी पाठ्यचर्या में शैक्षिक और व्यावसायिक कौशलों का एक समुचित मिश्रण शामिल होगा जो नियोजित मिश्रण द्वारा संचालित क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा विनिश्चित राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। परामर्श कॉलेजों द्वारा प्रदान किए गए व्यावसायिक कौशल और प्रशिक्षण का मूल्यांकन क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन प्रोटोकाल के अनुसार किया जाएगा। सामुदायिक कॉलेज ऐसी बस्तियों में स्थित होंगे जिनमें अधिक संभावनाओं वाले छात्रों की जनसंख्या होगी।	सामुदायिक कॉलेज राष्ट्रीय अर्हता ढांचा के अनुरूप लचीले प्रवेश और निकास सहित माड्यूलर क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उनकी पाठ्यचर्या में शैक्षिक और व्यावसायिक कौशलों का एक समुचित मिश्रण शामिल होगा जो नियोजित मिश्रण द्वारा संचालित क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा विनिश्चित राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा। परामर्श कॉलेजों द्वारा प्रदान किए गए व्यावसायिक कौशल और प्रशिक्षण का मूल्यांकन क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन प्रोटोकाल के अनुसार किया जाएगा। सामुदायिक कॉलेज ऐसी बस्तियों में स्थित होंगे जिनमें अधिक संभावनाओं वाले छात्रों की जनसंख्या होगी।		

खंड-4

सफलता संकेतकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मापन पद्धति

क्र.सं.	सफलता संकेतक	वर्णन	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियाँ
3	(1.5.1) प्रशिक्षित किए गए व्यक्ति	पॉलिटेक्निकों के माध्यम से सामुदायिक विकास की योजना (सीडीटीपी) कालक्ष्य एआईसीटीई अनुमोदित पॉलिटेक्निकों के माध्यम से समुदाय के विभिन्न प्रभागों विशेष रूप से समाज के ग्रामीण असंगठित और सुविधाओं से वंचित प्रभागों में अनौपचारिक अल्पकालीन रोजगारोन्मुख कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रदान करना है जिससे वे आत्म उपलब्धि पूर्ण/मजदूरी सेवायोजन प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतः तीन से छः माहों के रेंज में परिवर्तनशील है। पॉलिटेक्निक इन पाठ्यक्रमों को अपने परिसरों से और विस्तार केन्द्रों में जो नजदीकी स्थानों में स्थापित किए जाने हैं वहां से इन पाठ्यक्रमों को स्थानीय समुदायों में प्रस्तावित कर सकते हैं। इस योजना के तहत प्रशिक्षार्थियों से कोई शुल्क नहीं वसूल की जानी है और इसमें आयु और योग्यताओं का प्रतिबंध नहीं है।	पॉलिटेक्निकों के माध्यम से सामुदायिक विकास की योजना (सीडीटीपी) का लक्ष्य एआईसीटीई अनुमोदित पॉलिटेक्निकों के माध्यम से समुदायों के विभिन्न प्रभागों विशेषरूप से समाज के ग्रामीण असंगठित और सुविधाओं से वंचित प्रभागों में अनौपचारिक अल्पकालीन रोजगारोन्मुख कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रदान करना है जिससे वे आत्म उपलब्धि पूर्ण/मजदूरी सेवायोजन प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतः तीन से छः माहों के रेंज में परिवर्तनशील है। पॉलिटेक्निक इन पाठ्यक्रमों को अपने परिसरों से और विस्तार केन्द्रों में जो नजदीकी स्थानों में स्थापित किए जाने हैं वहां से इन पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित कर सकते हैं। इस योजना के तहत, प्रशिक्षार्थियों से कोई शुल्क वसूल नहीं की जानी है और इसमें आयु और योग्यताओं का प्रतिबंध नहीं है।		
4	(2.1.1) नए महिला छात्रावासों का संचालन	सफलता संकेतक उन पॉलिटेक्निकों की संख्याओं में है जिनको वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है।	सफलता उन पॉलिटेक्निकों की संख्याओं में है जिनको वित्तीय सहायता संस्वीकृत की गई है।		
5.	(2.2.1) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए/अतिरिक्त केन्द्र	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने की दृष्टि से एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी-लेयर) और अल्प संख्यकों को सेवा में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाओं की एक योजना कुछ चयनित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रारंभ की गई है। कोचिंग केन्द्रों में कक्षाओं का आयोजन मानदेय के आधार पर रखे गए शिक्षकों के माध्यम से किया जाएगा।	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने की दृष्टि से एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी-लेयर) और अल्प संख्यकों को सेवा में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाओं की एक योजना कुछ चयनित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रारंभ की गई है। कोचिंग केन्द्रों में कक्षाओं का आयोजन मानदेय के आधार पर रखे गए शिक्षकों के माध्यम से किया जाएगा।		

सफलता संकेतकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मापन पद्धति

क्र.सं.	सफलता संकेतक	वर्णन	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियाँ
6.	(2.3.1) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए/अतिरिक्त केन्द्र	अखिल भारतीय और राज्य सेवाओं सहित समूह क, ख और ग में रोजगार पाने की दृष्टि से एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी-लेयर) और अल्प संख्यकों को सेवा में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाओं की एक योजना कुछ चयनित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रारंभ की गई है। कोचिंग केन्द्रों में कक्षाओं का आयोजन मानदेय के आधार पर रखे गए शिक्षकों के माध्यम से किया जाएगा।	अखिल भारतीय और राज्य सेवाओं सहित समूह क, ख और ग में रोजगार पाने की दृष्टि से एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी-लेयर) और अल्प संख्यकों को सेवा में प्रवेश के लिए कोचिंग कक्षाओं की एक योजना कुछ चयनित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रारंभ की गई है। कोचिंग केन्द्रों में कक्षाओं का आयोजन मानदेय के आधार पर रखे गए शिक्षकों के माध्यम से किया जाएगा।		
7.	(2.4.1) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नए/अतिरिक्त केन्द्र	एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी-लेयर) और अल्प संख्यक उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रवक्ता के रूप में भर्ती होने में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से योग्य एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी-लेयर) और अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट), जो विश्वविद्यालयों के प्रवक्तापद के लिए एक अनिवार्य पात्रता शर्त है, की तैयारी के लिए कोचिंग कक्षाओं की एक योजना कार्यान्वयनाधीन है। इस योजना के तहत, कुछ चयनित विश्वविद्यालयों में कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिनमें 100 प्रतिशत के आधार पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक राज्य जो नेट के दायित्व को स्वीकार करे और जिसमें कोचिंग के लिए पर्याप्त संकाय सदस्य हैं, उसमें केन्द्र अनुमोदित करने का प्रयास किया जा रहा है। कोचिंग केन्द्रों में कक्षाओं का आयोजन मानदेय के आधार पर शिक्षकों की व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा।	एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी-लेयर) और अल्प संख्यक उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रवक्ता के रूप में भर्ती होने में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से योग्य एससी/एसटी/ओबीसी (गैर-क्रीमी-लेयर) और अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट), जो विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के प्रवक्तापद के लिए एक अनिवार्य पात्रता शर्त है की तैयारी के लिए कोचिंग कक्षाओं की एक योजना कार्यान्वयनाधीन है। इस योजना के तहत, कुछ चयनित विश्वविद्यालयों में कोचिंग कक्षाएं आयोजित की जाती हैं जिनमें 100 प्रतिशत के आधार पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। प्रत्येक राज्य जो नेट के दायित्व को स्वीकार करे और जिसमें कोचिंग के लिए पर्याप्त संकाय सदस्य हैं, उसमें केन्द्र अनुमोदित करने का प्रयास किया जा रहा है। कोचिंग केन्द्रों में कक्षाओं का आयोजन मानदेय के आधार पर शिक्षकों की व्यवस्था के माध्यम से किया जाएगा।		

खंड-4

सफलता संकेतकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मापन पद्धति

क्र.सं.	सफलता संकेतक	वर्णन	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियाँ
8.	(2.5.1) छात्रवृत्तियों का सीधा लाभ हस्तांतरण	आधार लिंकड भुगतान सेतु के माध्यम से सीधा लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाएगा जिससे सीवन रहित (बिना किसी जोड़) निधि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में होगा।	आधार लिंकड भुगतान सेतु के माध्यम से सीधा लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाएगा जिससे सीवन रहित (बिना किसी जोड़) निधि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में होगा।		
9.	(2.6.1) छात्रवृत्तियों का सीधा लाभ हस्तांतरण	आधार भुगतान सेतु के माध्यम से सीधा लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाएगा जिससे सीवन रहित (बिना किसी जोड़) निधि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में होगा।	आधार भुगतान सेतु के माध्यम से सीधा लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाएगा जिससे सीवन रहित (बिना किसी जोड़) निधि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में होगा।		
10.	(2.7.1) छात्रवृत्तियों का सीधा लाभ हस्तांतरण	आधार भुगतान सेतु के माध्यम से सीधा लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाएगा जिससे सीवन रहित (बिना किसी जोड़) निधि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में होगा।	आधार भुगतान सेतु के माध्यम से सीधा लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाएगा जिससे सीवन रहित (बिना किसी जोड़) निधि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में होगा।		
11.	(2.8.1) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में खोले गए नए केन्द्र	वंचित वर्गों की सेवायोजनीयता और सफलता को बढ़ाने की दृष्टि से उनको मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा पर जोर देने और उनके लिए अवसर सृजित करने के लिए यूजीसी ने उन सभी विश्वविद्यालयों में समान अवसर सेलों को बनाने का निर्णय किया है। 1966 की धारा 12-ख के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया गया है। ये सेल, उच्चतर शिक्षा में एससी/एसटी छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर सामुदायिक विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं।	वंचित वर्गों की सेवायोजनीयता और सफलता को बढ़ाने की दृष्टि से उनको मुख्यधारा में लाने के लिए शिक्षा पर जोर देने और उनके लिए अवसर सृजित करने के लिए यूजीसी ने उन सभी विश्वविद्यालयों में समान अवसर सेलों को बनाने का निर्णय किया है। 1966 की धारा 12-ख के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया गया है। ये सेल, उच्चतर शिक्षा में एससी/एसटी छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर सामुदायिक विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं।		
12	(2.9.1) शामिल किए गए निःशक्त व्यक्ति	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2007 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण जिसमें उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर एक मिशन लांच करने की घोषणा की थी के अनुसरण	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2007 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण, जिसमें उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर एक मिशन लांच करने की घोषणा की थी के अनुसरण में		

सफलता संकेतकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मापन पद्धति

क्र.सं.	सफलता संकेतक	वर्णन	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियाँ
		<p>में योजना आयोग ने प्रस्तावित किया था कि कौशल विकास मिशन में पॉलिटेक्निक उप-मिशन सहित चार उप-मिशन होंगे। योजना आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित पॉलिटेक्निक उप-मिशन में निम्नलिखित घटक हैं : (i) नए पॉलिटेक्निक की स्थापना (ii) मौजूदा पॉलिटेक्निकों का सुदृढीकरण; (iii) सामुदायिक पॉलिटेक्निक योजना का विस्तार; (iv) डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए इंजीनियरिंग कालेजों की सहायता और (v) पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों का निर्माण। निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में छात्रों के एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य स्कूलों में पढ़ने वाले निशक्त व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित विशेष स्कूलों की तरह लैस करने के निमित्त बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान है।</p>	<p>योजना आयोग ने प्रस्तावित किया था कि कौशल विकास मिशन में पॉलिटेक्निक उप-मिशन सहित चार उप-मिशन होंगे। योजना आयोग द्वारा यथा प्रस्तावित पॉलिटेक्निक उप-मिशन में निम्नलिखित घटक हैं : (i) नए पॉलिटेक्निक की स्थापना (ii) मौजूदा पॉलिटेक्निकों का सुदृढीकरण (iii) सामुदायिक पॉलिटेक्निक योजना का विस्तार (iv) डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए इंजीनियरिंग कालेजों की सहायता और (v) पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों का निर्माण। निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में छात्रों के एकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सामान्य स्कूलों की निःशक्तताओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित विशेष स्कूलों की तरह लैस करने के निमित्त निःशक्त बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान है।</p>		
13	(2.10.1) पात्र छात्रों को 1100 करोड़ रूपयों की निधि का संवितरण	<p>भारत सरकार, एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन कर रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों द्वारा भारतीय बैंकों के एसोसिएशन की योजना के अंतर्गत अपने अधिस्थगन के दौरान अनुसूचित बैंक से लिए गए शैक्षिक ऋणों पर पूर्ण ब्याज-सहायिकी उपलब्ध कराती है। ये ऋण, भारत में संस्थानों के तकनीकी और व्यावसायिक शाखाओं के अध्ययनों से संबंधित अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु प्रदान किए जाते हैं।</p>	<p>भारत सरकार, एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन कर रही है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों द्वारा भारतीय बैंकों के एसोसिएशन की योजना के अंतर्गत अपने अधिस्थगन के दौरान अनुसूचित बैंक से लिए गए शैक्षिक ऋणों पर पूर्ण ब्याज-सहायिकी उपलब्ध कराती है। ये ऋण, भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों के तकनीकी और व्यावसायिक शाखाओं के अध्ययनों से संबंधित अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु प्रदान किए जाते हैं।</p>		

खंड-4

सफलता संकेतकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मापन पद्धति

क्र.सं.	सफलता संकेतक	वर्णन	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियाँ
14	(3.1.1) मौजूदा शैक्षिक स्टाफ कालेजों (एएससी) को मॉडल शैक्षिक स्टाफ कालेजों में रूपान्तरित करना	योग्य शिक्षकों की पूर्ति, शिक्षण के व्यवसाय में प्रतिभा को आकर्षित करने और स्कूलों एवं कालेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने जैसे वर्तमान और तात्कालिक मुद्दों का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन लांच किया जाएगा। यह भी संकल्पना की गई है कि शिक्षक मिशन कार्य-निष्पादन मानकों की स्थापना और शिक्षकों के नवाचारी शिक्षण और व्यावसायिक विकास के लिए सर्वोच्च श्रेणी वाली संस्थागत सुविधाओं का सृजन करके एक दृढ़ व्यावसायिक केंद्र निर्मित करने के दीर्घविधि लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। मिशन स्तरों और स्कूल, उच्चतर तकनीकी आदि के आधार पर विखंडित रूपों के बिना ही शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र में समग्रता की पद्धति से ध्यान केन्द्रित करेगा। यह विचार किया जाता है कि शिक्षा के सभी क्षेत्रों और स्तरों पर व्यवहृत शिक्षकों से संबंधित कार्यक्रम बढ़ेंगे और पारस्परिक सहयोगी भावना से संचालित होंगे।	योग्य शिक्षकों की पूर्ति, शिक्षण के व्यवसाय में प्रतिभा को आकर्षित करने और स्कूलों एवं कालेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने जैसे वर्तमान और तात्कालिक मुद्दों का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन लांच किया जाएगा। यह भी संकल्पना की गई है कि शिक्षक मिशन कार्य-निष्पादन मानकों की स्थापना और शिक्षकों के नवाचारी शिक्षण और व्यावसायिक विकास के लिए सर्वोच्च श्रेणी वाली संस्थागत सुविधाओं का सृजन करके एक दृढ़ व्यावसायिक केंद्र निर्मित करने के दीर्घविधि लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। मिशन स्तरों और स्कूल, उच्चतर तकनीकी आदि के आधार पर विखंडित रूपों के बिना ही शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र में समग्रता की पद्धति से ध्यान केन्द्रित करेगा। यह विचार किया जाता है कि शिक्षा के सभी क्षेत्रों और स्तरों पर व्यवहृत शिक्षकों से संबंधित कार्यक्रम बढ़ेंगे और पारस्परिक सहयोगी भावना से संचालित होंगे।		
15.	(3.3.1) विदेशी संस्थानों में संकाय की प्रतिनियुक्ति की योजना का अनुमोदन	यह संकायों को विश्व की अन्य संस्थाओं और संकायों के साथ उन क्षेत्रों में सघनता सहित संलग्न होने की प्रक्रिया को सुकर करेगा जिनकी सीमा (रेंज) शिक्षण से लेकर-अधिगम से अनुसंधान और पहुंच (आउटरीच) तक जाती है।	यह संकायों को विश्व की अन्य संस्थाओं और संकायों के साथ उन क्षेत्रों में सघनता सहित संलग्न होने की प्रक्रिया को सुकर करेगा जिनकी सीमा (रेंज) शिक्षण से लेकर-अधिगम से अनुसंधान और पहुंच (आउटरीच) तक जाती है।		
16.	(3.4.1) अनुवादकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण	भारतीय भाषाओं के विकास के संवर्धन के लिए एनआईएम के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में अनुवादकों का प्रमाणीकरण और उनको प्रशिक्षित	भारतीय भाषाओं के विकास के संवर्धन के लिए एनआईएम के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य विभिन्न क्षेत्रों में अनुवादकों का प्रमाणीकरण और उनको प्रशिक्षित करना		

सफलता संकेतकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मापन पद्धति

क्र.सं.	सफलता संकेतक	वर्णन	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियाँ
		करना है और उसका दीर्घकालीन लक्ष्य अनुवाद कार्य को एक व्यवहारिक व्यवसाय के रूप में स्थापित करना और अनुवाद उद्योग जगत को बढ़ावा देना है।	है और उसका दीर्घकालीन लक्ष्य अनुवाद कार्य को एक व्यवहारिक व्यवसाय के रूप में स्थापित करना और अनुवाद उद्योग जगत को बढ़ावा देना है।		
17.	(3.5.1) सभी पात्र केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रत्यायन हेतु आवेदन भरा जाना	हालांकि अनिवार्य प्रत्यायन के संबंध में विधायी प्रस्ताव अभी तक संसद के विचाराधीन है फिर भी केन्द्रीय उच्चतर संस्थाओं को अपनी संस्थाओं के लिए प्रत्यायन हेतु स्वेच्छिक स्वीकार के लिए प्रेरित किया जाएगा।	हालांकि अनिवार्य प्रत्यायन के संबंध में विधायी प्रस्ताव अभी तक संसद के विचाराधीन है फिर भी केन्द्रीय उच्चतर संस्थाओं को अपनी संस्थाओं के लिए प्रत्यायन हेतु स्वेच्छिक स्वीकार के लिए प्रेरित किया जाएगा।		
18.	(3.6.1) कनेक्टिविटी का उपयोग (विश्वविद्यालय द्वारा एमबीपीएस में औसत बैडवाइडथ उपयोग	वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन आईसीटी के माध्यम से कार्यान्वयन है और लगभग 400 विश्वविद्यालयों और 18,000 से अधिक कालेजों को कनेक्टिविटी दी गई है। इस कनेक्टिविटी का उपयोग और इस मिशन के अंतर्गत उत्पादित ई-कन्टेंट इस मिशन का सफलता संकेतक है।	वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन आईसीटी के माध्यम से कार्यान्वयन है और लगभग 400 विश्वविद्यालयों और 18,000 से अधिक कालेजों को कनेक्टिविटी दी गई है। इस कनेक्टिविटी का उपयोग और इस मिशन के अंतर्गत उत्पादित ई-कन्टेंट इस मिशन का सफलता संकेतक है।		
19	(3.7.1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिशा-निर्देशों का जारी किया जाना	भारतीय शिक्षा प्रणाली में यह पुनः एक नई अवधारणा है जिसमें दो या अधिक विश्वविद्यालय छात्रों और स्टाफ की गत्यात्मकता के माध्यम से और विश्वविद्यालयों के मध्य अधिकतम सह-क्रियाशीलता के संवर्धन के लिए भी एकेडमिक क्रेडिट्स की गत्यात्मकता के माध्यम से भी परस्पर सहयोग करेंगे।	भारतीय शिक्षा प्रणाली में यह पुनः एक नई अवधारणा है जिसमें दो या अधिक विश्वविद्यालय छात्रों और स्टाफ की गत्यात्मकता के माध्यम से और विश्वविद्यालयों के मध्य अधिकतम सह-क्रियाशीलता के संवर्धन के लिए भी एकेडमिक क्रेडिट्स की गत्यात्मकता के माध्यम से भी परस्पर सहयोग करेंगे।		
20	(3.8.1) यूजीसी योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करना	अनुसंधान और नवाचार जो भारत को वैश्विक ज्ञान के केन्द्र और उत्कृष्टता के बैचमार्क के रूप में तैयार करके ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनके निगमन हेतु नियामक ढांचा प्रदान करने के लिए एक विधेयक (बिल) संसद में 21.5.2012 को पुरः स्थापित कर दिया गया है और	अनुसंधान और नवाचार जो भारत को वैश्विक ज्ञान के केन्द्र और उत्कृष्टता के बैचमार्क के रूप में तैयार करके ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनके निगमन हेतु नियामक ढांचा प्रदान करने के लिए एक विधेयक (बिल) संसद में 21.5.2012 को पुरः स्थापित कर दिया गया है और संसदीय स्थायी समिति को		

खंड-4

सफलता संकेतकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मापन पद्धति

क्र.सं.	सफलता संकेतक	वर्णन	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियाँ
		संसदीय स्थायी समिति को संदर्भित कर दिया गया है।	संदर्भित कर दिया गया है।		
21	(3.9.1) यूजीसी द्वारा रूपरेखा (ढांचा) जारी करना	यूजीसी द्वारा जारी ढांचा, मांग और निरीक्षण पर आधारित अनुदान संवितरण के स्थान पर मानकों और हकदारी के उपयोग के लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। यह अनुदान संवितरण वस्तुनिष्ठ तरीके को सुनिश्चित करेगा जिसमें विवेकाधिकार की गुंजाइस कम होगी और यह शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित परिणाम से जुड़ा रहेगा।	यूजीसी द्वारा जारी ढांचा मांग और निरीक्षण पर आधारित अनुदान संवितरण के स्थान पर मानकों और हकदारी के उपयोग के लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। यह अनुदान संवितरण वस्तुनिष्ठ तरीके को सुनिश्चित करेगा जिसमें, विवेकाधिकार की गुंजाइस कम होगी और यह शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित परिणाम से जुड़ा रहेगा।		
22	(3.10.1) निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विनियमनों की अधिसूचना	यूजीसी के माध्यम से कार्यकलाप प्रारंभ किए जाएंगे और सफलता-संकेतक यूजीसी द्वारा निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विनियमनों का जारी किया जाना।	यूजीसी के माध्यम से कार्यकलाप प्रारंभ किए जाएंगे और सफलता-संकेतक यूजीसी द्वारा निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विनियमनों का जारी किया जाना।		
23.	(3.11.1) सम विश्वविद्यालयों से संबंधित विनियमनों की रिपोर्ट की समीक्षा और प्रस्तुति	सुव्यवस्थित विनियमन के लिए सम विश्वविद्यालयों से संबंधित दिशा-निर्देशों के प्रतिस्थापन हेतु संस्थान को सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया और संदिग्ध गुणवत्ता वाली संस्थाओं को इस रूप में घोषित किए जाने से रोकने के संबंध में विनियमन तैयार किए गए हैं, जिससे, विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं, विश्वविद्यालय की अवधारणा के आदेशों से संगत बनी रहे।	सुव्यवस्थित विनियमन के लिए सम विश्वविद्यालयों से संबंधित दिशा-निर्देशों के प्रतिस्थापन हेतु संस्थान को सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया और संदिग्ध गुणवत्ता वाली संस्थाओं को इस रूप में घोषित किए जाने से रोकने के संबंध में विनियमन तैयार किए गए हैं, जिससे, विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाएं, विश्वविद्यालय की अवधारणा के आदेशों से संगत बनी रहे।		
24.	(3.12.1) कार्यबल (टास्क फोर्स) द्वारा समीक्षा प्रक्रिया पूरी करना और रिपोर्ट की प्रस्तुति	सफलता-संकेतक कार्यबल द्वारा समीक्षा-प्रक्रिया पूरी करना और रिपोर्ट की प्रस्तुति।	सफलता-संकेतक, कार्यबल द्वारा समीक्षा-प्रक्रिया पूरी करना और रिपोर्ट की प्रस्तुति।		
25	(3.13.1) अवधारणा नोट को अंतिम रूप प्रदान करना और उसका परिचालन	सफलता संकेतक अवधारणा नोट को अंतिम रूप प्रदान करना और उसका परिचालन करना है।	सफलता संकेतक अवधारणा नोट को अंतिम रूप प्रदान करना और उसका परिचालन करना है।		
26	(3.14.1) रिपोर्ट की प्रस्तुति	भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस	भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस		

खंड-4

सफलता संकेतकों का विवरण और परिभाषा तथा प्रस्तावित मापन पद्धति

क्र.सं.	सफलता संकेतक	वर्णन	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणियाँ
		प्रयोजन के लिए एसोसिएशन की विस्तृत समीक्षा प्रारंभ की जाएगी।	प्रयोजन के लिए एसोसिएशन की विस्तृत समीक्षा प्रारंभ की जाएगी।		
27	(4.1.1) केन्द्रों की स्थापना	मौजूदा संस्थाओं में अभिकल्पन नवाचार केन्द्र और नवाचार प्लेटफार्म स्थापित किए जाएंगे।	मौजूदा संस्थाओं में अभिकल्पन नवाचार केन्द्र और नवाचार प्लेटफार्म स्थापित किए जाएंगे।		
28	(4.2.1) प्रारूप ईएफसी नोट को अंतिम रूप प्रदान करना	प्रारूप ईएफसी नोट तैयार किया जाएगा और इसको सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के दृष्टिकोणों/टिप्पणियों के लिए परिचालित किया जाएगा।	प्रारूप ईएफसी नोट तैयार किया जाएगा और इसको सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के दृष्टिकोणों/टिप्पणियों के लिए परिचालित किया जाएगा।		
29	(5.1.1) उच्चतर शिक्षा में एक नीति-अनुसंधान और नेतृत्व विकास केन्द्र की स्थापना करना	(i) नेतृत्व विकास संस्थान और (ii) उच्चतर शिक्षा के लिए आंकड़े (डाटा) संग्रहण केन्द्रों को चिन्हित करना, सफलता संकेतक होगा।	(i) नेतृत्व विकास संस्थान और (ii) उच्चतर शिक्षा के लिए आंकड़े (डाटा) संग्रहण केन्द्रों को चिन्हित करना, सफलता संकेतक होगा।		
30	(5.3.1) 2011.12 के लिए एआईएसएचई पर आधारित उच्चतर और तकनीकी शिक्षा से संबंधित साख्यिकी जारी किया जाना	समय पर जारी	समय पर जारी		
31	(5.4.1) जीआरआईएचए कम्पलीमेंट मास्टर योजनाओं को स्वीकार करना	हरित पर्यावरणीय कैम्पसों का सुनिश्चित करना	हरित पर्यावरणीय कैम्पसों का सुनिश्चित करना		
32	(5.5.1) वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की तारीख से निर्धारित तारीख (4 माह) के भीतर प्रस्तुत किए गए कृत कार्यवाई नोटों (एटीएन्स) का प्रतिशत	निर्धारित समय-सीमा के अनुसार	निर्धारित समय-सीमा के अनुसार		
33	(5.6.1) वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया कृत कार्यवाई नोटों का प्रतिशत	निर्धारित समय-सीमा के अनुसार	निर्धारित समय-सीमा के अनुसार		
34	(5.7.1) वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया कृत कार्यवाई नोटों का प्रतिशत	निर्धारित समय-सीमा के अनुसार	निर्धारित समय-सीमा के अनुसार		

खंड-5
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य-प्रदर्शन अपेक्षाएं

स्थिति (स्थान) का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संबंधित सफलता संकेतक	इस संगठन से आपकी अपेक्षा क्या है।	इस अपेक्षा का औचित्य	कृपया इस संगठन की अपनी अपेक्षा की परिभाषा बताएं	यदि आपकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो क्या घटित हो सकता है।
भारत सरकार		उत्तरदायित्व केन्द्र/संबद्ध कार्यालय	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	(1.2.1) नए पॉलिटिक्नों को संचालित करना	निधियों का उपयोग करना	पॉलिटिक्नों को संचालित नहीं होंगे।	सभी पॉलिटिक्नों को स्थापित किए जाने हैं	उपलब्धि में बाधा पड़ जाएगी
			वित्त मंत्रालय	(1.1.1) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकारों और विशेषज्ञों से परामर्श	हितधारकों के साथ परामर्श	उच्चतर शिक्षा में सुधार करने के लिए हितधारकों के मध्य सहमति बनाना आवश्यक है।	पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता	इससे उपलब्धि में बाधा पड़ेगी और योजना के कार्यान्वयन में देर होगी।
		मंत्रालय		(1.1.2) मंत्रिमंडल नोट की प्रस्तुति	हितधारकों के साथ परामर्श	उच्चतर शिक्षा में सुधार करने के लिए हितधारकों के मध्य सहमति बनाना आवश्यक है।	पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता	इससे उपलब्धि में बाधा पड़ेगी और योजना के कार्यान्वयन में देर होगी।
				(1.1.3) निधियों का जारी करना	हितधारकों के साथ परामर्श	उच्चतर शिक्षा में सुधार करने के लिए हितधारकों के मध्य सहमति बनाना आवश्यक है।	पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता	इससे उपलब्धि में बाधा पड़ेगी और योजना के कार्यान्वयन में देर होगी।
			मानव संसाधन विकास मंत्रालय	(1.2.1) नए पॉलिटिक्नों को संचालित करना (1.3.1) मौजूदा पॉलिटिक्नों के प्रोन्नयन को उपलब्ध करना	राज्यों से और उद्योग जगत के सहभागियों से सहयोग इन प्राधिकारियों से अनुमोदन	राज्य और उद्योग जगत के बीच की पहिली पद्धति के तहत अपने योगदान के लिए आगे आना चाहिए योजना तैयार करना	पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता पूर्ण समर्थन	इससे उपलब्धि में बाधा पड़ेगी और योजना के कार्यान्वयन में देर होगी। योजना का कार्यान्वयन नहीं होगा

खंड-5
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य-प्रदर्शन अपेक्षाएं

स्थिति (स्थान) का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संबंधित सफलता संकेतक	इस संगठन से आपकी अपेक्षा क्या है।	इस अपेक्षा का औचित्य	कृपया इस संगठन की अपनी अपेक्षा की परिभाषा बताएं	यदि आपकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो क्या घटित हो सकता है।
				(2.2.1) विश्वविद्यालयों और कालेजों में नए/अतिरिक्त केन्द्र	विश्वविद्यालयों और कालेजों से प्रस्ताव	नए/अतिरिक्त केन्द्र खोलने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता जारी की जा सकती है।	पूर्ण समर्थन	योजना के कार्यान्वयन में बाधा पड़ेगी।
				(2.3.1) विश्वविद्यालयों और कालेजों में नए/अतिरिक्त केन्द्र	विश्वविद्यालयों और कालेजों से प्रस्ताव	नए/अतिरिक्त केन्द्र खोलने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता जारी की जा सकती है।	पूर्ण समर्थन	योजना के कार्यान्वयन में बाधा पड़ेगी।
				(2.4.1) विश्वविद्यालयों और कालेजों में नए अतिरिक्त केन्द्र	विश्वविद्यालयों और कालेजों से प्रस्ताव	नए/अतिरिक्त केन्द्र खोलने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता जारी की जा सकती है।	पूर्ण समर्थन	योजना के कार्यान्वयन में बाधा पड़ेगी।
			वित्त मंत्रालय	(2.5.1) छात्रवृत्तियों का सीधा लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)	विश्वविद्यालयों और कालेजों से प्रस्ताव	नए/अतिरिक्त केन्द्र खोलने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता जारी की जा सकती है।	पूर्ण समर्थन	योजना के कार्यान्वयन में बाधा पड़ेगी।
				(2.6.1) अध्येतावृत्तियों का सीधा लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)	विश्वविद्यालयों और कालेजों से प्रस्ताव	नए/अतिरिक्त केन्द्र खोलने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता जारी की जा सकती है।	पूर्ण समर्थन	योजना के कार्यान्वयन में बाधा पड़ेगी।
				(2.7.1) अध्येतावृत्तियों का सीधा लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)	विश्वविद्यालयों और कालेजों से प्रस्ताव	नए/अतिरिक्त केन्द्र खोलने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता जारी की जा सकती है।	पूर्ण समर्थन	योजना के कार्यान्वयन में बाधा पड़ेगी।

खंड-5
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य-प्रदर्शन अपेक्षाएं

स्थिति (स्थान) का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संबंधित सफलता संकेतक	इस संगठन से आपकी अपेक्षा क्या है।	इस अपेक्षा का औचित्य	कृपया इस संगठन की अपनी अपेक्षा की परिभाषा बताएं	यदि आपकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो क्या घटित हो सकता है।
			मानव संसाधन विकास मंत्रालय	(2.8.1) विश्वविद्यालयों और कालेजों में खोले गए नए केन्द्र (सेल) (2.9.1) नि: शक्त व्यक्तियों का समावेशन (3.1.1) मौजूदा शैक्षिक स्टाफ कालेजों को आदर्श (एएससीजे) शैक्षिक स्टाफ कालेजों में रूपांतरित करना	विश्वविद्यालयों और कालेजों से प्रस्ताव के लिए छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति के लिए छात्रवृत्ति के लिए	नए/अतिरिक्त केन्द्र खोलने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों के प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता जारी की जा सकती है। छात्रवृत्ति का जारी किया जाना आवेदन पर निर्भर है। छात्रवृत्ति का जारी किया जाना आवेदन पर निर्भर है।	पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्थन	योजना के कार्यान्वयन में बाधा पड़ेगी। उपलब्ध स्लाटों का उपयोग नहीं हो पाएगा। उपलब्ध स्लाटों का उपयोग नहीं हो पाएगा।
			वित्त मंत्रालय	(2.10.1) योग्य छात्रों को 1100 करोड़ रुपये की निधि का संचितरण (3.1.2) शिक्षा के स्कूल स्थापित करना (3.1.3) ग्रीष्म और शीत कालीन स्कूल (3.1.4) शिक्षा प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय केन्द्र (3.1.5) शिक्षकों का आईसीटी सशक्तीकरण (3.2.1) कार्यशालाओं के आयोजन	अध्योतावृत्ति के लिए अनुरोध के साथ हितधारकों के साथ हितधारकों के साथ हितधारकों के साथ हितधारकों के साथ वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध	अध्योतावृत्ति का जारी किया जाना आवेदन पर निर्भर है। योजना तैयार करना योजना तैयार करना योजना तैयार करना योजना तैयार करना नए केन्द्रों (सेलों) के सृजन हेतु वित्तीय सहायता विश्वविद्यालयों और कालेजों	पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्थन	उपलब्ध स्लाटों का उपयोग नहीं हो पाएगा। योजना के कार्यान्वयन में बाधा पड़ेगी। योजना के कार्यान्वयन में बाधा पड़ेगी। योजना के कार्यान्वयन में बाधा पड़ेगी। योजना के कार्यान्वयन में बाधा पड़ेगी। नए सेलों को खोलने में बाधा पड़ेगी।

खंड-5
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य-प्रदर्शन अपेक्षाएं

स्थिति (स्थान) का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संबंधित सफलता संकेतक	इस संगठन से आपकी अपेक्षा क्या है।	इस अपेक्षा का औचित्य	कृपया इस संगठन की अपनी अपेक्षा की परिभाषा बताएं	यदि आपकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो क्या घटित हो सकता है।
				(3.2.2) प्रशिक्षित शिक्षकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन (3.3.1) विदेशी संस्थाओं में संकाय की प्रतिनियुक्ति से संबंधित योजना का अनुमोदन	तकनीकी सहायता के लिए अनुरोध अनुमोदन हेतु अनुरोध	नए केन्द्रों (सेलों) को खोलने के लिए वित्तीय सहायता विश्वविद्यालयों और कालेजों से प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित है। अंतिम रूप देने के लिए	पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता	नए सेलों को खोलने में बाधा पड़ेगी। इससे उपलब्धि बाधित होगी।
				(3.3.2) विदेशी संस्थाओं से संकाय को आमंत्रित करने से संबंधित योजना का अनुमोदन	अनुमोदन हेतु अनुरोध	अंतिम रूप देने के लिए	पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता	इससे उपलब्धि बाधित होगी।
				(3.4.1) अनुवादकों के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण	यूजीसी विश्वविद्यालयों और कालेजों से सहयोग	प्रस्ताव के लिए अनुरोध	पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता	इससे उपलब्धि बाधित होगी।
				(3.5.1) केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा की सभी पात्र संस्थाओं द्वारा प्रत्यायन हेतु आवेदनों का भरा जाना	केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रत्यायन के लिए अनुरोध	संस्थाओं का प्रत्यायन स्वीच्छक है और अनिवार्य नहीं है।	पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता	इससे उपलब्धि बाधित होगी।
				(3.5.2) एनएएसी और एनबीए के क्षेत्रीय कार्यालयों को 31.12. 2013 तक खोला जाना	केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रत्यायन के लिए अनुरोध	संस्थाओं का प्रत्यायन स्वीच्छक है और अनिवार्य नहीं है।	पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता	इससे उपलब्धि बाधित होगी।

खंड-5
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य-प्रदर्शन अपेक्षाएं

स्थिति (स्थान) का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संबंधित सफलता संकेतक	इस संगठन से आपकी अपेक्षा क्या है।	इस अपेक्षा का औचित्य	कृपया इस संगठन की अपनी अपेक्षा की परिभाषा बताएं	यदि आपकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो क्या घटित हो सकता है।
				(3.7.1) यूजीसी द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जाना	यूजीसी द्वारा दिशा निर्देश	एक समान ढांचा (रूपरेखा) निर्धारित करने के लिए परमावश्यक	पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता	इससे उपलब्धि बाधित होगी।
				(3.8.1) यूजीसी योजनाओं को अंतिम रूप प्रदान करना	यूजीसी द्वारा दिशा निर्देश	जिससे, विश्वविद्यालय आवेदन कर सकें।	पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता	इससे उपलब्धि बाधित होगी।
				(3.9.1) यूजीसी द्वारा ढांचा (रूपरेखा) का जारी किया जाना	अनुदान सवितरण को प्रशासित करने वाले मानक और दिशा निर्देश	मानकों और हकदारियों पर आधारित पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ प्रणाली सहित उच्चतर शिक्षा में सुधार लाने के लिए	यूजीसी द्वारा जारी संपूर्ण योजना अनुदानों का समावेशन (कवरज)	उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रक्रिया तंत्र की अनुपस्थिति
				(3.10.1) निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विनियमन की अधिसूचना	यूजीसी द्वारा विनियमन	विश्वविद्यालयों और कालेजों को सुरक्षित रूप में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं की सेवाएं प्राप्त करने के लिए एक समान ढांचा (रूपरेखा) के निर्धारण हेतु परमावश्यक	विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के साथ सभी प्रकार के संयुक्त सहयोग	विदेशी शैक्षिक संस्थाएं भारतीय छात्रों और संकायों के लिए समुचित सुव्यवस्था व्यवस्था किए बिना ही अपने कार्यों का संचालन करेंगे।
				(3.11.1) सम विश्वविद्यालयों से संबंधित विनियमन पर रिपोर्ट की समीक्षा और उसकी प्रस्तुति	अंतिम रूप से तैयार की गई रिपोर्ट प्राप्त करना	सम विश्वविद्यालयों को विनियमित करने के लिए परमावश्यक	पूर्ण समर्थन	सम विश्वविद्यालयों को विनियमित करने में प्रभावशीलता का अभाव
				(3.12.1) कार्यबल (टास्क फोर्स) द्वारा समीक्षा प्रक्रिया को पूरा करना और रिपोर्ट की	अंतिम रूप से तैयार की गई रिपोर्ट प्राप्त करना	सम विश्वविद्यालयों को विनियमित करने के लिए परमावश्यक	पूर्ण समर्थन	सम विश्वविद्यालयों को विनियमित करने में प्रभावशीलता का अभाव

खंड-5
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य-प्रदर्शन अपेक्षाएं

स्थिति (स्थान) का प्रकार	राज्य	संगठन का नाम	संबंधित सफलता संकेतक	इस संगठन से आपकी अपेक्षा क्या है।	इस अपेक्षा का औचित्य	कृपया इस संगठन की अपनी अपेक्षा की परिभाषा बताएं	यदि आपकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो क्या घटित हो सकता है।
			प्रस्तुति				
		योजना मंत्रालय	(4.1.1) केंद्रों की स्थापना	नए अभिकल्पन नवाचार केंद्रों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव	अभिकल्पन (डिजाइन) के एक नए नवोन्मेषी विषय के लिए एक वातावरण तैयार करना	पूर्ण समर्थन	अभिकल्पन शिक्षा और नवाचार में उपलब्धि का अभाव हमें बहुत पीछे पहुंचा देगा।
			(4.2.1) प्रारूप ईएफसी नोट को अंतिम रूप प्रदान करना	नए अभिकल्पन नवाचार केंद्रों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव	अभिकल्पन (डिजाइन) शिक्षा के एक नए नवोन्मेषी विषय के लिए एक वातावरण तैयार करना	पूर्ण समर्थन	अभिकल्पन शिक्षा और नवाचार में उपलब्धि का अभाव हमें बहुत पीछे पहुंचा देगा।
			(4.2.2) चिन्हित केंद्रों के लिए निधि जारी करना	नए अभिकल्पन नवाचार केंद्रों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव	अभिकल्पन (डिजाइन) शिक्षा के एक नए नवोन्मेषी विषय के लिए एक वातावरण तैयार करना	पूर्ण समर्थन	अभिकल्पन शिक्षा और नवाचार में उपलब्धि का अभाव हमें बहुत पीछे पहुंचा देगा।
		विधि और न्याय मंत्रालय	(3.16.1) अभिजात वर्ग समीक्षित जर्नलों में प्रकाशन करना और आईपीआर्स का सृजन	शोध-पत्रों की बड़ी संख्या आवेदनों की बड़ी संख्या	छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए संकाय और संस्थाओं द्वारा अनुसंधान संबंधित कार्यक्रमलाप प्रारंभ करना	पूर्ण समर्थन	उपलब्धि के अभाव के कारण अनुसंधान के क्षेत्र का कार्य-निष्पादन निम्न कोटि का होगा।
			(3.16.2) एकस्व (पेटेंट) आवेदनों का भरा जाना और केन्द्रीय संस्थाओं में उपलब्ध एकस्व (पेटेंट)	शोध-पत्रों, एकस्व आवेदनों की बड़ी संख्या	छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए संकाय और संस्थाओं द्वारा अनुसंधान संबंधित कार्यक्रमलाप प्रारंभ करना	पूर्ण समर्थन	उपलब्धि के अभाव के कारण अनुसंधान के क्षेत्र का कार्य-निष्पादन निम्न कोटि का होगा।
			(3.16.3) आईपीआर केंद्रों का सृजन	शोध-पत्रों, एकस्व आवेदनों की बड़ी संख्या	छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए संकाय और संस्थाओं द्वारा अनुसंधान संबंधित कार्यक्रमलाप प्रारंभ करना	पूर्ण समर्थन	उपलब्धि के अभाव के कारण अनुसंधान के क्षेत्र का कार्य-निष्पादन निम्न कोटि का होगा।

खंड-5
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य-प्रदर्शन अपेक्षाएं

स्थिति (स्थान) का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संबंधित सफलता संकेतक	इस संगठन से आपकी अपेक्षा क्या है।	इस अपेक्षा का औचित्य	कृपया इस संगठन की अपनी अपेक्षा की परिभाषा बताएं	यदि आपकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो क्या घटित हो सकता है।
			मानव संसाधन विकास मंत्रालय	(5.1.1) उच्चतर शिक्षा में एक नीति अनुसंधान और नेतृत्व विकास केन्द्र की स्थापना करना (5.2.1) इंडस्ट्री अकादमिया सहयोग परिषद की स्थापना करना (5.4.1) जीआरईएचए कम्प्लीमेंट मास्टर योजनाओं को स्वीकार करना	केन्द्र की स्थापना या उसको चिन्हित करने के प्रस्ताव एक परिषद स्थापित करने के प्रस्ताव संस्थाओं से प्रस्ताव	नीति अनुसंधान के लिए अंतः-संस्थागत संपर्कों के माध्यमसे नेतृत्व हेतु क्षमता का संवर्धन करना छात्रों के रोजगार परक कौशल में वृद्धि करने के लिए औद्योगिक शैक्षिक संपर्क महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरणीय अनुकूलता और हरित कैपसों के लिए कृत कार्रवाई नोटों (एटीएस) से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य समय पर निपटाए जाने का सुनिश्चय करना।	पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्थन	हम नेतृत्व में क्षमता निर्माण करने और नीति अनुसंधान के संवर्धन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहेंगे। अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहने से छात्रों के सेवायोजन कौशल में कमी आएगी। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहने से प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग का उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
			वित्त मंत्रालय	(5.5.1) वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा निर्धारित तारीख (4 माह) के भीतर संसद में प्रस्तुत किए गए कृत कार्रवाई नोटों (एटीएस) का प्रतिशत (5.6.1) वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया कृत कार्रवाई नोटों (एटीएस) का प्रतिशत (5.7.1) वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया कृत कार्रवाई नोटों (एटीएस) का प्रतिशत	कार्रवाई की जानी है। कार्रवाई की जानी है। कार्रवाई की जानी है।	कृत कार्रवाई नोटों (एटीएस) से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य समय पर निपटाए जाने का सुनिश्चय करना। कृत कार्रवाई नोटों (एटीएस) से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य समय पर निपटाए जाने का सुनिश्चय करना। कृत कार्रवाई नोटों (एटीएस) से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य समय पर निपटाए जाने का सुनिश्चय करना।	पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्थन	इससे उपलब्धि में बाधा पड़ेगी। इससे उपलब्धि में बाधा पड़ेगी। इससे उपलब्धि में बाधा पड़ेगी।

खंड-5
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य-प्रदर्शन अपेक्षाएं

स्थिति (स्थान) का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संबंधित सफलता संकेतक	इस संगठन से आपकी अपेक्षा क्या है।	इस अपेक्षा का औचित्य	कृपया इस संगठन की अपनी अपेक्षा की परिभाषा बताएं	यदि आपकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो क्या घटित हो सकता है।
			मानव संसाधन विकास मंत्रालय	(6.1.1) कार्रवाई बिन्दुओं का अनुवर्तन (6.2.1) कार्यनीति संबंधी दस्तावेज	संबंधित संस्थाओं द्वारा की गई कार्रवाई शैक्षिक सहयोग के लिए चिन्हित किए गए क्षेत्र	स्वस्थ सहयोग (कोलाबोरेशन) प्राप्त करना स्वस्थ सहयोग प्राप्त करना	पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्थन	उपलब्धि के अभाव से अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभावित होगा। उपलब्धि के अभाव से अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभावित होगा।
				(6.3.1) हेल्पलाइन को संचालित करना	वास्तविक समय के छात्रों के लिए वेब पोर्टल आधारित निर्मित करना	भारत में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों को सुविधाएं प्रदान करना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना	पूर्ण समर्थन	लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहने से विदेशी छात्रों का आत्म विश्वास घटेगा जिससे हमारी शैक्षिक संस्थाओं में विदेशी छात्रों का नामांकन प्रभावित होगा।
राज्य सरकार	सभी राज्य	अन्य	सभी संगठन	(1.4.1) सामुदायिक कालेजों का संचालन (1.5.1) प्रशिक्षित किए गए व्यक्ति (1.5.2) लाभप्रद सेवा योजना का समवर्ती मूल्यांकन (2.1.1) नए महिला छात्रावासों का संचालन (3.6.1) कनेक्टिविटी का उपयोग (विश्वविद्यालय द्वारा एमबीपीज में ऑनसैट बैडवाइडथ उपयोग)	इन प्राधिकरणों से अनुमोदन इन प्राधिकरणों से अनुमोदन इन प्राधिकरणों से अनुरोध सभी हितधारकों से सहयोग समयानुसार टिप्पणियां	अंतिम रूप देने के लिए ईएफसी को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए ईएफसी को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए महिला छात्रावासों के संचालन के लिए आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय मिशन का कार्यान्वयन	पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्थन और प्रतिबद्धता	इससे उपलब्धि में बाधा पड़ेगी। इससे उपलब्धि में बाधा पड़ेगी। इससे उपलब्धि में बाधा पड़ेगी। संचालन में बाधा पड़ेगी इससे उपलब्धि में बाधा पड़ेगी।

खंड-5
अन्य विभागों से विशिष्ट कार्य-प्रदर्शन अपेक्षाएं

स्थिति (स्थान) का प्रकार	राज्य	संगठन का प्रकार	संगठन का नाम	संबंधित सफलता संकेतक	इस संगठन से आपकी अपेक्षा क्या है।	इस अपेक्षा का औचित्य	कृपया इस संगठन की अपनी अपेक्षा की परिभाष बताएं	यदि आपकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो क्या घटित हो सकता है।
				(5.3.1) वर्ष 2011-12 के लिए एआईएसएचई पर आधारित उच्चतर और तकनीकी शिक्षा की सांख्यिकी का जारी किया जाना	संबंधित संस्थाओं और राज्य सरकारों से आंकड़े (डाटा)	समुचित रूप से योजना तैयार करने के लिए एक डाटा बेस विकसित (तैयार) करना	पूर्ण समर्थन	उपलब्धि में असफल रहने के परिणामस्वरूप डाटा का अभाव या अनुचित डाटा की प्राप्ति की स्थिति होगी जिससे भविष्य योजना की तैयारी में बाधा पड़ेगी।
				(5.3.2) "शिक्षा एकनजर में-2013" का जारी किया जाना	संबंधित संस्थाओं और राज्य सरकारों से आंकड़े (डाटा)	समुचित रूप से योजना तैयार करने के लिए एक डाटा बेस विकसित (तैयार) करना	पूर्ण समर्थन	उपलब्धि में असफल रहने के परिणामस्वरूप डाटा का अभाव या अनुचित डाटा की प्राप्ति की स्थिति होगी जिससे भविष्य योजना की तैयारी में बाधा पड़ेगी।

खंड – 6
विभाग/मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय का परिणाम/ प्रभाव	निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों की इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायिता	सफलता संकेतक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12	वित्त वर्ष 12/13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15	वित्त वर्ष 15-16
1. नामांकन में वृद्धि और सहभागिता का विस्तार	एनयूईपीए एआईसीटीई और संस्थाएं यूजीसी शैक्षिक	नामांकन क्षमता में बढ़ोतरी और स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेल कार्यक्रमों का विस्तार	:					
2. उच्चतर शिक्षा की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार करना	आरएएसए एआईसीटीई और संस्थाएं यूजीसी शैक्षिक	पूर्ण रूप से प्रत्यायित शैक्षिक संस्थाओं का % राष्ट्रीय प्रत्यायन मानकों का पूर्ण रूप से अनुपालन करने वाली शैक्षिक संस्थाओं का %	:					
3. अनुसंधान और नवाचार का प्रोन्नयन	एनयूईपीए एआईसीटीई और संस्थाएं यूजीसी शैक्षिक	राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं द्वारा प्रदत्त औसत श्रेणी अनुसंधान और नवाचार का प्रोन्नयन अनुसंधान के सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना करना पीएचडीज की विश्वसनीयता की सुरक्षा की दृष्टि से डॉक्टरेल शिक्षा की समीक्षा करना अनुसंधान-मूल्यांकन हेतु एक प्रणाली सृजित करना और अनुसंधान के लिए एक केंद्र की स्थापना करना	तारीख तारीख तारीख तारीख					

खंड – 6
विभाग/मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव	निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों की इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायिता	सफलता संकेतक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12	वित्त वर्ष 12/13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15	वित्त वर्ष 15-16
4. पहुंच (एक्सेस) में साम्या (समानता) को बढ़ावा देना	सामाजिक न्याय मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जेएनयू और यूजीसी	पीएससी रिपोर्ट के पश्चात मंत्रिमंडल नोट को अंतिम रूप प्रदान करना उच्चतर शिक्षा में नामांकित निःशक्त व्यक्तियों का % उच्चतर शिक्षा में नामांकित अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित व्यक्तियों का % उच्चतर शिक्षा में नामांकित एससी/एसटी वर्ग से संबंधित व्यक्तियों का %	तारीख : : :					
5. शासन संबंधी सुधार		उच्चतर शिक्षा में नीति-अनुसंधान और नेतृत्व विकास केन्द्र की स्थापना करना उद्योग-जगत (इंडस्ट्री) एकाडिमिया सहयोग परिषद की स्थापना करना वर्ष 2011-12 के लिए एआईएसएचई पर आधारित उच्चतर और तकनीकी शिक्षा की सांख्यिकी जारी करना "शिक्षा-एक नजर में 2013" का जारी किया जाना जीआरआईएचए कंलीएंट मास्टर योजनाओं का स्वीकार किया जाना	तारीख तारीख तारीख तारीख					

खंड - 6
विभाग /मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव

विभाग/मंत्रालय का परिणाम/ प्रभाव	निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों की इस परिणाम/प्रभाव को प्रभावित करने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायिता	सफलता संकेतक	इकाई	वित्त वर्ष 11/12	वित्त वर्ष 12/13	वित्त वर्ष 13-14	वित्त वर्ष 14-15	वित्त वर्ष 15-16
		वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट की प्रस्तुति से निर्धारित तारीख (4 माह) के भीतर प्रस्तुत किए गए कृत कार्रवाई नोटों (एटीएस) का प्रतिशत	:					
		वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया कृत कार्रवाई नोटों (एटीएस) का प्रतिशत	:					
		वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया कृत कार्रवाई नोटों (एटीएस) का प्रतिशत	:					
		उच्चतर शिक्षा में नीति-अनुसंधान और नेतृत्व विकास के लिए एक केन्द्र की स्थापना करना	तारीख					
6. वैश्वीकरण	अंतरराष्ट्रीय सहयोग; यूएसए, कनाडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड	कार्रवाई बिन्दुओं का अनुवर्तन	तारीख					
		कार्य-नीति दस्तावेज	तारीख					
		सहायता (हेल्प) लाइन को संचालित करना	तारीख					



परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

क्षेत्र (सेक्टर) वार योजनाओं के ब्यौरे/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रम यूजीसी योजनाओं की सूची (XIIवीं योजना),

परिशिष्ट-II

17.09.2014 से प्रभावी विश्वविद्यालय/कालेज के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या

परिशिष्ट-III

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संगठन चार्ट

परिशिष्ट-IV

संगठन उच्चतर शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

क्षेत्र (सेक्टर) वार योजनाओं के ब्यौरे/यूजीसी के कार्यक्रम (यूजीसी योजनाओं की सूची (XIIवीं योजना),


1.	प्रवेश (एक्सेस)
1.	सामान्य विकास: केन्द्रीय, राज्य और सम विश्वविद्यालयों को सहायता
2.	शामिल नहीं राज्यों में 16 विश्वविद्यालय (इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों सहित)
3.	शामिल नहीं राज्य विश्वविद्यालयों और कालेजों को एक मुस्त प्राप्ति अनुदान (गैर-12 ख)
4..	भवन-निर्माण के लिए कालेजों को विकास अनुदान
5.	कालेजों को जयंती, शताब्दी अनुदान
6..	धारा 12(ख) के अंतर्गत पहले ही शामिल 160 विश्वविद्यालयों और 5500 कालेजों को अतिरिक्त सहायता
7.	विश्वविद्यालयों के वर्तमान और नए प्रबंधन विभाग के विकास के लिए सहायता
8.	सामान्य विकास: कालेजों को अनुदान
9.	शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलो (ईबीडीजी) में 374 मॉडल डिग्री कालेजों की स्थापना
2.	साम्या
10.	महिला-छात्रावास
11.	महिला-अध्ययन केन्द्र
12.	उच्चतर शिक्षा में महिला प्रबंधकों का क्षमता निर्माण
13.	विश्वविद्यालयों/सम विश्वविद्यालयों और सहायता-अनुदान प्राप्त संस्थाओं और केन्द्रीय सहायता प्राप्त आईयूसीज में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष सेलों की स्थापना
3.	गुणवत्ता और उत्कृष्टता
14.	स्वायत्त कालेज
15.	उत्कृष्टता की क्षमता (संभावना) वाले विश्वविद्यालय
16.	उत्कृष्टता की क्षमता (संभावना) वाले कालेज
17.	विशेष क्षेत्रों में उत्कृष्टता की क्षमता (संभावना) वाले केन्द्र
18.	विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)
	क) विज्ञान
	ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान
19.	वाद्य संगीत शास्त्र अनुरक्षण सुविधा
20.	नवाचारी कार्यक्रम
21.	उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेलों की स्थापना और उनकी निगरानी
22.	विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेल-अवसंरचना और उपकरण का विकास
4.	अनुसंधान परियोजनाएं
23.	मुख्य अनुसंधान परियोजनाएं
	क) विज्ञान
	ख) मानविकी और सामाजिक विज्ञान
24.	गौण अनुसंधान परियोजनाएं
25.	कालेजों में कार्यशालाएं/सेमिनार/सम्मेलन

26.	सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षण और अनुसंधान क्षमता सुदृढ़ करना
27.	विश्वविद्यालयों के अनुसंधान और शिक्षण संसाधनों में वृद्धि करने के लिए “फैकल्टी रिचार्ज” पहल का संचालन
28.	विश्वविद्यालयों में राजीव गांधी पीठ की स्थापना
29.	मानविकी और सामाजिक विज्ञान के छात्रों के लिए शोध अध्येतावृत्ति
30.	रेडियो धर्मिता वाली और अन्य हानिकारक सामग्री / केमिकल्स के प्रापण, भंडारण, उपयोग और निपटान हेतु विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और कालेजों के लिए दिशा निर्देश
5.	प्रासंगिकता और मूल्य आधारित शिक्षा
31.	विश्वविद्यालयों में क्षेत्र-अध्ययन केन्द्र
32.	विश्वविद्यालयों और कालेजों में कैरियर अनुकूलन पाठ्यक्रम
33.	सामाजिक अपवर्जन और समावेशन नीति अध्ययन केन्द्र (नए केन्द्रों सहित)
34.	विशेष अध्ययन / वयस्क शिक्षा / महिला अध्ययन / जनसंख्या शिक्षा सहित अनौपचारिक शिक्षा
35.	मूल्य शिक्षा और मानवाधिकार
36.	विश्वविद्यालय में योग शिक्षा और अभ्यास एवं सार्थक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन
37.	मीडिया केन्द्रों / संबद्ध मीडिया केन्द्रों को स्थापित करना
6.	सूचना संचार प्रौद्योगिकी एकीकरण
38.	विश्वविद्यालयों और कालेजों में अंकीय (डिजिटल) रिपोजिटरी
39.	विश्वविद्यालयों और कालेजों में इंटरनेट कनेक्टिविटी
40.	विश्वविद्यालयों के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)
41.	ई-कन्टेंट विकास
42.	डॉक्टरल थीसिसों का अंकीकरण (डिजिटाइजेशन)
7.	शासन और कार्य कुशलता संवर्धन
43.	उच्चतर शिक्षा और यूजीसी कार्यलय का ई-शासन
44.	विश्वविद्यालयों, कालेजों के शैक्षिक प्रशासकों, यूजीसी के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण / संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहन
8.	संकाय विकास
45.	शैक्षिक स्टाफ कालेज
46.	संकाय विकास कार्यक्रम
47.	विश्वविद्यालय के संकाय संसाधनों की बढ़ोत्तरी (ईएनसीओआरई)
48.	अतिथि प्रोफेसर / अध्येताओं की नियुक्ति
49.	अवकाश प्राप्त (सेवामुक्त) अध्येतावृत्ति
50.	उन शिक्षकों को विशेष मानदेय जो यूजीसी द्वारा चिह्नित चार विज्ञान अकादमियों में से कम से कम दो अकादमियों के अध्येता (फेलो) हैं।
51.	विभिन्न शैक्षिक और अनुसंधान कार्यकलापों के आयोजन (व्यवस्था) के लिए विषय / शिक्षा की शाखा (डिसीपलीन) पर आधारित एसोसिएशन के शिक्षकों को प्रोत्साहित करना
52.	यात्रा अनुदान


* * * * *

17.09.2014 से प्रभावी विश्वविद्यालय/कालेज के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदत्त छात्रवृत्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	कोटा (प्रतिवर्ष)
1.	सीबीएसई	5413
2.	आईसीएसई	577
3.	आंध्र प्रदेश	3527
4.	अरुणाचल प्रदेश	77
5.	असम	2002
6.	बिहार	5624
7.	छत्तीसगढ़	1387
8.	दिल्ली	1162
9.	गोआ	113
10.	गुजरात	3944
11.	हरियाणा	1591
12.	हिमाचल प्रदेश	461
13.	जम्मू और कश्मीर	768
14.	झारखंड	1878
15.	कर्नाटक	4237
16.	केरल	2324
17.	महाराष्ट्र	7417
18.	मध्य प्रदेश	4299
19.	मणिपुर	181
20.	मेघालय	166
21.	मिजोरम	75
22.	नागालैंड	176
23.	उड़ीसा	2736
24.	पंजाब	1902
25.	राजस्थान	3978
26.	सिक्किम	44
27.	तमिलनाडु	4883
28.	तेलंगाना	2570
29.	त्रिपुरा	236
30.	उत्तर प्रदेश	11460
31.	उत्तरांचल	616
32.	पश्चिम बंगाल	5941
33.	अंडमान और निकोबार	31
34.	चंडीगढ़	82
35.	दादरा और नागर हवेली	21
36.	दमन और दीव	19
37.	लक्षद्वीप	4
38.	पांडिचेरी	78
	योग	82000



संगठन चार्ट



संलग्नक

संलग्नक

संलग्नक-1

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा

01.01.2013 से 31.03.2014 की अवधि में गैर-सरकारी संगठनों को 1.00 लाख रुपये से अधिक जारी अनुदानों के ब्यौरों को प्रदर्शित करने वाला विवरण।

संलग्नक-2

उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 (31.03.2014 तक) गैर-सरकारी संगठनों को 1.00 लाख रुपये से अधिक जारी अनुदानों को प्रदर्शित करने वाला विवरण।

संलग्नक-3

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा के प्रेक्षणों का सारांश।

संलग्नक-4

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं की सूची।

संलग्नक-5

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्वायत्त संगठन/संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिकक्षेत्र के उपक्रम।

संलग्नक-6

सेवाओं में (जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार) निःशक्त व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने वाला विवरण।

संलग्नक-7

इस वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने वाला विवरण और इससे पहले के कैलेंडर वर्ष 2014 में की गई नियुक्तियों की संख्या।

संलग्नक-8

1 जनवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार विभिन्न सेवाओं के समूह-क में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने वाला वार्षिक विवरण और कैलेंडर वर्ष 2014 में विभिन्न ग्रेडों की सेवाओं में की गई नियुक्तियों की संख्या।

संलग्नक-9

वर्ष 2012-13 के लिए (अनंतिम) उच्चतर शिक्षा में राज्य-वार महिला नामांकन।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

01.01.2013 से 31.12.2014 की अवधि में गैर-सरकारी संगठनों को 1.00 लाख रुपए से अधिक जारी अनुदानों के व्यौरों को प्रदर्शित करने वाला विवरण।

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
1	जन शिक्षण संस्थान, नंदूरबाड़-II (महाराष्ट्र)	फा. 21-2/2014-एनएलएम-।/9969222-जीएन	215859
2	जन शिक्षण संस्थान, नंदूरबाड़-II (महाराष्ट्र)	फा. 21-2/2014-एनएलएम-। (एसटी)	1213500
3	जन शिक्षण संस्थान, चन्द्रपुर-II (महाराष्ट्र)	फा. 21-2/2014-एनएलएम-।/ 25749590	677020
4	जन शिक्षण संस्थान, चन्द्रपुर-II (महाराष्ट्र)	फा. 21-2/2014-एनएलएम-।/ 6771500	355000
5	जन शिक्षण संस्थान, चन्द्रपुर-II (महाराष्ट्र)	फा. 21-2/2014-एनएलएम-।/ 8096351	441500
6	जन शिक्षण संस्थान	फा. 7-1/2014-एनएलएम-4	440000
7	जन शिक्षण संस्थान	फा. 24-1/2014-ईई.।/ 14795942-एससी	384978
8	जन शिक्षण संस्थान, अलीराजपुर (मध्यप्रदेश)	फा. 7-1/2014-एनएलएम-4/4726000-एसटी	1378750
9	जन शिक्षण संस्थान, चांदुली	फा. 7-1/2014-एनएलएम-4	583500
10	जन शिक्षण संस्थान, चांदुली	फा. 7-1/2014-एनएलएम-4/ 58078870	916500
11	जन शिक्षण संस्थान, दादरा और नागर हवेली	फा. 21-2/2014-एनएलएम.। (एसटी)	1236000
12	जन शिक्षण संस्थान, देवगढ-(उड़ीसा)	फा. 5-1/2014-एनएलएम.3	413988
13	जन शिक्षण संस्थान, देवगढ-(उड़ीसा)	फा. 5-1/2014-एनएलएम.3 12558843	733662
14	जन शिक्षण संस्थान, देवगढ-(उड़ीसा)	फा. 5-1/2014-एनएलएम.3 8400950	341515
15	जन शिक्षण संस्थान, दिन्दोरी, मध्यप्रदेश	फा. 7-1/2014-एनएलएम-4/ 58078870	192956
16	जन शिक्षण संस्थान, दिन्दोरी, मध्यप्रदेश	फा. 7-1/2014-एनएलएम-4	106000
17	जन शिक्षण संस्थान, दिन्दोरी, मध्यप्रदेश	फा. 7-1/2014-एनएलएम-4/ 9561500	1169000
18	जन शिक्षण संस्थान, गुड़गांव (हरियाणा)	फा. 12-2/2014-ईई-2/ 13260809 जीएन	1216950
19	जन शिक्षण संस्थान, गुड़गांव (हरियाणा)	फा. 12-2/2014-ईई-2/ 6178380	283050
20	जन शिक्षण संस्थान, खांडवा मध्यप्रदेश	फा. 7-1/2014-एनएलएम-4/	273500
21	जन शिक्षण संस्थान, खांडवा मध्यप्रदेश	फा. 7-1/2014-एनएलएम-4/9561500	651000
22	जन शिक्षण संस्थान, खांडवा, मध्यप्रदेश	फा. 7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	575500
23	जन शिक्षण संस्थान, आंगोले	फा. 5-1/2014-एनएलएम-II/10162465-जीएन	894000

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
24	जन शिक्षण संस्थान, आंगोले	फा. 5-1 / 2014-एनएलएम-II / 4144324-एससी	515000
25	जन शिक्षण संस्थान, रैगाड़	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम. I(एसटी)	ध8096351 289000
26	जन शिक्षण संस्थान, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा (उत्तरप्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4	391500
27	जन शिक्षण संस्थान, कोरबा (छत्तीसगढ़)	फा. 5-1 / 2014-एनएलएम.3 / 12558843	920000
28	जन शिक्षण संस्थान, कोरबा, छत्तीसगढ़	फा. 5-1 / 2014-एनएलएम-3/8400950	224550
29	जन शिक्षण संस्थान, लाहौल और स्पीति, काजा (हिमाचल प्रदेश)	फा. 12-2 / 2014-ई-2 / 13260809.जीएन	224078
30	जन शिक्षण संस्थान, लाहौल और स्पीति, काजा (हिमाचल प्रदेश)	फा. 12-2 / 2014-ई-2 / 2421474.एसटी	1146231
31	जन शिक्षण संस्थान, लाहौल और स्पीति, काजा (हिमाचल प्रदेश)	फा. 12-2 / 2014-ई-2 / 6178380	123541
32	जन शिक्षण संस्थान, सोनभद्रपुर (उ.प्र.)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4	917500
33	जन शिक्षण संस्थान, सोनभद्रपुर (उ.प्र.)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4ध58078870	504100
34	जन शिक्षण संस्थान (पचिशम इंफाल)	फा. 24-1 / 2014-ई-1 / 504	115986
35	जन शिक्षण संस्थान (पश्चिम इंफाल)	फा. 24-1 / 2014-ई-1	1299192
36	जन शिक्षण संस्थान, अगरतला (त्रिपुरा)	फा. 21-1 / 2014-ई-1 / 2959503-एससी	305633
37	जन शिक्षण संस्थान, अगरतला (त्रिपुरा)	फा. 21-1 / 2014-ई-1 / 10254674-जीएन	1059016
38	जन शिक्षण संस्थान, अगरतला (त्रिपुरा)	फा. 24-1 / 2014-ई-1 / 14795942-जीएन	455424
39	जन शिक्षण संस्थान, आगरा (उत्तर प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4	496327
40	जन शिक्षण संस्थान, आगरा (उत्तर प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4	526000
41	जन शिक्षण संस्थान, आगरा (उत्तर प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 58078870	974000
42	जन शिक्षण संस्थान, अहमदाबाद	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम. I / जीईएन	1418314
43	जन शिक्षण संस्थान, अहमदाबाद	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम. I / एससी	261500
44	जन शिक्षण संस्थान, अहमदनगर	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4	589500
45	जन शिक्षण संस्थान, अहमदनगर	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम- I(एसटी)	173000
46	जन शिक्षण संस्थान, अहमदनगर	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम- I / 3048500 / एससी	291500

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
47	जन शिक्षण संस्थान, अहमदनगर	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम-I/9969222.जीएन	1035374
48	जन शिक्षण संस्थान, अजमेर	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम- I / 6771500	504500
49	जन शिक्षण संस्थान, अजमेर	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम- I / 25749590	1157477
50	जन शिक्षण संस्थान, अकोला	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम- I / 25749590	1064753
51	जन शिक्षण संस्थान, अकोला	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम- I / 6771500	252000
52	जन शिक्षण संस्थान, अकोला	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम- I / 8096351	148000
53	जन शिक्षण संस्थान, अलीगढ़ (उत्तरप्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 58078870	987500
54	जन शिक्षण संस्थान, अलीगढ़ (उत्तरप्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4	512500
55	जन शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद (उ.प्र.)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 58078870	986500
56	जन शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद (उ.प्र.)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4	513500
57	जन शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद (दौस) (उत्तरप्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम- / 58078870	970390
58	जन शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद (दौस) (उत्तरप्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 58078870	513500
59	जन शिक्षण संस्थान, अल्मोड़ा	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 58078870	943885
60	जन शिक्षण संस्थान, अंबेदकर नगर (उत्तर प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 58078870	907820
61	जन शिक्षण संस्थान, अमेठी (उत्तरप्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 58078870	959678
62	जन शिक्षण संस्थान, अमेठी (उत्तरप्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4	538000
63	जन शिक्षण संस्थान, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)	फा. 5-1 / 2014-एनएलएम- II / 10162465-जीएन	1071500
64	जन शिक्षण संस्थान, अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)	फा. 5-1/2014-एनएलएम- II /4144324-एससी	344000
65	जन शिक्षण संस्थान, अंगुल (उड़ीसा)	फा. 5-1 / 2014-एनएलएम-3 / 12558843	274539
66	जन शिक्षण संस्थान, अंगुल (उड़ीसा)	फा. 5-1 / 2014-एनएलएम-3 / 8400950	412806
67	जन शिक्षण संस्थान, अंगुल (उड़ीसा)	फा. 5-1 / 2014-एनएलएम-3	810138
68	जन शिक्षण संस्थान, औरंगाबाद (बिहार)	फा. 5-1 / 2014-एनएलएम-3	928930
69	जन शिक्षण संस्थान, औरंगाबाद (बिहार)	फा. 5-1 / 2014-एनएलएम-3 / 8400950	558550

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
70	जन शिक्षण संस्थान, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम-1 / 6771500	370000
71	जन शिक्षण संस्थान, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम-1 / 25749590	1152323
72	जन शिक्षण संस्थान, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4	620000
73	जन शिक्षण संस्थान, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 58078870	855374
74	जन शिक्षण संस्थान, बागलकोट (कर्नाटक)	फा. 5-1 / 2014-एनएलएम-11 / 7789096	308544
75	जन शिक्षण संस्थान, बागलकोट (कर्नाटक)	फा. 5-1 / 2014-एनएलएम-11 / 19475726	871861
76	जन शिक्षण संस्थान, बागेश्वर (उत्तरांचल)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 13621639.जीएन	813616
77	जन शिक्षण संस्थान, बागेश्वर (उत्तरांचल)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 7621500.एससी	619000
78	जन शिक्षण संस्थान, बालानगीर (उड़ीसा)	फा. 5-1 / 2014-एनएलएम-3	576170
79	जन शिक्षण संस्थान, बालानगीर (उड़ीसा)	फा. 5-1 / 2014-एनएलएम-3 / 12558843	498096
80	जन शिक्षण संस्थान, बालानगीर (उड़ीसा)	फा. 5-1 / 2014-एनएलएम-3 / 8400950	408162
81	जन शिक्षण संस्थान, बलिया (उ.प्र.)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4	395000
82	जन शिक्षण संस्थान, बलिया (उ.प्र.)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 58078870	1078136
83	जन शिक्षण संस्थान, बनासकांठा	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम-1 / 25749590	1046500
84	जन शिक्षण संस्थान, बनासकांठा	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम-1 / 8096351	188000
85	जन शिक्षण संस्थान, बनासकांठा (उत्तर प्रदेश)	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम-1 / 6771500	265500
86	जन शिक्षण संस्थान, बांदा (उत्तर प्रदेश)	फा. 7-1 / 2013-एनएलएम-4 (395531409)	979956
87	जन शिक्षण संस्थान, बांदा (उत्तर प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 /	503500
88	जन शिक्षण संस्थान, बांदा (उत्तर प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 58078870	996500
89	जन शिक्षण संस्थान, बांकुरा (पश्चिम बंगाल)	फा. 24.1 / 2014-ई-1 / 6509587-जीएन	581550
90	जन शिक्षण संस्थान, बांकुरा (पश्चिम बंगाल)	फा. 24.1 / 2014-ई-1 / 4189231 / एसटी	687000
91	जन शिक्षण संस्थान, बांकुरा (पश्चिम बंगाल)	फा. 24.1 / 2014-ई-1 / 1545904 एसटी	231450
92	जन शिक्षण संस्थान, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 58078870	694740
93	जन शिक्षण संस्थान, बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4	653500
94	जन शिक्षण संस्थान, बरेली (उत्तर प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4	305500
95	जन शिक्षण संस्थान, बरेली (उत्तर प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 58078870	1159791

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
96	जन शिक्षण संस्थान, बस्तर, सीजी (छत्तीसगढ़)	फा. 5-1 / 2014-एनएलएम-3	224271
97	जन शिक्षण संस्थान, बस्तर, सीजी (छत्तीसगढ़)	फा. 5-1 / 2014-एनएलएम-3 / 12558843	1215549
98	जन शिक्षण संस्थान, बस्ती (उत्तर प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4	505500
99	जन शिक्षण संस्थान, बस्ती (उत्तर प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 58078870	957935
100	जन शिक्षण संस्थान, बीड	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम-1 / 25749590	317500
101	जन शिक्षण संस्थान, बीड	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम-1 / 25749590	1156500
102	जन शिक्षण संस्थान, भदोही (उ.प्र.)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4	517000
103	जन शिक्षण संस्थान, भदोही (उ.प्र.)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 58078870	983000
104	जन शिक्षण संस्थान, भद्रक (उड़ीसा)	सीपी-5-1 / 2014-एनएलएम-111 / 5429771. एससी	519500
105	जन शिक्षण संस्थान, भद्रक (उड़ीसा)	सीपी-5-1 / 2014-एनएलएम-111 / 11563385-जीएन	937000
106	जन शिक्षण संस्थान, भरुच	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम-1 / 8096351	778000
107	जन शिक्षण संस्थान, भरुच	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम-1 / 25749590	609000
108	जन शिक्षण संस्थान, भरुच	फा. 21-2 / 2014-एनएलएम-1 / 6771500	113000
109	जन शिक्षण संस्थान, भरुच	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 /	353000
110	जन शिक्षण संस्थान, भरुच	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 58078870	1146780
111	जन शिक्षण संस्थान, भरुच	फा. 22-1 / 2014-एनएलएम-1	374500
112	जन शिक्षण संस्थान, भिंड (मध्य प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 7621500.एससी	517500
113	जन शिक्षण संस्थान, भिंड (मध्य प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 13621639-जीएन	973488
114	जन शिक्षण संस्थान, भोपाल (मध्य प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 58078870	1089500
115	जन शिक्षण संस्थान, भोपाल (मध्य प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4	333000
116	जन शिक्षण संस्थान, भोपाल (मध्य प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4	333000
117	जन शिक्षण संस्थान, भोपाल (मध्य प्रदेश)	फा. 7-1 / 2014-एनएलएम-4 / 58078870	1089500
118	जन शिक्षण संस्थान, भुबनेश्वर (उड़ीसा)	सीपी-5-1 / 2014-एनएलएम-111 / 5429771 -एससी	326500
119	जन शिक्षण संस्थान, भुबनेश्वर (उड़ीसा)	सीपी-5-1 / 2014-एनएलएम-111 / 2154660	122000

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
120	जन शिक्षण संस्थान, बीकानेर	एफ. 21.2६2014-एनएलएम-।/9969222.जीएन	1017940
121	जन शिक्षण संस्थान, बीकानेर	एफ. 21.2६2014-एनएलएम-।/3048500/एससी	470500
122	जन शिक्षण संस्थान, बीकानेर	सीपी-5-1/2014.एनएलएम-।।/11563385- जीएन	1051500
123	जन शिक्षण संस्थान, बोकारो (झारखंड)	एफ.5-1/2014.एनएलएम-3/12558843	226140
124	जन शिक्षण संस्थान, बोकारो (झारखंड)	एफ.5-1/2014.एनएलएम-3/8400950	242844
125	जन शिक्षण संस्थान, बोकारो (झारखंड)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3	667397
126	जन शिक्षण संस्थान, बुलडाना	एफ.21-2/2014/एनएलएम-1/जीईएन	1044800
127	जन शिक्षण संस्थान, बुलडाना	एफ.21-2/2014/एनएलएम-1/एससी	264000
128	जन शिक्षण संस्थान, बुलडाना	एफ.21-2/2014/एनएलएम.1/एसटी	120500
129	जन शिक्षण संस्थान, बक्सर, बिहार	एफ. 5-1/2014-एनएलएम-3	1096614
130	जन शिक्षण संस्थान, बक्सर, बिहार	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	320126
131	जन शिक्षण संस्थान, चंडीगढ़	एफ.12-2/2014-ईई-2/13260809/जीएन	1265950
132	जन शिक्षण संस्थान, चंडीगढ़	एफ.12-2/2014-ईई-2/6178380	484050
133	जन शिक्षण संस्थान, चंद्रपुर-1 (वीजीवीएसएम) (महाराष्ट्र)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/9969222-जीएन	703500
134	जन शिक्षण संस्थान, चंद्रपुर-1 (वीजीवीएसएम) (महाराष्ट्र)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/3048500/एससी	355000
135	जन शिक्षण संस्थान, चंद्रपुर-1 (वीजीवीएसएम) (महाराष्ट्र)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I (एसटी)	441500
136	जन शिक्षण संस्थान, छतरपुर (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	821083
137	जन शिक्षण संस्थान, छतरपुर (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	559500
138	जन शिक्षण संस्थान, चित्रकूट	एफ.7-1/2013-एनएलएम-4/21249525	1500000
139	जन शिक्षण संस्थान, चित्रकूट	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/13621639-जीएन	771000
140	जन शिक्षण संस्थान, चित्रकूट	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/7621500-एससी	629000
141	जन शिक्षण संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/10787057-जीएन	1317500
142	जन शिक्षण संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/3959321	413500
143	जन शिक्षण संस्थान, कटक (ओडिशा)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3	1113500

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
144	जन शिक्षण संस्थान, कटक (ओडिशा)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	539000
145	जन शिक्षण संस्थान, दमोह (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/9561500	299000
146	जन शिक्षण संस्थान, दमोह (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	472000
147	जन शिक्षण संस्थान, दमोह (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	727651
148	जन शिक्षण संस्थान, दारांग (असम)	एफ.24-1/2014-ई-1/14795942-एससी	114000
149	जन शिक्षण संस्थान, दारांग (असम)	एफ.24-1/2014-ई.1/14795942	421950
150	जन शिक्षण संस्थान, दारांग (असम)	एफ.24-1/2014-ई-1/14795942-जीएन	964050
151	जन शिक्षण संस्थान, दतिया (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	605500
152	जन शिक्षण संस्थान, दतिया (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	858599
153	जन शिक्षण संस्थान, दावणगेरे (कर्नाटक)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/19475726	766245
154	जन शिक्षण संस्थान, दावणगेरे (कर्नाटक)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/2764549	283850
155	जन शिक्षण संस्थान, दावणगेरे (कर्नाटक)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/7789096	446477
156	जन शिक्षण संस्थान, देहरादून (उत्तरांचल)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	322500
157	जन शिक्षण संस्थान, देहरादून (उत्तरांचल)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	976988
158	जन शिक्षण संस्थान, देहरादून (उत्तरांचल)	एफ. 7-1/2014-एनएलएम-4/9561500	180000
159	जन शिक्षण संस्थान, देहरादून (उत्तरांचल)	एफ.8-1/2014-एनएलएम-4/1769871-एसटी	519628
160	जन शिक्षण संस्थान, दिल्ली	एफ.12-2/2014-ई-2/6178380	525414
161	जन शिक्षण संस्थान, दिल्ली	एफ.12-2/2014-ई-2/13260809/जीएन	974483
162	जन शिक्षण संस्थान, देवरिया (झारखंड)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	1060000
163	जन शिक्षण संस्थान, देवास (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	444000
164	जन शिक्षण संस्थान, देवास (मध्य प्रदेश)	एफ. 7-1/2014-एनएलएम-4/9561500	376500
165	जन शिक्षण संस्थान, देवास (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014.एनएलएम-4/58078870	678725
166	जन शिक्षण संस्थान, धनबाद (झारखंड)	सीपी.5-1/2014-एनएलएम-II/11563385-जीएन	763084
167	जन शिक्षण संस्थान, धनबाद (झारखंड)	सीपी.5-1/2014-एनएलएम-III/5429771-एससी	320763
168	जन शिक्षण संस्थान, धनबाद (झारखंड)	सीपी.5-1/2014-एनएलएम-III/2154660	170605
169	जन शिक्षण संस्थान, धार (मध्य प्रदेश)	एफ. 7-1/2014-एनएलएम-4/9561500	1133500
170	जन शिक्षण संस्थान, धार (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	213192

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
171	जन शिक्षण संस्थान, धार (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	141500
172	जन शिक्षण संस्थान, धारावी	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/6771500	177500
173	जन शिक्षण संस्थान, धारावी	एफ.21-2/2014-एनएलएम-1/25749590	1802500
174	जन शिक्षण संस्थान, धेनकनाल (उड़ीसा)	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/2154660	302499
175	जन शिक्षण संस्थान, धेनकनाल (उड़ीसा)	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-II/11563385-जीएन	751998
176	जन शिक्षण संस्थान, धेनकनाल (उड़ीसा)	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/5429771-एससी	445499
177	जन शिक्षण संस्थान, धुले	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/8096351	605500
178	जन शिक्षण संस्थान, धुले	एफ.21-2/2014-एनएलएम-1/25749590	736500
179	जन शिक्षण संस्थान, धुले	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/6771500	158000
180	जन शिक्षण संस्थान, दीमापुर (नागालैंड)	एफ.24-1/2014-ई.1/14795942-टीएन	220484
181	जन शिक्षण संस्थान, दीमापुर (नागालैंड)	एफ.24-1/2014-ई.1/14795942	1249411
182	जन शिक्षण संस्थान, ईलुरु, पश्चिम गोदावरी (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/10787057-जीएन	823646
183	जन शिक्षण संस्थान, ईलुरु, पश्चिम गोदावरी (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/3959321	391148
184	जन शिक्षण संस्थान, एरनाकुलम (केरल)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/7789096	210000
185	जन शिक्षण संस्थान, एरनाकुलम (केरल)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/19475726	1282000
186	जन शिक्षण संस्थान, इटावा, (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	563500
187	जन शिक्षण संस्थान, इटावा, (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2013-एनएलएम.4(395531409)	563500
188	जन शिक्षण संस्थान, इटावा, (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	928933
189	जन शिक्षण संस्थान, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	954000
190	जन शिक्षण संस्थान, फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	546000
191	जन शिक्षण संस्थान, फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	395500
192	जन शिक्षण संस्थान, फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	1104500
193	जन शिक्षण संस्थान, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश।	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	1043000
194	जन शिक्षण संस्थान, फिरोजाबाद	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	457000

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
	उत्तर प्रदेश।		
195	जन शिक्षण संस्थान, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश।	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	1108500
196	जन शिक्षण संस्थान, गया	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	705614
197	जन शिक्षण संस्थान, गया	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3	791462
198	जन शिक्षण संस्थान, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/13621639-जीएन	1059500
199	जन शिक्षण संस्थान, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/7621500-एससी	440500
200	जन शिक्षण संस्थान, गोवा	एफ.21-2/2014-एनएलएम-1/25749590	1235589
201	जन शिक्षण संस्थान, गोंडा	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	383500
202	जन शिक्षण संस्थान, गोंडा	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	1116500
203	जन शिक्षण संस्थान, गोंदिया	एफ.21-2/2014-एनएलएम-1/25749590	756500
204	जन शिक्षण संस्थान, गोंदिया	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/6771500	347000
205	जन शिक्षण संस्थान, गोंदिया	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/8096351	396500
206	जन शिक्षण संस्थान, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/7621500-एससी	530000
207	जन शिक्षण संस्थान, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/13621639-जीएन	970000
208	जन शिक्षण संस्थान, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	एफ.43-35/2008-ई-4/507	158527
209	जन शिक्षण संस्थान, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	एफ.43-53/2008-ई-4/एनएलएम-4	296311
210	जन शिक्षण संस्थान, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	एफ.43-53/2008-ई-4/एनएलएम-4/509	1026719
211	जन शिक्षण संस्थान, गुलबर्गा (कर्नाटक)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/2764549	117338
212	जन शिक्षण संस्थान, गुलबर्गा (कर्नाटक)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/7789096	548566
213	जन शिक्षण संस्थान, गुलबर्गा (कर्नाटक)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/19475726	819384
214	जन शिक्षण संस्थान, गुना (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	779948
215	जन शिक्षण संस्थान, गुना (मध्य प्रदेश)	एफ. 7-1/2014-एनएलएम-4/9561500	284000
216	जन शिक्षण संस्थान, गुना (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	425500
217	जन शिक्षण संस्थान, गुंटूर (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/10787057-जीएन	1096636

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
218	जन शिक्षण संस्थान, गुंटूर (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/3959321	515275
219	जन शिक्षण संस्थान, गुंटूर (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II	127204
220	जन शिक्षण संस्थान, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	457500
221	जन शिक्षण संस्थान, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	963000
222	जन शिक्षण संस्थान, हाजीपुर	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/5429771-एससी	493368
223	जन शिक्षण संस्थान, हल्दिया (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-ई-I/4189231/एससी	397000
224	जन शिक्षण संस्थान, हल्दिया (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-ई-I/1545904/एसटी	199000
225	जन शिक्षण संस्थान, हरदोई (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	762500
226	जन शिक्षण संस्थान, हरदोई (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	724209
227	जन शिक्षण संस्थान, हजारीबाग	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-II/11563385-जीएन	840439
228	जन शिक्षण संस्थान, हजारीबाग	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/5429771.एससी	359551
229	जन शिक्षण संस्थान, हजारीबाग	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/2154660	287601
230	जन शिक्षण संस्थान, हाजीपुर	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-II/11563385-जीएन	1003232
231	जन शिक्षण संस्थान, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	765000
232	जन शिक्षण संस्थान, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/9561500	354000
233	जन शिक्षण संस्थान, होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	381000
234	जन शिक्षण संस्थान, हावड़ा (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-ई-I/6509587-जीएन	1125391
235	जन शिक्षण संस्थान, हावड़ा (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-ईZ.I/4189231/एससी	374531
236	जन शिक्षण संस्थान, हैदराबाद	एफ.5-1/2014/एनएलएम-II/10162465-जीएन	1709500
237	जन शिक्षण संस्थान, हैदराबाद	एफ.5-1/2014/एनएलएम-II/4144324.एससी	264000
238	जन शिक्षण संस्थान, हैदराबाद	एफ.51-13/2008-एनएलएम-II/896	1057286
239	जन शिक्षण संस्थान, इडुक्की (केरल)	एफ.5-1/2014/एनएलएम-II/10162465-जीएन	1046000
240	जन शिक्षण संस्थान, इडुक्की (केरल)	एफ.5-1/2014/एनएलएम-II/4144324-एससी	344000
241	जन शिक्षण संस्थान, इडुक्की (केरल)	एफ.5-1/2014/एनएलएम-II/1100084-एसटी	110000
242	जन शिक्षण संस्थान, इंदौर	एफ.8-1/2014-एनएलएम-4/1769871-एसटी	378164
243	जन शिक्षण संस्थान, इंदौर	एफ.8-1/2014-एनएलएम-4/3308169-एससी	706848

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
244	जन शिक्षण संस्थान, इंदौर	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/एसटी	174000
245	जन शिक्षण संस्थान, इंदौर	एफ.7-1/2014-एनएलएम.4/1867356	1132000
246	जन शिक्षण संस्थान, इंदौर	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/एससी	444000
247	जन शिक्षण संस्थान, जेपोर (ओडिशा)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/8096351	218500
248	जन शिक्षण संस्थान, जेपोर (ओडिशा)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/6771500	415000
249	जन शिक्षण संस्थान, जेपोर (ओडिशा)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-1/25749590	1116121
250	जन शिक्षण संस्थान, जयपुर (राजस्थान)	एफ.22-1/2014-एनएलएम-1/जीईएन	3403561
251	जन शिक्षण संस्थान, जाजपुर (ओडिशा)	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/5429771-एससी	558281
252	जन शिक्षण संस्थान, जाजपुर (ओडिशा)	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/2154660	178930
253	जन शिक्षण संस्थान, जाजपुर (ओडिशा)	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/11563385-जीएन	762202
254	जन शिक्षण संस्थान, जालौन (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	654500
255	जन शिक्षण संस्थान, जालौन (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	817602
256	जन शिक्षण संस्थान, जलगांव (महाराष्ट्र)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/8096351	276500
257	जन शिक्षण संस्थान, जलगांव (महाराष्ट्र)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/6771500	190000
258	जन शिक्षण संस्थान, जलगांव (महाराष्ट्र)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-1/25749590	1033500
259	जन शिक्षण संस्थान, जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-ई.1/4189231/एससी	819265
260	जन शिक्षण संस्थान, जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-ई.1/6509587-जीएन	263040
261	जन शिक्षण संस्थान, जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-ई.1/1545904.एसटी	417356
262	जन शिक्षण संस्थान, जम्मू	एफ.12-2/2014-ई.2/13260809/जीएन	957021
263	जन शिक्षण संस्थान, जम्मू	एफ.12-2/2014-ई.2/6178380	702411
264	जन शिक्षण संस्थान, जौनपुर (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/13621639-जीएन	972500
265	जन शिक्षण संस्थान, जौनपुर (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/7621500-एससी	527500
266	जन शिक्षण संस्थान, झालावाड़	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/6771500	378000
267	जन शिक्षण संस्थान, झालावाड़	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/8096351	284500

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
268	जन शिक्षण संस्थान, झालावाड़	एफ.21-2/2014-एनएलएम-1/25749590	837284
269	जन शिक्षण संस्थान, जोधपुर (राजस्थान)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/9969222-जीएन	1209279
270	जन शिक्षण संस्थान, जोधपुर (राजस्थान)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/3048500/एससी	438000
271	जन शिक्षण संस्थान, जोरहाट (असम)	एफ.24-1/2014-ईई-I/14795942-जीएन	1014000
272	जन शिक्षण संस्थान, जोरहाट (असम)	एफ.24-1/2014-ईई-I/14795942-एससी	189450
273	जन शिक्षण संस्थान, जोरहाट (असम)	एफ.24-1/2014-ईई-1/14795942	296550
274	जन शिक्षण संस्थान, कच्छ	एफ.21-2/2014-एनएलएम-1/25749590	1006340
275	जन शिक्षण संस्थान, कच्छ	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/6771500	282000
276	जन शिक्षण संस्थान, कच्छ	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/8096351	186500
277	जन शिक्षण संस्थान, कलोल	एफ.21-2/2014-एनएलएम-1/25749590	1157787
278	जन शिक्षण संस्थान, कलोल	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/6771500	217500
279	जन शिक्षण संस्थान, कामरूप (असम)	एफ.24-1/2014-ईईZ.I/14795942-जीएन	1092907
280	जन शिक्षण संस्थान, कामरूप (असम)	एफ.24-1/2014-ईईणI/14795942-एससी	164978
281	जन शिक्षण संस्थान, कामरूप (असम)	एफ.24-1/2014-ईईZ-1/14795942	241918
282	जन शिक्षण संस्थान, कांचीपुरम (तमिलनाडु)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/19475726	836786
283	जन शिक्षण संस्थान, कांचीपुरम (तमिलनाडु)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/7789096	582822
284	जन शिक्षण संस्थान, कन्नूर	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	596000
285	जन शिक्षण संस्थान, कन्नूर	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	903437
286	जन शिक्षण संस्थान, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/7621500-एससी	455500
287	जन शिक्षण संस्थान, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/13621639-जीएन	1288502
288	जन शिक्षण संस्थान, कारवार	एफ.5-1/2013-एनएलएम-II/जीईएन	1309380
289	जन शिक्षण संस्थान, कारवार	एफ.5-1/2014/एनएलएम-II/4144324-एससी	182500
290	जन शिक्षण संस्थान, कारवार	एफ.5-1/2014/एनएलएम-II/10162465-जीएन	1275000
291	जन शिक्षण संस्थान, कटनी (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/13621639-जीएन	674500
292	जन शिक्षण संस्थान, कटनी (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/7621500-एससी	277000
293	जन शिक्षण संस्थान, कटनी (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/4726000-एसटी	548500

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
294	जन शिक्षण संस्थान, कयोंझर (उड़ीसा)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	262553
295	जन शिक्षण संस्थान, कयोंझर (उड़ीसा)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/12558843	963193
296	जन शिक्षण संस्थान, कयोंझर (उड़ीसा)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3	266034
297	जन शिक्षण संस्थान, खम्मम (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/19475726	548019
298	जन शिक्षण संस्थान, खम्मम (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/2764549	572342
299	जन शिक्षण संस्थान, खम्मम (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/7789096	368821
300	जन शिक्षण संस्थान, किशनगंज (बिहार)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3	1218196
301	जन शिक्षण संस्थान, किशनगंज (बिहार)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	158322
302	जन शिक्षण संस्थान, कोल्लम (केरल)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/7789096	307000
303	जन शिक्षण संस्थान, कोल्लम (केरल)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/19475726	1188000
304	जन शिक्षण संस्थान, कोरापुट (उड़ीसा)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/12558843	1003146
305	जन शिक्षण संस्थान, कोरापुट (उड़ीसा)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	265714
306	जन शिक्षण संस्थान, कोरापुट (उड़ीसा)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3	223917
307	जन शिक्षण संस्थान, कोरिया, सी-जी-(छत्तीसगढ़)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3	355450
308	जन शिक्षण संस्थान, कोरिया, सी-जी-(छत्तीसगढ़)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/12558843	979000
309	जन शिक्षण संस्थान, कोरिया, सी-जी-(छत्तीसगढ़)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3	337550
310	जन शिक्षण संस्थान, कोरिया, सी-जी-(छत्तीसगढ़)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	183450
311	जन शिक्षण संस्थान, कोटा (राजस्थान)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/9969222-जीएन	909793
312	जन शिक्षण संस्थान, कोटा (राजस्थान)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/3048500/एससी	535000
313	जन शिक्षण संस्थान, कोटा (राजस्थान)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I(एसटी)	272500
314	जन शिक्षण संस्थान, कोट्टायम (केरल)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/19475726	1289000
315	जन शिक्षण संस्थान, कोट्टायम (केरल)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/7789096	188000
316	जन शिक्षण संस्थान, कुंदराकुड़ी, शिवगंगा (तमिलनाडु)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/3959321	360230

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
317	जन शिक्षण संस्थान, कुंदराकुड़ी, शिवगंगा (तमिलनाडु)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/10787057-जीएन	995609
318	जन संस्थान, लखीमपुर खीरी	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	850625
319	जन शिक्षण संस्थान, लखीमपुर खीरी	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	621000
320	जन शिक्षण संस्थान, लातूर	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/6771500	471000
321	जन शिक्षण संस्थान, लातूर	एफ.21-2/2014-एनएलएम-1/25749590	954457
322	जन शिक्षण संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	584500
323	जन शिक्षण संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	1139204
324	जन शिक्षण संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	584000
325	जन शिक्षण संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	911842
326	जन शिक्षण संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	एफ.8-1/2014-एनएलएम-4/1769871-एसटी	535000
327	जन शिक्षण संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	एफ.8-1/2014-एनएलएम-4/11462807	3465000
328	जन शिक्षण संस्थान, लुधियाना	एफ.12-2/2014-ई.2/13260809/जीएन	882439
329	जन शिक्षण संस्थान, लुधियाना	एफ.12-2/2014-ई.2/6178380	585846
330	जन शिक्षण संस्थान, मदुरै	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/10787057-जीएन	1202611
331	जन शिक्षण संस्थान, मदुरै	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/3959321	304759
332	जन शिक्षण संस्थान, महबूब नगर (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/19475726	896500
333	जन शिक्षण संस्थान, महबूब नगर (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/2764549	184000
334	जन शिक्षण संस्थान, महबूब नगर (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/7789096	419500
335	जन शिक्षण संस्थान, मालापुरम (केरल)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/3959321	193943
336	जन शिक्षण संस्थान, मालापुरम (केरल)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/10787057-जीएन	1267482
337	जन शिक्षण संस्थान, मंडला (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	225000
338	जन शिक्षण संस्थान, मंडला (मध्य प्रदेश)	एफ. 7-1/2014-एनएलएम-4/9561500	1178000
339	जन शिक्षण संस्थान, मथुरा उत्तर प्रदेश।	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	942500
340	जन शिक्षण संस्थान, मथुरा उत्तर प्रदेश।	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	554500

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
341	जन शिक्षण संस्थान, मथुरा उत्तर प्रदेश।	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	942500
342	जन शिक्षण संस्थान, मथुरा उत्तर प्रदेश।	एफ.6-3/2009-एनएलएम-4/2212	455415
343	जन शिक्षण संस्थान, मऊ (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	773329
344	जन शिक्षण संस्थान, मऊ (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	552500
345	जन शिक्षण संस्थान, मेहसाणा	एफ.21-2/2014-एनएलएम-1/25749590	1301500
346	जन शिक्षण संस्थान, मेहसाणा	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/6771500	198500
347	जन शिक्षण संस्थान, मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-ई-I/6509587-जीएन	904000
348	जन शिक्षण संस्थान, मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-ई-I/4189231/एससी	397000
349	जन शिक्षण संस्थान, मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-ई-I/1545904-एसटी	199000
350	जन शिक्षण संस्थान, मिदनापुर (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-ई-I/6509587-जीएन	904000
351	जन शिक्षण संस्थान, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	639000
352	जन शिक्षण संस्थान, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	836451
353	जन शिक्षण संस्थान, मोहाली, पंजाब	एफ.12-2/2014-ई-2/13260809/जीएन	926258
354	जन शिक्षण संस्थान, मोहाली, पंजाब	एफ.12-2/2014-ई-2/6178380	572542
355	जन शिक्षण संस्थान, मुरैना (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	945424
356	जन शिक्षण संस्थान, मुरैना (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	508500
357	जन शिक्षण संस्थान, मोतिहारी (बिहार)	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/11563385-जीएन	1181685
358	जन शिक्षण संस्थान, मोतिहारी (बिहार)	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/5429771-एससी	314915
359	जन शिक्षण संस्थान, मुंगेर	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/11563385-जीएन	1143050
360	जन शिक्षण संस्थान, मुंगेर	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/5429771-एससी	318450
361	जन शिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर, बिहार	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3	1117475
362	जन शिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर, बिहार	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	379925
363	जन शिक्षण संस्थान, मैसूर	एफ.13-1/2014-एनएलएम-II/12557218-जीएन	1528107
364	जन शिक्षण संस्थान, मैसूर	एफ.5-1/2014/एनएलएम-II/10162465-जीएन	930191

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
365	जन शिक्षण संस्थान, मैसूर	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/1100084-एसटी	281729
366	जन शिक्षण संस्थान, मैसूर	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/4144324-एससी	488168
367	जन शिक्षण संस्थान, नगांव (असम)	एफ.24-1/2014-एडZ.I/14795942-जीएन	1165500
368	जन शिक्षण संस्थान, नगांव (असम)	एफ.24-1/2014-एडZ.I/14795942-ससी	236550
369	जन शिक्षण संस्थान, नागपट्टिनम (तमिलनाडु)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/10787057-जीएन	764573
370	जन शिक्षण संस्थान, नागपट्टिनम (तमिलनाडु)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/3959321	691966
371	जन शिक्षण संस्थान, नाहरलगून (अरुणाचल प्रदेश)	एफ.24-1/2014-ईईण/14795942-जीएन	252307
372	जन शिक्षण संस्थान, नाहरलगून (अरुणाचल प्रदेश)	एफ.24-1/2014-ईई.1/14795942	1246839
373	जन शिक्षण संस्थान, नालंदा (बिहार)	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/11563385-1026050 जीएन	
374	जन शिक्षण संस्थान, नालंदा (बिहार)	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/5429771-एससी	472950
375	जन शिक्षण संस्थान, नलगोंडा	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/2764549	247500
376	जन शिक्षण संस्थान, नलगोंडा	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/7789096	432000
377	जन शिक्षण संस्थान, नलगोंडा	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/19475726	820500
378	जन शिक्षण संस्थान, नामक्कल	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/10787057-जीएन	962000
379	जन शिक्षण संस्थान, नामक्कल	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/3959321	455000
380	जन शिक्षण संस्थान, नंदुरबार-I (महाराष्ट्र)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/8096351	1105236
381	जन शिक्षण संस्थान, नरेन्द्रपुर (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-एडZ.I/4189231-ससी	569975
382	जन शिक्षण संस्थान, नरेन्द्रपुर (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-एडZ.I/6509587-जीएन	1180025
383	जन शिक्षण संस्थान, नरसिंहपुर	एफ. 7-1/2014-एनएलएम-4/9561500	316500
384	जन शिक्षण संस्थान, नरसिंहपुर	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	794500
385	जन शिक्षण संस्थान, नरसिंहपुर	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	389000
386	जन शिक्षण संस्थान, नासिक (महाराष्ट्र)	एफ.21-2/2014-एनएलएम.1/25749590	726500
387	जन शिक्षण संस्थान, नासिक (महाराष्ट्र)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/6771500	210000

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
388	जन शिक्षण संस्थान, नासिक (महाराष्ट्र)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/8096351	563500
389	जन शिक्षण संस्थान, उत्तरी 24 परगना (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-एडि.2/4189231/एससी	501450
390	जन शिक्षण संस्थान, उत्तरी 24 परगना (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-एडि.2/6509587-जीएन	946050
391	जन शिक्षण संस्थान, नोपाड़ा ओडिशा	एफ.5-1/2014-एनएलएम.3	417970
392	जन शिक्षण संस्थान, नोपाड़ा ओडिशा	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/12558843	776944
393	जन शिक्षण संस्थान, नोपाड़ा ओडिशा	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	304978
394	जन शिक्षण संस्थान, पलक्कड़, केरल	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/19475726	1047003
395	जन शिक्षण संस्थान, पलक्कड़, केरल	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/7789096	400601
396	जन शिक्षण संस्थान, पानीपत	एफ.12-2/2014-एडि.2/6178380	374561
397	जन शिक्षण संस्थान, पानीपत	एफ.12-2/2014-एडि.2/13260809/जीएन	1105917
398	जन शिक्षण संस्थान, पाटन	एफ.21-2/2014-एनएलएम-1/25749590	1232500
399	जन शिक्षण संस्थान, पाटन	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/6771500	242000
400	जन शिक्षण संस्थान, पटेल नगर, पश्चिमी दिल्ली	एफ.12-2/2014-एडि.2/13260809/जीएन	974550
401	जन शिक्षण संस्थान, पटेल नगर, पश्चिमी दिल्ली	एफ.12-2/2014-एडि.2/6178380	525450
402	जन शिक्षण संस्थान, पथानामथिट्टा, केरल	एफ.5-1/2013-एनएलएम-II	1164507
403	जन शिक्षण संस्थान, पथानामथिट्टा, केरल	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/7789096	320500
404	जन शिक्षण संस्थान, पथानामथिट्टा, केरल	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/19475726	1167000
405	जन शिक्षण संस्थान, पीलीभीत (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	366500
406	जन शिक्षण संस्थान, पीलीभीत (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	957356
407	जन शिक्षण संस्थान, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	530000
408	जन शिक्षण संस्थान, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	899272
409	जन शिक्षण संस्थान, प्रयास, जहांगीरपुरी, दिल्ली	एफ.12-2/2014-एडि.2/13260809/जीएन	955709

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
410	जन शिक्षण संस्थान, प्रयास, जहांगीरपुरी, दिल्ली	एफ.12-2/2014-ई-2/6178380	515291
411	जन शिक्षण संस्थान, प्रयास, समस्तीपुर	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3	954471
412	जन शिक्षण संस्थान, प्रयास, समस्तीपुर	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	401875
413	जन शिक्षण संस्थान, पुणे	एफ.21-2/2014-एनएलएम-1/25749590	1354000
414	जन शिक्षण संस्थान, पुणे	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/6771500	296500
415	जन शिक्षण संस्थान, पुरी	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3	1029739
416	जन शिक्षण संस्थान, पुरी	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	431179
417	जन शिक्षण संस्थान, पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-ई-I/1545904-एसटी	446598
418	जन शिक्षण संस्थान, पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-ई-I/4189231/एससी	443010
419	जन शिक्षण संस्थान, पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)	एफ.24-1/2014-ई-I/6509587-जीएन	605531
420	जन शिक्षण संस्थान, रायबरेली उत्तर प्रदेश	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	716500
421	जन शिक्षण संस्थान, रायबरेली उत्तर प्रदेश	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	776800
422	जन शिक्षण संस्थान, रायचूर (कर्नाटक)	एफ.5-1/2014/एनएलएम-II/10162465-जीएन	604856
423	जन शिक्षण संस्थान, रायचूर (कर्नाटक)	एफ.5-1/2014/एनएलएम-II/4144324-एससी	456758
424	जन शिक्षण संस्थान, रायचूर (कर्नाटक)	एफ.5-1/2014/एनएलएम-II/1100084-एसटी	434319
425	जन शिक्षण संस्थान, रायगढ़	एफ.21-2/2014-एनएलएम-1/25749590	1151500
426	जन शिक्षण संस्थान, रायपुर	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3	791766
427	जन शिक्षण संस्थान, रायपुर	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/12558843	289214
428	जन शिक्षण संस्थान, रायपुर	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	377242
429	जन शिक्षण संस्थान, रायसेन (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	395000
430	जन शिक्षण संस्थान, रायसेन (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	732872
431	जन शिक्षण संस्थान, रायसेन (मध्य प्रदेश)	एफ. 7-1/2014-एनएलएम-4/9561500	369500
432	जन शिक्षण संस्थान, राजगढ़ (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/13621639-जीएन	976413

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
433	जन शिक्षण संस्थान, राजगढ़ (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/7621500-एससी	417000
434	जन शिक्षण संस्थान, राजनंदगांव	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3	566034
435	जन शिक्षण संस्थान, राजनंदगांव	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	229564
436	जन शिक्षण संस्थान, राजनंदगांव	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/12558843	606750
437	जन शिक्षण संस्थान, रांची (झारखंड)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3	455493
438	जन शिक्षण संस्थान, रांची (झारखंड)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	114498
439	जन शिक्षण संस्थान, रांची (झारखंड)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/12558843	929986
440	जन शिक्षण संस्थान, रंगारेड्डी (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/10787057-जीएन	1226500
441	जन शिक्षण संस्थान, रंगारेड्डी (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/3959321	414500
442	जन शिक्षण संस्थान, रंगारेड्डी (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II	109000
443	जन शिक्षण संस्थान, रतलाम (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/13621639-जीएन	575500
444	जन शिक्षण संस्थान, रतलाम (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/7621500-एससी	328500
445	जन शिक्षण संस्थान, रतलाम (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/4726000-एसटी	596000
446	जन शिक्षण संस्थान, रीवा (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/7621500-एससी	364500
447	जन शिक्षण संस्थान, रीवा (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/4726000-एसटी	303000
448	जन शिक्षण संस्थान, रीवा (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/13621639-जीएन	737412
449	जन शिक्षण संस्थान, रोहतक	एफ.12-2/2014-ईई-2/6178380	454184
450	जन शिक्षण संस्थान, रोहतक	एफ.12-2/2014-ईई-2/13260809/जीएन	1043292
451	जन शिक्षण संस्थान, राउरकेला (उड़ीसा)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3	261549
452	जन शिक्षण संस्थान, राउरकेला (उड़ीसा)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/12558843	1261191
453	जन शिक्षण संस्थान, राउरकेला (उड़ीसा)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	220922
454	जन शिक्षण संस्थान, साबरकांठा	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/8096351	470500
455	जन शिक्षण संस्थान, साबरकांठा	एफ.21-2/2014-एनएलएम-1/25749590	686439
456	जन शिक्षण संस्थान, साबरकांठा	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/6771500	207000
457	जन शिक्षण संस्थान, सागर (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	761057
458	जन शिक्षण संस्थान, सागर (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	496000

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
459	जन शिक्षण संस्थान, सागर (मध्य प्रदेश)	एफ. 7-1/2014-एनएलएम-4/9561500	227500
460	जन शिक्षण संस्थान, सहारनपुर उत्तर प्रदेश	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	973500
461	जन शिक्षण संस्थान, सहारनपुर उत्तर प्रदेश	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	526500
462	जन शिक्षण संस्थान, संबलपुर, ओडिशा	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/11563385-जीएन	358000
463	जन शिक्षण संस्थान, संबलपुर, ओडिशा	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/5429771-एससी	380500
464	जन शिक्षण संस्थान, संबलपुर, ओडिशा	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/2154660	761500
465	जन शिक्षण संस्थान, सतना (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014.एनएलएम-4/13621639-जीएन	308974
466	जन शिक्षण संस्थान, सतना (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/7621500-एससी	386000
467	जन शिक्षण संस्थान, सतना (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/4726000-एसटी	339000
468	जन शिक्षण संस्थान, सिहोर (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	495000
469	जन शिक्षण संस्थान, सिहोर (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	495000
470	जन शिक्षण संस्थान, सिहोर (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	734281
471	जन शिक्षण संस्थान, सिहोर (मध्य प्रदेश)	एफ. 7-1/2014.एनएलएम-4/9561500	247000
472	जन शिक्षण संस्थान, सेनापति	एफ.24-1/2014-ई-1/14795942	1272450
473	जन शिक्षण संस्थान, सेनापति	एफ.24-1/2014-ई-I/14795942-जीएन	227550
474	जन शिक्षण संस्थान, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	430500
475	जन शिक्षण संस्थान, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	621566
476	जन शिक्षण संस्थान, शाजापुर (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	895361
477	जन शिक्षण संस्थान, शाजापुर (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	528500
478	जन शिक्षण संस्थान, श्योपुर, एम.पी.	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	603783
479	जन शिक्षण संस्थान, श्योपुर, एम.पी.	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	400500
480	जन शिक्षण संस्थान, श्योपुर, एम.पी.	एफ. 7-1/2014-एनएलएम-4/9561500	494500
481	जन शिक्षण संस्थान, शिमोगा (कर्नाटक)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/7789096	396500
482	जन शिक्षण संस्थान, शिमोगा (कर्नाटक)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/19475726	1020500
483	जन शिक्षण संस्थान, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	1039891
484	जन शिक्षण संस्थान, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	454000

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
485	जन शिक्षण संस्थान, सिद्धार्थनगर (उत्तर प्रदेश)	एफ.43-36/2008-ईई-4/1839	598997
486	जन शिक्षण संस्थान, सीधी (मध्य प्रदेश)	एफ. 7-1/2014-एनएलएम-4/9561500	658500
487	जन शिक्षण संस्थान, सीधी (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	554063
488	जन शिक्षण संस्थान, सीधी (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	260000
489	जन शिक्षण संस्थान, सीकर (राजस्थान)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/9969222-जीएन	1012648
490	जन शिक्षण संस्थान, सीकर (राजस्थान)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/3048500/एससी	359000
491	जन शिक्षण संस्थान, सिल्वर (असम)	एफ.24-1/2014-ईई-I/14795942-जीएन	1107791
492	जन शिक्षण संस्थान, सिल्वर (असम)	एफ.24-1/2014-ईई-I/14795942-एससी	349790
493	जन शिक्षण संस्थान, सिंधुदुर्ग	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/9969222-जीएन	1247759
494	जन शिक्षण संस्थान, सिंधुदुर्ग	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/3048500/एससी	132500
495	जन शिक्षण संस्थान, सिरसा (हरियाणा)	एफ.12-2/2014-ईई-2/6178380	413305
496	जन शिक्षण संस्थान, सिरसा (हरियाणा)	एफ.12-2/2014.ईई-2/13260809/जीएन	567717
497	जन शिक्षण संस्थान, सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/13621639-जीएन	726000
498	जन शिक्षण संस्थान, सीतापुर (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/7621500-एससी	774000
499	जन शिक्षण संस्थान, शिवकाशी (तमिलनाडु)	एफ.5-1/2014/एनएलएम-II/10162465-जीएन	1039000
500	जन शिक्षण संस्थान, शिवकाशी (तमिलनाडु)	एफ.5-1/2014/एनएलएम-II/4144324-एससी	458000
501	जन शिक्षण संस्थान, सोनीपत	एफ.12-2/2014-ईई-2/13260809/जीएन	1065450
502	जन शिक्षण संस्थान, सोनीपत	एफ.12-2/2014-ईईZ.2/6178380	434550
503	जन शिक्षण संस्थान, सोनपुर (सरन) (बिहार)	एफ.5-1/2014-एनएलएम.3	1208178
504	जन शिक्षण संस्थान, सोनपुर (सरन) (बिहार)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	286424
505	जन शिक्षण संस्थान, सुब्रणापुर, ओडिशा	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/2154660	237778
506	जन शिक्षण संस्थान, सुब्रणापुर, ओडिशा	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/5429771-एससी	574425
507	जन शिक्षण संस्थान, सुब्रणापुर, ओडिशा	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/11563385-जीएन	670822
508	जन शिक्षण संस्थान, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	538000
509	जन शिक्षण संस्थान, सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	962000

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
510	जन शिक्षण संस्थान, सूरत	एफ.21-2/2014/एनएलएम-1/जीईएन	480446
511	जन शिक्षण संस्थान, सूरत	एफ.21-2/2014/,नएलएम-1/सटी	804500
512	जन शिक्षण संस्थान, सरगुजा, सी.जी.	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3	224720
513	जन शिक्षण संस्थान, सरगुजा, सी.जी.	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/12558843	1170780
514	जन शिक्षण संस्थान, सरगुजा, सी.जी.	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	102300
515	जन शिक्षण संस्थान, तंगदर, जम्मू और कश्मीर	एफ.12-2/2014-ई-2/13260809/जीएन	1100995
516	जन शिक्षण संस्थान, तंगदर, जम्मू और कश्मीर	एफ.12-2/2014-ई-2/6178380	184185
517	जन शिक्षण संस्थान, तंगदर, जम्मू और कश्मीर	एफ.12-2/2014-ई-2/1421474-एसटी	184773
518	जन शिक्षण संस्थान, टिहरी गढ़वाल (रानीचोरी) (उत्तरांचल)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/7621500.एससी	341000
519	जन शिक्षण संस्थान, टिहरी गढ़वाल (रानीचोरी) (उत्तरांचल)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/13621639-जीएन	836888
520	जन शिक्षण संस्थान, तिरुवनंतपुरम (केरल)	एफ.5-1 / 2014-एनएलएम-II/7789096	328000
521	जन शिक्षण संस्थान, तिरुवनंतपुरम (केरल)	एफ.5-1/2014.एनएलएम-II/19475726	1403500
522	जन शिक्षण संस्थान, तिरुवनंतपुरम (केरल)	एफ.13-1/2014-एनएलएम-II	527667
523	जन शिक्षण संस्थान, तिरुवनंतपुरम (केरल)	एफ.13-1/2014-एनएलएम.पू१2557218.जीएन	3417508
524	जन शिक्षण संस्थान, तिरुवरूर (तमिलनाडु)	एफ.5-1/2014/एनएलएम-II/10162465-जीएन	582421
525	जन शिक्षण संस्थान, तिरुवरूर (तमिलनाडु)	एफ.5-1/2014/एनएलएम-II/4144324-एससी	624398
526	जन शिक्षण संस्थान, थोबल (मणिपुर)	एफ.24-1/2014-ई.1/14795942-जीएन	1264050
527	जन शिक्षण संस्थान, थोबल (मणिपुर)	एफ.24-1/2014-ई.1/14795942-एससी	235950
528	जन शिक्षण संस्थान, त्रिशूर (केरल)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/19475726	1201500
529	जन शिक्षण संस्थान, त्रिशूर (केरल)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/7789096	294500
530	जन शिक्षण संस्थान, टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	590500
531	जन शिक्षण संस्थान, टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)	एफ. 7-1/2014-एनएलएम-4/9561500	101000
532	जन शिक्षण संस्थान, टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-,नएलएम-4/58078870	808096

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
533	जन शिक्षण संस्थान, तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु)	एफ.5-1/2014/एनएलएम-II/10162465-जीएन	1010000
534	जन शिक्षण संस्थान, तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु)	एफ.5-1/2014/,नएलएम-II/4144324-,ससी	467500
535	जन शिक्षण संस्थान, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-,नएलएम-II/19475726	947698
536	जन शिक्षण संस्थान, तिरुपति (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-,नएलएम-II/7789096	451660
537	जन शिक्षण संस्थान, तुमकुर (कर्नाटक)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/2764549	181143
538	जन शिक्षण संस्थान, तुमकुर (कर्नाटक)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/19475726	861292
539	जन शिक्षण संस्थान, तुमकुर (कर्नाटक)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/7789096	438297
540	जन शिक्षण संस्थान, उज्जैन (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-,नएलएम-4/13621639-पीएन	636904
541	जन शिक्षण संस्थान, उज्जैन (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-,नएलएम-4/7621500-,ससी	593000
542	जन शिक्षण संस्थान, उमरिया (मध्य प्रदेश)	एफ. 7-1/2014-एनएलएम-4/9561500	968500
543	जन शिक्षण संस्थान, उमरिया (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-,नएलएम-4	152500
544	जन शिक्षण संस्थान, उमरिया (मध्य प्रदेश)	एफ.7-1/2014-,नएलएम-4/58078870	371138
545	जन शिक्षण संस्थान, उन्नाव (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-,नएलएम-4/1867356	735356
546	जन शिक्षण संस्थान, उन्नाव (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/एससी	738000
547	जन शिक्षण संस्थान, बडोदरा	एफ.21-2/2014-एनएलएम-1/25749590	855000
548	जन शिक्षण संस्थान, बडोदरा	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/6771500	163500
549	जन शिक्षण संस्थान, बडोदरा	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/8096351	731500
550	जन शिक्षण संस्थान, वलसाड	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/8096351	825615
551	जन शिक्षण संस्थान, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	329000
552	जन शिक्षण संस्थान, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	762239
553	जन शिक्षण संस्थान, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/13621639-जीएन	1171000
554	जन शिक्षण संस्थान, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/7621500-एससी	329000
555	जन शिक्षण संस्थान, विद्यानगर, आदिलबाद (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/19475726	639794
556	जन शिक्षण संस्थान, विद्यानगर, आदिलबाद (आंध्रप्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/7789096	453393

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
557	जन शिक्षण संस्थान, विद्यानगर, आदिलबाद (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/2764549	390106
558	जन शिक्षण संस्थान, विजयवाड़ा, (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/7789096	482677
559	जन शिक्षण संस्थान, विजयवाड़ा, (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/19475726	1123061
560	जन शिक्षण संस्थान, विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II	400500
561	जन शिक्षण संस्थान, विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/3959321	219000
562	जन शिक्षण संस्थान, विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/10787057-जीएन	1130500
563	जन शिक्षण संस्थान, वाशिम	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/8096351	166500
564	जन शिक्षण संस्थान, वाशिम	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/25749590	942000
565	जन शिक्षण संस्थान, वाशिम	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/6771500	391500
566	जन शिक्षा.I संस्थान, वर्ली, मुंबई (महाराष्ट्र)	एफ.21-2/2014-एनएलएम.३3048500एससी	112000
567	जन शिक्षा.I संस्थान, वर्ली, मुंबई (महाराष्ट्र)	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/9969222-जीएन	1868000
568	जन शिक्षण संस्थान, यवतमाल	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/9969222-जीएन	656994
569	जन शिक्षण संस्थान, यवतमाल	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I/3048500/एससी	254500
570	जन शिक्षण संस्थान, यवतमाल	एफ.21-2/2014-एनएलएम-I(एसटी)	466000
571	जन शिक्षण संस्थान, अदरी पटना बिहार	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/11563385-जीएन	1074323
572	जन शिक्षण संस्थान, अदरी पटना बिहार	सीपी-5-1/2014-एनएलएम-III/5429771-एससी	345069
573	जन शिक्षण संस्थान, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/12558843	485468
574	जन शिक्षण संस्थान, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3/8400950	445920
575	जन शिक्षण संस्थान, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-3	568512
576	जन शिक्षा.I संस्थान, चमोली (उत्तरांचल)	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	435000
577	जन शिक्षा.I संस्थान, चमोली (उत्तरांचल)	एफ.7-1/2014-एनएलएम.4/58078870	992000
578	जन शिक्षण संस्थान, वारंगल (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/19475726	746083
579	जन शिक्षण संस्थान, वारंगल (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/7789096	411238

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
580	जन शिक्षण संस्थान, वारंगल (आंध्र प्रदेश)	एफ.5-1/2014-एनएलएम-II/2764549	330876
581	जन शिक्षण संस्थान ज्योतिबा फूले नगर	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4/58078870	1085500
582	जन शिक्षण संस्थान ज्योतिबा फूले नगर	एफ.7-1/2014-एनएलएम-4	414500
583	झारखंड महिला सामाख्या सोसाइटी	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/एससी	591815
584	झारखंड महिला सामाख्या सोसाइटी	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/जीईएन	2050639
585	झारखंड महिला सामाख्या सोसाइटी	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/एसटी	316621
586	स्वास्थ्य और शैक्षिक विकास सोसायटी (हैदराबाद)	एफ.13-1/2014-एनएलएम-II	531972
587	प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत शिक्षा, अंतरिक्ष, हैदराबाद के लिए एसआरसी	एफ.13-1/2014-एनएलएम-II/12557218-जीएन	3445390
588	प्रौढ़ शिक्षा एवं सतत शिक्षा, अंतरिक्ष, हैदराबाद के लिए एसआरसी	एफ.13-1/2014-एनएलएम-II/3634018-एससी	994341
589	एसआरसीए एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान, पटना	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/14575428-जीएन	2908581
590	एसआरसी, एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान, पटना	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/4206474	839418
591	एसआरसीए एशियाई विकास अनुसंधान संस्थान, पटना	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/2250462-एसटी	449088
592	एसआरसी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	एफ.13-2/2014-ई.2/1029245-एसटी	374500
593	एसआरसी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	एफ.13-2/2014-ई.2/1923822	700000
594	एसआरसी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	एफ.13-2/2014-ई.2/6666045-जीएन	2425500
595	एसआरसी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	एफ.13-3/2013-ई.2-19504482	3500000
596	एसआरसी, नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग, पूर्वी खासी	एफ.21-1/2014-ई.1/1583334-एसटी	521625
597	एसआरसीए नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग, पूर्वी खासी	एफ.21-1/2014-ई.1/10254674-जीएन	3378374

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
598	एसआरसी, नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग, पूर्वी खासी	एफ.21-1/2014-ई.आई/2959503-एससी	975000
599	राज्य संसाधन केंद्र, रायगढ़।	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/2250462-एसटी	374500
600	राज्य संसाधन केंद्र, रायगढ़।	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/4206474	700000
601	राज्य संसाधन केंद्र, रायगढ़।	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/14575428-जीएन	2425500
602	राज्य संसाधन प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा केन्द्र	एफ.13-1/2014-एनएलएम-II/12557218-जीएन	1952189
603	राज्य संसाधन प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा केन्द्र	एफ.13-1/2014-एनएलएम-II/3634018-एससी	563403
604	राज्य संसाधन प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा केन्द्र	एफ.13-1/2014-एनएलएम-II	301420
605	राज्य संसाधन केन्द्र अगरतला	एफ.21-1/2014-ई.आई/1583334-एसटी	163513
606	प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र (एसआरसी) भोपाल	एफ.8-1/2014-एनएलएम-4/11462807	2183138
607	प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र (एसआरसी) भोपाल	एफ.8-1/2014-एनएलएम-4/3308169-एससी	630054
608	प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र (एसआरसी) भोपाल	एफ.8-1/2014-एनएलएम-4/1769871-एसटी	337079
609	राज्य संसाधन केन्द्र, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	एफ.21-1/2014-ई.आई/246	447930
610	राज्य संसाधन केन्द्र, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	एफ.21-1/2014-ई.आई/247	2901080
611	राज्य संसाधन केन्द्र, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)	एफण्ड21.1६2014.ई.ईण्ड248	837252
612	राज्य संसाधन केन्द्र, अहमदाबाद (गुजरात)	एफ.22-1/2014-एनएलएम-I/एससी	684989
613	राज्य संसाधन केन्द्र, अहमदाबाद (गुजरात)	एफ.22-1/2014-एनएलएम-I/एसटी	366469
614	राज्य संसाधन केन्द्र, अहमदाबाद (गुजरात)	एफ.22-1/2014-एनएलएम-I/जीईएन	2373486
615	राज्य संसाधन केन्द्र, असम	एफ.21-1/2014-ई.आई/1583334-एसटी	534848
616	राज्य संसाधन केन्द्र, असम	एफ.21-1/2014-ई.आई/2959503-एससी	999715
617	राज्य संसाधन केन्द्र, असम	एफ.21-1/2014-ई.आई/10254674-जीएन	3464014
618	राज्य संसाधन केन्द्र, औरंगाबाद	एफ.22-1/2014-एनएलएम-I/एसटी	374500
619	राज्य संसाधन केन्द्र, औरंगाबाद	एफ.22-1/2014-एनएलएम-I/एससी	700000

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
620	राज्य संसाधन केन्द्र, औरंगाबाद	एफ.22-1/2014-एनएलएम-I/जीईएन	2425500
621	राज्य संसाधन केन्द्र, भरुच, गुजरात।	एफ.22-1/2012-एनएलएम-I/858	1732500
622	राज्य संसाधन केन्द्र, भरुच, गुजरात।	एफ.22-1/2012-एनएलएम-I/859	500000
623	राज्य संसाधन केन्द्र, भरुच, गुजरात।	एफ.22-1/2012-एनएलएम-I/860	267500
624	राज्य संसाधन केन्द्र, भरुच, गुजरात।	एफ.22-1/2014-एनएलएम-1/एससी	700000
625	राज्य संसाधन केन्द्र, भरुच, गुजरात।	एफ.22-1/2014-एनएलएम-1/जीईएन	2425500
626	राज्य संसाधन केन्द्र, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/जीईएन	1508993
627	राज्य संसाधन केन्द्र, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/एससी	435496
628	राज्य संसाधन केन्द्र, भुवनेश्वर (उड़ीसा)	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/एसटी	232990
629	राज्य संसाधन केन्द्र, दीपायतन, पटना	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/14575428-जीएन	3465000
630	राज्य संसाधन केन्द्र, दीपायतन, पटना	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/4206474	1000000
631	राज्य संसाधन केन्द्र, दीपायतन, पटना	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/2250462-एसटी	535000
632	राज्य संसाधन केन्द्र, देहरादून (उत्तरांचल)	एफ.8-1/2014-एनएलएम-4/11462807	3365439
633	राज्य संसाधन केन्द्र, देहरादून (उत्तरांचल)	एफ.8-1/2014-एनएलएम-4/3308169-एससी	971267
634	राज्य संसाधन केन्द्र, इंदौर (मध्य प्रदेश)	एफ.8-1/2014-एनएलएम-4/11462807	2449229
635	राज्य संसाधन केन्द्र, जयपुर	एफ.22-1/2014-एनएलएम-I	525514
636	राज्य संसाधन केन्द्र, जयपुर	एफ.22-1/2014-एनएलएम-1/एससी	982268
637	राज्य संसाधन केन्द्र, जोधपुर (राजस्थान)	एफ.22-1/2014-एनएलएम-I	352439
638	राज्य संसाधन केन्द्र, जोधपुर (राजस्थान)	एफ.22-1/2014-एनएलएम-1/जीईएन	2282621
639	राज्य संसाधन केन्द्र, जोधपुर (राजस्थान)	एफ.22-1/2014-एनएलएम-1/एससी	658765
640	राज्य संसाधन केन्द्र, लखनऊ	एफ.8-1/2014-एनएलएम-4/3308169-एससी	1000000
641	राज्य संसाधन केन्द्र, मैसूर (कर्नाटक)	एफ.13-1/2014-एनएलएम-II/3634018-एससी	441012
642	राज्य संसाधन केन्द्र, मैसूर (कर्नाटक)	एफ.13-1/2014-एनएलएम-II	235941
643	राज्य संसाधन केन्द्र, नाहरलगून (अरुणाचल प्रदेश)	एफ.21-1/2014-ई.1/1583334-एसटी	363348
644	राज्य संसाधन केन्द्र, नाहरलगून (अरुणाचल प्रदेश)	एफ.21-1/2014-ई.1/10254674-जीएन	2353270

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	संस्वीकृति सं.	जारी राशि
645	राज्य संसाधन केन्द्र, नाहरलगून (अरुणाचल प्रदेश)	एफ.21-1/2014-ई.1/2959503-एससी	679155
646	राज्य संसाधन केन्द्र, नंदवनम, तिरुवनंतपुरम (केरल)	एफ.13-1/2014-एनएलएम-II/3634018-एससी	986294
647	राज्य संसाधन केन्द्र, पुणे	एफ.22-1/2014-एनएलएम-I/एसटी	534990
648	राज्य संसाधन केन्द्र, पुणे	एफ.22-1/2014-एनएलएम-I/जीईएन	3464935
649	राज्य संसाधन केन्द्र, पुणे	एफ.22-1/2014-एनएलएम-I/एससी	999981
650	राज्य संसाधन केन्द्र, रायपुर	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/4206474	964687
651	राज्य संसाधन केन्द्र, रायपुर	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/2250462-एसटी	516107
652	राज्य संसाधन केन्द्र, रायपुर	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/14575428-जीएन	3342638
653	राज्य संसाधन केन्द्र, रांची (झारखंड)	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/14575428-जीएन	2433709
654	राज्य संसाधन केन्द्र, रांची (झारखंड)	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/2250462-एसटी	375767
655	राज्य संसाधन केन्द्र, रांची (झारखंड)	एफ.5-2/2014-एनएलएम-3/4206474	702369
656	राज्य संसाधन केन्द्र, शिवालिक सदन, इंजन घर, सनजूली, शिमला (हिमाचल प्रदेश)	एफ.13-2/2014-ई.2/1029245-एसटी	128400
657	राज्य संसाधन केन्द्र, शिवालिक सदन, इंजन घर, सनजूली, शिमला (हिमाचल प्रदेश)	एफ.13-2/2014-ई.2/1923822	240000
658	राज्य संसाधन केन्द्र, शिवालिक सदन, इंजन घर, सनजूली, शिमला (हिमाचल प्रदेश)	एफ.13-2/2014-ई.2/6666045-जीएन	831600
659	राज्य संसाधन केन्द्र, विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)	एफ.13-1/2014-एनएलएम-II/3634018-एससी	638968
660	राज्य संसाधन केन्द्र, विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)	एफ.13-1/2014-एनएलएम-II/12557218-जीएन	2214024
661	राज्य संसाधन केन्द्र, विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)	एफ.13-1/2014-एनएलएम-II	341848

उच्चतर शिक्षा विभाग

गैर सरकारी संघों को 01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि में 1.00 लाख से अधिक जारी किए गए अनुदान के व्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	स्वीकृति सं.	जारी की गई राशि
1	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय (रांची)	एफ.5-5/2014-टीएस.VII/9765000-जीएन	488250
2	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय (रांची)	एफ.5-5/2014-टीएस.VII/21555000-एसटी	1077750
3	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय (रांची)	एफ.5-5/2014-टीएस.VII/43110000	2155500
4	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय (रांची)	एफ.5-5/2014-टीएस.VII/222735000/जीएन	11136750
5	सभ्यता अध्ययन केंद्र (सीएससी), नई दिल्ली	एफ.7-1/2014-यू.3/1329	281500
6	सभ्यता अध्ययन केंद्र (सीएससी), नई दिल्ली	एफ.7-1/2014-यू.3(3)	563000
7	सभ्यता अध्ययन केंद्र (सीएससी), नई दिल्ली	एफ.7-1/2014-यू.3/760	2587186
8	सभ्यता अध्ययन केंद्र (सीएससी), नई दिल्ली	एफ.7-1/2014-यू.3/759	281000
9	सभ्यताओं अध्ययन केन्द्र	एफ.7-1/2014-यू.3(3)	562000
10	सभ्यताओं अध्ययन के लिए केन्द्र	एफ.7-1/2014-यू.3(1)	2906500
11	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (दिल्ली)	एफ.17-2/2014-यू.5/1000	1095649

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सारांश

क्र.स.	संस्थाओं/संघों का नाम	की गई टिप्पणियां
1.	आईआईटी के लिए स्थायी अवसंरचना स्थापित करने में परिहार्य विलम्ब	भारत सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में आठ नए आईआईटी स्थापित करने का निर्णय लिया। इस प्रयोजनार्थ मंत्रिमंडल का अनुमोदन जुलाई, 2008 में प्रदान किया गया था। तथापि, परियोजनाओं के पूरा होने में क्रम प्रपात विलम्ब के कारण परियोजना के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सका। (पैरा 9.1)
2.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय अधिक पुस्तकों के प्रकाशन पर अनुत्पादन खर्च	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने बिना बिके प्रकाशनों की प्रवृत्ति का ज्ञान लिए बिना, शब्दकोषों और वार्तालाप बुकलेट की 1000 प्रतियां जिसे लेने वाले बहुत कम थे का मुद्रण जारी रखा। इसके कारण 2.22 करोड़ के इन प्रकाशनों का इतना अधिक संचय हुआ। (पैरा सं. 9.2)
3.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद—ब्याज की हानि	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अन्य बैंकों द्वारा प्रदान किए ब्याजों की प्रचलित दरों का पता लगाए बिना पटियाला स्टेट बैंक के साथ सावधि जमा में 217 करोड़ रुपये निवेश किए जिसके कारण 3.21 करोड़ रुपये के ब्याज की हानि हुई। (पैरा. 9.3)

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा
तीन के अन्तर्गत घोषित की गई सम-विश्वविद्यालय संस्थाओं की सूची**

क्र.सं.	सम-विश्वविद्यालय	सम-विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख
आंध्र प्रदेश		
1.	गांधी प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान (जीआईटीएएम), गांधी नगर कैम्पस, रुशीकोंडा, विशाखापटनम - 530 045, एपी	13.08.2007
2.	अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सर्वे नं 25, गाचीबोवली, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद -500 032, आंध्र प्रदेश	21.08.2001
3.	आईसीएफआई उच्चतर शिक्षा प्रतिष्ठान, प्लॉट नं 52, दूसरा तल, नागार्जुन हिल्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500982, आंध्र प्रदेश	16.12.2008
4.	कोनेरु लक्ष्मय्या शिक्षा प्रतिष्ठान, ग्रीनफील्ड, कुनचनपल्ली पोस्ट, वदेश्वरम, गूंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	20.02.2009
5.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति-517 507, आंध्र प्रदेश	16.11.1987
6.	श्री सत्यसाई उच्च अध्ययन संस्थान, प्रशांतिनिलायम- 515 134, जिला-अनन्तपुर, आंध्र प्रदेश	10.11.1981
7.	विगनान विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान प्रतिष्ठान, वादलामूडी, गूंटूर जिला, आंध्र प्रदेश-522313.	19.12.2008
अरुणाचल प्रदेश		
8.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, निरजूली, ईटानगर, जिला - पपुम पारे - 791 109, अरुणाचल प्रदेश।	31.05.2005
बिहार		
9.	बिहार योग भारती, गंगा दर्शन, फोर्ट, मुंगेर - 811 201, बिहार	07.06.2000
10.	नव नालंदा महाविहार, नालंदा - 803 111 (बिहार)	13.11.2006
चंडीगढ़		
11.	पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सेक्टर - 12, चंडीगढ़-160 012	16.10.2003
दिल्ली		
12.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा संस्थान, पूसा, नई दिल्ली -110 012	22.08.1958
13.	भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, बी -21, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली -110 016	20.05.2002
14.	भारतीय विधि संस्थान, भगवानदास रोड, नई दिल्ली -110 001	29.10.2004
15.	लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस), डी 1, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110 070	10.07.2009
16.	जामिया हमदर्द, हमदर्द नगर, नई दिल्ली -110 062	10.05.1989
17.	राष्ट्रीय कला, संरक्षण और संगीत विद्या इतिहास संग्रहालय संस्थान, राष्ट्रीय संग्रहालय, जनपथ, नई दिल्ली -110 011	28.04.1989
18.	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, 17-बी, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली-110 016	11.08.2006

क्र.सं.	सम-विश्वविद्यालय	सम-विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख
19.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56, 57, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली -110 058।	07.05.2002
20.	योजना एवं वास्तुकला स्कूल, इंद्रप्रस्थ एस्टेट, ब्लॉक-बी, नई दिल्ली -110 002	27.12.1979
21.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110 016	16.11.1987
22.	टेरी उच्च अध्ययन स्कूल, दरबारी सेठ ब्लॉक, हैबीटेट प्लेस, लोधी रोड, नई दिल्ली -110 003	05.10.1999
गुजरात		
23.	गुजरात विद्यापीठ, पीओ नवजीवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 014, गुजरात।	16.07.1963
24.	सुमनद्वीप विद्यापीठ, ग्राम - पिपरिया, तालुका वडोडिया, जिला - वडोदरा, गुजरात।	17.01.2007
हरियाणा		
25.	लिंगया विश्वविद्यालय, नाचोली, पुराना फरीदाबाद-जासना रोड, फरीदाबाद-121 002	05.01.2009
26.	मार्केंडेश्वर महर्षि युनिवर्सिटी, मुल्लाना, अंबाला, हरियाणा।	12.06.2007
27.	मानव रचना अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, हरियाणा	21.10.2008
28.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, शंघाई सहयोग संगठन, 5, 6, 7, सेक्टर 15 (2), राष्ट्रीय राजमार्ग 8, गुडगांव, हरियाणा-122 050।	20.05.2002
29.	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल-132 001, हरियाणा।	28.03.1989
30.	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम) प्लॉट सं. 97, सेक्टर 56, एचएसआईआईडीसी औद्योगिक एस्टेट, कुंडली, जिला- सोनीपत, हरियाणा।	08.05.2012
झारखंड		
31.	बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा, रांची-835 215, झारखंड।	28.08.1986
32.	इंडियन स्कूल आफ माईंस, धनबाद-826 004, झारखंड।	18.09.1967
कर्नाटक		
33.	बी.एल.डी.ई. विश्वविद्यालय, बीजापुर, कर्नाटक	29.02.2008
34.	क्राईस्ट विश्वविद्यालय, होसुर रोड, बंगलौर - 560 029, कर्नाटक।	22.07.2008
35.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर 560 012, कर्नाटक।	12.05.1958
36.	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, 26/सी, निकट इन्फोसिस (गेट-1), इलेक्ट्रॉनिक सिटी, होसुर रोड, बंगलौर - 560 100, कर्नाटक।	28.02.2005
37.	जगतगुरु श्री शिवरत्नेश्वरा विश्वविद्यालय, जगतगुरु डॉ. श्री शिवगोथ राजेन्द्र सर्कल रामानुजा रोड, मैसूर-570 0024, कर्नाटक।	17.08.2002
38.	जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, परिसर, जाकुर, बंगलौर-560 064, कर्नाटक।	28.05.2008
38.	जवाहर लाल नेहरू उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, जाकुर, बंगलौर-570 004, कर्नाटक।	28.05.2008
39.	जैन युनिवर्सिटी, 91/2, डॉ ए.एन. कृष्णा राव रोड, वी.वी. पुरम, बंगलौर, कर्नाटक।	19.12.2008
40.	के.एल.ई. उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, जे,न मेडिकल कॉलेज कैम्पस, बेलगाम (कर्नाटक)	13.04.2006
41.	मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, माधव नगर, उडुपी, मणिपाल-576, 104, कर्नाटक।	01.06.1993
42.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, पोस्ट बॉक्स नंबर 2900, होसुर रोड, बंगलौर 560 029, कर्नाटक।	14.11.1994

क्र.सं.	सम-विश्वविद्यालय	सम-विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख
43.	निटे युनिवर्सिटी, मंगलोर 575 003, कर्नाटक	04.06.2008
44.	श्री देवराज उर्स उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, बी.एच. रोड, तमका, कोलार-563 101, कर्नाटक	25.05.2007
45.	श्री सिद्धार्थ उच्च शिक्षा अकादमी, तुमकर जिला, कर्नाटक -572 102	30.05.2008
46.	स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, संख्या-9, अप्पाजप्पा अगरहरा, चमराजपेट, बंगलौर- 560 018, कर्नाटक।	08.05.2002
47.	येनेपोय विश्वविद्यालय, मंगलौर, कर्नाटक	27.02.2008
केरल		
48.	केरल कलामंडलम, वल्लथोल नगर, चेरुथुरुथी-679531 द्वारा त्रिशूर, केरल	14.03.2006
49.	भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम, केरल	03.07.2008
मध्य प्रदेश		
50.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, गोला का मंदिर, ग्वालियर - 474 005, मध्य प्रदेश	26.03.2001
51.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा, संस्थान, शक्ति नगर, ग्वालियर-474 002, मध्य प्रदेश	21.09.1995
52.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, डिजाइन एवं विनिर्माण, आईटी भवन, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश।	24.06.2009
महाराष्ट्र		
53.	भारती विद्यापीठ, भारती विद्यापीठ भवन, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुणे-411 030, महाराष्ट्र।	26.04.1996
54.	केन्द्रीय मत्स्य पालन शिक्षा संस्थान, मत्स्य यूनिवर्सिटी रोड, 7 बंगला, अंधेरी पश्चिम, मुंबई -400 061, महाराष्ट्र।	27.03.1989
55.	डी.वाई. पाटिल, एजुकेशनल सोसायटी, लाईन बाजार, कस्बा, बवाड़ा, कोल्हापुर - 416 006, (महाराष्ट्र)	31.05.2005
56.	दत्ता मेघे मेडिकल साइंसेज संस्थान, अत्रे लेआउट, प्रताप नगर, नागपुर-440 022 (महाराष्ट्र)।	24.05.2005
57.	डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एवं अनुसंधान संस्थान, पुणे-411 006, महाराष्ट्र।	05.03.1990
58.	डॉ. डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे-411 018, महाराष्ट्र।	11.01.2003
59.	गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र संस्थान, बीएमसी कॉलेज रोड, डेक्कन जिमखाना, पुणे-411 004, महाराष्ट्र।	07.05.1993
60.	होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, रजि कार्यालय: ज्ञान प्रबंधन समूह, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, केन्द्रीय परिसर, मुंबई -400 085, महाराष्ट्र।	03.06.2005
61.	इंदिरा गांधी डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जनरल वैद्य मार्ग, संतोष नगर, गोरेगांव पूर्व, मुंबई -400 065, महाराष्ट्र।	05.12.1995
62.	आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान, गिरीनगर, पुणे-411 025, महाराष्ट्र	10.09.1999
63.	अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, गोवन्दी स्टेशन रोड, दयोनार, मुंबई -400 088, महाराष्ट्र।	31.07.1985
64.	रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, नाथालाल पारेख मार्ग, माटुंगा, मुंबई, महाराष्ट्र -400 019	12.09.2008
65.	कृष्णा मेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूट, मल्का पुर, कराड, जिला सतारा - 415 (एम.एस.)।	24.05.2005

क्र.सं.	सम-विश्वविद्यालय	सम-विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख
66.	एमजीएम स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, एमजीएम परिसर, सेक्टर – 18, कमोटे, नवी मुंबई 410 209 (एमएस)	30.08.2006
67.	नरसी मोंजी मैनेजमेंट स्टडीज इंस्टीट्यूट, वीएल मेहता रोड, विले पार्ले पश्चिम, मुंबई-400 056, महाराष्ट्र	13.01.2003
68.	पद्मश्री डॉ. डी.वाई. पाटील विद्यापीठ, विद्या नगर, सेक्टर 7, नेरुल, नवी मुंबई-400 706, महाराष्ट्र ।	20.06.2002
69.	प्रवर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, पीओ-लोनी बीके-413 736, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र ।	29.09.2003
70.	सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, सेनापति बापट रोड, पुणे 411 004, महाराष्ट्र ।	06.05.2002
71.	टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, होमी भाभा रोड, मुंबई-400 005, महाराष्ट्र ।	07.05.2002
72.	टाटा समाज विज्ञान संस्थान, वी.एन. पूर्व मार्ग, दयोनार, मुंबई-400 088, महाराष्ट्र ।	29.04.1964
73.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, विद्यापीठ भवन, गुलटेकेडी, पुणे-411 037, महाराष्ट्र ।	28.04.1987
उड़ीसा		
74.	कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, एटी/पीओ केआईआईटी पटिया, खुर्दा, भुवनेश्वर-751 024, उड़ीसा ।	26.06.2002
75.	शिक्षा 'ओ' अनुसन्धान, जे-15, खंडगिरि, भुवनेश्वर, उड़ीसा – 751 030	17.07.2007
पंजाब		
76.	संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, (एसएलआईटी), लोंगोवाल, जिला संगरूर 148106, पंजाब	10.04.2007
77.	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलोजी, थापर प्रौद्योगिकी कैम्पस, भड़सन रोड, पटियाला-147 004, पंजाब ।	30.12.1985
पांडिचेरी		
78.	श्री बालाजी विद्यापीठ, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कैम्पस, पॉन्डी-कुड्डालोर मेन रोड, पिल्लायारकुप्पम, पांडिचेरी – 607 402	04.08.2008
राजस्थान		
79.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली-304 022, राजस्थान ।	25.10.1983
80.	बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, पिलानी-333 031, राजस्थान ।	27.06.1964
81.	शिक्षा में उच्च अध्ययन संस्थान, गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर – 331 401, जिला चुरू, राजस्थान ।	25.06.2002
82.	आई.आई.एस. विश्वविद्यालय, गुरुकुल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान ।	02.02.2009
83.	जैन विश्व भारती संस्थान, बॉक्स नंबर 6, लाडनू, नागौर –341 306, राजस्थान ।	20.03.1991
84.	जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर – 331 401, राजस्थान ।	12.01.1987
85.	एलएनएम सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्राम – रूपा की नांगल, पोस्ट – सूमेल, वाया कनोता, जिला – जयपुर – 303 012 (राजस्थान) ।	03.02.2006
86.	मोदी इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर – 332 311, (राजस्थान) ।	20.02.2004
तमिलनाडु		

क्र.सं.	सम-विश्वविद्यालय	सम-विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख
87.	समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी, 5107, एच 2, दूसरा एवेन्यू, पहला तल, अन्ना नगर, चेन्नई - 600 0 40	21.08.2007
88.	अमृता विश्व विद्यापीठम्, ईट्टीमडाई पोस्ट, कोयंबटूर-641 105, तमिलनाडु।	13.01.2003
89.	अविनाशी लिंगम महिला गृह विज्ञान और उच्च शिक्षा संस्थान, भारती पार्क रोड, कोयंबटूर-641 043, तमिलनाडु।	08.06.1988
90.	भारथ उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, 173, अघराम रोड, सेलाईयूर, चेन्नई-600 073, तमिलनाडु।	04.07.2002
91.	बी.एस. अब्दुर रहमान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, वंदालूर, चेन्नई, तमिलनाडु।	16.12.2008
92.	चेन्नई गणितीय संस्थान, प्लॉट एच 1, सिपकाट आईटी पार्क, पदूर पोस्ट, सिरुसेरी- 603 103, चेन्नई (तमिलनाडु)	15.12.2006
93.	चेत्तीनाद अनुसंधान और शिक्षा अकादमी (सीएआरई), पदूर, केलाभलवाम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु।	04.08.2008
94.	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, गांधीग्राम, डिंडीगुल -624 302, तमिलनाडु।	03.08.1976
95.	हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एचआईटीएस), पदूर, ओल्ड महाबलीपुरम रोड, केलाबलवाम, कांचीपुरम जिला। (तमिलनाडु)।	05.05.2008
96.	कलासालिंगम अनुसंधान और उच्च शिक्षा अकादमी, आनंद नगर, कृष्णाकोईल, विरुधुनगर- 626190 द्वारा श्रीविल्लीपुथरूर, तमिलनाडु।	20.10.2006
97.	करुन्या प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, करुन्या नगर, कोयंबटूर-641 114 (तमिलनाडु)।	23.06.2004
98.	कर्पागम उच्च शिक्षा अकादमी, पोलाची मेन रोड, कोयंबटूर, तमिलनाडु।	25.08.2008
99.	एम.जी.आर. शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान, पेरियार ईवीआर सलाई (एनएच 4 राजमार्ग), मदुरावोयल, चेन्नई-600 095, तमिलनाडु।	21.01.2003
100.	मीनाक्षी उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी, नं 12, वेमबुली अम्मान कोइल स्ट्रीट, पश्चिम के.के. नगर, चेन्नई-600 078, तमिलनाडु।	31.03.2004
101.	नूरुल इस्लाम उच्च शिक्षा केन्द्र, कुमाराकोइल तुकले, जिला- कन्याकुमारी, तमिलनाडु - 629 175	08.12.2008
102.	पेरियार मैनिथामाई विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (पीएमआईएसटी), पेरियार नगर, वल्लम, तंजावुर -613 403, तमिलनाडु	17.08.2007
103.	पॉनैयाह रामाजयम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (प्रिस्ट), यगप्पा चावडी, तंजावुर-614 904, तमिलनाडु	04.01.2008
104.	एस.आर.एम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, 2, वीरास्वामी स्ट्रीट, पश्चिम मामबलाम, चेन्नई-600 033, तमिलनाडु।	02.08.2002
105.	सत्यभामा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जप्पयार नगर, ओल्ड ममालपुरम रोड, चेन्नई - 600119, (तमिलनाडु)।	16.07.2001
106.	सविता चिकित्सा और तकनीकी विज्ञान संस्थान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6 नं 162, पूनामल्ले हाई रोड, वेलापंचावडी, चेन्नई-600 077 (तमिलनाडु)।	18.03.2005
107.	सनमुघा आर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च अकादमी (सस्त्र),	26.04.2001

क्र.सं.	सम-विश्वविद्यालय	सम-विश्वविद्यालय के रूप में अधिसूचना की तारीख
	तिरुमलाई समुद्रम, तंजावुर – 613 402, तमिलनाडु।	
108.	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, श्री जयेंद्र सरस्वती स्ट्रीट, ऐनाथुर, कांचीपुरम-631 561, तमिलनाडु।	26.05.1993
109.	श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, 1, रामचंद्र नगर, चेन्नई-600 116।	29.09.1994
110.	सेंट पीटर उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, अवादी, चेन्नई-600054 तमिलनाडु।	26.05.2008
111.	वेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं उच्च अध्ययन संस्थान (विआईएसटीएस), पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु	04.06.2008
112.	वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान, वेल्लोर – 632 014 (तमिलनाडु)।	19.06.2001
113.	विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन, संकरी मणि रोड, एनएच 47, अर्यानूर, सलेम-636 308, तमिलनाडु।	01.03.2001
114.	वेल टेक रंगराजन डॉ सगूनथला अनुसंधान एवं विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु।	15.10.2008
उत्तर प्रदेश		
115.	सैम हिंगिनबोटम कृषि, प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, पीओ कृषि संस्थान, इलाहाबाद- 211 007, उत्तर प्रदेश।	15.03.2000
116.	भातखंडे संगीत संस्थान, 1 कैसर बाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।	24.10.2000
117.	केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी-221 007, उत्तर प्रदेश।	05.04.1988
118.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा-282 005, उत्तर प्रदेश।	16.05.1981
119.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान देवघाट, झालवा, इलाहाबाद 211 012, उत्तर प्रदेश	04.08.2000
120.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर-243 122, उत्तर प्रदेश।	16.11.1983
121.	जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ए -10, सेक्टर -62, नोएडा-201 307 (उत्तर प्रदेश)।	01.11.2004
122.	नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवा . जामुनीपुर, दुबवाली जिला, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।	27.06.2008
123.	शोबित इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, दूतहेरा मार्ग, रुड़की रोड, मेरठ – 250 010 (उत्तर प्रदेश)	08.11.2006
124.	संतोष विश्वविद्यालय, 1, संतोष नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201 009।	13.06.2007
उत्तराखंड		
125.	वन अनुसंधान संस्थान, पी.ओ. नया वन, देहरादून-248 006, उत्तराखंड।	28.11.1991
126.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार-249 404, उत्तराखंड।	19.06.1962
127.	एचआईएचटी विश्वविद्यालय, स्वामी राम नगर, जौलीग्रंट, पीओ डोईवाला, देहरादून, उत्तराखंड	06.06.2007
128.	ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, 566/6 बेल रोड, क्लेमेंट टाउन, देहरादून, उत्तराखंड।	14.08.2008
पश्चिम बंगाल		
129.	रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान, पीओ बेलूर मठ, जिला हावड़ा – 711 202, पश्चिम बंगाल	05.01.2005

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन/
संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय/पीएसयू**

उच्चतर शिक्षा विभाग

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र.सं.	संस्था का नाम	संस्था की वेबसाइट
1. विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	1. शीर्ष स्तर के निकाय	1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।	www.ugc.ac.in
		2.	भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), नई दिल्ली।	www.ichr.ac.in
		3.	सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली।	www.icssr.org
		4.	भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर), नई दिल्ली।	www.icpr.nic.in
		5.	राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (एनसीआरआई), हैदराबाद।	www.ncri.in
		6.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएस), शिमला	www.ias.org
		7.	भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू)	www.aiuweb.org
		8.	सभ्यता में अध्ययन केन्द्र, भारतीय विज्ञान, दर्शन शास्त्र और संस्कृति के इतिहास की परियोजना (पीएचआईएसपीसी)	www.phispc.nic.in
2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय	2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय	9.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	www.du.ac.in
		10.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।	www.jnu.ac.in
		11.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	www.amu.ac.in
		12.	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी	www.bhu.ac.in
		13.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	www.pondiuni.edu.in
		14.	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	www.uohyd.ac.in
		15.	नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग	www.nehu.ac.in
		16.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली।	www.ignou.ac.in
		17.	असम विश्वविद्यालय, सिलचर।	www.aus.ac.in
		18.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर, असम।	www.tezu.ernet.in
		19.	विश्व भारती, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल।	www.visva-bharati.ac.in
		20.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा, नागालैंड।	www.nagauniv.org.in

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र.सं.	संस्था का नाम	संस्था की वेबसाइट
		21.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।	www.jmi.ac.in
		22.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ।	www.bbau.ac.in
		23.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	www.manipuruniv.ac.in
		24.	मिजोरम विश्वविद्यालय, अजवाल, मिजोरम।	www.mzu.edu.in
		25.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।	www.allduniv.ac.in
		26.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद।	www.manuu.ac.in
		27.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा।	www.hindivishwa.org
		28.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद।	www.efluniversity.ac.in
		29.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश।	www.rgu.ac.in
		30.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़।	www.ggu.ac.in
		31.	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना।	www.cub.ac.in
		32.	गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांधी नगर।	www.cug.ac.in
		33.	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुड़गांव।	www.cuharyana.org
		34.	हिमाचल प्रदेश केन्द्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला।	www.cuhimachal.ac.in
		35.	कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर।	www.cukashmir.ac.in
		36.	जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय।	www.jammuuniversity.in
		37.	झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची।	www.cuj.ac.in
		38.	कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा।	www.cuk.ac.in
		39.	केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवनंतपुरम।	www.cukerala.ac.in
		40.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, मध्य प्रदेश।	www.igntu.nic.in
		41.	डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्व विद्यालय, मध्य प्रदेश।	www.dhsgsu.ac.in
		42.	उड़ीसा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर।	www.cuo.ac.in
		43.	पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा।	www.centralunipunjab.com
		44.	राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर।	www.curaj.ac.in
		45.	तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरुर।	www.cutn.ac.in

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र.सं.	संस्था का नाम	संस्था की वेबसाइट
2. तकनीकी शिक्षा	3. अन्य	46.	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक सिक्किम।	www.sikkimuniversity.ac.in
		47.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला, त्रिपुरा।	www.tripurauniv.in
		48.	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, उत्तराखंड।	www.hnbgu.ac.in
	1. शीर्ष स्तर के निकाय	49.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएस), शिमला।	www.iias.org
		50.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली।	www.ncmei.gov.in
	2. आईआईटी	51.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली।	www.aicte-india.org
		52.	वास्तुकला परिषद, इंडिया हैबिटेड सेंटर, नई दिल्ली।	www.coa.gov.in
		53.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), नई दिल्ली।	www.iitd.ernet.in
		54.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर।	www.iitk.ac.in
		55.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मुंबई।	www.iitb.ac.in
		56.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), खड़गपुर।	www.iitkgp.ac.in
		57.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), चेन्नई।	www.iitm.ac.in
		58.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गुवाहाटी।	www.iitg.ernet.in
		59.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रुड़की।	www.iitr.ernet.in
		60.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), जोधपुर।	www.iitj.ac.in
		61.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गांधी नगर	www.iitgn.ac.in
		62.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), पटना।	www.iitp.ac.in
		63.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), हैदराबाद।	www.iith.ac.in
		64.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रोपड़, पंजाब।	www.iitd.ac.in
		65.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भुवनेश्वर।	www.iitbbs.ac.in

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र.सं.	संस्था का नाम	संस्था की वेबसाइट
		66.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), मंडी।	www.iitmandi.ac.in
		67.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), इंदौर	www.iiti.ac.in
		68.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी-बीएचयू), वाराणसी	www.iitbhu.ac.in
	3. आईआईएम	69.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद।	www.iimahd.ernet.in
		70.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर।	www.iimb.ernet.in
		71.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता।	www.iimcal.ac.in
		72.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, लखनऊ।	www.iiml.ac.in
		73.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर	www.iimidr.ac.in
		74.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोजिकोडे	www.iimk.ac.in
		75.	राजीव गांधी भारतीय प्रबंधन संस्थान, शिलांग।	www.iimshillong.in
		76.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक, हरियाणा	www.iimrohtak.ac.in
		77.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़	www.iimraipur.ac.in
		78.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची, झारखंड	www.iimranchi.ac.in
		79.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु।	www.iimtrichy.ac.in
		80.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, उदयपुर, राजस्थान	www.iimu.ac.in
		81.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर, उत्तराखंड	www.iimkashipur.ac.in
	4. एनआईटी	82.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट, केरल।	www.nitc.ac.in
	नएएनआईटी	83.	एस.वी. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत, गुजरात।	www.svnit.ac.in
		84.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हजरतबल, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर।	www.nitsri.net
		85.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, संस्थान, इलाहाबाद।	www.mnnit.ac.in
		86.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	www.nitdgp.ac.in
		87.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर, झारखंड।	www.nitjsr.ac.in
		88.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र।	www.vnitnagpur.ac.in

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र.सं.	संस्था का नाम	संस्था की वेबसाइट
		89.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सुरथकल, कर्नाटक	www.nitk.ac.in
		90.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल, आंध्र प्रदेश।	www.nitw.ac.in
		91.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर, राजस्थान।	www.mnit.ac.in
		92.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला, ओडिशा।	www.nitrkl.ac.in
		93.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल।	www.manit.ac.in
		94.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	www.nitt.edu
		95.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र, हरियाणा।	www.nitkkr.ac.in
		96.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम।	www.nits.ac.in
		97.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर।	www.nitham.ac.in
		98.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना, बिहार।	www.nitp.ac.in
		99.	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर।	www.nitj.ac.in
		100.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़।	www.nitr.ac.in
		101.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला, त्रिपुरा।	www.tec.nic.in
		102.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिक्किम।	www.nitc.ac.in
		103.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अरुणाचल प्रदेश	www.nitdgp.ac.in
		104.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मेघालय।	www.nitmeghalaya.org
		105.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागालैंड	www.nits.ac.in
		106.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मणिपुर।	www.nitmanipur.in
		107.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मिजोरम।	www.vnit.ac.in
		108.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, उत्तराखंड।	www.nitkkr.nic.in
		109.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा।	www.nitgoa.ac.in
		110.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली।	www.ee.iitd.ernet.in
		111.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पुदुचेरी।	www.nitt.edu

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र.सं.	संस्था का नाम	संस्था की वेबसाइट
5. आईआईआईटी		112.	अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, (एबीवी-आईआईआईटीएम), ग्वालियर।	www.iiitm.ac.in
		113.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), इलाहाबाद।	www.iiita.ac.in
		114.	पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान (आईआईआईटीडीएम), जबलपुर।	www.iiitdm.in
		115.	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, (आईआईआईटीडीएम), कांचीपुरम।	www.iiitdm.ac.in
6. आईआईएससी और नए आईआईएसईआर		116.	भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।	www.iisc.ernet.in
		117.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), पुणे।	www.iiserpune.ac.in
		118.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), कोलकाता।	www.iiserkol.ac.in
		119.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), मोहाली।	www.iisermohali.ac.in
		120.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), भोपाल।	www.iiserbhopal.ac.in
		121.	भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), तिरुवनंतपुरम।	www.iisertvm.ac.in
7. एनआईटीटीटीआर		122.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता।	www.nitttrkol.ac.in
		123.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, तारामणि, चेन्नई।	www.nitttrc.ac.in
		124.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल।	www.nitttrbhopal.org
		125.	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़।	www.nitttrchd.ac.in
8. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड		126.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई।	www.apprentice
		127.	व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (बीओपीटी), कोलकाता।	www.bopter.gov.in
		128.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी), कानपुर।	www.batnorth.nic.in
		129.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, (बीओएटी), चेन्नई।	www.boatsr.tn.nic.in

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र.सं.	संस्था का नाम	संस्था की वेबसाइट
	9. अन्य	130.	इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यूनिवर्सिटी, धनबाद, बिहार।	www.ismdhanbad.ac.in
		131.	नेशनल फाउंड्री एण्ड फोर्ज टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट (एनआईएफएफटी), रांची।	www.nifft.ernet.in
		132.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्डसट्रीयल इंजीनियरिंग, मुंबई	www.nitie.edu
		133.	योजना एवं वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली।	www.spa.ac.in
		134.	योजना एवं वास्तुकला स्कूल, भोपाल।	www.spabhupal.ac.in
		135.	योजना एवं वास्तुकला स्कूल, विजयवाड़ा।	www.spav.ac.in
		136.	संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (एसएलआईटी), संगरूर पंजाब।	www.sliet.ac.in
		137.	पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश।	www.nerist.ac.in
		138.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी), कोकराझार।	www.cit.kokrajhar.in
3. भाषाएँ	1. संस्कृत एवं वैदिक संस्थाएं	139.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली।	www.sanskrit.nic.in
		140.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली।	www.slbsrsv.ac.in
		141.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, आंध्र प्रदेश।	www.rsvidyapeetha.ac.in
		142.	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन।	www.msrvvp.nic.in
	2. हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित संस्थाएं	143.	केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान मार्ग, आगरा।	www.hindisansthan.org
		144.	राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, नई दिल्ली	www.urducouncil.nic.in
		145.	राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद, वडोदरा।	www.ncpsl.org
		146.	केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, (सीआईसीटी), चेन्नई।	www.cict.in
4. योजना		147.	नेशनल यूनिवर्सिटी आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनयूईपीए), नई दिल्ली।	www.nuepa.org
5. यूनेस्को		148.	ऑरोविले फाउंडेशन, भारत निवास, ऑरोविले, तमिलनाडु।	www.auroville.org
6. पुस्तक संवर्धन		149.	नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।	www.nbtindia.org.in

क्षेत्र	स्वायत्त संगठन का प्रकार	क्र.सं.	संस्था का नाम	संस्था की वेबसाइट
संबद्ध कार्यालय				
भाषाएं		1.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर।	www.ciil.org
		2.	केंद्रीय हिंदी निदेशालय, नई दिल्ली।	www.hindinideshalaya.nic.in
		3.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली।	www.cstt.nic.in
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम				
		1.	एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड (एडसिल), नोएडा, उत्तर प्रदेश।	www.edcilindia.co.in
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग				
		1.	केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली	www.cbse.nic.in
		2.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, (एनसीईआरटी) नई दिल्ली।	www.ncert.nic.in
		3.	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश।	www.nos.org
		4.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए), दिल्ली।	www.ctsa.nic.in
		5.	नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली।	www.navodaya.nic.in
		6.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली।	www.kvsangathan.nic.in
		7.	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, (एनसीटीई), नई दिल्ली।	www.ncte-india.org
अधीनस्थ कार्यालय				
प्रौढ़ शिक्षा		1.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली।	

.....

पीडब्ल्यूडी रिपोर्ट -I
सेवाओं में निःशक्तता वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण
(1 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार)
मंत्रालय/विभाग-मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा
और साक्षरता विभाग तथा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय

समूह	कर्मचारियों की संख्या				
	कुल	अभिज्ञात पदों में	वीएच	एचएच	ओएच
1	2	3	4	5	6
समूह क	189	-	0	0	0
समूह ख	468	-	2	1	1
समूह ग	402	-	0	0	8
समूह घ	98	-	-	-	1
कुल	1157	-	2	1	10

नोट: (i) वीएच का अर्थ है दृश्य निःशक्तता (नेत्रहीन या मंद दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)
(ii) एचएच का अर्थ है श्रव्य निःशक्तता (श्रव्य विकृता से पीड़ित व्यक्ति)
(iii) ओएच का अर्थ शारीरिक रूप से विकलांग (गति-विषयक निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति)

पीडब्ल्यूडी रिपोर्ट -II

वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए निःशक्तता वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण (वर्ष 2014 के लिए)

मंत्रालय/विभाग-मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय

ग्रुप	सीधी भर्ती					पदोन्नति						
	आरक्षित रक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या					आरक्षित रक्तियों की संख्या			
	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ग्रुप ए	-	-	-	1	0	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	25	0
ग्रुप बी	-	-	-	3	0	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	22	0
ग्रुप सी	-	-	-	7	0	0	0	0	0	0	0	0
ग्रुप डी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट: (i) वीएच का अर्थ है दृश्य निःशक्तता (नेत्रहीन या मंद दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)

(ii) एचएच का अर्थ है श्रव्य निःशक्तता (श्रव्य विकृता से पीड़ित व्यक्ति)

(iii) ओएच का अर्थ शारीरिक रूप से विकलांग (गति-विषयक निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति)

(iv) ग्रुप क और ख के पदों की पदोन्नति के मामले में निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तथापि, ऐसे पदों पर निःशक्तता वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की जा सकती है बशर्ते संबंधित पद निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रूप से निर्दिष्ट किया गया हो।

एससी/एसटी/ओबीसी रिपोर्ट-II

वर्ष की प्रथम जनवरी को विभिन्न ग्रुप 'ए' सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण और कलेण्डर वर्ष 2014 में विभिन्न ग्रेडों में सेवा में की गई नियुक्तियों की संख्या

मंत्रालय/विभाग-मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय

	अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व (01.01.2015 की स्थिति के अनुसार)	कलेण्डर वर्ष 2014 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या												
		सीधी भर्ती द्वारा						पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति द्वारा			
		कुल	अ.जा.	अ. ज. जा	अ. ज. जा	अ. ज. जा	अ. ज. जा	अ.जा.	कुल	अ.जा.	अ. ज. जा	कुल	अ.जा.	अ. ज. जा
वैतन ब्रेन्ड और ग्रेड वैतन														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
पीबी-3: ₹. 5400	18	5	1	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0
पीबी-3: ₹. 6600	89	16	4	6	0	0	0	0	17	4	0	0	0	0
पीबी-3: ₹. 7000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पीबी-3: ₹. 7600	28	7	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
पीबी-4: ₹. 8700	27	5	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
पीबी-4: ₹. 8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पीबी-4: ₹. 9000	8	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पीबी-4: ₹. 10000	13	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एचएजी+उपर	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	189	38	10	10	1	0	0	0	25	5	0	0	0	0

वर्ष 2012-13 के लिए उच्चतर शिक्षा में राज्य-वार महिला नामांकन (अनन्तिम)

क्र. सं.	राज्य	कुल नामांकन	महिला नामांकन	महिला नामांकन की प्रतिशता
1	अंडमान और निकाबार द्वीप समूह	6938	3656	52.70
2	आंध्र प्रदेश	2888703	1257017	43.51
3	अरुणाचल प्रदेश	31864	15045	47.22
4	असम	467111	237337	50.81
5	बिहार	1190595	489920	41.15
6	चंडीगढ़	78131	35626	45.60
7	छत्तीसगढ़	356051	168391	47.29
8	दादरा एवं नागर हवेली	3379	1468	43.44
9	दमन और दीव	2047	856	41.82
10	दिल्ली	826754	379895	45.95
11	गोवा	36921	18531	50.19
12	गुजरात	1257835	518467	41.22
13	हरियाणा	912493	408453	44.76
14	हिमाचल प्रदेश	183514	90524	49.33
15	जम्मू और कश्मीर	338656	166560	49.18
16	झारखंड	365518	173664	47.51
17	कर्नाटक	1867496	877072	46.97
18	केरल	719846	424289	58.94
19	लक्षद्वीप	803	579	72.10
20	मध्य प्रदेश	1679492	611121	36.39
21	महाराष्ट्र	3442676	1504225	43.69
22	मणिपुर	89923	45391	50.48
23	मेघालय	60546	31087	51.34
24	मिजोरम	28302	14074	49.73
25	नागालैंड	35003	14214	40.61
26	ओडिशा	723729	333400	46.07
27	पुडुचेरी	57091	27072	47.42
28	पंजाब	768094	368479	47.97
29	राजस्थान	1526565	641262	42.01
30	सिक्किम	18882	10015	53.04
31	तमिलनाडु	3214426	1479928	46.04
32	त्रिपुरा	62546	26511	42.39
33	उत्तर प्रदेश	4331946	2002342	46.22
34	उत्तराखंड	411007	205893	50.09
35	पश्चिम बंगाल	1644139	718355	43.69
अखिल भारतीय		29629022	13300719	44.89

स्त्रोत: अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

पी-का अर्थ है अनन्तिम

